FOR REFERNCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 6, अंक 28

NOT TO BE ISSUED

बुधवार, 3 मई, 2000
13 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...61...
Date ...12/1/2001...

(खण्ड 6 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

जी०एस० चौहान
सहायक सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 28, बुधवार, 3 मई, 2000/13 वैशाख, 1922 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	521 से 525	1-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	526, से 540	25-50
अतारांकित प्रश्न संख्या	5712 से 5899	50-282
सभा पटल पर रखे गए पत्र		282-285
सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति		
पहला और दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश		285
याचिका का प्रस्तुतीकरण		286
दिल्ली में अस्पतालों में परित्यज्यनीय वस्तुओं (डिस्पोजेबल आइट्म को पुन: उपयोग में लाने (रीसाइक्लिंग) के बारे में		299-309
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) पूर्व रेलवे के दानापुर जोन में किऊल-गया रेललाइन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता		
डा० संजय पासवान		311-312
(दो) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में राबर्ट्सगंज में वन भूमि जोतने वाले अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वामित्व/पट्टाधृत अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता		
श्री रामशकल		312
(तीन) राजस्थान में जयपुर में डांक वितरण प्रणाली में सुधार लाए जाने की आवश्यकता		
श्री गिरधारी लाल भार्गव		312
(चार) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में पेन्ड्रा स्टेशन पर हीराकुण्ड एक्सप्रेस और बिलहा स्टेशन पर सारनाथ दुर्ग एक्सप्रेस को रोकने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता		
श्री पुन्नु लाल मोहले		313
(पांच) कर्नाटक में मंगलौर और केरल में शोरानूर के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता		
श्री टी० गोविन्दन		313
(छह) आन्ध्र प्रदेश में नेल्लोर में प्रस्तावित ग्रासरूट नाइट्रोजीनेस फर्टिलाइजर प्लांट को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता		
डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला		313-314

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(सात) लीपू झील और ग्वालियर के बीच राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र भूषण सिंह 314-315

(आठ) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में पेयजल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन 315-316

(नौ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए अलग उपग्रह की आवश्यकता

श्री डी० वेणुगोपाल 316

(दस) कलकत्ता-आइजोल सेक्टर में परिचालित उड़ानों के विमान किराया ढांचे में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री वनलाल जावमा 316-317

(ग्यारह) केरल के किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए नारियल, सुपारी, रबड़ और मसालों को नई आयात नीति से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री के० मुरलीधरन 317

वित्त विधेयक, 2000

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 319

श्री नारायण दत्त तिवारी 322

श्री वैको 324

श्री रूप चन्द पाल 345

डा० बी०बी० रमैया 353

श्री के०पी० सिंह देव 360

श्री किरीट सोमैया 368

श्री सुबोध मोहिते 374

श्री रतन लाल कटारिया 381

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह 383

श्री त्रिलोचन कानूनगो 389

श्री पी०एच० पांडियन 393

श्री सी० कुप्पुसामी 398

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल 401

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय 409

कुंवर अखिलेश सिंह 412

डा० सुशील कुमार इन्दौरा 414

विषय कॉलम

श्री जोवाकिम बखला 416

श्री खारबेल स्वाइं 418

श्री विजय हान्दिक 421

श्री होलखोमांग हौकिप 424

श्री प्रकाश परांजपे 426

श्री हरीभाऊ शंकर महाले . . 431

श्री रामानन्द सिंह 431

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 435

श्री रामशकल 439

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी . . 442

श्री विष्णु पद राय 444

श्री जी० पुट्टास्वामी गौडा. 447

श्री रामदास आठवले 450-454

लोक सभा

बुधवार, 3 मई, 2000/13 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, टूंडला में आज दलितों की निर्मम हत्या हुई है।. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये और जीरो ऑवर में इस मैटर को उठाइये।

(व्यवधान)

प्रो० एस०पी० सिंह बघेल (जलेसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षेत्र का दौरा करके आया हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में चार हरिजन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और तीन. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप जीरो ऑवर में रेज कीजिए।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

\+
*521. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युवा ग्रामीण श्रमिकों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बोर्ड द्वारा कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए पहचाने गये स्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कितना वार्षिक व्यय होने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1958 में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा श्रमिकों के लिये विविध शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिये की गई थी। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सभी वर्गों में जागरुकता पैदा करना है। तथापि, केवल ग्रामीण श्रमिकों के लिये चलाया गया श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू में 7 प्रायोगिक परियोजनाओं के साथ 1977-78 में शुरू किया गया था। अब यह एक नियमित और देशव्यापी कार्यक्रम बन चुका है। भूमिहीन श्रमिक, कृषि श्रमिक तथा सीमान्त कृषक मछली पकड़ने वाले श्रमिक, जनजातीय श्रमिक, ग्रामीण दस्तकार, वन श्रमिक सामान्य ग्रामीण श्रमिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवा इसकी परिधि में शामिल कर लिये गए हैं। इन शिक्षा कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों में उनकी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के प्रति संवेदी जागरुकता बढ़ाना, उनमें आत्म-विश्वास बढ़ाना तथा उन्हें अपने संगठन बनाने के लिये शिक्षित करना है, जिसके माध्यम से वे अपने लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी मूल्यों को पुष्ट कर सकेंगे। बोर्ड की भूमिका मुख्यतः शैक्षणिक एवं उत्प्रेरक है। ग्रामीण श्रमिकों के लिये चलाये जा रहे तीन कार्यक्रम इस प्रकार हैं ग्रामीण शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (1 माह), ग्रामीण शिक्षकों का पूर्वाभिमुखीकरण कार्यक्रम (एक सप्ताह) तथा ग्रामीण जागरुकता शिविर (दो दिवसीय)। इन कार्यक्रमों का आयोजन कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली तथा मुम्बई स्थित 4 आंचलिक निदेशालयों तथा 49 क्षेत्रीय व 14 उप-क्षेत्रीय केन्द्रों के नेटवर्क द्वारा पूरे देश में किया जाता है। बोर्ड के विभिन्न कार्यकलापों/कार्यक्रमों का खर्च सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान सहायता से वहन किया जाता है। 1998-99 के दौरान बोर्ड के लिए आबंटित कुल 1.84 करोड़ रुपये की योजनागत निधि में से 1.00 करोड़ रुपए का खर्च ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये उपगत किया गया है। वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए आबंटित कुल योजनागत निधि क्रमशः 3.00 करोड़ रुपए तथा 4.68 करोड़ रुपए है, जिसमें से उपर्युक्त कार्यक्रम के लिये वर्ष 1999-2000 के लिये अनन्तिम व्यय 1.47 करोड़ रुपए है तथा वर्ष 2000-2001 के लिये प्रायोजित व्यय 2.85 करोड़ रुपए है।

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना से संबंधित मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 1958 में श्रम मंत्रालय द्वारा श्रमिकों के लिए विविध शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यह कार्यक्रम प्रायोगिक परियोजनाओं के साथ 1977-78 में शुरू हुआ और अब यह देशव्यापी कार्यक्रम हो गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो प्रशिक्षण और उत्प्रेरण के कार्यक्रम चालू किये गये हैं, उसमें अब तक किस-किस राज्य में कितने श्रमिकों को किस-किस स्थान पर प्रशिक्षण देने और उत्प्रेरित करने का काम किया गया और उसके परिणाम क्या हुए ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उसके बारे में क्या कोई मौनीटरिंग की गई है और उसके फलाफल में उन श्रमिकों का क्या विकास हुआ ?

डॉ० सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य को जानकारी है कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का गठन 1958 में हुआ। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में इस कार्यक्रम को लागू करने का सवाल है, देश भर में 4 जोनल, 49 रीजनल और 4 सब रीजनल सैंटर्स के माध्यम से प्रशिक्षण देने का काम जारी है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इसमें प्रदेशवार कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, वह जानकारी मेरे पास है। मेरे पास 29 मार्च, 2000 तक की जानकारी है, उसके हिसाब से 17,30,210 लोगों को प्रशिक्षण देने का काम हुआ है। प्रदेशवार जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे जो प्रशिक्षण केन्द्र चलते हैं, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम आदि में शिविर आयोजित किये गये हैं और उन शिविरों के माध्यम से प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। यदि माननीय सदस्य उसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो मैं उसको पढ़ देता हूं और वे किसी निश्चित जानकारी को जानना चाहते हैं तो मैं उसको भी देने का काम कर सकता हूं। मेरे पास आंध्र प्रदेश की जानकारी है। उसके हिसाब से हैदराबाद में 39,479 विजयवाड़ा में 29,864 विशाखापट्टनम में 44,961 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह 1999-2000 की जानकारी है। असम में, जो तेजपुर में प्रशिक्षण हुआ है, उसमें प्रशिक्षित किये गये लोगों की संख्या 33,401 है और तिनसुखिया में 32,384 है। बिहार के धनबाद में हुए प्रशिक्षण में 28,148, जमशेदपुर में 33,802, मुजफ्फरपुर में 42,089, और रांची में 30,868 लोग लाभांवित हुए और इस प्रकार कुल 1,33,907 लोगों के प्रशिक्षण का काम हुआ है।

श्री नवल किशोर राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रथम पूरक प्रश्न में यह भी पूछा था कि क्या विभाग ने इस संबंध में कोई मॉनिटरिंग कराई है और इसके फलाफल में श्रमिकों में क्या उन्नति और उत्प्रेरण हुआ है—माननीय मंत्री जी ने इस बिन्दु को नहीं छुआ है।

मैं आपके माध्यम से दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो ग्रामीण शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ग्रामीण शिक्षकों का पूर्वाभिमुखी कार्यक्रम, ग्रामीण जागरुकता शिविर आदि कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, इन सभी ग्रामीण कार्यक्रमों पर अब तक प्रशासनिक व्यय क्या हुआ है। इसके दूसरे बिन्दु में मैं जानना चाहूंगा कि प्रशासनिक व्यय के अलावा कार्यक्रमों पर कितना व्यय हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी ग्रामीण युवाओं के लिए और गावों की ओर से जाकर विस्तृत रूप में इस कार्यक्रम को चलाने वाले हैं ? अगर चलाने वाले हैं तो इसकी क्या योजना है ?

श्री सत्यनारायण जटिया : जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि उसके उद्देश्य क्या हैं—निश्चित रूप से उद्देश्यों के बारे में मुझे कहते हुए गर्व है कि इसका उद्देश्य श्रमजीवी लोगों में देशभक्ति का भाव, राष्ट्रीय अखंडता का भाव, राष्ट्रीय एकता का भाव, परस्पर सद्भाव, पंथनिरपेक्षता का भाव, राष्ट्रीय स्वाभिमान के भाव को जागृत करने के उपाय करना है और इसी रूप में ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम लागू किये जाते हैं। जहां तक आपने कहा है कि इस पर कितना खर्च होता है, मेरे पास पिछले दो वर्षों की जानकारी है और उसमें जो धन आबंटित हुआ था, कुल श्रमिक शिक्षा पर जो खर्च किया गया था, वह 1 करोड़ 84 लाख रुपये था यानी 18.4 मिलियन था।

श्री नवल किशोर राय : मैंने पूछा कि प्रशासनिक व्यय क्या हुआ है और इन कार्यक्रमों पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं उसे बता रहा हूं। चूंकि इसकी पूरी पद्धति है और माननीय सदस्य ने कहा है कि क्या खर्च हुआ है, इसका स्प्लिट अभी मेरे पास नहीं है किन्तु जो जानकारी मेरे पास है, जो खर्च उस पर हो रहा है, पूरी व्यवस्था में, 1 करोड़ 84 लाख रुपये 1998-99 में ऐलोकेट हुए थे, जिसमें से एक करोड़ उस पर खर्च हुआ था। निश्चित रूप से आपकी जिज्ञासा को बताना मेरा फर्ज है। 1999-2000 में यह 3 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वर्ष 1 करोड़ 84 लाख रुपये का आबंटन था जो 1999-2000 में बढ़कर तीन करोड़ रुपये तक हो गया और उसमें से 1 करोड़ 47 लाख रुपये उस पर खर्च करन का काम हुआ। इस वर्ष 4 करोड़ 68 लाख है और उस पर जो खर्च किया जाना है, वह 2 करोड़ 85 लाख रुपये है। आप जानना चाहते हैं कि इन सारे कार्यक्रमों को चलाने की दृष्टि से क्या हुआ है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस वर्ष जो हमारे पास पिछले वर्ष का आंकड़ा आया हुआ है, वह मैंने पिछले वर्ष कुल मिलाकर जो उसमें प्रशिक्षित होने वाले लोगों के बारे में बताया था।

[अंनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्य को सूचना बाद में भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : प्रशासनिक खर्चों और कार्यक्रमों पर अलग-अलग खर्च के बारे में स्पेसिफिक प्रश्न मैंने पूछा था। माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है। उत्तर भेज दें, ऐसा तो आप कह दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1958 में ग्रामीण श्रमिकों, विशेष रूप से भूमिहीन कृषि श्रमिकों और ग्रामीण दस्तकारों को शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। इसके तीन कार्यक्रम हैं जैसे:- ग्रामीण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम और ग्रामीण जागरुकता शिविर। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उनमें आत्म-विश्वास उत्पन्न करना और उन्हें अपना संगठन बनाने के लिए शिक्षित करना है जिसके माध्यम से वे अपने लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों को मजबूत कर सकें।

हमारे देश में ग्रामीण गरीब व्यक्ति, कृषि श्रमिक और भूमिहीन श्रमिक सबसे अधिक शोषित श्रमिक हैं। उन्हें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नियत की गई न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। अत:, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह केन्द्रीय ग्रामीण श्रमिक शिक्षा बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा नियत की गई न्यूनतम मजदूरी की प्राप्ति के लिए कोई कार्यक्रम चला रहा है। मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार खर्च कम

हो रहा है। यह खर्च इस प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम हेतु निर्धारित राशि से भी कम है। चूंकि यह कार्यक्रम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर वर्ष प्रतिवर्ष यह खर्च कम क्यों हो रहा है ? क्या राज्य सरकारों द्वारा नियत की गई न्यूनतम मजदूरी की प्राप्ति के लिए ग्रामीण श्रमिकों, विशेषकर कृषि श्रमिकों को शिक्षित करने हेतु कोई कार्यक्रम सरकार के पास है ?

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, खेतिहर मजदूर और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में उन्होंने पूछा है। हमारे देश में कुल श्रम बल 35 करोड़ से ज्यादा है। उसमें से असंगठित क्षेत्र में 32 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में प्राय: 20 करोड़ हैं और कृषि क्षेत्र में जो लगे हुए हैं वे 12 करोड़ हैं। इन सब लोगों में जागरुकता पैदा करने का काम हम करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जितने संसाधन हैं उनको देखते हुए इस प्रकार के काम को कर पाना अभी संभव नहीं हो पाएगा। किन्तु यह बात जरूर है कि हम निरन्तर इस बारे में ध्यान देते हुए बजट एलोकेशन को बढ़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी अभी 36वें श्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी में क्रान्ति और ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था से श्रमिकों को निरन्तर शिक्षित करना अधिक जरूरी हो गया है। इसलिए सरकार राष्ट्रीय श्रम संस्थान एवं केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में उभारने पर सक्रिय तौर पर विचार कर रही है। निश्चित रूप से यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है। इसको करने के लिए और भी संसाधन जुटाने होंगे और मैं निश्चितरूप से विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में कितना बड़ा श्रम बल हमारे पास है, जितने खेतिहर मजदूर हमारे पास हैं, उनमें जागरुकता पैदा करने के लिए कि उनके अधिकार क्या हैं, इस बारे में हम प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कि वे मौसमी काम में लगे हुए हैं। उनके पास निरन्तर रोजगार नहीं है और इस दृष्टि से उनकी चिन्ता करना ज्यादा जरूरी हो गया है और सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री भेरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे मैं समझा हूं कि मजदूरों को जागृत करना और वे अनजान नहीं रहें, इसके लिए उन्हें शिक्षा दी जाए - इस पर करोड़ों रुपए सरकार की ओर से व्यय होते हैं और यह खर्च उनको शिक्षित करने पर होता है। मेरे क्षेत्र या मैं कहूं, तो राजस्थान में मेरी जानकारी के अनुसार कुछ केन्द्र तो आपके जरूर चलते हैं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की तरफ से जो विभाग खोला जाता है, उसमें इस प्रकार कि ट्रेनिंग दी जाती है कि मजदूरों को जो सुविधाएं ग्रेच्युटी, पेंशन इत्यादि की जो सुविधाएं मिलती हैं, उनके बारे में वे अनभिज्ञ नहीं रहें, परन्तु मजदूरों में अभी तक यह जागृति नहीं आई है। आपका उन्हें शिक्षित करने पर खर्च जरूर हो रहा है, लेकिन उन्हें अभी तक यह मालूम नहीं है कि सरकार की ओर से उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि वे उन्हें हासिल कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में मार्बल की खानें हैं, कोटा स्टोन है, सौफ्ट स्टोन है और अन्य प्रकार के स्टोन हैं। उनमें काम करने वाले मजदूरों को यह मालूम नहीं है कि उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए और क्या-क्या मिलती हैं।

अध्यक्ष महोदय : मीणा जी, आप सरकार से सप्लीमेंट्री पूछिए।

श्री भेरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा कि विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधाएं मजदूरों को दी जाती हैं, उनके अधिकार क्या-क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या-क्या हैं, इस प्रकार की ठीक प्रकार से उन्हें शिक्षा दी जाए और वे उन्हें ले सकें, तब तो शिक्षा दिया जाना उचित है। मेरा प्रश्न यह है कि आप मजदूरों को क्या शिक्षा देते हैं, उन्हें किस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं ?

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय सदस्य जो राजस्थान से हैं उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है कि शिक्षण के कार्यक्रम में प्रभाव आना चाहिए, व्यापकता आनी चाहिए। राजस्थान के जो आंकड़े मेरे पास हैं उनके अनुसार पिछले वर्ष 1999-2000 में शिक्षण का जो काम हुआ है उसकी जानकारी देना समीचीन होगा। जयपुर में 41,196 और जोधपुर केन्द्र के माध्यम से 13,169 और इस प्रकार से कुल 54,365 लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि उस शिक्षा से मजदूरों को वास्तव में कोई सहायता मिलती है या नहीं ?

श्री सत्यनारायण जटिया : निश्चित रूप से इस शिक्षा से उनमें प्रभाव पैदा हो रहा है, जागरुकता आ रही है। उनके लिए श्रम शिक्षा के अतिरिक्त भी और कार्यक्रम जागरुकता पैदा करने के किए जा रहे हैं, उनमें ग्रामीण जागरुकता शिविर करना, ग्रामीण प्रशिक्षण के एक माह के पाठ्यक्रम को लागू करना, ग्रामीण प्रशिक्षकों के लिए ग्रामीण अभिमुखीकरण के कार्यक्रम आयोजित करना, असंगठित श्रमिकों के लिए शिविर आयोजित करना और कमजोर तबकों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विशिष्ट सेमीनार आयोजित करना, इस प्रकार से यह जागरण का कार्य निरन्तर जारी है। यह बात ठीक है कि इसमें और अधिक व्यापकता लाने की जरूरत है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न और इसके जवाब को पढ़कर के मैं हतप्रभ रह गया। ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से माननीय मंत्री ने दर्शाया है कि कुछ विशेष कैप्सूल प्रोग्राम करते हैं, रूरल एजूकेशन ट्रेनिंग कोर्स फार वन मंथ, ओरिएंटेशन प्रोग्राम फोर रूरल एजूकेटर्स। मैं ही नहीं महोदय, पूरे सदन के सभी सांसद आज हतप्रभ होंगे कि यह जानकार कि ऐसा कोई कार्यक्रम देहात के किसी कोने में चलाया जाता है और विशेषकर के बिहार में। मैं 18 वर्ष से बिहार के राजनीतिक जीवन में हूं, मैं वहां विधायक भी रहा, लोक सभा का सदस्य भी दो बार रहा हूं, लेकिन ऐसी कोई योजना अखबार में या कहीं कोई प्रकाशन में या सरकारी तंत्र के माध्यम से कहीं देखने या सुनने को मुझे नहीं मिली। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना को बिहार में भी चलाया जा रहा है, यदि हां, तो उसका विवरण दें और यदि नहीं तो आने वाले दिनों में ये सक्षम रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इस कार्य को स्वयंसेवी संस्थाओं को विभिन्न भागों में कार्य देने का प्रयास करेंगे ?

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य के अनुभव के बारे में कुछ नहीं कहना है, किन्तु उनकी चिन्ता से मेरी चिन्ता और बढ़ गई है। इस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि जो ग्रामीण श्रमिक शिविर हैं उनके प्रति यह जो रुझान हो रहा है वह निश्चित रूप से हमारे सब के लिए उत्साह का एक कारण हो सकता है। ग्रामीण शिविरों में क्या होता है, किस तरह से लोगों को बुलाया जाता

है, इस बारे में मेरे पास अभी मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की पूरी रिपोर्ट है और उसमें किस प्रकार से किस-किस गांव में दिनांक 13 से 16 दिसम्बर, 1996 तक शिविर आयोजित किए गए, उसका विवरण है जिसे मैं नमूने के तौर पर लाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे बिहार के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया : वे निश्चित रूप से बिहार का पूछ रहे हैं। वे जिस प्रान्त के बारे में पूछना चाहेंगे, मैं बता दूंगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, बिना जाने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कि कुछ नहीं है।

महोदय, बिहार में तो कोई मतलब ही नहीं है इस प्रकार का कुछ होने का। ये सभी कागजी आंकड़े हैं। मैं प्रत्येक दिन सदन में बार-बार प्रश्न उठाकर यही चीज प्रकाश में लाना चाहता हूं कि क्या बिहार राज्य इस देश की सरहदों से बाहर चला गया है?. . . *(व्यवधान)*

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, बिहार के बारे में इस प्रकार की जो धारणा है वह ठीक नहीं है। मैं 1999-2000 में वहां इस संबंध में किए गए कार्य के बारे में भी जानकारी दे सकता हूं। उसमें जमशेदपुर में, सिंहभूम में, हजारीबाग में जो कैम्प लगाए उनमें जो सिंहभूम के गांव कवर हुए 43 और 3 इस प्रकार 46 जगह पर ये कैम्प लगाए गए। रांची में रोहतास, गुमला, रांची और बोकारो। मुजफ्फरपुर सेंटर में मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियां, करीनगर, छपरा, बख्तियारपुर में ये शिविर लगाए गए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के जवाब को चुनौती देता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, उन्होंने मेरे जिले का उल्लेख किया है और मैं उससे भलीभांति परिचित हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है। मंत्री जी को रिप्लाई देने दो। उसके बाद आप बोलना।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी मेरे पास है, वह मैं बता रहा हूं। यदि वह जानकारी गलत है, तो माननीय सदस्य उस बारे में मुझे बताएं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह जानकारी माननीय सदस्य को भेज दें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस जानकारी को चुनौती देता हूं।

[अनुवाद]

दिल्ली को अतिरिक्त जल

\+

***522. श्री रतनलाल कटारिया :**
श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त मात्रा में जल उपलब्ध कराए जाने के मामले को हरियाणा सरकार के साथ उठाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली जल बोर्ड को हरियाणा द्वारा अतिरिक्त जल उपलब्ध न किए जाने का प्रमुख कारण क्या है; और

(घ) दिल्ली को अतिरिक्त मात्रा में पानी जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल संसाधन मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने हरियाणा की सरकार पर हरियाणा की संवाहक प्रणाली द्वारा 125 क्यूसेक अतिरिक्त जल देने के लिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के पास एक मांग पत्र प्रस्तुत करने की तात्कालिक आवश्यकता पर जोर देने का अनुरोध किया है।

(ग) हरियाणा ने अपनी संवाहक प्रणाली में क्षमता की कमी के कारण अतिरिक्त जल ले जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

(घ) केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने 27.4.2000 को हरियाणा और दिल्ली के मुख्य मंत्रियों के साथ एक संयुक्त बैठक की तथा सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मुद्दे का समाधान करने के लिए विचार-विमर्श किया।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दिल्ली प्यासी होती है, तो दिल्ली की प्यास बुझाने हेतु केन्द्र सरकार हरियाणा के ऊपर दबाव बनाती है और हर तरह से हरियाणा से पानी लेती है जबकि हरियाणा प्रदेश पहले से ही पिछले 32 वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी हरियाणा की पानी की प्यास बुझाने के लिए सतलुज-यमुना लिंक कैनाल बनाने का मसला हल करेंगे?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दिल्ली जल बोर्ड को हरियाणा द्वारा अतिरिक्त जल उपलब्ध न किए जाने के बारे में केन्द्र सरकार ने क्या कोई प्रेशर डाला है, इस प्रकार का प्रश्न किया है और इसमें एस०वाई०एल० नहीं आता है। मैं इस बारे में यह कहूंगा कि दिल्ली की जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार मई के महीने में 300 गैलन पानी की कमी आती है और उसके लिए नांगलोई में एक प्लांट आलरेडी तैयार है। इसलिए सरकार चाहती थी कि हरियाणा से पानी लाने के लिए जो रास्ता है उसके लिए 125 क्यूसिक्स का एक रास्ता वह दे। उस पर पहले से कुछ पत्राचार और बातचीत चल रही थी। हरियाणा सरकार का कहना था कि हमारे पास जो रास्ता है, वह इतना पानी ले जाने के लिए सक्षम नहीं है। उसके बाद, हमारे विभाग में सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन को यह मामला भेजा कि वह रास्ता इतना पानी ले जाने लायक है या नहीं। उन लोगों ने रिपोर्ट दी कि उस रास्ते से पानी जा सकता है। उसी के आधार पर हम लोगों ने दिल्ली की मुख्य मंत्री और हरियाणा के मुख्य मंत्री, दोनों से निवेदन किया कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। दिनांक 27.04.2000 को दोनों मुख्य मंत्री हमारे निवेदन पर आए। हम

उनके शुक्रगुजार हैं। उसमें कुछ बातें उठीं। उसमें जो बातें उठीं, उनको मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं।

उन मुख्य मंत्रियों के साथ सारे अफसरान थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लंदन से भी प्रति व्यक्ति दर से ज्यादा पानी मिल रहा है - यानी लंदन में केवल 140 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मिलता है और दिल्ली में 210 लीटर प्रति व्यक्ति मिल रहा है, फिर पानी की क्या आवश्यकता है। हम लोगों ने कहा कि ठीक है। पानी की आवश्यकता की बात हम देखेंगे कि जो पानी मिलता है वह कहां जाता है, लॉस होता है या प्रति व्यक्ति कितना मिलता है। उसके बाद लगा कि वास्तविकता कुछ और है और जब दूसरा प्रश्न उठा तो पता लगा कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को पब्लिक इंटरैस्ट लिटिगेशन में कोई आदेश दिया कि दिल्ली में जो दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद और हैदरपुर में हैं उनको हमेशा पानी से फुल रखा जाना चाहिए। उसमें कंटैम्प्ट आफ कोर्ट हुआ, जिसमें हरियाणा के कुछ अफसरों के जेल जाने तक की स्थिति आ गई थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लम्बा उत्तर देने से बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।

[हिन्दी]

श्री सी०पी० ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हरियाणा के मुख्य मंत्री ने कहा कि इस पर जो कंटैम्प्ट है, उसको पहले उठाने की बात हो, तभी हम आगे बातचीत करेंगे क्योंकि हरियाणा के कुछ अफसर लोग जेल जाने के चक्कर में आ गए हैं। उनसे हम लोगों ने कहा कि हम एटार्नी जनरल को लिखेंगे और उनसे राय लेंगे। हमने इस बारे में उनसे निवेदन कर दिया है। उसके बाद यह तय हुआ कि जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद दूसरी बैठक में इस बारे में बात तय करेंगे।

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश इस कैपेसिटी में आ सकता है कि दिल्ली के सारे टैक्स भर रहें। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपके विभाग को सैटेलाइट से कोई ऐसी जानकारी मिली है कि हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर में रणजीतपुरा और बिलासपुर के बीच में आदि बद्री नाम का एक स्थान है, जहां से सरस्वती नदी बहती हुई गुजरात के अन्दर प्रवेश करती है और उस धारा के अन्दर बहुत ही मीठा जल है, जो कि बहुत नीचे है। सैटेलाइट से यह चित्र आ चुके हैं कि उसमें बहुत पानी है और जोधपुर के अन्दर हुई रिसर्च से यह साबित हो चुका है। जोधपुर की पानी की समस्या के समाधान के लिए सरस्वती नदी का जो चैनल है, जिसकी सैटेलाइट से पिक्चर आई है, उससे ही पानी लिया गया है। क्या हरियाणा प्रदेश के अन्दर उस पानी को लेने के लिए, किन्हीं कारणों से जहां से वह पानी निकलता था, कोई ऐसे प्राकृतिक कारण हुए कि वह पानी अब नीचे चला गया। उस पानी को ऊपरी सतह पर लाने के लिए क्या आपका मंत्रालय प्रयत्न करेगा ताकि हरियाणा और आसपास के प्रदेशों की पानी की प्यास बुझ सके ?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : सरस्वती का उद्गम स्थान जो आदि बद्री की बात माननीय सदस्य ने कही है, उस पर हमारा विभाग भी काफी खोजबीन कर रहा है। उसमें पानी का स्तर थोड़ा नीचे है। इस पर कुछ और खोजबीन के बाद हम इस पानी को ऊपर लाने का प्रोग्राम करेंगे।

[अनुवाद]

डा० सुशील कुमार इन्दौरा : महोदय, यह प्रश्न हरियाणा से संबंधित है। इसलिए हमें एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

श्रीमती जयाबेन बी० ठक्कर : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगी कि 27 अप्रैल, 2000 को जो मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हुई, उसमें केन्द्र सरकार से इराडी ट्रिब्यूनल एवार्ड और सतलुज यमुना लिंक कैनाल का बकाया काम खत्म करने हेतु क्या कोई बात हुई है और क्या उसे सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के बारे में कोई बात हुई है ?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : उसके लिए, पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को जब हम बुलाएंगे, उसमें बात करेंगे। 27.4.2000 की जो बैठक हुई, उसमें केवल दिल्ली और हरियाणा के बीच के सवालों के बारे में बातचीत हुई।

श्री विजय गोयल : रतन लाल जी का प्रश्न बड़ा साधारण सा था। दिल्ली ने हरियाणा सरकार से यह कहा था कि हम उनके कैरियर चैनल का प्रयोग करना चाहते हैं, इसमें पानी के लिए कोई पेमेण्ट नहीं करना था, वह पहले की गई है, कोई पानी नहीं मांगना था। वह दिल्ली का अधिकार था। उस चैनल के अन्दर 10,000 क्यूसेक पानी की क्षमता है, 9,000 क्यूसेक्स अभी उसके अन्दर पानी रहता है और दिल्ली को सिर्फ 125 क्यूसेक्स पानी चाहिए, जिसके लिए हरियाणा ने यह शर्त रख दी। एक पी.आई.एल. पड़ी हुई है। हरियाणा सरकार ने कहा कि अगर आप यह पी.आई.एल. वापस लें तो हम आपको इस चैनल में से पानी आने देंगे, जबकि दिल्ली सरकार ने यहां तक कह दिया कि हम नई चैनल बनाने के लिए भी तैयार हैं और उसके लिए 300 करोड़ रुपये देने के लिए भी तैयार हैं। मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के बिना यह मामला सुलझेगा नहीं। मेरा सवाल यह है कि क्या मंत्री जी प्रधान मंत्री जी से हस्तक्षेप के लिए निवेदन करके इस मामले को सुलझाएंगे या 27.4.2000 की बैठक की तरह ही विचार-विमर्श करते रहेंगे ?. . *(व्यवधान)*

डॉ० सी०पी० ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, उस दिन जो बातचीत हुई थी, माननीय सदस्य का कहना बहुत ठीक है, लेकिन दिल्ली का उस पानी पर उतना अधिकार नहीं है। वह बोर्ड का पानी है।

श्री विजय गोयल : बोर्ड ने उसे पानी दे रखा है।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : उस समय यह प्रश्न उठा कि बोर्ड के अधिकार क्या हैं। बोर्ड में जितने राज्य हैं, उनका हिस्सा है, उसके चीफ मिनिस्टर की बैठक होगी, इसके मायने उन लोगों ने इसको कॉम्पलीकेट किया। लेकिन हरियाणा ने कहा कि हमारा जो कैनाल सिस्टम है, वह एकस्ट्रा पानी ले जाने के लिए सक्षम नहीं है।

श्री विजय गोयल : आपने माना है कि वह सक्षम है। आपने अभी अपने जवाब में कहा है।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : बैठक तो दो मुख्यमंत्रियों के बीच हुई है, दोनों का अपना-अपना मसला है। प्रधान मंत्री जी से तो हम निवेदन करेंगे, लेकिन लग रहा है कि दूसरी बैठक में यह सब काम हो जायेगा और मसला सुलझ जायेगा।

डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा : हरियाणा से जैसे दिल्ली ने पानी मांगा, मगर आज स्थिति यह है और सभी जानते हैं कि हरियाणा में खुद पानी की किल्लत है।. . *(व्यवधान)* मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए।

श्री विजय गोयल : पानी तो हमारा है, आपका थोड़े ही है। पानी दिल्ली का है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा० इन्दौरा, आप अपना अनुपूरक प्रश्न मंत्री जी से करें, श्री विजय गोयल से नहीं।

डा० सुशील कुमार इन्दौरा : महोदय, वे मुझे बीच में टोक रहे हैं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे मुझे न टोकें।

[हिन्दी]

आज हरियाणा में भी अगर हालात देखे जायें तो राजस्थान और गुजरात की तरह सूखा दक्षिणी हरियाणा में है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस तरह प्रधान मंत्री जी ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद सुलझाए हैं, कावेरी की तर्ज पर, क्या वे एस.वाई.एल. का मसला सुलझाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाएंगे ? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि दिल्ली में 32 किलो मीटर जो यमुना का एरिया खराब पड़ा है, वहां जल स्तर नीचे जा रहा है, अगर उसमें सुधार कर दिया जाए तो दिल्ली को किसी भी राज्य से पानी मांगने की जरूरत नहीं है, इस बारे में मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : एस.वाई.एल. का मामला सब-ज्यूडिस है। उसके लिए अनुकूल माहौल बनाया जाएगा, तभी उस समस्या का समाधान हो सकता है।

[अनुवाद]

डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा : मैंने विशेषरूप से यह कहा है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री जी की बात तो सुनें।

डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा : यह हरियाणा की एक चिरलंबित मांग है।

[हिन्दी]

डॉ० सी०पी० ठाकुर : माननीय सदस्य की चिंता ठीक है लेकिन एक समस्या सुलझ जाएगी तो हम उसे भी सुलझाने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति दी जाए। देश में काफी मात्रा में पानी है फिर भी हम सूखे का सामना कर रहे हैं। सवाल यह है कि उपलब्ध पानी का उपयोग कैसे किया जाए। अनेक संसद सदस्य इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं। अतः, इस मामले पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कार्य-मंत्रणा समिति में चर्चा की जाएगी, प्रश्न काल के दौरान नहीं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना

\+

***523. श्री बृजलाल खाबरी :**
श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक संख्या में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट कार्यालयों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है और पासपोर्ट कार्यालयों को खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) इन्हें कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) देश में इस समय स्थानवार कितने पासपोर्ट कार्यालय कार्य कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं। अभी सरकार का देश में कोई नया क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय या पासपोर्ट कार्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) नया पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं यथा वर्तमान कार्यालय की अवस्थिति, किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त आवेदनों की संख्या और विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति की यह अनुशंसा कि किसी क्षेत्र में नया पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने के लिए उस क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों की संख्या प्रति वर्ष कम से कम 50,000 होनी चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अभी देश में 28 पासपोर्ट कार्यालय निम्नलिखित स्थानों में कार्य कर रहे हैं :

अहमदाबाद, बंगलौर, बरेली, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोजीकोड, लखनऊ, मुम्बई, नागपुर, पणजी, पटना, पुणे, श्रीनगर, ठाणे, त्रिरुचिरापल्ली, त्रिवेन्द्रम और विशाखापत्तनम।

[हिन्दी]

श्री बृजलाल खाबरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार पासपोर्ट कार्यालय खोलने के संबंध में विचार कर रही है। लिखित उत्तर में दर्शाया गया है कि पूरे देश में 28 पासपोर्ट कार्यालय खोले गए हैं, जिसमें देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 15 करोड़ है, में मात्र तीन पासपोर्ट कार्यालय खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भाग बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखण्ड का एक जिला ललितपुर है, वहां की जनता को यदि पासपोर्ट बनवाना होता है तो 500 किलो मीटर दूर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाना पड़ता है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र में पासपोर्ट के लिए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का क्या उनका कोई विचार है ?

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : बुंदेलखंड में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बृजलाल खाबरी : यदि मंत्री जी का नहीं खोलने का विचार किया है तो यह हमारे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा। जैसा आपने दर्शाया है कि अगर 50,000 लोग इस बात की मांग करें तो वहां क्षेत्रीय कार्यालय खोला जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह संख्या बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहां 50 लाख आदमी क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए क्या वे वहां क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रावधान करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : अध्यक्ष महोदय, बुंदेलखंड में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय न खोलने का निर्णय मैंने नहीं लिया था। वर्ष 1994 में संसदीय स्थायी समिति ने एक नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने हेतु कतिपय दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे। ऐसा ही एक दिशा-निर्देश यह है कि कार्यालय खोलने हेतु एक साल में कम से कम 50,000 आवेदन प्राप्त होने चाहियें। यद्यपि बुंदेलखंड की आबादी काफी है किंतु प्रत्याशित आवेदनों की संख्या 50,000 नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र की आबादी दस करोड़ से ज्यादा है और महाराष्ट्र में तीन पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई, थाणे और पुणे में हैं। विशेषकर महाराष्ट्र से हजारों लोग रोजगार के लिए अरब देशों में जाते हैं और जो अरब देशों में नौकरी के लिए जाते हैं, उनमें से अस्सी प्रतिशत कोंकण रीजन से जाते हैं जिनका पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई में है। कोंकण रीजन रायगढ़, रत्नागिरि, सिंधुदुर जो पूरा पहाड़ी इलाका है, वहां से अरब देशों में हजारों की संख्या में लोग जाते हैं और वहां की वित्तीय, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। गरीब आदमी के लिए मुम्बई में पासपोर्ट बनवाने के लिए आना और एक दिन भी रहना बहुत महंगा पड़ता है। जो लोग अरब देशों में नौकरी के लिए जा रहे हैं, उनमें से अस्सी प्रतिशत कोंकण रीजन से जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंट्री पूछने के लिए क्या इतना एक्सप्लेनेशन चाहिए ?

श्री अनंत गंगाराम गीते : पासपोर्ट ऑफिस खोलने के लिए जो नॉर्म्स बनाये गये हैं, उसके लिए लगभग पचास हजार लाभार्थी चाहिए। मेरा कहना है कि पचास हजार से ज्यादा लोग वहां से नौकरी के लिए जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी और वहां एक पासपोर्ट ऑफिस खोलेगी ? पासपोर्ट कार्यालय खोलने का निर्णय नहीं किया, यह जवाब न देते हुए, क्या कार्यालय खोलने के बारे में गंभीरता पूर्वक सरकार विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूं। इस संबंध में संसदीय स्थायी समिति ने दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। किंतु जैसाकि माननीय सदस्य स्वयं यह कह रहे हैं कि 50,000 आवेदन मिलने जरूरी हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे मुझे एक पत्र लिखें। हम इसे कर्मचारी निरीक्षण एकक के समक्ष रखेंगे और वे इसके लिए एक विशेष सर्वेक्षण करेंगे।

श्री अनंत गंगाराम गीते : धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आपने अभी देश के विभिन्न हिस्सों में खोले हैं, उनमें से प्रत्येक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट बनाने के लिए जो फीस ली जाती है, क्या उसमें एकरूपता है या अलग-अलग फीस अलग-अलग स्थानों पर ली जाती है ? यदि अलग-अलग ली जाती है तो उसका क्या कारण है और क्या आप उसमें एकरूपता लाने का प्रयास करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : पूरे देश में एकरूपता है। साधारण पासपोर्ट के लिए फीस 300 रुपये है, तत्काल सेवा के लिए अनेक प्रावधान हैं। यदि आवेदन नया है तो अलग शुल्क लगता है और यदि आवेदन नवीकरण से संबंधित है तो अलग शुल्क लिया जाता है। किंतु पूरे देश में एकरूपता के लिए समान शुल्क लिया जाता है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जी, नहीं। यह सच नहीं है. . .

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : अध्यक्ष महोदय, पासपोर्ट कार्यालय के लिए जो पचास हजार का मानक बनाया गया है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है और जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि पचास हजार का मानक शहरों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पर्वतीय क्षेत्र या पिछड़े क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जहां से लोग बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, वहां से उनको दूर-दूर आना पड़ता है। जो यह मानक बनाया गया है, भौगोलिक कठिनाइयों को देखते हुए, क्या मंत्रालय इस मानक में शिथिलता लाने के बारे में विचार करेगा ? दूसरा इसी से संबंधित प्रश्न है। मैंने जब माननीय मंत्री जी को देहरादून में एक पासपोर्ट ऑफिस खोलने के लिए पत्र लिखा था तो उनका जवाब था कि यह संभव नहीं है जो उन्होंने मानक के आधार पर बताया था। लेकिन वहां एक पासपोर्ट एप्लीकेशन कलैक्शन सेंटर की बात हुई थी। उससे भी काफी सुविधा हो सकती है। क्या भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए पासपोर्ट एप्लीकेशन कलैक्शन सेंटर खोलने के लिए आप कोई हल्का मानक बनाएंगे जहां लोग लोग एप्लीकेशन

जमा करें और वहीं से पासपोर्ट उनको मिल जाये ? जैसे मुम्बई में जाना पड़ता है और बहुत खर्च करना पड़ता है, उसके बदले वहां जाकर पासपोर्ट कलैक्ट कर ले, महीने में एक-दिन या दो दिन उसकी कोई तिथि तय कर लें और वहां ही आदमी अपने पासपोर्ट की एप्लीकेशन जमा करे और वहीं से पासपोर्ट निश्चित तिथियों पर मिले, क्या इस प्रकार की व्यवस्था सरकार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : पूरे देश में 17 पासपोर्ट आवेदन संग्रह केन्द्र (एप्लीकेशन कलेक्शन सेंटर) कार्यरत हैं और ऐसे दस सेंटर विचाराधीन हैं परन्तु, माननीय सदस्य ने जिस स्थान का उल्लेख किया है, वह विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है और मैंने इस सुझाव को विचार करने हेतु नोट कर लिया है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह आश्वासन दिया गया है कि इस पर विचार किया जायेगा। कृपया इस पर विचार करें और इसे शामिल करें।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री भी कह रहे हैं कि वे इस पर विचार करेंगे।. . . *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : पासपोर्ट आवेदनों के बारे में, ऐसे कई आरोप लगाए जाते हैं कि दलालों का पासपोर्ट कार्यालयों पर नियंत्रण हैं। वे रिश्वत लेकर पासपोर्ट तुरन्त दिलाते हैं। मैं माननीय मंत्री से (क) पासपोर्ट को शीघ्रता से जारी करने के संबंध में सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदम; और (ख) तत्काल पासपोर्ट को जारी करने हेतु अपनाए जा रहे मानदंड के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री अजित कुमार पांजा : पासपोर्ट आवेदन के बारे में, सरकार को कुछ दलालों के कार्यकलापों की जानकारी है और इसलिए 13 अक्तूबर, 1999 के पश्चात् हमने कुछ कदम उठाए हैं। पहला कदम है पुलिस जांच में तेजी लाना। इसमें अधिक विलम्ब होने से ये दलाल अपने कार्य में सक्रिय हो जाएंगे। अतः, हम पुलिस जांच में तेजी लाना चाहते हैं जिसके लिए हम संबंधित राज्यों से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

दूसरी बात यह है कि हम पासपोर्ट सुपुर्दगी व्यवस्था को और सुधारु बनाना चाहते हैं ताकि तेजी से सुपुर्दगी की जा सके।

तीसरी बात यह है कि हमने जन शिकायत प्रकोस्ठ खोले हैं जहां लोग अपनी शिकायत रख सकेंगे और उनका शीघ्र निपटारा हो जाएगा और इसमें पासपोर्ट अदालतें भी सहायक होंगी।

जहां तक 'तत्काल सेवा' का संबंध है, हमने 'तत्काल' सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कई प्रावधान किए हैं। सर्वप्रथम हमने उन मरीजों का पता लगाया है जो गंभीर रूप से बीमार हैं और इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं ऐसे लोग तत्काल योजना के अंतर्गत आते हैं अर्थात् हम इनसे कोई अतिरिक्त शुल्क लिए बिना इन्हें सात दिन के भीतर पासपोर्ट जारी करेंगे। परन्तु हम साधारण पासपोर्ट के लिए 300 रुपये का शुल्क ले रहे हैं। जब किसी मरीज का निकट संबंधी विदेश जाना चाहता है तो हम उन्हें 'तत्काल' सेवा के अंतर्गत सात दिन के भीतर अथवा यथाशीघ्र बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए पासपोर्ट जारी करेंगे। ऐसे छात्रों, जिन्हें निर्धारित तिथि के भीतर किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना हो अथवा जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हों उनके लिए हम 'तत्काल' योजना के अंतर्गत पासपोर्ट जारी करते हैं बशर्ते उन स्नातकों के माता-पिता की आय प्रतिमाह 2000 रुपये अथवा इससे कम हो।

इसके अलावा, लगभग दस मदों के अंतर्गत 'तत्काल सेवा' मुहैय्या करायी जाती है। विवाह के मामले में भी पासपोर्ट दिए जाते हैं। हाल ही में, जब हमें विवाहोपरांत विहार यात्रा (हनीमून) पर जाने वाले कुछ दम्पतियों की ओर से यथाशीघ्र पासपोर्ट जारी करने की मांग प्राप्त हुई, तो हमने उनकी मांग पर विचार किया और उन्हें 'तत्काल' योजना के अंतर्गत पासपोर्ट जारी किया क्योंकि हमारी सरकार मानवीय दृष्टिकोण रखती है।

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से खुशी हुई कि विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री स्थायी समिति की सिफारिशों के प्रति बहुत ही निष्ठवान हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसा संचार संबंधी स्थायी समिति के मामले में भी होता। तथापि, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केबिनेट अथवा राज्य मंत्री पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति से अवगत हैं। असम में एकमात्र कार्यालय गुवाहाटी में स्थित है। यह मणिपुर, मिजोरम और बेराक घाटी के सभी लोगों के लिए है। किन्हीं स्पष्ट कारणों, जिनका मैं उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, से गुवाहाटी जाना अत्यधिक दुष्कर है। यहां तक कि त्रिपुरा में भी अब बसों से अपहरण किए जा रहे हैं। इस तथ्य को देखते हुए, मार्गनिर्देशों से कुछ हटकर किए जाने की आवश्यकता है। ये सिफारिशें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। या तो इनकी समीक्षा की जाये अथवा दूरदराज के क्षेत्रों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये ताकि लोगों को पासपोर्ट और वीजा प्राप्त हो सके। मुझे आंकड़ों की जानकारी नहीं है। मैं इन आंकड़ों को प्रमाणित भी नहीं कर सकता। परन्तु यह अत्यावश्यक है और इसलिए मैं माननीय मंत्री से सिल्चर के लिए विचार करने का अनुरोध करता हूं। इस संबंध में कुछ आश्वासन दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल अनुरोध है अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे सिल्चर में पासपोर्ट कलेक्शन सेंटर खोलने वाले हैं।

श्री अजित कुमार पांजा : जी हां, सिल्चर में एक पासपोर्ट कार्यालय शीघ्र ही खोला जायेगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : महोदय, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर एजेंटों द्वारा बोगस पासपोर्ट दे दिया जाता है। मुम्बई बम-ब्लास्ट इसी का उदाहरण है। देश में गलत पासपोर्ट देने की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, ऐसे एजेन्टों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में क्या मंत्रालय विचार करने वाला है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : जी, हां। इसमें कई प्रावधान हैं। इसमें एक सतर्कता अनुभाग का प्रावधान भी है। अन्यथा हम राज्य पुलिस और आसूचना विभाग की सहायता लेते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : खाड़ी देशों में लगभग पांच लाख केरलवासी रहते हैं। इनकी संख्या प्रतिमाह बढ़ रही है। इस समय महत्वपूर्ण प्रश्न पासपोर्ट को जारी करने में विलम्ब का है। विदेश जाने वाले लोगों के मामले में अत्यधिक देरी की जाती है। अत: इस संबंध में कृपया तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि उससे देरी को कम किया जा सके। और पासपोर्ट कम अवधि में जारी किया जाना चाहिए।

हम उन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें खाड़ी देशों में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अत: इन लोगों को खाड़ी देशों में रोजगार वे अवसर यथाशीघ्र प्राप्त करने का मौका दिया जाये। वे खाड़ी देशों से अपना वीजा प्राप्त कर लेते हैं परन्तु उन्हें उचित समय पर पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता। इसके फलस्वरूप वे अपना रोजगार खो देते हैं। मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। जब हम उन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम हमें उन लोगों को खाड़ी देश में रोजगार प्राप्त करने का मौका देना चाहिए। कृपया इस प्रक्रिया को सरल बनाइए। छोटी से छोटी तकनीकी गलती का भी निपटारा दिल्ली में किया जाता है और आपको आवेदन दिल्ली में ही भेजना होगा। और त्रिवेन्द्रम अथवा किसी अन्य स्थान से आवेदन को अपने मामले में पूछताछ करने और अपनी बात रखने हेतु दिल्ली आना पड़ता है। इसे रोका जाये। क्या आप इसके लिए आवश्यक कदम उठाएंगे ?

श्री अजित कुमार पांजा : हम आवश्यक कदम पहले उठा चुके हैं। मैं यह बात पहले ही बता चुका हूं। परन्तु हमें सावधान रहना होगा। हमारे देश के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो शीघ्र सुपुर्दगी प्रणाली का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। अत:, हमें पासपोर्ट जारी करने से पहले सभी सावधानियां बरतनी होंगी। ऐसा कोई मामला नहीं है कि प्रत्येक बात के लिए इसे दिल्ली भेज दिया जाये, जब तक कि यह गम्भीर बात न हो जहां केन्द्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जांच आवश्यक हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं पुन: श्री राधाकृष्णन का नाम पुकारता हूं। परन्तु इस बार श्री सी०पी० राधाकृष्णन को आमंत्रित कर रहा हूं।

श्री सी०पी० राधाकृष्णन : निरन्तर प्रयास के बाद हमारे लिए कोयम्बटूर में पासपोर्ट कलेक्शन सेंटर खुला है। अब मुझे माननीय मंत्री के माध्यम से यह पता चला है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने हेतु स्थायी समिति द्वारा कतिपय मानदंड निर्धारित किए गए हैं। मैं आज उनसे इन मानदंडों का पूरा ब्यौरा प्राप्त कर लूंगा।

मेरी यह कोशिश होगी कि कोयम्बटूर इन मानदंडों को अगले दो माह में पूरा कर लेगा। तब माननीय मंत्री हमारे लिए कोयम्बटूर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलेंगे। यह मेरा अनुरोध है और मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री इस संबंध में सकारात्मक रुख अपनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है; यह केवल अनुरोध है। मैंने इसे नोट कर लिया है।

श्री अजित कुमार पांजा : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

श्री रमेश चेन्नितला : असली मुद्दा है पासपोर्ट जारी करने में अत्यधिक विलंब किया जाना है। श्री राधाकृष्णन ने इसे सही ढंग से इंगित किया था परन्तु उत्तर पर्याप्त नहीं था।

शिकायत यह है कि पासपोर्ट कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी होने के कारण पासपोर्ट जारी करने में विलंब हो जाता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या विद्यमान रिक्तियां मंत्रालय द्वारा तत्काल भरी जायेंगी ताकि आवेदकों को ऐसी असाधारण विलम्ब के बिना ही पासपोर्ट मिल सके।

श्री अजित कुमार पांजा : माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या कम है। हमने इस संबंध में व्यय विभाग से अनुरोध किया है और व्यय विभाग के निरीक्षण एकक के कर्मचारी हमारे पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पूरे देश भरके कार्यालयों के संबंध में अपनी रिपोर्ट चार माह के अंदर सौंप देंगे। उन्होंने इस कार्य की शुरुआत चण्डीगढ़ से की है। हमने उन्हें बताया है कि हमारे पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। हमने उनसे अधिक कर्मचारियों को तैनात करने के लिए कहा था परन्तु उन्होंने अपना कर्मचारी निरीक्षण एकक भेज दिया है। मैं समझता हूं कि वे अपनी रिपोर्ट चार माह के भीतर दे देंगे। इस रिपोर्ट के आने के तत्काल बाद ही हम वित्त मंत्रालय से अधिक कर्मचारियों की मांग कर पाएंगे।

श्री चन्द्र विजय सिंह : मुरादाबाद की तुलना में बरेली में वर्तमान पासपोर्ट कार्यालय से कम पासपोर्ट जारी होते हैं। यह स्थिति विगत तीन वर्षों से चल रही है। संभवत: अगले पांच वर्षों में भी यही स्थिति रहेगी। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि उन स्थानों, जहां अधिक संख्या में लोग विदेश यात्रा पर जाने हेतु पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं, पर स्थित पासपोर्ट कार्यालयों के लिए माननीय मंत्री क्या प्रावधान कर रहे हैं।

श्री अजित कुमार पांजा : माननीय सदस्य इस प्रश्न का उत्तर मुझे पत्र लिखकर प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनका यह प्रश्न वर्तमान प्रश्न से संबंधित नहीं है।

जल मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण

+

***524. श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 दिसम्बर, 99 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "वाटर प्राइसिंग अथारिटी प्रोपोण्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय जल संसाधन आयोग ने जल-नीति से संबंधित कानूनों में सुधार करने और उन्हें परिवर्तित करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उन सिफारिशों को किस सीमा तक स्वीकार किया है ?

जल संसाधन मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जी हां, राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग ने अन्तर्राज्यीय नदियों पर एक कानून के अधिनियमन की सिफारिश की है जिसे अन्तर्राज्यीय नदी और नदी घाटी (एकीकृत एवं सहभागिता प्रबन्धन) अधिनियम कहा जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (1) नदी बेसिन संगठनों के गठन और उनकी शक्तियों तथा कार्यों और (2) संभाव्य अंतर्राज्यीय अंतर्बेसिन हस्तांतरण के लिए केन्द्र द्वारा आंकड़ा संग्रहण और अध्ययन किए जाने का प्रावधान होगा। इसने अंतर्राज्यीय जल अधिकरणों के निर्णय समय से देने तथा साथ ही ऐसे निर्णयों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन की सिफारिश भी की है। इसने राष्ट्रीय जल नीति, 1987 को संशोधित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों की जांच करने और यथा कार्यान्वयन योग्य पाई गई ऐसी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए तौर तरीके सुझाने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में एक कार्यान्वयन सेल का गठन किया गया है। इन सिफारिशों की जांच में कार्यान्वयन सेल की सहायता करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

इस आयोग की मुख्य सिफारिशें अनुबन्ध पर दी गई हैं।

अनुबन्ध

राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

1. वृहद परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी वित्त पोषण जारी रखना, वित्तीय अनुशासन अपनाना तथा इन निधियों के प्रणालन (चैनलाइजिंग) के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना। वृहद परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता समग्र योजना सहायता के भाग के बजाय परियोजना-वार दी जाये।

2. सभी श्रेणियों के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए उचित मुआवजा पैकेज निर्धारित करने की आवश्यकता। ऐसा करते हुए आयोग ने इस बात पर बल दिया कि पुनर्स्थापना और पुनर्वास परियोजनाओं को कार्यात्मक प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त निधियों के साथ कार्यान्वित किया जाए।

3. विद्यमान अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन करने, विद्यमान नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के स्थान पर नया अधिनियम लागू करने और विद्यमान सिंचाई अधिनियमों से भी संशोधन करने की आवश्यकता जिससे सहभागी सिंचाई प्रबन्धन सम्भव हो सकेगा।

4. अन्तर-बेसिन हस्तान्तरण पर विचार करने से पूर्व अधिशेष जल वाले बेसिनों में भूमि और जल के अधिकतम उपयोग का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। *(अन्तर बेसिन हस्तान्तरण को प्रथम प्राथमिकता दी जाए।)*

5. प्रत्येक अन्तर्राज्यीय नदी के लिए नदी बेसिन संगठन की स्थापना करना जिसमें संबोधित राज्य सरकारों, जल प्रयोक्ताओं आदि का प्रतिनिधित्व हो।

6. सम्पूर्ण प्रचालन और अनुरक्षण खर्चों की पूर्ति करने के लिए वर्तमान जल दरों में पर्याप्त संशोधन करना, विद्यमान ऊर्जा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तरह ही जल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण गठित करना।

7. पर्यावरण सुरक्षा के लिए, औद्योगिक उपयोगों के लिए, "यूजर पे, पॉल्यूटर पे" के सिद्धान्त को अपनाये जाने की आवश्यकता है।

8. राष्ट्रीय जल नीति (1987) में संशोधन करने की आवश्यकता, सभी बेसिनों के जलवैज्ञानिक आंकड़े उन सभी को निशुल्क उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता जो इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं।

9. बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए, आयोग ने विपदा से निपटने संबंधी योजनाएं तैयार करने, तटबन्धों की निष्पादन पुनरीक्षा करने और विभिन्न बाढ़ जोनों में भूमि उपयोग को नियमित करने की नीति तैयार करने की सिफारिश की है। टेलीमेट्री और उपग्रह संचार प्रणाली का उपयोग करते हुए विद्यमान बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को सुदृढ़ और आधुनिक बनाया जाए।

10. हिमालय पार की नदियों के इष्टतम और एकीकृत विकास के लिए, भारत को पड़ोसी देशों के साथ सहयोग के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए यह सुझाव दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, बंगलादेश में जल संशाधन आयोजना संगठन और नेपाल में ऊर्जा विकास प्राधिकरण को सूचना वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया जाए।

11. जल विद्युत विकास के लिए आयोग ने जल विद्युत विकास निधि बनाने, संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देने और शुल्क को युक्तिसंगत बनाने आदि की सिफारिश की है।

12. नौवहन विकास के लिए इस आयोग ने सिफारिश की है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन को उदीयमान उद्योग के रूप में माना जाए।

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, हम प्रस्तावित जल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के विषय में बात कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जो मेरे राज्य, बिहार से हैं, का ध्यान कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मुझे आशा है कि उन्हें राज्य के समक्ष आ रही कुछ समस्याओं की जानकारी होगी।

जब हम जल के मूल्य निर्धारण की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न राज्यों की विभिन्न आवश्यकताएं हैं। जहां

तक बिहार का संबंध है, मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी होगी कि एक अच्छी परियोजना लगभग बारह वर्ष पूर्व शुरू की गई थी। इसे गंडक परियोजना के नाम से जाना जाता है और दूसरी परियोजना को सुवर्णरेखा परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये दो परियोजनाएं हैं जिनसे बिहार राज्य के पर्याप्त जल प्राप्त होने की अपेक्षा है। दोनों नहरों और तटबंधों का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा था। 75 प्रतिशत कार्य पहले ही पूरा हो चुका था और बकाया 25 प्रतिशत कार्य पिछले 12 वर्षों में भी पूरा नहीं किया गया है। इससे जनता को भारी नुकसान हो रहा है और पूरे उत्तरी बिहार में पानी की अत्यधिक कमी हो रही है। जैसा कि माननीय मंत्री जी जानते हैं हम पानी की अत्यधिक कमी की समस्या से ग्रस्त हैं।

इसके बावजूद, गंडक नदी के जल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह बिहार में अतिमहत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। किन्तु कामगारों और पर्यवेक्षण के लिये नियुक्त अधिकारी के बीच सामंजस्य के अभाव के कारण इसके जल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह निवेदन करती हूं कि भारत के नियंत्रक-महालेखा,

अध्यक्ष महोदय : आपको एक अनुपूरक प्रश्न भी पूछना है। आपको अध्यक्ष के माध्यम से निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से कहा जाना चाहिये कि वे वहां जायें और उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करें कि उत्तरी बिहार को पानी देने के लिये वहां उपलब्ध पानी का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है।

डा० सी०पी० ठाकुर : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। किन्तु मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

श्रीमती श्यामा सिंह : मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछा है। यह देश में पानी की कमी के संबंध में है।

डा० सी०पी० ठाकुर : किन्तु मुख्य प्रश्न जलमूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित है। किन्तु मैं सुवर्णरेखा और गंडक परियोजनाओं में हुई प्रगति के विषय में माननीय सदस्य को जानकारी दूंगा। सुवर्णरेखा के संबंध में, इसे वन संबंधी स्वीकृति नहीं मिली है। अतः कार्य तेजी से नहीं हो रहा है। हम सारी सूचना एकत्रित करेंगे और माननीय सदस्य को सूचित करेंगे।

श्रीमती श्यामा सिंह : जलमूल्य निर्धारण का सीधा संबंध किसानों से है जो पानी का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। किसान पानी का उपयोग सिंचाई के लिये करते हैं। माननीय मंत्री जो मूल्य निर्धारण कर रहे हैं वह मुख्यतः किसानों से राजस्व जुटाने के लिए किया जा रहा है। धन का भुगतान किसान ही करेंगे। जब माननीय मंत्री उन्हें अपेक्षित पानी देने का आश्वासन नहीं देते हैं तो वह यह निर्णय कैसे ले सकते हैं कि किसान पैसे का भुगतान करेंगे ? उन्हें समय पर पानी मिलना चाहिये। अतः जलमूल्य निर्धारण प्रणाली का किसानों से सीधा संबंध है।

डा० सी०पी० ठाकुर : मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं। अधिकांश आयोगों ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं कि पानी किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिये और तभी ही मूल्य निर्धारण प्रणाली तैयार की जानी चाहिये।

श्रीमती श्यामा सिंह : जी, हां। इसका सीधा संबंध है। मैंने भी यही कहा है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जल नीति का निर्धारण 1987 में हुआ था, लेकिन इसके पश्चात् भी कई राज्यों में जल को लेकर विवाद हैं। अभी हरियाणा, दिल्ली और पंजाब की चर्चा हुई थी। इसी प्रकार से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी को लेकर विवाद चल रहा है। भाखड़ा-व्यास प्रबन्धन बोर्ड द्वारा हमें अपना हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या इस प्रकार के विवादों को निपटाने के लिए जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर केन्द्रीय सरकार कोई शीघ्र कदम उठाएगी और राजस्थान को उचित हिस्सा दिलवाएगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न जलमूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित है।

[हिन्दी]

डा० सी०पी० ठाकुर : महोदय, राष्ट्रीय जल नीति पर बैठक होने वाली थी, कुछ कारणों से वह स्थगित हो गई। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो कुछ राज्यों ने कहा कि बैठक होने से उनके केस पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसकी बैठक तुरन्त होने वाली है। इस बैठक में डिसकशन होगा और एक निर्णय लिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : पृथ्वी का एक तिहाई-हिस्सा समुद्र के पानी से ढका है। हर गुजरते वर्ष के साथ हमें पेयजल और सिंचाई के लिये पानी की कमी होगी। सौभाग्यवश, हमारे पास ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे हमें समुद्र के पानी का उपयोग करने में सहायता मिल सकती है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उच्च मूल्यों पर पानी बेचने और प्रतिगामी कदम उठाने के बजाय विद्यमान प्रौद्योगिकी को और अधिक उन्नत बनाने के लिए धनराशि खर्च करेगी ताकि समुद्र के पानी का उपयोग पीने के लिये और सिंचाई के लिये किया जा सके।

क्या सरकार प्रौद्योगिकी विकास पर और अधिक धन खर्च करके प्रगतिशील, सकारात्मक और प्रभावी कदम उठायेगी ?

डा० सी०पी० ठाकुर : वस्तुतः अनेक कंपनियां खारे जल को पेयजल में परिवर्तित करने की नई प्रौद्योगिकी के साथ सामने आई हैं। हम परीक्षण करेंगे इन प्रौद्योगिकियों की जांच करेंगे और खारे जल को पेयजल में परिवर्तित करेंगे। यह एक अच्छा सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि जो देश कि जल नीति है, हमें इरीगेशन, उद्योग और पीने के लिए पानी की जरूरत है। आज राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरा देश सूखे का सामना कर रहा है। मैं आपके माध्यम से इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य में जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने वाली है या नहीं ? अगर घोषित करने वाली है तो कब करने वाली है और अगर घोषित नहीं करने वाली है तो क्यों नहीं करने वाली है ?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावना को समझता हूं। सारा देश चाहता है कि जल राष्ट्रीय सम्पत्ति हो, लेकिन इसके लिए सारे राज्यों की सहमति लेनी आवश्यक है। इसलिए अभी जो राष्ट्रीय जल नीति के संबंध में बैठक होने वाली है, उसमें इस विषय पर भी चर्चा होगी।

[अनुवाद]

श्री पी०एस० पांडियन : चेन्नई शहर में जल की अत्यधिक कमी है। जलमूल्य निर्धारण प्राधिकरण के न होने के कारण, पानी को टैंकों में, 200 रुपये या 300 रुपये प्रति टैंकर लॉरी के हिसाब से बेचा जाता है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे, इस वर्ष की पहली मई से कृष्णा नदी के पानी की आपूर्ति के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार के वचन से अवगत हैं। अभी तक चेन्नई में पानी नहीं पहुंचा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न जलमूल्य निर्धारण प्राधिकरण के संबंध में है।

श्री पी०एच० पांडियन : क्या माननीय मंत्री चेन्नई की जनता तक पानी पहुंचाने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार से बातचीत करेंगे ? यहां कोई राजनीतिक चाल नहीं चली जा रही है। यह मामला सिर्फ चेन्नई की जनता तक पानी पहुंचाने का है।

अध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। कृपया मूल प्रश्न पढ़ें। यह जलमूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित है। आपका प्रश्न अलग है।

श्री पी०एच० पांडियन : दूसरा प्रश्न यह है कि तिरुनेलवेली, जो तमिलनाडु का एक भाग है, की निगम सीमाओं के अन्दर नदी बहती है जिसका उद्‌गम तमरायपरानी में है। यह सारे साल बहने वाली नदी है। यद्यपि यह वर्ष भर बहने वाली नदी है फिर भी तूतीकोरिन पत्तन शहर में पानी की समस्या आ रही है। वहां पानी की अत्यधिक कमी है। क्या माननीय मंत्री महोदय तूतीकोरिन पत्तन शहर और चेन्नई के लोगों तक पानी पहुंचाने के लिये कदम उठायेंगे ?

डा० सी०पी० ठाकुर : मैं माननीय सदस्य के सुझाव पर अवश्य ध्यान दूंगा। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और तूतीकोरिन के विषय में माननीय सदस्य को सूचित करेंगे।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

*525. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) अभियान के अंतर्गत सरकार एम.एस.पी. अभियानों हेतु प्रमुख एजेंसियों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान पटसन, कपास और खोपरा जैसी वाणिज्यिक फसलों की खरीदारी में कितना घाटा हुआ और सरकार द्वारा उसकी कितनी प्रतिपूर्ति की गई;

(ग) क्या भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन के लिए एम०एस०पी० अभियान के अंतर्गत हुए घाटे की प्रतिपूर्ति अभी भी लंबित पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सम्पूर्ण घाटे की प्रतिपूर्ति कब तक कर दिये जाने का विचार है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार मुख्य कृषि जिंसों के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और संबद्ध केन्द्रीय शीर्ष अभिकरणों द्वारा वहन की गयी हानि, यदि कोई हो, के दावे प्रस्तुत करने पर भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित होती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जूट, कपास एवं खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों से हुई हानि का विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है। चूंकि वर्ष 1997-98, 1998-99 के दौरान कपास और खोपरा की खरीद में कोई हानि नहीं हुई थी, इसलिए प्रतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी। वर्ष 1999-2000 के दौरान हानि की स्थिति अस्पष्ट है क्योंकि अभी मौसम चल रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) वर्ष 1996-97 से, भारतीय जूट निगम को मूल्य समर्थन प्रचालनों में हुई हानि के लिए कोई राजसहायता नहीं दी गई है। इसके स्थान पर सरकार ने उन्हें ऋण दिया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1972-73 से 1998-99 के दौरान भारतीय जूट निगम को प्रदत्त कुल राजसहायता 222.4 करोड़ रुपये थी, जबकि इसी अवधि के लिए भुगतान योग्य कुल राजसहायता 353.16 करोड़ रुपये थी। इस अवधि के दौरान कुल प्रदत्त ऋण 125.18 करोड़ रुपये है। भारतीय जूट निगम की हानि की प्रतिपूर्ति करने और ऋणों को राजसहायता में परिवर्तित करने का प्रस्ताव पहले ही विचाराधीन है।

अनुबंध

न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन के तहत कपास, जूट और खोपरा की खरीद पर वहन की गई हानि

वर्ष	कपास			जूट			खोपरा		
	खरीद की मात्रा (170 कि.ग्रा. की गांठें)	मूल्य (लाख रुपये)	हानि (लाख रुपये)	खरीद की मात्रा (180 कि.ग्रा. की गांठें)	मूल्य (लाख रुपये)	हानि (लाख रुपये) (मी.टन)	खरीद की मात्रा	मूल्य (लाख रुपये)	हानि (लाख रुपये)
1997-98	शून्य	शून्य	शून्य	985,000	971.8	1398	शून्य	शून्य	शून्य
1998-99	शून्य	शून्य	शून्य	13.000	136.0	6206	1168	338	शून्य
1999-2000 (अनन्तिम)	7874	508.0	प्रगति पर है	18,000	259	5469	9000	2700	प्रगति पर है

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : उत्तर के भाग (घ) और (ङ) में यह बताया गया है कि वर्ष 1996-97 से, भारतीय जूट निगम को मूल्य समर्थन प्रचालनों में हुई हानि के लिये कोई राजसहायता नहीं दी गई है। इसके स्थान पर उन्हें ऋण दिया गया है। अनुबंध से देखा जा सकता है कि भारतीय जूट निगम को 1997-98 में 13.98 करोड़ रुपये, 1998-99 में 62.06 करोड़ रुपये और 1999-2000 में 54.69 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इन परिस्थितियों में इन तीन वर्षों के दौरान हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिये राजसहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं समझता हूं आप अपना उत्तर माननीय सदस्य को भेज सकते हैं।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अनु॰ जातियों और अनु॰ जनजातियों के स्वामित्व में जमीन

***526. श्री शमशेर सिंह दूलो:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनु॰ जातियों और अनु॰ जनजातियों के लोगों के पास कृषि भूमि का क्षेत्रफल अन्य लोगों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि के मुकाबले काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो अनु॰ जातियों और अनु॰ जनजातियों और अन्य लोगों के स्वामित्व में कितने एकड़ भूमि है और उसकी प्रतिशतता क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमिहीन अनु॰ जातियों और अनु॰ जनजातियों के परिवारों के सदस्यों को कृषि भूमि प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) कृषि संगणना 1990-91 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्यों के पास क्रमशः 325.43 लाख एकड़ (13.17 मिलियन हैक्टे॰), 442.56 लाख एकड़ (17.19 मिलियन हैक्टे॰) तथा 3321.52 लाख एकड़ (134.42 मिलियन हैक्टे॰) प्रचालित क्षेत्र है। अनुमान है कि इन प्रचालित क्षेत्रों में से 12.84 मिलियन है॰ अनुसूचित जातियों और 17.37 मिलियन हैक्टे॰ अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व में है। इस प्रकार वर्ष 1991 के दौरान कुल प्रचालित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूतित जनजातियों तथा अन्यों का हिस्सा 8.0 प्रतिशत, 10.8 प्रतिशत तथा 81.2 प्रतिशत बनता है। 1991 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) में अनुसूचित जातियों की संख्या 16.48% और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 8.08% थी। पिछली कृषि संगणनाओं के आंकड़े दिखाते हैं कि कुल प्रचालित क्षेत्र में अनुसूचित जाति के किसानों का हिस्सा 1980-81 के 7.0% से बढ़कर 1990-91 में 8.0% हो गया। इसी अवधि में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 10.2% से बढ़कर 10.8% हो गया।

(ग) कृषि जोतों पर उच्चतम सीमा मुकर्रर कर के सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित ग्रामीण इलाकों के गरीबों में वितरित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी परती भूमि तथा भूदान से प्राप्त भूमि को भी ग्रामीण इलाकों के गरीबों में वितरित किया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरूआत से 52.68 लाख एकड़ उच्चतम अतिरेक भूमि क्षेत्र, 147.47 लाख एकड़ सरकारी परती भूमि तथा 21.25 लाख एकड़ भूदान से प्राप्त भूमि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हित ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों में वितरित की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को वितरित लगभग 50 प्रतिशत उच्चतम अतिरेक भूमि, अनुसूचित जातियों को 36 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों को 14 प्रतिशत के अनुपात में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आबंटित की गई है।

एन॰जी॰ओ॰ को काली सूची में डालना

527 श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल 2000 के इंडियन एक्सप्रेस में "गवर्नमेंट ब्लैक लिस्ट्स 17 एन॰ जी॰ ओज, स्टाप्स फण्डस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निधियों का दुर्विनियोग करने वाले एन॰ जी॰ ओज के विरूद्ध प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं;

(घ) यदि हां, तो दुर्विनियोग की गई निधियों, जारी की गई निधियों तथा वसूल की गई धनराशि सहित एन॰ जी॰ ओज के नाम तथा पतों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) निधियों के दुरूपयोग को रोकने हेतु उठाए जा रहे/प्रस्तावित कदम क्या हैं; और

(च) निधियों के बेहतर उपयोग तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे/किए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ङ) और (च) सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन की मानिटरिंग तथा मूल्यांकन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, नोडल एजेंसियों तथा मंत्रालय के अपने अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों के माध्यम से की जाती है। इस प्रकिया में और सुधार करने के लिए स्वयं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्य की सूचना प्राप्त करने हेतु प्रपत्र और निरीक्षण के लिए प्रोफार्मा में आंकड़ों की सुधरी हुई गुणवत्ता को प्राप्त करने हेतु संशोधन किया जा रहा है, जो गैर-सरकारी संगठन द्वारा किए गए कार्य की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने और निधियों के गबन की संभावना में कमी लाने में समर्थ बनाएगा। अपनाए जा रहे अन्य उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ की गई निर्मुक्तियों के प्रचार में सुधार करना है ताकि गैर-सरकारी संगठनों का कार्य सार्वजनिक जांच के अंतर्गत आए जिसके परिणमस्वरूप दायित्व में सुधार, प्रभावी मानीटरिंग आदि के लिए निरीक्षणों की बारंबारता में वृद्धि हो।

विवरण

निधियों का दुरुपयोग या तथ्यों के मिथ्या निरुपण में लिप्त पाए गए गैरसरकारी संगठनों की सूची, दी गयी धनराशि तथा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

(रु० लाख में)

क्र० सं०	गैर-सरकारी संगठन का नाम	निर्मुक्त अनुदान	की गई कारवाई	वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	पंडित बचन पांडेय महिला विकास संस्थान गोपालगंज, बिहार। [नशाखोरी तथा वस्तु (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत]	33.94	राज्य सरकार से अनुदानों की वसूली और सरकारी निधियों से सृजित सम्पत्तियों की जब्त करने को कहा गया है। राज्य सरकार को तेजी से कार्रवाई करने के लिए लगातार स्मरण कराया जा रहा है।	शून्य
	पंडित बचन पाण्डेय महिला विकास संस्थान गोपालगंज, बिहार (अनुसूचित जातियों के लिए आवासीय स्कूल चलाने की योजना के अंतर्गत)	—	आवासीय स्कूल चलाने के लिए वर्ष 1995-96 तक इसे सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया था। राज्य सरकार से निरीक्षण रिपांट प्राप्त हुई है।	शून्य
2.	गुलाब सिंह महिला एवं बाल कल्याण संघ ग्राम-डाकघर रूकुन्दीपुर दरौन्दा, सिवान, बिहार। [नशाखोरी तथा वस्तु (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण के लिये योजना के अंतर्गत]	9.54	राज्य सरकार से अनुदानों की वसूली तथा सरकारी निधियों से सृजित सम्पतियों को जब्त करने को कहा गया है। तेजी से कार्रवाई करने के लिए लगातार स्मरण कराया जा रहा है।	
3.	एसोशियसन आफ मोरल गाइड एण्ड सर्विस टू पुअर (एमगाल्स) ग्राम, डाकघर, जिला नयागढ़ उड़ीसा। [नशाखोरी तथा वस्तु (नशीली दवा) निवारण की योजना के अंतर्गत]	6.25	यथोपरि।	

1	2	3	4	5
4.	आशा बाल मंदिर शिक्षा समिति प्लाट नं.-1 बी. कृष्णापुरी, जयपुर-1 [नशाखोरी तथा वस्तु (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत]	2.25	राज्य सरकार से अनुदानों की वसूली तथा सरकारी निधियों से सृजित सम्पतियों को जब्त करने को कहा गया है। तेजी से कार्रवाई करने के लिए लगातार स्मरण कराया जा रहा है।	
5.	समाज कल्याण सोसायटी, 2ए मेन रोड, टिटागुडी, तमिलनाडु [मद्यपान एवं पदार्थ निषेध (नशीली दवा) दुरुपयोग संबंधी योजना के अंतर्गत]	0.87	तदैव	शून्य
6.	हल्दिया समाज कल्याण परिषद, पो. आनन्तपुर, वाया-गुटाहाटी, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल [मद्यपान एवं पदार्थ निषेध (नशीली दवा) दुरुपयोग संबंधी योजना के अंतर्गत]	19.49	तदैव	शून्य
	हल्दिया समाज कल्याण परिषद, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल (बेसहारा बच्चों की योजना के अंतर्गत)	3.70	वर्ष 1996 में इस संगठन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर इसे आगे अनुदान पर रोक लगा दी गई। मंत्रालय द्वारा जांच की गई। पता चला कि इस संगठन के परिसर में कोई कार्यकलाप नहीं चल रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य से इस संगठन के कार्यकलाप के बारे में एक विशेष रिपोर्ट देने के लिए जून, 1998 में अनुरोध किया गया। दिसम्बर, 1999 में भेजे गए अन्तिम अनुस्मारक के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है।	शून्य
7.	शहीद अब्दुल हमीद शिक्षा संस्थान, धरवाहा, खाटीपुर, वार्ड नं. 60, जिला यवतमाल महाराष्ट्र [मद्यपान एवं पदार्थ निषेध (नशीली दवा) दुरुपयोग संबंधी योजना के अंतर्गत]	0.84	राज्य सरकार से अनुदान वसूल करने और सरकारी कोष से सृजित सम्पतियों को जब्त करने के लिए कहा गया। शीघ्र कार्रवाई के लिए लगातार अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।	शून्य
8.	श्रद्धा, पाकयोग, पूर्वी सिक्किम [मद्यपान एवं पदार्थ निषेध (नशीली दवा) दुरुपयोग संबंधी योजना के अंतर्गत]	3.61	तदैव	शून्य
9.	अखिल भारतीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान सेवापुरी, देवरिया, उत्तर प्रदेश [मद्यपान एवं पदार्थ निषेध (नशीली दवा) दुरुपयोग संबंधी योजना के अंतर्गत]	2.54	तदैव	शून्य
10.	अंजुमन मदरसा इस्लामिया जालौन उत्तर प्रदेश [मद्यपान एवं पदार्थ निषेध (नशीली दवा) दुरुपयोग संबंधी योजना के अंतर्गत]	5.10	तदैव	शून्य
	अंजुमन मदरसा इस्लामिया जालौन, उत्तर प्रदेश (एडीआईपी योजना के अंतर्गत)	8.81	इस संगठन के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गई और उस आधार पर इसे 28.9.99 को काली सूची में रखा गया। इस संगठन ने इसे काली सूची में रखे जाने के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है।	शून्य

1	2	3	4	5
11.	राष्ट्रीय समाज कल्याण संस्थान, फैजाबाद उत्तर प्रदेश (नशीली दवा योजना)	7.94	राज्य सरकार से अनुदान वसूल करने और सरकारी कोष से सृजित सम्पत्तियों को जब्त करने के लिए कहा गया है। शीघ्र कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सतत् रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।	शून्य
	राष्ट्रीय समाज कल्याण संस्थान, फैजाबाद उत्तर प्रदेश (समाज रक्षा योजना)	7.47	राज्य सरकार ने संगठन के विरुद्ध एक एफ. आई.आर. दर्ज करने का निर्णय लिया है।	शून्य
	राष्ट्रीय समाज कल्याण संस्थान, फैजाबाद उत्तर प्रदेश (ए.डी.आई.पी. योजना)	10.00	राज्य सरकार इस संगठन के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई कर रही है। संगठन को आगे अनुदान पर रोक लगा दी गई है।	शून्य
	राष्ट्रीय समाज कल्याण संस्थान, फैजाबाद उ.प्र. (अनुसूचित जातियों के लिए आवासीय प्राथमिकता स्कूल चलाने संबंधी योजना के अंतर्गत)	5.49	वर्ष 1999-2000 में इस संगठन को प्रथम किस्त के रूप में सहायतानुदान निर्मुक्त किया गया। चूंकि वर्ष 1999-2000 की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए आगे अनुदान निर्मुक्त नहीं किया गया है।	शून्य
12.	सर्वोदय ग्राम एवं महिला विकास संस्थान, एम. रामपुर, यू.पी. [मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण संबंधी योजना के अंतर्गत]	7.38	यह संगठन दिवालिया और निष्क्रिय पाया गया। राज्य सरकार से राज्य सरकार के उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा गया है जो संतोषजनक रिपोर्ट भेजते रहे हैं। राज्य सरकार से निर्मुक्त अनुदान वसूल करने और संगठन द्वारा सरकारी कोषों से सृजित सम्पत्ति को जब्त करने और संगठन के विरुद्ध मामला दर्ज कराने का भी अनुरोध किया गया है।	शून्य
13.	अम्बेडकर शिक्षा प्रसारक समिति, निलचलौल महाराजगंज, उत्तर प्रदेश	5.10	राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा जाली हस्ताक्षर के कारण इस मंत्रालय के आदिवासी विकास प्रभाग द्वारा इसे काली सूची में रखा गया है। यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए राज्य सरकार की संस्तुति भी जाली थी।	शून्य
14.	अभिनव सेवा संस्थान द्वारिका गंज, सुल्तानपुर, उ.प्र. [मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजना के अंतर्गत]	5.10	राज्य सरकार से अनुदान वसूल करने और सरकारी कोषों से सृजित सम्पत्ति जब्त करने को कहा गया है। शीघ्र कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सतत् रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।	शून्य
15.	उत्तर प्रदेश राणा वेनी माधव जनकल्याण समिति, रायबरेली उत्तर प्रदेश [मद्यपान एवं मादक पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजना के अंतर्गत]	14.70	जिलाधीश, रायबरेली की रिपोर्ट से पता चला है कि इस मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने के लिए संगठन के सचिव ने जिलाधीश तथा राज्य के अन्य अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर किए। मंत्रालय की योजना के अंतर्गत सभी	शून्य

1	2	3	4	5
			अनुदान रोक दिए गए हैं। जिलाधीश रायबरेली ने सूचित किया है कि जालसाजी के मामलों में संगठन के सचिव तथा कुछ अन्य लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। राज्य सरकार से इस मामले की जांच करने तथा वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	
16.	भारतीय ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं सामाजिक परिवर्तन संस्था, जहानाबाद बिहार	16.86	इन संगठनों को अनुदान प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज जैसे परीक्षित लेखा, व्यय का मदवार ब्यौरा, परीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि तथा राज्य सरकार की सिफारिश तथा निरीक्षण रिपोर्ट के प्रात होने के बाद निर्मुक्त कर दिया गया है। इन मामलों में बाद में एक जांच निरीक्षण के दौरान मंत्रालय की जानकारी में आया कि राज्य सरकार की सिफारिशें कपटपूर्वक प्राप्त की गई थी।	शून्य
17.	ग्रामीण विकास संस्थान, गया, बिहार (मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष स्कूल की योजना तथा मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए पुनर्वास केन्द्र की योजना के अंतर्गत)	29.75	सचिव (कल्याण) बिहार सरकार प्राप्त सूचना के आधार पर, विकलांगों के मुख्य आयुक्त के कार्यलय ने अपने दिनांक 12.2.99 के माध्यम से मंत्रालय को सूचित किया कि इस संगठन ने जाली सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय से निधि प्राप्त की और इसलिए काली सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। मंत्रालय को यह भी सूचित किया गया है कि बिहार सरकार अपने स्तर पर भी कार्रवाई आरम्भ कर रही है। मंत्रालय ने सचिव, समाज कल्याण विभाग को संबोधित दिनांक 2.6.99 के अपने पत्र संख्या 27-3/(1)-एब. डब्ल्यू-2 के द्वारा विगत कालम में उल्लिखित सहायता अनुदान की वसूली करने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया। राज्य सरकार ने इस संगठनों के बैंक खाते को बंद करने तथा परिसरों को जब्त करने का भी अनुरोध किया गया। राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई कि चल अथवा अचल सभी सम्पत्तियों को जब्त किया जाए तथा संगठनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई संबंधी विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए। तत्पश्चात् इस संगठन को कालीसूचीबद्ध करने के मंत्रालय के निर्णय को सूचित करते हुए दिनांक 29.9.1999 को एक परिपत्र जारी किया गया था। नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत इस संगठन को आगे का अनुदान रोक दिया गया है। ऐसी उम्मीद है कि भारत सरकार मंत्रालय के सुझाव के अनुसार कार्य करेगी। राज्य सरकार से कोई फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है।	शून्य

1	2	3	4	5
	ग्रामीण विकास संस्थान गया, बिहार (टाईप और शार्टहैन्ड) सेंटर, टेलरिंग सेंटर तथा मोटर ड्राइविंग के लिए सहायता अनुदान के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत	-	1) टाईप और शर्टहैन्ड केन्द्र, 2) टेलरिंग केन्द्र तथा 3) मोटर ड्राइविंग के लिए वर्ष 1997-98 तक सहायता अनुदान। राज्य सरकार से कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।	शून्य
18.	नन्दिनी बाल विकास और ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति, ग्राम-परबती, पोस्ट-हरवंशपुर जिला-गोंडा, उत्तर प्रदेश (एक वृद्धावस्था गृह, एक दिवा देखभाल केन्द्र तथा वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए एक सचल चिकित्सा देखभाल यूनिट की स्थापना के अन्तर्गत)	5.95	इसे अब काली सूचीबद्ध कर दिया गया है तथा संगठन को आगे का सहायता अनुदान रोक दिया गया है। संगठन ने काली सूचीबद्ध करने की कार्रवाई के विरुद्ध निवेदन किया है तथा पदनामित निरीक्षण एजेंसी की रिपोर्ट का खण्डन किया है। संगठन के उत्तर की जांच की जा रही है।	शून्य
19.	उड़ीसा एसोसिएशन आफ दि डेफ प्लाट नं. 105/ए पलाशमल्ली, एरोड्रम एरिया भुवनेश्वर पिन-751009 (वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए एक वृद्धावस्था गृह, एक दिवा देखभाल केन्द्र तथा सचल चिकित्सा देखभाल यूनिट स्थापित करने के अंतर्गत)	1.95	वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए एक वृद्धावस्था गृह, एक दिवा देखभाल केन्द्र तथा एकसचल चिकित्सा देखभाल यूनिट स्थापित करने के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान पहली बार सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया। किन्तु राज्य सरकार ने दिनांक 17.11.99 को सूचित किया कि संगठन ने लम्बी अवधि के बाद भी एक भी कार्यक्रम आरंभ नहीं किया इस रिपोर्ट के आधार पर अगला अनुदान रोक दिया गया है तथा निदेशक, समाज कल्याण, उड़ीसा राज्य सरकार से इस संगठन को निर्मुक्त अनुदान की वसूली करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार का उत्तर अभी प्रतीक्षित है।	शून्य

परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा

***528. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा सन् 1995 में देश के परमाणु प्रतिष्ठानों के सुरक्षोपायों के बारे में तैयार की गई रिपोर्ट में किन-किन कमियों का उल्लेख किया गया है;

(ख) उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार देश में परमाणु प्रतिष्ठानों की वर्तमान सुरक्षा-स्थिति से संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) वर्ष 1995 के दौरान, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) ने परमाणु ऊर्जा विभाग की संस्थापनाओं में सुरक्षा की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में परमाणु ऊर्जा विभाग की संस्थापनाओं में आवश्यक सुरक्षा के मूल्यांकन और उनके अपग्रेडेशन संबंधी कार्यों का ब्यौरा दिया गया था। यह रिपोर्ट पिछले दशक में विभिन्न समितियों की कार्यवाहियों और सिफारिशों के साथ-साथ, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन (एन.पी.सी.आई.एल.) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा समय-समय पर किए सुरक्षा संबंधी अन्य अध्ययनों की रिपोर्टों पर आधारित थी।

इस दस्तावेज में सुरक्षा से संबंधित जिन संभव अपग्रेडेशन कार्यों के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है उनमें, रिएक्टरों की आपातकालीन क्रोड-शीतलक तंत्रों में अपेक्षित सुधार और संशोधन, दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पी.एच.डब्ल्यू.आर) में जरकालाय दाब ट्यूबों का आगे और मूल्यांकन तथा गहराई से निरीक्षण उनकी अखण्डता और उनमें सुधार करने के लिए करना ताकि व्यावसायिक कार्मिकों पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की सामूहिक मात्रा और अधिक कम हो सके, रेडियोसक्रिय अपशिष्ट-पदार्थ प्रबंधन तंत्रों से होने वाले रिसाव की संभाव्यता को कम करने के उपाय करना, कुछ सुविधाओं में भूकम्प के झटकों का सामना करने के लिए संरचनात्मक व्यवस्था का मूल्यांकन करना,

आग तथा बाढ़ से सुरक्षा से संबद्ध उपचारी उपाय करना शामिल हैं। ऐसे कुल 134 मुद्दे रिपोर्ट में सूचीबद्ध किए गए थे।

(ख) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और परमाणु ऊर्जा विभाग की संबद्ध संस्थापनाओं ने उल्लिखित प्रत्येक मद के लिए सुधारात्मक कार्रवाई संयुक्त रूप से तैयार की थी। कार्य-योजनाओं के कियान्वयन में होने वाली प्रगति को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निरंतर मॉनीटर किया जा रहा है। 134 मुद्दों में से 90 मुद्दे सम्मत कार्य-योजनाओं के पूरा होने के बाद बंद कर दिए गए थे, 23 मुद्दों पर जोकि निरंतर स्वरूप के हैं, अनुवर्ती कार्रवाई 'परिचालनरत संयंत्रों की सुरक्षा पुनरीक्षा समिति (सार्कोप)' द्वारा की जा रही है। शेष 21 मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड में स्थापित एक समर्पित कक्ष द्वारा की जा रही है। इन 21 मुद्दों में से किसी भी मुद्दे के अंतर्गत किसी भी न्यूक्लियर संस्थापना पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

सुरक्षा संबंधी उन 21 मुद्दों में से जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है, परमाणु बिजलीघरों में स्थल से परे उत्पन्न हो सकने वाली आपातस्थिति से निपटने से संबंधित मैनुअल में संशोधन करने और उसे अद्यतन बनाने से संबद्ध एक मद पूरी कर ली गई है। शेष 20 मुद्दों में से, निम्नलिखित दो मदों के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है:

(1) कैगा जेनेरेटिंग स्टेशन में प्रशिक्षण अनुकारक स्थापित कर दिया गया है। परिचालकों ने अनुकारक में प्रशिक्षण लेना आरंभ कर दिया है।

(2) रॉड वर्थ मिनिमाइजर (आरडब्ल्यूएम) को तारापुर परमाणु बिजलीघर के यूनिट नंबर 2 में स्थापित कर उसे कमीशन कर दिया गया है और उसका परिचालन किया जा रहा है। ऐसा ही मिनिमाइजर तारापुर परमाणु बिजलीघर के यूनिट नंबर 1 में स्थापित किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। तथापि, सुरक्षा व्यवस्थाओं को सामान्य पद्धतियों के अनुरूप अपग्रेड करने का काम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(घ) यह प्रश्न हीं नहीं उठता।

स्टेट फार्म कार्पोरेशन ऑफ इंडिया

*529. श्री एस० एस० पलानीमनिक्कम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट फार्म कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लगातार घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कार्पोरेशन को अर्थक्षम बनाने के लिए कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या मैं० एस० बी० आई० कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, मुंबई को इस प्रयोजनार्थ परामर्शदाता का कार्य सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब सौंपा गया और इस कम्पनी द्वारा कम्पनी रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) भारतीय राज्य फार्म निगम वर्ष 1996-97 से घाटे में चल रहा है। घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-

1. भारतीय राज्य फार्म निगम के फार्मों में अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और परिणामस्वरूप प्रकृति की अनियमितताओं के प्रति संवेदयता;
2. बड़ी संख्या में गैर-अनुपातिक कर्मचारी और भारी भरकम वेतन बिल;
3. अप्रचलित उपस्कर और मशीनरी; और
4. कार्यशील पूंजी का ह्रास और वित्तीय तरलता का अभाव।

निगम को पुन: सक्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं :-

1. उन्नत प्रबंध पद्धतियों और फार्म प्रचालनों की सूक्ष्म मानिटरिंग;
2. कर्मचारियों की संख्या घटाने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम/वी० एस० एस० लागू करना;
3. अव्यवहार्य फार्मों का निपटान;
4. विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंध और व्यय में कमी;
5. उपलब्ध साधनों का इष्टतम उपयोग;
6. कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि;
7. अप्रचलित मशीनरी को बदलना;
8. अधिक मूल्य वाले बीजों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए उत्पादन कार्यनीति में बदलाव; और
9. उन्नत विपणन कार्य नीति।

(ग) और (घ) एस० बी० आई० कैपिटल मार्केट लिमिटेड को 9.12.99 को परामर्शी का कार्य सौंपा गया, जिसे परामर्शदताओं द्वारा 25.1.2000 को स्वीकृत किया गया। रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के लिए समय सीमा दो मास है। किन्तु शामिल कार्य की मात्रा पर ध्यान देते हुए, परामर्शदाताओं को अध्ययन पूरा करने में कुछ अतिरिक्त समय लगने की संभावना है।

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

*530. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या इतनी कम है कि इससे पूरे देश में मृदा परीक्षण किया जाना संभव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने संबंधी व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ताकि वे अपने-अपने मृदा के पोषक तत्वों/कमियों को जान सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ग) देश में 514 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता 6.4 मिलियन मृदा नमूनों के विश्लेषण की है।

मृदा की उर्वरता की स्थिति के निर्धारण में मृदा परीक्षण की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यक्रम को उर्वरकों के संतुलित और समेकित उपयोग की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अधीन केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्ष 1991-92 से विभिन्न राज्यों में कुल 287 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया तथा इस स्कीम के अधीन 16 नई प्रयोगशालाओं को अनुमोदित किया गया है। इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को 15.10 करोड़ की निधियां निर्मुक्त की गई हैं।

मृदा परीक्षण मूलत: राज्य योजना कार्यकलाप है। अत: राज्य सरकारों तथा साथ ही उर्वरक उद्योगों को, अधिकाधिक किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिक मृदा परीक्षण प्रयोमशालाएं स्थापित करके इस कार्यक्रम को सुदृढ़ करने की आवधिक रूप से सलाह दी जाती है।

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा निरूपित मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रपत्र राज्य सरकारों को इस सलाह के साथ परिचालित किया गया है कि इसे किसानों को जारी करने हेतु यथा आवश्यक उचित संशोधनों के साथ अपनाया जाए।

ठेका श्रम प्रणाली

*531. **श्री होलखोमांग हौकिप :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार ठेका श्रम प्रणाली समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कुछ निजी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम उक्त निर्णय के पश्चात् भी ठेका श्रमिकों को नियोजित कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योग-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी निजी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था। अधिनियम, का मुख्य उद्देश्य अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अनुसार कतिपय नौकरियों एवं प्रक्रियाओं में ठेका श्रम को समाप्त करना तथा अन्य नौकरियों/प्रक्रियाओं में जहां ठेका श्रम को समाप्त नहीं किया जा सकता इसके नियोजन को विनियमित करना है। अधिनियम में ठेका श्रम प्रणाली के पूर्ण रूप से उत्सादन की संकल्पना नहीं है। इसके बजाए इसमें उन नौकरियों और प्रक्रियाओं में ठेका श्रम को जारी करने की अनुमति है जहां इसे समाप्त नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने एयरपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम युनाइटेड श्रम संघ (एयर 1997 एस सी 645 और 1997 एल एल आर 288) के मामले में गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, थर्मल पॉवर स्टेशन, उकाई, गुजरात बनाम हिन्द मजदूर सभा व अन्यों (जे टी 1995 (4) उच्चतम न्यायालय 264) के मामले में दिए गए अपने पूर्ववर्ती अधिनिर्णय का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा :-

- ठेका श्रम (विनियमन एवं उतसादन) अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों के शोषण को रोकना।
- इसका उद्देश्य कानून के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कर्मकारों के लिए कार्य की निरन्तरता को सुनिश्चित करना है।
- प्रधान नियोजक इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत ठेका श्रमिकों के लिए मजदूरी के भुगतान को विनियमित एवं सुनिश्चित करने तथा सभी सुख-सुविधाएं भी मुहैया कराने के लिए बाध्य हैं।
- प्रधान नियोजक का यह भी दायित्व है कि वह समुचित सरकार द्वारा धारा 10(1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना के परिणामस्वरूप छंटनी शुदा सभी ठेका श्रमिकों को खपाए।
- कामगार और प्रधान नियोजक के बीच सीधा संबंध तभी से स्थापित रहता है जब से ठेका श्रम धारा 10(1) के अंतर्गत प्रतिषिद्ध किया गया है।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने ठेका श्रम प्रणाली का पूर्ण रूप से उत्सादन नहीं किया है।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार है। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों और उनक अंतर्गत बनाए गए नियमों का प्रवर्तन करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं इस अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के उल्लंघनों की बात ध्यान में आती है वहां चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाते हैं।

अंडों का निर्यात

*532. डा॰ वी॰ सरोजा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, देश में अंडों (कुक्कुट) का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में उच्च निर्यात की संभावना का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो अंडों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या क़दम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान अंडों का कुल उत्पादन इस प्रकार है :-

वर्ष	अंडा उत्पादन (बिलियन में)
1996-97	27.5
1997-98 (अनन्तिम)	28.5
1998-99 (अनन्तिम)	30.1

(ख) और (ग) अंडों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक नई योजना को क्रियान्वित करके बैकयार्ड कुक्कुट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना का 2001-2002 के बाद से अन्य राज्यों में विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(2) विशुद्ध कुक्कुट प्रजनन स्टॉक का आयात सीमा शुल्क की रियायती दर पर किया जा रहा है।

(3) टीकों के उत्पादन और निर्यात के लिए विशिष्ट रोगजनन मुक्त अंडों के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(4) हैचिंग अंडों के निर्यात पर हवाई भाड़े में राजसहायता प्रदान की जा रही है।

(5) कुक्कुट उत्पादों के निर्यातकों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(6) संवर्धनात्मक क्रियाकलापों, गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांड प्रचार और पैकेजिंग विकास के लिए सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

भारतीय भाषाओं में प्रतियोगी परीक्षाएं

*533. श्री राम टहल चौधरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं में भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी भारतीय भाषा में उत्तर देने का विकल्प दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सभी सेवाओं की सूची क्या है;

(ग) क्या संसद द्वारा इस उद्देश्य हेतु दिनांक 18 जनवरी, 1968 को पारित संकल्प को क्रियान्वित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के माध्यम से उत्तर देने की अनुमति देने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) जी, नहीं। जनवरी, 1968 में संसद द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भाषा में उत्तर लिखने का विकल्प, संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में ही दिया गया है। यह सुविधा संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा संचालित अन्य परीक्षाओं में भी दिए जाने का मुद्दा, डॉ॰ सतीश चन्द्र समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, सरकार के विचाराधीन है।

(च) और (छ) इस मसले की महत्ता और संवेदनशीलता के मद्देनजर और इस बारे में भिन्न-भिन्न मत होने के कारण, सरकार का प्रयास राज्य-सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों से व्यापक परामर्श करने के पश्चात् मतैक्य कायम करने और राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वीकार्य नीति तैयार करने का है। इस बारे में प्रयास जारी हैं।

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन

*534. श्री ए॰ वेंकटेश नायक: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए मौसम में कपास की फसल के पिछले मौसम की तरह होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कपास के प्रमुख उत्पादक राज्यों में इसके बोआई कार्य में विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इससे इन राज्यों के कपास उत्पादन के किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (घ) कपास की बुवाई सामान्यतया देश में मानसून के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि करीब-करीब 66% कपास का क्षेत्र वर्षा सिंचित है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों में बुवाई मई के प्रथम सप्ताह में शुरू होती है, किन्तु कुछ क्षेत्रों में जहां देशी कपास की खेती होती है, बुवाई अप्रैल के मध्य से शुरू होती है। अतः आगामी मौसम में कपास की बुवाई की संभावनाओं के बारे में कुछ कहना अभी संभव नहीं होगा। अभी कपास की बुवाई में विलम्ब नहीं हुआ है।

पर्यावरण के अनुकूल उर्वरक और कीटनाशक

*535. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों ने पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों और कीटनाशकों के विकास के लिए अध्ययन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत पंजीकरण समिति द्वारा ऐसे कितने उर्वरकों और कीटनाशकों को पंजीकृत किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा पर्यावरण के अनुकूल इन उर्वरकों और कीटनाशों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के संबंध में उठाए गए कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा वित्त पोषित जैव-उर्वरक विकास केन्द्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों को जैव-उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कोई अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु राज्यवार उपलब्ध कराई गई राशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में 13 केन्द्रों पर बायोलोजिकल नाइट्रोजन-फिक्सेशन संबंधी एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना तथा 9 केन्द्रों पर माइक्रो बायोलोजिकल डीकम्पोजिशन ऑफ फार्म एण्ड सिटी वेस्ट कार्यान्वित कर रही है जहां अनुसंधान कार्य किया जाता है ताकि जैव उर्वरक तथा कम्पोस्ट जैसे पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों का विकास किया जा सके। देश के विभिन्न भागों में 16 केन्द्रों पर जैविक कीट नियंत्रण पर अनुसंधान किया जाता है। इन पहलुओं पर विभिन्न राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा भी अनुसंधान कार्य किया जाता है।

(ख) कृषि में उपयोग हेतु लाभकारी जैव उर्वरक अभिज्ञात किए गए हैं तथा उपयोग के लिए इनका मानकीकरण किया गया है। राज्यों और उद्यमियों द्वारा अपनाए जाने के लिए उपयोगी जैव उर्वरकों की विशिष्टताएं परिचालित कर दी गयी है। किसी भी अधिनियम/आदेश के तहत जैव उर्वरकों के पंजीकरण की आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है। जैव उर्वरकों के उत्पादकों से आशा की जाती है कि वे केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा परिचालित और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित विशिष्टताओं का अनुसरण करेंगे।

पर्यावरण अनुकूल कृमिनाशियों के संबंध में बड़ी संख्या में वानस्पतिक उत्पत्ति वाले कृमिनाशियों, जैसे नीम आधारित कृमिनाशियों, का कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकरण किया गया है। देश में उपयोग हेतु जैव उत्पत्ति वाले कृमिनाशियों, जिन्हें जैव उर्वरक कहा जाता है, जैसे बैसिलस थुरिन्जियेन्सिस, बैसिलस स्फेरिकस और ट्राइकोडर्मा वीरीडे को भी कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकृत किया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों, यानि जैव उर्वरकों एवं कम्पोस्ट, के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जैव उर्वरक उत्पादन एककों और कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता दे रही है। भारत सरकार द्वारा कुल 82 जैव उर्वरक उत्पादन एकक एवं 28 कम्पोस्ट एककों का वित्त पोषण किया गया है। वित्त पोषित एककों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गयी है।

पर्यावरण अनुकूल कृमिनाशियों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु, केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने देश में 21 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 26 समेकित कृमि प्रबंध केन्द्रों की स्थापना की है। ये केन्द्र प्रशिक्षण और प्रदर्शनियों के माध्यम से जैव कृमि नियंत्रण उपायों की उपयोगिता प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें विभिन्न फसलोन्मुखी समेकित कृमि प्रबंध कार्यक्रमों के तहत जैव कृमिनाशियों के उपयोग को प्रोत्साहन देती हैं। इन केन्द्रों की अवस्थिति को राज्यवार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(ङ) और (च) भारत सरकार मात्र केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत ही जैव उर्वरक उत्पादन एककों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है।

विवरण-1

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जैव उर्वरकों एवं कम्पोस्ट एककों की राज्यवार संख्या का विवरण

राज्यों का नाम	एककों की संख्या	
	जैव उर्वरक	कम्पोस्ट
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	4	1
2. अरूणाचल प्रदेश	1	-
3. असम	3	1
4. बिहार	6	1

1	2	3
5. मेघालय	1	1
6. मिजोरम	1	-
7. नगालैंड	1	-
8. उड़ीसा	4	-
9. पश्चिम बंगाल	3	1
10. हरियाणा	1	-
11. हिमाचल प्रदेश	1	-
12. उत्तर प्रदेश	5	-
13. कर्नाटक	8	4
14. केरल	3	2
15. तमिलनाडु	8	6
16. पांडिचेरी	1	1
17. गुजरात	5	-
18. मध्य प्रदेश	8	2
19. महाराष्ट्र	16	4
20. राजस्थान	2	2
21. पंजाब	-	1
22. दिल्ली	-	1
कुल	82	28

विवरण-2

तालिका—केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों की अवस्थिति

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अवस्थिति	
1	2	
आन्ध्र प्रदेश	1	हैदराबाद
	2	विजयवाड़ा
असम	3	गुवाहाटी
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4	पोर्ट
बिहार	5	पटना
गोवा	6	मडगांव
गुजरात	7	बड़ोदा
हरियाणा	8	फरीदाबाद
हिमाचल प्रदेश	9	सोलन
जम्मू एवं कश्मीर	10	जम्मू
	11	श्रीनगर
कर्नाटक	12	बंगलौर
केरल	13	एर्नाकुलम
मध्य प्रदेश	14	इन्दौर
	15	रायपुर
महाराष्ट्र	16	नागपुर
मिजोरम	17	झाईजोल
नगालैंड	18	दिमापुर
उड़ीसा	19	भुवनेश्वर
पंजाब	20	जलंधर
राजस्थान	21	श्रीगंगानगर
सिक्किम	22	गंगटोक
तमिलनाडु	23	त्रिचि
उत्तर प्रदेश	24	गोरखपुर
	25	लखनऊ
पश्चिम बंगाल	26	बर्दमान

दुग्ध उत्पादन

***536. श्री तिरुनावकरसू:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन और भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने देश में जुगाली करने वाले पशुओं की उत्पादकता में सुधार लाने और इस प्रकार दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सहयोग करने पर राजी हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गऐ हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते से क्या परिणाम प्राप्त होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) आहार प्रतिपूरक, जिसमें उपोत्पादों से उत्पादित बाई-पास प्रोटीन और वसा निहित होते हैं, तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करके आहार उपयोगिता की कुशलता को सुधारने का इरादा है। आस्ट्रेलिया में बाई-पास पौषणिक प्रौद्योगिकी पर किए गए परीक्षणों से यह पता चला है कि डेयरी गायों को सूरजमुखी आहार से प्राप्त संरक्षित पोषक आहार खिलाने से उच्च उत्पादन वाली डेयरी गायों में 10-15 प्रतिशत अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन हुआ। अच्छे पोषक महत्व वाले स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल का उनका रुमेन बाई-पास महत्व तथा क्षेत्र परीक्षण बढ़ाने के लिए उचित रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में, जहां दुग्ध उत्पादन बहुत कम हैं, गाय और भैंसों को बाई-पास पोषक आहार (प्रोटीन तथा वसा) खिलाने से संभवत: 1 से 2 लीटर प्रति पशु प्रतिदिन अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन हो सकेगा।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का हस्तांतरण

***537. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा:**
प्रो० दुखा भगत:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के हस्तांतरण के मामलों का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाएं राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं को राज्य सरकारों को कब तक हस्तांतरित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के हस्तांतरण के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद समिति, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित की गई है। वित्त मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, उपभोक्ता मामले एवं लोक कार्य मंत्री और कृषि मंत्री एवं आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस समिति के सदस्य हैं। समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

1. केन्द्र द्वारा अपने पास रखी जाने वाली तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की पहचान करना तथा तदनुसार सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को वर्गीकृत करना।
2. उन केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, जिनकी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित करने हेतु पहचान की जाएगी, के लिए निधियों के उद्दिष्टीकरण सहित हस्तांतरण की पद्धतियां, निधिपोषण पैटर्न, हस्तांतरण की समय-सीमा तथा मॉनीटरिंग मैकेनिज्म सुझाना।
3. भविष्य में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का प्रसार रोकने के लिए नई केन्द्र प्रायोजित स्कीमें प्रारंभ करने के बारे में मानदंड निर्धारित करना।

(ग) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में यह सूचित किया गया है कि केन्द्र प्रायोजित स्कीमें केवल उन्हीं स्कीमों तक सीमित रहनी चाहिए जो अन्तर-राजकीय स्वरूप की हों; राष्ट्रीय सुरक्षा का अतिक्रमण करने से सम्बन्धित मामलों का समाधान करती हों, स्कीमें जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं पूरी करती हों तथा जहां प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षण आवश्यक हो तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के मामले में, जहां प्रचालनात्मक कारणों से केन्द्रीय समन्वय आवश्यक हो। ऐसी स्कीमों के अलावा, अन्य सभी स्कीमों को राज्यों को हस्तांतरित कर देना चाहिए। ये सिद्धान्त राष्ट्रीय विकास परिषद समिति के कार्य को निर्देशित करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद समिति का कार्यकाल 30 सितम्बर, 2000 तक है।

योजना आयोग की भूमिका

***538. श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री वी०के० सावीया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11 अप्रैल, 2000 के ''दि हिन्दू'' में यथाप्रकाशित समाचार के अनुसार, योजना आयोग निर्णय प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) योजना आयोग इस समय योजना प्रक्रिया को पुन: निश्चित करने तथा इसे बदलते हुए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य के अधिक अनुकूल बनाने की दृष्टि से आयोग की भूमिका तो पुन: परिभाषित करने के कार्य में लगा है। यह कार्य प्रगति पर है और इसे अंतिम रूप देने की दृष्टि से मसौदा प्रस्ताव पर आन्तरिक विचार किया जा रहा है।

(ग) अभी प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों के साथ सहयोग

***539. श्री विजय गोयल:**
डॉ॰ संजय पासवान:

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए अनिवासी भारतीयों के सहयोग से एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इससे देश में सूचना प्रौद्योगिकी किस सीमा तक लाभांवित होगी;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्ष-वार भारत से कितने ख्याति प्राप्त कम्प्यूटर व्यवसायी विदेशों में जाकर बस गए हैं; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) तथा (ख) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में अनिवासी भारतीयों के एक चुनिन्दा समूह का गठन किया गया है। इस समूह के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समूचे विश्व में हो रही अद्यतन गतिविधियों और साथ ही इस दिशा में बाजार की प्रवृत्तियों से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अवगत कराना।
- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे नीतियां तैयार करने और सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों तथा सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों के अनुरूप दूरसंचार की मूलसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने में सलाह देना।
- अलाभकारी निवेश की सुविधाएं प्रदान करने, उद्यम पूंजी के सृजन तथा संचालन सुविधाओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सलाह देना।
- सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और ज्ञान आधारित उद्यमों के संवर्धन पर सलाह देना।
- विशेषज्ञों के समूह का सृजन करने तथा चुनिन्दा क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाने में सहायता करना।

(ग) चुनिन्दा समूह के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख विकास के क्षेत्रों का पता लगाने में सहायता मिलेगी।

(घ) भारत से गए भारतीय कम्प्यूटर विशेषज्ञों से संबंधित कोई आंकड़ा सरकार द्वारा तैयार नहीं किया जाता है।

(ङ) मुख्यत: विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होने के कारण कम्प्यूटर विशेषज्ञ भारत से चले जाते हैं। सरकार की नीति ''कार्य भारत में लाओ'' के लक्ष्य से देश में सॉफ्टवेयर के विकास तथा हार्डवेयर के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न उपाय किए जाते हैं ताकि सम्पत्ति का सृजन और आर्थिक विकास हो सके जिससे देश में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों। यह नीति कम्प्यूटर विशेषज्ञों को विदेशों में जाने से हतोत्साहित करेगी।

[अनुवाद]

आसूचना एजेंसियां

***540. श्री सुशील कुमार शिंदे:**
प्रो॰ एम॰के॰ प्रेमाजम:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास को एफ॰ बी॰ आई॰ अधिकारियों द्वारा नियंत्रित कानूनी अताश कार्यालय खोलने की अनुमति देने के पश्चात् अमरीका में भी भारत के केन्द्रीय जांच ब्यूरो का ऐसा ही कार्यालय खोलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूसरे देशों की आसूचना एजेंसियों को भी ऐसी अनुमति दिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) सी बी आई और एफ बी आई के बीच विशेषकर वित्तीय अपराधों और आतंकवाद से संबंधित मामलों में सहकारी संबंध हैं जिनका अमरीका और भारत मिलजुल कर अनुसरण कर रहे हैं। हमारे सुरक्षा संगठनों को भारत के राजदूतावास, वाशिंगटन में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सी बी आई भी हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए यथावश्यकता वहां उपस्थित रह सकती है।

(ग) और (घ) जब कभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो मामले के गुणावगुण के आधार पर इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

जांच आयोग

5712. श्री पी॰ मोहन: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1994-95 में इलेक्ट्रानिकी विभाग के सचिव द्वारा इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करने के लिए कोई जांच आयोग गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या कुछ आरोपी अधिकारियों की पदोन्नति वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा की गई; और

(घ) यदि हां, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (घ) इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लि० के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) द्वारा एक तथ्य अन्वेषी जांच बोर्ड का गठन मार्च, 1995 में किया गया था।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मंत्रालय द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई और कार्रवाई की गई।

तथ्य अन्वेषी जांच बोर्ड के निष्कर्षों तथा सिफारिशों, जिसमें तत्कालीन महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक तथा मुख्य प्रबंधक के खिलाफ समुचित कार्रवाई का सुझाव दिया गया था, पर विचार करने के लिए ई टी एण्ड टी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निदेशक (विपणन) की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक तथा मुख्य प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। संयुक्त महाप्रबंधक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उनके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप साबित नहीं हुआ।

उपर्युक्त व्यक्तियों में से, मुख्य प्रबंधक तथा उप महाप्रबंधक ने त्याग-पत्र दे दिया और क्रमश: अगस्त 1996 तथा दिसम्बर, 1997 में किसी पदोन्नति के बिना निगम छोड़ दिया। विभागीय पदोन्नति समिति की सफारिशों के आधार पर संयुक्त महाप्रबंधक को 01.04.1998 से महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया जबकि महाप्रबंधक को 01.04.1998 से मुख्य महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया। ये पदोन्नतियां कम्पनी की नीति के अनुसार विभिन्न पदों पर अन्य अधिकारियों की पदोन्नति के साथ की गई।

पासपोर्ट आवेदनों का निपटान

5713. श्री सी० कुप्पुसामी:
श्री कृष्णमराजू:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा वर्षवार कितने पासपोर्ट जारी किए गए;

(ख) पासपोर्ट जारी करने में इन कार्यालयों द्वारा कितना औसत समय लिया गया;

(ग) इससे अधिक महीनों तक इन कार्यालयों में पासपोर्ट के लिए लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन आवेदनों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या नीचे दिए अनुसार है;

	1997	1998	1999
तमिलनाडु	167294	269355	337103
आन्ध्र प्रदेश	265622	243066	262998

(ख) इस समय ये कार्यालय औसतन 5 से 7 सप्ताह की अवधि में पासपोर्ट जारी कर रहे हैं।

(ग) छह महीने से अधिक समय से ऐसा कोई आवेदन लम्बित नहीं है, जिसमें दस्तावेज पूरे हैं और पुलिस रिपोर्ट अनुकूल है।

(घ) सभी पासपोर्ट कार्यालय आवेदकों से आवेदन प्रपत्रों को पूरा करने के लिए उनके बताए गए पतों पर सम्पर्क करते हैं। यह प्रक्रिया फाइल बन्द करने से पहले कम से कम दो अवसरों पर की जाती है। पुलिस से प्राप्त प्रतिकूल रिपोर्ट के मामलों में आवेदक को यह अवसर दिया जाता है कि वह मामले को सुलझा ले, ताकि ऐसे मामलों से शीघ्रता से निपटा जा सके।

आधारभूत सुविधाओं का विकास

5714. श्री के० येरननायडू: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागवानी उद्योग की सहायता करने के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित करने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों द्वारा बागवानी उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० बी० पी० बी० के० सत्यनारायण राव): (क) और (ख) सरकार देश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए और खासकर कटाई पश्चात् अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्कीमों के जरिए लाभानुभोगियों को सहायता दे रही है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना, समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन 1984 में स्वायत्त निकाय के रूप में की गई। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का वित्त पोषण अनुदान सहायता के जरिए भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रमों पर मुख्य जोर दिया गया जब राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने 156.00 करोड़ रु० के वित्तीय परिव्यय से अपने उद्देश्य के अनुसार उतपादन से लेकर कटाई पश्चात् प्रबंध तक विभिन्न कार्यकलाप/कार्यक्रम शुरू किए।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड बागवानी फसलों के कटाई पश्चात् प्रबंध पर समेकित परियोजना स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जिसके

अधीन कटाई पश्चात् अवसंरचनात्मक सुविधाओं, जिसमें पूर्व-शीतन एकक, प्रशीतित परिवहन वाहन, विशेषीकृत परिवहन वाहन, ग्रैडिंग/पैकिंग आदि के सृजन के लिए सुगम ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है तथा सुगम ऋण में सहभागिता के जरिए बागवानी उत्पाद के विपणन का विकास जिसके अधीन फलों और सब्जियों के विपणन और प्रसंस्करण आदि के क्षेत्र में समेकित परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सुगम ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। शीतागारों के विकास पर मुख्य रूप से जोर देने के लिए सरकार ने हाल ही में बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृति दी है जिसके अंतर्गत पूंजीगत राजसहायता दी जाती है तथा यह स्कीम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है।

प्राप्त अनुभवों के आलोक में तथा राज्य सरकारों, विशेषज्ञ समूहों, संसदीय समितियों, कृषक संगठनों आदि द्वारा प्राप्त सिफारिशों पर विचार करते हुए तथा साथ ही बागवानी उद्योग के लिए सहायता देने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में बागवानी प्रवर्धन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने के लिए बागवानी बोर्ड के प्रस्ताव को व्यापक और पुनः उन्मुख बनाया गया है।

(ग) बागवानी उत्पादों के निर्यात के लिए राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं का नवीकरण

5715. **श्री प्रह्लाद सिंह पटेल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में केन्द्र सरकार के पास मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को जनवरी, 2000 में 441.92 करोड़ रुपये वाली 54 सिंचाई परियोजनाओं में सुधार की परिकल्पना करते हुए जल संसाधन समेकन परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तथापि, इस परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

संवर्ग समीक्षा

5176. **श्री संजय लाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें आयोग ने नियमित रूप से गठित सेवा संवर्ग ढांचे की आवधिक समीक्षा की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष, 1962 में सेवा नियमों की शुरूआत से लेकर अब तक केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अवर सचिव और उप सचिव की श्रेणी के केन्द्रीयकृत संवर्ग की समीक्षा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अधिकारियों के कॅरिअर के समुचित प्रोन्नयन की अपेक्षा पूरी करने के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव के पद तथा उससे ऊपर के पद किसी भी सेवा के लिए उद्दिष्ट नहीं हैं और ये पद तीन अखिल भारतीय सेवाओं, 34 समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अधिकारियों से भरे जाते हैं। केन्द्रीय सचिवालय-सेवा, बुनियादी रूप से, एक समूह "(ख)" सेवा है। यह सेवा अराजपत्रित समूह "ख" सहायकों के संवर्ग से शुरू होती है। केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के नियमों के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अधिकारियों को उच्चतम सुलभ पद सचिव का है। इस नियम के बावजूद, इस समय केन्द्रीय सटाफिंग योजना के अंतर्गत, अवर सचिव के 90 प्रतिशत से अधिक पदों, उप सचिव के 25 प्रतिशत से अधिक पदों, निदेशक के 91 पदों, संयुक्त सचिव के 34 पदों और अपर सचिव के 5 पदों पर केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अधिकारी तैनात हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई सुनिश्चित-कॅरियर-प्रोन्नयन की योजना (ए० सी० पी०), केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के संबंध में भी लागू है क्योंकि यह एक समूह "ख" सेवा है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

5717. **श्री मान सिंह पटेल:**
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री राम टहल चौधरी:
डॉ॰ मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश में विशेषकर आम और अन्य फलों के उत्पादन वाले क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाने की व्यापक संभावनाएं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी सहयोग से ऐसे उद्योगों को लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए गए हैं;

(ङ) क्या यह संख्या निर्धारित लक्ष्य के लगभग करीब है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) हाल में किए गए अध्ययनों के अनुसार देश इसमें गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश शामिल हैं, में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की काफी संभावनाएं हैं।

(ख) और (ग) सरकार स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना नहीं करती । वैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुकर बनाने के लिए सहायता देता है। अपनी योजना स्कीमों के तहत, विभाग खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जैसी अन्य एजेंसियां भी अपनी स्कीमों के तहत सहायता उपलब्ध कराती हैं।

(घ) वर्ष 1997-98 और 1999 के दौरान गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश में फल उत्पाद आदेश 1955 के तहत दिए गए लाइसेंसों की संख्या निम्नलिखित हैं :-

राज्य	फल उत्पाद आदेश के तहत दिए गए लाइसेसों की संख्या
गुजरात	118
बिहार	17
मध्य प्रदेश	20

(ङ) से (छ) कोई लक्ष्य निर्धाति नहीं किए गए हैं क्योंकि सरकार स्वयं किसी यूनिट की स्थापना नहीं करती।

कम्पोजिट फिटमेंट केन्द्र

5718. श्री तूफानी सरोज: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में कम्पोजिट फिटमेंट केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या ऐसे केन्द्र राज्य के प्रत्येक जिले में स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु चयनित जिलों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) इस योजना का उद्देश्य निचले स्तर तक पुनर्वास सेवाएं पहुंचाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित जिलों का चयन किया गया है :-

1. गोंडा
2. मऊ
3. गोरखपुर
4. लखनऊ
5. पीलीभीत
6. अल्मोड़ा
7. बरेली
8. टेहरी गढ़वाल
9. मेरठ
10. आगरा
11. वाराणसी
12. इलाहाबाद
13. कानपुर
14. फर्रूखाबाद
15. झांसी
16. हरिद्वार
17. बलिया

बिहार में गैर-सरकारी संगठन

5719. श्री राजो सिंह: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में बिहार में स्थानवार कितने गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं;

(ख) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान सरकार और निजी एजेंसियों द्वारा क्या सामग्री/सूचना उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या इन संगठनों के कार्यकरण के बारे में कोई पुनरीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) इस मंत्रालय को केवल अपने द्वारा बिहार में विभिन्न सहायता अनुदान योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जा रहे गैर-सरकारी संगठनों के बारे में सूचना है, जिनके स्थानवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	स्थान	संगठनों की संख्या
1.	आरा	1
2.	बाधनाहा	1
3.	बेतिया	1
4.	भागलपुर	1
5.	बक्सर	1
6.	छपरा	2
7.	धनबाद	1
8.	दुमका	1
9.	गया	3
10.	जमशेदपुर	3
11.	जहानाबाद	1
12.	कटिहार	1
13.	मधुबनी	2
14.	मुंगेर	2
15.	मुजफ्फरपुर	1
16.	नालन्दा	1
17.	पलामू	31
18.	पटना	2
19.	पुर्णिया	3
20.	रोहतास	2
21.	सहरसा	1
22.	सारण	1
23.	सीतामढ़ी	1
24.	सीवान	1
25.	वैशाली	1

(ख) मंत्रालय केवल वित्तीय रूप से गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करता है।

(ग) और (घ) मंत्रालय प्रत्येक वर्ष उचित प्राधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट/सिफारिश के आधार पर संगठनों को सहायता अनुदान निर्मुक्त कर रहा है। अनुदान के लिए आवेदन करते समय संगठनों को दस्तावेज जैसे उपयोगिता प्रमाण-पत्र, लेखा रिपोर्टें आदि भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। अनुदान के लिए आवेदन के साथ मंत्रालय लाभार्थियों की संख्या तथा गैर-सरकारी संगठन द्वारा आरम्भ किए गए कार्यकलापों के बारे में सूचना प्राप्त करता है, जो गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन की मानीटरिंग और मूल्यांकन करने तथा सहायता के लिए गुणावगुण के आधार पर इसके मामले का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है।

[अनुवाद]

रिक्त पद

5720. श्री अमर राय प्रधान: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनके मंत्रालय/विभाग/स्वायत निकायों और अधीनस्थ कार्यालयों में वर्षवार/श्रेणीवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया;

(ख) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार उक्त कार्यालय में से प्रत्येक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) विदेश मंत्रालय तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा विगत तीन वर्षों में नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के कुल कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है, और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) विदेश मंत्रालय तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में 31 मार्च, 2000 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के खाली पदों की संख्या विवरण-II के रूप में संलग्न है। केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी विशिष्ट भरती वर्ष के लिए आरक्षित उम्मीदवारों के खाली पदों को बाद के भरती के वर्षों के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है। जब भी अपेक्षित होता है इन पदों को भरने के लिए मांगपत्र भेजने के लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं।

विवरण-I

श्रेणी	द्वारा भरे गए पदों की संख्या								
	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999	1997	1998	1999
विदेश मंत्रालय									
समूह क	3	3	1	1	1	1	3	4	2
समूह ख	9	2	शून्य	3	1	शून्य	12	8	5
समूह ग	6	5	1	6	शून्य	1	12	7	3
समूह घ	4	8	11	1	5	2	शून्य	4	शून्य

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् में पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी श्रेणियों में भरे गए अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के पदों की संख्या शून्य है।

विवरण-II

श्रेणी	निम्नलिखित के संबंध में 31.3.2000 को रिक्त पड़े पदों की संख्या		
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
विदेश मंत्रालय			
समूह क	शून्य	शून्य	शून्य
समूह ख	2	5	3
समूह ग	3	शून्य	23
समूह घ	शून्य	4	6
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्			
समूह क	1	शून्य	1
समूह ख	2	1	3
समूह ग	2	शून्य	4
समूह घ	2	शून्य	1

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का अनुरक्षण

5721. **प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में इस समय कितने परमाणु रिएक्टर हैं और उनके अधिष्ठापन की अलग-अलग तारीखें और अधिष्ठापन क्षमता कितनी है;

(ख) इन रिएक्टरों में से कुछ के समय-समय पर बन्द हो जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश के पास उनकी मरम्मत संबंधी तकनीकी जानकारी नहीं है या उनके निर्माण में खामियां हैं अथवा वे अप्रचलनीय हो चुके हैं;

(घ) इनमें से प्रत्येक रिएक्टर कितनी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक इन संयंत्रों के अनुरक्षण पर वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इस समय राजस्थान में रावतभाटा नामक स्थान पर चार यूनिट, राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 (100 मेगावाट), राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 (200 मेगावाट), राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-3 और 4 (2X220 मेगावाट), स्थित है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 तथा राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 ने वाणिज्यिक रूप से परिचालन करना क्रमशः वर्ष 1973 तथा 1981 में आरंभ किया था। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-3 को उसके पूरा होने के बाद 10.3.2000 को पहली बार ग्रिड से जोड़ा गया और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-4 के क्रांतिकता प्राप्त करने हेतु वर्ष 2000 में पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 जोकि शीतलक चैनलों के एक साथ बदल दिए जाने के बाद चालू हो गया था, का कार्य-निष्पादन अच्छा रहा है और इसने वित्तीय वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान क्रमशः 80% तथा 83% उपलब्धता गुणक रिकार्ड किया है।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 जोकि अति दाब मोचन युक्ति (ओ पी आर डी) में हुए रिसाव की मरम्मत हो जाने के बाद चालू हो गया था ने, वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान क्रमश: लगभग 49%, 67% तथा 71% उपलब्धता गुणक रिकार्ड किए हैं, जिससे कार्य-निष्पादन में उत्तरोत्तर प्रगति होने के संकेत मिलते हैं। इस यूनिट को वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान इसके टर्बाइन जनित्र में बार-बार समस्याओं का सामना करना पड़ा था।

(ग) देश में, परिचालनरत परमाणु विद्युत संयंत्रों में जटिल किस्म की मरम्मत और नवीकरण संबंधी कार्यों को हाथ में लेने के लिए संपूर्ण तकनीकी जानकारी, क्षमता तथा विशेषज्ञता मौजूद है।

(घ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 में पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित वैद्युत ऊर्जा की मात्रा नीचे दी जा रही है :

	मिलियन यूनिटों (एम यूज) में वैद्युत ऊर्जा		
	1997-98	1998-99	1999-2000
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1	480	827	934
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2		990	1405

(ङ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 तथा राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 को चलाने के लिए किए गए कुल व्यय जिसमे ईंधन, भारी पानी, परिचालन तथा अनुरक्षण से सम्बद्ध लागत, मूल्यह्रास और पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज शामिल हैं, के बारे में नीचे दिया जा रहा है :

	व्यय-करोड़ रुपये में		
	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनंतिम)
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1	81.93 (21.22)	106.09 (22.12)	124.41 (37.24)
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2	-	132.28 (21.37)	176.67 (38.12)

राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 में जून, 1998 तक शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने तथा अपग्रेडेशन संबंधी कार्य किए जा रहे थे।

टिप्पणी-''परिचालन तथा अनुरक्षण'' व्यय का अलग-अलग ब्यौरा कोष्ठकों में दिया गया है।

[अनुवाद]

बीज और दालों का उत्पादन

5722. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों के बीजों और तिलहन के उत्पादन हेतु बीज ग्रामों की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि किसान इनके उतपादन में वृद्धि कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ बी॰ पी॰ बी॰ के॰ सत्यनारायण राव): (क) और (ख) बीज ग्राम कार्यक्रम जो दलहनी तथा तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए किसानों को 200/-रु॰ प्रति क्विंटल की सहायता मुहैया कराता है। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का एक घटक है। रखरखाव लागत आदि को कम करके किसानों को संगत मूल्य पर बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह घटक शुरू किया गया है।

(ग) विभिन्न राज्यों/के॰ शा॰ प्रदेशों में दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामत:, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना प्रचालन में हैं ताकि देश में तिलहन तथा दलहन उत्पादन व उत्पादकता में बढ़ोत्तरी की जा सके। बीज का उत्पादन व वितरण, किसानों को राज्य सरकारों के जरिये बीज मिनीकिटों, स्प्रिंकलर सेटों, उन्नत कृषि उपकरणों, जिपसम/पाइराइट्स, सूक्ष्म पोषक तत्वों, रिजोबियम कल्चर आदि का वितरण आदि जैसे महत्वपूर्ण आदानों के लिए इन दोनों स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, किसानों के खेतों पर अग्रणी व सामान्य प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्नत उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों का प्रचार किया जा सके।

इस्पात परियोजनाओं हेतु आई० डी० बी० आई० वित्तपोषण

5723. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लागत में भारी वृद्धि का सामना कर रही कुछ इस्पात परियोजनाओं को प्रत्येक परियोजना की दीर्घावधि अर्थक्षमता पुनर्स्थापित करने के पश्चात् ही उन्हें अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने हेतु कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उप-समिति ने कुछ सुझाव दिए थे, और

(घ) यदि हां, तो बोर्ड द्वारा स्वीकार किए गए सुझावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आवधिक खलासी

5724. श्री मोइनुल हसन:
श्री एस॰ अजय कुमार:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर म केन्द्रीय जल आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन मानसून के प्रत्येक मौसम में कितने आवधिक खलासी कार्य करे रहे हैं;

(ख) मानसून के मौसम में आवधिक खलासियों को कुल कितली राशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या इन सभी खलासियों को नियमित रोजगार देकर भर्ती कर लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) प्रत्येक मानसून मौसम में केन्द्रीय जल आयोग के कार्य प्रभारित स्थापना में लगाए गए मौसमी खलासियों की संख्या निश्चित नहीं है परंतु यह संख्या संचालित आंकड़ा संग्रहण स्कीमों की संख्या और आवश्यकता के स्वरूप के अनुसार बदलती रहती है। वर्ष 1999 के बाद मौसम अर्थात् जून से अक्टूबर, 1999 तक 1712 मौसमी खलासियों को नियुक्त किया गया था।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग में "केन्द्रीय जल आयोग, 1997 के कार्य प्रभारित स्थापना में मौसमी खलासियों को अस्थायी दर्जा एवं नियमितीकरण" नामक एक स्कीम है जो 1.6.1997 से प्रभावी है। इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय जल आयोग में कार्यरत मौसमी खलासियों को अस्थायी दर्जा देने तथा 1.6.1997 तक स्कीम में यथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने और इस स्कीम में उल्लिखित पद्धति के अनुसार रिक्तियों की उपलब्धता की शर्तें और वरिष्ठता-सह-स्वस्थता के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग के कार्य प्रभारित स्थापना में उनके नियमितीकरण की व्यवस्था है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्च-जल क्षेत्रों का विकास

5725. श्री टी॰ गोविन्दन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को राज्य में पश्च-जल क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराती है; और

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार को इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता दी गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत और नेपाल के बीच बस सेवा शुरू करना

5726. श्री सुशीला सरोज: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत और नेपाल के बीच बस सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) भारत और नेपाल के बीच बस सेवा शुरू करने का सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, निजी आपरेटर दोनों देशों के बीच बस सेवा मुहैया करा रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमापार यातायात वाहनों की आवाजाही से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न करने का भी प्रस्ताव है। प्रारूपों का आदान-प्रदान हो गया है और शीघ्र ही इस पर चर्चा होने की आशा है।

[अनुवाद]

अपंग लोगों के लिए शिक्षा

5727. श्री राशिद अलवी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपंग व्यक्तियों, विशेषत: अपंग महिलाओं की देख-रेख के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं और इसके लिए कितना वार्षिक बजट नियत किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि अपंग व्यक्तियों की शिक्षा का कार्यभार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को सौंपा गया है जिसके कारण यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मुख्य धारा की शिक्षा से अलग-थलग पड़ गई है और इससे अपंग लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अपंगों की शिक्षा व्यवस्था को शीघ्रातिशीघ्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार की वचनबद्धता नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अधिनियमन में परिलक्षित होती है, जो दिनांक

7.2.1996 से प्रभाव में आया। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय द्वारा विकलांग महिलाओं सहित विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान इस मंत्रालय के बजट में विकलांगता क्षेत्र के लिए 230.10 करोड़ रू० (योजना) तथा 31.05 करोड़ रू० (गैर-योजना) का प्रावधान प्रस्तावित है।

(ग) से (च) विशेष शिक्षा इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आती है। इस मंत्रालय द्वारा विशेष स्कूलों सहित विशेष शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी कतिपय योजनाएं पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत भी विकलांग बच्चों की यथासंभव सामान्य स्कूलों में शिक्षा प्रदान की जानी है। इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा संबंधी एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०)

5728. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले:** क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों विशेषकर आरक्षित वर्गों को दुकानें/शैड्स आदि के आबंटन के लिए डी० डी० ए०, एन० डी० एम० सी०, एम० सी० डी० और केन्टोनमेंट बोर्ड द्वारा अलग-अलग क्या मापदंड अपनाये गये हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों को कितने औद्योगिक स्थान, दुकानें/शेड्स आदि आबंटित किए गए?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) इस योजना के विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों को दुकानों/शेडों आदि के आबंटन हेतु कोई विशिष्ट मापदंड नहीं है।

नशा मुक्ति केन्द्र

5729. **श्री जार्ज ईडन:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राज्य-वार कितने नशा-मुक्ति केन्द्र हैं;

(ख) पिछले दो चालू वर्ष के दौरान इन केंद्रों पर राज्यवार कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे और अधिक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) मद्यपान तथा मादक पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत इस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित नशामुक्ति केन्द्रों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण-1 संलग्न है।

(ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 (28.4.2000 तक) के दौरान मद्यपान तथा मादक पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्तकर्ता संगठनों को निर्मुक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्तमान नीति के अनुसार इस योजना के प्रावधानों के अनुसार नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार/नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्तावों की सिफारिश पर तथा आवेदित क्षेत्र में ऐसे केन्द्र स्थापित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार विचार करती है।

विवरण-1

नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या—राज्य-वार (दिनांक 31.3.2000 तक की स्थिति के अनुसार

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नशामुक्ति केन्द्र
1.	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	13
2.	असम	6
3.	बिहार	13
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	7
6.	हरियाणा	12
7.	जम्मु और कश्मीर	2
8.	कर्नाटक	14
9.	केरल	15
10.	मध्य प्रदेश	10
11.	महाराष्ट्र	47
12.	मणिपुर	18
13.	मेघालय	2
14.	मिजोरम	6
15.	नागालैंड	7

1	2	3
16.	उड़ीसा	29
17.	पंजाब	13
18.	राजस्थान	8
19.	सिक्किम	-
20.	तमिलनाडु	11
21.	त्रिपुरा	1
22.	उत्तर प्रदेश	35
23.	प० बंगाल	12
संघ राज्य क्षेत्र		
24.	चंडीगढ़	1
25.	दिल्ली	8
26.	पांडिचेरी	1
	कुल	292

विवरण-2

नशाखोरी तथा वस्तु (नशीली दवा दुरुपयोग निवारण के लिए योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों की निर्मुक्ति सहायता अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत अनुदान		
		98-99	99-2000	2000-2001 (28.4.2000 तक)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.93	71.22	-
2.	असम	19.03	29.59	-
3.	बिहार	30.32	44.38	-
4.	गोवा	6.18	17.51	-
5.	गुजरात	44.46	54.94	1.19
6.	हरियाणा	84.05	94.09	-
7.	जे० एण्ड के०	13.65	10.12	-
8.	कर्नाटक	41.30	71.69	-
9.	केरल	103.82	119.24	1.19
10.	म० प्र०	33.58	41.64	3.02
11.	महाराष्ट्र	124.32	227.28	-
12.	मणिपुर	163.64	158.07	2.50
13.	मेघालय	11.62	9.97	-
14.	मिजोरम	49.70	51.01	-
15.	मेघालय	32.05	49.86	-
16.	उड़ीसा	103.80	131.10	1.19
17.	पंजाब	62.42	88.04	2.24
18.	राजस्थान	66.93	66.54	-
19.	सिक्किम	-	3.12	1.03
20.	तमिलनाडु	65.46	83.07	-
21.	त्रिपुरा	7.97	9.25	-
22.	उ० प्र०	235.74	245.68	5.66
23.	प० बंगाल	82.20	116.27	
24.	चंडीगढ़	9.98	10.66	-
25.	दिल्ली	66.87	60.49	5.20
26.	पांडिचेरी	8.60	5.43	-

एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं

5730. श्री जयभद्र सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय सहकारी के विचाराधीन एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं से संबंधित कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से मिला है और वे प्रस्ताव किन स्थानों के बारे में थे और ये प्रस्ताव किस-किस तारीख को प्राप्त हुए; और

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० बी० पी० बी० के० सत्यनारायण राव): (क) जी, हां। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को उत्तर प्रदेश सरकार से निम्नलिखित जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजनाओं पर विचारार्थ छ: प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बहरहाल, इन्हें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हेतु वापस राज्य सरकार को भेजा गया है।

क्र॰ सं॰	जिले का नाम	तारीख, जिसको राष्ट्रीय सहकारी विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी है
1.	चमोली	13.4.99
2.	देवरिया	6.2.99
3.	अलीगढ़	29.10.99
4.	लखीमपुर खेड़ी	29.10.99
5.	बिजनौर	29.10.99
6.	बाराबंकी	29.10.99

(ख) राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होते ही प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी जाएगी।

[हिन्दी]

कर्मचारी राज्य बीमा

5731. डा॰ बलिराम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली वर्ष 1997 से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की एक बड़ी राशि का देनदार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निगम द्वारा इस राशि के शीघ्र भुगतान के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख संबंधी व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन 7:1 के अनुपात में वहन किया जाता है। लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों को 1995-96 तक का कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत यथा-अनुमेय कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सम्पूर्ण अंशदान प्रदान कर दिया गया है। निगम ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों को निम्नानुसार "खाते में" अग्रिम अदायगी भी की है :-

वर्ष	उत्तर प्रदेश सरकार (रु॰ करोड़ों में)	महाराष्ट्र सरकार (रु॰ करोड़ों में)
1996-97	12.13	35.60
1997-98	15.61	44.90
1998-99	18.09	54.37
1999-2000	20.94	63.98

बकाया राशि की अदायगी तभी की जाएगी यदि उसे सक्षम प्राधिकारी के लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्रों के अनुसार योजना के अंतर्गत अनुमेय पाया जाता है।

[अनुवाद]

आधारभूत सुविधाओं में सुधार

5732. श्री भान सिंह भौरा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार किसानों को बाजार में अपने उत्पादों को आसानी से लाने के लिए राज्य सरकारों को सम्पर्क सड़कों पर सड़कों/पुलों का निर्माण जैसी आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए उन्हें अनुदान सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) ग्रामीण सड़कों के निर्माण और विकास के लिए एक स्कीम तैयार की जा रही है। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा "राष्ट्रीय ग्रामीण सड़कें विकास समिति" (एन आर आर डी सी) का गठन किया गया है और इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

मजदूरों का उत्थान

5733. श्री अनन्त नायक: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा से विशेषकर क्योंझर जिले में लौह अयस्क और मैंगनीज खानों में कार्यरत मजदूरों के उत्थान हेतु केन्द्र द्वारा कोई प्रायोजित योजना आरंभ की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत, कितने मजदूर लाभान्वित हुए?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खानों में लगे कर्मकारों तथा उनके परिवारों के लाभ के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, मनोरंजन तथा जल आपूर्ति के क्षेत्र में कई कल्याण योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि के अंतर्गत उड़ीसा में विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित हुए श्रमिकों की संख्या निम्नवत् है:-

1997-98	—	2,06,824
1998-99	—	2,10,971
1999-2000	—	2,22,712

विवरण

लौह अयस्क, मैंग्नीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान कर्मकारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची

(क) स्वास्थ्य

1. टी॰ बी॰ अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
2. मानसिक रोगों से पीड़ित खान कर्मकारों के इलाज की योजना।
3. कुष्ठ रोग से पीड़ित खान कर्मकारों के इलाज की योजना।
4. टी॰ बी॰ से पीड़ित खान कर्मकारों के घर पर इलाज की योजना।
5. महिला खान कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा योजना।
6. कैंसर से पीड़ित खान कर्मकारों को इलाज के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति।
7. चश्में की खरीद के लिये खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता का प्रदान किया जाना।
8. खान कर्मकारों को बन्ध्याकरण के लिये अतिरिक्त मुद्रा मुआवजा देने की योंजना।
9. हृदय रोगों के इलाज के लिए खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।
10. गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।
11. खान कर्मकारों को घातक व गम्भीर दुर्घटनाओं के लिये मुआवजे की अदायगी की योजना।
12. खान कर्मकारों को कृत्रिम अंग प्रदान करने की योजना।
13. एम्बुलेंस वैनों की खरीद के लिए लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, तथा क्रोम अयस्क खानों तथा चूना पत्थर व डोलोमाइट खानों के प्रबंधनों को सहायता अनुदान।

(ख) आवास

1. कार्यस्थल के नजदीक खान कर्मकारों के लिये कम मूल्य के टाइप-I तथा टाइप-II मकानों के निर्माण के लिए खान प्रबंधन को वित्तीय सहायता।
2. अपना घर स्वयं बनाओ योजना: खान कर्मकारों को अपने स्वयं मकान बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण तथा आर्थिक मदद।

(ग) शिक्षा

1. खान कर्मकारों के स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों को छात्रवृति प्रदान किया जाना।
2. खान कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक जोड़ी वर्दी, स्लेटें, नोट बुकें तथा टेक्स्ट बुकें आपूर्ति करने के लिए वित्तीय सहायता की समन्वित योजना।
3. केन्द्रीय पुस्तकालय चलाने के लिये खान मालिकों को सहायता।
4. खान प्रबंधकों को स्कूल बसें खरीदने के लिए सहायता।
5. पुस्तकालयों के रखरखाव के लिए खान प्रबंधकों को सहायता।
6. लौह अयस्क खनन क्षेत्रों में स्थित मान्यताप्राप्त स्कूलों के फर्नीचर तथा उपकरण खरीदने के लिए सहायता अनुदान।
7. मध्याह्न भोजन योजना।
8. हाई स्कूल के बाद अन्तिम विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षायें पास करने पर प्रोत्साहन राशि का अदा किया जाना।
9. खान कर्मकारों की लड़कियों को स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर 1/-रुपये प्रोत्साहन स्वरूप/वित्तीय सहायता के रूप में देने की योजना।

(घ) मनोरंजन

1. खान कर्मकारों के लिए खेलकूद, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
2. खान कर्मकारों को परिवहन के लिए बसें मुहैया कराने की योजना।
3. श्रव्य-दृश्य सैटों/सिनेमा वैनों/फिल्म प्रदर्शिनियों को लगाया जाना।
4. मनोरंजन-सह-अध्ययन दौरे।
5. टी॰ वी॰ सैटों की आपूर्ति।
6. बहुउद्देश्यीय संस्थानों/विकसित बहुउद्देश्यीय संस्थानों को स्थापित करना।
7. कल्याण केन्द्रों को स्थापित करना।
8. एम पी आई/डी एम पी आई/कल्याण केन्द्रों को अनुदान।

9. खेल के मैदान।

10. हलिडे होम।

(ङ) जल आपूर्ति

1. कुएं खोदने के लिए छोटे खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

2. जल आपूर्ति योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए छोटे खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

3. जल आपूर्ति योजना चलाने के लिये बड़े खान-प्रबंधनों को वित्तीय सहायता।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5734. श्री अरूण कुमार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के किन-किन संगठनों के राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारी हड़ताल पर गए थे तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऐसी हड़तालों की पुनरावृति रोकने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारियों के अपनी सेवा से जुड़े मामलों के बारे में किसी भी प्रकार की हड़ताल का आश्रय लिए जाने अथवा उनके द्वारा, किसी को भी, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह की हड़ताल हेतु उकसाए जाने की मनाही है। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी सरकारी कर्मचारी, अनुशानिक कार्रवाई का भागी होता है। इसके अलावा, कर्मचारी की हड़ताल की अवधि की अनुपस्थिति को विनियमित करने की दृष्टि से "काम नहीं, वेतन नहीं" के सिद्धांत का पालन किया जा रहा है और इस प्रकार की अनधिकृत उपस्थिति के परिणामस्वरूप, छुट्टी-यात्रा-रियायत, स्थायित्व, विभागीय परीक्षाओं में बैठने की पात्रता और पेंशन के प्रयोजन से सेवा-विच्छेद हो सकता है। ये अनुदेश पर्याप्त समझे जाते हैं तथा हड़तालों पर नियंत्रण रखने के और कोई नए उपाय किए जाने का विचार नहीं है।

चूंकि विभिन्न मंत्रालय/विभाग ही, हड़तालों में हिस्सा लेने वाले अपने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम हैं, अत: पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कर्मचारी-संघों द्वारा की गई हड़तालों का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

खरीफ और रबी फसलों का उत्पादन

5735. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान 31 मार्च 2000 तक खरीफ और रबी के मौसम में राज्य-वार कितना कृषि उत्पादन हुआ है;

(ख) गेहूं, चना और चावल का अलग-अलग कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या भारत कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आत्म निर्भर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ बी॰ पी॰ बी॰ के॰ सत्यनारायण राव): (क) और (ख) कृषि वर्ष 1999-2000 के खरीफ और रबी मौसमों के दौरान मुख्य कृषि फसलों का राज्यवार अनुमानित उत्पादन का विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) नौवीं योजना तैयार करने के लिए कृषि जिंसों की मांग और पूर्ति के अनुमान और कृषि सांख्यिकी में सुधार पर कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मानकीय दृष्टिकोण के अनुसार खाद्यान्नों की खपत और उत्पादन आवश्यकता निम्नवत् हैं :-

(मिलियन मी॰ टन)

जिंस	खपत आवश्यकता 2001-2002	उत्पादन आवश्यकता 2001-2002	वास्तविक उत्पादन
अनाज	160.00	177.30	188.01
दलहन	13.90	17.20	13.55
खाद्यान्न	173.90	194.90	201.56

27.03.2000 को स्थिति के अनुसार अनुमानित लागत।

देश में खाद्यान्न का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना आदि क्रियान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों/परियोजना के अंतर्गत किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के उपयोग, समेकित कृमि प्रबंध के अनुप्रयोग, सूक्ष्म सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध के प्रचार और उन्नत कृषि औजारों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान भी किए जा रहे हैं, ताकि भारत में उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाया जा सके। प्रभावी प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए कृषकों और कृषि मजदूरों के प्रशिक्षण सहित किसानों के खेतों पर क्षेत्रगत प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

कृषि वर्ष 1999-2000 के दौरान मुख्य फसलों के

राज्य/सं.शा. क्षेत्र	चावल			गेहूं	चना	खाद्यान्न	
	खरीफ	रबी	कुल			खरीफ	रबी
1	2	3	4	5	21	26	27
आंध्र प्रदेश	6662	3297	9959	16	80	8547	4397
असम	3100	400	3500	100	2	3124	575
बिहार	6439	300	6739	4367	110	7193	6212
गुजरात	851	0	851	1032	82	2758	1171
हरियाणा	2483	0	2483	8300	110	3070	8540
हिमाचल प्रदेश	120	0	120	641	3	807	687
जम्मू और कश्मीर	434	0	434	501	0	964	537
कर्नाटक	2567	813	3380	176	174	6792	2456
केरल	906	125	1031	0	0	928	143
मध्य प्रदेश	6303	0	6303	8400	2500	8489	11643
महाराष्ट्र	2484	60	2544	1174	568	8062	4191
उड़ीसा	4445	526	4971	6	17	4787	619
पंजाब	8716	0	8716	14200	12	9169	14314
राजस्थान	253	0	253	5825	900	2843	7131
तमिलनाडु	6465	1035	7500	0	5	7546	1972
उत्तर प्रदेश	12898	14	12912	24500	760	16583	26835
प. बंगाल	10452	4650	15102	796	30	10721	5642
अन्य	1617	138	1755	65	0	1879	232
अखिल भारत	77195	11358	88553	70099	5353	104262	97297

*170 कि.ग्रा. प्रत्येक की गांठें

**180 कि.ग्रा. प्रत्येक की गांठें

@27.03.2000 की स्थिति के अनुसार अग्रिम अनुमान

उत्पादन का राज्यवार और मौसमवार अग्रिम अनुमान।

(उत्पादन 000 मी० टन)

	कुल तिलहन			गन्ना	कपास	पटसन	मेस्ता
कुल	खरीफ	रबी	कुल				
28	15	16	17	18	19	20	21
12944	982	759	1741	14840	872	0	645
3699	30	197	227	1200	1	660	26
13405	28	145	173	5339	0	1104	127
3929	1357	615	1972	16750	1595	0	0
11610	4	715	719	8000	1150	0	0
1494	2	7	9	139	0	0	0
1501	12	44	56	7	0	0	0
9248	881	467	1348	29233	838	0	9
1071	15	0	15	410	20	0	0
20132	4695	630	5325	1886	316	0	6
12253	1927	515	2442	55798	2869	0	43
5406	104	58	162	1990	61	102	108
23483	11	111	122	6500	950	0	0
9974	885	2273	3158	1215	1104	0	0
9518	774	941	1715	27200	650	0	0
43418	142	1613	1755	119974	10	0	0
16363	158	407	565	1776	0	6510	90
2111	35	0	35	380	13	50	46
201559	12042	9497	21539	292637	10449	8426	1100

नाभिकीय रियेक्टर

5736. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन (एन.पी.सी.) ने दो नाभिकीय रियेक्टरों के निर्माण के लिए एटमर्ज को अपने रूसी सहयोगी के रूप में पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इन दो नाभिकीय रियेक्टरों की क्षमता क्या होगी और ये किन-किन स्थानों पर बनाए जाएंगे;

(ग) समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(घ) दोनों सहयोगियों का पूंजीगत परिव्यय कितना-कितना होगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं। 'एटमस्टोरी एक्सपोर्ट' (एटोमर्ग) रूसी परिसंघ सरकार द्वारा तमिलनाडु में कुडानकुलम नामक स्थान पर 2×1000 मेगावाट हल्का पानी रिएक्टरों के क्रियान्वयन के लिए अभिज्ञात एक रूसी एजेंसी है।

(ग) और (घ) परियोजना के क्रियान्वयन, उसके संबंध में तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तों, पूंजीगत परिव्यय आदि के बारे में निर्णय, ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा, जिसे तैयार करने के लिए रूसी परिसंघ के साथ एक अनुबंध, पर 20.7.98 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में विनिवेश

5737. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुनर्गठन संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन के पश्चात् सेल में ''बढ़ते विनिवेश'' को अनुमति देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सेल की इक्विटी की वार्षिक बिक्री कितनी प्रतिशत है;

(घ) क्या कुल इक्विटी का 50 प्रतिशत सेल के पास ही रहने की संभावना है, और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पदोन्नति की पात्रता का दायरा

5738. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पात्रता के सामान्य दायरे के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सरकार द्वारा संवर्ग विशेष में सामान्य कोटे की रिक्तियां भरने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ख) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए पात्रता के दायरे को बढ़ाने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है जो शेष रिक्तियां भरने के लिए आवश्यक है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) इस बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों में यह प्रावधान है कि पदोन्नति के विचारण-क्षेत्र में रिक्तियों के दोगुने कर्मचारियों में चार जोड़कर आने वाली संख्या के बराबर कर्मचारी शामिल किए जाएं।

विवरण-

महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों में 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (1.1.2000 तक) के दौरान

क्र. सं.	परियोजना (जिला राज्य)	क्षमता	सरकारी अनु. की तिथि मूल (संशो.)	चालू होने की तिथि			समयावृद्धि (माह)		लागत
				मूल (संशो.)	प्रत्या. (अद्यतन सूचित)	मूल पर कुल %	पिछली तिमाही में अति.	कुल संशो. पर %	अनु. मूल (संशो.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	क्षेत्र: परमाणु ऊर्जा एनपीसीआईएल								
1.	तारा. पर.वि. तारापुर महाराष्ट्र	एमडब्ल्यू 2×500	1991/01 1997/12	2007/01	2007/06	5 3	0	5. 3	3447.06 6421.00

सामान्यतः, उपर्युक्त व्यवस्था, विचारण-क्षेत्र की अधिकतम सीमा दर्शाती है और साधारणतः, विचारण-क्षेत्र, इस अधिकतम-सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जाता। फिर भी, यदि संगत भर्ती-नियमों में इस बारे में कोई विशिष्ट प्रावधान हों तो, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा जारी किए गए सामान्य अनुदेशों की अपेक्षा, ये प्रावधान प्रभावी होते हैं। कभी-कभी, किसी सेवा/ग्रेड के उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु अपेक्षित अर्हक सेवा आदि रखने वाले पात्र उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पाने की स्थिति में, यदि संगत भर्ती-नियमों में अनुमत हो तो प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ऐसी स्थिति से निबटने हेतु उपर्युक्त शर्त के निर्वाह से छूट की स्वीकृति का अनुरोध कर सकते हैं। इन प्रस्तावों पर अलग-अलग मामले के गुणावगुणों के आधार पर, जब कभी आवश्यक हो, संघ-लोक-सेवा-आयोग के परामर्श से विचार किया जाता है।

उत्पीड़न उन्मूलन

5739: श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का संयुक्त राष्ट्र संघ के उत्पीड़न-विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर करके उसे समर्थन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) सरकार ने यंत्रणा और अन्य क्रूर, अमानवीय अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड से संबंद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर 14 अक्तूबर, 1997 को हस्ताक्षर किए थे। तथापि, भारत ने इस अभिसमय का अभी अनुसमर्थन नहीं किया है क्योंकि इस अभिसमय को प्रावधानों के समनुरूप बनाने के लिए हमारे कानून में संशोधन करने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है और कानून में संशोधन, यदि आवश्यक पाया गया, कर दिया जाता है वैसे ही सरकार इस अभिसमय का अनुसमर्थन करने की स्थिति में आ जाएगी।

बड़ी और मंझली परियोजनाएं

5740. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों, विशेषतः महाराष्ट्र की कार्यान्वयनाधीन मंझली और बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आवंटित की गई जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों के संबंध में वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों को ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान परियोजना-वार अनुपयुक्त शेष राशि कितनी थी और इनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) पूरी की जाने हेतु स्वीकृत की गई नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और चालू परियोजनाओं हेतु राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्ष में परियोजनावार आबंटित निधियों उनका उपयोग तथा श्रेय निधियों को दर्शाते हुए मध्यम एवं बड़ी परियोजनाओं की स्थिति विवरण-I के रूप में संलग्न है। अन्य राज्यों में अवस्थित परियोजनाओं के संबंध में सार विवरण-II के रूप में संलग्न है। परियोजनावार विवरण के लिए कृपया संसद पुस्तकालय में उपलब्ध सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष, 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(घ) 1999-2000 के दौरान अनुमोदित 18 परियोजनाओं को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रबोधन पर लाया गया था। इन परियोजनाओं के लिए किया गया परियोजना वार आबंटन विवरण में दिया गया है।

I

परियोजना की प्रत्याशित लागत के संदर्भ में होने वाले शेष व्यय को दर्शाते हुए परियोजनाओं की सूची

इकाई: लागत/व्यय (करोड़ों रुपये में)

लागत प्रत्या.	मूल पर लागत वृद्धि % (संशो.)	3/99 तक व्यय	1990-00 बजट अनु. (संशो. अनु.)	तिमाही तक वार्षिक व्यय	संचयी व्यय	प्रत्याशित लागत के संदर्भ में होने वाला शेष व्यय दौरान 1997-1998	1998-1999	1999-2000	टिप्पणी
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8949.00	160 39	1180.76	422.00 260.00	71.24	1252.00	5525.00	7905.53	7697.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	क्षेत्र: नागर विमानन ए आई								
2.	हैंगर का निर्मा. सं. 4 एस. कुंज मुम्बई महाराष्ट्र		1993/11	1996/12	1999/12	36 97	0	36 97	49.00
	ए ए आई								
3.	ऐरोब्रिजस बे 17,18,19 मुम्बई महाराष्ट्र		1997/11	1999/08	2000/03	7 33	0	7 33	27.25
	क्षेत्र: कोयला सी सी एल								
4.	सौंदा "डी" ओसी महाराष्ट्र	0.80 एमटीवाई	1991/08	1999/03	2001/03	24 26	0	24 26	48.96
5.	सौंदा "डी" यूजी महाराष्ट्र	0.63 एमटीवाई	1991/03	1998/03	2001/03	36 43	0	36 43	47.94
6.	उरीमारी ओसी महाराष्ट्र	1.30 एमटी	1994/08	1999/03	2000/03	12 22	0	12 22	95.33
	डब्ल्यू सी एल								
7.	गोडीगांव ओसी चन्द्रापुर महाराष्ट्र	0.75 एमटीवाई	1992/12	2000/03	2000/03	0 0	0	0 0	67.96
8.	मकरडोकोआ II यूजी नागपुर महाराष्ट्र	0.27 एमटीवाई	1992/09	1999/03	2000/03	12 15	0	12 15	25.92
9.	यूजी का सस्ती महाराष्ट्र	0.36 एमटीवाई	1993/04	1998/03	2001/03	36 61	12	36 61	38.25
10.	पोनी ओसी महाराष्ट्र	0.6 एमटी	1996/09	2001/03	2001/03	0 0	0	0 0	45.63
11.	सोमर एक्सप्रेस यूजी नागपुर महाराष्ट्र	0.42 एमटीवाई (वृद्धि)	1998/02	2000/03	2002/03	0 0	0	0 0	47.56

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72.54	48 48	45.21	– –	2.27	47.48	36.22	36.22	25.06	
27.25	0 0	0.58	9.82 16.00	2.06	2.64	0.00	0.00	24.61	
48.96	0 0	29.08	– –	0.89	29.97	27.85	19.88	18.99	
47.94	0 0	15.58	– –	0.06	15.64	31.62	32.36	32.30	
95.33	0 0	56.07	– –	1.09	57.16	41.01	39.53	38.17	
95.60	41 41	70.28	4.44	3.90	74.18	23.93	26.20	21.42	
25.92	0 0	14.14	1.74	0.45	14.59	13.10	11.93	11.33	
38.25	0 0	17.57	5.72	1.34	18.91	26.82	21.52	19.34	
45.63	0 0	14.67	3.00	1.53	16.20	40.34	27.89	29.43	
47.56	0 0	3.06	5.25	1.04	4.10	47.56	45.15	43.46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	निरगुडा ओसी येहमाल महाराष्ट्र	0.75 एमटीवाई	1999/05	2004/03	2004/03	0 0	0	0 0	95.03
13.	कुंभरकानी यूजी दाहमल महाराष्ट्र	0.36 एमटीवाई	1998/12	2004/03	2004/03	0 0	0	0 0	56.90
क्षेत्र:	उर्वरक आरसीएफ								
14.	अमोनिया प्लेट रिवेम्पटीएमबीआई ट्राम्बे महाराष्ट्र		1997/01	2000/05	2000/05	0 0	0	0 0	98.02
15.	सि. का आधु. बैगिंग प्लेट ट्राम्बे महाराष्ट्र		1998/10	2000/01	2000/01	0 0	0	0 0	28.00
16.	मलजल उपचार संयं. ट्राम्बे महाराष्ट्र		1999/01	1999/12	1999/12	0 0	0	0 0	39.30
17.	अमोनिया-संयं.के लिएएनएफएसएस ताल महाराष्ट्र	89272	1999/08	2001/01					83.35
क्षेत्र:	पेट्रोल एचपीसीएल								
18.	डी. हाइड्रो डैसल. मुंबई महाराष्ट्र		1997/06	1999/03	2000/01	10 48	3	10 48	758.17
	ओएनजीसी								
19.	इनसीटू दहन बलोल महाराष्ट्र	एमएमटी 5.57	1995/10	1997/07	2000/03	32 152	0	32 152	133.64 118.49
20.	बी-55 का वि. स्ट्रकचर ऑफिशोर महाराष्ट्र	6.2342 बीसीएफ/ 6 वर्ष	1996/03	1999/03	2000/01	10 28	0	10 28	376.74
21.	अति. कंजन-ई. राशन प्लांट ऊरान महाराष्ट्र	एमडब्ल्यू 19.5	1998/07	2000/12	2000/12	0 0	0	0 0	116.95
क्षेत्र:	रेलवे दोहरी								
22.	बोरीबिलीविरार द.रे. मुंबई महाराष्ट्र	कि.मी. 25.84	1995/04	2001/03 2000/06	2004/03	36 51	9	45 73	131.34

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95.03	0 0	—	0.50 —	0.93	0.93	0.00	0.00	94.10	
56.90	0 0	—	2.75 —	—	—	0.00	0.00	56.90	
98.02	0 0	54.19	41.32 42.39	37.49	91.68	0.00	0.00	6.34	
38.50	38 38	2.54	10.00 18.00	6.16	8.70	0.00	0.00	29.80	
39.30	0 0	26.34	6.06 12.96	9.84	36.18	0.00	0.00	3.12	
83.35	0 0	—	20.00 —	1.71	1.71	0.00	0.00	81.64	
758.17	0 0	328.55	368.78 375.00	172.91	501.46	736.96	433.14	256.71	
118.49	-11 0	75.54	26.92 —	16.03	91.57	51.96	45.24	26.92	
411.14	9 9	227.00	6.28 —	12.03	239.03	203.63	24.52	172.11	
116.95	0 0	9.19	30.00 —	36.93	46.12	0.00	0.00	70.83	
401.66	206 206	7.04	36.00 —	4.70	11.74	397.31	394.65	389.92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	डॉन भिगवन, सीआर महाराष्ट्र	कि.मी. 27.68	1995/04	1998/06	2000/02	20 53	0	20 53	38.78
24.	मुंबई-बोरीगांव 5वी और 6वी लाईन, द.रे. महाराष्ट्र	कि.मी. 13.81	1995/04	1999/03	1999/03	0 0	0	0 0	39.80
25.	दिवा-वासी सड़क, म.रे. मुंबई महाराष्ट्र	कि.मी. 41.65	1995/04	1998/03	2001/03	36 103	0	36 103	90.00
जीसी									
26.	गोंडिया-चंदा-फो महाराष्ट्र	कि.मी. 258.50	1992/12 1994/04	1996/12 1997/03	1999/06	30 63	0	27 53	158.83 215.14 232.52
27.	मिरज-लादूर सड़क, म.रे. महाराष्ट्र	कि.मी. 359	1993/04	2001/03	2000/03	-12 -13	0	-12 -13	225.00
28.	सोलापुर-होटगी, म.रे. महाराष्ट्र	कि.मी. 15.70	1996/06	1997/06	1999/03				24.40
एमटीपी									
29.	बेलापुर-पनवेल मुंबई महाराष्ट्र	10.90 कि.मी.	1995/02	2000/03	2001/03	12 20	12	12 20	279.83
30.	थाने-टर्मो-नरूल वासी मुंबई महाराष्ट्र	22.60 कि.मी.	1992/05	2000/03	2001/03	12 13	12	12 13	403.39
31.	बी. पर-ड. वुड उरान विद्युत मुंबई महाराष्ट्र	कि.मी. 27	1996/03		2004/03		24		401.81
32.	कुर्ला. भन्ड. उ.प्र. 5 और 6वीं पी-2 मुंबई महाराष्ट्र	कि.मी. 10	1995/04	2000/03	2001/03	12 20	0	12 20	49.84
33.	विरार दहानू आरडी आटो बीएलके महाराष्ट्र	कि.मी. 65	1997/04		2001/03		0		25.44

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32.42	-16 -16	11.62	— —	2.89	14.51	32.30	30.24	17.91	
64.17	61 61	22.49	— —	—	22.49	42.90	41.68	41.68	
112.00	24 24	60.71	40.00	17.61	78.32	89.66	57.57	33.68	
232.82	47 0	175.80	— —	1.91	177.71	57.02	44.93	55.11	
310.38	38 38	52.61	46.49 —	8.60	61.21	274.95	259.64	249.17	
41.35	69 69	8.36	— —	2.81	11.17	21.61	8.46	30.18	
279.83	0 0	105.22	26.34 —	7.21	112.43	238.84	188.76	167.40	
403.39	0 0	106.05	81.07 —	32.01	138.06	362.50	319.05	265.33	
495.44	23 23	9.30	17.76 6.30	5.42	14.72	495.42	489.51	480.72	
95.43	91 91	31.69	22.50 —	4.55	36.24	42.92	42.92	59.19	
27.19	7 7	0.36	11.70	2.46	2.82	25.44	25.44	24.37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	भांडु थाने 5 और 6वीं 11 ला. मुंबई महाराष्ट्र	कि.मी. 8	1997/04		2001/03		12		46.69
35.	सांताक्रुज बी.बी. 5वी लाईन मुंबई महाराष्ट्र		1995/04	2000/12	2001/12	12 12	12	12 12	64.17
एन एल									
36.	अमरावती- नरखेर, म.रे. महाराष्ट्र	कि.मी. 138	1994/06	1999/06	2003/12	54 90	0	54 90	120.90
37.	पनवेल- करजाट, म.रे. मुंबई महाराष्ट्र	कि.मी. 28.05	1996/02	1997/03	2002/12	69 531	0	69 531	89.00
38.	अहमदनगर-पीए रे. 1 बैजनाथ, म.रे. महाराष्ट्र	कि.मी. 250	1997/02						353.08
39.	लूप-8 का अति. स्टे. वीआईआर महाराष्ट्र		1998/02						20.19
टी.एफ.									
40.	मुंबई, सीएसटी प.आधु. चरण-I सीआर महाराष्ट्र		1995/04	1998/12	2002/03	39 89	0	39 89	19.72
41.	कुर्ला. पीएसआर टर्मि. फ्रैक्सी, पीएच 2एस म.रे. महाराष्ट्र		1996/04	1999/12	2000/12	12 27	0	12 27	34.94
एस और टी									
42.	मे. घाट लिंक का प्रतिस्था. मुंबई-भवल महाराष्ट्र	जीएचजैड एमवी 34	1992/04	1997/12	1999/10				20.53

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56.79	22 22	2.00	13.50 —	5.04	7.04	46.69	46.69	49.75	
82.42	28 28	43.46	18.00 —	10.43	53.89	0.00	0.00	28.53	
175.30	45 45	25.88	6.00 —	4.84	30.72	159.52	151.12	144.58	
106.90	20 20	5.23	8.00 —	7.42	12.65	106.47	103.92	94.25	
353.08	0 0	0.40	3.00 —	0.01	0.41	352.74	352.68	352.67	
20.19	0 0	10.43	5.16 —	2.85	13.28	0.00	0.00	6.91	
62.39	216 216	3.34	10.00 —	1.04	4.38	47.77	61.50	58.01	
39.44	13 13	4.46	13.66 —	4.71	9.17	39.02	37.98	30.27	
20.53	0 0	16.15	— —	0.60	16.75	9.23	6.29	3.78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	मुंबई कल्यान ट्रेनाडस सिस्टम म.रे. महाराष्ट्र		1996/04	1999/03	2001/12	33 94	0	33 94	25.89
44.	लोनावाला पुणे आटो बीएल सिगनल, म.रे. महाराष्ट्र	कि.मी. 64	1996/04	1999/03	1999/03	0 0	0	0 0	25.00
45.	सीसीजी बीआर ट्रेन डिसक्राइबर मुंबई महाराष्ट्र		1995/04	2000/09	2000/09	0 0	0	0 0	33.57
क्षेत्र:	**भूतल परिवहन पत्तन**								
46.	प्रति. 7 सब-मैरी. पाईप ला. मुंबई महाराष्ट्र	7.0 मिलि. टन पीए	1995/03	1998/01	2000/06	29 85	0	29 85	165.15
47.	वहार दि. पत्तन का प्रति. मुंबई महाराष्ट्र	टनस 10	1996/12	2000/01	2000/07	6 16	0	6 16	49.61
48.	बांडला पत्तन क्षे. का आधु. मुंबई महाराष्ट्र		1997/02	1999/03	2000/03	12 48	0	12 48	30.06
49.	मोर्डन जैटी का आधु. मुंबई महाराष्ट्र		1997/08	2002/03	2003/03	12 22	0	12 22	167.99
50.	आरटीजीएस का प्रति. मुंबई महाराष्ट्र	सं. 3	1996/12	1999/08	2000/02	6 19	0	6 19	28.66
51.	प्रति.एच. टगस अतुल और अंकुश मुंबई महाराष्ट्र		1997/09	2000/01	2000/02	1 4	0	1 4	46.08

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35.79	38 38	—	— —	0.48	0.48	41.23	35.79	35.31	
34.33	37 37	—	— —	—	—	34.33	34.33	34.33	
33.37	-1 -1	2.17	6.94 —	5.79	7.96	0.00	0.00	25.41	
279.00	69 69	5.24	160.00 —	66.40	71.64	268.20	266.76	207.36	
49.61	0 0	4.01	3.00 —	—	4.01	49.61	45.60	45.60	
30.06	0 0	11.88	10.00 —	11.00	22.88	29.93	18.18	7.18	
167.99	0 0	1.91	12.00 —	1.25	3.16	167.51	166.08	164.83	
28.66	0 0	—	0.01 —	—	—	28.66	28.66	28.66	
46.08	0 0	5.36	16.00 —	12.07	17.43	0.00	21.26	28.65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	सारवान क्रेन का प्रति. मुंबई महाराष्ट्र		1998/06		2000/12		0		16.00
आरडी और बीआर									
53.	एनएच 8:4 लेनिंग (कि.मी. 439-497) लो.नि.वि. महाराष्ट्र	कि.मी. 58.00	1993/04	1997/05	2001/03	46 94	0	46 94	117.73
क्षेत्र: दूरसंचार बीएसएनएल									
54.	पी-इनम्परसत मुंबई महाराष्ट्र		1995/11	2000/12 2000/12 2000/12	2001/06	6 10	3	6 10	546.00
55.	मुंबई-अरवी म.वे. प्रणाली महाराष्ट्र	सीकेटीके 3780	1996/11	1998/03 1999/07	2000/01	22 138	3	6 19	24.41
56.	एनडब्ल्यूके एम जीवी संस्थापन मध्या मुंबई महाराष्ट्र		1996/11	1999/01 2000/05	2000/05	16 62	0	0 0	40.00
क्षेत्र: अन्य के.लो. नि.वि.									
57.	आवासीय मकानों सामान्य पुल, मुंबई महाराष्ट्र	नहीं 1016	1985/09 1995/05	1989/09					29.50 62.75

संकेत :

एसपीसीआईएल : न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि.

एआई : आल इंडिया

एएआई : एअरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया

सीसीएल : केन्द्रीय कोल फील्ड्स लिमिटेड

एचपीसीएल : हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

डबल : डबलिंग

एमटीपी मेट्रोपोलिशन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट

जीसी : गेज

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31.18	95 95	—	— —	—	—	0.00	31.18	31.18	
300.00	155 155	105.10	65.00 —	36.23	141.33	256.50	194.90	158.67	
546.00	0 0	550.44	— —	—	550.44	169.36	—	—	
24.41	0 0	9.70	6.10 —	3.26	12.96	24.34	22.12	11.45	
40.00	0 0	—	20.00 —	—	—	40.00	40.00	40.00	
62.75	113 0	1.95	— —	—	1.95	60.73	60.80	60.80	

एनएल : न्यू लाइन
एस एंड टी : सिगनल एंड ट्रांसमीशन
डब्ल्यू सी एल : वेस्टर्न कोलफील्डस एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
आरसीएफ : राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमि.
आरडी एंड बीआर : रोड एंड ब्रिज
वीएसएनएल : विदेश संचार निगम लिमिटेड
सीपीडब्ल्यूडी : सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट

विवरण-II

दिनांक 3.5.2000 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5740 का विवरण
31.12.1999 तक विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं का सार

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (रु. करोड़ों में)			पूर्व वित्तीय वर्ष की तक विस्तार (रु. करोड़ों में)	परिव्यय 1999-00 (रु. करोड़ों में)	संचयी विस्तार तिमाही (रु. करोड़ों में)
			मूल	अद्यतन अनुमोदन	सब अनुमानित			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	37	8150.28	8576.08	8727.25	2561.87	1345.86	3031.97
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	468.78	831.74	1635.63	797.64	163.00	914.35
3.	असम	12	5198.28	5377.01	6436.65	2788.62	551.00	3199.69
4.	बिहार	34	7043.29	8057.71	10016.05	3387.88	788.66	3612.81
5.	गोवा	5	406.00	406.00	410.55	5.11	19.50	15.54
6.	गुजरात	20	7684.37	7739.86	8549.38	6093.30	660.18	6773.21
7.	हरियाणा	4	1421.54	1542.05	1567.94	640.49	386.29	910.72
8.	हिमाचल प्रदेश	2	3362.04	9350.33	9350.33	3817.71	1371.00	4336.27
9.	जम्मू और कश्मीर	5	2891.57	6625.63	7415.94	2810.34	460.78	3049.48
10.	कर्नाटक	16	2093.12	3639.35	5241.11	2622.00	391.47	2826.39
11.	केरल	9	2538.19	2538.19	2592.67	1738.01	641.36	1691.68
12.	मध्य प्रदेश	38	9399.60	9564.92	9691.91	4254.01	1474.48	5065.39
13.	महाराष्ट्र	57	9710.29	12776.02	16432.18	3570.71	1477.72	4214.20
14.	मणिपुर	1	578.62	578.72	578.62	—	—	—
15.	मिजोरम	1	368.72	368.72	368.72	5.47	59.00	9.95
16.	नागालैंड	1	96.31	331.59	758.70	522.69	110.00	620.12
17.	उड़ीसा	28	15446.07	17127.22	19791.64	5688.16	1706.37	6671.53
18.	पंजाब	5	496.68	748.00	929.54	530.02	84.28	579.36
19.	राजस्थान	7	1484.12	2879.56	3553.92	2007.67	346.00	2182.75
20.	सिक्किम	1	181.15	181.15	408.20	357.66	106.55	427.81
21.	तमिलनाडु	33	8126.50	8423.55	9386.57	2749.86	1526.56	3580.75
22.	त्रिपुरा	2	594.32	594.32	869.21	37.85	43.15	47.36
23.	उत्तर प्रदेश	29	7972.27	8260.45	11869.35	4264.22	1539.63	5102.24
24.	प. बंगाल	34	2879.82	3442.45	4080.86	1616.30	427.74	1759.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	47.63	47.63	47.63	25.80	9.50	33.20
26.	दिल्ली	14	5414.68	5470.92	5900.39	618.92	483.47	765.47
27.	बहुराज्य	65	13343.98	14723.72	17596.00	5552.89	2791.29	6917.67
	अखिल भारत	463	117398.22	140202.79	164206.94	59065.20	18964.84	68609.50

विवरण-III

दिनांक 3.5.2000 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5740 का विवरण
1999-2000 के दौरान (1.1.2000 तक) प्रबोधन में जोड़ी गई परियोजनाओं की राज्यवार सूची

इकाई : लागत व्यय (करोड़ों रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना (जिला) (राज्य)	क्षमता	शुरू होने की तिथि			अनुमोदित लागत मूल (संशोधित)	1999-2000 बी.ई. (आर.ई.)	वार्षिक व्यय तिमाही के अंत तक
			सरकारी अनुमोदन की तिथि मूल (संशोधित)	मूल (संशो.)	प्रत्याशित (अद्यतन सूचित)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य: आंध्र प्रदेश								
सैक्टर: कोयला								
	एससीसीएल							
1.	जीडीके-6 बी बीजी- आंध्र प्रदेश	0.33 एमटीवाई	1999/05	2003/03	2003/03	44.63	4.00 —	—
सैक्टर: भूतल परिवहन								
	पत्तन							
2.	प्राप्त करना: जीआरएबी हापर ड्रेजर विजाग आंध्र प्रदेश		1999/08	2001/04	2001/04	30.90	2.00 5.00	5.04
3.	द्वितीय मलपुर का निर्माण विजाग आंध्र प्रदेश	एमटी 0.70	1999/07			23.80	0.50 —	—
राज्य: असम								
सैक्टर: विद्युत								
निपको								
4	कोपिली एचईपी एसटी-II एन.सी. हिल्स असम	मेगावाट 25	1999/07	2003/07	2003/07	76.09	25.00 —	6.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य: गोवा								
सैक्टर: जल भूतल परिवहन								
	पत्तन							
5.	5ए/6ए एम. पोज कारगी का निर्माण मरमुगांव गोवा		1999/08	2001/12	2001/12	250.00	— —	—
राज्य: गुजरात								
सेक्टर: पैट्रोलियम								
	गेल							
6.	एलपीजी रिकवरी संयंत्र. भरूच गुजरात		1999/08	2002/01	2002/01	361.37	75.00 —	16.00
राज्य: हिमाचल प्रदेश								
सेक्टर: विद्युत								
	एनएचपीसी							
7.	चमेरा एचई परियोजना चंबा हिमाचल प्रदेश	मेगावाट 300	1999/05	2004/05	2004/05	1684.02	100.00 285.00	164.63
राज्य कर्नाटक								
सेक्टर: जल भूतल परिवहन								
	पत्तन							
8.	मंगलौर एमआरपीएल रिफाइनरी का विस्तार कर्नाटक	एमएमटीपीए 6	1999/07	2002/01	2002/01	236.50	30.00 —	16.92
राज्य: मध्य प्रदेश								
सेक्टर: कोयला								
	ईसीएल							
9.	रानी अटारी यूजी आरपीआर, कोरबा मध्य प्रदेश	0.48 एमटीवाई	1999/07	2004/07	2004/07	48.54	— —	3.04
10.	अमादंद एवं बार तराई सरगुजा मध्य प्रदेश	0.465 एमटीवाई	1999/07	2004/07	2004/07	45.26	— —	0.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	बागदेव यूजी आरपीआर कोरबा मध्य प्रदेश	0.405 एमटीवाई	1999/07	2004/07	2004/07	38.46	— —	0.78
	राज्य: महाराष्ट्र							
	डब्ल्यू सी एल							
12.	निरगुडा ओसी येतलाम महाराष्ट्र	0.75 एमटीवाई	1999/05	2004/03	2004/03	95.03	0.50 —	0.93
	सेक्टर: उर्वरक							
	आरसीएफ							
13.	एमएफएसएस के लिए अमोनिया-संयंत्र थाल महाराष्ट्र	एनएम3 89272 एनएम3 सीओ2 पीईआर एचआर	1999/08	2001/01		83.35	20.00 —	1.71
	राज्य: मणिपुर							
	सेक्टर: विद्युत							
	एनएचपीसी							
14.	लोकटाक डी/एस एचईपी मणिपुर	मेगावाट 90	1999/12	2006/06	2006/06	578.62	— —	—
	राज्य: पंजाब							
	सेक्टर: उर्वरक							
	एनएफएल							
15.	नांगल यूरिया विस्तार नांगल पंजाब		1999/05	2001/05	2001/05	135.13	100.00 34.00	11.82
	राज्य: तमिलनाडु							
	सेक्टर: रेलवे							
	जीसी							
16.	जीसी चेन्नई-चेंगलपट्टू चेन्नई तमिलनाडु	60.00 कि.मी.	1999/04	2004/04		464.99	10.80 —	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य : उत्तर प्रदेश								
डब्ल्यू एस और पी डब्ल्यू								
17.	डीजल लोको वाराणसी उत्तर प्रदेश	40000/30000 एचपी	1999/04		2003/03	155.54	11.00 3.70	0.10
राज्य: बहुराज्य								
सेक्टर: नागर विमानन								
	एआई							
18.	13 नं. आईएलएस का प्राप्त करना एवं संस्थापना अखिल भारत		1999/10			34.15	— —	—

संकेत

एससीसीएल	:	सिंगरेनी कोलफील्ड्स एवं कोइलरी लिमि.
गेल	:	गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमि.
इसीएल	:	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
आरसीएफ	:	राजस्थान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड
निपको	:	नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन
एनएचपीसी	:	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कार्पो०
डब्ल्यूसीएल	:	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
एनएफएल	:	नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड
जीसी	:	गेज कन्वर्जन
एएआई	:	एअरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया
डब्ल्यू एस	:	वर्कशाप एवं
पीडब्ल्यू	:	पब्लिक वर्कशाप

मुंबई को विशेष सहायता अनुदान

5741: श्री किरीट सोमैया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने योजना मंत्रालय तथा केन्द्र सरकार को मुंबई की समस्याओं के समाधान हेतु 1000 करोड़ रुपये के विशेष सहायता अनुदान का अनुरोध किया है;

(ख) क्या उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क निगमित कर तथा आय कर से प्राप्त होने वाले राजस्व का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा केवल मुंबई से प्राप्त होता है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने 1987 के बाद मुंबई को कोई विशेष अनुदान सहायता नहीं दी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का झुग्गी-झोपड़ियों में मूल-भूत सुविधाएं जैसे जल, सफाई और विद्युत सुविधाएं प्रदान करने और इन समस्याओं से निपटने हेतु महाराष्ट्र को विशेषकर मुंबई को विशेष सहायता अनुदान देने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री. अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) मुंबई, मेगा सिटी की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत शामिल है। यह स्कीम 1993-94 से प्रचालन में है। इस स्कीम के अंतर्गत, 31.3.99 तक केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में 102.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(ग) सीमा शुल्क एवं निगमित कर के संबंध में, मुंबई से वसूली का प्रतिशत 30 प्रतिशत से अधिक है। तथापि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आय कर के संबंध में, वसूली का प्रतिशत 30 प्रतिशत से कम है।

(घ) योजना आयोग शहरी-गंदी बस्तियों में आधारिक संरचना सुविधाओं जैसे, जल का प्रावधान, सफाई, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, आश्रयस्थल उन्नयन आदि में सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय गंदी-बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 1996-97 से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) प्रदान करता आ रहा है (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता केवल राज्यों को ही आबंटित की जाती है। राज्यों के अंदर शहर/कस्बा वार आबंटन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है)। कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को किए गए वर्षवार आवंटन नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	करोड़ रुपये
1	2
1996-97	35.67

1	2
1997-98	45.73
1998-99	53.31
1999-2000	58.31

तीव्रीकृत शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, 1991 की जनगणना के अनुसार, 20,000 तक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 1999-2000 तक कुल 1173.65 लाख रु० की राशि जारी की जा चुकी है। सर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत की सफाई स्कीम के अंतर्गत, 28.2.1999 तक कुल 1163.17 लाख रु० ऋण के रूप में तथा 1220.02 लाख रु० की राशि सब्सिडी के रूप में जारी की गई है।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड का पुनरूद्धार

5742. डा० बी० बी० रमैया: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड के पुनरूद्धार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कंपनी के संबंध में भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई बाजार परिदृश्य, विनिवेश आयोग की सिफारिशें और प्रतिस्पर्धी माहौल में कंपनी की अपने आपको बनाए रखने की क्षमता जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

मालविका इस्पात संयंत्र

5743. श्री रमाकान्त यादव: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊंचापुरम, जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित गैर-सरकारी क्षेत्र का इस्पात संयंत्र मालविका को विदेश से कोयला का आयात करने हेतु लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त इस्पात संयंत्र द्वारा कितनी मात्रा में कोयला का आयात किया गया और कोयला की तुलना में कितनी मात्रा में इस्पात का उत्पादन किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त संयंत्र में उत्पादन पिछले कुछ महीनों से बंद हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आयातित कोयले का उपयोग किस ढंग से किया गया?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) निर्यात और आयात नीति 1997-2002 के अनुसार कोयले का आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा (मैसर्स मालविका स्टील लि० सहित) बिना किसी लाइसेंस और बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। अत: मैसर्स मालविका स्टील लि० को कोयले का आयात करने के लिए कोई आयात लाइसेंस दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार मालविका स्टील लि० ने कोयले का आयात नहीं किया है।

(ग) एकीकृत इस्पात संयंत्र का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। संयंत्र की कुछ इकाइयों का निर्माण किया गया है। इनमें से कुछ इकाइयों, जैसे धमन भट्टियों, का परीक्षण तौर पर प्रचालन किया जा चुका है। इस समय परीक्षण के तौर पर प्रचालन नहीं किया जा रहा है। इस्पात संयंत्र को उत्थापन कार्य पूरा होने पर चालू किया जाएगा।

(घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु उद्योग

5744. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री श्रीनिवास पाटील:

क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एम आर टी सी, बी आई एफ आर, आई डी आर ए जैसी संस्थाओं को समाप्त करने, लघु उद्योग और हथकरघा क्षेत्र की वस्तुओं का अनारक्षण करने और निजीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन संगठनों/संस्थाओं से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक अलग निकाय गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस निकाय की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) एम आर टी सी से माननीय सदस्य का अभिप्राय सम्भवत: एम आर टी पी सी आयोग है। सरकार का

वर्तमान में इसे समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आई डी आर ए से माननीय सदस्य का अभिप्राय सम्भवत: उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 (आई डी आर अधिनियम) है। वर्तमान में इसे निरस्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का सृजन रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इस बात की समीक्षा की जा रही है कि क्या अधिनियम से उसे बनाए जाने का प्रयोजन पूरा हो गया है।

केवल लघु उद्योग क्षेत्र में ही विनिर्माण की जाने वाली मदों के आरक्षण/अनारक्षण के मामले पर आरक्षण संबंधी सलाहकार समिति द्वारा निरन्तर जांच की जाती है, जिसे इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट तौर पर औद्योगिक (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 और हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित किया गया था। तथापि, केवल लघु उद्योग एवं हथकरघा क्षेत्र में ही बनाए जाने वाले उत्पादनों के आरक्षण को पूर्णत: समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लघु उद्योग और हथकरघा क्षेत्र की इकाइयां पहले से ही निजी क्षेत्र में हैं और इसलिए इनके निजीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) से (ङ) एम आर टी पी अधिनियम, 1969 की समीक्षा करने तथा एक आधुनिक प्रतियोगी विधि की सिफारिश करने के लिए एम आर टी पी सी के संबंध में एक उच्चाधिकार समिति पहले से ही विद्यमान है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के सम्बन्ध में भी समीक्षा की जा रही है, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड गठित किया गया था। चूंकि इन संगठनों से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक तन्त्र पहले ही विद्यमान है, उनके लिए एक अलग निकाय गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भारत-आस्ट्रेलिया संबंध

5745. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 2000 के "नवभारत टाइम्स" में भारत से बेहतर रिश्तों का इच्छुक है आस्ट्रेलिया शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में उल्लिखित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री एलेक्जेंडर डाउनर 21-24 मार्च, 2000 तक भारत की यात्रा पर आए। श्री डाउनर ने राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात की। वह विदेश राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव से भी मिले। बहुत से द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई।

(ग) 23 मार्च, 2000 को आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ गहन वार्ता की। दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि हमारे संबंधों पर अप्रसार के एक ही मसले का असर नहीं पड़ना चाहिए तथा 1998 में पोखरण परीक्षणों के पश्चात् भंग हुए सुरक्षा संबंधों को सिद्धान्तत: शुरू करना चाहिए। श्री मुरासोली मारन के साथ श्री डाउनर ने वाणिज्य और उद्योग संबंधी मसलों पर चर्चा की।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना को ओइसीएफ से सहायता

5746. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओइसीएफ से सहायता की अनुपलब्धता के कारण सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल बिजलीघर के लिए टर्बो-जेनरेटिंग सेटों की खरीदारी में देरी हुई है;

(ख) क्या गुजरात सरकार और सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित अन्य राज्य जापान से टर्बो जेनरेटिंग सेटों के आयात के लिए आइसीएफ से सहायता के बदले अतिरिक्त सहायता का आग्रह करते रहे हैं; और

(ग) क्या सरदार सरोवर परियोजना नदी तल बिजलीघर को अविलंब चालू किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किसी अतिरिक्त सहायता को मंजूरी प्रदान की जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकारों का संयुक्त उद्यम है, टर्बो जेनेरेटिंग सेटों के आयात के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका। टर्बो जेनेरेटर सेटों की खरीद इस परियोजना का एक हिस्सा है और इसके लिए भुगतान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य योजना से किया जाना है। राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता गाडगिल फार्मूला के फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रदान की जाती है और किसी विशिष्ट परियोजना से संबद्ध नहीं है। तथापि, टर्बो जेनेरेटिंग सेटों की खरीद मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन लिमिटेड जापान के माध्यम से की जा रही है जिन्होंने आपूर्तिकर्ता-क्रेडिट की सुविधा दी है।

[हिन्दी]

लघु औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र

5747. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों में लघु औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने के लिए कोई योजना चला रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक किन-किन स्थानों पर राज्यवार इन लघु-औजार कक्षों और प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश राज्य में लघु औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार मध्यप्रदेश के विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर और भोपाल में लघु औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने के बारे में अनुमति देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पैंशन और पैंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं। अभी किसी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) मध्यप्रदेश सरकार ने ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर और भोपाल में मिनी-टूल रूमों की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजे हैं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (क) एवं (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु क्षेत्र के लिए धनराशि

5748. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, लघु क्षेत्र के सहायतार्थ 2500 करोड़ रु० के कोष की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में विदेशों से वित्तपोषण पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पैंशन और पैंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) अति लघु क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी निधि योजना की स्थापना, सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

यूरेनियम का दोहन

5749. श्री ए० एफ० गुलाम उस्मानी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मेघालय और पूर्वोत्तर राज्यों में यूरेनियम का दोहन करने वाले एक गिरोह का भण्डाफोड़ किया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान गैर कानूनी दोहन, स्वामित्व और तस्करी के कितने मामलों का पता लगाया गया; और

(ग) क्षेत्र में यूरेनियम के दोहन के संबंध में नियंत्रक प्राधिकरण कौन सा है और उक्त मामले में अनधिकृत सौदेबाजी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पैंशन और पैंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) अक्तूबर, 1994 में मेघालय राज्य की पुलिस ने सोडियम डाई-यूरेनेट के अवैध कब्जे के एक मामले का पता लगाया था। जांच के बाद, पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ दो आरोप-पत्र संबद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में दर्ज कराए थे।

(ख) पिछले तीन वर्षों (1997, 1998 तथा 1999) के दौरान, मेघालय अथवा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा कोई मामला सरकार (परमाणु ऊर्जा विभाग) के ध्यान में नहीं लाया गया।

(ग) यूरेनियम के दोहन के लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निर्देशित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 14 के उपबंधों के अधीन लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इस समय, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, एकमात्र ऐसा संगठन है जो यूरेनियम अयस्कों के खनन, और उनसे प्राकृतिक यूरेनियम के उत्पादन/दोहन के काम में लगा हुआ है। इस समय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में यूरेनियम का कोई खनन/दोहन नहीं किया जा रहा है।

बाल गृह

5750. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक गैर सरकारी संगठन दिल्ली में और देश में अन्य स्थानों में अवैध बाल गृह चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे इन अवैध बाल गृहों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[हिन्दी]

उर्वरा शक्ति में गिरावट

5751. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक अनुसंधानों की रिपोर्ट के अनुसार रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने की वजह से भूमि की उर्वरा शक्ति दिन-प्रतिदिन घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर परम्परागत भारतीय कम्पोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कम्पोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) इस प्रकार का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने की वजह से भूमि की उर्वरकता घटी है। फसल उत्पादकता को बरकरार रखने के लिए पौध पोषक तत्वों के अकार्बनिक तथा कार्बनिक स्रोतों दोनों का उपयोग करके समेकित पोषण प्रबन्ध की सिफारिश की गई है।

(ग) और (घ) लक्षित उत्पादन स्तरों को प्राप्त करने के लिए अग्रपंक्ति प्रदर्शन कार्यक्रमों के जरिए रासायनिक उर्वरकों तथा कार्बनिकों के संयुक्त उपयोग का समर्थन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी जेलों में बंद कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार

5752. श्री मोहन रावले: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के साथ पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने संबंधी मामले को उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) पाकिस्तान की जेलों में कैद भारतीय बंदियों ने सरकार से बुरे बर्ताव तथा मौलिक सुविधाओं की कमी की शिकायत की है। सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से कौंसली पहुंच के समय इन शिकायतों को सक्षम पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ उठाया है तथा यह मांग की कि इन शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाए जाएं। तथापि, अभी तक पाकिस्तानी जेलों में भारतीय बंदियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं देखा गया है। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों के मामले में अपनी सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह मामला केवल द्विपक्षीय माध्यमों से ही उठाया है न कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सैंटर फोर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटराइजिंग

5753. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी-डैक नामक सॉफ्टवेयर संस्थान ने देश में कम्प्यूटर के माध्यम से हिन्दी शिक्षण के लिए एक नई तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने यह सॉफ्टवेयर विकसित किया है;

(घ) इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कितनी भाषाओं का शिक्षण किया जाएगा;

(ङ) क्या सरकार अथवा किसी निजी कम्पनी द्वारा इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया जाएगा; और

(च) उक्त सॉफ्टवेयर आम लोगों के प्रयोग के लिए कब तक बाजार में उपलब्ध हो जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) पुणे स्थित उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र नामक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था ने कम्प्यूटर का प्रयोग करके स्व-अध्ययन के लिए लीला-कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से भारतीय भाषाओं का अध्ययन-नामक बा सॉफ्टवेयर का विकास किया है।

(ख) सॉफ्टवेयर के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त सॉफ्टवेयर का विकास राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत किया गया।

(घ) इस समय यह सॉफ्टवेयर केवल हिन्दी भाषा के लिए है।

(ङ) और (च) लीला-हिन्दी प्रबोध सॉफ्टवेयर का विकास सी डैक द्वारा पहले ही कर लिया गया है और, सितम्बर, 1999 में राजभाषा हिन्दी स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर इसका प्रमोचन किया गया। इस सॉफ्टवेयर पैकेज का अब विपणन किया जा रहा है। उन्नत स्तर के अधिगम पैकेजों (अर्थात् प्रवीण तथा प्राज्ञ) पर कार्य चल रहा है।

विवरण

लीला-कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से भारतीय भाषाओं का अध्ययन

लीला भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए मल्टीमीडिया आधारित एक बुद्धिपरक स्व-अध्यापन सॉफ्टवेयर पैकेज है। हिन्दी के पहले चरण के स्व-अध्ययन के लिए लीला-प्रबोध विंडोज तथा डॉस परिवेश में कार्य करता है। इसमें वाक इंटरफेस जैसे प्रयोक्ता द्वारा आसानी से उपयोग की जाने वाली विशेषताएं हैं जिससे प्रयोक्ता हिन्दी पाठ, वाक्य अथवा शब्दों के मानक उच्चरण तथा स्वर-शैली सुन सकता है। बेहतर बोधगम्यता के लिए प्रत्येक वर्णनात्मक पाठ के साथ वीडियो क्लिप भी दिए गए हैं। प्रयोक्ता अपनी ध्वनि भी रिकार्ड कर सकता है और पैकेज में रिकार्ड की गई मानक ध्वनि से उसका मिलान कर सकता है। इस पैकेज का प्रयोग व्यक्तिगत सतर पर अथवा विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों में सामूहिक स्तर पर किया जा सकता है।

इस सॉफ्टवेयर पैकेज में निम्नलिखित अलग-अलग मॉड्यूल हैं:

- वर्ण - लेखन, पठन तथा शब्द निर्माण
- शब्द संग्रह - सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द तथा विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में नाम तथा पदनाम
- पाठ - व्याकरण, नए शब्दों के अभ्यास के साथ वर्णनात्मक पाठ का अध्ययन तथा स्व-मूल्यांकन परीक्षण
- ऑन-लाइन शब्दकोश - शब्दों का अर्थ तथा व्याकरण की श्रेणी

इस सॉफ्टवेयर की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार है :

- नियंत्रित एवं श्रेणीबद्ध पाठ
- देवनागरी लिपि पढ़ने तथा लिखने की सुविधा
- वाक इंटरफेस
- वाक रिकार्ड एवं मिलान सुविधा
- वर्णनात्मक पाठों के साथ वीडियो क्लिप
- सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्दों के शब्द-संग्रह
- ऑन-लाइन हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोस
- प्रत्येक पाठ के लिए व्याकरणात्मक टिप्पणी
- व्यापक परस्पर-सक्रिय अभ्यास
- स्व-मूल्यांकन एवं अंक प्रदान करना
- भारतीय रीति-रिवाजों, परम्पराओं, आदतों तथा महत्वपूर्ण स्थानों से संबंधित प्रतीक-चिह्न एवं चित्र।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध जांच

5754. कुंवर सर्वराज सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा संगठन ने अपने कैडर के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच करवा कर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की जाने वाली जांच के स्तर और की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश-राज्य-संवर्ग के अधिकारियों के "कार्य-दल" (एक्शन ग्रुप) नाम के एक दल ने उपर्युक्त संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपने द्वारा पहचाने गए तीन सर्वाधिक भ्रष्ट अधिकारियों की एक सूची राज्य-सरकार को प्रस्तुत की थी।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1969 के तहत, राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा किसी राज्य-सरकार के अधीन कार्यरत रहने के दौरान किए गए किसी कदाचारपूर्ण कृत्य के फलस्वरूप, संबंधित राज्य की सरकार ही उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करने में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी होती है। इस प्रकार, अखिल भारतीय सेवाओं की योजना के तहत, राज्य-संवर्गों के अधिकारी, संबंधित राज्य-सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं और उनके किसी कदाचार की जांच-पडताल करने के आवश्यक कदम उठाना और नियम के अनुसार उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना उसी सरकार का कार्य होता है। केन्द्र-सरकार उन्हीं मामलों को देखती है जिनमें संबंधित राज्य-सरकार, किसी अधिकारी पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा सेवा से बरखास्तगी अथवा पद से हटाए जाने की तीन भारी शास्तियों में से कोई एक शास्ति लगाया जाना प्रस्तावित करें अथवा भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 के तहत किसी अधिकारी के विरूद्ध अभियोजन की मंजूरी मांगे।

[अनुवाद]

राजदूतों की तैनाती

5755. श्री पी० एस० गढ़वी:
श्री के० येरननायडू:
डा० मंदा जगन्नाथ:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजदूतों की तैनाती के लिए निर्धारण मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या पड़ोसी देशों, विशेषतः दक्षेस देशों में तैनाती के संबंध में धांधली की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पड़ोसी देशों में तैनाती के संबंध में नियमों में संशोधन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) विदेशों में राजदूतों/हाई कमिश्नरों की नियुक्तियां कई मानदण्डों के आधार पर तय की जाती हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उनकी वरिष्ठता, कैरियर, संगत अनुभव और कार्यों तथा पद के लिए सामान्य उपयुक्तता शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व जल मंच

5756. श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में नीदरलैंड में हुई विश्व जल मंच की दूसरी बैठक में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(घ) बड़े बांधों के स्थानों से हटाए गए लोगों के पुनर्वास के मुद्दे पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है; और

(ङ) उपर्युक्त बैठक के क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) विश्व जल परिषद ने नीदरलैंड की सरकार के सहयोग से द हेग, नीदरलैंड में 17-22 मार्च, 2000 तक द्वितीय विश्व जल फोरम बैठक का आयोजन किया। एक मंत्रालयीय बैठक का भी 21 एवं 22 मार्च, 2000 को आयोजन किया गया था।

द्वितीय विश्व जल फोरम बैठक का समग्र उद्देश्य "अगली शताब्दी से संबंधित मुद्दों पर राजनीतिज्ञों, नीति-निर्माताओं तथा जनता में व्यापक स्तर पर जागरूकता पैदा करना तथा परिणामस्वरूप नीतिगत उपायों एवं निवेश को बढ़ावा देना है"।

मंत्रालयीय सम्मेलन का उद्देश्य "दृष्टिकोण एवं कार्रवाई की रूपरेखा को कार्यान्वित करने के लिए इस फोरम की जागरूकता और वचनबद्धता को ठोस राजनैतिक वचनबद्धता में बदलना था।"

(ग) इस मंच में जिन मुद्दों पर विचार किया गया उनको निम्न शीर्षों में बांटा गया है :-

(1) क्षेत्रीय प्रस्तुतीकरण: क्षेत्रीय जल दृष्टिकोणों के आधार पर बने विश्व जल दृष्टिकोण इस मंच पर प्रस्तुत किए गए हैं।

(2) जल उपयोग प्रस्तुतीकरण: जल उपयोग प्रस्तुतीकरण का उपयोग करने वाले आर्थिक और सामाजिक जीवन के निम्न क्षेत्रों पर आधारित थे :-

   (1) खाद्य और ग्रामीण विकास के लिए जल,
   (2) अन्तर्बेसिन जल हस्तान्तरण,
   (3) लोगों के लिए जल,
   (4) वर्षा जल संचयन,
   (5) प्रकृति के लिए जल,
   (6) भू जल,
   (7) राष्ट्रीय संप्रभुता और अन्तर्राष्ट्रीय जल पैनल,
   (8) जल और पर्यटन,
   (9) जल अवसंरचना का वित्त प्रबंध,

(3) मुख्य समूह:- मुख्य समूहों के अधीन गैर सरकारी संगठनों, जेन्डर और युवा समूहों तथा कंपनियों जैसे गैर-सरकारी संगठनों को स्थान दिया गया।

(4) विशेष विषय: प्रस्तुतीकरणों की इस श्रेणी में जल से संबंधित निम्नलिखित सामान्य विषयों, विचारों का समावेश था :-

   (1) जल और समय,
   (2) जल और शहरी डिजाइन,
   (3) जल और ऊर्जा,
   (4) जल उपयोग प्रबंधन,
   (5) जल और अन्तर्राष्ट्रीय कानून,
   (6) जल माडलिंग की सामाजिक-राजनीतिक बाधाएं,
   (7) जल और अर्थशास्त्र,

(8) जल और डेल्टा क्षेत्र,

(9) जल और इतिहास,

(10) जल और महानगर,

(11) जल और भूमंडलीयकरण,

(12) जल और वृहद बांध नीति,

(13) जल और राष्ट्रीय कानून,

(14) जल और स्वदेशी लोग, इत्यादि।

(घ) भारत सरकार का यह विचार था कि बड़े बांध स्थलों के विस्थापितों को उपयुक्त पुनर्स्थापना और पुनर्वास पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि पुनर्वास और पुनर्स्थापना स्थलों पर उनका जीवन स्तर जलमग्नता वाले क्षेत्र से बेहतर हो।

(ङ) उपरोक्त सम्मेलन के परिणामस्वरूप "21वीं शताब्दी में जल सुरक्षा संबंधी हेग की अनुसचिवीय उदघोषणा" की गई जिसमें जल सुरक्षा प्राप्त करने में निम्न सामने आने वाली चुनौतियां संक्षेप में इस प्रकार हैं :-

(1) जल प्रबंधन की सहभागी प्रक्रिया अपनाकर जल एवं सफाई व्यवस्था की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना,

(2) अधिक गतिशील एवं उपयोगी ढंग से विशेषकर गरीब एवं कमजोर लोगों को खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना और खाद्य उत्पादन के वास्ते जल का और अधिक न्याय संगत वितरण,

(3) दीर्घकालीन जल संसाधन प्रबंधन द्वारा पर्यावरणीय व्यवस्था को सुरक्षित करना,

(4) जल संसाधनों की हिस्सेदारी,

(5) बाढ़, सूखा, प्रदूषण एवं अन्य जल संबंधी आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना,

(6) जल का प्रबंधन ऐसा किया जाए कि उससे उसके प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक मूल्य प्रतिबिम्बित हों,

(7) बेहतर शासन सुनिश्चित करना ताकि जल संसाधन के प्रबंधन में दावा धारकों के हित एवं लोगों की भागीदारी शामिल की जा सके,

(8) ताजा जल संसाधनों की अवस्था और संबंधित पर्यावरणीय तंत्र के आवधिक पुन: आकलन के लिए यू० एन० प्रणाली की सहायता लेना और कार्यसूची 21 की समग्र मानीटरिंग के एक भाग के रूप में अर्द्धवार्षिक विश्व जल विकास रिपोर्ट में सूचना देना।

उर्वरकों पर राजसहायता

5757. श्री नरेश पुगलिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 2000 के 'द इंडियन एक्सप्रैस' में 'फारमर्स रिसीव जस्ट हाफ ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचारों के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० बी० पी० बी० के० सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उक्त समाचार एक अर्थशास्त्री द्वारा किए गए अध्ययन से संबंधित है जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यूरिया पर दी जाने वाली राजसहायता का लाभ किसानों तथा उद्योग के बीच बराबर-बंट जाता है। यह निष्कर्ष बहुत सी उन परिकल्पनाओं पर आधारित है, जो या तो अब परिवर्तित हो गई हैं अथवा अब मान्य नहीं हैं। यूरिया पर दी जाने वाली राजसहायता प्रतिधारण मूल्य तथा अधिकतम खुदरा मूल्य, जो सरकार सांविधिक तौर पर अधिसूचित करती है, के बीच का अन्तर होती है। अत: राजसहायता का लाभ किसानों को मिलता है। उद्योग को दी जाने वाली मान्य राजसहायता कुछ यूरिया विनिर्माता यूनिटों की गोल्ड प्लेटिंग क्षमता की सीमा तक दी है। इसका मूल्यांकन उक्त प्रयोजनार्थ गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा कराया गया है। अधिक लागत से उत्पादन करने वाली यूनिटों से स्वदेशी यूरिया की खरीद देश में नाइट्रोजन की अधिकतम आत्मनिर्भरता के विचार से की जा रही है।

भूमिगत जल

5758. श्री अधीर चौधरी:
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों की ओर से राज्यों में भूमिगत जल स्तर संवर्द्धन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सी० जी० डब्ल्यू० ए० ने गत तीन वर्ष के दौरान कोई गहन अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या सरकार ने शस्त्रागार प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन कराने हेतु राज्य सरकारों के लिए कोई निधि नियत की है; और

(च) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) केन्द्र सरकार को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार करने के वास्ते पृष्ठभूमि सामग्री के रूप में कुछ राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) इस स्कीम पर अभी परामर्श चल रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने विगत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के कुछ भागों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन किए हैं। प्रयोगों से यह पता चला है कि महाराष्ट्र के जलगांव और अमरावती जिलों में भूजल स्तर में 0.5 से 10 मीटर तक, कर्नाटक में 5 से 10 मीटर तक और दिल्ली में 4 मीटर की वृद्धि हुई है। चंडीगढ़ में छत पर 2427 घन मीटर वर्षा जल का संचयन किया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के स्वरूप नगर और गायघाट ब्लाकों के आरसेनिक प्रभावित क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययनों के लिए 38.78 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र

5759. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रीढ़ सम्बंधी चोट और अस्थि रोग सम्बंधी अशक्तताओं के लिए चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ग) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में ऐसा एक केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) जी, हां। ये केन्द्र पुनर्वास सेवाओं पर बल देने के साथ मूल-भूत प्रबंधन तथा मेरूदंड क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के देखभाल के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे। केन्द्रों की स्थापना एक केन्द्रीय रूप से प्रयोजित योजना के रूप में 90:10 के केन्द्र: राज्य के अनुपात के साथ की जाएगी। ये केन्द्र अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा पहचान की गई एजेंसी के माध्यम से चलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा उड़ीसा राज्यों में केन्द्रों को स्थापित करना प्रस्तावित है। महाराष्ट्र में ऐसा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक रूग्णता

5760. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मजदूर संघों तथा अन्य मंत्रालयों के साथ औद्योगिक रूग्णता के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर रही है;

(ख) सरकार ने किस सीमा तक क्षेत्र-वार रूग्णता की जांच की है;

(ग) क्या सरकार ने बीड़ी क्षेत्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी को अनदेखा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीड़ी क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) सरकार ने 10 अप्रैल, 2000 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 36वें सत्र में औद्योगिक रूग्णता के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया था। इस सत्र के दौरान औद्योगिक रूग्णता से प्रभावित भिन्न-भिन्न उद्योगों/क्षेत्रों पर भी विचार-विमर्श किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक आधार पर आंकड़ों का समेकन और लघु उद्योग और गैर-लघु उद्योगों में औद्योगिक रूग्णता की जांच करता रहा है।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार 1989-90 से बीड़ी क्षेत्र में, रोजगार में लगातार वृद्धि हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बीड़ी क्षेत्र को उत्पाद शुल्क पर छूट/रियायत सिगरेट निर्माण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ॰ डी॰ आई॰), इत्यादि पर नीति तैयार करते समय सरकार बीड़ी क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाती रही है।

बीड़ी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी

5761. **श्रीमती कैलाशो देवी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीड़ी कामगारों के लिये न्यूनतम मजदूरी से संबंधित श्रम अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को संशोधित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस विधान को संसद में कब तक लाए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) श्रम ब्यूरो, अनुसंधान संबंधी अध्ययनों को पूर्ण करने एवं आंकड़े प्रदान करने और

श्रम संबंधी मामलों में सर्वेक्षण करने के लिए सर्वोच्च संगठन है। यह देश के विभिन्न भागों में, अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन का विधिवत मूल्यांकन अध्ययन कर रहा है। बीड़ी उद्योग में, उत्तर प्रदेश (1990), महाराष्ट्र (1991), आन्ध्र प्रदेश (1995) और कर्नाटक (1997) में अध्ययन हो चुका है। इन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर रही है।

(ख) और (ग) सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ शासित प्रशासनों के परामर्श से कतिपय संशोधन प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी करने में लगी है। इन पर अभी हाल ही में 13.4.2000 को सम्पन्न हुई राज्य श्रम सचिवों की बैठक में चर्चा हुई थी। तथापि, प्रक्रियाओं/अन्तर्ग्रस्त कदमों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल, संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए निश्चित समय बतापाना सम्भव नहीं है।

महिला कर्मचारियों का उत्पीड़न

5762. श्री अन्नासाहेब एम॰के॰ पाटील:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई स्थित जापान के महावाणिज्य दूतावास में महिला कर्मियों के उत्पीड़न की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वस्तुस्थिति क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में एफ॰पी॰ प्रशिक्षण केन्द्र

5763. **श्री ए॰ कृष्णास्वामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार, स्थानवार विशेषकर तमिलनाडु में कितने खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए;

(ख) तमिलनाडु में कितने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी गई ;

(ग) क्या सभी प्रशिक्षण केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं; और

(घ) प्रशिक्षण केन्द्रों की उपयोगिता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) ग्रामीण इलाकों में जनशक्ति के विकास संबंधी स्कीम को 1992-93 में लागू करने से लेकर अब तक इस विभाग द्वारा 1999-2000 तक 325 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। इनमें से 33 तमिलनाडु में हैं।

स्थान समेत इन केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) किसी राज्य नोडल एजेंसी या किसी अन्य निकाय से कोई विपरीत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र संबंधी इस स्कीम से एक लघु प्रसंस्करण यूनिट को चलाने और उसके प्रबंधन का व्यवहारिक अनुभव मिलता है। प्रशिक्षुण बुक कीपिंग, निर्माण, गुणवत्ता परीक्षण और उत्पादों के विपणन संबंधी विभिन्न कार्यों में भाग लेते हैं।

विवरण

1992-93 से 1999-2000 के दौरान केन्द्रों द्वारा सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त खा॰ प्र॰ तथा प्रशिक्षण केंद्रों की सं॰	स्थान
1	2	3	4
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	डिगलीपुर (उत्तरी अंडमान)
2.	आंध्र प्रदेश	5	हैदराबाद, जडचेरला (जिला महबूबनगर), गांधीनगर (हैदराबाद), करीमनगर, नगरकुरनूल (जिला महबूबनगर)
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	जिला पश्चिमी सियांग
4.	असम	25	उलूबारी (जिला गुवाहाटी), नौगांव, जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया, सिल्चर, कोकराझार, मंगलदोई, बोंडा, चन्द्रपुर, बगीचा (जिला कामरूप), तेजपुर, जगी रोड, नालबाड़ी, रांगिया, धुबरी, हाउली (जिला बेरपेट), बेलटोला (सेजनगर,

1	2	3	4
			जिला गुवाहाटी) मजगांव (जिला नवगांव) तापाटोली (जिला कामरूप), सोनापुर (जिला कामरूप), चमटा (जि॰ नलबारी), मोरीगांव, मंगलदोई (जि॰ दर्रांगा) खकपारा या जलुकबाडी
5.	बिहार	27	बारियातु, अंगारा, गोत्रा, तोरपा, दुमका, गुमला, साहिबगंज तोरपा, सुम्बाई (जि॰ बंदगांव) बारद्वारी (जि॰ जमशेदपुर), चांदिल (जि॰ पूर्वी सिंहभूम), भांद्रा (जि॰ लोहारडगा), चक्रधरपुर (जि॰ पश्चिमी सिंहभूम), आसनसोल (जि॰ डुमका), दानापुर रोड (जि॰ पटना), रामगढ़ कैंट दानापुर, देवघर, सुतिहार-नवादा (जि सारन-छपरा), आरा का जयप्रकाश नगर (जि॰ भोजपुर), तिताउथर (जि॰ रोहतास), रघुनाथपुर का सिरीधरनगर (जि॰ मुजफ्फरपुर), बख्तियारपुर (जि॰ पटना), नायाटोला (जि॰ पटना), गुलजारबाग (जि॰ पटना), बेहाट
6.	दिल्ली	7	दिल्ली कैंट, बुराडी (दिल्ली का उत्तरी जि॰), हस्तसाल (प॰ दिल्ली), बपरौला (प॰ दिल्ली) पडपडगंज (पूर्वी दिल्ली), कंझावला (उ॰ दिल्ली), लाडपुर (जि॰ उ॰ दिल्ली)
7.	गुजरात	3	गंडवी, जूनागढ़, बरदोलाई (जि॰ सूरत)
8.	हरियाणा	9	करनाल, मुरथल (जि॰ सोनीपत), ताडरू (गुडगांव), अम्बाला, सिरसा, नारनौल, सोनीपत, भुवनेश्वरी (जि॰ गुडगांव), फारूखनगर (जि॰ गुडगांव)
9.	हिमाचल प्रदेश	7	शोगी, कतरैल (जि॰ कूल्लू), कल्पा (जि॰ किन्नौर), फागु (जि॰ शिमला सुबापू (शिमला हिल्स), तारादेवी, उदयपुर (जि॰ चम्बा)
10.	जम्मू और कश्मीर	8	कठुआ, कुपवाड़ा, श्रीनगर, रजौरी, अनंतनाग, फुलवामा, प॰ उदयवाला (जम्मू शहर), शालीमार कैम्पस।
11.	कर्नाटक	11	हब्बल, हलकोटी (जि॰ धारवाड़) गुलवर्गी, बिदार, गोनीकोप्पल (जि॰ कुर्ग), मुदीगेरे (जि॰ चिकमगलूर) आरभावी (जि॰ बेलगांव), बेलगांव, बंगलौर का कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हुदली (जि॰ बेलगांव) बेलगांव
12.	केरल	6	वेल्लभानी, वेल्लानीकश, अल्यूवा (जि॰ कोचीन), चंगाचैरी, नरीकुन्नी (जि॰ कोजीकोड), मट्टूटनूर (जि॰ कन्नुर)
13.	महाराष्ट्र	17	धानू, नासिक, वर्धा, लादूर, वर्ध, इंदिरानगर (लादूर), चक्कन (जि॰ पुणे), उमरी, खडगांव रोड़ (जि॰ लादूर) बम्बई विश्वविद्यालय (उपकेंद्र, रत्नागिरिथीबा पैलेस रोड रत्नागिरि) बुधोदा (जि॰ लादूर) गुलेबाड़ी (जि॰ अहमदनगर) कंधार (जि॰ नांदेड) कस्तूरबा बाडी (पुणे), अष्टविनायक नगर (जि॰ नांदेड), औरंगाबाद, बाभालेश्वर (औरंगाबाद) नंदूरबाद (जि॰ धुले)
14.	मध्य प्रदेश	5	सतपुडा, सागौर, जबलपुर, इंदौर, जबलपुर
15.	मणिपुर	3	पोरम्पट (जि॰ इम्फाल), ताऊसेम, तमई
16.	मिजोरम	6	सौरंग, लांगेट-लाई, वेरंगेटा, ख्वाहज्वल, चियांगचिप, लंगलेई
17.	मेघालय	1	शिलांग (हैप्पी वेली)
18.	नागालैंड	2	दीमापुर, कोहिमा

1	2	3	4
19.	उड़ीसा	62	नायागढ़, भुवनेश्वर, सुंदरगढ़, पुरी, किशोर नगर (कटक), नयागढ़ पोटलमपुर (गंजम), पाडालेखमुडी गजपति, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, कटक, केओंझार, बेकाला (खेनधर), नरला रोड (कालाहंडी), आश्रमगढ़ (गजपति), सबोलोंग (केंद्रपाडा), डेलांग (पुरी) ढेंकनाल, जे० एस० पुर, ढेंकनाल, कोरापुर, मयूरभंज, भापुर (जि० ढेंकनाल), ढेंकनाल, भुवनेश्वर, टिगरिआ (कटक) ढेअलासाही (कटक) सनकुमारी (जि० बालासौर), देबीशहर (जि० जाजपुर) महिमागडी (जि० ढेंकनाल), देवगांव (जि० ढेंकनाल), बारिकपुर (जि० भद्रक), सनकुमारी (जि० बालासौर), किशोर नगर (कटक), बालाशाही (जि० जगदीशपुर), जटनी (जि० खुर्दा), ओडेगांव (जि० नयागढ़), चांदीपुर (जि० बालासौर), राऊरकेला, बालीशाही, नवपाडा, (जि० कटक), गांधीनगर (जि० कोरापुर), प्रधानपाली (जि० राउरकेला), होसंगा (जि० कटक), विरासत (जि० ढेंकनाल), नीलगिरि (जि० बालासौर), वैधकेतनी (जि० ढेंकनाल), अनकोली बरहमपुर (जि० गंजम), बोरिदा कवि सूर्यनगर (जि० गंजम), कान्यू जमपोशी (जि० जाजपुर) सुकिंडा अरूहन, चिरौली (जि० ढेंकनाल), बेलापाडा-पटना (जि० नयागढ़), मंचेश्वर, रसूलगढ़ (जि० खुर्दा), सरिओन (जि० ढेंकनाल), रघुनाथपुर, बारीपाडा (जि० मयूरभंज) छतरपुर (जि० गंजम) दयाविहार कालेज, कनास (जि० पुरी) खलारी (जि० अंगुल), बालभद्रप डाकघर ढेंकनाल, बनताला (जि० अंगुल), बालीपटना (जि० खुर्दा)
20.	पंजाब	2	चोनीकलां (होशियारपुर), पटियाला
21.	राजस्थान	3	उदयपुर, भरतपुर, उदयपुर
22.	तमिलनाडु	33	तिरूपतूर, समथुवापुरम गांव (जि० पुड्डूकोट्टई), प्रलानीअप्पानगर (जि० पुड्डूकोट्टई), त्रिची, गोमबुम वेली (जि० मदुरै), वेलिंगटन (जि० नीलगिरि) ओमाचिकुलम (जि० मदुरै), तिरूमुल्लाईवायल (जि० चेंगई एम० जी० आर०), शिव-गंगल (जि० मुथ्युरामलिंगम थेवर), वर्धापल्ली (जि० कोयम्बटूर), वलायाथूर (जि० उत्तरी आरकोट अम्बेडकर जवाहरपुरम (जि० मदुरै), वेल्लूथारेड्डी (जि० विल्लूपुरम (जि० पुजहल), टी० कलुपति, मदुरै, तिरूचनगोड्डू (जि० सलेम), नल्लामनार कोट्टई (जि० डंडीगल अन्ना), टूटीकोरिन, पोन्नूथू, पन्नीमडाई गांव के पास (जि० कोयम्बटूर), रामावरम (जि० चेन्नई), विक्कीराममंगलम (जि० मदुरै), ओक्कूपट्टी (जि० शिवगंगाई), तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, कोविलंगुलम (जि० विरूदनगर), केलमबकम् (जि० काशीपुरम), के० के० नगर (जि० त्रिची) करपगम (जि० कोयम्बटूर), कृष्णा नगरी (जि० धरमपुरी), कोयम्बटूर, नटराजपुरम (जि० शिवनगरी), थानक्सडिओमबू (जि० डंडीगुल), राजापल राजापलायम
23.	त्रिपुरा	1	अगरतला
24.	उत्तर प्रदेश	67	देवरिया, इलाहाबाद, रामगढ़, रामनगर, अमेठी, हल्द्वानी, गाजीपुर, हरदोई, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, लखनऊ, शारनपुर, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, सीतापुर, पलिया (जि० अमेठी), सुलतानपुर, मधुपुर (जि० मिर्जापुर), इलिया (जि० वाराणसी), चैल (जि० इलाहाबाद), औतारपुर (जि० प्रतापगढ़), लैंसडाउन, रानीखेत, बरेली, फतेहगढ़, लखनऊ, फैजाबाद, लखनऊ, दहोलामऊ (जि० प्रतापगढ़), अशोकपुर (जि० गोंडा), फाफामहू (जि० इलाहाबाद), बैरवा (जि० सोदभद्र), लाल गोपालगंज (जि० प्रतापगढ़), तनखुईराज (जि० पदरौना), कालाकांकर (जि० प्रतापगढ़), बारी (जि० सीतापुर), सिरदौ (जि० भीमताल), लोचनगंज (जि० इलाहाबाद), गोहनिया (जि० इलाहाबाद), आर्दशनगर (जि० उन्नाव), कापसेथी (जि० बनारस), कोधिआरा (जि० इलाहाबाद), प्रतापगढ़,

1	2	3	4
			रायबरेली, मऊ (जि॰ शानोजी), आश्रम बिहार (जि॰ प्रतापगढ़), देवकाली (जि॰ फैजाबाद), जमालपुर (जि॰ सुल्तानपुर), देदौर (जि॰ रायबरेली), हलद्वानी, वाराणसी, लखनऊ, साओरा-भरासा (जि॰ लखनऊ), रायबरेली, विकासपुरम (जि॰ फैजाबाद), मोहदपुर, मलीहाबाद (जि॰ लखनऊ), सदरपुर-सादत (जि॰ गाजीपुर), लोरहन (जि॰ वाराणसी), बीर-काजी, फूलपुर (जि॰ इलाहाबाद), गुलेरिया; अमरोहा (जि॰ ज्योतिबा फुले नगर), हल्दिया (जि॰ इलाहाबाद), लकावली (जि॰ आगरा), भोपरा (जि॰ मुजफ्फरनगर)
25.	प॰ बंगाल	13	बरूईपुर (जि॰ दाक्षिणी 24 परगना), मालदा, हावड़ा, बर्दवान, हद्दूबा ग्राम (जि॰ उत्तरी 24 परगना), झारग्राम, बेलपहाडी दाक्षिणी 24 परगना इच्छपुर, कल्याण, विवेकानंद नगर (जि॰ पुरूलिया), कलगढ़छिया (जि॰ दाक्षिणी 24 परगना), सूजापुर (जि॰ मालदा), कृष्णानगर (जि॰ सियालदाह)
	कुल	325	

खाड़ी के भारतीय मिशनों को मजबूत बनाना

5764. श्री के॰ फ्रांसिस जार्ज: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरब की खाड़ी में भारतीय मिशनों पर काम का बोझ कई गुना बढ़ चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मिशनों को सुदृढ़ करने हेतु इन्हें पर्याप्त कर्मचारी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार रियाध स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दाह स्थित कांस्यूलर कार्यालय में काम के भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए दम्माम में एक अतिरिक्त कांस्यूलर खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) पिछले वर्षों के दौरान खाड़ी में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या में वृद्धि, द्विपक्षीय व्यापार सेवाओं में वृद्धि तथा बेहतर राजनैतिक संपर्कों के कारण खाड़ी स्थित मिशनों में हमारे कार्य में वृद्धि हुई है।

विदेश स्थित हमारे सभी मिशनों में कर्मचारियों की संख्या की सतत रूप से समीक्षा की जाती है; इसका मूल्यांकन व्यावसायिक स्तर से किया जाता है।

(ग) और (घ) सउदी अरब की सरकार ने अभी तक दम्माम में कौंसलावास खोले जाने पर सहमति व्यक्त नहीं की है। तथापि इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के लोगों को पासपोर्ट से संबंधित और अन्य कौंसली सेवाएं प्रदान करने के लिए रियाद स्थित हमारा मिशन प्रत्येक सप्ताह कौंसली दल दम्माम भेजता है।

[हिंदी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

5765. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश में, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में कुल कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां है;

(ख) उन सरकारी एजेंसियों/स्वैच्छिक संगठनों की संख्या कितनी है जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर के किसी जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जोकि संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र में हैं, की राज्यवार संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। फिर भी उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण (1997-98) के अनुसार देश में फैक्टरी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या 31,415 थी। इनमें से जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 81 यूनिटें हैं।

कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू एवं कश्मीर ने पिछले 3 वर्षों के दौरान 2 खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान की है। श्रीनगर में एक फल रस सांद्रण संयत्र की स्थापना के वास्ते भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग किसी राज्य में स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना नहीं करता। वैसे विभाग खाद्य प्रसंस्करण

उद्योगों के संवर्धन, विकास एवं वृद्धि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

सिडबी का निष्पादन

5766. श्री अनंत गुढे : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानक निष्पादन आकलन मानदंडों के अनुसार 31 मार्च, 2000 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की भूमिका और निष्पादन की समीक्षा की है:

(ख) यदि हां, तो राज्यवार (विशेषकर महाराष्ट्र में) और वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में कितनी लघु उद्योग इकाइयों का पंजीकरण किया गया, इनमें कितना रोजगार उपलब्ध कराया गया, कितना निवेश हुआ, उत्पादन की अनुमानित लागत क्या रही, निर्यात संबंधी स्थिति क्या थी, रूग्ण/बंद इकाइयों की संख्या क्या थी और कितनी पूंजी इसमें फंसी रही; और

(घ) महाराष्ट्र में लघु उद्योग क्षेत्र के पुनरूद्धार और संवर्धन में "सिडबी" की क्या भूमिका है, चालू वर्ष में क्या उपलब्धियां रहीं और चालू वर्ष तथा अगले पांच वर्षों के लिए क्या कार्य योजना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30(5) की शर्तों के अनुसार, सिडबी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखे प्रति वर्ष सदन के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों सदनों (छठी लोकसभा) के पटल पर रखे गए कागजातों पर संसदीय समिति की द्वितीय रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के अनुसार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की कार्यपद्धति पर इसके उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की मुख्य विशेषताओं की "समीक्षा" भी दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान सिडबी का निष्पादन निम्नलिखित है :-

(करोड़ रुपये)

मद	1997-98	1998-99
1	2	3
स्वीकृतियां	7,484	8,830
संवितरण	5,241	6,235
आय	1,409	1,579
लाभ	405	450
निवल मूल्य	2,029	2,359
पोर्टफोलियो आकार	12,862	14,209
मानक परिसम्पत्तियों(%)	95.9	96.9

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान सिडबी सहायता का महाराष्ट्र सहित राजवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में स्थायी लघु पंजीकृत इकाइयों की संख्या 153826 तथा अस्थायी रूप से पंजीकृत इकाइयों की संख्या 139665 है। स्थायी पंजीकृत इकाइयों में 21,80,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। किया गया निवेश रू० 23,116 करोड़ है। भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 1999 तक रूग्ण इकाइयों की संख्या 13,373 है, जिनमें रू० 510,40 करोड़ का ऋण फंसा हुआ है। उत्पादन निर्यात लागत के आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं।

(घ) लघु उद्योग इकाइयों के संवर्धन करने की दृष्टि से सिडबी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तपोषण योजनाओं के माध्यम से नई परियोजनाओं को स्थापना करने, आधुनिकीकरण और विद्यमान इकाइयों का विविधीकरण, लघु उद्योग उत्पादनों का विपणन करने, कार्यक्षम जीवनक्षम रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों का पुनर्वास करने, निर्यात संवर्धन करने, आदि के लिए लघु क्षेत्र को वित्तीय सहायता देता है। सिडबी ने 31 मार्च, 1999 तक पी एच आईज को पुनर्वित पुनर्वास द्वारा 1185 रूग्ण इकाइयों को क्रमश: रू० 58.33 करोड़ और रू० 29.98 करोड़ स्वीकृत एवं संवितरित किए। सिडबी द्वारा महाराष्ट्र में दी गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्वीकृतियां	संवितरण
1990-96	3469.34	2627.59
1996-97	1144.08	708.49
1997-98	1176.82	835.71
1998-99	849.77	827.82
1990-99 (संचित)	6640.01	4999.61

कार्यान्वित किए जा रहे सभी संवर्धनात्मक और विकास संबंधी क्रियाकलाप समय-समय पर निष्पादन और आवश्यकताओं के आधार पर समीक्षा किए जाने की शर्त के अधीन अगले पांच वर्षों में भी चालू रहेंगे।

विवरण

सिडबी द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान स्वीकृत एवं संवितरित राज्यवार सहायता

(रु० करोड़ में)

राज्य	1996-97		1997-98		1998-99	
	स्वीकृत	संवितरण	स्वीकृत	संवितरण	स्वीकृत	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7
			(ए) पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	92.93	78.38	105.69	97.69	95.86	78.72
उड़ीसा	100.29	67.08	159.78	124.06	169.47	116.54
सिक्किम	2.57	2.55	2.04	2.01	6.58	6.14
प० बंगाल	196.47	165.29	309.22	219.09	314.58	208.66
अंडमान निकोबार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	0.08
उप योग (ए)	392.26	313.30	576.73	442.85	586.57	410.14
			पूर्वोत्तर क्षेत्र (बी)			
अरूणाचल प्रदेश	0.83	0.91	1.48	1.67	1.49	1.47
आसाम	10.10	6.86	17.34	10.06	8.19	9.65
मणिपुर	2.12	2.09	2.53	2.42	3.69	0.68
मेघालय	8.64	4.36	5.0	6.56	5.07	2.94
मिजोरम	0.94	0.93	0.7	0.7	0.98	0.98
नागालैंड	1.42	1.24	1.54	1.52	1.46	1.42
त्रिपुरा	4.82	4.78	4.07	3.83	3.99	3.80
उप योग (बी)	28.87	21.17	32.66	26.76	24.87	20.94
			(सी) उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा	452.88	302.89	472.05	288.39	378.09	324.70
हिमाचल प्रदेश	36.10	29.55	54.48	34.05	40.74	40.74
जम्मू एवं काश्मीर	10.88	9.92	16.83	12.90	20.20	16.84
पंजाब	190.08	129.95	218.84	176.74	237.99	153.97
राजस्थान	190.15	146.58	315.62	225.49	192.03	161.59
उत्तरप्रदेश	455.41	319.75	525.43	375.18	293.19	292.12
चंडीगढ़	9.18	5.35	8.81	5.12	4.62	2.66
दिल्ली	395.27	253.23	526.37	289.86	186.53	190.37
उप योग (सी)	1729.95	1197.22	2138.43	1407.73	1353.39	1182.99

1	2	3	4	5	6	7
			(डी) पश्चिमी क्षेत्र			
गोवा	85.33	41.62	107.51	89.64	111.44	97.95
गुजरात	624.52	372.71	816.82	589.75	679.46	423.03
मध्यप्रदेश	169.53	136.86	193.90	154.24	243.37	194.14
महाराष्ट्र	1144.08	708.49	1176.82	835.71	849.77	827.82
दादर एवं नगर हवेली	6.43	2.03	28.73	20.82	15.74	16.13
दमन एवं द्वीप	6.33	1.69	4.04	3.80	0.24	0.73
उप योग (डी)	2036.22	1263.40	2327.82	1693.96	1900.02	1559.80
			(ई) दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	316.81	228.97	362.70	252.63	174.80	160.68
कर्नाटक	673.26	552.82	567.11	388.03	468.38	376.82
केरल	320.99	258.22	391.53	291.10	348.13	205.11
तमिलनाडु	894.35	689.09	935.81	657.70	535.45	364.00
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पांडिचेरी	12.0	6.12	8.13	7.33	7.08	4.39
उप योग (ई)	2217.41	1735.22	2265.28	1596.79	1533.84	1111.00
योग (ए+बी+सी+डी+ई)	6404.71	4530.31	7340.92	5168.09	5398.69	4284.87
फैक्टरींग	60.00	44.00	70.00	59.00	132.00	118.00
एलओसी टू अदर इन्सीट्यूशन्स	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	425.00
एलओसी फार ओटीसीईआई ऑपरेशन्स	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
एनएस आई सी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वैन्चर कैपिटल टू इन्सीच्यूशन्स	7.00	3.34	58.00	7.42	44.50	12.24
कन्ट्रीब्यूशन टू वीसीएफ-एनएफएसआईटी	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
असिस्टैंट अंडर पी एंड डी	13.61	6.79	15.24	6.19	23.65	9.39
एलटीएच टू बैंकर्स	0.00	0.00	0.00	0.00	2541.00	1435.67
एलओसी टू आरटीडीएम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	6485.32	4584.69	7484.16	5240.70	8879.84	6285.17

साभार: एस आई डी बी आई

उप-लेखा कार्यालय

5767. श्री पी॰डी॰ एलानगोवन: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) भारत में कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन के लेखा कार्यालय का ब्यौरा क्या है और वे कर्मचारी भविष्य निधि और भविष्य निधि के रूप में कुल कितनी राशि जमा करते हैं;

(ख) क्या सरकार की योजना देश में कर्मचारी भविष्य निधि और भविष्य निधि के लिए और उप-लेखा कार्यालय शुरू करने की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा है; और

(घ) तमिलनाडु स्थित कर्मचारी भविष्य निधि और पी॰ एफ॰ के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है और राज्य में कर्मचारी भविष्य निधि और पी॰ एफ॰ के विभिन्न लेखा कार्यालय और उप-लेखा कार्यालायों के माध्यम से कितनी आय सृजित की गई तथा राज्य में इल कार्यालयों में प्रत्येक में अंशदाताओं की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) इस समय देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 17 क्षेत्रीय, 66 उप-क्षेत्रीय और 20 उप-लेखा कार्यालय कार्य कर रहे हैं। 1998-99 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत भुगतेय योगदानों के रूप में क॰ भ॰ नि॰ संगठन को 7795.54 करोड़ रु॰ प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) गंगटोक में सिक्किम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) तमिलनाडु में क॰ भ॰ नि॰ कार्यालायों और अंशदाताओं की संख्या की स्थिति कार्यालयवार निम्नानुसार है :-

कार्यालय का नाम	अंशदाताओं की संख्या
क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	10,91,367
उप-क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर	3,78,576
उप-क्षेत्रीय कार्यालय, मदुराई	4,05,315
उप-क्षेत्रीय कार्यालय, त्रिची	2,60,837
उप-क्षेत्रीय कार्यालय, तिरूनेलवेली	5,25,044
उप-क्षेत्रीय कार्यालय, सलेम	2,19,809
उप-क्षेत्रीय कार्यालय, वेल्लूर	1,99,974
उप-लेखा कार्यालय, अम्बेटूर	2,25,958
उप-लेखा कार्यालय, तम्बराम	2,68,443

तमिलनाडु तथा पांडिचेरी में प्रशासनिक राजस्व में आय के रूप में 36.24 करोड़ रु॰ की वसूली की गई थी।

पेस्ट प्रबंधन केन्द्र

5768. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में कितने केन्द्रीय समन्वित पेस्ट प्रबंधन केन्द्र हैं;

(ख) इन केन्द्रों की गतिविधियां क्या हैं;

(ग) क्या इन केन्द्रों की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु सरकार की कोई निगरानी व्यवस्था है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाले ऐसे और केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ बी॰ पी॰ बी॰ के॰ सत्यनारायण राव): (क) 21 राज्यों तथा एक केन्द्र शासित प्रदेश में 26 केन्द्रीय एकीकृत कीट प्रबंध केन्द्र हैं। इनकी स्थिति का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) उक्त केन्द्र पूर्व चेतावनी हेतु मानीटरन एवं निगरानी, फसल कीटों के जैविकीय नियंत्रण एवं विस्तार कर्मचारियों हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से तथा किसानों के लिए फार्मर्स फील्ड स्कूलों के माध्यम से समेकित कीट प्रबंध को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने इन केन्द्रों की गतिविधियों के मानीटरन के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। इसमें मासिक वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों सहित वार्षिक कार्य योजना शामिल है। सभी केन्द्रीय एकीकृत कीट प्रबंध केन्द्रों से साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होती है जिनकी समीक्षा की जाती है। पौध संरक्षण संबंधी क्षेत्रीय सम्मेलनों तथा खरीफ तथा रबी अभियानों हेतु राष्ट्रीय कृषि सम्मेलनों के दौरान समेकित कीट प्रबंध संबंधी प्रगति एवं बाधाओं आदि पर विचार-विमर्श/उनकी समीक्षा की जाती है।

(ङ) एकीकृत कीट प्रबंध केन्द्र और अधिक संख्या में स्थापित करने के संबंध में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय एकीकृत कीट प्रबंध केन्द्रों की स्थिति

क्र॰सं॰	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	स्थिति
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1 हैदराबाद 2 विजयवाड़ा
2.	असम	3 गुवाहाटी
3.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4 पोर्ट ब्लेयर

1	2	3
4.	बिहार	5 पटना
5.	गोवा	6 मड्गांव
6.	गुजरात	7 बड़ौदा
7.	हरियाणा	8 फरीदाबाद
8.	हिमाचल प्रदेश	9 सोलन
9.	जम्मू एवं कश्मीर	10 जम्मू 11 श्रीनगर
10.	कर्नाटक	12 बंगलौर
11.	केरल	13 एर्नाकुलम
12.	मध्य प्रदेश	14 इन्दौर 15 रामपुर
13.	महाराष्ट्र	16 नागपुर
14.	मिजोरम	17 आईजोल
15.	नागालैंड	18 दिमापुर
16.	उड़ीसा	19 भुवनेश्वर
17.	पंजाब	20 जलंधर
18.	राजस्थान	21 श्रीगंगानगर
19.	सिक्किम	22 गंगटोक
20.	तमिलनाडु	23 त्रिचि
21.	उत्तर प्रदेश	24 गोरखपुर 25 लखनऊ
22.	पश्चिम बंगाल	26 बर्दवान

सूचना के क्षेत्र में समझौता

5769. डॉ अशोक पटेल:
श्री वाई॰एस॰ विवेकानन्द रेड्डी:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति:
श्री जय प्रकाश:
श्री आर॰एस॰ पाटिल:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने सूचना के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और ई-कामर्स और इंटरनेट एप्लीकेशंस में निवेश उपलब्ध कराने के लिए अन्य देशों के साथ समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार प्रत्येक देश के साथ हस्ताक्षर किए गए/हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समझौतों से भारत को किस सीमा तक लाभ पहुंचेगा;

(घ) क्या किसी अन्य देश ने इस उद्देश्य हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों के लिए विदेशी अर्जन मापदंडों में छूट देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) अगले तीन वर्षों के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में क्या उपलब्धियां होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रूस, मिस्र, बुल्गारिया, वियतनाम, सिंगापुर, हांग-कांग, मारीशस तथा आयरलैंड की सरकारों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्र के लिए समझौता-पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ई-वाणिज्य तथा इंटरनेट अनुप्रयोग शामिल हैं।

(ग) इन समझौता-पत्रों से द्विपक्षीय सहयोग तथा हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आने की संभावना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सरकार सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करने के बाद इस मामले की समय-समय पर समीक्षा करती है।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) इस संबंध में किसी विशिष्ट लक्ष्य की परिकल्पना नहीं की गई है।

[हिन्दी]

रबी फसलों का उत्पादन

5770. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान रबी की फसल से अनुमानत: कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ है तथा चालू वर्ष के दौरान अनुमानत: कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन होगा;

(ख) राज्यवार अनुमानत: कितना आबंटन होगा तथा उसकी राज्यवार मांग कितनी होगी; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ बी॰ पी॰ बी॰ के॰ सत्यनारायण राव): (क) वर्तमान रबी फसलों से खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन निम्नलिखित हैं:-

(मिलियन मी॰ टन)

फसल	रबी	1999-2000 के लिए कुल
चावल	11.36	88.55
गेहूं	70.10	70.10
मोटे अनाज	7.24	29.36
दलहन	8.60	13.55
कुल खाद्यान्न	97.30	201.56

(ख) और (ग) जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की शुरूआत के साथ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन इस तरह निर्धारित किया गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 10 कि॰ ग्रा॰ खाद्यान्न दिया जा सके। 1 अप्रैल, 2000 से इस मात्रा को 10 कि॰ ग्रा॰ से दुगुना कर 20 कि॰ ग्रा॰ प्रति परिवार प्रतिमाह कर दिया गया है। टीडीपीएस के तहत गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए भी अस्थायी आबंटन किया है, जो पिछले 10 वर्षों के खाद्यान्नों के औसत वार्षिक उत्थापन तथा राज्यों के बीपीएल कोटा के बीच भिन्नता के बराबर है। चावल और गेहूँ खाद्यान्नों के बीपीएल और एपीएल कोटा का विभाजन राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।

1 अप्रैल, 2000 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग पर विचार करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आबंटन किया है, जो मितव्ययी मूल्य पर केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अप्रैल माह के लिए खाद्यान्नों का राज्यवार आबंटन विवरण में है।

विवरण

अप्रैल, 2000 के लिए टी.पी.डी.एस. के तहत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चावल और गेहूं के आबंटन से संबंधित विवरण

('000 मी॰ टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल बी.पी. एल.	चावल ए.पी. एल.	चावल उप योग	चावल अति- रिक्त	चावल योग	गेहूं बी.पी. एल.	गेहूं ए.पी. एल.	गेहूं उप योग	गेहूं अति- रिक्त	गेहूं योग	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	75.56	163.92	229.48		229.48	0.00	8.00	8.00		8.00	237.48
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.40	6.86	7.26		7.26	0.14	0.53	0.67		0.67	7.93
3.	असम	38.12	25.94	64.06		64.06	0.00	10.30	10.30		10.30	74.36
4.	बिहार	68.72	7.92	76.64		76.64	103.08	11.88	114.96		114.96	191.60
5.	दिल्ली	0.00	13.61	13.61		13.61	0.00	42.64	42.64		42.64	56.25
6.	गोआ	0.52	3.57	4.09		4.09	0.24	1.69	1.93		1.93	6.02
7.	गुजरात	16.00	18.00	34.00		34.00	24.00	29.60	53.50		53.50	87.50
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00		0.00	14.66	0.72	15.38		15.38	15.38
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	5.23	5.23		5.23	8.52	3.20	11.72		11.72	16.95
10.	जम्मू व कश्मीर	9.40	12.51	21.91		21.91	2.96	7.36	10.32		10.32	32.23
11.	कर्नाटक	46.00	37.00	83.00		83.00	11.50	9.25	20.75		20.75	103.75
12.	केरल	30.70	114.32	145.32		145.32	0.00	37.72	37.72		37.72	183.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	मध्य प्रदेश	48.00	10.35	58.35		58.35	58.68	12.65	71.33		71.33	129.68
14.	महाराष्ट्र	42.32	22.38	64.70		64.70	78.60	41.38	119.98		119.98	184.68
15.	मणिपुर	2.60	2.86	5.46		5.46	0.00	1.71	1.71		1.71	7.17
16.	मेघालय	2.86	9.63	12.39	6.34@	18.73	0.00	1.00	1.00		1.00	19.73
17.	मिजोरम	1.06	6.81	7.87		7.87	0.00	1.01	1.01		1.01	8.38
18.	नागालैंड	1.54	8.63	10.17		10.17	0.38	1.54	1.92		1.92	12.09
19.	उड़ीसा	63.64	3.72	67.36		67.36	0.00	0.00	0.00		0.00	67.36
20.	पंजाब	1.36	0.28	1.64		1.64	7.24	1.51	8.75		8.75	10.39
21.	राजस्थान	0.50	0.78	1.28		1.28	42.90	32.68	75.58		75.58	76.86
22.	सिक्किम	0.68	2.97	3.65	4.00@	7.65	0.00	0.10	0.10		0.10	7.75
23.	तमिलनाडु	91.58	38.44	130.02		130.02	0.00	0.00	0.00		0.00	130.02
24.	त्रिपुरा	4.62	9.12	13.74		13.74	0.00	1.28	1.28		1.28	15.02
25.	उत्तर प्रदेश	63.00	11.20	74.20		74.20	128.00	22.17	150.17		150.17	224.37
26.	पश्चिम बंगाल	44.14	10.73	54.87		54.87	47.30	64.70	112.00		112.00	166.87
27.	अंडमान एवं निको. द्वीप समूह	0.30	2.35	2.65		2.65	0.14	0.68	0.82		0.82	3.47
28.	चण्डीगढ़	0.04	0.17	0.21		0.21	0.32	0.97	1.29		1.29	1.50
29.	दादर व नगर हवेली	0.24	0.18	0.42		0.42	0.06	0.06	0.11		0.11	0.53
30.	दमन और दीव	0.04	0.11	0.15		0.15	0.02	0.04	0.06		0.06	0.21
31.	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.55	0.55		0.55	0.00	0.04	0.04		0.04	0.59
32.	पांडिचेरी	1.30	0.29	1.59	1.00@	2.59	0.00	0.02	0.02	0.50	0.52	3.11
	कुल	656.24	530.63	1195.87	11.34	1207.21	528.74	346.32	875.06	0.50	875.56	2082.76
	सी आर पी/बी एस एफ/आई टी बी पी		1.69	1.69		1.69	—	2.86	2.86		2.86	4.54
	रक्षा		10.41	10.41		10.41	—	12.09	12.09		12.09	22.50
	भुटान		1.85	1.85		1.85	—	1.70	1.70		1.70	3.55
	सर्व योग (अखिल भारत)	656.24	553.68	1209.82	11.34	1221.16	528.74	362.96	391.69	0.50	892.19	2113.35

*इन दो राज्यों के लिए आबंटन वार्षिक रूप से किया जाता है।

—रक्षा सेवाओं के वार्षिक कोटा का आबंटन पहले ही कर दिया गया है। अप्रैल, 2000 के लिए आबंटनों को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है। अप्रैल, 2000 के लिए किए गए अतिरिक्त आबंटनों को वापिस लिया जाता है।

@मेघालय, सिक्किम तथा पांडिचेरी को आबंटन मितव्ययी मूल्यों पर किए गए।

[अनुवाद]

उच्च प्रौद्योगिकी वाले कम्प्यूटर का आयात

5771. श्री सुन्दरलाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारत से उच्च प्रौद्योगिकी वाले कम्प्यूटर के आयात पर नियंत्रण में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर इस क्षेत्र में अमरीकी बाजार के दोहन के लिए कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत से उच्च प्रौद्योगिकी वाले कम्प्यूटर का आयात करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) विद्युत, दूरसंचार, वित्त/पूंजी बाजार, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों तथा अन्य सरकारी क्षेत्रों आदि में उन्नत अभिकलन समाधान को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, सुदूर पूर्व तथा यूरोप की बाजारों/ग्राहकों का लाभ उठाने के उद्देश्य से सी-डेक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विदेश कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है।

कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना

5772. श्री पवन कुमार बंसल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना हेतु कितनी और किस रूप में विश्व बैंक सहायता दी गई है;

(ख) परियोजना को पूरा करने हेतु कार्यक्रम और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) श्रमशक्ति के प्रशिक्षण हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इस परियोजनार्थ परामर्शदाताओं के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और योग्यता और अनुभव नियत किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना की कुल लागत 239.7 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक का योगदान कुल लागत का 82 प्रतिशत (196.8 मिलियन अमेरिकी डालर) होगा जबकि भारत सरकार का अंशदान 18 प्रतिशत (42.9 मिलियन अमेरिकी डालर) होगा। बैंक की कुल सहायता में एस डी आर 73.8 मिलियन डालर (100.00 मिलियन अमेरिकी डालर के समकक्ष) का आई डी ए ऋण और आई बी आर डी ऋण के रूप में सामान्य ब्याज दर पर 96.8 मिलियन अमेरिकी डालर शामिल है।

(ख) यह परियोजना 5 वर्ष (19 नवम्बर, 1998 से) के लिए अनुमोदित की गई है। संघटकवार सटेटस (31.3.2000 को) नीचे दिया गया है :-

(1) कृषि-पारिस्थितिक प्रणाली अनुसंधान—359.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ विभिन्न मोड्स के तहत 211 अनुसंधान कार्यक्रम अनुमोदित किए गए हैं। मोडवार स्तर इस प्रकार है—उत्कृष्टता दल (सं॰ 26, 33.26 करोड़): मिशन मोड (सं॰ 26, 124.50 करोड़; उत्पादन प्रणाली अनुसंधान मोड (सं॰ 175, 183.00 करोड़); संस्थान ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और परिशोधन (सं॰ 44, 6.07 करोड़) और प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम (सं॰ 44, 12.50 करोड़)।

(2) प्रौद्योगिकी प्रसार में नवीकरण (आई टी डी), आई टी डी के भा॰ कृ॰ अ॰ प॰ संघटक के तहत 53 क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को कृषि विज्ञान केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए पहचाना गया है और मंजूरी जारी की गई है। 40 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा रा॰ कृ॰ वि॰ वि॰ में 8 विस्तार शिक्षा निदेशालय और क्षेत्रीय समन्वयन यूनिटें भी सुदृढ़ की जा रही हैं। आई टी डी के डी ए सी संघटक को छह राज्यों नामत: आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। छहों राज्यों में हरेक में ए टी एम ए स्थापित किए गए हैं। राज्य कृषि प्रबंध और विस्तार प्रशिक्षण संस्थानों को किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है। चुने हुए जिलों के लिए नीतिगत अनुसंधान और विस्तार योजनाओं को नियोजन हस्तक्षेप हेतु अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(3) संगठन तथा प्रबन्धन प्रणाली:

संगठन तथा प्रबन्धन प्रणाली में इनसे संबंधित गतिविधियां शामिल है—(1) भा॰ कृ॰ अ॰ प॰ में संगठन तथा प्रबन्ध, (2) भा॰ कृ॰ अ॰ प॰ मुख्यालय, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि पर सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय और जी आई यू-रा॰ कृ॰ प्रौ॰ प॰ को सुदृढ़ करना, (3) प्राथमिकता निर्धारण मेकेनिज्म का संस्थानीकरण, प्रबोधन तथा मूल्यांकन और (4) सूचना प्रणाली विकास जिसमें कृषि अनुसंधान सूचना सेवा एवं पुस्तकालय सूचना एवं नेटवर्क शामिल है।

(ग) आरम्भिक अवस्था में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में थोड़ी देर हो गई थी। अनुमोदित प्रशिक्षण तथा उससे संबंधित घटक जोकि

निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहे हैं, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए तेजी से प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) मानवशक्ति के प्रशिक्षण के लिए 6858 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। विदेशी परामर्शदाताओं की संख्या सीमित रखी जाती है। लागत को कम रखने हेतु विभागाध्यक्षों/प्रो० के बदले सह प्रो० स्तर के वैज्ञानिकों को महत्व दिया जाता है। सामान्यत: परामर्शदाता उसी संस्थान से चुने जाते हैं जहां से वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए जाते हैं।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र को सुविधाएं

5773. श्री चिन्मयानन्द स्वामी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को शिक्षा संबंधी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) सरकार ने मौजूदा श्रम कल्याण निधियों अर्थात् (1) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि; (2) सिने कर्मकार कल्याण निधि; (3) लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान कल्याण निधि; (4) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि; और (5) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के अन्तर्गत अनेक योजनाएं बनाई हैं जिनका उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों/अंचलों, जिनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र में हैं, में कार्यरत श्रमिकों को शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना है। योजनाओं की मुख्य विशेषताएं तथा 2000-2001 के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला संभावित बजट आकलन संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 भी अधिनियमित किए हैं जिनमें भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता तथा उनके स्वयं और उनके आश्रितों की बड़ी बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सा खर्चों के भुगतान की व्यवस्था है। इस संबंध में कल्याणकारी उपाय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाएंगे जो अधिनियम के अन्तर्गत समुचित सरकार हैं।

इसके अलावा सरकार श्रमिक शिक्षा योजना भी क्रियान्वित कर रही है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में कर्मकारों की व्यापक शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नया अभिमुखीकरण, निर्देशन और आयाम झलकता है।

विवरण

कल्याण योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि

स्वास्थ्य:

1. स्थिर-सह सचल/स्थिर एलोपैथिक और स्थिर आयुर्वेदिक औषधालय।
2. तपेदिक अस्पतालों में बिस्तर आरक्षण योजना।
3. तपेदिक से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के घर पर रहकर इलाज योजना।
4. कैंसर से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के इलाज की योजना।
5. मानसिक रोगों से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के इलाज की योजना।
6. कुष्ठ रोगों से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों (घरखाता कर्मकारों सहित) के इलाज की योजना।
7. बीड़ी कर्मकारों को चश्मों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता देना।
8. महिला बीड़ी कर्मकारों को प्रसूति लाभ योजना।
9. बीड़ी कर्मकारों की नसबंदी के लिए आर्थिक प्रतिपूर्ति के भुगतान की योजना।
10. हृदय की बीमारियों के संबंध में बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।
11. बीड़ी कर्मकारों की गुर्दा प्रत्यारोपण के संबंध में वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

शिक्षा

1. बीड़ी कर्मकारों (घरखाता बीड़ी कर्मकारों सहित) के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
2. बीड़ी कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक सेट ड्रेस, स्लेटों, कापियों और पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता हेतु कम्पोजिट योजना।
3. हाईस्कूल और उसके बाद की विश्वविद्यालय/बोर्ड की अन्तिम परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन प्रदान करना।
4. बीड़ी कर्मकारों की पुत्रियों को स्कूल में उपस्थिति के आधार पर 1/- रु० की प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि एवं अभ्रक खान श्रम कल्याण श्रम कल्याण निधि

स्वास्थ्य:

1. क्षय रोग अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।

2. मानसिक रोगों से पीड़ित खान कामगारों के उपचार हेतु योजना।

3. कुष्ठ रोग से पीड़ित खान कामगारों के उपचार हेतु योजना।

4. क्षय रोग से जीड़ित खान कामगारों के लिए घर पर उपचार योजना।

5. महिला खान कामगारों के लिए प्रसूति हितलाभ योजना।

6. कैंसर जीड़ित खान कामगारों के उपचार पर आई वास्तविक लागत राशि की प्रतिपूर्ति।

7. चश्में क्रय करने के लिए खान कामगारों को वित्तीय सहायता की स्वीकृति।

8. खान कामगारों को बंध्यकरण करवाने के लिए अतिरिक्त आर्थिक प्रतिपूर्ति भुगतान योजना।

9. हृदय रोगों के लिए खान कामगारों को, वित्तीय सहायता के रूप में, किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति।

10. गुर्दा प्रत्यारोपण करवाने के लिए खान कामगारों को, वित्तीय सहायता के रूप में, किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति।

11. घातक एवं गंभीर दुर्घटनाओं की स्थिति में खान कामगारों की क्षतिपूर्ति भुगतान की योजना।

12. खान कामगारों की कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए योजना।

13. एम्बुलेंस वैन क्रय करने के लिए लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क खानों तथा चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों के प्रबंधनों को सहायता अनुदान।

शिक्षा:

1. खान कामगारों के स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

2. खान कामगारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक सैट ड्रैस, स्लेटों, कापियों और पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करने के लिए वित्तीय सहायता देने की कम्पोजिट योजना।

3. केन्द्रीय पुस्तकालय चलाने के लिए खान मालिकों को सहायता।

4. खान प्रबंधनों को स्कूल बसें खरीदने के लिए सहायता।

5. पुस्तकालयों के रख-रखाव के लिए खान प्रबंधकों को सहायता।

6. लौह अयस्क खान क्षेत्रों में स्थित मान्यता प्राप्त स्कूलों में फर्नीचर एवं उपस्कर खरीदने के लिए सहायता अनुदान।

7. दोपहर के भोजन की योजना।

8. हाईस्कूल से आगे विश्वविद्यालय/बोर्ड की फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहन भुगतान।

9. स्कूलों में, उपस्थिति के आधार पर खान कामगारों के बच्चियों को 1 रूपए की दर से वित्तीय सहायता प्रोत्साहन प्रदान करने संबंधी योजना।

सिने कामगार कल्याण निधि

(क) स्वास्थ्य

1. हृदय रोगों से पीड़ित सिने कामगारों को वित्तीय सहायता के रूप में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति योजना।

2. कैंसर से पीड़ित सिने कामगारों को वास्तविक उपचार प्रभारों की प्रतिपूर्ति से संबंधित योजना।

3. सामूहिक बीमा योजना।

(ख) शिक्षा

1. सिने कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना।

2. हाईस्कूल से आगे विश्वविद्यालय/बोर्ड स्तर की परीक्षाओं में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान।

3. स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर, सिने कामगारों की बच्चियों को एक रुपया की वित्तीय सहायता के रूप में प्रोत्साहन राशि देने संबंधी योजना।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अधीन, कल्याण निधियों के तहत 2000-2001 के बजट प्राक्कलन

(रुपयों लाखों में)

निधि का नाम	स्वास्थ्य	शिक्षा
बीड़ी कामगार कल्याण निधि	2153	1278
चूना पत्थर एवं डोलोमाइट श्रम कल्याण निधि	366	48
लौह, मैगनीज एवं क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि	660	135
अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि	72	72
सिने कामगार कल्याण निधि	23	13

[अनुवाद]

अपर कृष्णा प्रोजेक्ट

5774. **श्री कोलुर बसवनागौड:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक कर्नाटक में "अपर कृष्णा प्रोजेक्ट" हेतु विश्व बैंक द्वारा दिये ऋण की वर्षवार कुल कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान विश्व बैंक ऋण के दुर्विनियोग की बात सरकार के ध्यान में आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में चल रही अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना चरण-II 30.06.1997 को बन्द कर दी गई थी। वर्ष 1997-98 के दौरान 5.9 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्राप्त हुई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई परियोजनाएं

5775. श्री आर॰एल॰ जालप्पा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक सरकार से उन विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर आने वाले खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा है जिन्हें नौवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने उन ब्यौरों को प्रस्तुत किया है;

(ग) कर्नाटक की अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक को धन मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। जल संसाधन मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार से कुछ ऐसी चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना बनाने का अनुरोध किया है जो कि एक योजना से दूसरी योजना में आगे लायी जाती रही हैं और इस समय निर्माण की उन्नत अवस्था में हैं तथा जिन्हें नौवीं योजना के दौरान ही पूरा किया जा सकता है। कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए विवरण के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक शेष राशि तथा वित्त पोषण के स्रोत सहित नौवीं योजना अवधि के दौरान पूर्ण करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपये करोड़ में) (क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्र. सं.	परियोजना	अनुमानित लागत मूल	अनुमानित लागत नवीनतम	दिसम्बर-99 तक व्यय	पूरा करने के लिए आवश्यक शेष राशि	चरम क्षमता	दिसम्बर-99 तक सृजित क्षमता	सृजन के लिए शेष	पूरा होने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	वृहद परियोजना									
1.	भद्रा	31.93	155.23	140.25	14.98	105.57	105.57	0.00	2000	वित्तीय वर्ष 99-2000 के दौरान पूरा करने के लिए प्रस्तावित
2.	टीबी एलबीसी	33.41	319.09	255.28	63.81	244.38	244.20	0.18	2000	
3.	टीबी आरबी एच.एल.सी.	2.57	79.48	49.81	29.67	80.91	70.44	10.47	2000	
4.	मलप्रभा	19.91	703.71	545.77	157.94	218.19	174.56	43.63	2002	एआईबीपी सहायता प्राप्त परियोजना
5.	यू.के.पी. चरण-I	58.20	5435.90	4976.30	459.60	425.00	290.92	134.08	2002	एआईबीपी सहायता प्राप्त परियोजना
6.	करंजा	98.00	340.00	242.73	97.27	35.62	14.98	20.64	2002	एआईबीपी सहायता प्राप्त परियोजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	बेन्निथोरा	73.25	153.00	149.40	3.60	20.24	1.05	19.19	2001	नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजना
मध्यम परियोजना										
1.	मंचनाबेले	0.77	62.40	61.76	0.64	3.84	1.23	2.61	2000	वित्तीय वर्ष 99-2000 के दौरान पूरा होने के लिए प्रस्तावित
2.	वोटहोल	2.05	47.50	38.94	8.56	7.49	7.49	0.00	2000	
3.	अमरजा	5.70	82.00	84.49	—	8.90	5.94	2.96	2001	नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजना
4.	लोअर मुल्लामारी	8.37	100.00	94.63	5.37	9.70	0.00	9.70	2001	नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजना
5.	मस्कीनाला	3.11	29.95	28.02	1.93	2.83	0.00	2.83	2001	
6.	चुल्कीनाला	3.80	53.50	56.24	—	4.05	3.84	0.21	2000	नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजना
7.	अरकावती	0.65	106.50	55.07	51.43	6.23	0.00	6.23	2002	
8.	हिरेहल्ला	6.35	120.81	106.31	14.50	8.01	0.00	8.01	2001	एआईबीपी सहायता प्राप्त परियोजना
9.	गंधोरीनाला	7.21	153.00	26.16	126.84	8.09	0.00	8.09	2002	

ए.आई.बी.पी.—त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम।

नाबार्ड—राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

[हिन्दी]

बिहार में विशेष योजनाएं

5776. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार और अन्य राज्यों में कौन सी विशेष योजनाएं पहले से चल रही हैं; और

(ख) उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और उर्वरकों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ बी॰ पी॰ बी॰ के॰ सत्यनारायण राव): (क) बिहार समेत देश को खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की केन्द्रीय प्रायोजित मुख्य स्कीमों की एक सूची निम्नवत है:-

क्र॰सं॰	स्कीम का नाम
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम—चावल
2.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम—गेहूं
3.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम—मोटे अनाज
4.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
5.	त्वरित मक्का विकास कार्यकम

(ख) संगत मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों व उर्वरकों की उपलब्धता के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

[अनुवाद]

प्रतिबंधों को हटाना

5777. श्री आर॰एल॰ भाटिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक मार्च 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "साइन सी॰ टी॰ बी॰ टी॰ कर्ब्स गो: यू॰ एस॰" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचारों के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अमरीका ने हमारे परमाणु परीक्षणों के पश्चात् भारत के विरुद्ध अमरीकी राष्ट्रीय कानून के अनुसार कतिपय आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए थे। हमारी द्विपक्षीय बातचीत में, हमने कहा है कि इस प्रकार के एकपक्षीय, बाध्यकारी प्रतिबन्ध अनुचित और हानिकारक हैं। तथापि, इनमें से कुछ प्रतिबन्धों को पहले से ही उठा लिया गया है, फिर भी हमने इस बात का समर्थन करना जारी रखा कि इस प्रकार के सभी प्रतिबन्धों को सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करने के लिए हटा देना चाहिए। सी टी बी टी पर सरकार के दृष्टिकोण के बारे में दिसम्बर, 1998 में संसद में प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था। सी टी बी टी पर सरकार का दृष्टिकोण मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित चिन्ताओं पर आधारित होना जारी रहेगा।

लाइसेंसिंग नीति में बदलाव

5778. **श्री चिंतामन वनगा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन कृषि केन्द्रों की लाइसेंसिंग और निरीक्षण नीति में बदलाव लाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो उर्वरकों, कीटनाशकों और कृमिनाशकों की बिक्री और भंडारण करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ बी॰ पी॰ बी॰ के॰ सत्यनारायण राव): (क) से (ग) बिना लाइसेंस घरेलू कीटनाशियों का स्टॉक रखने/बिक्री करने की अनुमति देने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। बहरहाल, कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत कीटनाशियों/कृमिनाशियों का स्टॉक रखने/बिक्री करने के लिए डीलरशिप लाइसेन्स प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार उर्वरकों का स्टॉक रखने/बिक्री करने के लिए भी उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अन्तर्गत डीलरशिप पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है। दुर्गम तथा कम खपत वाले क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों को डीलरशिप पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने से छूट देने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है। तदनुसार 10 मीटरी टन तक स्टॉक रखने वाले डीलरों को कुछ राज्यों द्वारा उक्त अपेक्षाओं से छूट प्रदान की गई है।

पिछड़े जिलों का विकास

5779. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के अत्यधिक पिछड़े मरूभूमि क्षेत्र वाले जिलों विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के विकास हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने थार मरूस्थल के विकास हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब तक शुरू होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आबंटन मूलतः संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। प्रत्येक राज्य सरकार अपनी पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएं तैयार करती है और स्थानिक और क्षेत्रकीय आबंटन करती है। तथापि, केन्द्र सरकार, क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कतिपय क्षेत्रों की विशेष समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान सरकार सहित राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) राजस्थान के (बाड़मेर और जैसलमेर सहित) 16 जिलों के 85 ब्लॉकों में प्रचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जैसलमेर जिले के 2 ब्लॉकों और बाड़मेर जिले के 4 ब्लॉकों सहित राज्य के 13 ब्लॉकों में चल रहा है। इसके अलावा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम राज्य के 10 जिलों के 32 ब्लॉकों को कवर करता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। थार मरुस्थल के विकास के लिए कोई अलग कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। हालांकि, राजस्थान के 10 मरूस्थल जिलों, जिन्हें वर्तमान में डी डी पी के अन्तर्गत कवर किया गया है, को रेल के टीलों के स्थिरीकरण और शैल्टर बैल्ट पौधरोपण कार्यों के प्रयोजनार्थ विशेष विकास परियोजनाएं, जो आमतौर पर जलसंभर परियोजना में फिट नहीं होती, शुरू करने की अनुमति दी गई है। डी डी पी के अन्तर्गत इन 10 मरुस्थल जिलों को किए गए आबंटनों के 50 प्रतिशत तक को इन विशेष परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। 1999-2000 के दौरान, इस प्रकार की 614 विशेष परियोजनाएं राजस्थान के इन 10 जिलों के लिए स्वीकृत की गई हैं जिसके अन्तर्गत 3.07 लाख हेक्टे॰ पर कार्य किया जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल लागत 153.50 करोड़ रुपये है और 17.27 करोड़ रुपये की पहली किश्त 1999-2000 में जारी भी कर दी गई है।

पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा जाली भारतीय नोट का बेचा जाना

5780. **श्री अब्दुल हमीद:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जनवरी, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "पाक ऑफिसियल्स हेल्ड फॉर पेडलिंग फैक इंडियन नोट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनवरी, 2000 में नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावास का एक कर्मचारी काठमाण्डु में नेपाल पुलिस के अधिकारी की आड़ में नकली भारतीय मुद्रा ले जाते समय रंगे हाथों पकड़ा गया था। नेपाल की सरकार ने पाकिस्तानी स्टाफ के उस सदस्य को अपनी हैसियत के प्रतिकूल गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण 72 घण्टों के भीतर देश छोड़ने को कहा था।

सरकार को नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के स्टाफ के एक सदस्य, जो तथाकथित रूप से जाली भारतीय मुद्रा का उपयोग कर रहा था, के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच की भी जानकारी है। जाली भारतीय मुद्रा रैकेट में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के शामिल होने की अन्य रिपोर्टें भी हैं।

(ग) सरकार इन गतिविधियों के बारे सतर्क रहती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग

5781. श्री रामदास आठवले: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को पूर्ण स्वायत्तता देने का है;

(ख) क्या इस संबंध में सामाजिक संगठनों और माननीय संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा आयोग को पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए क्या निर्णय लिया गया है/लिया जा रहा है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338(4) के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को अपने स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी। तथापि, इस आयोग ने सुधारात्मक कार्रवाई तथा अपने निष्कर्षों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी करने के लिए अनुच्छेद 338 को संशोधित करने हेतु वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 (जिल्द-1) की अपनी चौथी रिपोर्ट में सिफारिश की है।

आयोग ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठनों के परिसंघ (पंजीकृत) से प्रधान मंत्री जी को संबोधित दिनांक 9.6.1999 के अभिवेदन की एक प्रति भी प्राप्त की है जिसमें इस आयोग को पर्याप्त वित्तीय, प्रशासनिक तथा न्यायिक शक्तियां देने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की चौथी रिपोर्ट को की गई कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रख दिया गया है। की गई कार्रवाई ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया है कि एक सलाहकार निकाय होने के कारण आयोग एक सामानान्तर कार्यकारी संगठन के रूप में कार्य करने तथा सरकार को निर्देश जारी करने के लिए अभिप्रेत नहीं है। सरकार, तो भी, संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार की गई आयोग की सिफारिशों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

सिंचित भूमि

5782. श्री भर्तृहरि महताब: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों, विशेषकर उड़ीसा में सिंचित भूमि का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नदी-जल को बांध न पाने की वजह से सिंचाई क्षमता का उपयोग कहां तक नहीं हो पा रहा है;

(घ) क्या उड़ीसा में अस्सी प्रतिशत से अधिक कृषि-भूमि अभी भी असिंचित पड़ी है; और

(ङ) सरकार द्वारा उड़ीसा में सिंचित भूमि का प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) (क) और (ख) राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर सिंचित भूमि का प्रतिशत विवरण में दिया गया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1996-97) के अंत तक आकलित चरम सिंचाई क्षमता (यू आई बी), सृजित क्षमता और उड़ीसा राज्य तथा समग्र रूप से पूरे देश में बिना उपयोग की गई सिंचाई क्षमता इस प्रकार है :-

(मिलियन हैक्टेयर में)

	चरम सिंचाई क्षमता	आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सृजित सिंचाई क्षमता	आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता
उड़ीसा	8.80	2.92	5.88
सम्पूर्ण भारत	139.89	89.56	50.33

(घ) संलग्न विवरण के ब्यौरे के अनुसार, उड़ीसा राज्य में निवल बुवाई की तुलना में निवल सिंचित भूमि का प्रतिशत 35.02 है।

(ङ) सिंचाई के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बहुत सी नीति और कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं/प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इसमें राष्ट्रीय जल नीति (1987), कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार करने, जल प्रबंधन पद्धतियां, विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल के कुशल और किफायती उपयोग को बढ़ावा देने, नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग सहित विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से जल संरक्षण पर बल देना और विभिन्न उपयोगों के लिए जल प्रबंधन में लोगों की भागीदारी, करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, नौवीं पंचवर्षीय योजना

(1997-2002) में सभी चल रही परियोजनाओं, विशेष रूप से ऐसी परियोजनाएं जिन्हें पंचवर्षीय योजना से पूर्व तथा पांचवीं योजना में शुरू किया गया था, उन पर पहले किए गए निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पूरा करना, सिंचाई विकास की नीतियों में से एक है। इस नीति को ध्यान में रखते हुए, चुनिन्दा चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 1996-97 में भारत सरकार द्वारा चलाया गया त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम नौवीं योजना में भी जारी है। वर्ष 1999-2000 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इस संशोधित वित्त पोषण पद्धति के अनुसार सामान्य श्रेणी के राज्यों को 2 : 1 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय राज्य जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उड़ीसा के कालाहांडी, बोलानगिर, कोरापुट (के बी के) जिलों के सूखाप्रवण क्षेत्रों के लिए 3 : 1 के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही है। वर्ष 1999-2000 से विशेष श्रेणी के राज्यों की लघु सिंचाई स्कीमों को भी 3 : 1 (केन्द्र : राज्य) के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया करायी जा रही है। उड़ीसा की 8 वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के लिए 286.30 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गयी है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1999-2000 के दौरान उड़ीसा के केबीके जिलों की 16 लघु सिंचाई स्कीमों के लिए 8.90 करोड़ रु० की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गयी है।

विवरण

निवल सिंचित क्षेत्र (एन आई ए) निवल बुवाई क्षेत्र (एन एस ए) और निवल बुवाई क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचाई क्षेत्र के प्रतिशत का राज्य-वार विवरण

(हजार हैक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य	निवल बुवाई क्षेत्र (एनएसए)	निवल सिंचित (क्षेत्र) (एनआईए)	निवल बुवाई क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10834	4395	48.57
2.	अरूणाचल प्रदेश	185	36	19.46
3.	असम	2744	572	20.85
4.	बिहार	7337	3624	49.39
5.	गोवा	139	23	16.55
6.	गुजरात	9600	3042	31.69
7.	हरियाणा	3615	2755	76.21
8.	हिमाचल प्रदेश	558	105	18.82
9.	जम्मू व कश्मीर	733	313	42.70
10.	कर्नाटक	10610	2325	21.91
11.	केरल	2269	357	15.73
12.	मध्य प्रदेश	19794	6399	32.33
13.	महाराष्ट्र	17876	2567	14.36
14.	मणिपुर	140	65	46.43
15.	मेघालय	216	45	20.83
16.	मिज़ोरम	109	7	6.42
17.	नागालैण्ड	225	62	27.56
18.	उड़ीसा	5968	2090	35.02
19.	पंजाब	4139	3847	92.95
20.	राजस्थान	16790	5588	33.28
21.	सिक्किम	95	16	16.84
22.	तमिलनाडु	5484	2892	52.72
23.	त्रिपुरा	277	35	12.64
24.	उत्तर प्रदेश	17475	11999	68.66
25.	पश्चिम बंगाल	5463	1911	34.98
	कुल राज्य	142677	55070	38.60
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	142	73	51.41
	कुल योग	142819	55143	38.61

टिप्पणी:-ये आंकड़े कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996-97 (अद्यतन) के लिए प्रकाशित भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार हैं और ये अनन्तिम हैं।

अपर-कृष्णा परियोजना

5783. **श्री एस० डी० एन० आर० वाडियार:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत कर्नाटक राज्य को अवर-कृष्णा सिंचाई परियोजना के चरण-1, चरण-2, मलप्रभा, हिरेहल्ला, घाट प्रभा-3 और कारांजा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्षवार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ख) आज की स्थिति के अनुसार इन परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) इन परियोजनाओं के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का विवरण तथा उनकी प्रगति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

रुपये करोड़ में/क्षमता हजार हेक्टेयर में

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	3/97 तक व्यय	वर्ष 97-98 के दौरान जारी की गई केंद्रीय ऋण सहायता	वर्ष 97-98 के दौरान व्यय	1998-99 के दौरान जारी की गई केंद्रीय ऋण सहायता	वर्ष 1998-99 के दौरान व्यय	वर्ष 99-2000 के दौरान जारी की गई केंद्रीय ऋण सहायता	1999-2000 के दौरान 31 जनवरी 2000 तक व्यय	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की चरम क्षमता	वर्ष के दौरान सृजित क्षमता		
											96-97	97-98	98-99
1.	अपर कृष्णा चरण-1	3579.00	2545.240	50.00	105.15	50.00	88.140	100.00	89.38	150.00	0.770	0.825	8.612
2.	मालप्रभा	563.55	414.507	12.00	17.710	10.00	28.510	13.500	8.87	52.44	2.548	0.400	3.892
3.	हिरेहल्ला	101.90	67.590	6.00	17.120	6.00	12.070	8.000	9.60	8.01	—	—	—
4.	घाटप्रभा चरण-3	800.00	274.110	15.00	21.650	12.50	32.290	20.00	12.30	152.52	—	0.910	4.723
5.	करंजा	258.17	160.200	7.50	15.680	16.00	29.950	15.640	20.97	22.52	—	0.970	0.855

अनुसंधान नीति बनाने संबंधी प्रकोष्ठ की स्थापना

5784. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार का विचार मंत्रालय में एक उचित अनुसंधान नीति प्रकोष्ठ स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव विदेश मंत्रालय के विचाराधीन है जिसके लिए इस संबंध में वित्तीय विवक्षाओं और सृजित किए जाने वाले पदों सहित प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन

5785. श्री पी॰ राजेन्द्रन: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेंशन योजना को क्रियान्वित करने के वर्ष से पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं की वर्षवार और राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) कितने अंशदाताओं को तकनीकी कारणों की वजह से उक्त योजना का लाभ नहीं मिला है;

(ग) क्या जन्म तिथि के संबंध में गलत प्रतिष्टियां करने अथवा प्रारम्भिक चरणों अर्थात् दो अथवा तीन दशक पूर्व एक या दो वर्ष के लिए रिकार्ड के मौजूद न होने की वजह से हजारों श्रमिक जो पेंशन के लिए अन्यथा पात्र हैं, उन्हें केरल में पेंशन के लाभ से वंचित किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लाभाधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अन्तर्गत, नियोक्ताओं द्वारा प्रपत्र 2 और प्रपत्र 9 में दी गई विवरणियों के अनुसार पेंशान दावों की जांच पड़ताल और निपटान किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, उक्त प्रपत्रों के आधार पर पेंशन के लिए पात्र किसी कर्मचारी को पेंशन लाभों से वंचित नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में शिकायतों को दूर करने के लिए कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अन्तर्गत पेंशनरों की संख्या

क्र॰ सं॰	क्षेत्र का नाम	31.3.96 की स्थिति के अनुसार	31.3.97 की स्थिति के अनुसार	31.3.98 की स्थिति के अनुसार	31.3.99 की स्थिति के अनुसार	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्रप्रदेश	4339	15269	28924	44387	63101
2.	बिहार	1201	2990	7271	13363	26249
3.	दिल्ली	3552	5788	7386	9715	12351
4.	गुजरात	5132	8389	13106	21252	31196
5.	हिमाचल प्रदेश	अभी तक आरंभ नहीं हुआ	अभी तक आरंभ नहीं हुआ	अभी तक आरंभ नहीं हुआ	1969	2863
6.	हरियाणा	1628	3273	6159	9335	12298
7.	कर्नाटक	6169	12459	25580	38595	53886
8.	केरल	1239	4853	18756	35490	49871
9.	मध्य प्रदेश	2208	6331	11207	18339	74325
10.	महाराष्ट्र	6336	14740	28498	50422	26398
11.	पूर्वोत्तर	493	1407	2063	4348	6284

1	2	3	4	5	6	7
12.	उड़ीसा	1357	3471	6252	9750	12316
13.	पंजाब	1219	2923	6943	9373	13455
14.	राजस्थान	1275	3203	5381	11895	14260
15.	तमिलनाडु	8172	21070	44800	67395	95231
16.	उत्तर प्रदेश	3177	8221	12824	22012	35316
17.	पश्चिम बंगाल	2131	6090	11043	22241	35902

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, बन्द की गई परिवार पेंशन योजना, 1971 के 172696 लाभार्थियों को भी कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अन्तर्गत पेंशन प्रदान की जा रही है।

ठेका श्रम (विनियमन) अधिनियम

5786. डॉ॰ ए॰ डी॰ के॰ जयशीलन: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ठेका श्रम (विनियमन) अधिनियम की कमियों को दूर करने की दृष्टि से इस अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) ठेका श्रम संबंधी संशोधन/नए विधान का मामला सरकार के विचाराधीन है। उपर्युक्त के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

आपदा राहत कोष

5787. श्री रामसागर रावत: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक प्राकृतिक और राष्ट्रीय आपदा के लिए नकद या वस्तुओं के रूप में देश और विदेश से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है और प्रभावित राज्यों को आपदावार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ बी॰ पी॰ बी॰ के॰ सत्यनारायण राव): विभिन्न राहत निधियों के तहत नकदी के रूप में देश की जनता तथा विदेश से सहायता प्राप्त होती है जबकि वस्तुओं के रूप में सहायता को राज्य सरकारों के आवासी आयुक्तों के माध्यम से समन्वित किया जाता है। कभी-कभी यह इंडियन रेडक्रास के माध्यम से या सीधे संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त होती है। इस विभाग में इस तरह की सहायता का कोई विवरण नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

रोजगार केन्द्र

5788. श्री हरिभाई चौधरी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने रोजगार केन्द्र हैं;

(ख) इनमें से राज्यवार कितने रोजगार केन्द्र कम्प्यूटरीकृत हैं;

(ग) क्या सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम्प्यूटरीकरण योजना को केन्द्र प्रायोजित योजना बना देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में रोजगार केन्द्रों के आमूलचूल कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) रोजगार कार्यालयों के रोजमर्रा के प्रशासन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों/संघीय प्रशासनों का है, जबकि राष्ट्रीय रोजगार सेवा के लिए नीतियां, मानक एवं प्रक्रियाएं राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू की जाती हैं। राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक कार्यदल इस परामर्शदायी प्रक्रिया को सरल बनाता है। इसके अतिरिक्त, रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए रोजगार कार्यालयों का समयबद्ध मूल्यांकन भी किया जाता है।

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिनांक 31.3.2000 को रोजगार कार्यालयों की संख्या	वर्ष 1986-92 के दौरान केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत रोजगार कार्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	31	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	08	—

1	2	3	4
3.	असम	53	02
4.	बिहार	68	04
5.	दिल्ली	14	05
6.	गोवा	01	01
7.	गुजरात	41	13
8.	हरियाणा	95	—
9.	हिमाचल प्रदेश	15	03
10.	जम्मू और कश्मीर	14	—
11.	कर्नाटक	40	03
12.	केरल	81	02
13.	मध्य प्रदेश	73	09
14.	महाराष्ट्र	42	06
15.	मणिपुर	11	01
16.	मेघालय	10	—
17.	मिजोरम	03	—
18.	नागालैंड	07	—
19.	उड़ीसा	39	03
20.	पंजाब	43	02
21.	राजस्थान	38	01
22.	सिक्किम	—	—
23.	तमिलनाडु	37	10
24.	त्रिपुरा	05	—
25.	उत्तर प्रदेश	103	24
26.	पश्चिम बंगाल	75	03
27.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	01	01
28.	चंडीगढ़	02	01
29.	दादर और नगर हवेली	01	—
30.	दमन और दीव	02	—
31.	लक्षद्वीप	01	—
32.	पाण्डिचेरी	01	01
	योग	955	117

[अनुवाद]

बीज के लिए प्रायोगिक परियोजना

5789. श्री रघुनाथ झा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीज-फसल बीमा की प्रायोगिक योजना में बिहार को शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस योजना में बिहार को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) बीज-फसल बीमा की प्रायोगिक योजना में अन्य कौन-कौन से राज्य शामिल नहीं किए गए हैं; और

(घ) बिहार में और अन्य राज्यों में सामान्य बीमा निगम को कितनी निधियां जारी की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ बी॰ पी॰ बी॰ के॰ सत्यनारायण राव): (क) से (ग) प्रथम वर्ष में बीज फसल बीमा स्कीम का कार्यान्वयन चुनिन्दा राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तथा उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक आधार पर किया गया है। बाद के वर्षोंमें यह स्कीम अन्य राज्यों में भी लागू की जाएगी।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रचार, प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक व्यय के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम एवं राज्य सरकारों को 86.5 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। चूंकि शुरूआत में बिहार को इस स्कीम में कवर नहीं किया गया था, अतः इस राज्य को कोई धनराशि जारी नहीं की गयी।

किसानों को प्रतिपूर्ति

5790. श्री सुबोध मोहिते: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने जीन प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी द्वारा कपास, मटर की बौनी प्रजाति, अरहर और काली मिर्च की किटाणु रोधी प्रजातियां तैयार करने हेतु इनके नमूने विकसित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो फील्ड परीक्षणों से प्राप्त परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में घटिया किस्म के कीटनाशकों का प्रयोग करने के कारण कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का किसानों को किस प्रकार प्रतिपूर्ति करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने भारतीय कपास की विभिन्न किस्मों की परखनली में विकसित पौदों के विभिन्न भागों जैसे अग्रस्थ मेरीस्टेम, प्रवोह के शीर्ष भाग और बीज पत्रीय ग्रंथियों से कपास के विभिन्न उप-पादपों (एक्सप्लांट) के परखनली में पुनर्जनन के प्रोटोकॉल

विकसित किए हैं। कपास के ल्प-पादपों के पुनर्जनन से रूपान्तरण संबंधी अध्ययनों की एक अत्यपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति होती है। इस तकनीक का और अधिक परिशोधन करके इसका उपयोग पौधों में कीट प्रतिरोधी जीन के समावेशन के लिए किया जा सकता है। चना और अरहर में भी रूपांतरण संबंधी प्रोटोकॉलों का मानकीकरण किया गया है। काली मिर्च के मामले में इसकी खेती योग्य व जंगली किस्मों के विभिन्न उप पादपों के पुनर्जनन के लिए ऊतक-संवर्धन संबंधी प्रोटोकॉल विकसित किए गए हैं। तथापि, उपरोक्त सभी मामलों में प्रयोग अभी प्रयोगशाला तक ही सीमित है। इनका खेत में परीक्षण नहीं किया गया है।

(ग) कपास उगाने वाले प्रमुख राज्यों ने सूचित किया है कि वर्ष 1998-2000 में फसल मौसम के दौरान घटिया क्वालिटी के कीटनाशियों के कारण कपास की फसल को कोई क्षति नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृतिक बल का गठन

5791. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार देश के सूखा और बाढ़ प्रवण जिलों की पहचान करने के लिए एक कृतिक बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिलों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए चीन और दक्षिण अफ्रीकी देशों से सहायता प्राप्त करने का है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ज) देश में सूखा और बाढ़ प्रवण जिलों की पहचान करने के लिए एक कार्यदल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1993 में प्रो. सी.एच. हनुमंतराव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय तकनीक समिति का गठन किया गया था। साथ-ही-साथ प्रो. हनुमंतराव की अध्यक्षता वाली तकनीक समिति के एक उप ग्रुप ने डीपीएपी के अंतर्गत कवर करने के लिए देश के 13 राज्यों में 155 सूखा प्रवण जिलों की पहचान की। इनमें से कुछ जिलों के हाल में हुए द्विविभाजन से, डीपीएपी के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की संख्या अब बढ़कर 163 हो गई है। अभी तक बाढ़ प्रवण जिलों की पहचान नहीं की गई है। तथापि, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने वर्ष 1980 में प्रस्तुत रिपोर्ट में 22 राज्यों/संघ राज्यों में 40 मिलियन हेक्टेयर की बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के रूप में पहचान की थी।

डीपीएपी, एकीकृत जलसंभर दृष्टिकोण द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्रों का सूखा रोकने के उद्देश्य से एक सतत कार्यक्रम है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, प्राकृतिक संसाधन आधार का पुनः सृजन करने के लिए चुने गए जलसंभर की व्यापक अभिक्रिया की जाएगी। इस प्रकार नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कोई अन्य व्यापक कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

बाढ़ और सूखे के समाधान के लिए चीन और दक्षिण अफ्रिकी देशों से सहायता लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

धनराशि जारी करना

5792. **श्री अनादि साहू: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या भारत सरकार इस बात से अवगत है कि जल संसाधन मंत्रालय वित्तीय वर्ष के बिलकुल अंत में धनराशि की मंजूरी की सूचना देता रहा है जिससे उक्त धनराशि के उपयोग में अत्यधिक कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव बजट प्रावधानों के 75 प्रतिशत भाग को वित्तीय वर्ष के प्रथम और द्वितीय चतुर्मास के दौरान और शेष 25 प्रतिशत को समायोजन पश्चात् द्वितीय और चतुर्थ चतुर्मास के दौरान जारी करने का है जिससे कि योजनाओं को समुचित नियोजन और निरीक्षण के अधीन कार्यान्वित किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) भारत सरकार गत वर्ष के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन के आधार पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मौजूदा वित्तीय पद्धतियों तथा चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अलग से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता जारी कर रही है। 'लघु सिंचाई आंकड़ों का युक्तिकरण' नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों को लघु सिंचाई जनगणना, नमूना सर्वेक्षण आदि करने के वास्ते सांख्यिकी प्रकोष्ठ पर व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कराती है। सांख्यिकी प्रकोष्ठ पर व्यय करने के लिए गत वर्ष जारी निधि का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने तथा चालू वर्ष में किए जाने वाले व्यय का आकलन प्राप्त होने के पश्चात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एक किस्त में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। लघु सिंचाई गणना करने के लिए, जनगणना कार्य आरंभ करने के वास्ते चालीस प्रतिशत निधि की पहली किस्त जारी की जाती है। क्षेत्र संबंधी कार्य को पूरा करने के बाद निधियों की आवश्यकता का चालीस प्रतिशत तक की दूसरी किस्त जारी की जाती है और शेष बीस प्रतिशत निधियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रमाणिक आंकड़ा फ्लापियों के प्राप्त होने के बाद जारी की जाती हैं। नमूना सर्वेक्षण करने के लिए, नमूना सर्वेक्षण का कार्य शुरू करने के लिए पचास प्रतिशत निधियां अग्रिम जारी की जाती हैं और शेष पचास प्रतिशत निधियां प्रमाणिक नमूना सर्वेक्षण आंकड़ा फ्लापियों के प्राप्त होनें के बाद जारी की जाती हैं। 'बाढ़ रोधी स्कीमों' के मामले में उपयोग प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर प्रमाणित किए गए निष्पादन के अनुसार राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता की प्रतिपूर्ति की जाती है। 'कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत पहली किस्त गत वर्ष की

उपलब्धियों, बजट प्रावधान और चल रहे वर्ष के वास्तविक कार्यक्रम के आधार पर, तदर्थ आधार पर अप्रैल से जून तक मुहैया करायी जाती है। तदनंतर राज्य सरकारों को वास्तविक और वित्तीय निष्पादन के आधार पर नियमित रूप से केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' के अंतर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता निर्माण की उन्नत अवस्था वाली चल रही वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए मुहैया कराई जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां दो समान किस्तों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर जल संसाधन मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। दूसरी किस्त केवल तभी जारी की जाती है जब राज्य सरकारें अपने हिस्से सहित पहली किस्त का उपयोग कर लेती हैं।

गंगा नदी के आर पार बांध

5793. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिंचाई प्रयोजनों के लिए बिहार में गंगा नदी के आर पर एक बांध बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कब कार्य शुरू हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन

5794. श्री बी०एस० बसवराज: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख). यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका ने इस संबंध में कोई पहल की शुरूआत की है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार से इस संबंध में बातचीत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सरकारी तौर पर सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के उपाय 1992 में उस समय शुरू हुए जब सुरक्षा परिषद की सदस्यता में साम्य प्रतिनिधित्व एवं वृद्धि के प्रश्न पर महासभा में संकल्प पारित किया गया था। 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस मसले पर विचार करने के लिए एक अबाध प्रवेश कार्यदल गठित किया। सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए उम्मीदवारों अथवा मानदण्ड पर कोई मतैक्य नहीं है।

(ग) से (ङ) अमरीका ने हाल ही में 21 की संख्या के आगे सुरक्षा परिषद के विस्तार तथा सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों को और अधिक प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए अपनी तत्परता की घोषणा की। भारत इस मसले पर सभी सदस्य राज्यों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

5795. श्री दिन्शा पटेल:
श्री अकबर अली खान्दोकर:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्र[illegible] के तहत राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गईं/कितनी परियोजना[illegible] पर काम हुआ और क्या उपलब्धियां हासिल की गईं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त कार्यक्रम के त[illegible] राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गई और कितनी परियोजन[illegible] पूरी हुई/पूरी की जानी है;

(ग) क्या नौवीं योजना के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्य[illegible] के तहत राज्यों को आबंटित की गई निधियां अपर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य [illegible] धनराशि बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन[illegible] मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में रा[illegible] मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) सीमा क्षेत्र विका[illegible] कार्यक्रम के अन्तर्गत आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौ[illegible] आबंटित की गई निधियों के राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरे क्रमशः विवरण और विवरण-II में दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू [illegible] जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में प्रत्येक लाभार्थी राज्य के मु[illegible] सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा नि[illegible] लिया जाता है। परियोजनाएं वर्ष-दर-वर्ष और राज्य-दर-राज्य भि[illegible] होती हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें आदि जैसे क्षेत्रकों की स्की[illegible] को शामिल करती है।

(ग) से (ङ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबं[illegible] की जाने वाली निधियां योगात्मक प्रकृति की है और इनका प्र[illegible] सीमा के निकट दूरवर्ती, अगम्य क्षेत्रों में रहे लोगों की विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष रूप से भौतिक और सामाजि[illegible] आधारिक संरचना में गम्भीर अन्तरालों को पाटने में, राज्य योज[illegible] निधियों को सहायता देने के लिए किया जाता है। कार्यक्रम के [illegible] आबंटन में वृद्धि समग्र रूप से योजना के लिए संसाधनों की वार्षि[illegible] उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विवरण-I

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बी ए डी पी के अन्तर्गत किए गए आबंटन

(करोड़ रु)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1. असम	3.91	4.38	4.12	4.12
2. गुजरात	6.98	7.94	8.58	8.58

1		2	3	4	5
3.	जम्मू व कश्मीर	14.00	17.50	20.68	20.68
4.	मेघालय	3.89	4.23	3.95	3.95
5.	मिजोरम	2.84	3.25	2.73	2.73
6.	पंजाब	6.45	7.88	8.54	8.54
7.	राजस्थान	71.06	80.44	85.63	85.63
8.	त्रिपुरा	8.04	9.81	10.96	10.96
9.	पश्चिम बंगाल	21.83	24.57	30.81	30.81

विवरण-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बी ए डी पी के अन्तर्गत किए गए आबंटन

	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	असम	4.12	4.27	7.20	7.20
2.	गुजरात	8.58	8.88	9.87	9.87
3.	जम्मू व कश्मीर	20.68	31.38	33.52	33.52
4.	मेघालय	3.95	4.11	4.52	4.52
5.	मिजोरम	6.73	6.82	8.00	8.00
6.	पंजाब	8.54	8.82	9.70	9.70
7.	राजस्थान	85.63	56.52	37.17	29.17
8.	त्रिपुरा	10.96	11.34	12.47	12.47
9.	पश्चिम बंगाल	30.81	31.86	38.05	38.05
10.	अरुणाचल प्रदेश	4.00	11.00	13.00	13.00
11.	मणिपुर	4.00	4.00	4.00	4.00
12.	नागालैंड	–	4.00	4.00	4.00
13.	हिमाचल प्रदेश	–	4.00	4.00	4.00
14.	सिक्किम	–	4.00	5.50	5.50
15.	उत्तर प्रदेश	–	4.00	12.00	12.00
16.	बिहार	–	–	7.00	7.00

टिप्पणी: बी ए डी पी का म्यांमार सीमा पर स्थित ब्लाकों तक 1997-98 में, चीन सीमा तक 1998-99 में और भूटान तथा नेपाल सीमाओं तक 1999-2000 में विस्तार किया गया था।

समुद्र से होने वाला भूमि कटाव

5796. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के तट पर समुद्र द्वारा लगातार होने वाले भूमि कटाव तथा समुद्र बांध की खराब हालत की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले दो दशकों से राज्य सरकार समुद्र बांध के रख-रखाव तथा इसे सुदृढ़ करने की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है; और

(ग) क्या आगामी मानसून के महीनो में संभावित प्रतिकूल प्रभाव कम करने हेतु चक्रवात शेलटरों के निर्माण तथा राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् इन बांधों को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव विचारार्थ है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार तटीय संरक्षण कार्यों एवं इनके रख-रखाव पर ध्यान दे रही है। राज्य द्वारा तटीय संरक्षण कार्यदिघा, जिला मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना उत्तर 24 परगना जिलों को शामिल करते हुए सुन्दरबन में किये गये हैं।

(ग) केन्द्र सरकार ने तटीय राज्यों के परामर्श से संवेदनशील तटीय पहुंचों, जिनमें पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव शामिल है, के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना (एनसीपीपी) का प्रस्ताव किया है।

राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना में दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में नदियों की ज्वारीय पहुंचों में 32 कि.मी. के तट संरक्षण कार्यों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण, दक्षिण 24 परगना जिले में 7.70 कि.मी. के तट संरक्षण कार्यों और मिदनापुर जिले में दिघा के 1.646 कि.मी. के तट संरक्षण कार्यों को शामिल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अप्रैल, 2000 में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने मानसून महीनों में संभावित प्रभावों को कम करने के लिए 12 संवेदनशील जिलों को शामिल करते हुए 118 चक्रवात/बाढ़ आश्रय स्थलों का पहले ही निर्माण कर लिया है।

पेंशन में वृद्धि

5797. श्री रमाकांत आंग्ले:
श्री श्रीपाद येसो नाइक:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अप्रैल, 2000 को 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'हाइक इन पेंशन रेट्स आन कार्ड्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार के समक्ष केन्द्र-सरकार के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ता तथा मानदेय भत्ता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी, हां। द हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे समाचार में कोई सच्चाई नहीं है और वस्तुत: उक्त रिपोर्ट भ्रामक है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

फिल्मों का प्रसारण

5798. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय निजी चैनल समाज की समाज कलयाण संबंधी परियोजनाओं पर आधारित फिल्मों का प्रसारण करने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की फिल्मों के प्रसारण की संभावना है और उनके विषय क्या होंगे;

(ग) जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का चयन किस तरह से किये जाने की संभावना है;

(घ) वे निजी चैनल कौन से है जिन पर इन फिल्मों का प्रसारण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभिन्न अलाभान्वित, दरकिनार तथा समाज के कमजोर वर्गों एवं पशुओं के कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय है। इसलिए यह मंत्रालय इन वर्गों की दशा और इनके विरुद्ध कार्य करने वाले अविवेकपूर्ण पूर्वाग्रहों के बारे में जनमत नेताओं, परिवर्तन-एजेंटों तथा जनता को संवेदनशील बनाने और सामाजिक समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से भावनात्मक परिवर्तन लाने तथा इन वर्गों की दशा सुधरने में समुदाय, गैर-सरकारी एवं स्थानीय स्तर पर पहलों को प्रोत्साहित करने में एक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करता है।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों, वयोवृद्ध व्यक्तियों, उपेक्षित एवं बेसहारा बच्चों, पशुओं के कल्याण तथा मद्यपान और नशीली दुरुपयोग निवारण आदि से संबंधित विषयों पर अनेक छोटे वृत्त चित्र तैयार किए हैं। इस मंत्रालय ने इन फिल्मों के प्रसारण के लिए दूरदर्शन और कुछ निजी चैनलों से सम्पर्क किया था। दूरदर्शन ने प्रसारण शुरू कर दिया है लेकिन निजी चैनलों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जल प्रबंधन

5799. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अप्रैल, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'यू.एस. प्रपोजेज ग्लोबल एलायंस ऑन वाटर सिक्यूरिटी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में जल संकट के निवारण हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां। 15 अप्रैल, 2000 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 'अमेरिका ने अप्रत्याशित और गैर-समाधान योग्य क्षेत्रीय संघर्षों में वृद्धि होने के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के दबाव के कारण 21वीं शताब्दी में अधिक जल की मांग के वास्ते अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्द्धा के मद्देनजर जल सुरक्षा के लिए एक भूमंडलीय सहयोग का प्रस्ताव किया है। इस सहयोग का प्रस्ताव उस समय किया गया था जब अमेरिका सेक्रेटरी आफ स्टेट मैडलीन अलब्राइट 22 अप्रैल, 2000 को पृथ्वी दिवस की 30वीं वर्षगांठ के पूर्व 10 अप्रैल को वाशिंगटन में संबोधित कर रही थी।'

(ग) और (घ) भारत में हर वर्ष लगभग 4000 बिलियन घन मीटर वर्षा होती है इसमें से लगभग 1869 बिलियन घन मीटर विभिन्न नदियों में बह जाता है जिसमें लगभग 432 बिलियन घन मीटर पुनर्भरणीय भूजल शामिल है। देश की 2025 ई० तक आवश्यकता इन पुन: उपयोग योग्य जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के जरिए पूरी की जा सकती है।

बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता उत्तरोतर घट रही है। यह अनुमान लगाया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत जल उपलब्धता जो वर्तमान में लगभग 1869 घन मीटर है 2025 ई० तक घट कर 1350 घन मीटर हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार वार्षिक उपलब्धता की कोई स्थिति अथवा 1000 घन मीटर प्रति व्यक्ति से कम की स्थिति जल की कमी वाली स्थिति मानी जाती है। इसलिए, 2025 ई० के अंत तक, देश के कुछ भागों में जल की कमी होने की संभावना नहीं है।

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल कृत्रिम पुनर्भरण और छत पर वर्षा जल के

संचयन के जरिए वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा भी दे रही है, जिसके लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भी कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन शुरू किए हैं।

भारत-पाक वार्ता

5800. श्री अब्दुल हमीद: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'पाकिस्तान एक्यूजिज इंडिया ऑफ शोइंग बेलिजरेंस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने 2 अप्रैल, 2000 को दि हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय की खबरें देखी हैं। पाकिस्तानी प्रवक्ता प्राय: दुष्प्रचारकों के वक्तव्यों का सहारा लेते हैं, जिसमें भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य तथा भारत के अन्य भागों में सीमा पार से आतंकवाद के प्रायोजन में पाकिस्तान की सतत् भूमिका के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यक्त की जा रही बढ़ती हुई चिन्ता को मोड़ने के लिए वार्ता पुन: शुरू करने का बार-बार आह्वान करना शामिल है।

सरकार का यह मत है कि उपयोगी वार्ता पुन: शुरू करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना पाकिस्तान पर निर्भर करता है। कारगिल के बाद के हालत और उस देश में सेना द्वारा सत्ता सम्भालने के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर राज्य तथा भारत के अन्य भागों में सीमा पार के अपने प्रयोजन तथा समर्थन में वृद्धि की है। वह नियंत्रण रेखा और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अकारण लगातार गोलाबारी में संलिप्त है। उसका जेहाद का आह्वान और भारत के विरूद्ध अन्य शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार भी बेरोकटोक जारी है। हाल ही में जनरल मुशर्रफ को यह कहते बताया गया है कि वह न तो शिमला समझौते में विश्वास करते हैं और न ही लाहौर घोषणा में।

सरकार शिमला समझौते और लाहौर घोषणा में की गई व्यवस्था के अनुसार द्विपक्षीय विचार-विमर्शों के जरिए पाकिस्तान के साथ सभी अनसुलझे मसलों का हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

5801. श्रीमती रीना चौधरी: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से गांवों के लोगों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) क्या पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 ग्राम, खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गये हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में उपलब्ध कराए गए रोजगार निम्नानुसार है :-

वर्ष	क्यूमुलेटिव रोजगार (लाख व्यक्तियों में)
1997-98	10.21
1998-99	10.51
1999-2000 (अनुमानित)	10.87

(ग) जी, हां।

(घ) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अंतर्गत 31.3.1999 तक 2447 गांवों में 39392 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए गये।

विदेशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों के कल्याणार्थ कोष की स्थापना

5802. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों के कल्याणार्थ किस कोष की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपंगता के कारण भारत वापस लौट आए कामगारों और विदेश में रोजगार के दौरान मारे गए कामगारों के परिवारों सहित इस कोष से ऐसे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(घ) तत्संबंधी विशेषकर आंध्र प्रदेश के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में ऐसे कामगारों/परिवारों को अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चारा बैंक

5803. श्री सी० कुप्पुसामी :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में चारे का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा चारा पानी उत्पादित करने के लिए कौन सी योजनाएं प्रायोजित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में चारा बैंकों के सृजन का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या धान की भूसी और गन्ने के बगांस को पोषक पशु खाद्य में बदलने और जरूरतमंद राज्यों में भेजने की कोई योजना है; और

(च) किन-किन राज्यों को चारे की अत्यधिक आवश्यकता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) चारा उत्पादन का ब्यौरा राज्यों से एकत्र किया जा रहा है।

(ख) केन्द्र सरकार के पास आहार एवं चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता संबंधी एक योजना है। योजना के तहत खर्च को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा हिस्सेदारी के आधार पर वहन किया जाता है। योजना के घटक एवं उनकी लागत हिस्सेदारी की पद्धति निम्नानुसार है :-

1. चारा बीजों के उत्पादन के लिए राज्य फार्मों का सुदृढ़ीकरण (75:25);
2. चारा बैंकों की स्थापना (75:25);
3. पंजीकृत उत्पादकों के जरिए चारा बीज उत्पादन (25:75);
4. भूसा/सेलूलोसिक अपशिष्ट का संवर्धन (100:00);
5. बायो-मास उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिल्वीपाश्चर प्रणाली की स्थापना (100:00);
6. घास रिजर्वों सहित घास भूमि का विकास; और
7. चारा फसलों के क्षेत्र, उत्पादन तथा आवश्यकता के लिए नमूना सर्वेक्षण (100:00)।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्र सरकार अधिकांशतः बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए चारा बैंकों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराती है। 1999-2000 के दौरान 6 चारा बैंकों की स्थापना के लिए जम्मू एवं कश्मीर (50.56 लाख रुपये), गुजरात (79.00 लाख रुपये), नागालैंड (16.00 लाख रुपये) राज्यों को 145.56 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई।

(ङ) जी, हां।

योजना के तहत राज्यों को भूसा/सेलूलोसिक अपशिष्ट का संवर्धन, जिसके तहत सूखे चारे अर्थात् गेहूं का भूसा, धान की भूसी तथा गन्ने के बगांस को यूरिया तथा मोलासेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है, संबंधी आहार एवं चारे के विकास के लिए सहायता संबंधी एक घटक है। यह विभाग राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराता है। तथापि, ऐसे संवर्धित चारे को राज्यों को भेजने का कोई प्रावधान नहीं है।

(च) गुजरात और राजस्थान।

[हिन्दी]

प्याज की पैदावार

5804. श्री राघो सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से बिहार में प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों और विकसित कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) भारत सरकार ने बिहार सहित देश में प्याज के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कीटनाशकों की उपयोग समेत प्रणालियों के उन्नत पैकेज के उपयोग का पहले ही प्रस्ताव किया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार के गैर-परम्परागत क्षेत्रों में इन प्रणालियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इन कार्यक्रमों में उत्पादन तथा फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी संबंधी प्रदर्शन, सैट उत्पादन, प्याज की पौध को सुरक्षित उगाना आदि शामिल किया गया है।

आधारभूत न्यूनतम सेवाएं

5805. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई और उपयोग की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के

अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन तीन वर्षों में प्रतिवर्ष आबंटित राशि जारी कर दी गई थी और इसका पूर्ण उपयोग किया गया था।

विवरण

गैर विशेष श्रेणी राज्य	एसीए 1997-98	एसीए 1998-99	एसीए 1999-2000
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	170.50	179.61	196.34
2. बिहार	364.07	383.32	419.04
3. गोवा	1.55	3.63	3.63
4. गुजरात	72.58	76.42	113.54
5. हरियाणा	19.08	40.09	26.96
6. कर्नाटक	99.42	104.68	114.43
7. केरल	78.69	102.85	110.57
8. मध्य प्रदेश	210.00	236.10	265.34
9. महाराष्ट्र	132.23	159.22	152.19
10. उड़ीसा	147.45	164.25	190.31
11. पंजाब	35.59	36.94	40.37
12. राजस्थान	132.98	140.01	153.05
13. तमिलनाडु	119.80	141.13	137.88
14. उत्तर प्रदेश	456.84	500.99	575.81
15. पश्चिम बंगाल	203.57	214.33	234.30
ख. विशेष श्रेणी			
1. अरुणाचल प्रदेश	62.18	90.47	71.57
2. असम	163.80	172.46	188.53
3. हिमाचल प्रदेश	64.41	113.45	109.14
4. जम्मू व कश्मीर	156.52	164.80	180.15
5. मणिपुर	44.30	64.30	72.64
6. मेघालय	37.03	38.99	63.62
7. मिजोरम	36.87	49.96	51.43
8. नागालैंड	37.53	49.51	67.19
9. सिक्किम	25.65	47.25	49.76
10. त्रिपुरा	46.37	55.37	59.92
ग. संघ राज्य क्षेत्र			
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	14.20	14.95	16.34
2. पांडिचेरी	6.13	7.45	7.06
3. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13.19	17.17	15.19
4. चण्डीगढ़	5.87	6.18	6.76
5. दादरा और नगर हवेली	1.71	1.80	1.97
6. लक्षद्वीप	2.27	2.39	2.62
7. दमन और दीव	1.36	1.43	1.57
कुल जोड़	2963.83	3381.50	3699.22

टिप्पणी : जारी की गई और उपयोग में लाई गई राशि आबंटन के बराबर है।

[अनुवाद]

कृषि विकास योजनाएं

5806. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान कृषि विकास योजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य में वित्तीय सहायता के दुरुपयोग किये जाने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आवंटित धनराशि के दुरुपयोग को रोकने हेतु कोई निगरानी सेल/दल गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान कृषि के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत है :-

वर्ष	(लाख रुपये) धनराशि
1997-98	10306.87
1998-99	12205.96

(ग) और (घ) चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों (आई. सी.डी.पी.–चावल) में समेकित चावल विकास कार्यक्रम पर स्कीम में धन के दुरूपयोग से संबंधित एक शिकायत 25 अप्रैल, 2000 को मिली है, जिस पर जांच चल रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बीड़ी उद्योग में बाल श्रमिक

5807. श्री टी० गोविन्दन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में बीड़ी उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों के बारे में अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बीड़ी निर्माण में लगे 37,141 बाल श्रमिकों की पहचान की गई है और 1948 मामलों में अभियोजन दायर किए गए हैं। इन अभियोजनों में से 1912 मामले बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत और 36 मामले बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत दायर किए गए हैं।

[हिन्दी]

घटिया किस्म के बीज और उर्वरक

5808. डा० बलिराम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में घटिया किस्म के बीज और उर्वरक की आपूर्ति करने के लिए बीज और उर्वरक कम्पनियों के विरूद्ध राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) इन कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) किसानों को बढ़िया किस्म के बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) राज्य सरकारों को बीज अधिनियम, बीज और उर्वरक नियंत्रण आदेश के अधीन कानूनी तंत्र का दुरूपयोग करने वाले वितरकों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का पर्याप्त अधिकार है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षकों द्वारा लिए गए गैर मानक उर्वरकों के नमूने तथा बीजों के नमूने पर की गई कार्रवाई निम्नवत है :-

उर्वरक

वर्ष	उत्तर प्रदेश			दिल्ली
	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अवमानक पाया गया	प्रथम सूचना रिपोर्ट/ शुरू किया गया अभियोजन	
97-98	12419	1766	237	सूचित नहीं
97-99	10200	1481	248	सूचित नहीं
99-2000	3761	485	62	सूचित नहीं

बीज

वर्ष	उत्तर प्रदेश		
	न्यायालय में दायर मामले की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की सं० जिसमें दण्ड और (अथवा) कैद की सजा दी गई	न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या
97-98	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
98-99	8	—	8
	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं

वर्ष	दिल्ली		
	न्यायालय में दायर मामले की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की सं० जिसमें दण्ड और (अथवा) कैद की सजा दी गई	न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या
97-98	शून्य	—	4(पिछले वर्ष के मामले)
98-99	1	—	8 (पिछले वर्ष के मामले)
99-2000	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं

(ग). किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीच और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र के फसल विकास कार्यक्रम और गुणवत्ता नियंत्रण स्कीम के अधीन निधियां दी गई हैं।

[अनुवाद]

पपीते का उत्पादन

5809. श्री अनन्त नायक: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में उपजाए जाने वाले पपीते की दूसरे देशों विशेषरूप से अमरीका में भारी मांग है;

(ख) क्या देश में पपीते की खेती करने के लिए क्षेत्र को बढ़ावा देने की काफी गुंजाईश है;

(ग) यदि हां, तो देश में पपीते की मांग पूरी करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात को बढ़ाने हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां। भारत में उत्पादित पपीते की संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों में भारी मांग है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार फलों के विकास पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रही है, जिसके तहत पपीता सहित फलों के विकास के लिए सहायता दी जाती है। इसके अन्तर्गत गति-विधियों में नर्सरियों के माध्यम से उत्तम रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण, क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता सुधार कार्यक्रम एवं किसानों का प्रशिक्षण शामिल है। वर्ष 2000-2001 में बागवानी यंत्रीकरण, फलों की फार्मगत देखरेख, रोग भविष्यवाणी एकक एवं टिशु/पत्ता विश्लेषण प्रयोगशालाएं जैसी नई गतिविधियों को शामिल किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के बागवानी विभाग पपीता सहित फलों की उन्नत और उच्च उत्पादकता वाली किस्मों एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास पर अनुसंधान कर रहे हैं। कृषि एवं प्रसंस्करित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण पपीता सहित फलों का निर्यात सुचारू करने के लिए कार्यक्रम चला रहा है।

विशेष आर्थिक जोनों में श्रमिक

5810. श्री भान सिंह भौरा: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष आर्थिक जोनों में श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण करने की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त को ध्यान में रखते हुए 2000-2001 के लिए नई आयात-निर्यात नीति के लिए ऐसे और विशेष आर्थिक जोन सृजित करने का निर्णय लिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन जोनों में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाने का है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) 31.3.2000 तक किए गए संशोधनों को आयात और निर्यात नीति (1997-2002) में समाविष्ट करते हुए; सरकार ने निर्यात के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रक्रिया के साथ अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी तथा समय सीमा शुल्क रहित परिवेश बनाने की दृष्टि से देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) स्थापित करने हेतु नीति घोषित की है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड.) में इकाइयां निवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली होंगी परन्तु इन पर कोई पूर्व-निर्धारित मूल्य संवर्धन अथवा न्यूनतम निर्यात निष्पादन की शर्त नहीं होगी।

जहां तक श्रम मामले का संबंध है, देश के कानूनों और नियमों के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों को नियंत्रित किया जायेगा।

[हिन्दी]

नए मूल्य के निर्धारण के लिए कृषि लागत और मूल्यों हेतु आयोग की भूमिका

5811. श्री सुखदेव पासवान: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गेहूं की नई फसल जो संभवत: अप्रैल 2000 तक बाजार में आ जाएगी, के नये मूल्य के निर्धारण के संबंध में कृषि लागत और मूल्य संबंधी आयोग से कोई सुझाव मिला है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों के निर्धारण के लिए उक्त आयोग की क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार के इस पर क्या निर्णय हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ बी॰ पी॰ बी॰ के॰ सत्यनाराण राव): (क) और (ख) कृषि लागत और मूल्य आयेग ने रबी फसल 1999-2000 मौसम के लिए मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 550 रु॰ प्रति क्विंटल की सिफारिश की है।

(ग) सरकार ने विपणन वर्ष 2000-01 में विक्रय की जाने वाली वर्ष 1999-2000 की फसल के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 580 रु॰ प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

[अनुवाद]

सिडबी की नई नीति

5812. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक ने आधुनिकीकरण के प्रयोजनार्थ लघु क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों पर पांच प्रतिशत ब्याज को राजसहायता देने के एक नई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए लघु उद्योग इकाइयां पर्याप्त और सस्ते ऋण से वंचित हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का लघु उद्योग क्षेत्र की इस जरूरत को किस तरह से पूरा करने का विचार है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक योजना बनाई जा रही है।

(ग) से (ङ) परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर, नई इकाईयों सहित सभी लघु उद्योग इकाइयों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वर्तमान मानदंड के अनुरूप जहां तक संभव हो ऋण प्रदान किया जाता है। तथापि ऋण के बहाव को और सुधारने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लघु उद्योग के 60% ऋण को अति लघु क्षेत्र इकाइयों हेतु प्राथमिकता उधार क्षेत्र के अंतर्गत रखना और विशिष्ट बैंक शाखाएं खोलना, सिंगल विन्डो स्कीम के अंतर्गत सामाजिक ऋण की सीमा रुपये 5 लाख से रुपये 10 लाख तक बढ़ाना और बिना कोलेट्रल्स के रु॰ 10 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण गारंटी योजना बनाना, आदि शामिल हैं।

सरदार सरोवर परियोजना को ओ॰ई॰सी॰एफ॰ सहायता

5813. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ॰ ई॰ सी॰ एफ॰ सहायता की अनुपलब्धता के कारण सरदार सरोवर परियोजना की नदी जल विद्युत घर के निर्माण में विलंब हो गया है;

(ख) क्या सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य जापान से टर्बो-जेनेरेटिंग सेट्स के आयात हेतु स्थान पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुरोध कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार ने टर्बो जेनरेटर सेटों के आयात के वास्ते अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था। तथापि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि सरदार सरोवर परियोजना का वित्त पोषण संयुक्त रूप से गुजरात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों द्वारा किया जाता है। टर्बो जेनरेटर सेटों की खरीद इस परियोजना का भाग है और इसके लिए भुगतान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना से मुहैया कराया जाता है। राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता गाडगिल फार्मूला के फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रदान की जाती है और वह किसी विशिष्ट परियोजना से संबद्ध नहीं होती है। तथापि, टर्बो जेनरेटर सेटों की खरीद मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन लिमिटेड जापान से की जा रही है। उन्होंने आपूर्तिकर्ता क्रेडिट सुविधा प्रदान की है।

खाद्यान्न की बरबादी

5814. श्री माधवराव सिंधिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 40,000 करोड़ रु॰ मूल्य के खाद्यान्न नमी, पक्षियों, कीट आदि के कारण प्रत्येक वर्ष नष्ट हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का खाद्यान्न नष्ट हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्यान्न नष्ट होने से रोकने के लिए इसमें कमी लाने के लिए क्या कदम उठायें जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ बी॰ पी॰ बी॰ के॰ सत्यनाराण राव): (क) और (ख) नमी, पक्षियों, कीड़ों चूहों आदि से प्रति वर्ष

होने वाली अनाज की बरबादी की सही मात्रा ज्ञात नहीं है। तथापि, डा० वी०जी० पानसे की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने 1968 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनाज को नमी, पक्षियों, कीड़ों, चूहों सहित विभिन्न कारणों से हुई वार्षिक क्षति 9.33% आकी गई है। विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा वर्ष 1973-74 के दौरान कराए गए एक सर्वेक्षण में खाद्यान्नों में कटाई पश्चात् की हानि लगभग 5% आंकी गई जिसमें से भंडारण से संबंधित हानि 2.7% के लगभग आंकी गई। भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान एवं भारतीय खाद्यान्न भंडारण प्रबन्ध एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा 1985-88 के दौरान कटाई पश्चात् के विभिन्न चरणों में विभिन्न कारणों से अनाज को होने वाली कुल हानि लगभग 4.12% आंकी गई।

(ग) कटाई पश्चात् की अवधि के दौरान अनाज की होने वाली क्षति को कम करने/रोकने के लिए भारत सरकार ने 1969-70 में अनाज बचाओ अभियान चलाया था। इस अभियान की प्रमुख गतिविधियों में फार्म स्तर पर अनाज के वैज्ञानिक भंडारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रदर्शन तथा प्रचार कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। अनाज भंडारण की पारम्परिक संरचनाओं में सुधार तथा आधुनिक वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं जैसे धातु के बर्तनों, पक्की कोठियों तथा सीमेन्ट की कोठियों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना अन्य गतिविधियां हैं, जो किसानों के लाभार्थ अनाज बचाओ अभियान द्वारा चलाई जाती हैं।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

5815. श्री बृजलाल खाबरी :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ स्थानीय अधिकारी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में जानबूझकर विलम्ब करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हुए विलंब के परिणामस्वरूप परियोजनाओं पर आई अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति किस प्रकार करने का विचार रखती है; और

(घ) इस विलंब के लिए जिम्मेवार पाए गए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क), (ख) और (घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में विलंब की कुछ शिकायतें सांसदों से प्राप्त हुई हैं। ऐसे मामलों को राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है तथा उन्हें संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है।

(ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्य, जिसमें लागत वृद्धि के मामले शामिल हैं, का क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

मैच फिक्सिंग घोटाला

5816. श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री किरीट सोमैया :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री जार्ज ईडन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने तथाकथित मैच-फिक्सिंग प्रकरण में गम्भीर आपत्ति उठाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षिण अफ्रीकी उच्चायुक्त को इस संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा बुलाया गया था;

(घ) यदि हां, तो उनके साथ हुई चर्चा और उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ उठाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या इस मामले से भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच सम्बन्धों पर कोई दुष्प्रभाव पड़ा है;

(ज) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(झ) क्या सरकार का विचार इस मामले को क्रिकेट खेलने वाले अन्य देशों के साथ भी उठाने का है जो कथित रूप से मैच फिक्सिंग में लिप्त रहे हैं; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दक्षिण अफ्रीका की उच्चायुक्त ने स्वयं अपने अनुरोध पर 10 अप्रैल, 2000 को विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ मुलाकात की थी।

(घ) उक्त बैठक के दौरान, अन्य मसलों के साथ ही साथ मैच फिक्सिंग के घोटाले में दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ियों के संलिप्त होने पर भी विचार-विमर्श किया गया था। दोनों इस बात पर सहमत हुए थे कि यह एक आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और बेईमानी का मामला है और कानून इसमें अपनी कार्रवाई करेगा।

(ङ) और (च) संबंधित अधिकारी इस मामले की अभी जांच कर रहे हैं। आगे की समुचित कार्रवाई तदनुसार की जाएगी।

(छ) और (ज) जी नहीं, दोनों सरकारों ने इस बात को दोहराया है कि यह प्रकरण दोनों देशों के बीच नीतिगत भागीदारी पर आधारित घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा।

(झ) और (ञ) यह मामला अभी संबंधित प्राधिकारियों की जांच के अधीन है। आगे की समुचित कार्रवाई तदनुसार की जाएगी।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का बन्द होना

5817. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सचिवों की कोई समिति ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना को बन्द होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से अपनी अधिकांश इक्विटी को विनिवेश करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि का वितरण

5818. **श्री शमशेर सिंह दूलो:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डा० अम्बेडकर जन्म शताब्दि समारोह समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 1991-92 के दौरान अनुसूचित/अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन परिवारों को खाली पड़ी सरकारी भूमि वितरित करने के लिए कार्रवाई शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित परिवारों के लिए भूमि की खरीद और वितरण हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि मंत्रालय द्वारा कुल कितनी धनराशि की मांग की गई और इस प्रयोजनार्थ योजना आयोग द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई और मंत्रालय को कुल आबंटन की तुलना में इसका प्रतिशत कितना है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं वार्षिक योजनाओं में उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित जारी और उपयोग की गई; और

(घ) उक्त सिफारिशों के लागू न किए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० बी० पी० बी० के० सत्यनाराण राव): (क) से (घ) कृषि मंत्रालय मुख्यतया सतत् कृषि उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। यह मंत्रालय विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन द्वारा कृषि विकास को बढ़ावा देता है, कृषि विस्तार एवं चकबन्दी के लिए मृदा और संरक्षण स्कीमों में सहायता करता है। कृषि अवसंरचना के विस्तार और सुदृढीकरण को बढ़ावा देता है। ये कार्यकलाप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित सभी श्रेणी के किसानों को लाभान्वित करते हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि सं० 18-सूची-II-राज्य सूची के अनुसार भूमि और इसका प्रबंध संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार केवल समन्वयक और सलाहकार की भूमिका अदा करती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय परिसीमित अधिशेष भूमि, भूदान भूमि और सरकारी परती भूमि के वितरण की निगरानी करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय सरकारी खाली भूमि का वितरण की निगरानी नहीं करता है।

उपर्युक्त के वितरण में केन्द्र सरकार की ओर से कोई वित्तीय वचनबद्धता शामिल नहीं है। योजना आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए भूमि की अधिप्राप्ति एवं वितरण के लिए कोई निधियां आबंटित नहीं की है।

विकलांग व्यक्ति

5819. **श्री साहिब सिंह:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1991 में विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, इस समय विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा पांच-दस वर्षों में विकलांग व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या इस विषय से संबंधित कोई राष्ट्रीय नीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखाएं क्या हैं;

(घ) विकलांग व्यक्तियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा की जा रही वास्तविक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी कार्रवाईयों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय विकलांग व्यक्तियों के लिए कितनी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, तथा विकसित की जा रही हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 1991 में संचालित प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान किया गया है कि जनसंख्या का लगभग 5% भाग किसी प्रकार की विकलांगता अथवा अन्य से पीड़ित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 फरवरी, 1996 में अधिनियमित और लागू किया गया जो नि:शक्त व्यक्तियों को समान अवसर तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कराने के भारत सरकार के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह इसके अंतर्गत पुनर्वास के निवारक तथा संवर्धनात्मक दोनों प्रकार के पहलुओं जैसे शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी आरक्षण, अनुसंधान और जनशक्ति विकास, बाधा मुक्त पर्यावरण का निर्माण, नि:शक्त व्यक्तियों का पुनर्वास, विकलांगों के लिए बेरोजगारी भत्ता, विकलांग कर्मचारियों के लिए विशेष बीमा योजना और अतिविकलांग व्यक्तियों आदि के लिए गृहों की स्थापना आदि का प्रावधान है।

2. अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों का बहुक्षेत्रीय सहयोगात्मक दृष्टि अपेक्षित है। इन सभी से शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :-

(1) विकलांगों के उद्यमीय कार्यकलाप को सहायता प्रदान करने के लिए 24.10.97 से राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा परिचालित किया गया है।

(2) इस अधिनियम की धारा 3 के अनुरूप केन्द्रीय समन्वय समिति की अधिसूचना। इस समिति की अब तक दो बैठकें हुई हैं।

(3) केन्द्रीय कार्यपालक समिति अधिसूचित की गई है। इस समिति ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अब तक चार बैठकें की हैं।

(4) नि:शक्त व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की गई है और उन्होंने दिनांक 1.1.98 से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

(5) इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें करने और योजनाएं तैयार करने के लिए विशेषज्ञों तथा सम्बन्धित मंत्रालयों के पांच कोर समूहों की गठन की गई है।

(6) धारा 73(1) तथा (2) के तहत नियमों को अधिसूचित किया गया है।

(7) धर्मार्थ दान अधिनियम, 1890 के अंतर्गत दिनांक 11.8.1983 को स्थापित राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति कोष को गतिशील बनाया गया है और गैर सरकारी संगठनों से सहायता मंजूर की गई है। अब तक, इस योजना के अंतर्गत 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(8) विकलांग स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए विकलांग बन्धु नामक एक नई योजना तैयार की गई है। राष्ट्रीय संस्थाओं और क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्रों ने अब तक अनेक विकलांग बन्धुओं को प्रशिक्षित किया है।

(9) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मन्दता तथा बहु विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण और उन संवेदनशील समूहों तथा उनके परिवारों को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय न्यास की स्थापना के लिए एवं विधेयक पारित किया गया है।

(10) भारतीय पुनर्वास परिषद् जो मानकीकरण और पुनर्वास व्यवसायिकों के प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता तथा व्यवसायिकों के पंजीकरण के लिए एक सांविधिक निकाय है, ने देश भर में विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में जनशक्ति सम्बन्धी एक योजना हाल ही में शुरू की है इस उद्देश्य के लिए आर सी आई को धनराशि आबंटित की गई है।

(11) अधिकांश राज्य सरकारों ने राज्य समन्वय समिति और राज्य कार्यपालक समिति गठित की है और विकलांग व्यक्ति की शिकायतों के निवारणार्थ नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आयुक्त नियुक्त किए हैं।

(12) इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए 14-15 फरवरी, 2000 को नई दिल्ली में नि:शक्त व्यक्तियों के प्रभारी राज्य सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। राज्य के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की प्रगति का मॉनीटर करने के लिए राज्य शिक्षा सचिवों तथा राज्य श्रम सचिवों की एक कार्यशाला भी नई दिल्ली में आयोजित की गयी।

(13) केन्द्रीय मंत्रालयों जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष दायित्व सौंपे गए हैं, द्वारा की गई प्रगति का मॉनीटर करने के लिए एक अन्तरमंत्रालयीन समूह गठित किया गया है।

(14) नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी एजेन्सियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(15) शारीरिक, मानसिक, श्रवण एवं दृष्टि विकलांग व्यक्तियों और समूहों को कल्याण सेवाओं का एक पूर्ण पैकेज प्रदान करने की नीति के अनुसरण में और विकलांग जनसंख्या की बहु आयामी समस्याओं से कारगर ढंग से निपटने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने छः राष्ट्रीय शीर्ष स्तर की संस्थाएं स्थापित की हैं जिनमें से प्रत्येक विकलांगता के एक विशेष क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये संस्थाएं शिक्षा प्रशिक्षण, व्यावसायिक दिशानिर्देश, परामर्श अनुसंधान, पुनर्वास और विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सेवा मॉड्यूलों के विकास के क्षेत्र में शीर्षस्तरीय संगठन हैं।

(16) कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी के रूप में नवम्बर 1972 में की गई जिसका मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए मानक सहायक यंत्रों एवं उपकरणों का विकास और निर्माण करना और उन्हें देश भर में उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना है। यह पहिएदार कुर्सियों, तिपहिया साइकिलों, कृत्रिम अंगों, बैसाखियों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए अन्य अनेक सहायक यंत्रों एवं उपकरणों का निर्माण करता है।

(17) देश के 11 जिलों में ग्रामीण विकलांग व्यक्तियों को उनके घरों में व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला पुनर्वास केन्द्र योजना शुरू की गई। चेन्नई, मुम्बई, कटक तथा लखनऊ में चार क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्रों की भी स्थापना की गई है जिनका उद्देश्य पुनर्वास के क्षेत्र में और विशेषकर जिला पुनर्वास केन्द्रों के लिए जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(18) विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार की योजना के अंतर्गत राज्यों को विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय तथा सामान्य रोजगार कार्यालय चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(19) विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त तथा लागत प्रभावी सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदान करने के लिए तथा उनकी चलनता में सुधार लाने और रोजगार के अवसरों का संवर्धन करने के लिए मिशन मोड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना की योजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत नई प्रौद्योगिकियों का सृजन करने के लिए तथा सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग करने हेतु इनको दिशानिर्देश देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(20) वर्ग ''ग'' और ''घ'' के पहचान किए गए पदों पर सरकारी संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण 1977 से लागू है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद यह आरक्षण पहचान किए गए वर्ग ''क'' और ''ख'' पदों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18.2.97 के आदेश के द्वारा दिया गया है। वर्ग ''क'', ''ख'' ''ग'' और ''घ'' पदों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों की पहचान 1986 में ही कर ली गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि 1986 में की गई पदों की वर्तमान पहचान भारत सरकार द्वारा इसे संशोधित करने तक वैध रहेगी। दिनांक 17.9.99 के पत्र के द्वारा अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि जिन पदों की विकलांग व्यक्तियों से भरे जाने के लिए उपयुक्त होने के रूप में पहचान की गई है, उन पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग आदि को मांग-पत्र भेजते समय सभी भर्ती एजेंसियों यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण की नीति को ध्यान में रखा गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4.7.97 को एक परिपत्र भी जारी किया गया जिसमें पदोन्नति से भरे गए पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले निर्धारित प्वाइंट संख्या 33, 67, और 100 के बजाए विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण हेतु 100 प्वाइंट रजिस्टर में 100 रिक्तियों के आवर्तन में प्वाइंट सं० 1, 34, और 67 की व्यवस्था है।

(21) 1986 में की गई पदों की वर्तमान पहचान की समीक्षा करने तथा अधिक उपयुक्त पदों की पहचान करने के लिए अपर सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) की अध्यक्षता में मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

3. इसके अतिरिक्त, सरकार ने विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए हाल ही में कई योजनाएं बनाई हैं। जिनमें ये शामिल हैं :-

(क) विकलांगता के रूप में राष्ट्रीय संस्थाओं में बाह्य विस्तार केन्द्रों के रूप में विभिन्न भागों में छः संयुक्त क्षेत्रीय संसाधन केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

(ख) मेरूदंड क्षतिग्रस्त तथा अस्थि विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए चार क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना संबंधी योजना को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित करने के लिए हाल ही में अनुमोदित किया गया है जिसमें केन्द्रीय और राज्य की भागीदारी 90:10 के आधार पर होगी।

(ग) उत्पादन क्षमता का विस्तार करने तथा गुणवत्ता वाले सहायक यंत्र और उपकरण आसानी से उपलब्ध कराने के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के 4 सहायक उत्पादन केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

(घ) विकलांग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/जिला/ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अवसंरचना का सृजन करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य क्षेत्र में हाल में स्वीकृत किया गया है। योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को धनराशि निर्मुक्त की जा रही है।

(ङ) इसके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों को उनके घरों में व्यापक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सौ से अधिक जिलों की पहचान की गई है। पहचान की गई सेवाओं में क्रमशः राष्ट्रीय संस्थान/भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम/केन्द्र सरकार तथा जिला पुनर्वास केन्द्रों के सहयोग से मिश्रित फिटमेंट एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करना शामिल हैं।

नेफेड का निष्पादन

5820. श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ नेफेड के समग्र व्यवसायिक निष्पादन में निरन्तर गिरावट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके व्यवसायिक निष्पादन के सुधार हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰ सत्यनाराण राव): (क) जी, नहीं। हालांकि वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) के व्यापार निष्पादन में गिरावट आयी है, फिर भी वर्ष 1999-2000 के दौरान नेफेड ने लगभग 625 करोड़ रुपये का कारोबार किया जबकि वर्ष 1998-99 के दौरान उसका कुल कारोबार 462.94 करोड़ रुपये का था।

(ख) नेफेड ने अपने व्यापार निष्पादन में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(1) खाद्य उत्पादों और कृषि जिन्सों की संस्थागत आपूर्ति में वृद्धि करना;

(2) खाद्य एवं कृषि उत्पादों संबंधी अपभोक्ता विपणन गतिविधियों में वृद्धि करना;

(3) जैव उर्वरक एकक, शीतागार और अन्य संग्रहण गोदामों जैसे आय सृजक उत्पादों को शीघ्र पूर्ण करना;

(4) जूट और जूट उत्पादों की व्यापार गतिविधियों को बढ़ाना;

(5) आयातित दलहन की देखरेख और प्याज के बफर भंडार रखने जैसे सरकारी क्षेत्र की गतिविधियों में भाग लेना; और

(6) गंवाई हुई व्यापार स्थिति को वापस पाने के विशेष प्रयास करना, यानि रामतिल बीज के निर्यात हेतु एसोसिएट शिपर की स्थिति में वापस आना।

मुर्गी पालन अनुसंधान केन्द्र

5821. **डा॰ वी॰ सरोजा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में नमक्कल क्षेत्र में अंडों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को ध्यान में रखते हुए वहां पर मुर्गी पालन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल तमिलनाडु में नमक्कल में मुर्गी पालन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बाल श्रम का शोषण

5822. **श्री राम टहल चौधरी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बाल श्रम के यौन शोषण, दुर्व्यवहार और शोषण से संबंधित कितने मामलों की सूचना मिली?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): सरकार का प्रयास बाल श्रम और अन्य संबंधित कानूनों को इस ढंग से कार्यान्वित करना है जिससे बच्चों के शोषण को रोका जा सके। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं दिनियमन) अधिनियम, 1986 इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में बच्चों की रोजगार परिस्थितियों को विनियमित किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत पता लगाए गए उल्लंघनों और चलाए गए अभियोजनों की राज्य वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

राज्य	1996-97		1997-98		1998-99	
	पता लगाए गए उल्लंघन	चलाए गए अभियोजन	पता लगाए गए उल्लंघन	चलाए गए अभियोजन	पता लगाए गए उल्लंघन	चलाए गए अभियोजन
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	41	22	551	270	493	553
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
असम	77	0	178	3	0	0
बिहार	1172	31	987	81	279	97

1	2	3	4	5	6	7
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	109	109	12	12	10	16
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	2	3	0	13	0	0
हरियाणा	0	0	0	0	0	0
केरल	5	1	—	—	0	2
कर्नाटक	—	—	—	—	153	2
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	97	2	605	389	1913	17
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	186	2	353	9	127	128
पंजाब	15	12	22	24	8	5
पांडिचेरी	0	0	0	0	—	—
राजस्थान	0	16	0	891	0	601
तमिलनाडु	18	34	5	69	242	241
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	264	249	—	—	—	—

[अनुवाद]

भारत-जर्मन संबंध

5823. श्री ए० वेंकटेश नायक:
श्री किरीट सोमैया:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मनी ने हाल ही में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर वार्ता आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां। जर्मन स्टेट सेक्रेटरी श्री वोल्फगेंग इशिंगेर विदेश कार्यालय वार्षिक परामर्शों और दोनों के बीच सामरिक वार्ता शुरू करने के सिलसिले में 12 अप्रैल, 2000 को भारत की यात्रा पर आए।

(ख) और (ग) श्री इंजशिंगेर और हमारे विदेश सचिव के बीच विदेश कार्यालय परामर्शों के संबंध में चर्चा से द्विपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक संबंधों की समीक्षा हुई। उन्होंने मई, 2000 के मध्य में होने वाली जर्मन विदेश मंत्री की भारत यात्रा की तैयारी के लिए भी योगदान दिया।

सामरिक वार्ता की चर्चाओं में सार्वभौम और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता, निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, विश्व अर्थव्यवस्था और व्यापार तथा संयुक्त राष्ट्र के सुधार से सम्बद्ध मसले शामिल थे। इन चर्चाओं से दोनों देशों के बीच आपसी हित-चिन्ता

के इन मसलों पर गहरी समझ-बूझ में योगदान मिला है। जर्मन पक्ष ने यह भी कहा है कि यह स्वतः स्पष्ट है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है। इस बात पर सहमति हुई कि सामरिक वार्ता दोनों देशों में बारी-बारी से प्रत्येक दो वर्ष में होगी।

तमिलनाडु में कोयर बोर्ड और लघु उद्योग के कार्यालय

5824. श्री तिरूनावकरसू: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में पुकुक्कोट्टई में कोयर बोर्ड और लघु उद्योग का कार्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तमिलनाडु में कॉयर उद्योग के विकास के लिए कॉयर बोर्ड के दो शोरूमों के अतिरिक्त राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित तीन संस्थान हैं :-

(1) पोलाची में क्षेत्रीय कार्यालय

(2) तन्जावुर में क्षेत्रीय कॉयर प्रशिक्षण और विकास केन्द्र

(3) टेंकाशी में अनुसंधान-सह-विस्तार केन्द्र।

राज्य में कॉयर उद्योग के समग्र विकास संबंधी क्रियाकलापों के समन्वय का कार्य क्षेत्रीय अधिकारी, पोलाची, तमिलनाडु को सौंपा गया है। क्षेत्रीय कॉयर प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र, तन्जावुर और अनुसंधान-सह-विस्तार केन्द्र, टेंकाशी, तमिलनाडु में कॉयर उद्योग को आवश्यक तकनीकी तथा विस्तार समर्थन प्रदान करते हैं।

जहां तक लघु उद्योग कार्यालय स्थापित करने का संबंध है, कोई ऐसा प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

बेरोजगारी हेतु कार्य-योजना

5825. श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
प्रो० दुखा भगत:
श्री अनंत गंगाराम गीते:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने हेतु नई रोजगार नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रमुख महानगरों में इस समय स्नातक, स्नातकोत्तर और स्नातक पूर्व श्रेणी में कितने युवा बेरोजगार हैं; और

(घ) इन महानगरों में वर्ष 2000-2001 के दौरान बेरोजगारी को दूर करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) जी नहीं। जबकि सरकार बेरोजगारी की समस्या से पूर्णतः अवगत है तथा रोजगार पिछले 40 वर्षों अथवा इससे भी पहले से विकास योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दरों की प्रवृति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार सृजित करना है। नौवीं योजना में उच्च बेरोजगारी एवं श्रमिकों के उत्तरोत्तर नैमितिकरण को देखते हुए एक राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना आरंभ की गई है। रोजगार सृजन में हो रही वृद्धि तथा 10 वर्ष की अवधि में कम से कम 100 मिलियन (प्रत्येक वर्ष में 10 मिलियन रोजगार) रोजगार सृजन के उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग के सदस्य डा० मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक कार्य दल का भी गठन किया गया है।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) प्रमुख महानगरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी० एम० आर० वाई०) तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस० जे० एस० आर० वाई०) जैसे विशेष रोजगार कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। लक्ष्य निर्धारित करना संबंधित राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

विवरण

दिनांक 30.6.1998 को प्रमुख महानगरों में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में रोजगार चाहने वालों की संख्या शैक्षिक स्तरों द्वारा वर्गीगत

क्रम स.	प्रमुख महानगरों	दिनांक 30.6.1998 को चालू रजिस्टर में संख्या (हजार में)			
		स्नातक पूर्व (10वीं कक्षा एवं 10+2 कक्षा पास)	स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल (10वीं कक्षा एवं उससे ऊपर शिक्षित आवेदक)
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	83.0	18.3	2.9	104.2
2.	बंगलौर	246.3	94.2	14.1	354.6
3.	मुम्बई	412.9	40.2	5.5	458.6
4.	कलकत्ता	151.0	34.6	0.7	186.3

1	2	3	4	5	6
5.	दिल्ली	596.1	238.8	34.0	869.0
6.	हैदराबाद	63.2	58.3	23.3	144.8
7.	कानपुर	73.8	20.7	4.6	99.1
8.	चेन्नई	217.1	167.8	73.9	458.8
9.	नागपुर	150.5	21.4	7.0	179.0
10.	पुणे	162.8	29.1	10.3	202.2

टिप्पणी: प्रत्येक प्रमुख महानगर में एक से अधिक रोजगार कार्यालय कार्य कर रहे हैं। किसी भी शहर में कार्य कर रहे सभी रोजगार कार्यालयों से संबंधित सूचना के आंकड़े सम्मिलित हैं।

भारतीयों को सताया जाना

5826. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की उच्च तकनीकी श्रम शक्ति की अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में बहुत मांग है और भारतीय लोग बेहतर आजीविका संबंधी संभावनाओं के लिए विदेश जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष श्रेणीवार और देशवार ऐसे कितने भारतीय विदेश गए;

(ग) क्या भारत सरकार को इन भारतीय लोगों को विदेशों में सताए जाने संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो विदेशों में भारतीय लोगों के हितों की रक्षा हेतु सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) सरकार ने उच्च तकनीकी प्रतिभा सम्पन्न श्रमशक्ति को देश में ही उपयोगार्थ रखने के लिए क्या उपाय किए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) कुछ अति कुशल प्रतिभाएं रोजगार के लिए दूसरे देशों में चली जाती हैं, किन्तु उनके संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि उन्हें ''उत्प्रवास अनापत्ति'' लेने की जरूरत नहीं पड़ती।

(ग) और (घ) अमेरिका के एमिग्रेशन एण्ड न्यूट्रलाइजेशन सर्विस द्वारा टेक्सास में कुछ भारतीय कम्प्यूटर प्रतिभाओं को गिरफ्तार करने का मामला जनवरी, 2000 में प्रकाश में आया था क्योंकि उन्होंने अपने श्रम प्रमाण-पत्र में उल्लिखित कम्पनी की जगह किसी अन्य कम्पनी में काम कर एच 1-बी वीसा के तहत रोजगार शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन किया था। उस कम्पनी यानी मैसर्स फ्रंटियर कंसलटिंग इनकॉरपोरेटेड द्वारा उनके लिए जमानत भरने के बाद उन्हें अगले दिन रिहा कर दिया गया। तब, वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत ने विदेश विभाग तथा एमिग्रेशन एण्ड न्यूट्रलाइजेशन सर्विस के समक्ष, भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध दर्ज किया था। इस घटना पर अमेरिकी सरकार की ओर से सहायक विदेश सचिव ने गहरा अफसोस प्रकट किया। बाद में भारतीय प्रतिभाओं पर लगाए गए तमाम आरोप वापिस ले लिए गए।

(ङ) भारत में विशेषकर सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा निवेशकों के निवेश में वृद्धि को देखते हुए, अति कुशल प्रतिभाओं को मिलने वाले पारिश्रमिक में खासी वृद्धि करना जरूरी हो गया है। विदेशी कम्पनियां भी यह महसूस कर रही हैं कि अपने यहां भारतीय प्रतिभाओं को खपाने की तुलना में भारत में ही अनुसंधान करना तथा अनुसंधान विकास केन्द्रों की स्थापना करना बेहतर है। आशा है इससे देश में से भारतीय प्रतिभाओं का पलायन रुकेगा। इसके लक्षण नजर भी आने लगे हैं।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों को पुनः शुरू करना

5827. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों को पुनः शुरू करने के प्रश्न पर नेपाल के साथ राजनयिक स्तर पर विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या नेपाल सरकार द्वारा विमानों और यात्रियों को सुरक्षा और हिफाजत प्रदान करने के बारे में कोई आश्वासन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (घ) 19 से 25 जनवरी, 2000 तक नेपाल की यात्रा पर गए 6 सदस्यीय नागर विमानन विशेषज्ञ दल ने काठमांडू में त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा और आप्रवासन नियंत्रणों को मजबूत करने के बारे में नेपाली प्राधिकारियों के साथ चर्चा की। इंडियन एयरलाइन्स ने भी वे कतिपय उपाय किए जो वे अपहरण के परिणामस्वरूप अपने हवाई जहाजों, यात्रियों तथा कर्मीदल की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक मानते हैं और जो आई सी ए ओ के मानदण्डों तथा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन क्रियाविधियों एवं प्रथा के अनुरूप हैं। इन प्रबंधों के सुनिश्चय के लिए 28 मार्च से 1 अप्रैल, 2000 तक काठमांडू में एक दौर की द्विपक्षीय बातचीत हो गई है। इसमें प्रगति हुई है परन्तु कुछ क्रियाविधियों को और उपयोगी बनाने तथा उन्हें अंतिम रूप देने की जरूरत है। जैसे ही इन प्रचालन ब्यौरों पर सहमति हो जाती है, उड़ानें पुनः शुरू हो जाएंगी। नेपाली सरकार ने अपनी ओर से हमें यह भी आश्वासन दिया है कि वे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय कर रहे हैं।

हिन्दुत्व के विरुद्ध अपमानजनक भाषा

5828. **श्री मोहन रावले:** क्या विदेश मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाशिंगटन के दक्षिणी बैपटिस्ट सम्मेलन ने अभी हाल ही में एक प्रार्थना पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें हिन्दुओं के विरुद्ध उत्तेजक, असंवेदनशील और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) द इन्टरनेशनल मिशन्स बोर्ड ऑफ दी सदर्न बेप्टिप्ट्स ने मुसलमानों, हिन्दुओं और यहूदियों के लिए तीन प्रार्थना गाईडें प्रकाशित की थीं। "द प्रेयर फार हिन्दूस" अक्तूबर 1999 में प्रकाशित की थी। इस पुस्तिका में दक्षिणी बेपटिस्ट से "कई अनधिगम्य हिन्दु जन समूहों" के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया है।

(ख) भारत सरकार ने इस "प्रार्थना पुस्तिका" की अपमानजनक भाषा पर भारतीय संगठनों द्वारा व्यक्त चिन्ता से अमरीकी प्राधिकारियों को अवगत कराया था। वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास भी भारतीय अमरीकी संगठनों के नेताओं को इस मामले को अमरीकी सरकार के साथ उठाने के उनके प्रयासों में उन्हें सलाह देते हुए निकट सम्पर्क में था।

भारतीय संविधान सुप्रसिद्ध सामाजिक परम्पराओं की सहिष्णुता और सभी धर्मों का सम्मान परिलक्षित करते हुए देश के नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की गांरटी देता है। सरकार धार्मिक असहिष्णुता की सभी अभिव्यक्तियों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखती है।

अवशिष्ट का निपटान

5829. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटिल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यूरेनियम/परमाणु अपशिष्ट के वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार निपटान के लिए वर्तमान प्रबंधन की समीक्षा की है, जो मानव-जीवन को खतरे में न डाले;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों/प्रस्तावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार परमाणु अपशिष्ट के निपटान के संबंध में वर्तमान व्यवस्था के अध्ययन हेतु एक बहुसंकायी दल का गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें चिकित्सा क्षेत्र के कार्मिक, विकिरण विज्ञानी, पारिस्थितिकी-विज्ञानी, समाजशास्त्री, रसायन शास्त्री शामिल होंगे; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए कार्यनीति का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट-पदार्थों का प्रबंधन जिसमें उनका सुरक्षित रूप से निपटान किया जाना भी शामिल है, भारत में पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। हमारी प्रक्रियाएं, सामान्यत: पर्यावरण के मामलें में और विशेषत: जन सामान्य के मामले में, सुरक्षा के उच्चतम मानदण्डों के अनरूप हैं। अपशिष्ट-पदार्थों के प्रबंधन का काम परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी), जोकि भारतीय नाभिकीय सुरक्षा नियामक प्राधिकरण है, द्वारा विहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप किया जाता है। ये मार्गदर्शी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण द्वारा समर्थित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतों पर आधारित होते हैं।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के पास सभी संबंधित विषयों के सक्षम विशेषज्ञों का एक दल है और इसलिए एक बहु-विषयक दल के गठन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

यूरोपीय देशों के साथ समझौते

5830. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न यूरोपीय देशों के साथ आपसी संबंधों को बेहतर व मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न यूरोपीय देशों के साथ सम्पन्न करारों का विवरण दर्शाने वाला वक्तव्य संलग्न विवरण में दिया है।

विवरण

क्र.सं.	देश	करारों का विवरण	तारीख और स्थान
1	2	3	4
1.	उक्रेन	दोहरे कराधान के परिहार से संबंधित करार	07-04-1999 कीव
2.	रूस	पशु चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार	16-04-1999 नई दिल्ली
3.	रूस	विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान और रूसी परिसंघ के विदेश मामलों के मंत्रालय की राजनयिक अकादमी के बीच परस्पर सहयोग संबंधी करार	10-06-1999 नई दिल्ली

1	2	3	4
4.	आस्ट्रिया	दोहरे कराधान के परिहार और आय कर के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम संबंधी करार	08-11-1999 विएना
5.	आस्ट्रिया	निवेशों के संवर्धन और संरक्षण संबंधी करार	08-11-1999
6.	क्रोएशिया	विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान और राजनयिक अकादमी के बीच करार	05-01-2000 नई दिल्ली
7.	स्विटजरलैंड	आय करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार में संशोधन का प्रोतोकोल	16.02.2000 नई दिल्ली
8.	पुर्तगाल	आर्थिक और औद्योगिक सहयोग संबंधी करार	13-03-2000 लिस्बन

बाह्य सहायता-प्राप्त शैक्षिक परियोजनाएं

5831. **श्री पी०डी० एलानगोवन:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे कौन-कौन सी विविध बाह्य सहायता प्राप्त शैक्षिक परियोजनाएं हैं जिन्हें हाल में विभिन्न विषयों के शिक्षार्थियों के लिए अभिगम्य बना दिया गया है;

(ख) विभिन्न विषयों के लिए बाह्य सहायता प्राप्त छात्रवृत्तियों के भत्ते क्या हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान किन-किन छात्रों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए;

(ग) क्या विदेश स्थित भारतीय दूतावास भी भारत में अनुसंधान/अध्ययन कार्यक्रमों के लिए विदेशी नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय शिक्षार्थियों द्वारा सहायता-प्राप्त छात्रवृत्तियों के जरिए पुरातत्व-विज्ञान, कला और इतिहास के क्षेत्र में क्या-क्या अनुसंधान कार्य किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारत में अनुसंधान/विशेष कार्यक्रमों के लिए विदेशी राष्ट्रिकों से विदेश स्थित भारतीय मिशनों के जरिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करती है और कई छात्रवृत्ति योजनाओं को संचालित करती है जिनके अन्तर्गत विदेशी विद्वान सहायता प्राप्त करते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 1000 छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। 70 से अधिक देशों के अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करते हैं और विभिन्न विषयों में स्नातक से लेकर डाक्टरेट की उपाधियों तक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन करते हैं। जिन विषयों में छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं वे निम्न प्रकार हैं: मानविकी, विशुद्ध विज्ञान, मंचीय कला, कृषि, शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन, भाषा, साहित्य, जन संचार, इंजीनियरी, प्रयुक्त अर्थशास्त्र, जैव-रसायन, व्यवसाय प्रशासन, सामाजिक कार्य, लोक प्रशासन, विधि और धार्मिक अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन मानव विज्ञान इत्यादि और भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य शिक्षा, चित्रकला, शिल्पकला इत्यादि।

हालांकि, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की शर्तों में इस बात का मामूली अन्तर है कि छात्रवृत्ति में हवाई यात्रा किराया शामिल है अथवा नहीं, बाकी अधिकांश भाग एक समान है और उसमें शिक्षण शुल्क, निर्वाह खर्च के लिए छात्रवृत्ति, आवास किराया भत्ता, वार्षिक आकस्मिकता अनुदान तथा चिकित्सा खर्च, शामिल हैं। इसके अलावा, अध्ययन दौरे, छात्र कैम्प तथा कल्याण क्रियाकलाप जैसे अन्तर्राष्ट्रीय छात्र समारोहों के आयोजन भी किए जाते हैं।

भारत सरकार भूटानी राष्ट्रिकों को विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों की पेशकश करती है। ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :-

1. भूटान को सहायता के अन्तर्गत 50 छात्रवृत्तियां
2. कोलम्बो योजना की तकनीकी सहायता योजना के अन्तर्गत 50 छात्रवृत्तियां
3. आईटैक कार्यक्रमों के अन्तर्गत अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए 20 स्थान
4. सार्क योजना के अन्तर्गत पीठ/फैलोशिप/छात्रवृत्ति :-

छात्रवृत्ति	2
फैलोशिप	1
पीठ (सार्क देशों के मध्य बारी-बारी से)	1

2000-2001 में नेपाली छात्रों को निम्नलिखित छात्रवृत्तियों की पेशकश की जा रही है :-

1. नेपाल सहायता निधि के अन्तर्गत बी ई/बी टेक पाठ्यक्रमों के लिए 50 छात्रवृत्तियां।

2. रजत जयन्ती छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए 25 छात्रवृत्तियां।

3. सामान्य संस्कृति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत संगीत/ललित कला पाठ्यक्रमों के लिए 3 छात्रवृत्तियां।

4. सार्क योजना के अन्तर्गत पीएचडी की 2 छात्रवृत्तियां।

5. नेपाल सहायता निधि के अन्तर्गत एमएससी (कृषि), बीएससी (कृषि) और बीवीएससी के लिए पांच-पांच छात्रवृत्तियां।

6. जीएससीसी के अन्तर्गत इंजीनियरी में डिप्लोमा के लिए 3 छात्रवृत्तियां।

7. कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता योजना के नेपाल की शाही सरकार के कर्मचारियों के लिए 50 छात्र-वृत्तियां।

8. आईटेक योजना के अन्तर्गत नेपाल की शाही सरकार के कर्मचारियों के लिए 30 छात्रवृत्तियां।

9. सार्क देशों के लिए मुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 50 छात्रवृत्तियां।

(ङ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ठाणा झील में मछलियां

5832. श्री दिलीपकुमार मनुससुखलाल गांधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में ठाणा झील में बड़ी संख्या में मछलियां मर गईं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लगभग 6.06 हैक्टेयर क्षेत्रफल वाली झील शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। मछली की काफी हानि हुई है तथा हानि प्राथमिक रूप से शहरी अवशिष्ट द्वारा झील के प्रदूषण के कारण हुई है। राज्य सरकार 'ताजा जल जलकृषि का विकास' नामक प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए विशेष थाने

5833. डा. संजय पासवान : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में कमजोर वर्गों के उत्पीड़न और शोषण को रोकने हेतु राज्य-वार कितने थाने काम कर रहे हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने मामले दर्ज किये गये;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय तथा विभिन्न राज्यों में राज्यवार कुल कितने मामले दर्ज हुए;

(घ) कितने मामले लंबित हैं; और

(ङ) उक्त आयोग के विभिन्न कार्यालयों में पांच वर्षों से अधिक समय से कितने मामले लंबित हैं/तथा इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों से सम्बंधित मामले दर्ज नहीं करता है।

प्रति व्यक्ति आय

5834. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूसरे पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) भारत का विश्व में प्रति व्यक्ति आय के संबंध में क्या स्थान है; और

(ग) प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) भारत तथा अन्य देशों की प्रति व्यक्ति आय (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) के तुलनीय आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विश्व बैंक एटलस, 1999 के अनुसार भारत विश्व के 209 देशों में 177वें स्थान पर है।

(ग) देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए, स्थिर मूल्यों सहित अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि दर को तेज करना तथा जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करना आवश्यक है। इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ कदम नौवीं पंचवर्षीय योजना में दिए गए हैं।

विवरण

रैंक	प्रति व्यक्ति सकल रा० उत्पाद, 1997 विश्व बैंक एटलस पद्धति	अमरीकी डालर
1	2	3
1	लिचस्टन	50000
2	लग्जमबर्ग	45000
3	स्विटजरलैंड	43060
4	जापान	38160
5	नार्वे	36100
6	बरमुडा	35000
7	डेनमार्क	34890
8	सिंगापुर	32810
9	सोर्मे आइसलैंड	32000
10	अमेरीका	29080
11	जर्मनी	28280
12	आस्ट्रिया	27920
13	आइसलैंड	27000
14	बेल्जियम	26730
15	फ्रांस	26300
16	स्वीडन	26210
17	मोनेको	28000
18	नीदरलैंड	25830
19	हांगकांग, चाईना	25200
20	फीनलैंड	24790
22	ब्रिटेन	20870
23	आस्ट्रेलिया	20650
24	इटली	20170
25	कनाडा	19640
28	आयरलैंड	17790
32	इजराईल	16180
36	न्यूजीलैंड	15830
38	स्पेन	14490
49	ग्रीस	11640
52	पुर्तगाल	11010
53	कोरिया, रिपब्लिक	10550
54	स्लोवेनिया	9840
56	माल्टा	9330
57	अर्जेन्टीना	8950
62	एन्टीगुआ एवं बरमुडा	7380
64	सऊदी अरब	7150
67	शिचल्लस	6910
68	सेंटकीट्स एंड नैविस	6260
69	उरूग्वे	6130
70	चेक गणराज्य	5240
72	चिली	4820
73	ब्राजील	4790
74	मलेशिया	4530
75	हंगरी	4510
76	त्रिनिदाद एवं टोबेको	4250
77	गेबोन	4120
78	क्रोएशिया	4060
80	मारीशस	3870
81	मैक्सिको	3700
82	स्लोवाक रिपब्लिक	3680
83	पोलैंड	3590
84	सैंट लूसिया	3510
85	वेनेजुएला	3480
86	एस्टोनिया	3360
87	लेबनान	3350
88	बोतसवाना	3310
89	साऊथ अफ्रीका	3210
90	ग्रेडा	3140

1	2	3
91	टर्की	3130
92	पनामा	3080
93	डोमिनिया	3040
94	थाईलैंड	2740
95	कोस्टा रीका	2680
95	रशियन फेडरेशन	2680
97	डेलीज	2670
98	पेरू	2610
99	फिजी	2460
101	लैटविया	2430
102	सैंटविंसैंट ग्रेनडाईस	2420
103	लिथुआनिया	2260
104	कोलम्बिया	2180
105	बेलारूस	2150
106	नामिबिया	2110
106	टयूनिशिया	2110
108	पारागुआ	2000
109	मिक्रोनेशियाफ्रेड-स्टेट्स	1920
110	इस्ट विल्वाडोर	1810
110	टांगा	1810
112	ईरान, ईस्लामिक रिप०	1780
113	डोमिनिकन रिपब्लिक	1750
114	मार्शल आईसलैंड	1610
116	ग्वाटेमाला	1580
117	इक्वेडोर	1570
119	जमायिका	1550
120	जार्डन	1520
120	स्वाजीलैंड	1520
122	अल्जीरिया	1500
124	रोमानिया	1410

1	2	3
125	कजाकिस्तान	1350
126	वनौतू	1340
127	सूरिनाम	1320
128	मरिको	1260
129	इजिप्ट अरब रिप०	1200
129	फिलीपींस	1200
131	मालद्वीव	1180
132	बुलगारिया	1170
133	समोआ	1140
134	सीरिया अरब गणराज्य	1120
135	इन्डोनेशिया	1110
136	मैकाडोनिया, एफवाईआर	1100
137	कैप वरडे	1090
138	इकोटोरियल गुनिया	1060
139	यूक्रेन	1040
140	उजबेकिस्तान	1020
141	बोलिविया	970
142	पापुआ न्यु गुनिया	930
143	किरबिती	910
144	सलोमन आइसलैंड	870
145	चाईना	860
146	जार्जिया	860
148	गुआना	800
148	श्रीलकां	800
151	अल्बनिया	760
152	होन्डुरस	740
153	जिम्बावे	720
154	कोटे/आइवोरी/डी	710
155	लिसोथो	680
156	कांगो, रिपब्लिक	670
157	तुर्कमैनिस्तान	640

1	2	3
158	कैमरून	620
159	अरमेनिया	560
160	गुनिया	550
161	सेनेगल	540
163	अजरबेजान	510
164	पाकिस्तान	500
166	किरगिज रिपब्लिक	480
167	मालडौवा	460
168	मोरटानिया	440
169	भूटान	430
170	निकारागुआ	410
171	कोमोरोस	400
171	लाओ पीडीआर	400
173	घाना	390
173	मंगोलिया	390
175	बैनिन	380
175	हैती	380
177	इंडिया	370
177	जाम्बिया	370
179	बांग्लादेश	360
180	आम्बिया थी	340
180	केन्या	340
180	टोगो	340
183	ताजिकिस्तान	330
183	युगांडा	330
185	सैंट्रा अफ्रीका गणराज्य	320
186	वियतनाम	310
187	कम्बोडिया	300
189	साओटोम एण्ड प्रिंसिपै	290
189	सूडान	290
191	नाइजीरिया	280
192	यमन, रिपब्लिक	270
193	अंगोला	260
193	माली	260
196	बुरकिना फासो	250
196	मैडागास्कर	250
198	चाड	230
198	इरिटीरिया	230
198	गनिया बिसाऊ	230
201	नेपाल	220
202	मलाल	210
202	रवांडा	210
202	तंजानिया	210
205	नाइजेर	200
206	सिएट्रा लिओनी	160
207	बुरूंडी	140
207	मोजाम्बिक	140
209	कांगो, डैम०-रिपब्लिक	110
209	इथोपिया	110

स्रोत : विश्व बैंक एटलस, 1999।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी नीति

5835. **श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी कम करने, भारतीय भाषाओं का प्रयोग और महिलाओं को अधिकार देने के लिए नई सहस्राब्दि हेतु अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना पर कितनी लागत आएगी और इससे आम आदमी को किस तरह लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) इसके लिए राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई, स्वीकृत की गई और जारी की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना

के अनुसार, निम्नलिखित राज्यों ने अब तक सूचना प्रौद्योगिकी पर एक नीति तैयार कर ली है :-

आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

सूचना प्रौद्योगिकी नीति में मोटे तौर पर संबंधित राज्य सरकार का दृष्टिकोण तथा उद्देश्य दिए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार अपनी ओर से राज्य सरकार से जब कभी कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होगा, तब तकनीकी/वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर उस पर विचार करेगी।

पाम ऑयल का मूल्य

5836. श्री कोलुर बासवन गौड़:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पाम ऑयल का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) पाम आयल या आयल पाम के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। हालांकि, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारों से मंडी हस्तक्षेप स्कीम के तहत आयल पाम की खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश के प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है तथा स्कीम चल रही है। कर्नाटक का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रकार न तो महाराष्ट्र से और न ही केरल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

भारत को जापान द्वारा सहायता

5837. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री बी०एस० बसवराज:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को सहायता देने वाले प्रमुख देश जापान ने परमाणु परीक्षणों के पश्चात् द्विपक्षीय सहायता बंद कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो जापान ने अब यह सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो जापान ने किस सीमा तक भारत को विकास संबंधी सहायता पुन: दी है;

(घ) क्या ओवरसीज इकानॉमिक कोआपरेशन फंड के मूल्यांकन दल ने दिल्ली मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण पर वार्ता हेतु जनवरी, 2000 में दिल्ली की यात्रा की थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा): (क) और (ख) पोखरण परीक्षणों के पश्चात् मई, 1998 में जापान द्वारा भारत के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा की गयी। जापान द्वारा भारत के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा की गयी। जापान सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नये येन ऋण को स्थगित कर दिया जाएगा परन्तु जारी परियोजनाओं पर प्रतिबंधों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी कहा गया कि जारी समय-खण्ड परियोजनाओं की बाद की किश्तों पर मामले के अनुसार विचार किया जाएगा। हालांकि बकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना की दूसरी किश्त अंतिम क्षणों में संस्वीकृत कर दी गयी है, जापान की अन्य समय-खण्ड परियोजनाओं की दूसरी और बाद की किश्तें बकाया हैं।

(ग) मई, 1998 में भारत द्वारा किये गये नाभिकीय परीक्षणों के पश्चात् जापान की सरकार ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिये। आर्थिक प्रतिबंध लगाये जाने के बाद, 11,537 मिलियन (107 मिलियन अमरीकी डालर लगभग) की पश्चिम बंगाल ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की बकरेश्वर ताप विद्युत गृह इकाई 3 विस्तार (II) नामक एक परियोजना पर 24.03.1999 को हस्ताक्षर किये गए।

(घ) से (छ) जी, हां। जापान के मूल्यांकन मिशन ने 24 जनवरी से 11 फरवरी तक भारत का दौरा किया तथा डी एम आर सी की दिल्ली एम आर टी एस परियोजना के लिए दी जाने वाली दूसरी किश्त ऋण में शामिल की जाने वाली मदों के लिए स्थल सर्वेक्षण किया। 11 फरवरी, 2000 को डी एम आर सी और जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के बीच चर्चा के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर हुआ। तथापि जापान ने अब तक कोई वचनबद्धता नही दर्शायी है।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठन

*5838. प्रो. दुखा भगत: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन स्वयंसेवी संगठनों को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) इस संबंध में कौन-कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए और कौन-कौन सी उपलब्धियां हासिल की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी योजनाएं वापस ली जाएंगी/लागू की जाएंगी?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमें परियोजना उन्मुखी हैं न

कि संगठन विशेष इसलिए संगठन-वार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता।

इन योजना स्कीमों के तहत, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण और सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों को दी जाती है।

[अनुवाद]

अमेरिका द्वारा प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण

5839. श्री आर०एल० भाटिया:
श्री अब्दुल हमीद :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका ने 'स्टार वॉर्स' परमाणु कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित 'किल वेहिकल' का परीक्षण किया है और प्रस्तावित प्रक्षेपास्त्र के दायरे में एशिया के कई हिस्से आ सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे 1972 की 'एन्टी बैलिस्टिक' मिसाइल ट्रीटी' का उल्लंघन होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जी, हां। अक्तूबर, 1999 में, अमरीका ने 'हिट टू किल' प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक ऐसे अवरोधक प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था जिसने आने वाली एक कृत्रिम बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया। इसके पश्चात् जनवरी 2000 में किया गया परीक्षण असफल हो गया तथा और अतिरिक्त परीक्षण करने की योजना है। ये परीक्षण विभिन्न प्रकार के मिसाइलों के विरुद्ध रक्षा व्यवस्था विकसित करने संबंधी अमरीकी कार्यक्रम का एक भाग है। रूस ने कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था का परीक्षण और तैनाती संबंधी योजनाएं 1972 की उस द्विपक्षीय प्रक्षेपास्त्ररोधी (ए बी एम) संधि के प्रतिकूल होंगी, जिसमें राष्ट्रव्यापी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा व्यवस्था अथवा इस प्रकार की किसी रक्षा व्यवस्था के लिए आधार बनाने के निषेध का प्रावधान किया गया है।

(ग) भरत ने बाह्य अन्तरिक्ष के शस्त्रीकरण का सुसंगत रूप से विरोध किया है और इस बात का समर्थन करता है कि स्थायित्व बनाए रखने के लिए शस्त्र नियंत्रण संधियों का पूर्ण रूप से और सद्भावनापूर्वक क्रियान्वयन किया जाना अपेक्षित है। एकतरफा कार्रवाईयों को मौजूदा संधियों के प्रतिकूल समझे जाने के फलस्वरूप अगले नाभिकीय निरस्त्रीकरण की संभावनाएं घट सकती हैं, अप्रसार प्रतिबंध कमजोर होंगे और अन्य नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न राष्ट्रों को अपनी-अपनी सामरिक सैन्य आधुनिकीकरण योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।

भारतीय विद्यार्थी का पकड़ा जाना

5840. श्री किरीट सोमैया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 2000 के इंडियन एक्सप्रैस में 'इंडियन स्टुडेन्ट एस्केप्स फ्रॉम चेचन्या बट स्टक इन रशिया' नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट तथा भारतीय मीडिया की ऐसी ही रिपोर्ट रूसी टैलीविजन की रिपोर्टों पर आधारित थी। रूसी मीडिया ने रूसी संघीय सैनिकों द्वारा रूसी परिसंघ की चेचेन्या गणराज्य के कुछ विद्रोहियों के साथ एक भारतीय राष्ट्रिक को गिरफ्तार किये जाने की खबर दी थी। यह भी कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रिक श्री सत्यनारायण रघुनाथ मिश्रा, जो कि एक छात्र है, को पूछताछ के लिए रूसी परिसंघ की दागेस्तान गणराज्य की राजधानी मखचकला में रूसी परिसंघ की संघीय सुरक्षा सेवा द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

(ग) सरकार को जैसे ही श्री मिश्र की गिरफ्तारी की सूचना मिली इसने रूसी प्राधिकारियों से तत्काल इसका ब्यौरा मांगा। रूसी प्राधिकारियों के साथ सतत् कार्यकलाप के परिणामस्वरूप सरकार को आधिकारिक तौर पर सूचना प्राप्त हुई है कि श्री मिश्रा की पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो गयी है और इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि श्री मिश्रा रूसी संघीय सैनिकों के विरुद्ध रूसी परिसंघ की चेचेन्या गणराज्य के विद्रोहियों के साथ मिलकर युद्ध कर रहे थे। श्री मिश्र अभी रूसी परिसंघ की संघीय सुरक्षा सेवा की सुरक्षित हिरासत में हैं।

श्री मिश्रा को भारत भेजे जाने के संबंध में सरकार रूसी प्राधिकारियों के सम्पर्क में हैं।

गरीबी उन्मूलन योजना

5841. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 2000 के जनसत्ता के नई दिल्ली संस्करण में 'गरीबी हटाओ के सौ कार्यक्रमों पर दस हजार करोड़ पर हल नहीं' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार का तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गरीबी का उन्मूलन एवं ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें लोग अपनी योग्यताओं का पूर्ण उपयोग कर सकें, सरकार का एक प्रमुख सरोकार है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने गरीबी में कमी लाने हेतु एक कार्यनीति अपनाई है जिसका उद्देश्य, रोजगार गहन क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आर्थिक विकास तेज करना, न्यूनतम बुनियादी सेवाएं एवं गरीबी-रोधी कार्यक्रमों, जिनमें अस्थायी गरीबी के निराकरण हेतु आय-सृजन एवं रोजगार आश्वासन स्कीमें शामिल हों, के माध्यम से मानव एवं सामाजिक-विकास सुनिश्चित करना है। ये स्कीमें एक लम्बे समय से चल रही हैं। स्कीमों की लगातार मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन किया जाता है। स्कीमों की क्षमता में सुधार लाने के लिए उनमें आवधिक संशोधन किए गए हैं।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों, दोनों के प्रयासों से देश में गरीबी अनुपात में गिरावट आई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत, जो 1973-74 में 54.9 प्रतिशत था, 1993-94 में 35.97 प्रतिशत तक नीचे आ गया है। इस अवधि के दौरान, ग्रामीण गरीबी में 56.4 प्रतिशत के मुकाबले 37.3 प्रतिशत तक गिरावट आई है। हालांकि, इन वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या अखिल भारतीय आधार पर 320 मिलियन पर बनी हुई है। जबकि केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं प. बंगाल ऐसे कुछ राज्य हैं जहां गरीबी में काफी कमी आई है, बिहार में गरीबी के अनुपात में बहुत कम गिरावट हुई है और यह अनुपात काफी उच्च बना हुआ है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के 35.97 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत के मुकाबले, 1993-94 में, बिहार में, 54.96 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। बहरहाल, आने वाले वर्षों में गरीबी पर सीधा प्रहार करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

बीजों के लिए सहायता

5842. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सरकारी कृषि भूमि पर बीजों के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश राज्य को सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस राज्य को कब तक यह सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) इस विभाग द्वारा प्रचालित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत राज्य सरकार को फार्म पर आधारित बीजों के उत्पादन हेतु क्रमशः 20 रुपये प्रति क्विंटल और 400 रुपये प्रति क्विंटल मुहैया कराए जा रहे हैं। राज्यों में इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए धन की पहली किस्त आमतौर पर प्रत्येक वर्ष जून में निर्मुक्त की जाती है।

[अनुवाद]

बाल श्रम का उन्मूलन

5843. श्रीमती श्याम सिंह:
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बाल श्रम का उन्मूलन करने के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) 1995-96 वर्ष के दौरान, बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए 133 बाल श्रम बहुल जिलों को 650 लाख रुपयें से अधिक की राशि प्रदान की गई है।

बाल श्रम के विरुद्ध मीडिया अभियान के एक भाग के रूप में, विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.), गीत तथा नाटक प्रभाग और क्षेत्र प्रचार निदेशालय को नीचे दिए गए विवरणानुसार निधियां प्रदान की गई है :-

		1998-99	1999-2000 (लाख रुपयों में)
(1)	विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय	74.35	29.74
(2)	गीत तथा नाटक प्रभाग	20.00	91.00
(3)	क्षेत्र प्रचार निदेशालय	20.34	38.00
		114.69	158.74

एजेन्सियों द्वारा किए गए व्यय पर आवधिक रिपोर्ट तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) की योजना के अन्तर्गत, परियोजना समितियां भी जिला स्तर पर जागरूकता लाने संबंधी क्रियाकलाप कर रही हैं।

भारत-नेपाल संयुक्त कार्य दल की बैठक

5844. श्री अब्दुल हमीद:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल संयुक्त कार्य दल की हाल में नई दिल्ली में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या दोनों देश संयुक्त रूप से संस्कृत के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा आयुर्वेदिक पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए सहमत हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) हाल में भारत-नेपाल संयुक्त कार्यदल की कोई बैठक नई दिल्ली में नहीं हुई। हालांकि सीमा प्रबंधन से संबद्ध भारत-नेपाल संयुक्त कार्यदल की तीसरी बैठक 1-3 फरवरी, 2000 तक काठमांडू में हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने भूक्षेत्रों का उपयोग एक-दूसरे के विपरीत गतिविधियों के लिए किये जाने की अनुमति न देने का निश्चय दोहराया। उन्होंने जे डब्ल्यू सी की पिछली बैठक के बाद की घटनाओं की समीक्षा की और भारत-नेपाल सीमा के और प्रभावी प्रबंधन एवं विनियमन से संबंधित क्रियाविधियों पर उनके बीच विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान हुआ। वे अवांछनीय गतिविधियों पर नियंत्रण पाने तथा सीमा के आसपास आतंकवादियों, अपराधियों, और अन्य अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के प्रयोजनार्थ सहयोग संवर्द्धित करने पर सहमत हुए। इस बात को दोहराया गया कि दोनों देशों के राष्ट्रिकों को खुली सीमा में अबाध प्रवेश के प्राप्त विशेष अधिकार का दुरूपयोग किसी तीसरे देश के राष्ट्रिक सहित दोनों देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नहीं करने दिया जाना चाहिए। संवेदनशील स्थानों पर हमारी सीमा में केन्द्रीय और राज्य पुलिस बल तैनात किये जाने सहित सघन एवं समन्वित गश्ती की आवश्यकता पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य वैध राष्ट्रिकों के लिए सुविधा को बनाये रखते हुए खुली भारत-नेपाल सीमा का दुरूपयोग रोकना और सुरक्षा संवर्द्धित करना था।

(घ) और (ङ) संस्कृत के प्रयोग को बढ़ावा देने और चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत और नेपाल के बीच सहयोग की एक लंबी परम्परा है। सरकार के सहयोग और समर्थन से यह सहयोग पिछले वर्षों के दौरान बढ़ता रहा है। तथापि भारत और नेपाल के बीच संस्कृत के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई औपचारिक करार नहीं है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर संबंधी निगरानी दल

5845. श्री तूफानी सरोज: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ की संसद ने जम्मू और कश्मीर पर निगरानी रखने हेतु एक निगरानी दल नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यूरोपीय संघ की संसद के इस कदम से जम्मू और कश्मीर का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्रवाई का विरोध करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी नहीं, यूरोपीय संसद ने जम्मू और कश्मीर के लिए किसी मानिटरिंग दल की नियुक्ति नहीं की है। तथापि यूरोपीय संसद का एक छोटा दल है जो व्यक्तिगत तौर पर बैठकें करके जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों पर चर्चा करता है। यूरोपीय संसद में इसे कोई आधिकारिक स्थिति प्राप्त नहीं है।

(ख) भारत सरकार यूरोपीय संसद में इनपर और ऐसी ही गतिविधियों पर नजर रखना जारी रखेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण

5846. श्री ए०डी०के० जयशीलन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण का विचार देश में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश में और कार्यालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का मुख्यालय मुम्बई में है तथा इसके पोरबंदर, मुम्बई, मोरमुगांव, कोची, चेन्नई, विशाखापत्तनम तथा पोर्ट ब्लेयर में सात संचालनात्मक ठिकाने हैं। इसके बेड़े में 12 बड़े सर्वेक्षण जलयान भी हैं जो भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

भारतीयों के साथ भेदभाव

5847. श्री मानसिंह पटेल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार के मामले में भारतीय मूल के लोगों के साथ कुछ खाड़ी देशों में भेदभाव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) किसी भी खाड़ी देश में रोजगार देने के मामलों में भारतीय मूल के व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

परमाणु-नीति का विस्तार

5848. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अपनी गतिविधियों का विस्तार करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) इसमें कुल कितनी अनुमानित लागत आएगी और तत्संबंधी कार्यक्रम क्या है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय सही लागत अनुमान और कार्यक्रमों के बारे में बताना असामयिक होगा क्योंकि, इस संबंध में स्पष्ट स्थिति दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के समय ही प्रकट होगी, जिसकी तैयारी का काम सामान्यतौर पर उक्त पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से एक वर्ष पहले आरंभ कर दिया जाएगा।

ब्रिटेन के विदेश सचिव की यात्रा

5849. श्री रमाकांत आंग्ले: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन के विदेश सचिव ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां। ब्रिटेन के विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों के सेक्रेटरी आफ स्टेट श्री राबिन कुक 15-18 अप्रैल, 2000 तक भारत आए।

(ख) और (ग) उनके साथ बातचीत के दौरान द्विपक्षीय मसलों और भारत के पड़ोस की घटनाओं, अप्रसार एवं निरस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, राष्ट्रमंडलीय मंत्रिस्तरीय कार्यदल एवं भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की आगामी बैठकों में समझबूझ बढ़ाने में मदद मिली। दोनों ने अगले दो वर्षों के दौरान 5 बिलियन ब्रिटिश पाउण्ड का व्यापार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को मजबूत बनाने के प्रति अपनी प्रतिबध्यता दोहराई। अप्रसार और निरस्त्रीकरण के मसलों पर वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वर्ष 2001 में औपचारिक संस्थागत द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने पर सहमति हुई। श्री कुक ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि यू.के. भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए नैसर्गिक प्रतियोगी के रूप में देखता है। इस यात्रा के दौरान भारत और यू.के. ने उच्च स्तरीय गैरसरकारी भारत-यूके गोलमेज का उद्‌घाटन किया जिसकी द्विपक्षीय संबंधों को सघन एवं मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर भारत और यू०के० की सरकारों को सलाह देने के लिए हाल ही में स्थापना की गई है।

कूवम नहर, अदियारू की सफाई

5850. श्री ए० कृष्णास्वामी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कूवम नहर, अदियारू और चेन्नई की मधीमहम नहर की सफाई हेतु तकनीकी जानकारी देने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में तमिलनाडु सरकार की सहायता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय को इस संबंध में कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने चेन्नई शहर के जलमार्गों की सफाई, झुग्गी वासियों के पुनर्वास और शहर के जलमार्गों में गिरने वाले सीवेज पाइपों को बंद करने की 1,700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक एकीकृत परियोजना फरवरी, 2000 में वित्त पोषण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेजी है।

फसलें खराब होना

5851. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भूक्षरण के कारण कृषि उत्पाद की अनुमानतः राज्यवार कितने प्रतिशत वार्षिक हानि हुई;

(ख) विशेषतः वर्षा सिंचित क्षेत्रों में भूक्षरण के कारण फसल को होने वाली हानि से बचाने हेतु सरकार ने अब तक क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं और ये उपाय किस सीमा तक कृषि उत्पादों को बचाने में सफल रहे हैं;

(ग) मृदा संरक्षण के वर्तमान तरीकों में क्या खामियां हैं; और

(घ) देश के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन से वैकल्पिक तरीके अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) मृदा अक्रमण के कारण कृषि उत्पादों को होने वाली वार्षिक हानि का प्रतिशत के मूल्यांकन के लिए कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जो इस प्रकार है :-

1. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
2. नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा सर्वेक्षण
3. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में मृदा अवक्रमण को न्यूनतम करने के लिए झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना।

इनमें अपनाए गए उपायों में कन्टूर बन्डिंग, वानस्पतिक बाड़ लगाना, कृषि वानिकी, बागवानी विकास वनरोपण, चारागाह विकास, निकास लाइन सुधार, जल संग्रहण संरचनाएं तैयार करना, परकोलेशन टैंक आदि शामिल हैं जो मृदा अवक्रमण को नियंत्रित करने, भूमिगत जल पुनर्भरण तथा फसल उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से कारगर सिद्ध हुए हैं। इनके प्रभाव मूल्यांकन से (i) भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होने तथा (ii) गाद जमने में कमी के संकेत मिले हैं।

(ग) और (घ) नौवीं योजना के दौरान पनधारा प्रबंध में सामुदायिक सहभगिता के माध्यम से कृषि के सतत विकास पर बल दिया गया है। अध्ययनों से पता चलता है कि पनधारा आधारित कार्यक्रमों से फसल तीव्रता में वृद्धि हुई है तथा पैदावार बढ़ी है।

काली मिर्च पर प्रौद्योगिकी मिशन

5852. श्री टी० गोविन्दन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से 'काली मिर्च पर प्रौद्योगिकी मिशन' नामक कोई परियोजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। केरल राज्य सरकार ने, 7 वर्षों में 221.62 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से, एक राज्य गतिविधि के रूप में, कार्यान्वयन हेतु काली मिर्च के प्रौद्योगिकी मिशन को शुरू किया है। परियोजना की कुल लागत का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न भागीदार विभागों/अभिकरणों द्वारा किया जाएगा। विभिन्न भागीदार विभागों/अभिकरणों के वित्तीय निहितार्थों के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि इसमें अन्तर-सरकार एवं अन्तर-मंत्रालय समन्वय सम्मिलित है।

[हिन्दी]

नशा मुक्ति

5853. श्री शंकर सिंह वाघेला:
श्री अरुण कुमार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ स्वैच्छिक संगठनों से बिहार और गुजरात में समाज में नशामुक्ति कार्य के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार इन संगठनों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इन संगठनों में से प्रत्येक के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ङ) वर्ष 1990-2000 के दौरान बिहार और गुजरात में नशामुक्ति केन्द्रों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा संस्तुत निम्नलिखित संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

बिहार :

1. जागरण, पटना
2. पर्यावरणीय परामर्श केन्द्र, पटना
3. ग्रामीण युवा समन्वय केन्द्र, छपरा
4. विद्यायतन, नालन्दा

गुजरात :

1. भारतीय समाज कल्याण परिषद, अहमदाबाद
2. पाटनी शेरी सेवा संघ, अहमदाबाद
3. बाल्कनजी बाड़ी केन्द्र, अहमदाबाद

उपर्युक्त संगठनों में से जागरण, पटना, पर्यावरणीय परामर्श केन्द्र, पटना तथा ग्रामीण युवा समन्वय केन्द्र, पटना के मामले मंजूर किए गए हैं।

शेष गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

वर्तमान नीति के अनुसार, मद्यपान तथा मादक पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण की योजना के प्रावधानों के अनुसार तथा आवेदित क्षेत्र में ऐसे केन्द्र स्थापित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसे प्रस्तावों पर विचार करती है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास संबंधी प्राधिकरण

5854. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संसदीय मंच ने 16 दिसम्बर, 1996 को सरकार को प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन में हमारे देश की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास हेतु सभी योजनाओं के संबंध में नीति संबंधी मामले बनाने, योजना बनाने,

समन्वय स्थापित करने, जांच करने तथा उक्त योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास संबंधी प्राधिकरण की एक स्थायी नोडल एजेंसी बनाये जाने की मांग की है तथा ऐसी ही मांगे दिनांक 1 सितम्बर, 1997 तथा 23 जुलाई, 1998 के अभ्यावेदनों में पुन: दुहराई गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह मामला योजना आयोग को भेजा गया, जिसने इस आधार पर प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण की स्थापना से विकास संबंधी प्रशासन की मुख्यधारा से उनका सम्पर्क टूट जाएगा तथा यह की नई व्यवस्था को कार्य रूप देने में भारी प्रशासनिक व्यय होने के अतिरिक्त यह उनकी प्रभावोत्पादकता को गंभीर रूप से बाधित करेगा।

[हिन्दी]

उत्पादन लागत

5855. श्री सुखदेव पासवान:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसंधान केन्द्रों में की गई उत्पादन लागत तथा खेतों में किसानों द्वारा की गई उत्पादन लागत में बड़ा अन्तर होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसानों को जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के कार्यान्वयन पर कितना खर्च किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) प्रयोगात्मक फार्म में उत्पादन की लागत में सांख्यिकी अभिकल्पना के अनुसरण में किए गए प्रयोगों के कारण थोड़ी अधिक है। अनुसंधान केन्द्रों और किसानों के खेतों में अपनाई गई उत्पादन प्रौद्योगिकी के कारण विभिन्न घटकों के मूल्य में भी अंतर है। धान की खेती पर आने वाली लागत का तुलनात्मक अध्ययन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 261 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं जिनकी गतिविधियों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं: किसानों के खेतों में उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए अग्रपंक्ति प्रदर्शन करना, प्रौद्योगिकियों की स्थान विशेष के लिए उपयुक्तता का पता लगाने हेतु खेतों में परीक्षण करना और किसानों तथा सेवारत कार्मिकों के प्रशिक्षण के जरिए उसका प्रसार करना। गत 3 वर्षों (1997-98 से 1999-2000) के दौरान इस प्रयोजन के लिए 138.77 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

विवरण

खेतों की लागत का तुलनात्मक अध्ययन

कृषि क्रियाएं	किसानों के खेत (रु०/हैक्टर)	प्रयोगात्मक खेत (रु०/हैक्टर)
गीली जुताई	1215	750
क्यारियां बनाना/रोपाई	3690	6125
निवेश (उर्वरक और पानी)	2000	2150
पौध संरक्षण	280	350
निराई	2100	2000
कटाई	2088	3750
गहाई	1800	562.5
जोड़ :	13173	15687.5

चावल अनुसंधान निदेशालय में @ 150 रु./मानव दिवस की दर पर मौजूद औसत मजदूरी पर आधारित आंकड़े।

[अनुवाद]

सुरक्षा परिषद के लिए भारत की दावेदारी

5856. श्री माधवराव सिंधिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान 19 मार्च, 2000 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'यू.एस. कांग्रेसमेन अर्ज बिल टू बैक इंडिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) सरकार को 'यू.एस. कांग्रेसमैन अर्ज बिल टु बैक इण्डिया' शीर्षक नामक समाचार की जानकारी है जो 19 मार्च, 2000 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था।

(ख) और (ग) यह समाचार 17 मार्च, 2000 को अमरीकी राष्ट्रपति को 65 कांग्रेसियों द्वारा भारत की उनकी यात्रा से ठीक पहले संयुक्त रूप से लिखे पत्र से संबंधित है। इस पत्र में ऐसी समानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जो दो विशालतम लोकतांत्रिक

राज्यों के रूप में भारत और अमरीका के बीच विद्यमान हैं और यह पत्र भारत के साथ अमरीका के संबंधों को मजबूत करने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। पत्र में कांग्रेसियों ने अपना यह विश्वास भी व्यक्त किया है कि विश्व के दो विशालतम लोकतांत्रिक राज्यों के बीच गुणात्मक दृष्टि से नए घनिष्ठ संबंधों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का बेहतर तरीका यह होगा कि अमरीका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्य बनने के भारत के दावे की मजबूती को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करें।

कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना

5857. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के हसन जिले में होलनरसीपुर में एक कृषि विज्ञान की स्थापना की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब स्वीकृति दी गई थी और इसे शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार प्रस्तावित कृषि विज्ञान केन्द्र को शुरू किए जाने हेतु अब सभी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक के हासन जिले में होलनरसीपुर में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की मंजूदी दे दी है।

(ख) यह कृषि विज्ञान केन्द्र अप्रैल, 1991 के दौरान स्वीकृत किया गया था। राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि उबड़-खाबड़, बंजर, दुर्गम थी तथा स्थानीय लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा था तथा वहां नागरिक सुविधाओं का अभाव था। कर्नाटक सरकार की सहमति से कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर ने कृषि विज्ञान केन्द्र को उसी जिले के कांदली में स्थानांतरित कर दिया था।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा कांदली में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना पर किए गए भारी व्यय को देखते हुए भा.कृ.अ.प. होलनरसीपुर में इस कृषि विज्ञान केन्द्र को पुन: स्थापित करने की स्थिति में नहीं है।

[हिन्दी]

प्रभावी प्रत्यर्पण संधियां

5858. श्री मोहन रावले: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अन्य देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधियों की प्रभावोत्पादकता पर प्रश्नचिह्न लग गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन संधियों को प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, नहीं। प्रत्यर्पण संधियां भगोड़े अपराधियों को प्रत्यार्पित कराने के लिए एक विधिक रूपरेखा प्रदान करती है और इनमें संविदाकारी पक्षों द्वारा भगोड़े अपराधियों को प्रत्यर्पित करने की वचनबद्धता सन्निहित होती है। ये संधियां उन परिस्थितियों और शर्तों को भी विनिर्दिष्ट करती हैं जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को शासित करती हैं। इन संधियों को सम्पन्न कराने का उद्देश्य भगोड़े अपराधियों को विचारण के लिए उपलब्ध कराने के द्वारा आतंकवाद, नशीली दवाईयों का अवैध व्यापार और आर्थिक अपराध जैसे संगठित अपराध सहित सभी अपराधों की रोकथाम करना है।

भारत सरकार द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद इस पर प्रार्थित राज्य के संबंधित प्रशासनिक और कानूनी प्राधिकारियों द्वारा अपने घरेलू, द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के संदर्भ में विचार किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्राय: समय लग जाता है क्योंकि व्यक्ति, जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया होता है, को समस्त कानूनी उपाय उपलब्ध होते हैं और वह इनका प्रयोग प्रत्यर्पण को विलंबित करने तथा टालने के लिए कर सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कार्यकरण

5859. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान मानक निगरानी नियमों, निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों, हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन आदि के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यकरण की हाल ही में समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष हेतु और नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने हेतु कार्य योजना के लिए कार्यसूची समेत वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) क.रा.यो. एक स्व-वित्तपोषित सामाजिक सुरक्षा योजना है। क.रा.बी. योजना का विस्तार/क्रियान्वयन आवश्यकता आधारित है और पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बद्ध नहीं है। राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित 2000-2001 के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, निगम ने 1.66 लाख कर्मचारियों को दायरे में लेते हुए 71 नए क्षेत्रों में क.रा.बी. योजना को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। तथापि, जुलाई 1998 में सरकार ने क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए श्री एस. सत्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1.4.1999 को प्रस्तुत कर दी थी। चिकित्सा देख-रेख पर होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति बीमित व्यक्ति 500/-रु. से बढ़ाकर 600/-रु. करने बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को फोटो पहचान पत्र जारी करने, क.रा.बी. अस्पतालों में इन-हाउस क्षमताओं को बढ़ाने, प्रत्येक लाभभोगी के लिए स्वास्थ्य रिकार्ड पुस्तिका रखने की शुरूआत

करने, औषधियों की आपूर्ति के लिए छोटे उद्योगों के पक्ष में अनारक्षण करने, बहु-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण जांच, घटिया दवाइयों की आपूर्ति के लिए निवारक दण्डात्मक कार्रवाई करने, स्ट्रिप पैकों में औषधियों की खरीद करने, औषधियों की स्थानीय खरीद करने, औषधियों की स्थानीय खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करने, ओपीडी के समय में एकरूपता लाने आदि को स्वीकार कर लिया गया है ताकि क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं के कार्यचालन को सुविधाजनक बनाया जा सके। क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों के कार्यचालन में सुधार लाने के उद्देश्य से, निगम ने वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अस्पतालों में उपस्कर प्रणाली में मूलभूत उपस्करों की उपलब्धता, क्षेत्रीय अभिघात केन्द्रों की स्थापना, उच्च विशेषज्ञता सेवाओं, रक्त बैंकों, कैंसर इलाज केन्द्रों की स्थापना, देशी औषधीय प्रणाली का विकास करना आदि शामिल है। इस प्रयोजन के लिए निगम ने 1998-99 के दौरान 1634.74 लाख रुपये की राशि संस्वीकृति की थी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की संसाधन स्थिति को ध्यान में रखते हुए नगद लाभों में समय-समय पर संशोधन किया गया है। विस्तारित रूग्णता लाभ जो पहले अधिकतम 309 दिनों के लिये देय था, उसे बढ़ाकर दो वर्षों तक कर दिया गया है। विस्तारित रूग्णता लाभ की दी वेतन का 62.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दी गयी है। अन्त्येष्टि लाभ की राशि 1000/-रुपये से बढ़ाकर 1500/-रुपये कर दी गयी है। रूग्णता लाभ के लिये हकदारी की अंशदायी शर्तों को 91 दिनों से घटाकर 78 दिन कर दिया गया है और प्रसूति लाभ के लिये इसे 80 दिनों से घटाकर 70 दिन कर दिया गया है। क.रा.बी. योजना के अंतर्गत अंशदान के हिस्से के भुगतान को 40/-रुपये प्रतिदिन तक मजदूरी प्राप्त करने वालों को छूट देने का निर्णय लिया गया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का विकास

5860. डॉ. संजय पासवान: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमतान सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं;

(ख) क्या खादी के लिए प्रदान किये जाने वाले अनुदान को वापस लिये जाने के कारण खादी और ग्रामोद्योगों की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है और इस नई नीति के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी नई नीति पर पुनर्विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके फलस्वरूप कितनी बेरोजगारी फैलेगी?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) सरकार खादी और ग्रामोद्योगों के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। यह खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के विकास के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान व ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। खादी कार्यक्रम के अंतर्गत, क्रियान्वित की जा रही एजेंसियों को, छूट तथा ब्याज राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम उद्योगों के विकास हेतु 'मार्जिन मनी योजना' क्रियान्वित की जा रही है। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकरण कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसके अंतर्गत ग्राम क्लस्टरों को विकसित किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

5861. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को संसद सदस्यों से देश में विशेषकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर जारी न करने और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत संसद-सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद जिला अधिकारियों द्वारा समय पर कार्य शुरू न करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (ग) सांसदों की अनुशंसा के आधार पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यों के शुरू किए ज़ाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी स्थिति में मामलों को उपचारी उपाय करने हेतु राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारी के साथ अविलंब उठाया जाता है।

भारत के नाभिकीय सिद्धांत पर चर्चा

5862. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी और रूसी राष्ट्रपतियों द्वारा भारत के नाभिकीय सिद्धान्त पर चर्चा किए जाने की कोई सूचना है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत से अपने नाभिकीय सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए कहा गया है;

(ग) क्या रूस और चीन ने भारत और पाकिस्तान से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1172वें संकल्प को व्यापक रूप से लागू करने और अपने-अपने नाभिकीय अस्त्र कार्यक्रमों को बंद करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) सरकार को इस प्रकार की खबरों की जानकारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1172 को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि यह आदेशात्मक और संप्रभुता का उल्लंघनकारी है। उस संकल्प पर भारत के दृष्टिकोण से हमारे वार्ताकारों को अवगत करा दिया गया है। प्रमुख वार्ताकारों के साथ भारत की द्विपक्षीय बातचीत इस तर्क पर आधारित है कि भारत एक नाभिकीय शस्त्र संपन्न राज्य है और यह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा अपेक्षाओं के अपने ही मूल्यांकन के अनुसार न्यूनतम विश्वसनीय नाभिकीय निवारक बनाए रखेगा।

[हिन्दी]

भविष्य निधि के लंबित मामले

5863. प्रो॰ दुखा भगत: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में भविष्य निधि के भुगतान से संबंधित राज्यवार कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लंबित मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित सूचना निम्नवत है :-

क्षेत्र का नाम	लम्बित भविष्य निधि दावों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	27
बिहार	697
दिल्ली	127
गुजरात	8454
हिमाचल प्रदेश	303
हरियाणा	2561
कर्नाटक	5308
केरल	163
महाराष्ट्र	22585
मध्य प्रदेश	110
उत्तर-पूर्व क्षेत्र	68
उड़ीसा	498
पंजाब	4186
राजस्थान	1150
तमिलनाडु	8056
उत्तर प्रदेश	1738
पश्चिम बंगाल	1733

(ख) हर प्रकार से पूर्ण कर्मचारी भविष्य निधि दावे का कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में उसकी प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर निपटान किया जाना अपेक्षित है। तथापि, भविष्य निधि दावे के निपटान में कभी-कभार अपूर्ण आवेदन पत्र जमा किये जाने नियोक्त द्वारा विवरणियों को जमा न किये जाने, हस्ताक्षर न मिल पाने इत्यादि जैसे कारणों से विलम्ब हो जाता है।

(ग) अंशदाताओं को त्वरित सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम आरंम्भ किया गया है। भविष्य निधि दावों के निपटान की नियमित रूप से मानीटरिंग करने के लिए एक केन्द्रीय कार्य योजना भी तैयार की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठम में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ और सक्रिय बनाया गया है ताकि भविष्य निधि दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

क्लिंटन की पाकिस्तान यात्रा

5864. श्री आर॰ एल॰ भाटिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मार्च, 2000 के 'दि हिंदुस्तान टाइम्स' में ''यू॰ एस॰ जस्टिफाइज डिसीजन ऑफ क्लिन्टन्स विजिट टू पाकिस्तान'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उल्लिखित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां। सरकार ने इस प्रश्न में उल्लिखित समाचार को देखा है।

(ख) यह समाचार किसी गुमनाम अमरीकी प्रशासन के अधिकारी द्वारा इस्लामाबाद में राष्ट्रपति क्लिंटन के थोड़े समय रुकने के कारण पर की गई टिप्पणी पर आधारित है। अमरीका ने कहा है कि राष्ट्रपति

क्लिंटन के इस्लामाबाद में रुकने का प्रयोजन अन्य बातों के साथ-साथ प्रजातंत्र की शीघ्र बहाली, आतंकवादी समूहों को बन्द करना तथा भारत के साथ वार्ता के लिए वातावरण तैयार करने के वास्तविक प्रयास करने की इच्छा थी।

(ग) सरकार का यह सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि आगन्तुक राज्याध्यक्ष का यह विशेषाधिकार है कि वह अपना यात्राक्रम और कार्यक्रम भी स्वयं तय करता है/करती है। यह सभी स्थापित राजनयिक मानदण्डों और अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है। तदनुसार, राष्ट्रपति क्लिंटन ने व्यक्तिगत रूप से प्रधान मंत्री से मुलाकात कर पाकिस्तान जाने संबंधी अमरीकी कारणों के बारे में सूचित किया था और इस बात को दोहराया था। तथापि, प्रधान मंत्री जानते थे कि अमरीकी कारण कुछ भी हों, पाकिस्तानी सैनिक शासन इस कार्रवाई को सैनिक शासन के लिए अमरीकी समर्थन और अनुमोदन के संकेत के रूप में उछालेगा। इसीलिए, इसके पश्चात्, अमरीका ने कई अवसरों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि पाकिस्तान में थोड़े समय के लिए रुकना किसी भी रूप में पाकिस्तान में सैनिक शासन को वैधानिकता अथवा अनुमोदन प्रदान नहीं करता है।

भारतीय भाषाओं के सॉफ्टवेयर

5865. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर के विकास को प्रोत्साहन तथा सहायता देने हेतु कोई निश्चित नीति है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन भाषाओं की पहचान की गई है और इस संबंध में क्या योजनाएं तैयार की गई है;

(ग) क्या सरकार ने तेलुगु भाषा में सॉफ्टवेयर विकसित करने की उपयुक्ता पर बल देने हेतु कोई आकलन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर के विकास को बढ़ावा देने के लिए टीडीआईएल (भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी विकास) कार्यक्रम वर्ष 1990 में आरम्भ किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) तेलुगु भाषा में समाधान के लिए स्रोत केन्द्र हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद में खोला गया है।

[हिन्दी]

अलसी का समर्थन मूल्य

5866. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अलसी-फसल के समर्थन मूल्य के निर्धारण के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अलसी-फसल का समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या अगली रबी-फसल के लिए भी अलसी के समर्थन मूल्य की घोषणा किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव): (क) से (घ) जी हां। अलसी की फसल का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच की गई तथा प्रस्ताव पर सहमति न देने का निर्णय लिया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि अलसी का उत्पादन स्वभावतः स्थानिक है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य उन जिलों का निर्धारित किया जाता है जो क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से अखिल भारतीय महत्व की हों।

कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य

5867. श्री राजो सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में गेहूं और धान जैसे कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य का निर्धारण करने के लिए क्या मानदंड और प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(ख) क्या समर्थन मूल्य निर्धारण करते समय कृषि कार्य में लगने वाली श्रम-लागत को भी ध्यान में रखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. क. सत्यनारायण राव): (क) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों एवं अन्य संबंधित कारकों, जो सरकार के मत में समर्थन मूल्यों के निर्धारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, पर विचार करने के बाद गेहूं तथा धान जैसी महत्वपूर्ण जिन्सों के समर्थन मूल्यों के बारे में निर्णय लेती है। कृषि लागत एवं आयोग मूल्य नीति के बारे में अपनी सिफारिशें तैयार कर समय अनेक महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, जैसे उत्पादन की लागत, आदान मूल्य में परिवर्तन, आदान/उत्पादन मूल्य समानता, मंडी की प्रवृत्ति, मांग तथा आपूर्ति की स्थिति, अन्तर फसल मूल्य समानता, औद्योगिक लागत के ढांचे पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, रहन-सहन के स्तर की लागत पर प्रभाव, अन्तरराष्ट्रीय मंडी मूल्य स्थिति तथा किसानों द्वारा अदा एवं प्राप्त मूल्यों के बीच समानता (व्यापार की शर्तें)।

(ख) से (घ) जी, हां। खेती/उत्पादन की लागत में मजदूरों को प्रदत्त मजदूरी तथा किसान के परिवार द्वारा की गई मजदूरी की लागत

शामिल है। मजदूरी का मूल्यांकन सांविधिक न्यूनतम मजदूरी दर अथवा वास्तविक मजदूरी दर, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाता है।

राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

5868. प्रो॰ रासासिंह रावत: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान की स्थिति की जानकारी है कि वहां उत्पन्न सूखे की स्थिति के कारण भेड़ों को चारे के लिए निकटवर्ती राज्यों में चला जाना पड़ता है और कभी-कभी उनका यह जाना स्थानीय स्वरूप का भी होता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी सहायता दी जा रही है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को भेड़ों के स्वास्थ्य, भेड़ों से मिलने वाले उत्पादों में गिरावट और उनकी मौतों को रोकने के लिए चारे के खेतों की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यानारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान सरकार को सूखा सहित प्राकृतिक आपदाएं आने पर आवश्यक राहत उपाय करने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंश की दो त्रैमासिक किस्तें जो 112.12 करोड़ रुपये बनती हैं, जारी कर दी गई हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने सूचित किया है कि भेड़ों को अन्य क्षेत्रों में ले जाए जाने के संबंध में कोई सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

(ग) से (ङ) पशुपालन एवं डेयरी विभाग को राजस्थान सरकार से टीकों तथा दवाइयों की खरीद, पशुआहार राजसहायता एवं परिवहन सुविधाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की स्कीम के तहत सहायता प्रदान करने के प्रतिमानों संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था, अत: उक्त विभाग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ।

[अनुवाद]

घटता जल स्तर

5869. श्रीमती श्यामा सिंह:
डा॰ रमेश चंद तोमर:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अप्रैल, 200 के 'द स्टेट्समैन' में "डिप्लीटिंग वॉटर लेवल में लीव डेल्ही ड्राइ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां। सरकार ने कुछ समाचार पत्रों में "डिप्लीटिंग वाटर लेवल में लीव डेल्ही ड्राइ" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है। यह समाचार भूजल के गिरते स्तर और औद्योगिक तथा घरेलू कचड़े के भूमि में रिसाव के परिणामस्वरूप भूमि के अंदर उसमें होने वाले संदूषण से संबंधित है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालीन प्रेक्षणों से पता चला है कि पिछले दस वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मेहरौली ब्लॉक में 4 से 10 मीटर, सिटी ब्लॉक में 4 से 8 मीटर, नजफगढ़ ब्लॉक में 4 से 7 मीटर तथा कंझावाला और अलीपुर ब्लाकों में 4 से 5 मीटर तक की भूतल स्तर में गिरावट आई है।

(घ) जल के राज्य का विषय होने के कारण जल आपूर्तियां बढ़ानें और व्यर्थ जल के पुन: चक्रण (रिसाईक्लिंग) का कार्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। भूजल में गिरावट के रुख को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्न शामिल हैं:-

(1) भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियन्त्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन करना। यह प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ-साथ भूजल के स्तर में गिरावट को ध्यान में रखते हुए इसके अतिदोहन को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करने के वास्ते राज्य सरकारों को सलाह देने और प्राधिकरण को इसके कार्य करने में सहायता देने के लिए, आवधिक बैठकें कर रहा है। इसने दिल्ली में भूजल की उपलब्धता की तुलना में जल की निकासी का आकलन करने के लिए भूजल निकालने वाली संरचनाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इसने इस विषय पर जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विविध उपाय भी शुरू किए हैं।

(2) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूजल संसाधनों का विकास और वृद्धि" शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट की एक प्रति अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को उपलब्ध करा दी गई।

(3) देश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित अनेक राज्यों के कुछ "अति दो हित" क्षेत्रों में भूजल-पुनर्भरण-अध्ययन संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन। दिल्ली

में पुनर्भरण अध्ययन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और आई.आई.टी., दिल्ली में किए गए।

(4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युल का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तर में गिरावट के रुख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक माडल बिल का परिचालन करना ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून अधिनियमित कर सकें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूजल प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्न शामिल हैं – भूजल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग, भूजल नमूनों के विश्लेषण के लिए चलती-फिरती रसायनिक प्रयोगशाला का प्रयोग, भूजल निकासी का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नजफगढ़ और मेहरौली ब्लाकों को अधिसूचित करना, भूजल निकालने वाली संरचनाओं का पंजीकरण, वर्षा जल संचयन की प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करना और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

[हिन्दी]

ई पी एफ और ई एस आई के चूककर्ता संगठन

5870. श्री मानसिंह पटेल: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 28 फरवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य-निधि द्वारा चूककर्ता संस्थाओं से कुल कितनी बकाया राशि वसूल की जायेगी;

(ख) चूककर्ता संस्थानों से वसूल की जाने वाली कुल कितनी बकाया राशि का मामला औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड के यहां दर्ज है; और

(ग) उपरोक्त बकाया राशि की वसूली के लिए कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य-निधि के प्राधिकारियों की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चूककर्ता प्रतिष्ठनों पर कर्मचारी भविष्य निधि देयों के कारण 1050.16 करोड़ रु० और कर्मचारी राज्य बीमा देयों के कारण 491.48 करोड़ रुपए की धनराशि बकाया थी।

(ख) 374.59 करोड़ रुपए।

(ग) चूककर्ता प्रतिष्ठनों से कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा देयों की वसूली के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत और जहां आवश्यक हो भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। अंशदानों की अदायगी में देरी के मामले में संबंधित योजनाओं में निर्धारित दरों पर अनिवार्य आधार पर ब्याज और हर्जाना भी लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला

5871. श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं और चल परीक्षण वाहनों की संख्या कितनी है;

(ख) दक्षिण क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्र दमन, दिऊ और लक्षद्वीप में स्थिर और चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या चालू योजना अवधि के दौरान इन संघ राज्य-क्षेत्रों में ऐसी प्रयोगशालाओं को स्थापित करने को कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव): (क) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थिर तथा चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना मूल रूप से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनी योजनाओं के अंतर्गत की जाती है। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय "उर्वरकों का संतुलित एवं समेकित उपयोग" की एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके माध्यम से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/स्थापना के लिए भी सहायता मुहैया कराई जाती है। स्कीम के तहत ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए अभी तक केन्द्र शासित प्रदेश दमन व दीव तथा लक्ष्यद्वीप से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

1998-99 के दौरान स्थिति

क्रम सं.	राज्य का नाम	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या		
		स्थिर	चल	कुल
1	2	3	4	5
(क) राज्यों में प्रयोगशालाएं				
I. दक्षिणी अंचल				
	1. आन्ध्र प्रदेश	23	4	27
	2. कर्नाटक	19	3	22
	3. केरल	13	7	20

1	2	3	4	5
	4. तमिलनाडु	19	16	35
	5. पांडिचेरी	2	—	2
	6. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	—	1
	7. दमन और दीव	—	—	—
	8. लक्ष्यद्वीप	—	—	—
	कुल	77	30	107
II.	पश्चिमी अंचल			
	9. गुजरात	16	5	21
	10. मध्य प्रदेश	19	5	24
	11. महाराष्ट्र	29	—	29
	12. राजस्थान	8	12	20
	13. गोआ	1	1	2
	14. दादर और नगर हवेली	1	—	1
	कुल	74	23	97
III.	उत्तरी अंचल			
	15. हरियाणा	25	—	25
	16. पंजाब	48	13	61
	17. हिमाचल प्रदेश	11	—	11
	18. उत्तर प्रदेश	56	15	71
	19. जम्मू और कश्मीर	3	3	6
	20. दिल्ली	1	—	1
	21. चण्डीगढ़	—	—	—
	कुल	144	31	175
IV.	पूर्वी अंचल			
	22. बिहार	29	2	31
	23. उड़ीसा	11	—	11
	24. पश्चिम बंगाल	8	4	12
	कुल	48	6	54

1	2	3	4	5
V.	पूर्वोत्तर अंचल			
	25. असम	7	4	11
	26. त्रिपुरा	2	1	3
	27. मणिपुर	1	1	2
	28. नागालैण्ड	3	—	3
	29. अरुणाचल प्रदेश	1	—	1
	30. मेघालय	1	1	2
	31. सिक्किम	1	1	2
	32. मिजोरम	1	—	1
	कुल	17	8	25
	कुल योग	360	98	458
ख	उर्वरक उद्योगों में प्रयोग-शालाएं	36	20	56
	कुल समस्त भारत (क+ख)	396	118	514

नारियल-वृक्षों में कुटकी कीट

5872. श्री टी॰ गोविन्दन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार को नारियल वृक्षों में लगने वाले कुटकी कीट (माइट्स) की प्रभावी रोकथाम व वृक्षों की सुरक्षा हेतु उपाय करने के वास्ते वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है;

(ख) क्या मंजूर राशि जारी कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा केरल सरकार को नारियल विकास बोर्ड के कार्यक्रम ''उत्पादकता में सुधार के लिए नारियल की जोतों में समेकित खेती'' के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान 713.025 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करके जारी कर दी गई है। उक्त राशि में नारियल की कुटकी के नियंत्रण के लिए पौध संरक्षण उपायों हेतु 488.025 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके अलावा वर्ष 1998-99 के दौरान 96 लाख रुपये की अव्ययित बकाया राशि को वर्ष 1999-2000 के दौरान कुटकी के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता के रूप में पुन: वैधता प्रदान की गयी है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना नामक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत नारियल की इरियोफाइड कुटकी के लिए आई॰पी॰एम॰ पैकेज का विकास नामक अनुसंधान स्कीम हेतु केरल को 30.32 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में वर्ष 2000 के पूर्वार्द्ध हेतु इन अनुसंधान केन्द्रों के लिए 22.08 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

भारत का परमाणु सिद्धांत

5873. श्री माधवराव सिंधिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका के राष्ट्रपति ने दक्षिण एशिया की अपनी हाल की यात्रा के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि अमेरिका की राय में भारत और पाकिस्तान के लिए परमाणु भविष्य खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रसंग क्या है;

(ग) क्या उन्होंने नई दिल्ली और इस्लामाबाद को अपने परमाणु कार्यक्रम बंद करने का आग्रह किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जी, नहीं। 22 मार्च, 2000 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए अपने भाषण में राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा कि अपने हितों का निर्धारण भारत स्वयं कर सकता है और यह भी कि नाभिकीय अथवा प्रेक्षेपास्त्रों की दौड़ में शामिल न होने की अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी रक्षा नीतियों का अनुसरण कर सकता है। उन्होंने भारत-अमरीका वार्ता को नाभिकीय शस्त्रों के प्रसार के विरुद्ध वास्तविक भागीदारी में परिवर्तित करने का आह्वान किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीयों को अन्तिम संस्कार पूरा करने से रोका जाना

5874. श्री मोहन रावले: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देश भारतीयों को अपने मृत निकट संबंधियों की चिता को मुखाग्नि देने की अनुमति नहीं देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे देश कौन-कौन से हैं और इसके क्या कारण हैं?.

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित 24 देश पार्थिव शरीरों का दाह-संस्कार करने की अनुमति नहीं देते हैं :-

सऊदी अरब, कतर, जोर्डन, कुवैत, सेनेगल, गाम्बिया, माली, मारितानिया, केप वर्दे द्वीप समूह, गिनी बिसाऊ, ट्यूनीशिया, तुर्की, यूनान, इजराइल, लीबिया, बुरकिना फासो, माल्टा, मालदीव, आइवरी कोस्ट, नाइजर, गिनी, माइक्रोनेशिया, पराग्वे और तुर्कमेनिस्तान।

देश के धार्मिक अथवा परंपरागत लोकाचार जैसे कारणों से इन देशों में दाह-संस्कार की अनुमति नहीं दी जाती है।

कारनेगी मेलन

5875. डॉ. संजय पासवान: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कारनेजी मेलन के साथ 1000 करोड़ मूल्य का कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार में किस सीमा तक मदद मिलेगी; और

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए राज्यवार अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिक मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) सरकार ने सांख्य वाहिनी (इंडिया) लि. (एसवीआईएल) बनाने के एक प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है – जो दूरसंचार सेवा विभाग आईयू-नेट, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत में स्थित शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपए तथा आरम्भिक संदत्त पूंजी 300 करोड़ रुपए है। साम्यापूंजी प्रतिभागिता 51% भारतीय तथा 49% आईयू-नेट की होगी। भारतीय प्रतिभागिता में ये शामिल हैं – दूरसंचार सेवा विभाग (45%), शैक्षणिक संस्थान (4%) तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (2%)।

(ग) उच्चगति के नेटवर्क की उपलब्धता से देशभर में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार, वैयक्तिक कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा टेलीफोन के प्रसार में सहायता मिलेगी।

(घ) जहां तक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के क्षेत्रों की योजनाओं/कार्यक्रमों का संबंध है इनका राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2000-2001 के बजट में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए उपलब्ध कुल आबंटन लगभग 260 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

भारत-मोरक्को संबंध

5876. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री वाई॰ एस॰ विवेकानन्द रेड्डी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और मोरक्को ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में मोरक्को के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान इस संबंध में किन्हीं समझौतों पर सहमति बनी थी और हस्ताक्षर हुए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन समझौतों के कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (घ) मोरक्को के प्रधान मंत्री श्री अब्दर्रहमान अल युसूफी ने 21 से 25 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कई करार संपन्न किये गये। इनमें वाणिज्य पोत एवं संबद्ध नौवहन मामलों पर करार, भूविज्ञान एवं खनन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन, प्रसार भारती, दूरदर्शन और रेडियोडिफ्यूजन टेलीविजन मेरोसेन (आर टी एम) के बीच एक करार आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय उद्योग परिसंघ और मोरक्को के ऐसे ही संगठन के बीच संयुक्त व्यापार परिषद बनाये जाने के लिए एक करार की पहल की गयी। उपर्युक्त करारों एवं समझौता ज्ञापन को क्रियान्वित किये जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

क्लिंटन की पाकिस्तान यात्रा

5877. **श्री आर० एल० भाटिया:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जनरल मुर्शरफ के इस वक्तव्य की जानकारी है कि क्लिंटन की पाकिस्तान यात्रा से कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान के रवैये की पुष्टि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) सरकार को पाकिस्तान के सैनिक शासन द्वारा राष्ट्रपति क्लिंटन के इस्लामाबाद में अल्पकालीन प्रवास को, कश्मीर पर अपने रुख के औचित्य के रुप में प्रयास करने की जानकारी है।

(ख) सरकार को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि पाकिस्तान का सैनिक शासन अमरीका सहित अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक संबंधों की व्याख्या किस प्रकार करता है। अमरीका ने कहा है कि राष्ट्रपति क्लिंटन के इस्लामाबाद में रुकने का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ यह था कि वहां लोकतंत्र की शीघ्र बहाली हो, आंतकवादी गुटों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएं, और भारत के साथ बातचीत करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने के वास्तविक प्रयास किए जाएं। अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा था कि अमरीका कश्मीर के मामले में मध्यस्थता नहीं करेगा।

एम्पलाइज स्टाक आपशन प्लान्स

5878. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निगमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य कर रहे संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या 'एम्पलाइज स्टाक आप्सन प्लान्स' (ई.एस.ओ.पी.) को इस क्षेत्र के लिए लागू करने से पहले संशोधित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को कर्मचारियों के लिए आकर्षक बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

पशुधन विकास

5879. **प्रो॰ रासा सिंह रावत:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राजस्थान में पशुधन को बढ़ाने, नस्लों में सुधार करने और डेयरी उद्योग को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) राजस्थान में थारपरकर, गिर, नागौरी के अलावा और कौन-कौन से नस्ल सुधार अनुसंधान केन्द्र हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं और साथ ही इन केन्द्रों के अनुसंधान कार्यों ने पशुओं की जातियों में किस तक सुधार करने में मदद की है;

(ग) अनेक संक्रामक रोगों से पशुधन को बचाने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राजस्थान में किस तरह से धन की प्राप्ति की जा रही है और ये कौन-कौन सी योजनाएं हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के पशुधन से संबंधित विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए धनराशि को अभी मंजूरी प्रदान की जानी है और इसे कब तक जारी किया जा सकता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरकार ने राजस्थान में पशुधन संख्या बढ़ाने, नस्ल को बेहतर बनाने तथा डेयरी उद्योग के विकास में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए कई योजनाएं प्रायोजित की हैं। मुख्य योजनाओं में शामिल हैं, हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी विकास और संतति परीक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम और अजमेर में एक केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण ईकाई।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित अनुसंधान क्रियाकलाप शुरू किए हैं:

(1) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में राजस्थान में थारपरकर गोपशुओं के लिए चुनिन्दा प्रजनन और संतति परीक्षण के जरिए अनुवांशिक संवर्धन।

(2) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय जूनागढ़ गुजरात में गिर नस्ल में अनुवांशिक संवर्धन।

(3) गोपशुओं की नागौरी नस्ल का पायलट सर्वेक्षण राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन, करनाल में शुरू किया गया है और इसका प्रजनन क्षेत्र राजस्थान में है।

(ग) राजस्थान में संक्रामक रोगों से मूल्यवान पशुधन को बचाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :-

(1) राष्ट्रीय महत्व के पशुधन रोगों का क्रमिक नियंत्रण

(2) खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(3) पशु रोग निगरानी

(4) पशुलोग उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना

इन योजनाओं के तहत राजस्थान सरकार को व्यवहार्य प्रस्तावों, राज्य बजट में बराबर की राशि की उपलब्धता तथा पिछली जारी की गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रावधान के आधार पर निधि मुहैय्या कराई जाती है।

(घ) केन्द्र सरकार के पास राजस्थान सरकार का कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

गुजरात में सूखा

5880. श्री मानसिंह पटेल:
श्री रघुनाथ झा:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत से राज्य शुष्क मौसम/पानी की कमी के कारण अभी सूखे की चपेट में हैं;

(ख) यदि हां, तो सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोई कार्ययोजना तैयार की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार का विचार प्रभावित राज्यों विशेषकर गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में व्यक्तियों, संपत्ति और पशुधन आदि की समस्या को किस प्रकार कम करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यानारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात और राजस्थान।

(ग) और (घ) जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा सूचना दी गई है, गुजरात के 17 जिले और राजस्थान के 26 जिले सूखा प्रभावित हैं।

(ङ) और (छ) सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तुरन्त राहत कार्य करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, आपदा राहत कोष का संपूर्ण अंश गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को निर्मुक्त कर दिया गया है, और महाराष्ट्र के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की 3 त्रैमासिक किस्तें निर्मुक्त कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, सूखे की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से गुजरात को 54.58 करोड़ रुपये, राजस्थान को 102.93 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश (बाढ़ और सूखे के लिए) को 38.86 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए। वर्ष 2000-01 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की दो त्रैमासिक किस्तें गुजरात और राजस्थान को तथा एक त्रैमासिक किस्त उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को भी निर्मुक्त की गई। गुजरात और राजस्थान में सूखे की स्थिति के शमन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य उपायों में पड़ोसी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से प्राथमिकता के आधार पर चारे की आपूर्ति व्यवस्था में सहायता, चारे के परिवहन के लिए प्राथमिकता हेतु रेलवे द्वारा अनुदेश जारी करने तथा केन्द्रीय भूजल बोर्ड को नि:शुल्क पेयजल के लिए, कुछ कुओं को सौंपने, प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए दरों सहित प्रत्येक परिवार को प्रति माह 20 कि०ग्रा० खाद्यान्न देने के आदेश जारी करने, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले भोजन कार्यक्रम तथा सामुदायिक रसोईघर नि:शुल्क चलाने के लिए खाद्यान्न आवंटन और गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन दो रुपये की स्वीकृति, रोजगार सृजन स्कीमों तथा पेयजल आपूर्ति स्कीम के तहत धन की निर्मुक्ति तथा नौ-सेना द्वारा सहायता के लिए अनुरोध शामिल है। आन्ध्र प्रदेश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सूखे की अवधि के लिए अथवा तीन महीनों के लिए सभी परिवारों को बीपीएल दरों पर 1 लाख मी० टन चावल वितरण के लिए दिया गया है। अगली आवश्यक कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। उड़ीसा और महाराष्ट्र सरकार से सूखे की कोई सूचना नहीं मिली है।

अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को आमंत्रण

5881. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी राष्ट्रपति ने अमरीका में होने वाले सम्मेलन में भारतीय गैर-सरकारी संगठनों को भाग लेने का कोई आमंत्रण दिया है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गैर-सरकारी संगठनों को किस प्रकार लाभान्वित होने की आशा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) अमरीकी सरकार अलग-अलग नागरिकों और गैर-सरकारी संगठनों को उनके विशिष्ट तथा विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित सम्मेलनों में भाग लेने के लिए समय-समय पर आमंत्रित करती है। ये निमंत्रण संबंधित व्यक्तियों और संगठनों को सीधे ही भेजे जाते हैं। अतः सरकार अमरीका सहित विदेशों में हुए सम्मेलनों और अन्य समारोहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए गए सभी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों का रिकार्ड रखने की स्थिति में नहीं है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी से उनके ज्ञान एवं कौशल के संवर्धन में योगदान मिल सकता है जो उन्हें राष्ट्रीय कानूनों और विकास लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने में लाभान्वित कर सकता है।

कश्मीर के संबंध में विशेष संयोजक की नियुक्ति

5882. **श्री आर० एल० भाटिया:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मार्च, 2000 के 'दि एशियन एज' में ''यू० एस० टु० एप्वाइंट कश्मीर को आरडिनेटर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें उल्लिखित मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां। सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार को देखा है।

(ख) कारगिल की घुसपैठ और सशस्त्र घुसपैठ पर अमरीकी हलकों में प्रतिकूल टिप्पणियों के बाद, कश्मीर में विशेष अमरीकी दूत की नियुक्ति के लिए अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों का समर्थन हासिल करने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रपति क्लिंटन की यात्रा से पूर्व लिखे गए इस समाचार में, दिल्ली में किसी गुमनाम ''राजनयिक पर्यवेक्षक'' को यह सुझाव देते हुए उद्धृत किया गया है कि राष्ट्रपति क्लिंटन की यात्रा के बाद अमरीका कश्मीर के लिए एक विशेष समन्वयक नियुक्त कर सकता है।

(ग) सरकार गुमनाम गैरसरकारी स्रोतों द्वारा व्यक्त टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं करती है। सरकार ने इस बात पार गौर किया है कि अमरीकी प्रशासन ने कश्मीर में विशेष दूत नियुक्त करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा था कि अमरीका कश्मीर के मामले में मध्यस्थता नहीं करेगा।

क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय

5883. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गांवों में कम्प्यूटर 'किआस्क' स्थापित करने और इनके प्रचालन हेतु क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की श्रम शक्ति और विशेषज्ञता का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के साथ कोई औपचारिक समझौता किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना में राज्य सरकारों के सहयोग की भी मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच समझौतों की क्या स्थिति है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

बासमती चावल का उत्पादन

5884. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बासमती चावल का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय पशुधन नीति

5885. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन नीति की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त नीति की कब तक घोषणा कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय नीति बनाना एक बड़ी लम्बी प्रक्रिया है। इसलिए राष्ट्रीय पशुधन नीति कब तक घोषित की जाएगी, इस संबंध में कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

मछुआरा कल्याण योजना हेतु वित्तीय सहायता

5886. श्री वी॰ एस॰ शिवकुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में केन्द्र द्वारा प्रायोजित "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना" के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र के हिस्से के रूप में वित्तीय सहायता की मांग करते हुए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख). "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के विभिन्न घटकों के अधीन केरल सरकार से वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय सहायता जारी करने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :-

(1) केन्द्रीय हिस्से के रूप में 3,94,87,326 रुपए जारी करने के लिए योजना बचत सह राहत घटक के तहत दो प्रस्ताव।

(2) केन्द्रीय हिस्से के रूप में 8,92,000 रुपए जारी करने के लिए योजना के सामूहिक दुर्घटना बीमा घटक के तहत एक प्रस्ताव।

(3) केन्द्रीय हिस्से के रूप में 3,00,000 रुपए जारी करने के लिए आदर्श मछुआरा गांव विकास घटक योजना के अधीन एक प्रस्ताव।

उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित प्रस्तावों पर सहायता के केन्द्रीय हिस्से के रूप में इस मंत्रालय द्वारा 3,58,86,326 रुपए की राशि जारी की गई थी। राज्य सरकार से कुछ अतिरिक्त सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था ताकि भारत सरकार क्रम संख्या 2 में उल्लिखित प्रस्ताव पर केन्द्रीय सहायता जारी करने की जांच कर सके। राज्य सरकार से उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है। उपरोक्त क्रम संख्या 3 में उल्लिखित प्रस्ताव के संबंध में इस घटक के अंतर्गत और केन्द्रीय सहायता जारी करने से पहले केरल सरकार द्वारा निर्मित गृहों फील्ड निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया था।

निर्गुट देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन

5887. श्री कृष्णमराजू:
श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री श्रीपाद यैसो नाईक:
श्री सी॰ कुप्पुस्वामी:
श्री जय प्रकाश:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कोलम्बिया में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ परमाणु हथियारों, आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने, सैनिक शासन वाले देशों को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की सदस्यता से हटाने के बारे में एक घोषणा पत्र पारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत द्वारा इस घोषणा-पत्र को तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने में क्या भूमिका अदा की गई;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में भविष्य में बातचीत करने के लिए कोई सिफारिश की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) कार्ताजेना, कोलम्बिया में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के बाद जारी हुए अन्तिम दस्तावेज में निम्नलिखित मुद्दों पर नीचे दिए अनुसार उल्लेख है :-

नाभिकीय शस्त्रों की समाप्ति

12वें गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के मंत्रियों की बैठक का दस्तावेज सभी नाभिकीय परीक्षणों की पूर्ण समाप्ति के लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की चिर-स्थायी सिद्धान्तगत स्थिति को दोहराता है और व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबन्ध संन्धि (सी टी बी टी) के प्रति सार्वभौमिक समर्थन प्राप्त करने की महत्ता को बल देता है जिसमें नाभिकीय हथियार रखने वाले राज्य भी शामिल हैं। वक्तव्य में यह भी दोहराया जाता है कि यदि संधि के उद्देश्यों को पूरी तरह से हासिल किया जाना है तो सभी हस्ताक्षरकर्त्ता राज्यों, विशेषकर नाभिकीय निरस्त्रिकरण के प्रति सभी नाभिकीय शस्त्र रखने वाले राज्यों की सतत् प्रतिबद्धता अनिवार्य होगी।

आतंकवाद

12वें गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के मंत्रियों की बैठक का अन्तिम दस्तावेज आतंकवाद के सभी कृत्यों तरीकों और प्रयोगों की यह कह कर भर्त्सना करता है कि वे न्याय-संगत नहीं हैं चाहे उन्हें न्याय-संगत ठहराने के लिए कोई भी दृष्टिकोण अथवा कारण हों। वक्तव्य में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय के लिए की गई पहल को समर्थन देने के लिए सभी राज्यों से अनुरोध भी किया गया है।

सैनिक शासन वाले देशों की गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की सदस्यता समाप्त करना

12वें गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के मंत्रियों की बैठक के अन्तिम दस्तावेज में एक पैराग्राफ ऐसा है जिसमें अगामी ओ ए यू शिखर सम्मेलन से पहले ऐसे राज्यों में जहां असंवैधानिक तरीकों से सत्ता में सरकारें आई हैं वहां संवैधानिक वैधता की बहाली की मांग की गई है और यह भी सिफारिश की गई है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की अपनी आगामी शिखर बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जाए।

(ग) भारत ने उपरोक्त विषय पर इस पैराग्राफ को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई है और इनमें इन विषयों पर भारत के रवैये को मूल रूप से प्रतिलक्षित किया गया है।

(घ) और (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर भावी बातचीत के लिए की गई सिफारिशें :-

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के मंत्रियों की बैठक ने फरवरी, 2000 में बैंकाक में हुए 10वें अधिवेशन के दौरान यू एन सी टी डी की कार्य योजना के पारित होने का स्वागत किया। यू एन सी टी ए डी को भी विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना मूल कार्य करते रहने को कहा गया। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के वक्तव्य में उरुग्वे दौर में हुई सहमति को, विशेषकर विकासशील देशों के निर्यात हित के क्षेत्रों में, क्रियान्वित करने का भी अनुरोध किया गया और इस बात की पुष्टि की गई कि सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों जैसे गैर-व्यापारिक मुद्दों को विश्व व्यापार संगठन की कार्यसूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

दलहनों का उत्पादन

5888. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार दलहनों के उत्पादन पर बड़ा जोर दे रही है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा कितना प्राप्त किया गया;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(घ) दलहन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. नारायण राव): (क) जी, हां। केन्द्र सरकार दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 27 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रही है।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नवत हैं :-

(आंकड़े लाख मी॰ टन में)

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3
1992-93	145.00	128.2
1993-94	155.00	133.00
1994-95	155.00	140.40
1995-96	155.00	123.00
1996-97	150.00	142.44
1997-98	155.00	129.8
1998-99	155.00	148.10
1999-2000	155.00	135.52 (अनंतिम)
2000-2001	150.00	—
2001-2002	165.00	—

(घ) दलहन उत्पादन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं :-

(1) उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के उन्नत बीजों का उपयोग

(2) पोषकों का संतुलित उपयोग

(3) सल्फर का प्रयोग

(4) समेकित कृमि प्रबंध

(5) छिड़काव सिंचाई का उपयोग

(6) अन्तर्फसलन और क्रमिक फसलन के माध्यम से क्षेत्र में वृद्धि।

सी॰ टी॰ बी॰ टी॰

5889. श्री अब्दुल हमीद: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जनवरी, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "आर एस एस टौन्ट साइन सीटीबीटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सी.टी.बी.टी. पर सरकार की स्थिति प्रधान मंत्री द्वारा दिसंबर, 1998 में संसद में स्पष्ट कर दी गई थी। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा हितचिंताओं की प्राथमिकता को पूरा करने के बाद, सरकार का मानना है कि अब हमें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करने की आवश्यकता है और, इसके लिए (सरकार) राष्ट्रीय मतैक्य विकसित करना चाहती है। सरकार को सी. टी. बी. टी के मसले पर मतैक्य निर्माण के अपने प्रयासों में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने से प्रोत्साहन मिला है और वह इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहती है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

5890. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री सुकदेव पासवान:
मोहम्मद अनवारूल हक:

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 हेतु 23 मीट्रिक टन खाद्यान्न के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या उर्वरक राजसहायता में हाल में की गई कटौती के कारण खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस अन्तराल को पाटने के लिए और खाद्यान्न का आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार का विचार लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या उपाय करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ बी॰ पी॰ बी॰ के॰ सत्यनारायण राव): (क) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2001-2002 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 234 मिलियन मी॰ टन निर्धारित किया है।

(ख) हाल में उर्वरकों में हुई वृद्धि/राजसहायता में कमी से केवल उसी स्थिति में लक्षित कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है जबकि इसके परिणामस्वरूप खपत में कमी आए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुमान के अनुसार खेती की लागत पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि जलवायु अंचलीय नियोजन पर आधारित एक क्षेत्रीय विशिष्ट नीति कार्यान्वित की जा रही है।

कपास की फसल का उत्पादन

5891. श्री अशोक ना॰ मोहोल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए मौसम में कपास की फसल पिछले मौसम जैसी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या अधिकांश प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में बीजारोपण में विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या कपास की खरीद में बहुत अधिक गिरावट आई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव): (क) से (घ) देश में कपास की बुवाई आमतौर पर मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती है, क्योंकि 66% कपास क्षेत्र वर्षासिंचित है। हालांकि, पंजाब हरियाणा तथा राजस्थान में सिंचित क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जहां देसी कपास की बुवाई मध्य अप्रैल में होती है, बुवाई मई के प्रथम सप्ताह से आरंभ हो जाती है। इसलिए, आगामी मौसम में कपास की बुवाई की संभावनाओं के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी कपास की बुवाई में देरी नहीं हुई है।

(ङ) से (छ) किसान कपास को विपणन यार्डों में बेचते हैं, और वहां से इसे व्यापारियों, राज्य विपणन संघों, भारतीय कपास निगम तथा कपड़ा मिलों द्वारा खरीदा जाता है। कपास की बिक्री में किसानों को होने वाली किसी समस्या की सूचना नहीं मिली है। वास्तव में, भारतीय कपास निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कपास की अधिक खरीद की है।

चालू सिंचाई परियोजनाएं

5892. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फिलहाल राज्य-वार बड़ी और मध्यम आकार की कितनी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को गत तीन वर्ष के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल कितनी निधियां नियत की गई हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी राशि जारी की गई; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) चल रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत मुहैया कराई गई केन्द्रीय ऋण सहायता का राज्य-वार विवरण विवरण-II में संलग्न है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिव्यय का राज्य-वार विवरण विवरण-III में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

(घ) किसी भी परियोजना का पूरा होना उसके आकार, भूमि स्वीकृति की उपलब्धता, भौगोलिक स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक परियोजना को राज्यों की प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा आबंटित निधियों जैसे विभिनन कारकों पर निर्भर करता है।

विवरण-I

क्र. स.	राज्य का नाम	चल रही परियोजनाओं की संख्या	
		वृहद	मध्यम
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	4	9
4.	बिहार	14	29
5.	गोवा	1	1
6.	गुजरात	3	3
7.	हरियाणा	5	—
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1
9.	जम्मू व कश्मीर	1	9
10.	कर्नाटक	14	15
11.	केरल	7	5
12.	मध्य प्रदेश	23	32
13.	महाराष्ट्र	36	66
14.	मेघालय	—	1
15.	मणिपुर	2	2
16.	मिजोरम	—	—
17.	नागालैंड	1	—
18.	उड़ीसा	5	10
19.	पंजाब	—	1
20.	राजस्थान	6	6
21.	सिक्किम	—	—
22.	तमिलनाडु	—	2
23.	त्रिपुरा	—	3
24.	उत्तर प्रदेश	17	2
25.	पश्चिम बंगाल	3	17
	कुल	155	234

टिप्पण: नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में सात वृहद परियोजनाएं (गुजरात में 6 एवं उत्तर प्रदेश में 1) और 6 मध्यम परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

विवरण-II

क्र. स.	राज्य का नाम	के दौरान जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	074.000	0079.670	0065.015
2.	असम	012.400	0013.950	0013.020
3.	बिहार	014.040	0047.825	0144.040
4.	गोवा	005.250	0000.000	0003.500
5.	गुजरात	196.900	0423.820	0272.700
6.	हरियाणा	012.000	0000.000	0000.000
7.	हिमाचल प्रदेश	006.500	0005.000	0014.455
8.	जम्मू व कश्मीर	000.000	0000.000	0004.680
9.	कर्नाटक	090.500	0094.500	0157.140
10.	केरल	015.000	0000.000	0000.000
11.	मध्य प्रदेश	114.500	0090.750	0105.845
12.	महाराष्ट्र	055.000	0050.860	0048.875
13.	मणिपुर	026.000	0010.780	0020.310
14.	उड़ीसा	085.000	0071.500	0081.350
15.	पंजाब	100.000	0000.000	0042.000
16.	राजस्थान	042.000	0140.050	0106.665
17.	तमिलनाडु	000.000	0000.800	0000.000
18.	त्रिपुरा	005.100	0003.975	0006.300
19.	उत्तर प्रदेश	078.000	0076.000	0286.000
20.	पश्चिम बंगाल	020.000	0010.000	0025.000
	कुल	952.190	1119.180	1397.895

विवरण-III

क्र. सं.	राज्य	नौवीं योजना के दौरान वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए परिव्यय
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5027.16
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.30

1	2	3
3.	असम	135.12
4.	बिहार	1450.00
5.	गोवा	237.02
6.	गुजरात	7358.00
7.	हरियाणा	1372.43
8.	हिमाचल प्रदेश	35.00
9.	जम्मू व कश्मीर	183.00
10.	कर्नाटक	5500.00
11.	केरल	650.00
12.	मध्य प्रदेश	1915.76
13.	महाराष्ट्र	8969.08
14.	मणिपुर	222.00
15.	मेघालय	15.00
16.	मिजोरम	0.40
17.	नागालैंड	9.85
18.	उड़ीसा	3084.76
19.	पंजाब	238.25
20.	राजस्थान	1855.54
21.	सिक्किम	0.00
22.	तमिलनाडु	1000.00
23.	त्रिपुरा	60.55
24.	उत्तर प्रदेश	2600.12
25.	पश्चिम बंगाल	710.93
	कुल राज्य	42632.27
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	6.10
	कुल योग	42638.37

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदें

5893. श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्रीमती रेणु कुमारी:

क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बड़े उद्योगों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं को उत्पादित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लघु उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं। लघु उद्योग क्षेत्र में एकमात्र नि ण के लिए आरक्षण पर वर्तमान नीति के अनुसार, किसी भी मध्यम या बड़े पैमाने के उपक्रमों को आरक्षित मदों के विनिर्माण करने की अनुमति नहीं है सिवाय 50% निर्यात बाध्यता के।

(ग) अन्य घरेलू और विदेशी औद्योगिक उपक्रमों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में 24% इक्विटी भागीदारी से अधिक की अनुमति न देने और 50% निर्यात बाध्यता से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की रक्षा करना है।

विदेशी निवेश

5894. श्री राम टहल चौधरी: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी निवेश के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है और कार्यान्वित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों में भी ऐसे उद्योगों स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) लघु उद्योग और कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को पिछले तीन सालों के दौरान देश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई विदेशी निवेश प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1.1.1997 से 31.12.1999 के दौरान औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करने संबंधी प्राप्त प्रस्तावों सहित अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। कार्यान्वयन सम्बन्धी ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) स्थान का चयन करना निवेशक के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करता है।

विवरण

नीति अवधि (1.1.1997 से 31.12.1999 तक) के उपरान्त अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तकनीकी सहयोग सम्बन्धी क्षेत्र-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	उद्योग का नाम	अनुमोदित संख्या			एफ.डी.आई. की स्वीकृत राशि	कुल अनुमोदित राशि का प्रतिशत
		कुल	तक.	वि.		
1.	कागज उत्पादों सहित कागज और लुगदी	57	9	48	1477.58	1.30
2.	चीनी	3	0	3	934.00	0.82
3.	किण्वन उद्योग	13	6	7	256.40	0.22
4.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग					
	खाद्य उत्पाद	183	18	165	2689.49	2.36
	समुद्री उत्पाद	6	0	6	9.28	0.01
	विविध (खाद्य उत्पाद)	2	0	2	2.12	0.00
5.	वनस्पति तेल और वनस्पति	13	0	13	194.44	0.17
6.	साबुन, सौन्दर्य प्रसाधन और टायलट उत्पादन	19	8	11	206.83	0.18
7.	सरेस और जिलेटिन	2	0	2	1.20	0.00
8.	विविध उद्योग–					
	बागवानी	32	4	28	105.02	0.09
	कृषि	47	11	36	99.81	0.09
	पुष्पोत्पादन	20	9	11	11.68	0.01
	चाय/काफी	3	3	0	0.00	0.00
	कॅयर	6	1	5	2.43	0.00

[अनुवाद]

ग्रामीण औद्योगिकीकरण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम

5895. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अप्रैल, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' के नई दिल्ली संस्करण में ''केवीआईसी प्लेज मोर टु अप्वाइंट अर्थर एंडर्सन ऐज कन्सलटैंट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ठ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ग्रामीण औद्योगिकीकरण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पैंशन और पैंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित न्यूज आइटम्स में निम्नोक्त मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :-

(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारी आर्थर एण्डरसन को इसके क्रियाकलापों और संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन

करने हेतु परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

(2) जमना लाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान को पुनरुज्जीवित करने संबंधी 15 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को ठण्डे बस्ते में रख दिया गया है।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।

(4) सरकार द्वारा अमेरिका आधारित 'लघु व्यापार प्रशासन' (स्माल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं, जिसे विदेशी उद्यमियों द्वारा घरेलू लघु मझौले उद्यमियों की जड़ें काटने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। उपर्युक्त मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया निम्नलिखित है :-

1. नई आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, मैसर्स आर्थर एन्डरसन इण्डिका प्रा. लि. द्वारा पुनर्गठन अध्ययन किया जा रहा है जोकि खादी ग्रामोद्योग सेक्टर को वाइब्रेंट और जीवनक्षम बनाने के संबंध में उपाय सुझाएगा।

2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग के परामर्श से जमना लाल बजाज अनुसंधान संस्थान वर्धा को पुनरूज्जीवित करने के लिए एक उचित और लागत प्रभावी ढांचा तैयार किया जा रहा है।

3. खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रत्येक वर्ष ग्रामीण औद्योगिक कलस्टरों का विकास कर रहा है।

4. लघु व्यापार प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन से दोनों देशों को नई प्रौद्योगिकी पर अद्यतन सूचना के आदान-प्रदान, नए विपणन अवसरों और वित्तीय साधनों से लाभ होगा।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 100 ग्रामीण कलस्टरों की स्थापना की जानी है। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 50 ग्रामीण कलस्टरों की पहचान की है। इसी प्रकार से ऐसे कलस्टरों की पहचान और उनकी सहायता सीडो, सिडबी और नाबार्ड द्वारा भी की जा रही है। कलस्टर बनाने का उद्देश्य कुटीर उद्योगों को सहायता पहुंचाना है ताकि वह उभरती चुनौतियों का सामना करने में अधिक सुदृढ़ और अधिक प्रतियोगी बन सकें।

गरीबी रेखा से नीचे

5896. श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री मदन लाल खुराना :
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने खुलासा किया है कि उदारीकरण के पश्चात् भी देश में गरीबी की स्थिति चिंता का विषय है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उदारीकरण नीति के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् निर्धारित/प्राप्त लक्ष्य क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में गरीबी कम करनें हेतु नीति को प्रभावी बनाने हेतु क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) 31 जनवरी, 2000 को 'इंडिया-पालिसीज टु रिड्यूस पावर्टी एण्ड एक्सेलरेट सस्टेनेबल डिवलपमेंट' शीर्षक से प्रकाशित विश्व बैंक रिपोर्ट सं. 19471-आईएन के पृष्ठ 5, पैरा 1.13 में कहा गया है: नब्बे के दशक के मध्य में, जुलाई 1994 की अवधियों के लिए हाल के उपलब्ध राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) आंकड़ों के अनुसार गरीबी में गिरावट अत्यंत धीमी हो गई विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1993-94 के 35 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1997 में जनसंख्या का 34 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे रहने का अनुमान है।

(ख) विश्व बैंक रिपोर्ट में उल्लेख किए गए, जुलाई 1994 से जून, 1995, जुलाई, 1995 से जून, 1996 और जनवरी से दिसम्बर, 1997 की अवधि के लिए गरीबी के अनुमान, जिससे गरीबी संबंधी निष्कर्ष निकाले गए हैं, उपभोक्ता व्यय संबंधी एनएसएस 'थिन' प्रतिदर्श आंकड़े पर आधारित है। दूसरी ओर योजना आयोग गरीबी का अनुमान एनएसएस के उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों से लगाता है, जो लगभग 5 वर्ष में एक बार उपलब्ध होते हैं। योजना आयोग द्वारा किया गया गरीबी का नवीनतम अनुमान वर्ष 1993-94 (एनएसएस 50वां दौर) के लिए उपलब्ध है।

(ग) और (घ) योजना आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के प्रतिशत का अनुमान, उपभोक्ता व्यय के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा करवाए जाने वाले उन वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है, जो लगभग 5 वर्षों के अंतराल से करवाए जाते हैं। पिछला ऐसा सर्वेक्षण 1993-94 में कराया गया था। उपभोक्ता व्यय के संबंध में अगला वृहत सर्वेक्षण जुलाई, 1999 से जून 2000 तक की अवधि के दौरान कराया जा रहा है। इस प्रकार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उदारीकरण की प्रक्रिया के शुरू होने के समय से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रतिशत के अनुमान वर्ष 1993-94 के लिए उपलब्ध है। अत: आर्थिक सुधारों की अवधि के दौरान गरीबी में परिवर्तन सुनिश्चित करना संभव नहीं है। तथापि, दो नवीनतम अनुमानों, 1987-88 और

1993-94 की तुलना करने पर यह पाया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत में 2.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(ङ) गरीबी अनुपात के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, सम्पूर्ण देश के लिए गरीबी अनुपात नौवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्ति वर्ष (2001-2002) में 17.98 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है।

(च) देश में गरीबी का उन्मूलन करने तथा इसे कम करने के लिए तीन तरफा कार्रवाई जारी है। ये हैं : (1) आर्थिक विकास में तेजी लाना, (2) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने, समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को उठाने आदि के माध्यम से मानव तथा सामाजिक विकास और (3) रोजगार और आय सृजन कार्यक्रमों तथा गरीबों के लिए परिसम्पत्ति निर्माण के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना हेतु स्वीकृत धनराशि

5897. श्री राम सिंह राठवा:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री जय भद्र सिंह:

क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) चालू वर्ष 2000-2001 हेतु प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित/स्वीकृत की गई;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से ऋण जारी करने हेतु राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को ऋण स्वीकृत किये गये?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के लिए सरकार ने रुपये 201 करोड़ की धनराशि आबंटित की है।

(ख) सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ग) सूचना विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऋण संस्वीकृत करने के लिए राज्यवार विशेष रूप से अनु.जाति/अनु.जन. जातियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या

संघ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1997-98 प्राप्त मामलों की संख्या		1998-99 प्राप्त मामलों की संख्या		1999-2000 (दि. 99 तक) प्राप्त मामलों की संख्या	
		योग (सं.)	योग (सं.)	योग (सं.)	योग (सं.)	योग (सं.)	योग (सं.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	97523	14144	108096	14222	69064	8544
2.	असम	58011	12664	67358	7718	एन.आर.	एन.आर.
3.	अरूणाचल प्रदेश	541	350	1215	1215	एन.आर.	एन.आर.
4.	बिहार	70991	2280	8514	395	एन.आर.	एन.आर.
5.	दिल्ली	7751	399	4836	655	3077	467
6.	गोवा	423	7	494	2	एन.आर.	एन.आर.
7.	गुजरात	22341	5920	21385	4800	20508	4153
8.	हरियाणा	15387	1484	17541	1635	10607	983
9.	हिमाचल प्रदेश	4829	774	4700	819	2749	563
10.	जम्मू और कश्मीर	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एम.आर.

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	कर्नाटक	64604	6662	71327	12165	66013	7500
12.	केरल	63214	5090	70034	5474	63266	4051
13.	मध्य प्रदेश	71963	9414	75405	9998	एन.आर.	एन.आर.
14.	महाराष्ट्र	78971	8792	70231	10422	52035	7826
15.	मणिपुर	15504	4539	20297	7439	एन.आर.	एन.आर.
16.	मेघालय	1793	1756	1771	1727	एन.आर.	एन.आर.
17.	मिजोरम	2615	2615	3470	3740	3960	3960
18.	नागालैंड	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
19.	उड़ीसा	38632	5240	35503	5043	52090	7305
20.	पंजाब	21152	3375	21529	3592	19594	3567
21.	राजस्थान	33964	9512	35763	6595	33471	5669
22.	तमिलनाडु	44976	5302	45756	5197	37693	5641
23.	त्रिपुरा	3020	366	3908	459	एन.आर.	एन.आर.
24.	उत्तर प्रदेश	111276	13012	119266	11953	101759	10668
25.	प. बंगाल	20467	1186	16212	1633	12232	1289
26.	अंडमान और निकोबार	212	2	406	16	156	2
27.	चण्डीगढ़	512	50	382	32	175	13
28.	दादर एवं नगर हवेली	109	56	89	51	71	27
29.	दमन और द्वीव	174	12	108	29	56	21
30.	लक्षद्वीप	एन.आर.	एन.आर.	71	68	28	28
31.	पांडिचेरी	1438	142	1483	167	961	149
32.	सिक्किम	167	24	149	33	70	16
	योग	852560	115169	827299	117024	549635	72442

एन.आर. : सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से अनु. जा./अनु.ज.जा. के लिए स्वीकृत ऋण वाले व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99	वर्ष 1999-2000 (दिसम्बर, 2000 तक)
1.	संस्वीकृत मामलों की कुल संख्या	288316	279872	103073
2.	अनु.जा./अनु.ज.जा. के संस्वीकृत मामले	33276	32671	10896

(यथा राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा प्रतिवेदित)

[हिन्दी]

कर्मचारी-यूनियनों की मान्यता हेतु नियम

5898. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र-सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा-संघों को मान्यता) नियमावली, 1993 में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई नियमावली के तहत पूर्व की मान्यता प्राप्त यूनियनों को भी नए सिरे से मान्यता के लिए आवेदन करना होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसे सभी संघों को 1993 के उक्त नियमों के अन्तर्गत, मान्यता, नए सिरे से आवेदन करके प्राप्त करनी है। फिर भी, जिन संघों को इन नियमों के लागू होने से पहले सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई थी, तथा जिन्हें इन नियमों के लागू किए जाने के समय मान्यता पहले से ही मिली थी, उनकी मान्यता केवल एक वर्ष की अवधि के लिए बनी रहने दी गई थी जो बाद में छः माह हेतु बढ़ाकर 04.05.1995 तक कर दी गई।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र संघ में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति

5899. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
सरदार बूटा सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों संबंधी फोरम ने 17.12.1996, 01.09.1997 और 23.07.1998 को प्रधान मंत्री को दिए गए अभ्यावेदनों में भारत और विदेशों में संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके सम्बद्ध संगठनों के अधीन पदों/कार्यों हेतु पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और 01 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार 1, 2, 3, और 4 श्रेणी की ग्रेड में उक्त पदों पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या क्या थी और इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या थी और कुल पदों की तुलना में उनका प्रतिशत क्या था; और

(ग) 1996, 1997, 1998 और 1999 के दौरान वर्षवार उक्त पदों पर कितने अधिकारियों को नियुक्त किया गया और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या थी और उस अवधि के दौरान भरे गए पदों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना था?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी, कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) इन ज्ञापनों में अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपालों, राजदूतों, योजना-आयोग के सदस्यों, भारत सरकार के सचिवों, संघ-लोक-सेवा-आयोग, लोक-उद्यम-चयन बोर्ड आदि के सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर किए जाने का अनुरोध करते हुए, सरकार से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के विकास के व्यापक कदम उठाने का आग्रह किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ और उस की संबद्ध एजेंसियों में सुपुर्द कार्य के निर्वहन हेतु किसी विशेषज्ञ का चयन, संगठन से इस बारे में मांग मिलने पर किया जाता है और भारत-सरकार द्वारा विशेषज्ञों का नामांकन, पात्र विशेषज्ञों के पैनल में से किया जाता है। कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा रखा जा रहा डेटा-बेस विशेषज्ञों के अनुभव के विवरण पर ही आधारित होता है। अतः विशेषज्ञों के रूप में नामित व्यक्तियों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या से संबंधित जानकारी, न तो कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग में उपलब्ध है और न ही रखी जाती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (डा० सी० पी० ठाकुर): मैं जल और विद्युत परामर्श सेवायें (इंडिया) लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1781/2000]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (1999 का संख्यांक 8)-(राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1782/2000]

(2) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय के रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1783/2000]

(3) एमईसीओएन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय के रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०-1784/2000]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंडस इंटरग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंडस इंटरग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणिंया।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-1785/2000]

(ख) (एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ दमन एण्ड दियू एण्ड दादरा एण्ड नगर हवेली लिमिटेड, दमन के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ दमन एण्ड दियू एण्ड दादरा एण्ड नगर हवेली लिमिटेड, दमन का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1786/2000]

(ग) (एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले (तीन विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1787/2000]

(3) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1998 तक की अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आयोग की सलाह स्वीकार न किये जाने के कारण बताने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1788/2000]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मै श्री एस० बी० पी० बी० के० सत्यनारायण राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1789/2000]

(ख) (एक) वेस्ट बंगाल एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वेस्ट बंगाल एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1790/2000]

(ग) (एक) वेस्ट बंगाल एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वेस्ट बंगाल एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1791/2000]

(3) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंकस एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंकस एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज़, लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंकस एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज़, लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1792/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (1999-2000) का पहला और दूसरा (की-गई-कार्रवाई संबंधी) प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उनसे संबंधित कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं ओरिहार-जौनपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के बारे में दोभी (उत्तर प्रदेश) के श्री अनिल कुमार सिंह और अन्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री समीक लाहिड़ी.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस तरह से नहीं। मैं एक-एक करके आपको अनुमति प्रदान करूंगा। मुझे 28 सूचनाएं मिली हैं। कृपया मुझे सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह समझने का प्रयास करें कि यह 'शून्यकाल' मे मामलों को उठाने का कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० एस०पी० सिंह बघेल (जलेसर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र का दौरा करके आ रहा हूं। तीन अलग-अलग घटनाओं में 8 लोगों की हत्या की गयी है। चार दलितों और तीन अल्पसंख्यकों की हत्या हुई है। मैंने खुद मौके पर जाकर देखा है। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं। कृपया समझने का प्रयास करें और अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० एस०पी० सिंह बघेल: पुलिस द्वारा यह अत्याचार किया गया है . . . *(व्यवधान)* लाश के नीचे पुलिस की टोपी बरामद हुई है। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले आप अपना स्थान ग्रहण करें। आज मुझे सदस्यों द्वारा उठाये जाने वाले महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में 28

सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं एक-एक करके नाम बुलाऊंगा, लेकिन इस तरीके से नहीं। कृपया इस पर ध्यान दें। मैंने श्री समीक लाहिड़ी का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री समीक लाहिड़ी (डायमंड हार्बर): महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इस तरह से व्यवहार करते रहे तो 'शून्यकाल' को जारी रखना कठिन हो जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप 'शून्यकाल' के दौरान मामले उठाने में रूचि रखते हैं तो मैं बाद में आपको बुलाऊंगा लेकिन अब नहीं। मैंने श्री समीक लाहिड़ी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री समीक लाहिड़ी: महोदय, मैं आपके माध्यम से हाल की एक घटना इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं जोकि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में घटित हुई हैं। . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल (जलेसर): निर्दोष लोगों पर फायरिंग की गयी है जिससे एक आदमी मारा गया है। . . . *(व्यवधान)* पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाये, सी॰बी॰आई॰ द्वारा जांच करायी जाये तथा मारे गये दलितों और अल्पसंख्यकों को मुआवजा दिलाया जाये। . . . *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, टूंडला के सवाल पर मेरा पहला नोटिस है। . . . *(व्यवधान)* दलितों और अल्पसंख्यकों की हत्या हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सभा में व्यवधान डालना चाहते है? कृपया मुझे बताइये। यह क्या है? श्री समीक लाहिड़ी के अतिरिक्त अन्य किसी सदस्य की कोई भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए।

*(व्यवधान)**

श्री समीक लाहिड़ी: महोदय, मैं सरकार का ध्यान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में घटित हाल की घटना की ओर दिलाना चाहता हूं . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। मैं आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बुलाऊंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है?

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री समीक लाहिड़ी के अतिरिक्त अन्य किसी की कोई बात कार्यवाही-वृत्तान्त मे सम्मिलित नहीं की जानी चाहिये।

*(व्यवधान)**

श्री समीक लाहिड़ी: हाल में बाहर के बहुत से लोग जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में प्रविष्ट हुए और उन्होंने वहां दंगा किया . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, क्या आप अपने मामलों को उठाना चाहते हैं अथवा सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना चाहते हैं? यदि आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना चाहते हैं, तो मेरे लिये सभा की कार्यवाही चलाना काफी कठिन है। इससे अन्य सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण मामलों को उठाना भी कठिन होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री समीक लाहिड़ी की बात के अतिरिक्त अन्य किसी की कोई बात कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिये।

*(व्यवधान)**

श्री समीक लाहिड़ी: हाल में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में कतिपय घटनायें घटित हुई हैं। गत सप्ताह, 29 तारीख की रात्रि को तीन बाह्य व्यक्ति उस समय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में प्रविष्ट हुए जिस समय वहां पर भारत-पाकिस्तान मुशायरा हो रहा था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। मैं सबको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैने श्री लाहिड़ी को बोलने के लिये बुलाया है। मैं आपको एक-एक करके बुलाऊंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री समीक लाहिड़ी: महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, 29 अप्रैल को जिस समय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में भारत-पाकिस्तान मुशायरा हो रहा था, बाहर से तीन व्यक्ति परिसर में प्रविष्ट हुए और उन्होंने वहां पर दंगा किया। वहां एक पकिस्तानी कवि को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने उस पर आपत्ति की और भारत-पाकिस्तान मुशायरा को सुचारू रूप से चलने देने में कुछ अवरोध पैदा किया। इससे विद्यार्थी भड़क उठे और उन्होंने भी बाहर के लोगो द्वारा कार्यक्रम में व्यवधान डालने के तरीके का विरोध किया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विद्यार्थियों द्वारा विरोध किये जाने पर बाहर से आये लोगों ने अपनी पिस्तौल निकाल ली।

महोदय, आप जानते हैं कि गत माह विश्वविद्यालय परिसर में अनेक घटनाएं घटित हुई हैं। चैन छीनने की एक घटना घटी थी, लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना घटी थी और कुछ अन्य घटनाएं भी घटित हुई थी। अतः विद्यार्थियों ने बाहर से आये उन लोगों का पीछा किया। उस समय उन बाहर के लोगों ने अपना पिस्तौल निकाल लिया और विद्यार्थियो को धमकी दी। इस बीच वहां पर कुछ हाथापाई हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि माननीय रक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया है। उन्होंने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। यह बताया गया है कि समाचार पत्रों में ऐसा प्रकाशित हुआ है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का समूचा परिसर, वहां के सभी विद्यार्थी डरे हुए हैं।

इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि परिसर के भीतर विद्यार्थियों के मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिये। इसकी अपेक्षा बाहर से परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों को उनकी करनी के लिये सजा दी जानी चाहिए। उनके साथ उचित ढंग से निपटा जाना चाहिये। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अतिमहत्वपूर्ण मामला सरकार तथा समूची सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। यद्यपि यह मामला पहले भी उठाया गया है, लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

आज समाचार पत्रों में हम सभी को एक समाचार पढ़ने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधान मंत्री की मौजूदगी में अपने सदस्यों को सांख्य वाहिनी परियोजना के बारे में विश्वास में लिया। निसंदेह ऐसा करना उनकी पार्टी का अधिकार है। इसके बारे में हमें कोई प्रश्न नहीं करना है। लेकिन जिस तरह से सरकार द्वारा स्थापित नियमों और परम्पराओं का उल्लंघन करके एक संयुक्त उद्यम परियोजना के माध्यम से एक निजी कंपनी के पक्ष में समस्त व्यवस्था की गई है, मैं उस तरीके का उल्लेख करना चाहता हूं। इस वर्ष इस परियोजना के लिये 94.26 करोड़ रुपये की राशि का बजट आबंटन किया गया है जिसके बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति ने पुरजोर सिफारिश की थी। मैं उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूं :-

> "समिति यह पुरजोर सिफारिश करती है कि मामले की बारीकी से जांच की जाये और यह पूर्णतया स्पष्ट किया जाये आम प्रक्रिया को अपनाये बिना एक विशेष प्रौद्योगिकी का चयन क्यों किया गया है और दूरसंचार सेवा विभाग को मूल्यांकन की प्रक्रिया से बाहर क्यों रखा गया है। समिति यह पुरजोर सिफारिश करती है कि संयुक्त उद्यम समझौता होने से पूर्व मामले की पूरी तरह से समीक्षा की जाये।"

देश की सुरक्षा का प्रश्न और इसके साथ ही जासूसी की आशंका का मुद्दा भी मीडिया में व्यापक रूप से उठाया गया है। देश के लगभग सभी दल दलगत भावना से ऊपर उठकर विगत दो महीनों से यह मुद्दा उठा रहे हैं। प्रस्तावित परियोजना की लागत 1300 करोड़ रुपये है, जिसके लिए अब प्रावधान कर दिया गया है। 49 प्रतिशत अंशधारिता आईयू नेट, 45 प्रतिशत दूरसंचार विभाग और 4 प्रतिशत अंशधारिता को भारत की पृथक-पृथक संस्थाओं को पेशकश की गई है . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी जी, संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान अनेक माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था और मंत्री महोदय ने भी उसका उत्तर दिया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया तो गया था, परन्तु इस पर ध्यान नहीं दिया गया था।

निविदाएं आंमत्रित किए बिना संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर कैसे किए जा सकते हैं? यही कारण है कि यह अमरीका के एजेंटों का समर्थन करता है . . . *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, हम यह मांग करते है कि सरकार को इस संबंध में पूरा रहस्योद्घाटन करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि इस संबंध मे एक चर्चा कराई जाए और संसदीय समिति द्वारा जांच कराई जाए। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला हैं। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से यह मांग करते हैं कि इस संबंध में संसदीय जांच कराई जाए और सभा में पूरा रहस्योद्घाटन किया जाए। कोई सरकार उपकरण का चयन किए बिना करार कैसे कर सकती है? . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी जी, अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरा केवल इतना कहना है कि सरकार को स्थायी समिति की सिफारिश का सम्मान करना चाहिए। इस संबंध में पूरी संसदीय जांच होनी चाहिए और इस विधेयक, जो देश की सुरक्षा के लिए चिन्ता पैदा कर रहा है और जासूसी होने की सम्भावना है, के संबंध में पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कुरूप जी, क्या आप भी यही मुद्दा उठाना चाहते हैं?

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : जी हां, . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, दलितों के हत्याकांड का मामला बहुत ही संवेदनशील है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): इस समझौते की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए . . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसी मुद्दे के संबंध में पूर्वसूचना दी हुई है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप: स्थायी समिति ने इस परियोजना के बारे में पहले ही अपनी आशंका व्यक्त कर दी है और किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं, बल्कि श्री मदन लाल खुराना ने ही समझौता ज्ञापन की खुली आलोचना की है। अब, वह चुप्पी साधे हुए हैं। सम्भवत: उन्हें मंत्री पद की पेशकश की गई है। यह श्री खुराना और प्रधान मंत्री के बीच सुलझाए जाने वाला मामला नहीं है। देश को तथ्यों के बारे में जानकारी देनी होगी। विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित करने के सुस्थापित प्रक्रिया का झांसा देकर भारत सरकार और आईयूनेट नामक एक अमरीकी कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वह कम्पनी कुछ भी निवेश नहीं कर रही है और रहस्यपूर्ण बात यह है कि उस कम्पनी के 49 प्रतिशत शेयर हैं . . . *(व्यवधान)* दूरसंचार आयोग को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के दो महीने बाद सूचित किया गया था . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कुरूप जी, कृपया यह बात समझ लीजिए कि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान भी, मंत्री महोदय ने कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर दिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह अत्यंत गम्भीर प्रश्न है . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बार-बार एक ही मुद्दा कैसे उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप: स्वयं प्रधान मंत्री ने इस वाणिज्यिक समझौते की सफाई देते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देश यह जानना चाहता है कि यह गुप्त समझौता क्या है . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। कृपया उनकी बात ध्यान से सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये, आपको बाद में बुलायेंगे।

[अनुवाद]

श्री आचार्य जी, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: हम इस समझौते की पूरी जांच करवाए जाने की मांग करते हैं . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर दे लेने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री एस॰पी॰ सिंह बघेल: अध्यक्ष महोदय, दलितों की हत्या की गई है, मामला संगीन है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: स्थायी समिति के कुछ सदस्य यहां उपस्थित हैं। समिति के सभी सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर यह सिफारिश की है . . . *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह एक सर्वसम्मत सिफारिश थी।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों ने मुद्दा उठाया है, लेकिन वे मंत्री महोदय के उत्तर को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं। यह एक असाधारण स्थिति है। श्री आचार्य जी, कृपया बैठ जाइए।

श्री पी॰सी॰ थामस (मुवत्तुपुजा): इस संबंध में हम माननीय प्रधान मंत्री के विचार सुनना चाहते हैं . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मुद्दा उठाने का यह सही तरीका नहीं है। आपने मामला उठाया है और मंत्री महोदय ने उसका मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान उत्तर दिया है। यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप: प्रधान मंत्री ने भाजपा की बैठक में इस समझौते के संबंध मे सफाई दी थी। सभा यह जानना चाहती है . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अन्य सदस्यों ने भी अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में पूर्व सूचनाएं दी हुई हैं। कृपया अन्य सदस्यों के भाषण में व्यवधान मत डालिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, खुराना साहब को प्रोटेक्शन मिलना चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों ने मामला उठाया है। अब, मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत मे शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य सहयोग नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप: इस संबंध में हम प्रधान मंत्री महोदय के विचार सुनना चाहते हैं . . . *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री कुरूप जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप: हम प्रधान मंत्री की बात सुनना चाहते हैं। प्रधान मंत्री को इस संबंध मे सभा के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश कुरूप जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, यदि श्रीमती सोनिया गांधी कोई मुद्दा उठाती हैं, तो प्रधान मंत्री उसका उत्तर देंगे . . . *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, जैसे प्रधान मंत्री ने अपने दल को विश्वास में लिया है, उसी प्रकार उन्हें भी संसद को विश्वास में लेना चाहिए . . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इस प्रकार व्यवहार करेंगे, तो मेरे लिए सभा की कार्यवाही चलाना बहुत मुश्किल होगा। आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और सरकार उसका उत्तर देना चाहती है। लेकिन आप मंत्री महोदय को उत्तर की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आपकी क्या मंशा है? यह सही नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री इस मुद्दे का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रधान मंत्री को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अन्य सदस्यों ने भी पूर्वसूचना दी हुई है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सांख्य वाहिनी परियोजना के बारे में कुछ भी अस्पष्ट (छुपा) नहीं है। इस सभा में जब संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा की गई थी, तो उस समय सांख्य वाहिनी चर्चा के बाद सभा ने जब वे यहां उपस्थित नहीं थे, अनुदानों की मांगों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था।

महोदय, कल इस विषय पर दूसरे सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा होने जा रही है। यदि विपक्ष इस विषय पर इस सभा में आगे और चर्चा करना चाहता है, तो सरकार को इस पर कोई संकोच नहीं है, क्योंकि इस परियोजना के बारे में हमारे पास कुछ भी छुपाने लायक नहीं है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि हालांकि वह यहां इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और इस संबंध में संसदीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं, जो पूर्णतया असंगत और अनावश्यक है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो उन के ही दल के हैं, ने लिखा है कि सांख्य वाहिनी परियोजना को कार्यान्वित किया जाए और इसका मुख्यालय मुम्बई में जाना चाहिए। यह मांग उन्हीं के दल के मुख्यमंत्री ने की है। अतः इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है और राष्ट्रीय हित में यह एक सुस्पष्ट परियोजना है . . . *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल (जलेसर): सर, टूंडला के निकट बसई गांव में चार मजदूरों की हत्याएं की गई हैं। . . . *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, टूंडला में दलितों की हत्याएं हुई हैं। . . . *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.18 बजे

(इस समय श्री रामजीलाल सुमन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका नाम पुकारा है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको भी बुलायेंगे, पहले आप अपनी सीटों पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अन्य सदस्यों की परेशानी को भी समझिए। आप तो सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अपराह्न 12.19 बजे

(इस समय श्री रामजीलाल सुमन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: प्लीज, आप बैठ जाइये।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): अध्यक्ष महोदय, सदन की वरिष्ठ सदस्य कु॰ उमा भारती पर हमला हुआ है, वह उनकी हिट लिस्ट में है। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको इनके बाद बुलायेंगे।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक प्रश्न का उत्तर दिया है . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राजेश पायलट जी, कृपया अन्य सदस्यों, जिन्होंने पूर्व सूचना दी हुई है, की उत्कंठा को भी समझिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट: महोदय, माननीय मंत्री ने मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जब संचार संबंधी स्थायी समिति ने एकमत से जांच की सिफारिश की है, तो सरकार इसे स्वीकार करने से क्यों हिचकिचा रही है? स्थायी समिति संसद का एक अंग है। स्थायी समिति की सिफारिश स्वीकार करने में उन्हें हिचकिचाहट क्यों होती है? . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि उन्हें सभा में इस मामले पर बहस करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उन्हें संसदीय जांच की मांग स्वीकार्य क्यों नहीं है? मैं सी॰ बी॰ आई॰ जांच की मांग नहीं कर रहा हूं . . .*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: पूरी सभा इस पर चर्चा कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपको जांच करने में क्या दिक्कत है?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने डिस्कस करने के लिए बोल दिया है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय के बारे में बात कर रहे हैं। स्थायी समिति सभा का एक अंग है *(व्यवधान)* संसदीय लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है . . . *(व्यवधान)* महोदय, आपको अपनी समिति के निष्कर्षों के पक्ष में बोलना चाहिए . . . *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: महोदय, आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी सिफारिश को स्वीकार नहीं करते. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। सरकार ने उत्तर दे दिया है। आज भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। यदि कुछ है, तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट: महोदय, बात चर्चा की नहीं है . . . *(व्यवधान)* मैं व्यवस्था की बात कह रहा हूं . . . *(व्यवधान)* मेरा प्रश्न अध्यक्ष के रूप में आपसे है। आपने स्थायी समिति नियुक्त की है . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनका इरादा क्या है? इस बारे में कुछ चर्चा होनी चाहिए। मंत्री पहले ही उत्तर दे चुके हैं। उन्हें इस मामले पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट: उनका इरादा जांच कराने का है। उनका इरादा चर्चा कराने का नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: बार-बार एक ही बात को दोहराया जा रहा है। अब प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेला बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैच फिक्सिंग का मामला आप सी॰ बी॰ आई॰ को दे सकते हैं, इसे क्यों नहीं दे सकते? . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो॰ बघेल की बात को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल: अध्यक्ष महोदय, 1 मई की रात को तीन बजे 20-25 डकैतो ने टुण्डला कस्बे की लाइन पार मस्जिद मोहल्ले में छोटे खां, मोहम्मद अमान और मोहम्मद अमीर के घर में डकैती डाली और तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी – पप्पन, अहमद और श्रीमती मुनादिन। चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए--कल्लो, बशीर, काकसा, मोहम्मद अमीर। इसमें पुलिस की लापरवाही यह है कि घटनास्थल से 800 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था और इसके बावजूद पुलिस तीन घंटे बाद पहुंची। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बघेल की बात के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल: पुलिस तीन घंटे बाद पहुंची। अगर पुलिस घटनास्थल पर पैदल भी जाती तो मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता। . . . *(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान: उमा भारती जी पर जो हमला हुआ है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके बाद आपको मौका मिलेगा।

प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल: इसमें चूंकि थाने की नाक के नीचे डकैती पड़ गई जिसमें अल्पसंख्यक समाज के तीन लोगों की हत्या हो गई, पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए, पुलिस ने चार निर्दोष आलू के पल्लेदारों को जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जो कोल्ड स्टोरेज पर आलू का ट्रक लगाकर आ रहे थे, उनको पकड़कर उनकी हत्या कर दी। सतबीर सिंह, विजय सिंह, जयपाल और सुखदेव चार अनुसूचित जाति के लोगों की पुलिस ने हत्या कर दी। लाश के नीचे पुलिस की टोपी बरामद हुई। इसलिए पुलिस के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न आपने उठाया है।

[हिन्दी]

प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल: इसके बाद वहां की जनता जब लाश देखने गई तो पुलिस ने बिना चेतावनी दिये, बिना लाठीचार्ज किये सीधे गोली चला दी और रामप्रकाश पुत्र फूल सिंह जाट की हत्या हो गई और प्रताप सिंह और वेदराज सिंह गम्भीर रूप से घायल हुए। इसके लिए पुलिस के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। थाना टुण्डला की पुलिस को पुलिस इंस्पेक्टर के साथ निलंबित करना चाहिए, इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समाज के जो लाग मरे हैं, उनको पांच लाख रुपये मुआवज़ा मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इतनी गंभीर घटना यह है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पुलिस की वहां पर रात गश्त होती है ताकि घटनास्थल पर कोई मौके की गवाही न दे। उनको टैरराइज़ किया जा रहा है और थाना पुलिस ने अपने एक सिपाही के द्वारा यह रिपोर्ट लिखवाई कि चार अज्ञात लोगों की लाश मिली है जिनकी शिनाख्त की गई। पुलिस के खिलाफ अविलंब मामला बनना चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, टूंडला, फिरोजाबाद जनपद में आता है और रेलवे की दृष्टि से हिन्दुस्तान में टूंडला एक प्रमुख स्थान है। उस क्षेत्र के सांसद प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल ने घटना का जिक्र किया। यह अत्यनत दुखद है कि उ॰प्र॰ की पुलिस पर कोई अंकुश नहीं है और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। नगला मस्जिद के पास जो डकैती पड़ी जिसमें तीन अकलियत के लोग मारे गए और चार दलित लोग मारे गए। सुबूत के लिए एक लाश के पास पुलिस के व्यक्ति की टोपी मिली है और संतोष नाम का एक लड़का जो घायल था, उसने पुष्टि की कि हत्याएं पुलिस ने की हैं। अध्यक्ष महोदय, उसमें पुलिस की गोली से एक जाट नौजवान भी मरा है। कुल मिलाकर के आठ लोगों की हत्या हुई है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ दफा 302 में अपराध पंजीकृत होना चाहिए। जो घायल हैं उनका उपचार होना चाहिए और मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि तमाम लोगों को पुलिस ने अवैधरूप से बन्दी बना रखा है। उनको भी छोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उ॰प्र॰ की जो पुलिस की निरंकुशता है उस पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार की तरफ से निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। इस घटना की सी॰ बी॰ आई॰ से जांच होनी चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आजकल राज्य सूची के विषय शून्य-काल में अधिकाधिक उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय अध्यक्ष महोदय, साध्वी उमा भारती जी इस सदन की वरिष्ठ सदस्य हैं। वे पिछले तीन दिनों से भोपाल में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा कर दैनिक वेतनभोगियों को बहाल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हैं। परसो रात को हमारे धरना स्थल पर जब वे भूख हड़ताल पर बैठी हुई थीं, उसी समय, एक मोटर साइकल पर सवार होकर तीन लोग उस अनशन स्थल पर पहुंचे। एक बैरीयर उन्होंने तोड़ा, उसके बाद, वे पापस जाने लगे, फिर वापस मुड़कर तेजी से चलकर उमा भारती तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे, तो साध्वी उमा भारती जी के निजी अंगरक्षक को संदेह हुआ, तो उसने उनको पकड़ लिया, वहां भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी थे। उनके पास से तलवार बरामद हुई, चाकू बरामद हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि उमा भारती जी को जैड प्लस की सुरक्षा प्राप्त है। इसके बाद भी राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया। राज्य सरकार उनकी सुरक्षा के प्रति कतई चिन्तित नहीं है। उनके प्राण संकट में हैं। म॰प्र॰ के मुख्य मंत्री उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार मे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुमारी उमा भारती की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाए। वे तीन दिन से हड़ताल पर बैठी हैं। म.प्र. के मुख्य मंत्री ने जांच करने से इन्कार किया है। आप सदन के संरक्षक हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हस्तक्षेप करें और राज्य

[श्री शिवराज सिंह चौहान]

सरकार उनकी मांग स्वीकार करे। यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो पूरे म॰प्र॰ में आग लग जाएगी, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी।. . .*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.29 बजे

दिल्ली में अस्पतालों में परित्यज्यनीय वस्तुओं (डिस्पोजेबल आइटम) को पुन: उपयोग में लाने (रिसाइक्लिंग) के बारे में

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत दुख की बात सदन के सामने रखना चाहता हूं और भाई साहिब सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। यह इनके गांव की बात है इसलिए और ज्यादा दुख हो रहा है। मैंने एक ऐसी दुखद घटना के बारे में देखा कि जो सिरिंज होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, हैंड ग्लब्ज होते हैं . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पायलट, आप चूंकि वीडियो कैसेट का हवाला देकर मामला उठा रहे हैं, मुझे आपको सूचित करना है कि नियम 349 (XXII) के अन्तर्गत सदस्य को सभा में कैसेट या टेप रिकार्डर लाने या बजाना मना है। इसलिए, सभा में कैसेट लाने की अनुमति नहीं है। तदनुसार, सदस्य को सूचित किया जाता है।

श्री राजेश पायलट: महोदय, कैसेट बन्द है। लेकिन, मैंने इसे सभा पटल पर रखने के बारे में सोचा था।

अध्यक्ष महोदय: नहीं।

श्री राजेश पायलट: अब, कैसेट बन्द है।

[हिन्दी]

मै कहना चाहता हूं कि डाक्टर द्वारा इस्तेमाल किये हुए इंजेक्शन, ग्लब्स, टयूब्स या और चीजें हैं, वे सब कबाड़ी के हिसाब से 20-25 रुपये में बिकती हैं। उनको धोकर, साफ करके छोटे-छोटे कस्बों में बेचा जाता है। यह ''आज की बात'' प्रोग्राम में मैंने कल देखा है। उन्होंने दिखाया है कि 20-25 रुपये में खरीदकर वे उसे उसी कीमत पर बेच देते हैं। सारे देश का जो पैसा हैल्थ स्कीम्स में लग रहा है, उससे उल्टा काम हो रहा है और यह सरकार की नजर में है। ''आज की बात'' प्रोग्राम ने वहां जाकर देखा और उसके फोटो लिये। मैं वह टेप लेकर आया हूं ताकि मैं इसे हाउस की टेबल पर रख सकूं। उसे आप देख लें और सरकार से कहें कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसे औथेंटीकेट कर रहे हैं?

श्री राजेश पायलट: मैंने खुद ''आज की बात'' प्रोग्राम में देखा है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसे औथेंटीकेट कर रहे हैं?

श्री राजेश पायलट: आप टेप के बारे में कह रहे हैं तो मैं दस्तखत करूंगा कि मैंने उसे देखा है।

अध्यक्ष महोदय: आप टेप के लिए औथेंटीकेट कर रहे हैं?

श्री राजेश पायलट: मैंने जो टेप देखी है, उसको मैं औथेंटीकेट कर रहा हूं।

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव की बात है इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वह काम मेरे गांव के किसी व्यक्ति का नहीं है। मेरा गांव 10-15 या 20 किलोमीटर में बसा हुआ है। वहां पर इधर-उधर से किरायेदार आकर बसे हुए हैं। वह काम किसी और का होगा। . . . *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: दिल्ली में कहीं कुछ होगा, तो दिल्ली बदनाम होगी। . . . *(व्यवधान)*

श्री साहिब सिंह: आप गांव को बदनाम न करो। . . . *(व्यवधान)* हमारे गांव के किसी व्यक्ति का काम नहीं है। . . . *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: गांव तो मुल्क का है। . . . *(व्यवधान)* दिल्ली में दस बस्तियां हैं। अगर किसी बस्ती में हो तो दिल्ली का नाम आयेगा। . . . *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष महोदय पायलट जी ने जो बात कही, उसी संबंध में मैं अपनी बात कह रहा हूं। हम सबने कल ''आज की बात'' प्रोग्राम में ऐसा देखा तो उसे देखकर हतप्रभ रह गये। पहले हमने यह सुना था कि मिनरल वॉटर की बोतल को साफ करके उसमें कोई भी पानी भर दिया जाता है और मार्केट के अंदर वह मिनरल वॉटर के नाम से बिक रहा है। किन्तु यह बड़े आश्चर्यजनक बात है कि जो डिस्पोजेबल सीरिंज, या ग्लब्स या टयूब्स हैं, वे बाहर के प्रदेशों से दिल्ली के अंदर आ रही हैं। उनको अस्पताल और नर्सिंग होम की वैन लेकर आ रही हैं। मुझे मुंडका गांव की पता नहीं लेकिम पश्चिमी दिल्ली के एक इलाके में यह सारा आपरेशन चल रहा है। मेरा विशेष रूप से कहना है कि पुलिस इसका एक सुओ-मोटो केस बनाकर दर्ज करे। सवाल यह नहीं है कि कौन इनको बना रहा है, उसकी रिसाईक्लिंग कर रहा है, दुबारा बनाकर बेच रहा है। सवाल इस बात का है कि अस्पताल उनको डेस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। उनको लाकर बेच रहे हैं जिससे वह दुबारा रिसाईक्ल हो रहा है। मेरा कहना है कि उन अस्पतालों या नर्सिंग होम्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि मेडिकल रूल्स में यह लिखा है कि हरेक अस्पताल या नर्सिंग होम डिस्पोजेबल सीरिंज को डेस्ट्राय करे। इसके कारण एड्स, एच॰ आई॰ वी॰, क्लोरा आदि बीमारियों के होने का डर है। जो व्यक्ति कैमिस्ट की दुकान से बड़ी सावधानी से सामान खरीदता है, जब उसे यह पता चलेगा कि रिसाईक्लिंग होकर पुरानी चीज बिक रही है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी महामारी फैल जायेगी। इसलिए गवर्नमैंट को इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: गवर्नमैंट जवाब दे रही है।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): यह सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के ऊपर है। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार इस पर कोई एक्शन ले रही है या नहीं?

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): रिसाईक्लिंग का काम पूरे देश में हो रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): यह घटना भले ही दिल्ली प्रदेश के किसी गांव में हुई हो, इस प्रकार की घटना भले ही प्रकाशित न हुई हो लेकिन देश भर में एक नयी समस्या उठ खड़ी हुई है कि अस्पतालों में जो चीजें उपयोग की जाती हैं, उनको नष्ट किये बिना कूड़े-कचरे में फेंक दिया जाता है। इनके दुबारा प्रयोग करने से असाध्य रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इस बारे में हम सबको जानकारी है, सदन को भी जानकारी है कि यह मामला पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय में गया था। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि 500 बेड से जो बड़े अस्पताल हैं, वे पिछली 31 दिसम्बर से पहले ही अपने खुद के अस्पताल में ऐसी चीजों को नष्ट करने की व्यवस्था का निर्माण करें। जो 500 बेड से छोटे अस्पताल हैं, उनके लिए विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने गांव में क्योंकि 10, 15 या 25 बेड का अस्पताल अपने आप इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकता, इसलिए उनके लिए सार्वजनिक व्यवस्था की जाये, इस प्रकार का उच्चतम न्यायालय का आदेश था। कुछ शहरों ने इस पर अमल किया लेकिन लगता है कि कुछ ने नहीं किया। इसलिए मैं सरकार की ओर से कहना चाहूंगा कि हम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सभी प्रदेश सरकारों को फिर से इस बारे में लिखेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय लिया था, उस निर्णय के अनुसार हर अस्पताल ऐसी चीजों को नष्ट कर दे। यह जो बंधन है, उसको पूरा करे और कहीं कोई उसे पूरा न करता हो तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे।

उसे पूरा करे और अगर कहीं न करता हो तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): मेरा आपसे निवेदन है कि एक पर्टिकुलर मामला आया है इसकी जांच होनी चाहिए। पिन पाइंट करके इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर पता चले कि यह सब कहां से आता है, लोग क्या करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि आप होम मिनिस्टर से कहकर दिल्ली पुलिस से इसकी जांच करायें, जैसे दिल्ली पुलिस ने पहले क्रिकेट के केस में किया, उसी तरह से आप इसकी जांच करायें। अगर यह पाया गया कि यह सारे देश के अन्दर मामला है तो इसकी भी सी॰बी॰आई॰ से जांच करवा कर किसी निश्चित पाइंट पर पहुंचना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन: खुराना जी ने एक मुद्दा कहा है, अब किस मंत्रालय के अन्तर्गत आयेगा, अभी मेरे लिए कहना मुश्किल है। गृह मंत्रालय हो, आरोग्य मंत्रालय हो, लेकिन जो ''आज की बात'' में छपा है, उसकी जांच सरकार की ओर से की जाएगी और अभी मैं इसमें सी॰बी॰आई॰ की बात नहीं कहता, लेकिन देश भर में ऐसे मामले में सावधानी तो हमको बरतनी है कि हास्पिटल्स इस प्रकार की रचना करें, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बुराई को आरम्भ में ही नष्ट करना है और उस पर हम ज्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस घटना की उचित मंत्रालय की ओर से जांच कराई जायेगी। . . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमारे पास लिखा हुआ है, हम सब को बुलाएंगे। आप चेयर को डिस्टर्ब मत करिये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): गत वर्ष मंत्रिमंडल ने देश के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने का निर्णय लिया था।

अपराह्न 12.36 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय, *पीठासीन हुए***]**

इन आठ उपक्रमों में से छह पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। तब, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत इस सभा में चर्चा हुई थी। चूंकि इस सभा के सदस्यों और विभिन्न श्रमिक संघों की यह मांग थी कि सरकार को इन महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने के बजाए उनका पुनरुद्धार करना चाहिए। तब सरकार ने एक समीक्षा समिति नियुक्त की थी। महोदय, समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट कम से कम छह महीने पहले प्रस्तुत कर दी है। लेकिन सरकार ने इन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। ये महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जैसे एम॰ ए॰ एम॰ सी॰, साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड . . . *(व्यवधान)*

श्री सुनील खान (दुर्गापुर): आप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अपमान कर रहे हैं . . . *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार उनके पुनरुद्धार के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। एक संभावना है। विभिन्न समितियां नियुक्त की गई थीं। महोदय, एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया गया था और इसे भी बी॰आई॰एफ॰आर॰ को सौंपा भी गया था।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, यह 'शून्यकाल' है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं जानता हूं कि यह 'शून्यकाल' है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, लेकिन आप वक्तव्य न दें। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, गत एक वर्ष से हम लोग लगातार यह मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिएं. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): यह तो जीरो ऑवर में डिबेट चालू है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार क्या कर रही है? एस॰ आई॰ सी॰ ए॰ नियम के अंतर्गत जब किसी उपक्रम को बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ के सुपुर्द किया जाता है तो उस उपक्रम के कार्य-संचालन को बन्द नहीं किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में इन उपक्रमों के कार्य-संचालन को बन्द कर दिया गया है। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि सरकार इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरूद्धार के लिए आवश्यक कदम उठाए और पर्याप्त बजट निधि उपलब्ध कराए। और सरकार को जो पुनरूद्धार पैकेज प्रस्तुत किया गया है, उसे मंजूर किया जाए। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप व्यवधान डालेंगे तो मैं आपको नहीं बुआऊंगा। मेरे पास सूची है। मैं सभी को बुलाऊंगा। कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री बसुदेव आचार्य, मैं आपको चेतावनी पर चेतावनी नहीं दे सकता। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: बिना विलम्ब किए सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरूद्धार के लिए सभी सम्भव कदम उठाने चाहिए . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें। मैं आपको अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सुनील खान (दुर्गापुर): सरकार के प्रतिनिधि मौजूद हैं। यहां एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बी॰ ओ॰ जी॰ एल॰ तथा एम॰ ए॰ एम॰ सी॰ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। समीक्षा समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। तथापि, अभी तक पुनरूद्धार पैकेजों के लिए धन नहीं दिया जा रहा है। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खान, बहुत हो गया। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री सुनील खान: यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय वित्त मंत्री यहां मौजूद हैं . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खान, मैं आपको चेतावनी देता हूं। आपको नहीं बुलाया गया था। कृपया इस तरह से मत करें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मुझे आपको चेतावनी देनी पड़ सकती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह कोई तरीका नहीं है। श्री बसुदेव आचार्य, आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार चुप क्यों है? उन्हें कितना समय लगेगा? . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, कल की ही घटना है, जिससे पता चलता है कि दिल्ली में कोई हुकूमत नहीं, नादिरशाही चल रही है। बटुकेश्वर दत्त कालोनी में बिना कोई सूचना दिए बुलडोजर चला कर गरीबों के मकान ढहा दिए गए। यह काम बार-बार कभी एम॰ सी॰ डी॰ की ओर से, कभी एन॰ डी॰ एम॰ सी॰ की ओर से, कभी डी॰ डी॰ ए॰ और रेलवे की ओर से होता रहता है। दिल्ली में लाखों लोग झुग्गियों में बसे हुए हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। जब पूर्व प्रधान मंत्री श्री वी॰ पी॰ सिंह बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, उसके बाद भी वे नहीं माने और कहा कि हम फिर यह काम करेंगे। इस तरह से यह धांधली हो रही है। इस सम्बन्ध में चार भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी से मिले थे।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री यहां बैठे हुए हैं, वे नहीं थे।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले . . . *(व्यवधान)* गरीबों के घर उजाड़ने का काम हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: भारत सरकार क्या करना चाहती है, वह पूछें।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: चार-चार भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी से मिले थे। उनको कहा गया कि यह नीति विषयक मामला है इसलिए किसी भी हालत में वैकल्पिक प्रबंध के बिना गरीबों के घर नहीं ढहाए जाएं। . . . *(व्यवधान)* मैं खुद खुरेंजी गया था। इसी तरह वजीरपुर आदि विभिन्न मोहल्लों में बराबर ये घटनाएं घट रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने जो कहना था, वह कह दिया, अब बैठ जाएं।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जब तक वैकल्पिक प्रबंध नहीं हो जाए, तब तक गरीबों के घरों को न ढहाया जाए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, जहां तक हम लोगों का सम्बन्ध है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी अवैध अतिक्रमणों का संरक्षण करना होगा। हम यह नहीं कह रहे। 1997 में इन गरीब लोगों को यह नोटिस दिया गया था कि उन्हें हटाया जाएगा, लेकिन तीन वर्षों तक कुछ नहीं किया गया। यह अनुरोध किया जा रहा था कि कम से कम उन्हें पर्याप्त समय पूर्व नोटिस दिया जाए ताकि वे अपने सामान हटा सकें। उनके घर वहां हैं और कभी-कभी कुछ व्यापार भी वहां किया जाता है। कृपया उन्हें कम से कम अवसर तो दीजिए . . .*(व्यवधान)*

दूसरा, पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। युवा लड़कियों के खिलाफ कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की गई हैं। जब ये पूछा गया कि ये लड़कियां कहां जाएंगी तो उन्होंने कहा, ''उन्हें पुलिस थाने भेज दो।'' इस प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं जिनसे उत्तेजना पैदा होती हैं।

इसलिए, इसे जहां तक हो सके मानवीय ढंग से करवाइए। उन्हें यथोचित नोटिस दिया जाना चाहिए और उनके साथ मनुष्य की तरह बर्ताव होना चाहिए। अनेक कालोनियां हैं जिन्हें अवैध माना गया है। लेकिन उचित जांच कराई जाए कि वे अवैध हैं या नहीं। इसलिए, हम इन सभी लोगों के प्रति, जिन्हें नोटिसें दी गई हैं मानवीय बर्ताव की मांग कर रहे थे. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): मैंने इसी से संबंधित नोटिस दिया हुआ है।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको अभी बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, यह क्या है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री सुदीप बंद्योपाध्याय इसी विषय पर बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बंद्योपाध्याय ने जो कहा है उसके अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने जिस मुद्दे पर जो कुछ कहा है, मुझे खुशी है कि कलकत्ता नगर में समझदारी की अन्ततः जीत हुई है जहां फेरी लगाने वालों को बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाकर वहां से हटा दिया गया. . .*(व्यवधान)* हजारों फेरी वालों को बिना नोटिस के गलियों से हटा दिया गया। सैकड़ों पुलिसवालों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। उनमें से कुछ भूखों मर गए। वे अब अपने दिन अत्यन्त दयनीय स्थिति में गुजार रहे हैं। इसलिए, जहां से कहीं भी उन्हें हटाया जाना है, यथोचित नोटिस जरूर जारी किए जाएं।

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर यह बहुत गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या के बारे में कोई भी स्पष्ट नीतिगत निर्णय जिसे सख्ती से लागू किया जाये, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां इच्छा होती है, वहां डी॰ डी॰ ए॰ जाकर डिमोलिशन कर देते हैं और कहीं-कहीं तो दस-दस मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, वहां जाकर कोई झांकता तक नहीं है। गरीबों की बस्तियों को जाकर उजाड़ देते हैं। इसके बारे में अर्बन रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर को नीतिगत निर्णय लेकर इस हाउस को अवगत कराना चाहिए ताकि लोग आशवस्त हो सकें कि किसके मकान गिराये जायें किसके नहीं गिराये जायें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल बिहारी तिवारी: महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र झुग्गी-झोंपड़ियों से संबंधित मामले पर बात करना चाहता हूं। कल साढ़े दस बजे भयंकर अग्निकांड हुआ है और सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। ये झुग्गियां रेलवे की जगह पर बनी हुई हैं। महोदय, पन्द्रह-बीस लाख लोग झुग्गी-झोंपडी बस्ती में रहते हैं और आये दिन आग लगने से, पिछले वर्ष भी अमर कॉलोनी में पुराने पुल पर आग लगने से 36 लोग मर गये थे। अब जैसे यमुना के पास झुग्गियां बसी हैं, बाढ़ आएगी तो उनको बाहर लाया जाएगा और लाखों रुपया राहत कार्य में लगाया जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं और सरकार से जानना भी चाहता हूं कि इन लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए क्या सरकार कोई योजना ऐसी बना रही है कि इन लोगों के लिए पक्के मकान किसी ऐसी जगह पर बनाये जायें जहां आग लगने की पुनरावृत्ति न हो और भयंकर बाढ़ के आने पर इन्हें वहां से हटाने पर जो नुकसान होता है, वह नुकसान न होने पाये?

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: गरीब आदमी का क्या होगा? . . . *(व्यवधान)* सरकार चुप बैठी सुन रही है। कोई नीति होनी चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, आप इस संसद के बहुत पुराने मेम्बर हैं। आपने शून्यकाल में यह मैटर उठाया। क्या बार-बार वही मैटर उठाएंगे? सरकार ने सुन लिया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, आप कम्पैल नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): आप मुझे बुलवाइए। इसके बाद मैं बोलता हूं तो ये चुप हो जाएंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपका नाम आएगा तब बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

मैं सूची में क्रम संख्या के अनुसार चल रहा हूं। अब मैं श्री रमेश चेन्नितला को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह बहुत हो गया। कैसे मैं सदन पर नियंत्रण रख सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह, यह बहुत हो गया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः आप बैठिए।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंहः झुग्गी-झौपड़ी में रहने वाले लाखों-लाख लोग मजदूरी करते हैं। दिल्ली को सुन्दर बनाते हैं। सरकार इन पर बुल्डोजर चलाने का काम कर रही है। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप इतने सीनियर मैम्बर हैं, सरकार द्वारा कार्रवाई करने के लिए आप कम्पैल नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप किसी की नहीं सुनेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः श्री बसुदेव आचार्य, मैं खड़ा हुआ हूं। कृपया आप बैठ जाइए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, वे आपत्ति क्यों कर रहे हैं? यह क्या है? . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, अन्य सदस्यों ने भी नोटिस दिए हैं . . . *(व्यवधान)*। वे अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः आज आपको क्या हो गया है, आप अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडीः महोदय, वे एक वरिष्ठ सदस्य और पीठासीन अध्यक्ष भी हैं। यदि वे इस तरह बर्ताव करते रहेंगे तो हम उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे . . . *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः श्री बसुदेव आचार्य, डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह, आप दोनों सभापति के पैनल में हैं। यदि आप पीठासीन अध्यक्ष की आज्ञा नहीं मानते हैं तो सभा की कार्रवाई कैसे चलाएंगे?

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, सभा में क्या हो रहा है? आपने मुझे बुलाया। मुझे अपनी बात कहने की अनुमति मिलनी चाहिए . . . *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रुडी: उपाध्यक्ष महोदय, आप पांच मिनट चुप रहें। देखें क्या होता है . . . *(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितलाः महोदय, क्या आप सभी को इस तरह बोलने की अनुमति देंगे? . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, यदि आप इस तरह बर्ताव करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सभा की कार्रवाई किस प्रकार चलाई जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः आपने जो कुछ कहना था, कह दिया है। आप सरकार को रिप्लाई देने के लिए कम्पैल नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः शून्यकाल में, आपने जो कुछ कहना था, कह दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री रामदास आठवले, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। श्री आठवले, मैं आपको चेतावनी देता हूं। यह क्या है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्नितलाः क्या आप ही लोग बोलेंगे। . . . *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: देखिए आपके जैसे कितने लोगों ने नौ, साढ़े नौ बजे आकर नोटिस दिया। आप ऐसे हाउस का समय क्यों बर्बाद करते हैं, यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप इसी तरह करेंगे तो मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। आप क्या करते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.56 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.06 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री पी॰एच॰ पांडियन** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, गरीब लोग जो लाखों की संख्या में दिल्ली में बसे हैं, सरकार ने उनके घरों पर बुलडोजर चलाया। मैंने लंच से पहले भी यह सवाल उठाया था लेकिन हाउस एडजर्न हो गया . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया सभापति के साथ सहयोग करें। हमने नियम 377 के अधीन मामलों को चर्चा हेतु लिया है।

[हिन्दी]

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: बीमार वी॰ पी॰ सिंह जी, जिन्हें डायलिसिज पर रखा जाता है, बुलडोजर के सामने खड़े हो गए! सरकार ने दिल्ली के कई मोहल्लों में गरीबों के घर ढहा दिए। करबला, बी॰ के॰ दत्त कालोनी और वजीर पुर में गरीब लोगों के घर ढहाए जा रहे हैं। कृपया सरकार को निर्देश दिया जाए और बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को रोका जाए। सरकार इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ बयान दे . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया सभा के दूसरे माननीय सदस्य को नियम 377 के अधीन अपने मामले को उठाने मे न रोकें।

[हिन्दी]

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: मेरा यह सवाल पहले से लगा है। सरकार को इस सम्बन्ध में निर्देश दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं। लाखों गरीबों के घर बुलडोजरों से ढहाए जा रहे हैं। कभी एन॰ डी॰ एम॰ सी॰ कभी एम॰ सी॰ डी॰ कभी डी॰ डी॰ ए॰ और कभी कोई सरकार गरीबों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करती है। कृपया इस बारे में सरकार को निर्देश दिया जाए। सरकार को पहले ही खड़े होकर इस पर बयान देना चाहिए था। लाखों गरीब बेघर हो रहे हैं। गरीब महिलाएं अपना कलेजा पीट-पीट कर रो रही हैं। मैं कई मोहल्लों में गया। सरकार को इस बारे में संवेदनशील होना चाहिए। आप सरकार को इस सम्बन्ध में निर्देश दें। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने पूछा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास कोई उत्तर नहीं है।

[हिन्दी]

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सरकार को इस बारे मे यहां बयान देना चाहिए। अगर सरकार बयान नहीं देती तो आसन से निर्देश दिया जाए . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने मंत्री से पूछा। वे उत्तर नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, लाखों लाख गरीबों का क्या होगा? आप तो गरीबों के हिमायती हैं। आप सरकार को निर्देश दें। संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस संबंध में एक नीति तैयार हो गई है। सरकार इस मामले में चुपचाप क्यों बैठी है? आप सरकार को निर्देश दें। . . . *(व्यवधान)*

अपराह्न 14.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पूर्व रेलवे के दानापुर में किऊल-गया रेल लाइन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा॰ संजय पासवान (नवादा) : सभापति महोदय, पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत दानापुर मंडल में स्थित क्यूल-गया लाइन जो स्वतंत्रता से पूर्व बनी थी कोई एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेन इस मार्ग से नहीं चलाई जा रही है। ज्ञातव्य है कि पूर्व में तिनसुखिया एक्सप्रेस (सम्प्रति-ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस) जो गुवाहाटी से नई दिल्ली आती है, उसका परिचालन इसी मार्ग से किया गया था लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इसका परिचालन बंद कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस एवं दून एक्सप्रेस को इस मार्ग से चलाया जाए ताकि हजारों-हजार यात्री जो इन क्षेत्रों से प्रतिदिन बसों से हावड़ा एवं दिल्ली जाते हैं, उन्हें इन ट्रेनों के परिचालन से लाभ होगा, आर्थिक विकास में बढ़ोत्तरी होगी एवं वह क्षेत्र जो उग्रवाद से प्रभावित है, उसमें भी कमी आएगी।

अत: इस क्यूल-गया रेल खंड में अविलम्ब एक ट्रेन दिल्ली हेतु (ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस) दूसरी ट्रेन हावड़ा हेतु (दून एक्सप्रेस) एवं तीसरी नई प्रस्तावित ट्रेन वाराणसी-वैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस को इस मार्ग से अविलम्ब चलाया जाए।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, सरकार को कृपा करके निर्देश दिलाइये। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हमने पहले ही अन्य कार्य—नियम 377 के अधीन मामले पर चर्चा प्रारम्भ कर दी है। डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: चूंकि आप बार-बार जोर दे रहे हैं, मैं माननीय मंत्री से इस बात को नोट करने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी॰सी॰ थामस (मुवत्तुपुजा): मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): यह 'शून्यकाल' नहीं है . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: किस नियम के अधीन आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैंने आपको पहले ही कहा कि उन्होंने इस बातको नोट कर लिया है। इसलिए, यह मामला समाप्त हो गया। अब, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

(दो) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में राबर्ट्सगंज में वन भूमि जोतने वाले अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वामित्व/पट्टाधृत अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम शकल (राबर्ट्सगंज): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र उ॰ प्र॰ में 80 प्रतिशत अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। अति पिछड़ा जिला है, जहां भारत सरकार तथा निजी क्षेत्र की बहुत सी परियोजनायें चल रही हैं तथा विस्थापित लोगों को मुआवजा भी उचित नहीं मिला तथा वहां की परियोजनाओं में नौकरी भी नहीं मिली। 15-20 वर्षों से वह कृषि योग्य वन भूमि पर खेती कर रहे हैं। अभी तक भौमिक अधिकार नहीं मिला। वन विभाग 20 तथा धारा 04 के अधीन पट्टा भी नहीं दे रहा है।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि कृषि योग्य भूमि पर जो 20 वर्षों से कब्जा है, उन्हें कानून बनाकर भौमिक अधिकार तथा पट्टा दिलाने का कष्ट करें।

(तीन) राजस्थान में जयपुर में डाक वितरण प्रणाली में सुधार लाए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, जयपुर में डाक वितरण व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है। कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए उनकी जगह नई नियुक्ति नहीं की गई है। जयपुर में आज से कुछ दिन पूर्व प्रतिदिन तीन बार डाक वितरित की जाती थी। अभी प्रतिदिन एक बार डाक वितरित की जाती है। जयपुर क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है। क्षेत्र काफी फैल गया है जिससे लोगों को जरूरी डाक या साधारण डाक भी 15 दिन में मिलती है जिससे कि लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जयपुर की डाक वितरण प्रणाली को सुधारा जाए व नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(चार) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में पेन्ड्रा स्टेशन पर हीराकुण्ड एक्सप्रेस और बिल्हा स्टेशन पर सारनाथ दुर्ग एक्सप्रेस को रोकने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): मध्य प्रदेश राज्य के जिला बिलासपुर के पेण्ड्रा रोड में हीराकुण्ड एक्सप्रेस के नहीं रुकने के कारण आम नागररिकों को असुविधा हो रही है। बिलासपुर जिले के बिल्हा स्टेशन पर दुर्ग-सारनाथ एक्सप्रेस के रुकने की स्वीकृति दी जाये। पांच वर्षों से चली आ रही मांग के पूरा न होने के कारण बिलासपुर क्षेत्र के आम नागरिकों को कठिनाई हो रही है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हीराकुण्ड एक्सप्रेस को पेण्ड्रा स्टेशन पर एवं सारनाथ दुर्ग एक्सप्रेस को बिल्हा स्टेशन पर स्टापेज दिया जाये।

अपराह्न 2.14 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(पांच) कर्नाटक में मंगलौर और केरल में शोरानूर के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री टी॰ गोविन्दन (कासरगौड़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान मंगलौर, कर्नाटक और शोरानूर केरल के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य की धीमी गति के कारण उत्पन्न समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं।

दोहरीकरण का कार्य धीमी गति से चल रहा है। कई भागों में भूमि अधिग्रहण का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। रेल लाइन पर पुलों के निर्माण का कार्य भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। स्वीकृत रेल उपरी पुलों का प्रारम्भिक कार्य भी आरम्भ नहीं हुआ है। यदि इसी तरह की स्थिति जारी रहती है, तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इस कार्य हेतु प्रदत्त राशि भी व्यपगत भी हो सकती है। इस क्षेत्र के लोगों में कार्य की धीमी गति के कारण बहुत रोष है। इस कार्य के कारण सवारी गाड़ियों में कमी कर दी गई है अथवा उन्हें बंद कर दिया गया है। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से दिए गए आश्वासन को पूरा करने और मंगलौर और शोरानूर के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(छ:) आन्ध्र प्रदेश में नेल्लोर में प्रस्तावित ग्रासरूट नाइट्रोजीनेस फर्टिलाइजर प्लांट को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

डा॰ राजेश्वरम्मा वुक्कला (नेल्लौर): अध्यक्ष महोदय, इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड जोकि अग्रणी कृषि सहकारी और एक बड़ी औद्योगिक कंपनी है, का उद्देश्य देश में उर्वरक उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाना है। इफको का विचार किसानों की सेवा के मूल भाव को लेकर आन्ध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में नेपथा पर आधारित अनुमानत: 1736 करोड़ रुपये की लागत से 7.26 लाख टन क्षमता वाला यूरिया उत्पादन का ग्रासरूट नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है। इस परियोजना के पूरा होने से देश में विशेष रूप से दक्षिणी जोन में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की मांग और आपूर्ति में बढ़ता हुआ अन्तर पूरा हो जायेगा। सोसाइटी ने पर्याप्त भूमि पहले ही प्राप्त कर ली है और जल आपूर्ति विद्युत संयंत्र और रेलवे साइडिंग का निर्माण परियोजना स्थल पर भंडारण से जुड़े परियोजना पूर्व विभिन्न कार्यकलाप आरम्भ कर दिये हैं।

यद्यपि आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने इस परियोजना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, तथापि सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने इसे अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

चूंकि इफको आगामी 5-6 वर्षों में अपने संसाधन पूरी तरह से जुटा लेगा परन्तु इस समय वह नए क्षेत्रों में इतनी अधिक धनराशि निवेश करने की स्थिति में नहीं है।

अत: मैं भारत सरकार से अपील करती हूं कि देश में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये ग्रास रूट नेल्लौर परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कोई भी बात सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्योंकि आप बार-बार इसी बात पर बल दे रहे हैं मैं मंत्री से कहूंगा कि वे इसे नोट कर लें।

(व्यवधान)

श्री पी॰सी॰ थामस (मुवत्तुपुजा): मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन: यह 'शून्यकाल' नहीं है . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप यह मामला किस नियम के अधीन उठा रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको पहले भी बताया है कि उन्होंने इसे नोट कर लिया है। अत:, यह मामला यहीं समाप्त हो जाता है। अब, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

(सात) लीपू झील और ग्वालियर के बीच राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरूखाबाद): अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर एवं लिपु लेक के मध्य लगभग 700 कि॰ मी॰ लम्बा एक महत्वपूर्ण

---

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री चन्द्र भूषण सिंह]

राजमार्ग है। यह मार्ग इटावा, फरूखाबाद, बरेली, हल्द्वानी, रानीखेत, अल्मोड़ा एवं कौसानी से होकर गुजरता है।

राष्ट्र हित के दृष्टिकोण से उक्त राजकीय राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन एवं विकसित होना निम्न दो महत्वपूर्ण कारणों से अति आवश्यक है:

1. ग्वालियर एवं लिपु लेक के बीच कई महत्वपूर्ण सैनिक छावनियां हैं, जैसे - झांसी, आर.आर.सी. (फरूखाबाद), डिवीजनल सेन्टर बरेली इत्यादि। चूंकि यह मार्ग भारत-चीन सीमा तक जाता है, इसलिए सैनिकों तथा रक्षा सामग्रियों के शीघ्र एवं सरल आवागमन के लिये इस मार्ग का विकसित होना उचित है।

2. ग्वालियर और लिपु लेक के बीच कई ऐसे स्थान पड़ते हैं जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस मार्ग में पड़ने वाले कई हिल स्टेशन देश-विदेश से भारी संख्या में पर्यटकों को पूरे वर्ष आकर्षित करते रहते हैं, परन्तु इस मार्ग की दयनीय हालत के कारण पर्यटकों को आवागमन बाधित होता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश हित में उक्त 700 कि० मी० लम्बे राजकीय राजमार्ग (ग्वालियर-लिपु लेक) को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा प्रदान किया जाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में पेयजल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बान्दा): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग जिसको बुन्देलखंड के नाम से जाना जाता है, अधिकांश भाग पहाड़ी, ऊंचा-नीचा व ऊबड़-खाबड़ है। पानी की कमी के कारण सूखे से पीड़ित रहता है। इसके दो जिले बांदा और चित्रकूट पेयजल की कमी और सिंचाई को कमी से उत्पन्न सूखे के कारण सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। लोक सभा के विगत सत्र में मैंने बांदा और चित्रकूट जिलों में पेयजल के अभाव की लगातार बिगड़ती और गहराती जा रही समस्या की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और चिन्ता व्यक्त की थी। मैंने आशा प्रकट की थी कि केन्द्र सरकार समय रहते शीघ्र कदम उठाएगी और पेयजल की स्थाई और तत्कालिक योजनाएं बनाकर पीड़ित लोगों को राहत देने की कार्रवाई शुरू कर देगी। परन्तु अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए भीषण गर्मी शुरू होते ही उक्त दोनों जिलों के निवासी पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। पीने के पानी के अभाव से लोगों में हाहाकार मचा है। पानी की तलाश में मनुष्य और मवेशी इधर-उधर भटक रहे हैं। सहायता राहत हेतु कदम उठाने तथा दोनों जिलों में हैंडपम्प लगाने व अन्य योजनाओं हेतु दस-दस करोड़ रुपए स्वीकृत करने का लिखकर अनुरोध करने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया है। केन्द्र सरकार ने सूखा और पेयजल की गंभीर समस्या से पीड़ित जिन प्रदेशों, क्षेत्रों व इलाकों की घोषणा की है उनमें मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए पीड़ित जिलों बांदा और चित्रकूट को शामिल नहीं किया गया। इसलिए तत्काल जांच कराएं और हैंडपम्प व अन्य अधूरी व लंबित पेयजल योजनाओं के लिए तत्काल धन अवमुक्त किया जाए और अविलंब कार्य शुरू किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमोदित पाठ के अतिरिक्त अन्य कोई बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(नौ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए अलग उपग्रह की आवश्यकता

***श्री डी० वेणुगोपाल** (तिरुपत्तूर): महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है और भारत ने 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर लिया है और इस क्षेत्र में नयी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश, दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने ग्रामीण विकास के लिये कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी को अपनाया है। तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश, दोनों राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रियों ने दूरदर्शिता का परिचय दे कर अद्यतन कम्प्यूटरीकरण को अपनाया है। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री 'तमिल की बोर्ड' को मानकीकृत कर और 'कम्प्यूटर कोडिड तमिल लिपि' प्रदत्त कर इस क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ गये हैं तथा उन्होंने तमिल भाषा का प्रयोग करते हुए वर्ल्ड वाइड वेबसाइट तक अपनी पहुंच बनायी है। तमिलनाडु में अपने राजस्व लेखों का कम्प्यूटरीकरण कर लिया है। केन्द्रीय संचार मंत्री ने हाल ही में यह कहा है कि इन्टरनेट कनेक्शन के लिये दूरसंचार संपर्कों को सुदृढ़ बनाया जाएगा लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के लिये अवसंरचना विकास धीमी गति से हो रहा है। इससे कभी-कभी रेल और हवाई टिकट आरक्षण प्रभावित होता है। बैंकिंग क्षेत्र भी इन तकनीकी खामियों से अछूता नहीं है।

अत:, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक पृथक सेटेलाइट रखा जाए। 'बैंडविड्थ एलोकेशन' में राज्य सरकारों को भी शामिल किया जाये। रेलवे अब रेल लाइन के साथ बिछायी गयी आप्टीकल फाइबर केबल लाइन के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को संचार संपर्क उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश जैसे अग्रणी राज्यों को भी संरचना विकास में शामिल किया जाना चाहिये ताकि उनकी इन उद्यमों में सहभागिता हो सके। अत:, मैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि सभी सम्बद्ध पार्टियों को शामिल करके समन्वित प्रयास किये जायें।

(दस) कलकत्ता-आइजोल सेक्टर में परिचालित उड़ानों के विमान किराया ढांचे में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री वनलाल जावमा (मिजोरम) : आइजोल हवाई अड्डे का चालू होना मिजोरम के इतिहास में एक मील का पत्थर है। हम थोड़े से समय में ही एक नया विमानपत्तन बनाने में केन्द्रीय सरकार, विशेष रूप से नागर विमानन मंत्रालय की सक्रिय और निष्ठापूर्ण भागीदारी

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

के लिये उनका आभार व्यक्त करते हैं। मिजोरम से बोइंग 737 की तीन निर्धारित उड़ानों और अब उन्हें बढ़ाकर सप्ताह में चार उड़ान करने से मिजोरम के लोगों को प्रभावी और भरोसेमंद सम्पर्क सुविधा मिल गई है। तथापि, उपरोक्त सभी अच्छी बातों के बाद भी यह समझना कठिन है कि इस सेक्टर अर्थात् कलकत्ता-आइजोल मार्ग पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य स्थानों की तुलना में किराया बहुत अधिक क्यों है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को इंडियन एयरलाइन्स, संचालन एयरलाइन और नागर विमानन मंत्रालय के साथ अनेक बार उठाया है। मैंने स्वयं भी यह मुद्दा इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों तथा नागर विमानन मंत्रालय के साथ अनेक बार उठाया है। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसके लिए उपचारात्मक कदम उठाये जायें और कलकत्ता-आइजोल क्षेत्र में किराये ढांचे की समीक्षा कर उसे संशोधित किया जाये और इस सेक्टर को पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सेक्टरों के समतुल्य बनाया जाए।

(ग्यारह) केरल के किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए नारियल, सुपारी, रबड़ और मसालों को नई आयात नीति से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट): मैं आपका ध्यान भारत सरकार द्वारा लागू की गई हाल ही की उदारीकृत आयात नीति के कारण केरल के किसानों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। केरल के मुख्य कृषि उत्पाद नारियल, अरेकानट, रबड़ और मसाले हैं। केरल में इन उत्पादों का सर्वोच्च उत्पादन होता है। यद्यपि, केरल में धान की कृषि काफी अधिक होती है, केरल खाद्यान्नों की आवश्यकता पूर्ति के लिये अन्य राज्यों पर निर्भर है। केरल में अधिकतर किसान छोटे किसान हैं और अपनी आजीविका के लिये कृषि उत्पादों से होने वाली आय पर निर्भर हैं। भारत सरकार द्वारा आयात की अनुमति दिए जाने से रबड़ की कीमत में काफी कमी आयी थी। अब उदारीकृत आयात नीति लागू होने से रबड़ की कीमतों में और भी कमी आयी है। रबड़ की खेती करने वाले किसानों की संख्या दस लाख से भी अधिक है और उनके परिवारों को रबड़ के उत्पादन के संबंध में लिये गये ऋण को चुकता करने में काफी कठिनाई हो रही है। केरल में अधिकतर किसान नारियल की खेती करते हैं। सरकार द्वारा घोषित उदारीकृत आयात नीति से नारियल की कीमत 6000/- रुपये प्रति हजार नारियल से घटकर 3000/- रुपये प्रति हजार नारियल रह गयी है। नारियल के एक उत्पाद खोपरा की कीमत में भी कमी आयी है। केरल में खरीददारों के अभाव में करोड़ों नारियलों के ढेर लगे हुए हैं। केरल में नारियल उत्पादक भुखमरी का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा घोषित खोपरा का समर्थन मूल्य काफी कम है और इससे बाजार में कोई हलचल नहीं है। नई नीति के कारण काफी की कीमतों में भी कमी आयी है। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि केरल के किसानों के हितों की रक्षा के लिये कदम उठाये जायें और उक्त वस्तुओं को नई आयात नीति से छूट दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब डा० रघुवंश प्रसाद सिंह अपनी बात रखेंगे। यह 'शून्यकाल' नहीं है परन्तु एक विशेष मामले के रूप में मैं उनको अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, हम जो सवाल उठा रहे हैं, वह लाखों-लाख गरीब लोगों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, उसके सम्बन्ध में है। रोज दिन उनके घर ढहाये जा रहे हैं। उसमें राजा बीमार हालत में गये, तब वह रुका। गांव से गरीब आदमी यहां आकर मेहनत करते हैं। दिल्ली को बनाने का काम गरीब आदमी ने किया। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष से लोग उसमें रह रहे हैं। चार-चार पूर्व प्रधान मंत्री से जाकर मिले थे और प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक नीति बनेगी कि जब तक वैकल्पिक प्रबन्ध नहीं होगा, तब तक बुलडोजर नहीं चलाया जायेगा, घर नहीं ढहाया जायेगा। लेकिन उसके बाद भी विभिन्न मौहल्लों में, कभी करबला में, कभी वजीरपुर में, कभी खुरेजी में, सभी जगहों पर कभी डी०एल०डी०एम०सी०, कभी एन०डी०एम०सी० कभी डी०डी०ए० कभी रेलवे, दिल्ली में विभिन्न मालिक बने हुए हैं। सब गरीबों का घर ढहाया जा रहा है। सदन चल रहा है और लाखों गरीबों का, मेहनतकश मजदूरों के, बेघरों के घरों पर जब बुलडोजर चलेगा, उनके घर ढहाये जाएगें तो सरकार चुप बैठी रहेगी? सरकार किस वास्ते है, लाखों गरीबों को बेघर करने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए सरकार है या उनके पुनर्वास के लिए या उनको बसाने के लिए है। यह सदन किस वास्ते है और हम लोग किसलिए यहां बैठे हुए हैं। संवेदनशील सरकार को उठ खड़े होना चाहिए और वैकल्पिक प्रबन्ध तत्काल होने चाहिए और बुलडोजर चलाने की कार्रवाई रोकनी चाहिए, नहीं तो गरीब वहां कलेजा पीट रहे हैं। उनके बाल-बच्चे सड़क पर कहां रहेंगे, जब इनका घर टूट जायेगा। लाखों लोग यहां बसे हुए हैं, देहात से काम की खोज में लोग यहां आये हैं। कारखाने उनके बल पर चलते हैं, सारा कारोबार उनके बल पर चलता है। ये मेहनतकश लोग हैं, इनमें ज्यादातर शैडल्यूल्ड कास्ट्स, शैडल्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, वे कहां जाएंगे। लाखों लोग गरीब आदमी कहां जाएंगे, इसलिए सरकार को इस पर रैस्पोंड करना चाहिए।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): इस भीषण गर्मी में लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, हाहाकार मच रहा है। . . . *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): यह परम्परा अच्छी नहीं है। 10-10 मैम्बर अगर हाउस में पूरे दिन को जीरो ऑवर बना देंगे तो कैसे काम चलेगा।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। यह सीरियस मैटर है न।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: सरकार उस सभा में चर्चा किए गए सभी मामलों को सदैव नोट करती है। सरकार ने माननीय सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद जी और उनके सहयोगियों द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दे को भी नोट कर लिया है। सरकार इस पर यथोचित कार्यवाही करेगी।

अपराह्न 2.33 बजे

वित्त विधेयक, 2000

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जैसाकि आप जानते होंगे कि कार्य मंत्रणा समिति ने 19 अप्रैल, 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किए गए अपने छठें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि वित्त विधेयक, 2000 पर चर्चा 3 मई को आरम्भ करके 4 मई, 2000 को समाप्त की जाये। यदि सभा इस पर सहमत हो तो वित्त विधेयक, 2000 के सभी तीन चरणों के लिए हम 8 घंटे की अवधि नियत कर सकते हैं। हम इस पर सामान्य चर्चा हेतु 5½ घंटे, लगातार विचार हेतु 1½ घंटे और तीसरे वाचन हेतु 1 घंटे का समय रख सकते हैं। इस प्रकार इसके लिए आठ घंटे का समय आवंटित किया जाता है।

अब वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा वित्त विधेयक, 2000 विचार करने हेतु रखेंगे।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): मैं प्रस्ताव करता हूं :*

"कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस वर्ष की 29 फरवरी को इस सभा में वित्त विधेयक, 2000 पुरःस्थापित किया था। मैंने उस वित्त विधेयक में इस वित्त विधेयक के माध्यम से अपने बजट प्रस्तावों में उत्पाद शुल्क के ढांचे में कुछ मौलिक परिवर्तनों की घोषणा की थी। यह मेरा कर ढांचे और प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास है। तथापि, बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद मुझे व्यापार और उद्योग क्षेत्र के कुछ लोगों और माननीय संसद सदस्यों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें छूट रियायतें देने और विसंगतियां दूर करने का अनुरोध किया गया है।

मैंने सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद इसमें कतिपय परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। मैंने इन संशोधनों पर अनिवार्य रूप से विचार करने का रवैया अपनाया है जो लोक हित में हो अथवा जहां विसंगतियां दूर होती हों अथवा जहां अनिवार्य रूप से समर्थन प्रदान किया जाता हो अथवा घरेलू उद्योग को संरक्षण प्राप्त होता हो। मैं इन संशोधनों को यथासम्भव न्यूनतम भी रखना चाहता हूं।

महोदय, उत्पाद शुल्क के क्षेत्र में, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रखना चाहता हूं :-

1. 'सेनवेट' से अर्थात् सिलिकॉन, ई-मेल और इंट्रावेनस द्रव्य, टैपिओका स्टार्च और असालोएटिडा (हींग) जैसे उत्पादों को छूट दी जाए।
2. 5 रुपये प्रति पैकेट से अनधिक अधिकतम खुदरा मूल्य और 100 ग्राम भार से अधिक बिस्कुटों को 'सेनवेट' से पचास प्रतिशत छूट दी जाए।
3. गैर-परम्परागत कच्चे माल से निर्मित कागज की शुल्क मुक्त क्लियरेंस सीमा को 2500 वर्ष प्रति टन से बढ़ाकर 3500 टन किया जायेगा।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

मैं सीमा शुल्क के संबंध में, निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव करता हूं :-

- आर्टिमिसिनिन को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाये। इस औषध का मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता है।
- डी॰ बी॰ एम॰, फ्यूज्ड मैगनिशिया और कतिपय विशेषताओं वाले समुद्र जल मैगनिशिमा पर मूल सीमा शुल्क को 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया जाए।
- चाय और काफी पर मूल सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया जाए।
- कुक्कुट मांस और उससे बने उत्पादों पर मूल सीमा शुल्क को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया जायेगा।
- संगमरमर की पट्टियों और टाइलों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीबीडी) को 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया जायेगा।
- गैर-कोकिंग कोल पर मूल सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जायेगा।

सभा को याद होगा, मैंने उत्पाद शुल्क के लिए कर निर्धारण के आधार के रूप में लेन-देन मूल्य को स्वीकार करने का प्रस्ताव किया था। तथापि मैं कानूनी पाठ में कुछ संशोधन करना चाहता हूं जिससे कुछ आशंकाएं दूर हो जाएं और हमारा इरादा स्पष्ट हो सके।

मैं विधायी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने हेतु वित्त विधेयक के कतिपय उपबंधों में कुछ अन्य संशोधन का प्रस्ताव करना चाहता हूं।

उत्पाद और सीमा शुल्क में कटौती करने वाले संशोधन कल से प्रभावी होंगे। अधिसूचनाओं की प्रतियां उचित समय पर सभा पटल पर रखी जायेंगी। शुल्क में वृद्धि और अन्य विधायी संशोधन संसद द्वारा वित्त विधेयक पारित करने और उसे अधिनियमित करने के पश्चात् प्रभावी होंगे।

प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के संबंध में, मैं निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव करता हूं :-

(एक) उद्यम पूंजी निधि (वेन्चर केपिटल फंड) कोई कर नहीं लगेगा। ऐसी निधि के वितरित अथवा अवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। केवल निधियों द्वारा वितरित आय पर निवेशकों के अधिकार में उसे आय की प्रकृति पर लागू दरों के आधार पर कर लगाया जायेगा।

(दो) ज्ञान आधारित उद्योगों विशेषकर भेषज और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु ऐसे खर्चे में 'वेटिड' कटौती 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दी जाएगी। ऐसे अनुसंधान और विकास में लगी कम्पनियों को दस वर्ष तक कोई कर नहीं देना होगा। मैं अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयोगार्थ 150 करोड़ रुपये की निधि की स्थापना का भी प्रस्ताव कर रहा हूं।

(तीन) धारा 54 ई सी के अंतर्गत 'एन एच ए आई' और 'नाबार्ड' के बांडों में पूंजी लाभ के निवेश के लिए 'लाक इन' अवधि को पांच वर्ष से कम करके तीन वर्ष किया जाएगा। मैं धारा 88 के अंतर्गत छूट के लिए अवसंरचनात्मक बांडों में निवेश की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

(चार) आवास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए अपने कब्जे वाली सम्पत्तियों की खरीद के लिए देय ब्याज में कटौती की सीमा को 75000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

(पांच) भारतीय ओलम्पिक संघ को दिए गए दान पर शत प्रतिशत लाभ का फायदा आयकर अधिनियम की धारा 10(23) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त अन्य राष्ट्रीय खेल संघों को भी दिए जाने का प्रस्ताव है।

(छः) मैं बिना किसी लाभ के उद्देश्य से स्थापित धर्मार्थ कम्पनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर संचालन से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

(सात) 1,50,000 रुपये से अधिक आय वाले गैर-निगमित निर्धारितियों पर सरचार्ज 15 प्रतिशत रहेगा परन्तु स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) के लिए यह 10 प्रतिशत रहेगा ताकि संचालनगत अड़चनों से बचा जा सके।

(आठ) मैं किसानों को पेश आ रही कठिनाइयों को कम करने के लिए उनके द्वारा जमीन की आवश्यक खरीद पर स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

(नौ) गैर-बैंक जमा राशियों पर स्रोत पर कर छूट की सीमा को 2500 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

(दस) 'कर्मचारी स्टाक आप्शन प्लान' के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शेयरों का अतिरिक्त आय के रूप में नहीं माना जाएगा और बेचते समय इस पर केवल 'केपिटलगेंस' की भांति कर लगाया जायेगा।

(ग्यारह) मुक्त व्यापार क्षेत्र अपना सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क में स्थापित एककों और निर्यातोन्मुख एककों को उपलब्ध रियायतों को अब दस वर्ष की अवधि में चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया जाएगा। मार्च, 2000 तक स्थापित की गई एकक को 10 वर्षों तक, 2000-2001 में स्थापित एककों को 9 वर्षों तक, 2001-2002 में स्थापित एककों को 8 वर्षों तक और इसी तरह से आगे रियायतें दी जाएगी। इसके अलावा मैं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थक सेवाओं पर भी रियायत का प्रस्ताव करता हूं। कुल बिक्री के 25 प्रतिशत घरेलू बिक्री पर रियायत जारी रहेगी। विशेष आर्थिक जोन के एककों को भी यही लाभ जारी रहेगा।

इन परिवर्तनों के साथ, जिसके लिए संशोधन परिचालित किया जायेंगे, मैं वित्त विधेयक, 2000 को सभा में चर्चा हेतु प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

आप मेम्बर्स के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक 2000 हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत है। काश, जो प्रस्ताव इसमें निहित हैं और जो संशोधन आज घोषित किये गये हैं, वे मुझ जैसे सेवक को इतनी प्रेरणा देते कि मैं उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन कर सकता। लेकिन यह विरोधाभासों से भरा हुआ और जिन सपनों को संजोकर माननीय वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया था, जो प्रधान मंत्री जी के विजन, सपने थे अगर उनके अनुरूप यह विधेयक उन उद्देश्यों की पूर्ति करने का साधक बनता तो मैं संपूर्णता में इस विधेयक का समर्थन करता। लेकिन मुझे खेद है कि मैं स्वयं को वर्तमान परिस्थितियों में असमर्थ पाता हूं। यह क्यों? वित्त मंत्री जी ने अपने गंभीर मुस्कराते हुए व्यक्तित्व के माध्यम से एक सपनीला बजट हमारे सामने रखा है।

अपराह्न 2.42 बजे

[**डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

सपनों से भरे, पिछले वर्ष भी और उससे पहले भी जो वित्त विधेयक यहां प्रस्तुत किये, उनके साथ अगर हम वर्तमान विधेयक को लें तो उनका सपनों से भरा हुआ बजट यथार्थता से दूर, जो पिछले वर्ष के वित्त विधेयक और बजट के संबंध में वास्तविकताएं हुई, आज भी हम इस वित्त विधेयक को जैसा है, उसी रूप में समर्थन करने में मैं असमर्थ हूं। सारे वित्त मंत्री जी के आंकड़ों से भरे हुए भाषण, जैसा कि आज के माननीय प्रधान मंत्री जी ने 1996 में बजट पर बोलते हुए कहा था कि ये बजट के आंकड़े भूल-भूलैया की तरह हैं, लखनऊ के भूल भुलैया की तरह है। लगता है कि मात्र इस भूल भुलैया को आंकड़ों द्वारा और विस्तृत कर दिया गया है। इन आंकड़ों के जजाल में और वास्तविकता से दूर इसे और विस्तृत कर दिया गया है। आखिर इस वित्त विधेयक के पीछे विचार और उद्देश्य क्या है? मुझे याद आता है कि डा० अमृत्य सेन, नोबेल प्राइज विनर, जब भारत आए, उन्हें वर्तमान सरकार ने पूरा सम्मान दिया और वित्त मंत्री जी से उनकी लम्बी बातें हुई। हमारे सम्मानित प्रधान मंत्री जी को भी यह अवसर प्राप्त हुआ कि वह उनसे विचार परामर्श कर सकें। मैं इस वित्त विधेयक पर यह याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने, श्री सेन ने नोबेल प्राइज प्राप्त होते ही हमारे वित्तीय दृष्टिकोण के बारे में क्या कहा था, नोबेल प्राइज प्राप्त होते ही स्टॉकहोम में डा० अमृत्य सेन ने कहा, जब उनसे ए० आई० आर० के संवाददाता ने पूछा कि आप भारत आएंगे तो वित्त मंत्री जी को क्या सलाह देंगे,

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

[अनुवाद]

उन्होंने कहा:

मैं श्री यशवंत सिन्हा, से कहूंगा कि वे गलत ढंग से सोचना बंद करें और सही लक्ष्य चुनें।

इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने कलकत्ता में, फिर यहां प्रैस कांफ्रेंस में दिल्ली में जब यह बात कही : भारत को अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को पुन: निर्धारित करना चाहिये ताकि उन्हें वस्तुओं से संबंधित होने के बजाय जनोन्मुखी बनाया जा सके क्योंकि इसी से देश को विश्वव्यापीकरण की चुनौती का सामना करने में सहायता मिलेगी। गरीब वर्ग को कुछ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके ही देश विश्वव्यापीकरण की चुनौती का सामना कर सकता है क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि कोई अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ने की प्रक्रिया से अलग हो सके।

[हिन्दी]

मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हमने इन बिचारों के बारे में सोचा है।

इस वित्त विधेयक में जो प्रस्ताव निहित हैं और जो संशोधन किये गये हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि दो-एक संशोधन अच्छे हैं लेकिन अगर आप इन्हें पूर्णता में देखें, मैं आशा करता था कि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के मामले में जो कस्टम ड्यूटी माफ की गई है, उसमें हम देखते हैं गेहूं, नमक, कॉमन सॉल्ट, हुक्का, तम्बाकू, जो तम्बाकू के मामले में लोग, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इनका इम्पॉर्ट फ्री किया जा रहा है। बीड़ी, प्याज, गेहूं, नीम, मक्का, चावल, हल्दी का पाउडर, अदरक, होल मिल्क, अनार, इन सब चीजों पर जितनी इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं, वह साफ की जा रही हैं। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पॉलिसी को वित्त विधेयक के साथ जोड़ना चाहिए क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने विधेयक में इसका उल्लेख किया है।

आयात-निर्यात नीति का गहरा संबंध वित्त विधेयक में निहित प्रस्तावों से होता है। मैं जानना चाहूंगा कि इस दृष्टि से किसानों की दृष्टि से वित्त विधेयक में संशोधन क्यों नहीं किये गये और उसका क्या कारण था? ठीक है, हमने कुछ समझौतों पर दस्तखत किये होंगे और शायद किये हैं जिनमें हमें ड्यूटीज धीरे-धीरे कम करनी होंगी लेकिन जैसे आप एक्सपोर्ट के कुछ टैक्सेज को कम कर रहे हैं, दस साल की अवधि दे रहे हैं, क्या ये रुक नहीं सकते थे? आज एक तरफ अकाल की काली छाया गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अभी एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया बुंदेलखंड भी अकाल से प्रभावित है। इतने वर्षों से अच्छे मानसून रहे थे, यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि जो अब तक सूचनाएं आ रही हैं, उनसे लगता है कि इस पूरे साल मानसून शायद उतना अच्छा न रहे। हम राजनीति की दृष्टिकोण से इस प्रश्न को नहीं देखते लेकिन आज एक तरफ अकाल की काली छाया, आत्महत्याओं की बढ़ती हुई संख्या, प्रदेशों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं, हम सभी सदन में कहते हैं कि यहां आत्महत्या हो रही है, कभी कहते हैं कि वहां आत्महत्या हो रही है, इसे हम दलीय दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अधिक सूखे का प्रभाव आज हमारे देश के अनेक भागों पर हो रहा है। उड़ीसा में भी सूखे का प्रभाव हो रहा है जहां अभी इतना बड़ा सुपर साइक्लोन आया। वहां आज सूखा और भयानक गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में भी पीने के पानी के टैंकर चलाने पड़ रहे हैं। यह पीने के पानी की स्थिति है। वित्त विधेयक में मैं यह अपेक्षा करता था कि ऐसे संशोधन होंगे जिससे अकाल का प्रभाव जो गरीबों पर पड़ रहा है, उसे कम करने की उद्घोषणा होती, जिससे कि आज की स्थिति में फर्क पड़ता।

अधिष्ठाता महोदय, कल के समाचार पत्रों - इकोनोमिक्स टाइम्स, बिजनैस स्टैंडर्ड और दैनिक फाइनेंशियल एक्सप्रैस समाचार पत्रों आदि - में लिखा है कि मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 5.55 प्रतिशत हो गई। जब बजट पेश किया गया था, तब मुद्रास्फीति क्या थी और आज मुद्रास्फीति क्या है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने करन्सी व फाइनेंस पर रिपोर्ट दी है, उसके माध्यम से देश को, इस सदन को और शासन को सावधान किया है कि इन्फलैशनरी टैंडेंसी का दबाव बना हुआ है, मुद्रास्फीति दबाव बना हुआ है। दूसरी तरफ, आज सैनसेक्स, जिस पर हम बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारा शेयर मार्केट इतना ऊंचा उठ गया है, आज की तारीख न्यूयार्क का मार्किट जब इतना अधिक आगे बढ़ गया है, ऐसे अवसर पर हमारा सैनसेक्स मात्र 255 अंक नीचे हो गया है, जबकि संसार में शेयर मार्केट की हालत अच्छी हो रही है। क्यों? आज के दिन ही होना था, जबकि यहां वित्त विधेयक विचाराधीन है? मैं पूछता हूं, मैं इसे क्या मानूं? सैनसेक्स हमें पिछले तीन हफ्तों से धोखा दे रहा है, आंख-मिचौनी खेल रहा है। सैन्सेक्स में आरोह-अवरोह हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसको ही मानसिक प्रधानता दे दी है। गरीब का सैन्सेक्स, जिसे गरीबी का इन्डैक्स कहते हैं, वह नीचे जा रहा है। यह सैनसेक्स डावांडोल हो रहा है, जबकि विश्व के इन्डैक्स से इसका संबंध है। ऐसा लगता है कि हम ऐसे मानसिक धरातल पर विचरण कर रहे हैं, जिसमें केवल सैन्सेक्स ही हमारी सफलता का सबसे बड़ा मानदंड हो गया है और बाकी मानदंड कमजोर पड़ गए हैं। मैं यह नहीं कहता कि शासन इसको महत्व नहीं देता है।

अभी कुछ दिन पहले जब सैनसेक्स नीचे आया था, तो माननीय वित्त मंत्री जी को अपनी इच्छा के विपरीत यह घोषित करना पड़ा था कि मोरिशस में जो 21 कम्पनियां हैं, जिनका केवल पोस्ट आफिस दफ्तर है, वहां न उनका कोई कारखाना है, न उनका कोई इस्टैबलिशमेंट है, न कोई बड़ा संस्थान है, सिर्फ पोस्ट आफिस के एक या दो पोस्ट बाक्स उनका पता है, उनको सुविधा देनी पड़ी कि कोई टैक्स नोटिस नहीं दिया जाएगा। इससे कई हजार करोड़ रुपए टैक्स में कमी हुई है, फाइनेंस बिल की आय में कमी हुई है, लेकिन मजबूरी में सैन्सेक्स को देखते हुए कि वह और न गिरे, कहना पड़ा। कुछ दिन पहले आपने कहा और फिर अब कोई तरीका ढूंढिए। मैकडावल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि यह हमारे आर्थिक हित में नहीं है कि फर्जी ढंग से किये गये व्यापार को छूट दें, यह देश के हित में नहीं है। दूसरे देशों में भी कहीं-कहीं इस तरह के कानून हैं, जो बड़े मुख्य देश हैं, उनमें भी हैं, जो फर्जी काम के खिलाफ बड़ा कदम उठाने से डरते नहीं हैं। इसका नतीजा है कि माइक्रोसोफ्ट कम्पनी दो हिस्सों में बांटा जा रहा है और बिलगेट्स इससे बहुत

परेशान हैं। संसार में माइक्रोसोफ्ट सबसे कामयाब कम्पनी मानी जा रही थी, लेकिन उत्तर अमरीका का प्रशासन उसको बांटने में लगा है और दो हिस्सों में बांट रहा है। बिलगेट्स ताक रहे हैं और टैक्नोलोजी के जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनका भविष्य डगमगा रहा है और हमारे यहां जो स्थिति है, उसके लिए हमारा वित्त विधेयक गवाह है।

महोदय, पिछले वर्ष भी बजट के जरिये हमने बहुत ही सुन्दर सपना बुना था। काश! वह सपना हमारा सार्थक हो पाता। पिछले वर्ष माननीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से वित्त विधेयक और बजट के माध्यम से बहुत अच्छी घोषणायें हुई थीं।

वित्त विधेयक के उद्देश्य वही हैं जो बजट के उद्देश्य हैं, इसलिए मुझे वित्त विधेयक पर बोलते हुए बजट के उद्देश्यों का हवाला देना पड़ता है। पिछले साल जो बजट का एक सिलसिला था उसमें एक से एक सुन्दर, एक से एक प्रेरणा देने वाली और आकांक्षाओं को प्रेरित करने वाली कितनी घोषणाएं की गईं। जैसे एक अन्नपूर्णा योजना को लीजिये जिसमें दस किलो अन्न सीनियर लोगों के लिए देने की बात कही गयी यानी जो 65-70 साल से ऊपर आयु के हैं। उनमें मैं भी सौभाग्य से आ जाता हूं। ऐसे ओल्ड ऐज़ पेंशनर्स के लिए 10-20 किलो अनाज मुफ्त देंगे। ग्राम पंचायतों को प्राइमरी हैल्थ केयर के लिए अलग से फंड, घोषित हुआ। देश के लिये ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया, यानि सन् 1999-2000 को ग्राम सभा वर्ष सारे देश की ग्राम सभाओं के लिये घोषित किया गया, यह कितना रंगीन सपना है। प्राइमरी हैल्थ के लिए हर पंचायत को सहायता दी जाएगी। एजूकेशन गारंटी स्कीम का एक और रंगीन सपना है, जिसमें दो साल के लिए पंचायत खुद स्कूल खोल सकेगी और बाद में उसे सरकार ले लेगी। ग्राम समृद्धि योजना, जिसमें ग्रामों को पूरा अधिकार दे दिया गया है कि वे अपनी योजना खुद बनाएं और उन्हें पैसा दिया जाएगा, लेकिन मुझे कहीं यह प्रस्ताव इस विधेयक या बजट में दिखाई नहीं देते, इसका कहीं उल्लेख नहीं आया है। मैने तमाम बजट साहित्य देखे, इसके आंकड़े पढ़े, लेकिन मुझे यह प्रस्ताव दिखाई नहीं देते। इन रंगीन सपनों का क्या हुआ? स्वर्ण जंयती ग्राम रोजगार योजना भी घोषित हुई। समग्र आवास योजना और म्युनिसिपल बोर्डों को मकानों के लिए टैक्स फ्री बांड, दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, ग्राम औद्योगिकीकरण के लिए सौ क्लस्टर हर वर्ष बनेंगे, नेशनल प्रोग्राम फार रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन गरीब योजना। प्रधानमंत्री जी यह सब कहां चले गये, जय विज्ञान का नारा बिलकुल ठीक लगाया, इसके लिए 20 करोड़ का फाउंडेशन, पिछले साल घोषित हो गया। ये तमाम घोषणाएं अच्छी और सुन्दर घोषित हुई लेकिन कोई ठोस काम नहीं हुआ। इस बजट में उनका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं हुआ। अभी जो माननीय सदस्य झुग्गी-झोंपड़ियों के बारे में ठीक ही बता रहे थे, कि कोई स्कीम इन गरीबों के रहने के लिए नहीं बनाई गई, कि वे हटाये जाने के बाद कहां रहेंगे। आप कहते हैं कि जहां वे रहते हैं वह जगह अनधिकृत है, सारे देश में आज कोई नीति झुग्गी वालों के सही आवास के लिये बननी चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, अगर इस छूट नीति का उल्लेख होता। झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को बसाने के लिए कोई बड़ी व्यापक गृह योजना बनाई जाती है, जिसमें म्युनिसिपल बोर्ड को, सरकार को, और जो बनाने वाले बिल्डर हैं, उन्हें भी सौ फीसदी छूट देकर ऐसी योजना बनानी चाहिए थी जिन्हें अधिक आवास की जरूरत है। ठीक है वे अनधिकृत जगह पर सड़कों के खतरनाक किनारों पर न रहें, लेकिन उनके लिए कहीं आवास योजना नीति घोषित हुई। आज जो स्थिति है उसे अब मैं आर्थिक दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं, आर्थिक दृष्टिकोण क्या है। आज भारत सरकार के ऊपर कुल मिला कर साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है।

अपराह्न 3.00 बजे

फिर दोहराता हूं, कुल मिलाकर साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो गया है। जो कर्ज की नीति है वह ऐसी है कि ''ऋणम कृत्वा, घृत पिवेत'' कर्ज बढ़ाते जाइये, ऋण लेते जाइये और खर्च करते जाइये। बढ़ाते जाइये। इस समय हाल यह है कि 1990-91 में ब्याज अदायगी 21498 हजार करोड़ रुपये थी और आज 2000-2001 में 101266 लाख करोड़ रुपये शासन को ब्याज की अदायगी करनी पड़ेगी। यह बोझा बढ़ता ही जायेगा।

अकाल के लिए सहायता देने हेतु भारी ऋण लेना पड़ेगा, आज राज्यों की वित्तीय स्थिति क्या है? एक फिस्कल रिस्पोन्सिबिलिटी एक्ट बनना था। उसमें था कि हम समग्र वित्तीय घाटे को नियंत्रित करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं। आज अधिकांश राज्यों की स्थिति यह है कि वे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने में असमर्थ हैं। आधी से ज्यादा राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्हे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांटना मुश्किल हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री जी ने दिल्ली में प्रेस-कांफ्रेंस की और कहा कि उन्हें चार हजार आठ सौ करोड़ रुपया अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लिए वार्षिक कर्ज लेना पड़ रहा है। उस पर वे ब्याज का भी देंगे। एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा ब्याज का जो रुपया है, वह भारत सरकार के ब्याज का ही केवल प्रश्न नहीं है। हर राज्य सरकार अधिक कर्ज के कारण सहायता के लिये केन्द्र सरकार की ओर देखती है। उनकी वित्तीय स्थिति ऐसी चिंतनीय है कि केन्द्र की ओर देखना उनके लिए अपरिहार्य हो गया है। उनका बोझा केन्द्र सरकार का बोझा बन जाता है। वे रिजर्व बैंक सें ओवर-ड्राफ्ट करें या आपके पास आयें, आपको परेशान करें और कर्ज का रुपया लें।

अभी खुसरो कमीशन ने, ग्यारहवें वित्त आयोग ने 15 हजार करोड़ रुपया राज्यों को दिया है। लेकिन मैं नहीं जानता कि बजट में उसके लिए प्रावधान किया गया है या नहीं। लेकिन प्रदेश सरकारों का जो फिस्कल डैफेसिट है और भारत सरकार का जो फिस्कल डैफेसिट है, दोनों को मिलाकर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि आने वाली स्थिति सुधरने वाली नहीं है। यह सोचने वाली बात है। आज अगर एक रुपया सरकार उधार ले रही है, तो उसमें केवल 65 पैसे केन्द्र को मिलते हैं और 24 पैसे ब्याज में कट जाते हैं। बाजार से, बैंकों से और रिजर्व बैंक से कहते हैं कि ऋण दो तो जितना ऋण केन्द्र सरकार को बैंकों से मिलता है बौरोइंग के लिए, उसमें उतना ही छोटे व्यापारी, किसान और उद्योगों को कम रुपया जाता है क्योंकि किटी तो उतनी ही है, खजाने में तो रुपया उतना ही है। सरकार जब बौरोइंग ज्यादा कर लेती है तो जा रुपया बाजार को, किसान, उद्योग और व्यापार को जाता, वह सरकार ले लेती है तथा उसका प्रैशर बढ़ता है और

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मार्किट के लिये कैपिटल कम हो जाता है। आज छोटे, मंझले, बड़े उद्योग और व्यापार को वर्किंग कैपिटल की कमी हो रही है, पूंजी की कमी हो रही है। इसलिए जितना बौरोइंग आप सरकार की बढ़ाएंगे, उतना अर्थव्यवस्था और उत्पादन की प्रक्रिया में डिस्टोर्शन होगा विसंगति होगी।

कृषि के बारे में बहुत जोर दिया गया है। हम देखते हैं कि जो वित्त-विधेयक रखा गया है उसमें भी उसका उल्लेख है।

लेकिन आज कृषि संबंधी ऋण का क्या हाल है जा केवल 16 प्रतिशत के लगभग है। इतना ही केवल खेती के लिए जा रहा है। आप चाहे प्राइमरी कोआपरेटिव सोसायटी लें, चाहे लैंड डेवलपमैंट बैंक लें, चाहे स्टेट कोआपरेटिव बैंक लें, या बैंकिंग सिस्टम के जरिए कृषि के लिये प्रतिशत कम होता जा रहा है। कोआपरेटिव बैंकिंग सिस्टम भी कमजोर होता जा रहा है। हमारे पुराने सहयोगी मित्र माननीय वी० बी० पाटील साहब बैठे हैं। मुझे अभी एक सेमिनार में उनके साथ बैठने का मौका मिला था जो केवल कृषि ऋण नाबार्ड के द्वारा आयोजित था। वहां एक महत्वपूर्ण सूचना यह दी गई कि कमर्शियल बैंक का ध्यान कृषि ऋण से हट कर औद्योगिक ऋण की तरफ जा रहा है। कमर्शियल बैंकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे कृषि के लिए पर्याप्त ऋण दें लेकिन यह ऋण अब कम होता जा रहा है। क्रैडिट डिपॉजिट रेशियो - ऋण जमा अनुपात सबसे बड़ा मानदंड है कि किसी भी राज्य में खेती या उद्योग की कितनी तरक्की हुई? आज अधिकांश राज्यों में ऋण जमा अनुपात कितना कम हो गया है? रिजर्व बैंक का यह आदेश है कि प्रत्येक राज्य में ऋण जमा अनुपात कम से कम 60 प्रतिशत होना चाहिए। आज चार-पांच राज्यों को छोड़ कर बाकी राज्यों में ऋण जमा अनुपात तीस फीसदी के आसपास आ गया है। वह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 23 प्रतिशत है, बिहार जैसे राज्य में 18 प्रतिशत हैं क्योंकि बैंकों का ध्यान प्राथमिकता क्षेत्रों की तरफ कम हो गया है। लीड बैंक स्कीम लड़खड़ा रही है, डगमगा रही है। मैं वित्त विधेयक मे भिन्न थोड़ा जरुर कह रहा हूं लेकिन इसका वित्तीय उद्देश्य समान ह, इसलिए कहने के लिए मजबूर हूं। लीड बैंक स्कीम को दोबारा देखना होगा। रिजर्व बैंक ने हर गांव को किसी न किसी बैंक के साथ जोड़ा था और नीति बनाई थी कि हर गांव का एक क्रेडिट प्लान एक बैंक बनाएगा। तलयार कमेटी की सिफारिशों के बाद ग्रामीण ऋण देने के लिए सारे देश की ऐसी सर्वव्यापी योजना बनी। मुम्बई में तीन दिन सभी बैंकों को बुलाकर सेमिनार हुए। वहां निर्णय हुआ कि देश का हर गांव किसी न किसी बैंक से जोड़ा जाएगा और वह उस गांव का क्रैडिट प्लान बनाएगा। उसका क्या हुआ? मैं देखता हूं तो पाता हूं कि मात्र किन्हीं कागजात में भी इसका उल्लेख नहीं है। माननीय वित्त मंत्री अध्ययनशील हैं और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं समझता हूं कि वह 24 घंटों में 20 घंटे काम करते होंगे लेकिन विभिन्न प्राथमिकताएं तो देखनी होंगी। अगर भविष्य में दूरगामी दृष्टिकोण से नई सदी में भारत को महान बनाना है, समग्र दृष्टिकोण से महान भारत बनाना है तो गरीब किसान और छोटे से छोटा आदमी, वह छोटा नहीं है, वह मुख्य नागरिक है, उसके लिए क्या हो सकता है, इस पर विचार करना होगा। अमृत्य सेन साहब ने जैसा कहा और विश्व ने उन्हें देर से नोबल पुरस्कार दिया, अगर हम उनकी नीति को भारत में नहीं अपनाएंगे चाहे हम गांधी जी को मानें या किसी और को मानें, सही आर्थिक नीतियों को नहीं मानेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे।

मैं दूसरे आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट निकली और गवर्नर साहब का जो बयान आया, उसका निचोड 4 जनवरी 2000 को इकोनोमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑब्जर्वर, एशियन ऐज और हिन्दुस्तान टाइम्स आदि ने अलग-अलग लिखा।

[अनुवाद]

यह दुख की बात है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का तेहरवां स्थान है और विकासशील देशों में किये गये सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में इसका हिस्सा मात्र 1.2 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

रिजर्व बैंक और बाहर वालों ने कहा कि भारत 13वें नम्बर पर है।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात का हिस्सा जितना होना चाहिये, उससे कहीं कम है। कृषि विकास दर में अत्यधिक गिरावट आई है और 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत पार करने के पश्चात्, नकद सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 1998-99 में गिर कर 8. 5 प्रतिशत हो गया।

[हिन्दी]

और टिप्पणी यह है कि: नयी सहस्त्राब्दी का प्रारंभ बहुत सुखद तो नहीं है। यह पिछले साल से लेकर आज तक की स्थिति है। मैं इससे निराश नहीं हूं और मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री जी इससे निराश नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि सब दल मिलकर इस सदन में बैठकर तय करें कि आखिर राष्ट्र इन चुनौनियों का सामना कैसे करेगा। क्या आप केवल इस दृष्टि से अपने को सहमत पायेंगे कि हमने बहुत कुछ कर लिया है और बहुत कुछ करना है तो जैसा मैंने शुरु में एक गीत का उल्लेख किया था कि ''मैंने सब के लिये सात रंग के सपने बुने' और आप लगातार सात रंग के सपने बुन रहे हैं। आप सपने बुनिये नहीं, वास्तविकता के धागों में एक नई वस्त्रावली का निर्माण करिये जिससे करोड़ों गरीब लोगों को लाभ हो सके। आप सैंसेक्स के चक्कर में ही मत रहिये। सैंसेक्स जरूरी है क्योंकि शेयर मार्किट जरूरी है। जो चीन में एक तरफ ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ गरीबों पर भी नजर रखी जा रही है जिसे चीन ने अधिनायकवाद के तरीके से किया है उसे हम प्रजातांत्रिक तरीके से ऐसा करने में समर्थ हैं। यह चरितार्थ करना आज सबसे बड़ी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अब आप डायरेक्ट टैक्सेज को लीजिये। इनकी वसूली का क्या हाल है? हम डायरेक्ट टैक्सेज में सही व पूरी वसूली नहीं कर पा रहे हैं। यहां बार-बार कहा गया था, आपने भी कहा था, पहले के वित्त मंत्रियों ने भी कहा था, उसमें मैं अकेले आपको

नहीं जोड़ता, कि हम मानिटरिंग को सही रखेंगे, बोर्ड को मजबूत करेंगे, नीचे के स्तर पर कोई मानदंड कायम करेंगे। आज हालत यह है कि डायरेक्ट टैक्सेज के बाकाया के आंकड़े जो 1997-98 में 33,585 करोड़ रुपये थे, आज बढ़कर 41,230 हजार करोड़ रुपये हो गये हैं। इसमें एरियर्स की 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिनमें 61 प्रतिशत एरियर्स वे हैं जो हाई डिमांड केसेज हैं 10 लाख से ऊपर के हैं। जो बड़ी आमदनी वाले गरीब हैं, उन पर भी ऐरियर्स ज्यादा हैं। इससे पूर्व मेरे छोटे भाई श्री चिदम्बरम जी, जब वित्त मंत्री थे, उनके समय में नई योजनायें बनीं थी। उस समय एसेसीज की संख्या बढ़कर अब एक करोड़ 34 लाख हो गई है और 14 लाख 72 हजार इनकम टैक्स पेयीज के नये नाम एक वर्ष में रजिस्टर हो गये लेकिन वसूली में क्या हुआ? पैन नं॰ देने में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे आप कहां देने जा रहे हैं? आप हर जगय यह नियम बना रहे हैं कि पैन नं॰ हर जगह लिखना चाहिये लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को पैन नं॰ मिला है, क्या इस पैन प्रणाली को आसान बनाया गया है? पैन नं॰ और क्रेडिट कार्ड नहीं दिये जा रहे हैं। जहां तक डायरेक्ट टैक्सेज के क्लेक्शन का सवाल है, यह 1996-97 में 38,895 करोड रुपया था जो बढ़कर 48,280 करोड़ रुपया हो गया है। यह मेहनत से नहीं बढ़ा बल्कि वी॰ आई॰ डी॰ एस॰ क्लेक्शन से वसूली की गई थी। जिसमें आपको 9554 करोड़ रुपये मिले। अगर वी॰ आई॰ डी॰ एस॰ न होता तो जो वी॰ डी॰ एस॰ था......

अपराह्न 3.13 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रूखाबाद): यह इन्होंने नहीं किया, वह संयुक्त मोर्चा की सरकार ने किया था।

श्री नारायण दत्त तिवारी: नेशनल फ्रंट की सरकार ने किया लेकिन मैंने इस बारे में पहले ही जिक्र कर दिया था। क्योंकि अगर हमारा एकांगी दृष्टिकोण होगा हम केवल पुराने का उल्लेख न करें और आज के अनुभव में परिणित न करें, इसीलिये मैने कहा कि जो डायरेक्ट टैक्स वसूल करने की मशीन है, उसे मजबूत करने की जरूरत है, कठिनाई को दूर करने की जरूरत है। आज इनकम टैक्स का लैवल यह है कि जो कम तनख्वाह वाले लोग हैं, जो नीचे का वर्ग है, कम आमदनी वाले लोग हैं, वे 51 प्रतिशत इनकम टैक्स दे रहे हैं। अभी प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स की नीति होनी चाहिये। बीच में कुछ प्रोग्रेसिव हुआ था, थोड़ा बदला है लेकिन इतना नहीं बदला है जिसे हम प्रोग्रेसिव टैक्स कह सकें।

इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स को लीजिये। 1997-98 में यह प्रस्तावित किया गया था अंदाजन कस्टम ड्यूटी में 40 हजार करोड़ रुपया वसूला जा सकेगा। लेकिन जो वास्तव में वसूली हुई है, वह 24 प्रतिशत कम हुई है और इसी तरह जो ड्यूटी ड्राबैक.......

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): यह किस साल की फिगर्स पढ़ रहे हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी: यह 1997-98 की है जब श्री चिदम्बरम वित्त मंत्री थे लेकिन आपको इस साल की वसूली दो साल के बाद मालूम होगी।

श्री यशवन्त सिन्हा : नहीं, अभी आ गई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी: आपने इससे क्या निष्कर्ष निकाला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ धनंजय कुमार): एस्टीमेट इस बार पार किया था।

श्री नारायण दत्त तिवारी: इस साल तो एस्टीमेट गया लेकिन हमें सबक लेना चाहिये क्योंकि वसूली करने वाले तो आप थे यानी श्री चिदम्बरम के समय में वसूलने लग गये थे, किसको क्या गया, उन्होंने वसूल किया? क्या आप आधिकारिक रूप से कह सकते हैं?

श्री यशवन्त सिन्हा: जी हां, उन्होंने 1997-98 में वी॰ डी॰ एस॰ योजना चलाई थी। जो आंकडें आप सदन में पेश कर रहे हैं, वे वर्ष 1997-98 के हैं। ये उसी वर्ष वसूल किये गये और उसी वर्ष कलैक्ट किये गये थे।

श्री नारायण दत्त तिवारी: मैं वी॰ डी॰ आई॰ एस॰ का उल्लेख कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मशीनरी ऐसी है जिससे कि आमदनी बढ़ा नहीं। वह चाहे श्री चिदम्बरम के समय की मशीनरी हो, चाहे वह आपके समय की मशीनरी हो। इसलिये मैं हर वर्ष की मशीनरी का उल्लेख कर रहा हूं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप दिखा दें कि आपने अच्छी वसूली की है। पिछले वर्ष की क्या वसूली होनी चाहिये, उसके भी आंकडें पर आ जाऊंगा।

श्री यशवंत सिन्हा: प्रेस में आ गये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी: मैं वास्तविक आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। मैं कल्पना के आधार पर सदन में आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। इसी तरह से जो वेल्यू बेस्ड एडवांस लाइसैंसिग स्कीम है, उस पर विचार करने की जरूरत है। खासकर श्री वाजपेयी जी, जो अब प्रधानमंत्री हो गये हैं, उन्होंने 1996 में जब वे नेता विरोधी दल थे, श्री चिदम्बरम के भाषण के अवसर पर उन्होंने कहा था :

> ''इस शासन ने पिछले कई वर्षों से ओवर इनवाइसिंग इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट और अंडर इनवाइसिंग ने प्राब्लम की है और सवा लाख करोड़ रुपये की गड़बड़ होती है''

मैं जानना चाहता हूं कि अंडर-इनवाइसिंग समस्या का हल करने के लिये इस वित्त विधेयक में क्या है? मैं वित्त मंत्री से आग्रह करुंगा कि श्री वाजपेयी जी ने, जब नेता विरोधी दल के रूप में भाषण किया, उसे पढ़ लें क्योंकि कल फिर कोई ऐसा अवसर आयेगा तो मुझे या किसी को यह कहने का मौका न दें कि नेता विरोधी दल के रूप में श्री वाजपेयी जी ने जो भाषण दिया, उसे श्री यशवंत सिन्हा ने कार्यरूप में प्रशिक्षित किया, उसके लिये बधाई दे सकूं कि उन्होंने अच्छा किया? श्री वाजपेयी जी ने नेता विरोधी दल के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया और जा मुद्दा उठाया, उसका क्या हो रहा है? अब आप देखें कि 10 हजार 758 लाइसेंसों पर इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री हुई जिसमें 3532 करोड़ रुपये का टर्नओवर किया गया, उसकी जांच कब की गई? यही ओवर इनवाइसिंग और अंडर इनवाइसिंग के कुछ अधिकृत आंकड़े हैं।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो सर्विस टैक्स द्वारा वसूली के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सर्विस टैक्स का हम रिव्यू कर रहे हैं। सर्विस टैक्स में आज तक कितनी वसूली हुई है, मेरी जानकारी के आधार पर वर्ष 1998-99 में कुल 1895 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। इतनी बड़ी संख्या में सर्विस में भाग लेने वाले लोग हैं। इसलिए इसका सरलीकरण होना चाहिए। पर इस सब में राजस्व एकत्र करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। इसलिए इसके लिए कोई सोफ्टवेयर बनाया जाए जिससे कि कर देने वाले को कर एसेसमेंट करने में आसानी हो।

आज सोफ्टवेयर का जमाना है, इंफोर्मेशन एंड टैक्नोलोजी का जमाना है। क्या हम इंकम टैक्स में, एक्साइज में, कंप्यूटरीकरण के सहारे, ई-मेल के सहारे तरीके नहीं निकाल सकते, जिससे कि करदाता के लिए कर देना आसान हो सके। अभी तक संसार के तमाम देशों में ऐसे तरीके ढूंढे जा चुके हैं, नये सोफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहां ऐसा कोई सोफ्टवेयर बना है या नहीं, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इंफोर्मेशन एंड टैक्नोलोजी के हमारे युवा मंत्री जी बैठे हैं। मैं श्रीमन् आपके द्वारा सुझाव देना चाहूंगा कि टैक्स वसूली में टैक्स देने वाले को, चाहे वे राज्य हों या केन्द्र हो, उन्हें टैक्स देना आसान हो और फाइलों और अपील की जो लम्बी प्राणाली है, उसमें भी समय कम लग सके, इसके लिए प्राथमिकता देकर कोई विश्वसनीय सोफ्टवेयर बनाया जाए, जिससे कि राजस्व वसूली में केन्द्र और राज्य सरकारों को आसानी हो। अभी तक हमें इस प्रकार का आश्वासन या कोई संबंधित जानकारी नहीं मिली है।

श्रीमन्, मैं एक दूसरी समस्या की ओर भी माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। चूंकि उन्होंने उसका उल्लेख किया है—गरीबों और बेरोजगारी का। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 15 अप्रैल, 1999 को राज्य सभा में जो सवाल का जवाब दिया गया, क्या सही नहीं है। इस पवित्रतम लोक सभा में भी इसी तरह से सवाल का जवाब दिया गया था कि आज हमारे देश में गरीब की रेखा से नीचे 32 करोड़ लोग हैं। जब इस सदन में पूरक सवाल पूछा गया कि अब नये आंकड़ें कब आयेंगे तो मालूम हुआ नेशनल सैम्पल सर्वे डिपार्टमैंट के द्वारा हमें 2001 में मालूम होगा कि नये आंकड़े क्या है। मैं वित्त मंत्री जी से बड़े सम्मान के साथ, समादर के साथ, स्नेह के साथ जानना चाहूंगा, चूंकि वह मुझसे छोटे हैं, उन्होंने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि प्रत्येक गांव में एक इम्पलायमेंट रजिस्टर रखा जायेगा, अगर मैं सही हूं तो क्या आपने ऐसा कहा था?

श्री यशवन्त सिन्हा: हां।

श्री नारायण दत्त तिवारी: क्या वे इम्पलायमैंट रजिस्टर रखे गये हैं? क्या उनकी कोई मॉनीटरिंग हुई। यह तो मालूम है कि इम्पलायमैंट रजिस्टर रखे गये हैं, लेकिन उनसे गांवों के स्तर पर ऐसे कितने लोग हैं जो आज बेरोजगार नहीं हैं। हमारे पासे कोई आंकड़े नहीं हैं। हमारे पास सन् 1993-94 के आंकड़े हैं और आज हम सन् दो हजार में आ गये हैं। हमें मालमू नहीं है कि गरीब कितने हैं, राज्य सरकारों को भी मालूम नहीं है कि कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: गरीबों से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी: मतलब हो जाए तो अच्छा है।

श्री रतन लाल कटारिया: आप ही की देन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी: मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं। मैं यह अर्ज कर रहा था . . . *(व्यवधान)*

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर): केवल बिहार में ही यह आंकड़ा उपलब्ध है।

श्री नारायण दत्त तिवारी: बहरहाल रिजर्व बैंक ने जो इस बारे में अपनी टिप्पणी की है, इकोनौमिक सर्व रिपोर्ट में भी कहा गया है कि गरीबों के आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। हम यह नहीं कह सकते कि आंकड़े विश्वसनीय हैं और इसीलिए आज स्टेटिस्टीकल कमीशन, आंकड़ा आयोग बन रहा है। चूंकि आपके पास आंकड़े ठीक नहीं हैं।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सांख्य वाहिनी में घोटाला हो रहा है, ये क्या आंकड़े बना रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी: आप संस्था वाहिनी बना रहे हैं, मैं नहीं जानता यह बनेगी या नहीं।

सभापति महोदय, अगर कभी इसको आप बनाते हैं, चाहे किसी दृष्टिकोण से बनाएं, उसका सबसे बड़ा काम होना चाहिए कि इस क्षेत्र में जितने भी काम हों उनका कंप्यूट्रीकरण हुआ या नहीं क्योंकि जिला कार्यालयों से लेकर यहां तक कोई मशीनरी नहीं है जिससे सही आंकड़े खर्च को सुनिश्चित करे क्योंकि राज्यों में उसका सदुपयोग उस कार्य के लिए नहीं किया जा रहा है। प्लानिंग कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। प्लान की मानिटरिंग नहीं हो रही है। मेरा आग्रह है कि इस कार्य हेतु मंत्रिमंडल में दो-चार युवा मंत्रियों को और शामिल किया जाए, ताकि वे राज्यों में जाएं और प्लान को पूरी मानीटरिंग कराएं। राज्यों को सहायता प्लान को मानीटर करने के लिए दी जाती है, लेकिन राज्य उसे तनख्वाह देने पर व्यय करते हैं। वे कहते हैं कि तनख्वाह देना पहला कार्य है। अब इसके लिए किसको दोष दें।

सभापति महोदय, जो आंकड़े मेरे पास हैं और 8 मार्च, 1999 संसद में जो आंकड़े दिए गए, मैं उनके अनुसार बताना चाहता हूं कि देश में 2,47,95,000 पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार हैं। ये आंकड़े रोजगार कार्यालयों में स्थित रजिस्ट्रेशन के आधार पर बता रहा हूं। वहां दो या तीन बार रजिस्ट्रेशन किसी बेरोजगार का नहीं होता है, बल्कि होता यह है कि कई केन्द्रों में भी पढ़े-लिखे लोगों का नाम भी रजिस्टर नहीं किया जाता है। माननीय वित्त मंत्री जी का जब मैं नाम ले रहा हूं, तो आपका नाम मैं प्रतीक के रूप में ले रहा हूं, आपसे मेरा मतलब पूरी सरकार से है, क्योंकि पूरी सरकार के वित्त मंत्री आप ही हैं और सारा काम वित्त से ही होता है और आप केन्द्र बिन्दु हैं समस्त विकास के, समस्त गतिविधियों के और यह सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है कि इस सरकार में आप वित्त मंत्री हैं। इसलिए मैं आपका नाम बार बार ले रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि आप

अपनी भूमिको को निभाएं। आपने पिछले साल घोषणा की कि एक करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा। मैं आज पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को रोजगार मिला और किस-किस स्तर पर मिला, ग्रामीण स्तर पर, छोटे उद्योगों के स्तर पर, लघु उद्योगों के स्तर पर और मंझोले उद्योगों के स्तर पर, कुल कितना रोजगार मिला?

सभापति महोदय, आज तमाम लघु और मझोले उद्योग बन्द हो रहे हैं। विडम्बना और भी है और वह यह है कि इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी में जो रोजगार मिल रहा है वह केवल सर्विस इंडस्ट्री में मिल रहा है, जो नई-नई कंप्यूटर कंपनियां हैं, उनमें मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लाखों लाख बी॰ ए॰ हैं, एम॰ ए॰ पास लोग हैं, जिनको कंप्यूटर की ट्रैनिंग ही नहीं है, वे कहां जाएं, उन्हें कहां और कैसे रोजगार मिले? इसका नतीजा यह है कि आज 90 प्रतिशत विद्यार्थी बेराजगार रहने के लिए विवश है। कंप्यूटर की शिक्षा जरूरी है, लेकिन व्यापक ट्रैनिंग का कोई सुनिश्चित प्रविधान नहीं है। उन्हें हम कैसे रोजगार देंगे?

सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उल्फा ने जब हथियार डाले, तो मालूम हुआ कि उनके मूल में बेरोजगारी की समस्या प्रमुख थी। आज पंजाब, कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों में जो उग्रवाद पनप रहा है, उसके मूल में बेरोजगारी की समस्या ही है। पढ़े-लिखे बेरोजगारों के कारण उग्रवाद की समस्या बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री और मेरे पुराने मित्र, सोशलिस्ट श्री जार्ज फर्नान्डीज ने भी अपने बयानों में कहा है कि आंतकवाद और माफियावाद के बढ़ने का एक मुख्य कारण बेरोजगारी है। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में सभी राजनीतिक दलों से बैठक कर बात करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे।

उनको रिट्रेन कैसे किया जाये क्योंकि पब्लिक स्कूल में सब नहीं जा सकते। पब्लिक स्कूल की फीस कितनी होती है, कैसे उसमें भर्ती होते हैं, इंजीनियरिंग कालेज में कैसे भर्ती होते हैं, यह सबको मालूम है। इस तरह 90-95 फीसदी नौजवान बेराजगार हैं, वे भटक रहे हैं, शायद हर एम॰ पी॰ के घर में सुबह बेरोजगारों की क्यू लगी होती है कि आप हमें नौकरी दिलवाइये। आप तो फलां मंत्री के बड़े नजदीक हैं, आपका बड़ा प्रभाव है इसलिये आप हमें नौकरी दिलवाइये। आप एम॰ पीज़॰ से पूछिये कि इससे उनको कितनी परेशानी है। उनको घर में खाना भी खिलाना पड़ता है जो हमारा फर्ज है, रहने के लिए इधर-उधर जगह देनी पड़ती है। यह गरीबों के आंकड़े हैं और मैं यह आंकड़े खुश होकर नहीं दे रहा हूं बल्कि दुखी हृदय से दे रहा हूं। यह समस्या केवल आपकी नहीं है, सरकार की नहीं है, यह समाज की समस्या है और देश की समस्या है। लेकिन शासन के हाथ में जो हथियार है, उसका सही प्रयोग कर आगे कदम बढ़ा है। हम चाहते हैं कि आप कदम आगे बढ़ाइये। इस दिशा में हमारे जो लक्ष्य हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास करें।

मैं और बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन फिर जब अवसर मिलेगा तब मैं उन विचारों को व्यक्त करूंगा। मैं सम्मानित सदस्यों के इस अधिकार को कि वे अपने विचार अधिक से अधिक संख्या में व्यक्त कर सकें, उसमें रुकावट नहीं बनना चाहता। मैं विनम्रतापूर्वक वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि जब वे उत्तर का उत्तर दें क्योंकि मुझे इसका थोड़ा बहुत अनुभव है, जब वे उत्तर दें तो जो कुछ बिन्दु मैंने विनम्रतापूर्वक, पूरे विश्वास के साथ, पूरी सार्थकता के साथ, उदाहरण सहित या आंकड़ों के साथ रखे हैं, उन पर आप कोई घोषणा करें, बतायें या आश्वासन दें, तब हम सोच सकेंगे कि वास्तव में आपने सन् 2000 का वित्त विधेयक पेश किया है।

आपने अपने भाषण में बहुत सही लिखा है कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस सहस्राब्दी का प्रथम बजट रखने का आपको अवसर मिला। वास्तव में आप सौभाग्यशाली हैं लेकिन आप सौभाग्यशाली सही माने में तब कहलायेंगे जब सौभाग्य की किरणें देश में जो करोड़ों गरीब लोग हैं, उन तक पहुंचे, भूमिहीन तक पहुंचे, बेरोजगार तक पहुंचे।

आखिर में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अभी मैं गाजीपुर गया था। वहां मुझे खेतिहर मजदूरों के बारे में बताया गया और कहा गया कि यहां नक्सलवाद बहुत बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और बिहार और मध्य प्रदेश से आ रहा है। मैंने पूछा कि इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हारवैस्टर कम्बाइन और थ्रैशर मशीनें अब गांवों में भी किराये पर जाने लगी हैं। मैंने वहां सुना कि आज वहां बड़े पैमाने पर खेतिहर मजदूर थ्रैशरों के सामने सत्याग्रह कर रहे हैं कि थ्रैशर हमारी रोजी-रोटी को ले रहा है। एक तरफ आधुनिकीकरण की मांग और दूसरी तरफ गरीबों की मांग है कि मैं भूमिहीन चार महीने रोजगार करके अपना पेट भरता हूं, उसको भी यह थ्रैशर लिये जा रहा है, हारवैस्टर कम्बाइन लिये जा रहा है। वहां लोगों ने आंसू से भरी हुई आवाज में हमसे कहा कि कुछ कीजिए। मैं क्या करूंगा? इसके बारे में हम सबको सोचना है। हमें आधुनिकीकरण भी करना है और गरीबों को रोटी भी देनी है, जैसे झुग्गी झोंपड़ी वालों को हटाना है तो उनके आवास के लिये दूसरी तरफ भी सोचना है। कौना सोचेगा? इतिहास ने आपके ऊपर दायित्व डाला है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आपको जो ऐतिहासिक उत्तरदायित्व मिला है, उसको निभाने के लिये इतिहास की नयी लेखनी से आप कुछ सफलता प्राप्त कर सकें, यही मेरी कामना है। आपसे मेरी पुरजोर अपील है कि आप इस दृष्टिकोण से सोचें और कुछ करके दिखायें।

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये वित्त विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

बहुत लम्बे समय के पश्चात्, आज मुझे अपने सम्मानित मित्र, माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने भाषण में, उन्होंने कर ढांचे के क्षेत्र में उठाये गये नवीन कदमों के लिये वित्त मंत्री की प्रशंसा करनी चाही किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

वे अपना कर्तव्य निभाने को बाध्य थे क्योंकि वे इसके आगे नहीं जा सकते थे। किन्तु उन्होंने अपने भाषण में बार-बार आदर्श बजट का संदर्भ दिया है। निस्सन्देह मैं भी उनकी इस बात मे सहमत हूं कि यह एक आदर्श बजट है क्योंकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के

[श्री वैको]

नेतृत्व वाली सरकार का गौरवशाली और संपन्न भारत का एक सपना है और एक ऐसा सपना है जो पूरा होने जा रहा है।

अपने भाषण में, माननीय सदस्य ने स्वयं कहा था कि देश के सम्मुख भारी चुनौतियां हैं। मार्च, 1998 में क्या स्थिति थी? स्थिति काफी गंभीर, चिंताजनक और निराशाजनक थी जिससे लगता था कि सरकार मुश्किल में होगी। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शासन की बागडोर संभाली तब स्थिति क्या थी? गत वर्षों में विकास दर में उतनी गिरावट आई है जितनी कि सकल घरेलू उत्पाद में। उद्योगों का परिदृश्य क्या था? वहां काफी मन्दी थी। कृषि क्षेत्र में तस्वीर कैसी थी? कृषि में मूल्य वर्धित उत्पादन में गिरावट आई थी। विदेशी मुद्रा भंडार की क्या स्थिति थी? उनमें गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या थी? जैसा कि माननीय सदस्य ने नोबेल पुरष्कार विजेता डा॰ अमर्त्य सेन को ठीक ही उद्धृत किया है जिन्होंने कहा है कि यह वास्तव मे विश्वव्यापीकरण की चुनौती है क्योंकि संकट पूरे विश्व पर है। जब हमने मार्च, 1998 के महीने में सत्ता संभाली तब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और आर्थिक स्थिति काफी गंभीर थी और हर जगह समस्याएं थी विशेषत: पूर्वी एशियाई देशों में और मुद्रा का मूल्य गिर रहा था। जापान के येन का मूल्य गिर रहा था। चीन के समक्ष समस्या थी। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आर्थिक संकट की कगार पर था। उस समय हमने सत्ता संभाली। श्री यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री बने। अत: चेतावनी पहले ही मिल गई थी। मार्च के महीने में जब वे बजट प्रस्तुत करने वाले थे तब न केवल कुछ विशेषज्ञों ने बल्कि विपक्ष के नेताओं ने हमें चेतावनी दी थी कि हम मुश्किल में पड़ने जा रहे हैं जिससे निकलना आसान नहीं होगा। यह सीजर को दी गई चेतावनी "वीडस ऑफ मार्च" की तरह था। किन्तु भारत में कोई कमजोर और भूखा व्यक्ति नहीं था। क्या हुआ? इसके तुरन्त बाद हम सत्ता में आये जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। मैने परिदृश्य स्पष्ट किया है। किन्तु उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती हमारे समक्ष आई और हमें देश की सुरक्षा करनी थी। यह सरकार के लिये सबसे अधिक चिन्ता का विषय था।

पाकिस्तान हताश पड़ौसी देश था और किसी भी समय परमाणु हथियारों का उपयोग करने का दुस्साहस कर सकता था। अत: सरकार ने पोखरन में परमाणु विस्फोट करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। पोखरन में परमाणु विस्फोट के तुरन्त बाद पूंजीवादी देशों और अमेरिका से प्रतिबंधों की चुनौती मिली। हमारे मित्रों ने कहा "हमने पहले ही कहा था कि आप मुश्किल में पड़ जायेंगे। अब आप प्रतिबंध लागू होने पर इन समस्याओं से कैसे बाहर निकलेंगे" विपक्ष के हमारे मित्रों की चेतावनियों और आशंकाओं के बावजूद, परिणाम बिल्कुल अलग है।

यह भविष्यवाणी थी कि अर्थव्यवस्था की विकास दर और भी घट कर पांच प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत या 4 प्रतिशत हो जायेगी। किन्तु 1998-99 में विकास दर 6.8 प्रतिशत थी और इस वर्ष 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह पोखरन के परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध का परिणाम है। आप कह सकते हैं कि हम कुछ और कदम उठा सकते थे किन्तु हम एक ही वर्ष में रक्षा के लिये 13,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त हमें, 11,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योजना आवंटन और ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतरिम अवार्ड के अंतर्गत 11,000 करोड़ रुपये का आवंटन करना पड़ा है। अत: 35,000 करोड़ रुपये का कुल आवंटन किया गया था और 10,000 करोड़ रुपये का ब्याज का भुगतान करना था। यह कुल 45,000 करोड़ रुपये हो गया।

सरकारी ब्याज पर नियंत्रण के कारण गैर-योजना राजस्व व्यय केवल 1.8 प्रतिशत बढ़ रहा है। जब हम अपने मित्रों की निराशाजनक बातें सुनते हैं तब हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिये। हमें देश की बिगड़ी हुई स्थिति और समस्याओं को नहीं भूलना चाहिये जो हमे पिछले शासनकाल से विरासत में मिली हैं। हम कांग्रेस दल के 45 वर्ष के शासनकाल की विरासत के उत्तराधिकारी हैं।

जब मेरे मित्र और कांग्रेस दल के नेता श्री एन॰ डी॰ तिवारी बोल रहे थे तब मुझे आशा थी कि वे कर ढांचे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर और किये गये नवीन उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप शुल्क ढांचे को देखें तो पायेंगे कि सरकार ने कराधान क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किया है।

सबसे पहले हम उत्पाद शुल्क को लेते हैं। कुछ वर्ष पूर्व उत्पाद शुल्क की सैकड़ों दरें थी किन्तु पिछले 4 वर्ष इन्हें घटा कर मूल शुल्क की तीन दरें कर दी गई और अतिरिक्त शुल्क के दो स्तर कर दिये गये। इस वर्ष बजट में इन्हें 16 प्रतिशत की एकल दर को कम करके केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर दिया है जो कि सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क राजस्व का लगभग 85 प्रतिशत है। विशेष मदों के लिये केवल तीन अतिरिक्त उत्पाद दरें हैं। अत: क्या यह राष्ट्रीय मूल्य वर्धित कर की स्थापना की ओर बड़ा और नवीन कदम नहीं है?

अपने दिल से वे यह स्वीकार करेंगे कि राष्ट्रीय मूल्य-वर्धित कर की स्थापना की ओर यह एक सराहनीय कदम है।

श्री नारायण दत्त तिवारी: मैं तमिलनाडु के अपने परम मित्र और सहयोगी को उनके सुझावों और मेरा संदर्भ देने के लिये धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें यह स्मरण करा सकता हूं कि विशेष उत्पाद शुल्कों के रूप में जो कि संशोधित मूल्य वर्धित कराधान योग्य नहीं है, तीन स्तरों वाला शुल्क ढांचा जारी है। अत: वे यह देखेंगे कि कर सुधार इस सीमा तक किये गये हैं कि कोई विशेष उत्पाद शुल्क नहीं है और वही स्तरीय ढांचा बरकरार है। यह संशोधित मूल्य वर्धित कराधान योग्य नहीं है। हम पर लगाया गया कर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर नहीं है।

मैंने सोचा कि मुझे इस तरह आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक ओर उन्होंने उत्पाद शुल्क को घटा दिया है और उसे बीच के स्तर पर रखा है और दूसरी ओर शुल्क लगाए गये हैं। वास्तव में, उन्होंने अधिकतर मदों पर उत्पाद शुल्क को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया है। एकल शुल्क का अर्थ है कई मदों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि करना।

इसलिए मैं तमिलनाडु के अपने मित्र से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस पहलू पर भी ध्यान दें। निस्सन्देह मैं उनके द्वारा कही गई बात से कुछ हद तक सहमत हूं।

श्री वैको: किंतु उत्पादशुल्क एक समान तरीके से लगाया जाना चाहिए। इसमें कोई गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। वास्तव में, इस प्रयास में उन्होंने दूरदर्शिता से ये कदम उठाए हैं। शुल्क प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, समानता बनाए रखी गई है। अधिकांश मामलों में शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया है और कुछ मामलों में शुल्क 24 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले क्या हो रहा था? पहले हमारे पास उत्पाद शुल्क की कितनी दरें थी? मुख्य मुद्दा यही है।

अब, उन्होंने केवल प्रक्रिया को सरल बनाया है। नियमों को काफी सरल बनाया गया है और कर प्रशासन को बहुत आसान बनाया गया है। वित्त मंत्री ने बैंकों में कर भुगतान और बैंकों से धन वापसी का कार्य शुरु किया है, जो आम करदाताओं के लिए वरदान सिद्ध होगा। लगभग 54 शहरों में शुरु की गई 'छह में से एक योजना' को बढ़ाकर नए स्थानों में लागू किया गया है, अब यह योजना 79 शहरों में लागू होगी जिससे करदाताओं के आधार का विस्तार होगा।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य, श्री नारायण दत्त तिवारी मुझसे सहमत होंगे क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने 'ट्रांजैक्शन वैल्यू' की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। अभी भी उन्होंने इसका उल्लेख किया है। 'ट्रांजैक्शन वैल्यू' अवधारणा का अर्थ सामान्य कीमत जिससे अनेक विवाद पैदा हुए थे, के स्थान पर उत्पाद शुल्क का निर्धारण करना है। अब, वे दिन-प्रतिदिन आधार के स्थान पर प्रत्येक पखवाड़े के बाद उत्पाद शुल्क के भुगतान की अनुमति दे रहे हैं। उन्होंने यह विनिर्दिष्ट किया है कि उत्पाद शुल्क विभाग विनिर्माताओं के रिकार्ड पर विश्वास करेगा। इस महत्वपूर्ण बात को नोट करना चाहिए। यह प्रक्रिया अनेक वर्षों से चल रही थी। इसलिए उद्यमी और अन्य लोग नौकरशाही के चंगुल में फंस गए थे। अब, ऐसा नहीं है। अब वे विनिर्माताओं के रिकार्डों पर विश्वास करेंगे। सावधिक रिकार्ड रखने की आवश्यकता को पूर्णत: समाप्त कर दिया गया है।

सारी प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। जब वित्त मंत्री 'केनवेट' का उल्लेख कर रहे थे, 'केनवेट' क्रेडिट की उपलब्धता कर भार का समान प्रसार सुनिश्चित करेगी। यही अवधारणा है और यह दिशा है। उन्होंने यह कदम कर भार के समान प्रसार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उठाए हैं। आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ और अन्य दूसरे लोग यह मांग कर रहे हैं कि इन उपायों को लागू किया जाए। अब जबकि इन उपायों को लागू कर दिया गया है तो इसका श्रेय माननीय वित्त मंत्री के साहसिक और नए कदम को दिया जाना चाहिए।

अब सीमा-शुल्क के मामले पर चर्चा करते हैं। यह सही है कि हमारे वित्त मंत्री ने उत्पाद शुल्क की तरह सीमा शुल्क में कोई लोकतांत्रिक कदम इसलिए नहीं उठाया है कि किसी प्रत्यक्ष कटौती से भारतीय उद्योग को नुकसान हो सकता है। किंतु अब वे बहुत सचेत और सतर्क हो गए हैं। उन्होंने एक स्पष्ट दिशा दी है जो शुल्क के युक्तिसंगत और कटौती से संबंधित है ताकि वे भारतीय उद्योग को बढ़ावा दे सकें और मदों को इतनी ऊंची दर पर रख सकें जिसकी देश के व्यापक हित में जरूरत हो। अत: उन्होंने संतुलन बनाए रखा है। उन्होंने व्यापक हित में मदों की इतनी ऊंची दर रखी है ताकि अपने वैध हितों की रक्षा हो सके और इसके साथ ही जहां पर भारतीय उद्योग को बढ़ावा देना हो वहां शुल्क की दर में कटौती की है।

दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन, आधारभूत ढांचे से संबंधित मदों पर शुल्क में कटौती से हमारे उद्योग और निर्यात को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इस तथ्य से कोई इंकार नहीं करेगा कि विश्व बहुत तेजी से बदल रहा है। विशेष कर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति आ रही हैं। हमने बदलते हुए समय के साथ चलने के लिए इस शताब्दी और नई सहस्राब्दी के आगमन पर संसार को यह संदेश दे दिया है कि हम संसार की आर्थिक महाशक्ति बनना चाहते हैं। ऐसा होने जा रहा है। यह हमारी सोच है, हमारा सपना है। इसलिए हमने 'सपना' शब्द का प्रयोग किया है।

निस्सन्देह कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। किंतु हम सही दिशा में जा रहे हैं। आपको याद होगा कि उच्चतम सीमा शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत किया गया है। यह बहुत ही अच्छा कदम है। सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम है। जब पी० वी० नरसिम्हाराव की सरकार ने सत्ता छोड़ी तब शुल्क दर 50 प्रतिशत थी। तत्पश्चात् संयुक्त मोर्चे की सरकार ने इसे घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया किंतु 5 प्रतिशत विशेष सीमा शुल्क लगा दिया। अब इस चालू बजट में सीमा शुल्क में 5 प्रतिशत की कटौती ने अंतत: शुल्क सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।

हमारे माननीय वित्त मंत्री ने पांच वर्षों में निर्यातकों हेतु आयकर छूट को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय भी लिया है। इस छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु साहस और अच्छी आर्थिक समझ की जरूरत है। मुझे याद है कि अपने बजट भाषण में उन्होंने वित्त मंत्री की स्वविवेकी अधिकारों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया था। कोई भी व्यक्ति सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क पर तदर्थ छूट देने संबंधी स्वविवेकी अधिकारों को खोना या छोड़ना नहीं चाहेगा। ऐसा अनेक वित्त मंत्रियों द्वारा अपनी ओर से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क पर तदर्थ छूट देने संबंधी स्वविवेकी शक्तियों को मुक्त रखकर किया जा रहा था। ऐसा सत्ता वर्ग की समझ से अनेक बार किया जा रहा था। किंतु अब इसे स्वेच्छा से स्वत: त्याग दिया गया है। यह स्वयं इंकार करना है। मैं ऐसा नहीं करूंगा इसका परिणाम क्या होगा? उन्होंने अपने इस एक 'नए कदम से इस देश के 500 करोड़ रुपये बचाए हैं। किंतु, हमारे मित्र अपने भाषणों में उन्हें इसके लिए बधाई देने तक का साहस नहीं कर पाए। सत्तारूढ़ दल में कोई भी ऐसी स्वविवेकी अधिकारों को त्यागने का इच्छुक नहीं होगा।

हम आयकर के क्षेत्र में आते हैं तो हमारे वित्त मंत्री के हाथ बंधे हुए हैं। हम यह जानते हैं। किंतु उन्होंने दोहरी रणनीति अपनाकर सराहनीय कदम उठाए हैं। पहला कदम कुछ रियायतों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है ताकि कर की कम और एक समान दरों को बनाए रखा जा सके।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने समानता द्वारा अतिरिक्त कर भार को फैला दिया है। वे इसी का उल्लेख कर रहे थे। उच्च आय वर्ग पर थोड़ा अतिरिक्त प्रभार लगाया गया है और कंपनियों पर लाभांश कर में थोड़ी वृद्धि की गई है। उन्होंने थोड़ी वृद्धि की है। यह पहले से ही विद्यमान थी। किंतु उन्होंने ब्याज कर भी हटाया है और करदाताओं की सहायता हेतु कई उपाय किए हैं। कंपनियों पर लाभांश कर लगभग

[श्री वैको]

नई बात नहीं है। यह पहले भी विद्यमान थी, किंतु उन्होंने इसे बढ़ाया है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को युक्तिसंगत बनाया गया है और कर की दर को 10.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत की गई है। मैं समझता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।

जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, कई लोगों की यह दलील है कि कृषि को भी कर दायरे में लाया जाना चाहिए। किंतु हम किसानों की स्थिति जानते हैं। हमें कृषि मजदूरों की चिंता है। इसके साथ-साथ छोटे और मध्यम दर्जे के किसान भूमि होने के बावजूद सदैव ऋण जाल में फंसे रहते हैं। ऐसा हो रहा है। एक किसान होने के कारण मैं यह जानता हूं। मैं जानता हूं कि किस प्रकार भूमि पर हल चलाया जाता है। मैं एक छोटे अनपढ़ गांव का हूं और किसान हूं। मैं जानता हूं कि मेरे गांव में क्या हो रहा है। जब मानसून की वर्षा नहीं होती है तो भूस्वामियों के पास भी अपनी तिजोरी में पैसा नहीं होता है। अनेक कृषक परिवारों के पास जमीन है किंतु उनके पास मनोरंजन के लिए एक टैलीविजन तक नहीं है। ऐसी स्थिति है। अत: इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कृषि को कर दायरे में नहीं लाया गया है। यह हमेशा कर दायरे से बाहर रहेगा। हमें इस नए कदम के लिए सरकार और वित्त मंत्री को बधाई देनी चाहिए।

हमारे वित्त मंत्री ने लघु उद्योगों के लिए कुछ अतिरिक्त ऋण सुविधाएं देने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में लघु इकाईयों को 1 लाख रुपये तक ऋण देने हेतु जमानत देने संबंधी आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। हमारे वित्त मंत्री ने इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। लघु उद्योगों के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये के प्रावधान से एक ऋण गारंटी योजना भी शुरू की जा रही है। इस क्षेत्र को देखने पर हम पाते हैं कि लाखों लोग लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे-मोटे उद्योगों में कार्यरत हैं। मैं ऐसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां गरीब परिवारों के दस लाख लोग कुटीर उद्योग पर निर्भर हैं, जहां पर हाथ से दियासलाई की तीलियां बनाई जाती हैं। यह लघु उद्योग दस लाख लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। किंतु यहां पर मशीनीकरण होने का खतरा है और इन सभी लोगों को संकट, हताशा, गरीबी और मुसीबत में धकेल दिया जाएगा। अत: हम सरकार से इन लघु कुटीर क्षेत्र, विशेषकर हाथ से दियासलाई की तीलियां बनाने वाले उद्योगों, के हितों की रक्षा करने का अनुरोध कर रहे हैं।

निस्सन्देह मेरे मित्र सर्वहारा गरीब, श्रमजीवी वर्ग मजदूरों के बारे में चिंतित हैं। मैं उनकी ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा और चयन की प्रशंसा करता हूं। किंतु इसी मित्र के नेता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, वित्त मंत्री से मिलने नार्थ ब्लाक आए और उन्होंने मशीनीकृत क्षेत्र के लिए एक अभ्यावेदन दिया। यह सत्य है। पिछले बजट भाषण में भी मैंने इसका उल्लेख किया था। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि वे उस राज्य सबसे बड़े नेता हैं। किंतु जब हमारे मित्र तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन क्षेत्र और दक्षिणी जिलों में कुटीर उद्योग को बचाने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं उनका अपना नेता यहां आकर मशीनीकृत क्षेत्र के लिए कर हटाने का अनुरोध कर रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

ऐसा हो रहा है। ऐसा हो चुका है। अत: मैंने माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है। जब जनता पार्टी की सरकार वर्ष 1997 में सत्ता में आई थी तब क्या हुआ था? तब कुटीर उद्योग अर्थात् जिन उद्योगों में हाथ से काम होता है, के हितों की सुरक्षा का साहसिक प्रयास किया गया था। अत: कर-ढांचा ऐसा होना चाहिए जो इस क्षेत्र, विशेषकर ऐसे उद्योग जहां हाथ से काम होता है और जिस क्षेत्र पर इस लाख लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर आश्रित हैं, की सुरक्षा कर सकें। किंतु यहां चोरी-छिपे मशीनीकरण हो रहा है। हमारी सरकार बनने से पहले विशेषकर जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार सत्ता में आई, 1998 से भी पहले, मशीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अत: हम इस पर रोक लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मिलने आए हैं। मशीनीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अन्यथा ये सब लोग गहरे संकट में फंस जाएंगे। उनकी आजीविका के लिए भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। अत: उन्हें मशीन चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

सबसे महत्वपूर्ण घोषणा सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में न्यूनतम शेयरधारिता को घटाकर 33 प्रतिशत करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना है।

एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र विदेशी मुद्रा भंडार का है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके प्रति हम बहुत चिंतित हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करता है। आर्थिक सुधारों हेतु एक प्राथमिक क्षेत्र व्यापार और विनिमय दर संबंधी नीतियां रही थी। चालू खातों पर निर्यात और प्राप्तियों को विदेशी मुद्रा भंडार बनाने हेतु बढ़ाया गया और लाइसेंस के माध्यम से आयात नियंत्रण को परोक्षत: समाप्त कर दिया गया था। उत्पादन लागत को घटाने के उद्देश्य से आयात शुल्क में चरणबद्ध तरीके से भारी कटौती की गई और साथ साथ घरेलू उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया गया। ऐसा घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की दृष्टि से किया गया है। अत: रुपये की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती थी। इन सभी प्रयासों के सामूहिक परिणामों से हमारी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जून 1991 के 1 बिलियन डालर से बढ़कर मार्च, 2000 के अंत तक 35 बिलियन डालर से भी अधिक हो गई।

हम सभी मूल्य स्थिति के बारे में चिंतित हैं। किन्तु विगत में क्या हुआ था? हमें विरासत में क्या संपत्ति मिली है? यह स्थिति उन विगत की गलत नीतियों और ऐसी नीतियों का परिणाम थी जिन्हें पहले भी सरकार, विशेषकर उस दल द्वारा जो 45 वर्षों से सत्ता में था, द्वारा देश की आर्थिक सम्पन्नता को बढ़ावा देने के नजरिए से लागू नहीं किया गया था। सही स्थिति क्या है?

वर्ष 1999-2000 में मुद्रास्फीति कम थी क्योंकि वर्ष की शुरूआत मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से शुरू हुई जो निरन्तर घटकर 24 जुलाई, 1999 को अठारह वर्ष के न्यूनतम स्तर 1.9 प्रतिशत तक आ

गई। गिरावट का यह रुख अक्तूबर में डीजल की कीमतों में 40 प्रतिशत की वृद्धि को छोड़कर, जिससे मुद्रास्फीति की वार्षिक दर तीन प्रतिशत के स्तर के नजदीक आ गई, नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में यथावत बना रहा।

वर्ष की समाप्ति बिन्दु दर बिन्दु के आधार पर मुद्रास्फीति की दर 4.16 प्रतिशत थी और 52 सप्ताह की औसत मुद्रास्फीति दर 3.1 प्रतिशत थी। जब हम आर्थिक आसूचना, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक द्वारा दिए गए आंकड़े देखते हैं तो वर्ष 1992-93 की समाप्ति पर बिन्दु दर बिन्दु के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर सात प्रतिशत थी।

अपराह्न 4.05 बजे

[श्री पी०एच० पांडियन *पीठासीन* हुए]

52 सप्ताह का औसत 10.1 प्रतिशत था, 1993-94 में, वर्ष के अन्त में, यह 10.8 प्रतिशत था लेकिन 52 सप्ताह का औसत 8.4 प्रतिशत था ; 1994-95 में, यह 10.4 प्रतिशत था और पुन: 52 सप्ताह का औसत 10.9 प्रतिशत था; 1995-96 में यह 4.4 प्रतिशत था और 52 सप्ताह का औसत 7.7 प्रतिशत था; 1996-97 में यह 6.9 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत था; 1997-98 में यह 5.3 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत था, 1998-99 में यह 4.8 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत था, और 1999-2000 में यह क्रमश: 4.2 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत था।

प्राथमिक वस्तुओं (जिसमें खाद्यान्न सम्मिलित हैं) के मामले में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मार्च, 2000 के अन्त में 3.7 प्रतिशत थी।

खाद्य वस्तुओं के मूल्य में 1998-99 में हुई 10 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1998-99 में यह 10 प्रतिशत थी और यह घटकर 5.2 प्रतिशत हो गयी है। जबकि गैर-खाद्य वस्तुओं के मूल्य, 1998-99 की इसी अवधि में इनमें हुई 6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2.5 प्रतिशत कम थे।

जहां तक विनिर्मित उत्पादों का सम्बन्ध है, इस समूह के मूल्य में वर्ष के दौरान, 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि 1998-99 की इसी अवधि में यह वृद्धि 3.7 प्रतिशत की हुई थी। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस समूह में मूल्यों के कम रहने के कारणों में से एक कारण विनिर्मित उत्पादों का उदारीकृत आयात था।

जहां तक कच्चे माल का सम्बन्ध है, कच्चे माल के मूल्यों में पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात् 1998-99 में हुई 4.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1999-2000 के दौरान केवल 0.8 प्रतिशत की बहुत साधारण वृद्धि हुई।

आवश्यक वस्तुओं में रुझान के संबंध में, दैनिक उपभोग की सभी प्रमुख मदों के मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में या तो स्थिर रहे या कम रहे। 30 आवश्यक वस्तुओं के समूह में मूल्य वृद्धि जिसे साप्ताहिक आधार पर मानीटर किया जाता है, 1998-99 में हुई 4.6 प्रतिशत की तुलना में 2.2 प्रतिशत थी।

हम जानते हैं कि जब प्याज की कीमतें बहुत बढ़ गईं तब क्या हुआ और इसके बाद विधानसभा चुनावों में क्या हुआ। लेकिन प्याज और आलू जैसी सब्जियों की कीमतें क्रमश: 34 प्रतिशत और 17 प्रतिशत नीचे थीं। इन वस्तुओं ने 1998-99 में बहुत अधित मूल्य-वृद्धि दर्ज की थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): क्या आप प्रतिवेदन उद्धृत कर रहे हैं?

श्री वैको: जी हां, मैं वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक की रिपोर्ट में से पढ़ रहा हूं।

मैं वित्त मंत्री को महिला कर-दाताओं को 5000 रु० की कर छूट देने के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को वर्तमान 10,000 रु० के स्तर से बढ़ाकर 15,000 रु० करने के लिए बधाई देना चाहूंगा। हालांकि लक्ष्य वर्ष 2010 तक सभी सीमा-शुल्कों को 10 प्रतिशत या उससे कम करने का है।

महोदय, ऐसी अपेक्षा थी कि बजट अत्यन्त कठोर होगा। वह निराशजनक भविष्यवाणी थी। साथ ही, भूमंडलीकरण की चुनौती का सामना करने के लिए अर्थशास्त्र विशेषज्ञ यह सलाह दे रहे थे कि हमें कर बढ़ाने चाहिए। यह अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की सलाह है, राजनीतिक दलों की नहीं। राजनीतिक दल ऐसा नहीं करेंगे। अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ यह सलाह दे रहे थे कि इस मुकाम पर चुनौती का सामना करने के लिए, भूमंडलीकरण की चुनौती का सामना करने के लिए हमें कर बढ़ाने चाहिए क्योंकि भारत का करारोपित सकल घरेलू उत्पाद अनुपात अत्यन्त कम है। इसलिए, कर अवश्य बढ़ाए जाने चाहिए। यह एक बात है। लेकिन इसने उन्हें आकर्षित नहीं किया। एक बिन्दु से अधिक बढ़ोतरी औद्योगिक पुनरुत्थान और विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए, माननीय वित्त मंत्री कर-दाता की स्थिति को समझते हैं। इसलिए, उन्होंने यह नहीं किया है। तब आप कह सकते हैं कि वे अधिभार को हटा सकते थे और वे कुछ और लाभ दे सकते थे लेकिन उन्हें अनियंत्रणीय और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बढ़ते हुए घाटे—रक्षा क्षेत्र हेतु 13,000 करोड़ रु० का अतिरिक्त आबंटन, 11,000 करोड़ रु० का योजना आबंटन और ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के कारण अन्य 11,000 करोड़ रु० को नहीं भूलना चाहिए।

इन सब चीजों ने, जिसमें ब्याज भी शामिल है, 45,000 करोड़ रु० की विशाल राशि एकत्रित कर दी है। इसलिए, घाटा बढ़ रहा था और उन्हें समस्या से निपटना था . . .*(व्यवधान)*

महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य श्री एन० डी० तिवारी बेरोजगारी के बारे में विस्तृत तथ्य और आंकड़े दे रहे थे। मैं उनकी चिन्ता की सराहना करता हूं। निश्चित तौर पर हम सभी इसके बारे में चिन्तित हैं लेकिन बेरोजगारी की समस्या इस सरकार द्वारा सृजित नहीं की गई है। हमें यह विरासत में मिली है। उन्होंने दो करोड़ से अधिक शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या दी है और कहा है कि अनेक लोगों ने अपने नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज भी नहीं कराए हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वे जब सत्ता में थे तो इस चुनौती का सामना करने के लिए, इस क्षेत्र में प्रयास के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं।

[श्री वैको]

महोदय, कई वर्ष पहले, जब एक संकट था, सरकार से हमें किफायत करने के लिए सुनने को मिलता था। मैं जब कालेज में पढ़ रहा था, तो मुझे याद है कि मैंने केन्द्र सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री के वक्तव्य से संबंधित समाचार पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था : 'हमें सप्ताह में कम से कम एक दिन उपवास रखना होगा, तभी देश जीवित रह सकेगा।' उन्होंने यह भी कहा था: 'आपको दिन में तीन बार खाना नहीं खाना चाहिए और किसी को 50 से ज्यादा लोगों के भोज का आयोजन नहीं करना चाहिए।' यहां तक कि अधिकारियों को भी जूठे पत्तलों की गिनती करने और उन लोगों को पकड़ने के लिए कहा गया जो 50 से ज्यादा लोगों के लिए भोज की मेजबानी करते थे।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): यह 25 था।

श्री वैको: यह केवल 25 है। मै इसमें सुधार कर रहा हूं। मैंने सोचा कि यह संख्या 50 थी।

महोदय, मैंने जब अपना भाषण प्रारम्भ किया, मैंने कहा कि यह बजट एक स्वप्न जैसा है। यह स्वप्न एक अभिमानी और समृद्ध भारत के लिए है। हमारे पास स्वप्न हैं, लेकिन चुनौतियां हैं। उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हमें चुनौतियों का सामना करना है। चुनौतियों का सृजन श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने नहीं किया है, बल्कि वे अनेक कारणों जैसे कि विश्वव्यापी मंदी, पूर्व एशियाई मंदी, हमारे देश में उद्योग में मंदी, कृषि में मूल्य-वर्धित सामग्री में ह्रास, पोखरण परमाणु परीक्षण, कारगिल संघर्ष आदि के कारण हम पर अचानक डाल दी गई थी। हमें इन सभी कारकों को ध्यान में रखना है। जब सभी अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट हो रही थी, जब एशियाई देशों में सभी मुद्राएं गिर रही थीं, हम इस संकट से सफलतापूर्वक बाहर आ गए। जो देश हम पर दबाव डाल रहे थे और एक के बाद एक प्रतिबन्ध लगा रहे थे, अब सभी प्रतिबन्धों को हटा रहे हैं। इसलिए यह एक बड़ी जीत है और इसका श्रेय सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि जब कठिन चुनौतियां थीं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया और विजयी होकर निकली।

श्री सोमनाथ चटर्जी: श्री यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री हैं।

श्री वैको: जी हां; वित्त मंत्री को श्रेय मिलना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जानते हैं कि कौन से व्यक्ति सक्षम हैं और उन्हें कहां रखा जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: कई मामलों पर मैं भी उन्हें बधाई देता हूं। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को ही नहीं बल्कि श्री यशवंत सिन्हा और श्री वैको को भी बधाई दूंगा। निश्चित रूप से, श्री बालू उन सब बातों से सहमत नहीं हैं जो वैको कहते हैं . . . *(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, चूंकि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कुछ कहा, अत: मैं तिरुक्कुरल से एक पंक्ति उद्धृत करना चाहूंगा जिसे हमें महान तमिल संत तिरुवल्लुवर ने दिया था। यह इस प्रकार है :

"इधानाई इधानाल इवान्मुडिक्कुम इन्द्रैन्यु
अधनाई अवान्कन विदाल।"

इसका तात्पर्य है कि यह देखना चाहिए कि किसी विशेष कार्य को सफलतापूर्वक कौन कर सकता है और तब उसे वह कार्य सौंपना चाहिए। इसलिए, मैं कहना चाहूंगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सही व्यक्ति को सही कार्य के लिए चुना है . . . *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: लेकिन एक गलती हुई है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए इतना सम्मान होने पर भी उन्होंने उन्हें मंत्री नहीं बनाया है।

श्री वैको: वे हमेशा मुझे फन्दे में डालना चाहते हैं. . .*(व्यवधान)*। इसलिए, हमने संसार को यह सूचना दी है कि हम विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं क्योंकि यह शताब्दी भारत की है। प्रतिस्पर्धा दो एशियाई देशों, दो विशाल देशों—भारत और चीन—के बीच होगी लेकिन एक लोक तांत्रिक शक्ति के रूप में और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी—सूचना प्रौद्योगिकी में हमारे नौजावानों की बौद्धिक क्षमता के साथ हम निश्चित रूप से इन दो महाशक्तियों के बीच श्रेष्ठ रहेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और हम शताब्दी की आर्थिक महाशक्ति होंगे . . . *(व्यवधान)*

संयुक्त राज्य अमरीका इस शताब्दी से सबक सीखेगा जब यह शताब्दी भारत की होगी। शताब्दी भारत की होनी चाहिए और निश्चित रूप से यह 'नया सौदा (न्यू डील)' बन जाएगी क्योंकि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का हवाला दिया है। जब 'नया सौदा (न्यू डील)' का आरम्भ हुआ था, राष्ट्रपति रूजवेल्ट की आलेचना हुई थी। इसी तरह, हमने इसकी शुरुआत की है। हम प्रतीक्षा करते आ रहे हैं। विपक्ष, जिसमें आप भी शामिल हैं, 45 वर्षों से भी अधिक समय से इन्तजार करता आ रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं हमेशा विपक्ष में हूं।

श्री वैको: लेकिन आपने श्री वी० पी० सिंह की सरकार का समर्थन किया। आपने संयुक्त मोर्चा का समर्थन किया। ये सरकारें आपके समर्थन से बनीं। हम सभी खुश हैं कि कम से कम किसी रूप में गैर-कांग्रेसी सरकार है। मैं गैर-कांग्रेसी सरकार पसंद करता हूं। उनका 45 वर्षों तक एकाधिकार था।

इन सब बातों के बाद, मैं अब वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने दूसरे चरण के सुधार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने, अप्रत्यक्ष करों को युक्तिसंगत बनाने, सेवाओं को कर-दायरे में लाने संबंधी योजनाओं, लाभांश कर में वृद्धि, उच्चतम कर दर में कमी, निर्यात आय पर कर छूट में कमी कर अन्तत: उसकी समाप्ति, कर विषमताओं में कमी को नीचे लाने और म्यूचुअल फंडों के संबंध में उद्यम पूंजी का नियमित प्रबंध और विभिन्न प्रक्रियात्मक सरलीकरण की योजनाओं संबंधी घोषणाओं की सूची बनाई है।

ये घोषणाएं श्री यशवंत सिन्हा और श्री वाजपेयी की सरकार की आर्थिक सुधारों के प्रति सतत प्रतिबद्धता का पर्याप्त प्रमाण देती हैं। इसलिए, मैं वित्त विधेयक की प्रशंसा करता हूं। मैं दूसरे पक्ष के अपने माननीय मित्रों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे वित्त मंत्री द्वारा उठाए

गए नव प्रवर्तक और सराहनीय कदमों के लिए कम से कम शिष्टता तो दर्शाएं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि समय की कमी के कारण मैं केवल कुछ मुद्दों पर ही बोलूंगा। वित्त विधेयक में चर्चा के लिए भारी गुंजाइश है क्योंकि इसमें पूरे प्रशासन की समीक्षा की जा सकती है। इस विधेयक में अनके चूक, वित्तीय अनियमितताएं और ऐसी अनेक बातें हैं। मैं इनमें से प्रत्येक पर विस्तार से नहीं जाऊंगा जैसा कि वित्त विधेयक के कुछ भागों में परिलक्षित हुआ है।

संविधान के अनुच्छेद 265 में यह उल्लेख किया गया है कि विधि प्राधिकारी के सिवाय अन्य किसी द्वारा कोई कर नहीं लगाया जाएगा। विगत में भी ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब इस सरकार ने संसद का सामना करने से बचना चाहा है। यहां तक कि जब संसद का सभा चल रहा था, वे इस देश के लोगों पर करों के रूप में शुल्क लगा रहे थे और केवल बाद में उसे इस संसद के समक्ष मंजूरी के लिए पेश करते थे। इससे संसद के अधिकार का क्षरण हुआ है। मैं उन विशेष कदमों की बात नहीं करूंगा जो डीजल की मूल्य वृद्धि, अथवा ए पी एल को समाप्त करने और इस संसद की उपेक्षा करके पेट्रो-उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के संबंध में पिछले कुछ समय से आपके, आपकी सरकार और आपसे पहले की कांग्रेस सरकार द्वारा अनेक अवसरों पर उठाए गए हैं।

नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर लगाने का प्रस्ताव है। वर्तमान कर ढांचे में संशोधन के भी प्रस्ताव हैं। वर्तमान कर दरों को भी जारी रखने के प्रस्ताव हैं। किंतु इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि इन सभी दशकों से कर का जी डी पी अनुपात स्थिर रहा है। कर के जी डी पी अनुपात में कोई भारी परिवर्तन नहीं किया गया है।

इस अर्थ में अर्थशास्त्रियों द्वारा यह नोट किया गया है कि इस देश के उद्योगपतियों और अमीर लोगों की शिकायतों के बावजूद संसार के अमीर अथवा विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रत्यक्ष करों की दर न्यूनतम है।

यदि हम 1950-51 से कर का जी डी पी अनुपात को लें तो निस्सन्देह, विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाये जा सकते हैं, अनुपात को हिसाब में कैसे रखा जाये, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं—कुल योग में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। किंतु हमारे देश वासियों की मुख्य चिंता प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच अनुपात में भिन्नता का होना है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 1950-51 में, प्रत्येक करों का हिस्सा 36.8 प्रतिशत था और अप्रत्यक्ष करों का 63.2 प्रतिशत। 1960-61 में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा घटकर 29.7 प्रतिशत हो गया और अप्रत्यक्ष करों का 70.3 प्रतिशत। 1985-86 में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा घटकर 14.4 प्रतिशत तक आ गया और 1990-91 में यह और घटकर 14 प्रतिशत तक आ गया और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा 86 प्रतिशत हो गया।

प्रत्यक्ष करों का घटता हिस्सा कर सिद्धांतों के मानदंडों के अनुरूप नहीं था। अनेक अध्ययन किए गए और जैसा कि हमें याद है कि राजीव गांधी की सरकार में जब श्री वी॰ पी॰ सिंह वित्त मंत्री थे तब दीर्घकालीन नीति बनाई गई थी। चूंकि अर्थव्यवस्था में निगमित क्षेत्र में आधुनिकीकरण, विविधीकरण और विस्तार हुआ है। इसलिए प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। किंतु भारत में, स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है।

वर्षों से राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि हुई है और हाल ही में यह हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। हम यह कह सकते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष कर के आधार में भारी वृद्धि हुई है किंतु फिर भी प्रत्यक्ष कर का अनुपात निरन्तर न्यूनतम क्यों बना हुआ है? यह सही है कि इस बार थोड़ा या नाममात्र का संशोधन किया गया है। किंतु यह पैसा कहां से आएगा? यह कृषि क्षेत्र से आएगा।

यह सही है कि इस बार वित्त विधेयक में कृषि क्षेत्र में से गैर-कृषि आय पर ध्यान दिया गया है। यह अनुमान लगाया गया है, मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सच है, दिल्ली के आसपास 50,000 करोड़ रुपये की फार्म हाउसों की परिसंपत्तियां हैं। ये फार्म हाउस पूर्व नौकरशाहों, व्यापारी समुदाय, माफिया, राजनेताओं, न्यायपालिका से जुड़े लोगों के हैं। किंतु माननीय वित्त मंत्री की ओर से कुछ ही लोगों के पास संचित इन भारी परिसंपत्तियों को हिसाब में लिया जाने का प्रयास किया गया है। यह कृषि आय नहीं है। यह सच है कि कृषि एक गहन विषय है। कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास मारुति कारें और सेलुलर फोन भी हैं। उन्हें योग्य किसान माना जाता है। वे वहां अमीर लोग हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार औद्योगिकीकरण के इतने वर्षों बाद भी भारतीय परिस्थितियों में व्यापरिक पूंजी औद्योगिक पूंजी पर भारी पड़ रही है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): परसेंटेज बताइए।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: इसकी प्रतिशतता के बारे में कोई नहीं बता सकता है परन्तु यह विचार बन रहा है कि ग्रामीण सम्पन्न वर्ग को कर के दायरे में लाया जाये। यह कैसे होगा? हम साथ बैठकर इस पर विचार कर सकते हैं। यह स्वागत योग्य कदम है। परन्तु यदि दिल्ली और इसके आस-पास के इलाके में फार्म हाउसों के संबंध में कोई जांच करायी जाती है तो इससे वास्तविक स्थिति सामने आएगी।

रिपोर्टों में यह बात सामने आयी है। मैं यह नहीं जानता कि यह रिपोर्ट किस हद तक विश्वसनीय है। यह 50,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है . . . *(व्यवधान)* कृषि आय को कर के दायरे में नहीं लाया गया है। प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी की गई है। यह कमी इस समय से की गई कि इसका बेहतर ढंग से अनुपालन किया जाएगा और ये सभी सिद्धांत लागू किए गए परन्तु हमारा यह अनुभव है कि भारत में यह कभी भी संभव नहीं हुआ है। भारतीय उद्योगपतियों विशेषकर सम्पन्न वर्गों में, की मनोवृत्ति बिल्कुल अलग है और इसका उस हद तक विकास नहीं हुआ है। विकसित देश और स्कोडिनेवियाई देशों में लोग गर्व के साथ यह कहते हैं कि वे करदाता हैं, परन्तु

[श्री रूपचन्द पाल]

यहां, यदि वित्त मंत्री कर सम्मान की घोषणा करते हैं तो भी कोई ऐसे सम्मान के लिए आगे नही आता। अतः प्रत्यक्ष कर की दरों को कम करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है।

इसके बाद छूट और रियायतों की बात आती है। निःसंदेह, माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने कई रियायतों और छूट में कमी लाने का प्रस्ताव किया है। मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि यह बहुत बड़ा कदम है परन्तु इससे बड़े पैमाने पर करापवंचन होगा। मैं अंत में कुछ उदाहरण दूंगा कि यह विधेयक किस प्रकार से करापवंचन को बढ़ावा दे रहा है।

कांग्रेस सरकार की दीर्घकालीन वित्तीय नीति में यह प्रस्ताव किया गया था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच थोड़ा संतुलन बनाए रखा जाना चाहिये। कर ढांचे में व्यक्तिगत आयकर जैसे करों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे वस्तुओं पर शुल्क से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क का अंततः निर्धनतम लोगों, जो इससे बच नहीं सकते हैं पर भार पड़ेगा। धनी लोग और सम्पन्न होते जा रहे हैं और थोड़े लोग धन संग्रह का एवं करापवंचन कर रहे हैं।

मैं एक विशिष्ट, चौंकाने वाला उदाहरण देता हूं। इस देश की कुछ सर्वाधिक सम्पन्न कम्पनियां 'शून्य कर' का भुगतान कर रही हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण लोगों से पूछा, यह कैसे हो सकता है जबकि उन कम्पनियों के नाम फार्च्यून और फोर्ब्स से हैं? ये कम्पनियां विश्व की 500 सर्वाधिक सम्पन्न कम्पनियों में से हैं। ये 'शून्य कर' दे रही हैं। उनका उत्तर था आपने न्यूनतम वैकल्पिक कर पारित किया है। क्या किया जा सकता है ? हम 'न्यूनतम वैकल्पिक कर' का भुगतान कर रहे हैं। इस प्रकार के ऐसे कई उपाय हैं जिनके माध्यम से वे करापवंचन कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि कुछ कड़े उपाय किए जायें परन्तु मैं समझता हूं कि ऐसे उपाय करने हेतु सरकार की न तो क्षमता है न उसकी इच्छा शक्ति है न राजनीतिक संकल्प ही है।

बड़े पैमाने पर करापवंचन हुआ है। यह भारतीय करदाताओं के लिए अभिशाप है। करापवंचन कम आय की जानकारी देने, जानकारी न देने, वैकल्पिक लेखाओं अथवा तुलन पत्र लेखा प्रक्रिया प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। सभी जगह एक समान लेखा प्रणाली नहीं है क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में अभी भी मारवाड़ी लेखा प्रणाली चल रही है। गुजरात में कोई अन्य लेखा प्रणाली है और उसे 'नम्बर वन एकाउन्टिग सिस्टम, नम्बर टू बेलेंस शीट' कहा जाता है। ऐसी सभी प्रणालियां चल रही हैं। सभ्य समाज में इस व्यवस्था को इस प्रकार से कैसे जारी रखा जा सकता है? हम उदारीकरण, वैश्वीकरण, उत्कृष्टता और प्रतिस्पर्धा के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं और सामंतवादी लेखा प्रणाली अभी भी चल रही है। आज भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानदंड और संहिता नहीं है जिसे इस देश ने विशेषकर सम्पन्न वर्ग के लोगों ने स्वीकार किया हो। करापवंचन अवैध है और कर अपवंचन करने वाले लोगों को पकड़े जाने पर दंडित करना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोगों को दंड दिया गया है।

निस्संदेह, बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री को बेहिसाब सम्पत्ति, आय से 45 लाख रुपये अधिक सम्पत्ति रखने के लिए जेल भेज दिया गया . . . *(व्यवधान)* ऐसे लोग हैं ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ सैकड़ों करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप हैं. . .*(व्यवधान)* पिछली सरकार में भी ऐसे लोग रहे हैं, वर्तमान सरकार में भी ऐसे लोग हैं और इस सरकार के मित्र भी हैं. . .*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): यह अत्यधिक आपत्तिजनक है . . . *(व्यवधान)* क्या आप श्री लालू प्रसाद यादव का समर्थन कर रहे हैं?

श्री रूपचंद पालः कदापि नहीं।

श्री किरीट सोमैयाः वे उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जीः यह इस बात से किस तरह से संबंधित हैं कि वे उनका समर्थन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं ? . . .*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पालः इसका फैसला तो न्यायालय करेगा कि आप सी बी आई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अथवा सही। इसका फैसला लोग करेंगे। मैं इस मामले में नहीं जा रहा हूं।

कई समितियां बनायी गई हैं—कराधान जांच आयोग, कर योग्य आय पर प्रतिवेदन देने संबंधी आयोग . . . *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जीः करों की वसूली नहीं की गई है।

श्री रूपचंद पालः 'फेमा' ओर धन शोधन विधेयक के बाद... *(व्यवधान)* वह यह जानते हैं। उन्होंने इन सभी बातों की स्वयं जांच की है। मैं आपको बताता हूं . . . *(व्यवधान)* मैं, लेखा बहियों में धोखाधड़ी से परिवर्तन करने, लेखाकों में गड़बड़ी करने आदि से संबंधित दोनों पर बल देता रहा हूं। इस मामले को उठाने का यह उचित समय नहीं है। आपने प्रस्ताव किया है कि लेखाओं में गड़बड़ी करना केवल सिविल अपराध है। बड़े लोग, शक्तिशाली लोग, धनी लोग और उद्योगपति अपने लेखाओं में गड़बड़ी कर रहे हैं। लेखाओं में गड़बड़ी करना अपराध है। उन्हें दंडित करना चाहिए परन्तु आप इसे सिविल अपराध मान रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रोत्साहन किया जा रहा है। वे कई लेखा बहियां बना रहे हैं। ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं कि बड़े पैमाने पर कर अपवंचन वे परिणामस्वरूप एक लाख करोड़ रुपये का काला धन सृजित हो चुका है। यह एक मोटा अनुमान है। कर ढांचे में खामियां होने, कर प्रशासन की विफलता और दोषी लोगों को दंडित करने में सरकार की ओर से कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति न होने के करण ऐसा हो रहा है। इसके विपरीत आप क्षमादान योजनाएं लागू कर रहे हैं।

इस समय आप कर विवाद समाधान योजना की अवधि बढ़ा रहे हैं। आप इसकी अवधि लगातार बढ़ा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ? जो लोग कर निर्धारण के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए तैयार थे, वे भी कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं और उन्होंने भी कर विवाद समाधान योजना को अपना लिया है। पिछली योजनाओं का भी यही हश्र हुआ। नवीनतम कर सुधार समिति ने बड़े पैमाने पर कर योग्य आय को कम बताने, और जानकारी न देने के बारे में व्यापक अध्ययन किया है। परन्तु, इस सरकार ने इससे कोई सबक नहीं लिया है।

महोदय, आपकी अनुमति से इसी सभा में दिए गए भाषण का एक अंश पढ़कर सुना रहा हूं :

"यह बात समझ से परे है कि ऐसे देश, जिसकी आबादी 900 मिलियन से भी अधिक हो, में केवल 12 मिलियन लोगों की आय का कर निर्धारण किया जाता है और इससे भी खराब स्थिति यह है कि केवल 12000 के लगभग निर्धारिति ही 10 लाख रुपये से अधिक आयकर के दायरे में हैं।"

यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह भाषण 1997-98 में दिया गया था। सभी लोग यह जानते हैं कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे। यह संख्या 1.2 करोड़ लोगों से बढ़कर दो करोड़ हो गयी है। परन्तु निगमित कर के संबंध में पूरी दुनिया की स्थिति का विश्लेषण करने पर आप यह पाएंगे कि कम्पनियों द्वारा भुगतान किए गए कर 85 से 86 प्रतिशत से अधिक हैं।

अब भारत में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां वेतनभोगी कर्मचारी करापवंचन नहीं कर सकता। उसे पूरा कर चुकाना पड़ता है। व्यवसायी, उद्योगपति, कम्पनियां चलाने वाले धनाढ्य वर्ग के लोग ही करापवंचन करते हैं। दो करोड़ लोगों में से अधिसंख्य लोग वेतनभोगी वर्ग के हैं, जो करापंवचन नहीं कर सकते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे उन सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कम्पनियों के नाम बता पाएंगे जिन्होंने न्यूनतम वैकल्पिक कर योजना को लागू करने से पहले एक पैसे का भुगतान न किया हो। क्या वे उन कम्पनियों के नाम बताएंगे जिनका नाम विगत की 500 सर्वाधिक सम्पन्न कम्पनियों की सूची में है परन्तु ये कितने कर का भुगतान कर रहे हैं? यह जानना अत्यावश्यक है। देश की जनता और संसद को इसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि कितना करापवंचन होता है, परन्तु यह तो स्पष्ट है कि यह सरकार करापवंचन को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। वित्त विधेयक के खंड 100 और 101 पर गौर करके देखें। खंड 100 में यह कहा गया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 14क, उपधारा (4) का निरसन किया जायेगा। इसी तरह खंड 101 में भी कहा गया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 14क की उपधारा (4) का निरसन किया जायेगा। अब उपधारा (4) में क्या है? महोदय, आपकी अनुमति से मैं उपधारा (4) पढ़कर सुनाता हूं ताकि इस उपबंध को अच्छी तरह से समझ सकें। इसे डा० मनमोहन सिंह ने लागू किया था। कोई यह नहीं कह सकता है कि वे सुधारों के विरोधी थे। आगे श्री पी० चिदम्बरम ने इसे जारी रखा। यह कोई नहीं कह सकता है कि वे आर्थिक सुधारों, उदारीकरण और वैश्वीकरण में विश्वास नहीं रखते। उपखंड (4) में यह कहा गया है :

"ऐसी लेखापरीक्षा के आकस्मिक खर्चे—यह लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता लागत लेखाकार के पारिश्रमिक से संबधित है—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रमुख आयुक्त द्वारा निर्धारित किये जाएंगे, और यह निर्धारण अंतिम होगा और इसका विनिर्माता अथवा व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जायेगा, और इसके भुगतान में चूक होने पर सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए धारा 11 में उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार इस राशि की विनिर्माता अथवा व्यक्ति से वसूली की जा सकती है।"

उपधारा (4) में यही कहा गया है। यह क्या संकेत देता है? अत: यह कहा जा रहा है कि विभाग द्वारा 1 जुलाई, 2000 से सांविधिक उत्पाद शुल्क रिकार्ड को समाप्त कर दिया जाएगा और अब उत्पाद शुल्क विभाग, विनिर्माताओं द्वारा रखे जाने वाले रिकार्ड पर आश्रित रहेगा। अब इसका क्या नतीजा निकला? इससे यह अनुभव हुआ कि लक्ष्य के केवल 35 से 40 प्रतिशत उत्पाद शुल्क—जोकि अप्रत्यक्ष कर का सबसे बडा संघटक है; कुल अप्रत्यक्ष कर का 20 प्रतिशत केवल उत्पाद शुल्क है—की वसूली की जा सकती है और यह भी डा० मनमोहन सिंह द्वारा शुरु किए उपबंध, और श्री पी० चिदम्बरम द्वारा जारी रखे जाने के भाग हैं कि लेखापरीक्षा को स्वतंत्र रखा जाये। यदि इसे समाप्त कर दिया जायेगा तो क्या होगा? आगे कम्पनिया अपना ख्याल स्वयं रखेंगी। कम्पनियां परामर्शदाताओं की सहायता प्राप्त करेंगी और यह कह सकती हैं कि वे स्वतंत्र लेखाकार का खर्च नहीं उठाएंगी। निष्पक्ष लेखा प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वैश्वीकृत और उदारीकृत विश्व में अनके लेख प्रकाशित हुए हैं। सुधार के दौर में भी विनियामक शक्ति और प्राधिकरण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए परन्तु वे इसके बिल्कुल विपरीत आचरण कर रहे हैं। वे हमारी लेखाप्रणाली, लेखापरीक्षा प्रणाली के आधारभूत ढांचे, विनियामक प्राधिकरण, नियंत्रण रखने वाले स्वतंत्र निकाय को कमजोर कर रहे हैं।

लागत लेखाकारों को करापवंचकों के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है। यह कैसे हुआ? इसका इतिहास क्या है?

महोदय, कलकत्ता स्थित एक कम्पनी, पहारपुर कूलिंग टावर लिमिटेड, ने अपनी कम्पनी में विभाग द्वारा लेखाकार नियुक्त करने की कार्यवाही को कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश दिया। अंत: वर्जर पैंट्स और अन्य भी इसी तरह आगे आए। सरकार ने यह मुकदमा नहीं लड़ा। सरकार ने मुकदमा लड़ने की बजाय बाह्य लेखा-परीक्षा को समाप्त करने का निर्णय किया। इसका यह मतलब यह है कि आजकल उत्पाद शुल्क का बड़े पैमाने पर करापवंचन हो रहा है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में एक उपबंध है जिसे सुधार की पहल करने वाले डा० मनमोहन सिंह ने लागू किया था। यह अलग बात है कि हम इससे सहमत हों अथवा नहीं। हम उनके सुधारों की संकल्पना का विरोध करते आए हैं। सुधारों के संबंध में हमारी अपनी संकल्पना है। परन्तु, इसका उपबंध अभी भी है और सरकार इसे हटाना चाहती है। इससे गडबड़ी उत्पन्न होगी। इससे करापवंचन बढ़ेगा, काले धन का अधिक सृजन होगा और सरकार वित्तीय दृष्टि से कमजोर होगी।

इस सरकार की सदैव यह शिकायत रही है कि धन कहां से आयेगा। संसाधन जुटाने के कई उपाय हैं। आप करापवंचन को रोकने का प्रयास कीजिए। परन्तु आप यह नहीं कर रहे हैं। आप कर के दायरे को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। परन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको सम्पन्न वर्ग पर कर लगाना चाहिए परन्तु, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं।

[श्री रूपचन्द पाल]

कालाधन, भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हम उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करते आए हैं। अब मैच फिक्सिंग का मामला सामने आया है और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। यह मैच फिक्सिंग क्या है? मैच फिक्सिंग इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है . . . *(व्यवधान)* आज क्या हो रहा है? निस्संदेह कालेधन के साथ बालीवुड, हालीवुड आदि जुड़ा है। बालीवुड, हालीवुड और क्रिकेट खिलाड़ी और मैच फिक्सर ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। मैं नहीं जानता कि इसमें कितने राजनेता शामिल हैं। यह बात बाद में सामने आयेगी। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू): 1991 से पहले भी मैच होते थे। . . . *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: मैं इस पर नहीं बोलूंगा।

श्री वैको: क्रिकेट तो राष्ट्रमंडल तक सीमित है . . . *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: इसमें पैसा है। हाल के राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ? यह मेरी शिकायत नहीं है। बल्कि बहुत से जिम्मेवार लोगों ने इस पर चर्चा की है। यदि यह सब जारी रहेगा तो इस संस्था का क्या होगा? यह सब क्या हुआ है? आज भ्रष्टाचार इस स्तर तक पहुंच गया है कि जहां कालाधन हमारे देश की मूल संस्कृति इस प्रकार नष्ट कर रहा है कि आज भी हमने माननीय अध्यक्ष को यह सूचना देनी है कि जिसमें लोक सभा की आचार समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया है।

एक फर्म है ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल। आप इसे सी आई ए की संस्था कह सकते हैं अथवा जो भी कहें। ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह कहा गया है कि भारत विश्व के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में से एक है और यह टिप्पणी विनिवेश प्रक्रिया से संबद्ध है। आज भी यह छपा है। मैं आपको केवल तीन उदाहरण दे सकता हूं जो आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान वाद-विवाद में भाग लेते हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी इसका उल्लेख किया था। वह क्या था। यह माडर्न बेकरी के बारे में था जिसे हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को, दुर्भाग्य से मुझे इसका नाम लेना पड़ रहा है, मात्र एक सौ करोड़ रुपये से थोड़ी राशि पर बेच दिया गया। इस फर्म की भूसम्पत्ति ही कम से कम 2000 करोड़ रुपये से अधिक की होगी। उसके कर्मचारियों ने इस सरकार को यह चुनौती दी थी कि यदि यह बात सही नहीं होगी तो वे सभी एक साथ त्याग पत्र दे देंगे। सरकार उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकती है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में सरकार के हिस्से को कम करके 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। यह सरकारी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों में से एक है।

यह कम्पनी विद्युत उत्पादन से लेकर डीजल जेनेरेशन सेट बनाने तक किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में बहुत सी पुस्तकें लिखी गयी हैं। फिर भी इसका विनिवेश करने का प्रस्ताव है।

महोदय, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एक अच्छा उदाहरण है। म॰ टे॰ नि॰ लि॰ ने राजस्व बंटवारे के आधार पर लाभ अर्जित किया है। लाभ अर्जित करना अपराध नहीं है। चूंकि यह एक सरकारी उपक्रम है, अतः सरकार इस पर विचार करके निर्णय करेगी कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाये अथवा किसे न बनाया जाये, इसका कितने प्रतिशत का विनिवेश किया जाएगा और कितने प्रतिशत का विनिवेश नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें सरकार के नियंत्रण में हैं। अब आयकर विभाग ने यह बताया है कि कम्पनी को 209 करोड़ रुपये का आयकर चुकाना है। कम्पनी ने यह बताया है कि उसने जो कुछ व्यय किया वह राजस्व व्यय था। उसने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष से यह अपील की और दो दिन बाद जब वे भारतीय टेलीकाम विनियानक प्राधिकरण के सदस्य बन गए तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जैसी कि परम्परा है कि जब सरकारी विभाग और किसी सरकारी उपक्रम के बीच कोई विवाद होता है तो इसे विवाद समिति को भेज दिया जाता है। उन्होंने विवाद समिति से अपील की और समिति ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया परन्तु न्यायालय में जाने से पहले जो कुछ भी हुआ वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी।

मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिये कि स्थिति क्या है? आयकर विभाग ने 30 मार्च को एम टी एन एल के सारे खाते फ्रिज करने का आदेश दिया जब कि उन्हें अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना था। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उदारता दर्शाते हुए ऐसा नहीं किया और आश्वासन प्राप्त कर भुगतान किया। यह सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के संबंध में है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं . . . *(व्यवधान)* दूसरी तरफ गेल का ज्वलंत उदाहरण है। इसके अतिरिक्त भी कई उदाहरण हैं।

मैं जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड का उदाहरण दे रहा हूं। यह क्या है? अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जिनमे से तीन बहुराष्ट्रीय बैंक हैं, ने आयकर का एक भी पैसा नहीं अदा किया है और आयकर विभाग निष्क्रिय बैठा है। वे अपील कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे और आग्रह कर रहे थे किन्तु बहुराष्ट्रीय बैंकों ने कहा कि उन्हें परवाह नहीं है चाहे वे कुछ भी करें।

श्री वैको: अतः अपने राज्य में किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को न आने दें।

श्री रूपचंद पाल: इसके पश्चात्, मैं उन कंपनियों का मुद्दा उठाता हूं जो मॉरीशस के माध्यम से आई हैं। यह आदेश किया गया था कि वे स्थानांतरण मूल्य अदा करेंगी। वे यह हिसाब लगा रहे हैं कि कहां अधिक रियायत हैं। सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां मॉरीशस के माध्यम से आ रही हैं क्योंकि हमने मॉरीशस के साथ दोहरे कराधान को रोकने हेतु संधि की हुई है। मंत्री महोदय में यह कहने का साहस था कि वे मामले की जांच करेंगे किन्तु अगले ही दिन जब उन्होंने शेयर बाजार में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की तो मंत्री जी ने 'नहीं' कह दिया। हमें पता है कि "इण्डियन एक्सप्रेस" की सुचेता दलाल ने इस संबंध में तीखी टिप्पणियां की हैं। अगले दिन, सरकार में इतना साहस नहीं था कि वह कार्यवाही कर सके। वे उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं और हमारे

अपने सरकारी उपक्रमों को कमजोर बना रहे हैं। वे हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के भुगतान के लिये कह रहे हैं जिसके लिये उन्हें भुगतान करने की जरूरत नहीं है। यह स्थिति है।

श्री वैको: मैं समझता हूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध में आपको "दर्पण" के सामने बोलना होगा?

श्री रूपचंद पाल: दर्पण क्या है? श्री यशवंत सिन्हा मेरा दर्पण किस तरह से हो सकते हैं? वे मेरा दर्पण नहीं हो सकते . . . *(व्यवधान)*

महोदय, ऐसी स्थिति आ गई है कि यह सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर भारी संकट ला रही है। वे हमारे राष्ट्र की आर्थिक प्रभुसत्ता के साथ समझौता कर रहे हैं जो कि राष्ट्र कभी बर्दाशत नहीं करेगा।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और ऐसा समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री अपने भाषण के दौरान जो मुद्दे मैने उठाये हैं, उनके संबंध मे उत्तर देंगे।

डा० बी०बी० रमैया (एलूरू): सभापति महोदय, मुझे सभी तीन माननीय सदस्यों को सुनने का अवसर मिला जिन्होंने बहुत से आंकड़े दिये हैं और विभिन्न मुद्दे उठाये हैं किन्तु मैं उन सब बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ वही मुद्दे उठाना चाहूंगा जो कि मुख्यत: नीतिगत मामलों से संबंधित हैं और यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि उनमें किस सीमा तक संशोधन की आवश्यकता है और जिस पर वित्त मंत्री को विचार करना चाहिए। जब हम वक्तव्य देखते हैं तो पता चलता है कि सरकार अवसंरचनात्मक बाध्यताएं दूर करना चाहती है, मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता देना चाहती है और कुछ अन्य बातें सुदृढ़ करना चाहती है।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा भूमि उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं जो कि समुचित दृष्टिकोण अपनाएंगे। यह उन महत्वपूर्ण मुद्दों में से है जिन के संबंध में मैं निश्चित तौर पर वित्त मंत्री का समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्री ने "प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना" नामक योजना आरंभ की है जिसके माध्यम से वे ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यों को सहायता प्रदान करेंगे और इस योजना से बहुत सहायता मिलेगी। ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत उन्होंने 25 लाख रिहायशी एककों के लिये धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने और भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने "जीवन श्री बीमा योजना" नामक नई योजना की घोषणा की है जो कि गरीब व्यक्तियों के लिये है। यह एक अच्छी योजना शुरु की गई है जो कि काफी उपयोगी होगी। उन्होने यह भी घोषणा की है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों वाले एक कार्यबल की स्थापना की जायेगी जो विद्यमान कानूनों की समीक्षा करेगा और महिलाओं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और महिलाओं को रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा करेगा।

मै इन बातों का उल्लेख इसलिये कर रहा हूं क्योंकि इनसे पता चलता है कि मंत्री महोदय सकारात्मक दिशा में सोच रहे हैं। अन्य बहुत सी बातें हैं जिन पर हमें मिलकर काम करना है और यह देखना है कि हम वर्तमान स्थिति में अर्थव्यवस्था को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकते हैं।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि 'योजना' के लिये बजटीय सहायता में 11,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है यानि यह 77,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 88,000 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने केन्द्रीय बजट परिव्यय को 1,03,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,17,000 करोड़ रुपये कर दिया है। योजना के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 33,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 36,000 करोड़ रुपये कर दिया है। कृषि हेतु वित्तीय सहायता में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है।

एक प्रमुख मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। हम दो बातों से प्रसन्न हैं। पहला, मंत्री महोदय ने ब्याज दर में एक प्रतिशत कटौती की है। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सकता क्योंकि हमारी ब्याज दर बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे वेतन कम हैं और गुणवत्ता में सुधार होना चाहिये, किन्तु हमारा सबसे भारी बोझ ब्याज दर का है जिसके कारण औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है। दूसरा, उन्होंने ब्याज दर में दो प्रतिशत कटौती की है जिसके परिणामस्वरूप "लिक्विडिटि" में सुधार हुआ है। अब पर्याप्त धनराशि होगी जिसका उपयोग उद्योगों और कृषि के विकास और वृद्धि के लिये किया जा सकता है।

नाबार्ड और सिडबी को भी ग्रामीण कृषि क्षेत्र को सहायता देने के लिये कुछ सहायता प्रदान की है।

औद्योगिक रुग्णता एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके संबंध में मंत्री महोदय को विशेष सर्वेक्षण करना है। यह हम सभी के लिये अत्यंत चिंता का विषय है कि भारी मात्रा में संसाधनों का उपयोग नहीं हो रहा है। हम इस विषय पर बार-बार सोचते रहे हैं। किन्तु मैं यह इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रुग्णता सिर्फ हमारी समस्या नहीं है। यह जापान सहित सभी विकसित देशों में मौजूद है किन्तु मुद्दा यह है कि उन्होंने कई स्थानों पर रुग्णता दूर कर दी है। बी आई एफ आर इन मामलों का निपटान नहीं कर रहा है। यह केवल छोटे स्तर पर कार्य करता है, विलय या एकीकरण के मामले नहीं निपटाता। हमे या तो इन मामलों के निपटान के लिये एक पृथक संगठन की स्थापना करनी पड़ेगी या फिर हमें इन रुग्ण उद्योगों को पुन: स्थापित करने के लिये वित्तीय संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये प्रेरित करना होगा।

यदि हमें विशेषज्ञों से रुग्णता के संकेत पहले ही मिल जायें तो विलय की गुंजाइश रहती है। विलय और एकीकरण का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है। बार-बार प्रयास करने के बावजूद हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इससे काफी अन्तर आयेगा। इसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है जहां गतिशीलता और लचीलापन हो। यदि कोई ट्रैक्टर बनाने वाली कोई कंपनी समस्याग्रस्त है तो वाहन बनाने वाली अन्य कंपनी उससे विलय कर सकती है और वहां उपलब्ध सुविधाओं, उपकरणों और श्रमशक्ति आदि का उपयोग कर सकती है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें काफी काम करना है और जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिये हमें सभी बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में कार्यों की निगरानी के लिये कुशल

[डा० बी०बी० रमैया]

तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में भी निगरानी की आवश्यकता है। हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो इन कार्यों की निगरानी कर सकें और उचित समय पर उपयुक्त मार्गदर्शन कर सकें।

अगला मुद्दा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के संबंध में है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रत्यक्ष करों में कमी हुई है और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हुई है। यह एक अच्छा संकेत है। उस देश को नुकसान हुआ है जहां प्रत्यक्ष करों में वृद्धि हुई है। प्रतिभाशाली व्यक्ति और साधन संपन्न व्यक्ति उन देशों से बाहर चले गये हैं जहां प्रत्यक्ष कर की दरें उच्च हैं। बहुत से हमारे व्यक्ति भी अधिक कर के कारण विदेशों में चले गये हैं। जल हमेशा ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है। मानव हमेशा उस स्थान पर रहना चाहता है जहां उसे अधिक लाभ की आशा होती है। आज जब, प्रत्यक्ष करों में कमी हुई है, तो लोग अपने देश लौटने का विचार बना रहे हैं। हमारे अनिवासी भारतीय और विशेषज्ञ यह सोच रहे हैं कि वे वापस लौट आयें और अपने देश की सहायता करें। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि किसी और स्थान की अपेक्षा उनकी स्थिति यहां बेहतर होगी। देश के संसाधनों, श्रमशक्ति, क्षमता और प्रतिभा को देश में ही रखने के लिये प्रत्यक्ष कर में कटौती करनी होगी। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के बारे में सोचा जा सकता है। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि भारत में केवल 2 प्रतिशत लोग कर का भुगतान कर रहे हैं। यदि 100 करोड़ की जनसंख्या में से केवल 2 प्रतिशत लोग कर का भुगतान कर रहे हैं तो कर नीति का कोई औचित्य नहीं है। क्या अन्य लोग देश के संसाधनों से लाभ नहीं उठा रहे हैं? कर ढांचे को व्यापक बनाया जाए। देश में कम से कम 20 से 25 प्रतिशत लोगों को विभिन्न तरीकों से कर भुगतान के दायरे में लाया जाए। इस संबंध में वित्त मंत्री द्वारा अपनायी गयी विधि से निश्चित रूप से स्थायी नीति तैयार हो सकेगी। यह काफी महत्वपूर्ण है। मुझे यकीन है कि वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे।

जहां तक कृषि का संबंध है, माननीय वित्त मंत्री यह जानते हैं कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। पी एल-480 पर निर्भर हो जाने के बाद हमने इस क्षेत्र में अपनी प्रौद्योगिकियों का विकास करना आरम्भ किया था। स्वामीनाथन जैसे लोगों ने हरित क्रांति लाने में उल्लेखनीय कार्य किया था। आज जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद भी हम खाद्यान्नों का पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम हैं। आज हम निर्यात करने में भी सक्षम हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश गत दो वर्षों में विकास में तनिक कमी हुई है। यह कठिन स्थिति के लिये खतरे की घंटी है। इससे यह संकेत मिलता है कि हमें विभिन्न तरीके अपना कर कृषि को अधिक सहायता प्रदान करनी चाहिये। यद्यपि माननीय वित मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिये कुछ अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की है, अभी भी काफी कुछ और प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। देश में इस क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावना है। देश में 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि के कारण हमारी ही अर्थव्यवस्था कायम है। कृषि के कारण हमारी मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में रही है। गत वर्ष मानसून ने वास्तव में हमारी मदद की है। इससे काफी बड़ी मदद मिली है। इस वर्ष वर्षा के कम होने के कारण हमें सूखा और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

बजट में प्राकृतिक आपदाओं का भी उल्लेख किया गया है। मैं सोचता हूं कि मंत्री को प्राकृतिक आपदाओं के साथ उचित ढंग से निपटना चाहिये। प्राकृतिक आपदाओं के लिये धन संबंधी प्रावधान में वृद्धि की जानी चाहिये क्योंकि हम गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। चक्रवात के कारण उड़ीसा में तबाही मची है। इसके लिये पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं की गई। आज गुजरात, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति है। इन राज्यों के लिये भी काफी सहायता चाहिये। चूंकि हम प्राकृतिक आपदाओं के लिये धन का प्रावधान नहीं कर पाये हैं इसलिये हमें निरन्तर इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इसमें विशेष रुचि लेंगे।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, हमें कृषि क्षेत्र के लिये पनधारा कार्यक्रम की विशेष रूप से आवश्यकता है। पनधारा कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। वर्षा का काफी अधिक जल समुद्र में चला जाता है और हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। यदि हम वर्षा जल का उचित ढंग से उपयोग नहीं करते, तो भविष्य में हमारी समस्त पेयजल योजनाएं, कृषि विकास और अन्य संबंधित कार्यक्रमों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

हम आशा करते हैं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जल परियोजनाओं को विशेष महत्व देंगे जिससे हम बाढ़ से होने वाले विनाश को रोक सकेंगे और जल को विभिन्न अन्य प्रयोजनों में उपयोग में ला सकेंगे। इससे जल का उपयोग करने से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विद्युत का सृजन हो सकेगा। हमे वास्तव में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अत: यह हमारे लिये सर्वोच्च वरीयता देने का उचित समय है।

मेरा अगला मुद्दा बुनियादी ढांचे के बारे में है। हम बुनियादी ढांचे के संबंध में काफी सहायता प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया था, हमें अपनी भावी अर्थव्यवस्था और विकास को स्थिर करने के लिये 200 बिलियन डालर से भी अधिक राशि की आवश्यकता है। विकास चाहे विद्युत क्षेत्र का हो, सड़कों का हो, पत्तनों का हो अथवा संचार का हो, हमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हमारी बचत पर्याप्त नहीं है। अत: हमें अनिवासी भारतीयों अथवा अन्य संसाधनों के जरिये बाहरी सहायता की आवश्यकता है। लंबी अवधि के लिये और अधिक कर रियायतें प्रदान कर बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। हमें यथा संभव शीघ्र इन सभी चीजों को करना है अन्यथा हमारी विकास दर और हमारे अनुमानों पर बुरा असर पड़ेगा और अनेक समस्याएं पैदा हो जायेंगी।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा मानव संसाधनों के बारे में है। जब मानव संसाधनों की बात आती है तो मैं यह महसूस करता हूं कि शिक्षा की समस्या एक मुख्य समस्या है। आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के

52 वर्षों के बाद भी हमारे देश की 40 प्रतिशत से भी अधिक आबादी अनपढ़ है। उन्होंने अभी तक किसी स्तर तक की शिक्षा प्राप्त नहीं की है।

महोदय, जहां तक आन्ध्र प्रदेश का प्रश्न है हम सभी को शिक्षा सुलभ कराने के लिये अनेक प्रयास कर रहे हैं और अनेक प्रकार की सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री की यह इच्छा है कि आन्ध्र प्रदेश में अपने वाले पांच वर्षों में शत-प्रतिशत लोग शिक्षित हो जायें। इस दिशा में उन्होंने एक वर्ष में 30,000 विद्यालयों के निर्माण और 1,20,000 अध्यापकों की नियुक्तियों की व्यवस्था की है। इन विद्यालयों में सार्थक शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस संबंध में उन्होंने शैक्षणिक सुविधाओं की देखभाल के लिये गांव में विद्यार्थियों के माता-पिता को जिम्मेदारी सौंपी है। यदि कोई अध्यापक अनुपस्थित होता है और विद्यालय को छोड़कर चला जाता है, तो उन्हें तत्काल अन्य अध्यापक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है ताकि विद्यार्थियों के अध्ययन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अतः हम इस बारे में भरसक प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दी जा सके।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं को काफी सहायता प्रदान की है। और हमारी ग्राम सभा में डी॰ डब्ल्यू॰ ए॰ आर॰ ए॰ का होना एक महान उपलब्धि है। यह एक स्वयं सहायता का साधन है। महिला के नाते हमें बचत के रूप में एक रुपया प्रति दिन देना पड़ेगा। उससे दस पन्द्रह व्यक्तियों का समूह अपना विकास कार्य आरम्भ कर सकेगा। वह जो भी राशि बचा सकेंगे, उससे वे कोई विकासात्मक कार्यक्रम शुरु कर सकेंगे। लगभग 30 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम की सदस्य बन चुकी हैं और उन्होंने 700 करोड़ रुपये की बचत कर ली है। उन्हें अपने विकास और अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिये इस राशि का उपयोग करना चाहिये।

मेरा अगला मुद्दा उर्वरकों के बारे में है। आप इन पर 50 प्रतिशत अधिक शुल्क लगा रहे हैं और इससे सभी किसानों को उर्वरकों की काफी अधिक कीमत देनी पड़ेगी। इसके परिणामस्वरूप कीमतों का बोझ आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। किसान इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वे इसे अन्य लोगों पर डालेंगे। आखिरकार कीमतों में वृद्धि से प्रत्येक के लिये समस्या पैदा हो जाएगी। कीमतें बढ़ने से आपकी बचत कम हो जाएगी। वस्तुतः लघु बचतों से प्रत्येक राज्य को काफी सहायता मिलती है। यदि लघु बचतें कम हो जायेंगी, तो संसाधन भी कम हो जायेंगे। इसलिये हम इसके लिये कुछ-न-कुछ करने का अनुरोध कर रहे हैं। निस्संदेह हमने कहा है कि इस वर्ष संसाधनों को 29 प्रतिशत तक ले जाएंगे। लेकिन हम 33 प्रतिशत तक जाना चाहते हैं। जब तक 33 प्रतिशत नहीं किया जाता, शायद राज्य अपने विकासात्मक कार्य आरम्भ करने के लिये पर्याप्त धनराशि का सृजन नहीं कर पायेंगे।

हमने आन्ध्र प्रदेश में ऋतु बाजार की शुरुआत की है। ऐसा इसलिये किया गया है क्योंकि पहले किसानों को उत्पादन की एक निश्चित कीमत मिलती थी लेकिन उपभोक्ताओं को उस उत्पादन को प्राप्त करने के लिये काफी अधिक कीमत देनी पड़ती थी। इसका यह अभिप्राय है कि इन दोनों के बीच काफी कुछ घटित होता था। अब हमने अनेक ऋतु बाजार आरम्भ किये हैं और इन बाजारों में किसान अपना उत्पादन सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को बेचता है ताकि उसे तनिक अधिक कीमत मिल सके और उपभोक्ताओं को वह वस्तु कम कीमत पर मिल जाती है और बिचौलिये इसमें एक तरफ कर दिये जाते हैं। इस प्रकार हम अपनी वितरण प्रणाली को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं।

हमने शीतागारों की भी शुरुआत की है। फसल के मौसम के दौरान जब उत्पादन बढ़ जाता है, तो कीमतें कम हो जाती हैं। लेकिन पुनः मौसम न रहने पर कीमतें काफी बढ़ जाती हैं और उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिये हमने भंडारन सुविधाओं की भी शुरुआत की है। हमने मिर्च, प्याज, इमली और कई अन्य चीजों को इसके अन्तर्गत शामिल किया है ताकि उन्हें कीमतों में वृद्धि के समय निकाला जा सके। इस प्रकार हम अपनी वितरण प्रणाली को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं।

लेकिन इस संबंध में भारत सरकार को भी काफी कुछ करना है। उन्हें शीतागारों और भाण्डगारों के लिये अनेक रियायतें देनी चाहिये। उन्हें इन प्रयोजनों के लिये कर से रियायत देनी चाहिये, ब्याज की दर कम करनी चाहिये और ऐसे अन्य उपाय भी करने चाहिये। इनके लिये यह सब काफी आवश्यक है।

इसी प्रकार हमें और भी अनेक मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में मैं विशाखपत्तनम इस्पात संयंत्र द्वारा झेली जा रही समस्याओं की ओर इस सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह संयंत्र देश के अत्याधुनिक इस्पात संयंत्रों में से एक है। दुर्भाग्यवश यह जिम्मेदारी किसी और की नहीं है बल्कि यह भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है। उन्होंने इस परियोजना को पूरा करने में आठ से दस वर्ष का समय लिया।

इसलिये कीमतों में दस गुणा वृद्धि हुई है क्योंकि उन्होंने कम धनराशि देनी शुरु की है। वास्तव में मैंने उनके लिये संघर्ष किया है और तब उन्होंने इसमें वृद्धि की है क्योंकि 50 प्रतिशत तो प्रशासनिक खर्च आता है, केवल 50 प्रतिशत राशि ही परियोजना के लिये व्यय होती है। अतः यह नियंत्रण से बाहर हो गया है। एक बार उन्होंने कुछ रियायतें दी थीं। लेकिन अब उचित समय है क्योंकि इससे इस पर आश्रित 18,000 परिवारों को रोजगार मिला रहेगा। माननीय वित मंत्री ने कहा है कि जहां भी बेहतर प्रौद्योगिकी होगी, जहां भी व्यवहार्य प्रौद्योगिकी होगी, वे उसकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसी परियोजना है जहां काफी सहायता की आवश्यकता है।

अप्रत्यक्ष कराधान पर आते हुए मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ की हर कोई आलोचना कर रहा है। डब्ल्यू टी ओ में प्रस्तावित उपायों पर दस वर्ष से भी अधिक समय तक चर्चा की गई है। उरुग्वे वार्ता दौर के पश्चात् विकसित और विकासशील देशों में कुछ आपसी समझ की भावना विकसित हुई है। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया है जिसके माध्यम से दोनों प्रकार के देशों को कतिपय त्याग करने पड़े और वे कुछ समय से यह देखना चाहते थे कि क्या स्थिति सुचारु हो जायेगी अथवा यदि कोई समस्याएं हों तो उन्हें क्या उपचारात्मक उपाय करने पड़ेंगे। इस प्रकार 1994

[डा० बी०बी० रमैया]

में मररकश में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि किस पार्टी ने उस पर हस्ताक्षर किये हैं, लेकिन यह अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहां तक कि चीन, रूस और अन्य कई देश डब्ल्यू टी ओ का सदस्य बनना चाहते हैं इसमें कुछ लाभ हैं। दुर्भाग्यवश कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिये। हमनें कतिपय वस्तुओं के आयात को उदार बनाया है इसी को ओ जी एल कहते हैं। लेकिन इसमें हमारे लिये संरक्षात्मक उपाय भी हैं। प्रत्येक वस्तु विशेष रूप से दूध, चावल, गेहूं जैसे कृषि उत्पादों का आयात किया जा सकता है। लेकिन हम ऐसी यांत्रिक सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। जो अमरीका, यूरोपीय संघ चीन और जापान जैसे विकासशील देशों द्वारा उपयोग में लायी जा रही हैं। हमें शुल्क संबंधी संरक्षा उपाय अपनाने होंगे। यदि हम समय पर शुल्क संबंधी संरक्षा उपाय नहीं अपनाते और तत्काल कार्यवाही नहीं करते तो इससे लोगों को कष्ट झेलने पड़ेंगे। इसलिये मैंने माननीय वित मंत्री से यह अनुरोध किया था कि उन्हें तत्काल वांछित मशीनों को विकसित करना चाहिये क्योंकि इसके काफी लाभ होंगे।

अप्रत्यक्ष कराधान संबंधी कर ढांचे पर चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने कर प्रक्रिया को सरल बनाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश 8 प्रतिशत कर अब 16 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इससे अनेक लोग व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं। आम आदमी की आवश्यकताएं बढ़ गयी हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिसका हल खोजा जाना है।

माननीय वित्त मंत्री ने हाल ही में गैर-पारम्परिक कागज उद्योगों को कुछ रियायतें दी हैं। मैंने उस पत्र को पढ़ा है, जो मेरे पास है। यह लघु उद्योग क्षेत्र है। इसमें से पचास प्रतिशत उद्योग रुग्ण हो गए हैं। आप कम से कम 10,000 टन तक छूट दे सकते हैं। यह लघु क्षेत्र है। यह आधुनिकीकृत नहीं है। माननीय वित्त मंत्री यह कहते हैं कि इसके लिए बहुत अधिक क्षमता, उच्च तकनीकी कौशल ओर अत्याधिक जनशक्ति की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आप इस पर भी विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम 10,000 टन को कर से छूट दी जाये।

अन्य विभिन्न वित्तीय प्रक्रियाओं, जिन्हें इन प्रस्तावों के आधार पर बनाया गया है, पर विचार करते हुए हम यह महसूस करते हैं आवास एक महत्वपूर्ण पहलू है। ग्रामीण भारत में आवास एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसके लिए आपने कुछ सहायता दी है और मुझे विश्वास है कि यह आगे लम्बे समय तक जारी रहेगी। परन्तु, हमें इसका कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है। इस संबंध में कार्यान्वियन और कारगर उपयोग जैसी कुछ बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वस्तुत: आज यहां तक कि आवास अथवा सूखे की स्थिति जैसी कुछ अन्य बातों के लिए भी हम संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का उपयोग करना चाहते हैं। वस्तुत:, मैं इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करना चाहता हूं ताकि हम सभी प्रकार की आपदाओं पर ध्यान दे सकें। हमारी मुख्य अड़चनें वे योजनाएं हैं जिन्हें विगत में कार्यान्वित नहीं किया गया है। हम मामले को संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाकर सभी समस्याओं का निपटारा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार इन कार्यों को निपटाने के बाद, मेरे विचार से हम इन कार्यक्रमों के संबंध में और अधिक कार्य कर पाएंगे। हम लोगों और विशेषकर लोक सभा के सदस्यों के लिए प्रभावी ढंग से सेवा उपलब्ध कराएंगे, लोगों की सहायता करना महान कार्य है क्योंकि लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनके लिए कुछ करें और सभी समुदायों के लिए अपेक्षित सभी कार्य किए जा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया है परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि उपयुक्त पड़ी राशि का अत्यधिक प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री सभी बातों पर विचार कर पाएंगे और वे निर्धन लोगों की सहायता के लिए बढ़कर आगे पाएंगे। उर्वरक उद्योग भी इसका थोड़ा भार उठा सकता है। वे उद्योग को अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने का आग्रह कर सकते हैं ताकि इसका भार किसानों पर न पड़े। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इन बातों पर विचार करेंगे।

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल): मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। मुझे यह मौका प्रदान करने के लिए मैं अपनी पार्टी का भी आभारी हूं।

माननीय वित्त मंत्री ने, खिलाड़ियों के लिए जो कुछ भी किया हैं, उसके लिए मैं कल उन्हें बधाई देना चाहता था। मेरे अन्तर्मन के खिलाड़ी की यह इच्छा होती कि मैं भारतीय ओलम्पिक संघ को शत-प्रतिशत छूट देने के लिए उन्हें बधाई देता। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री—वे डी डी सी ए के अध्यक्ष भी हैं - ने थोड़ी देर पहले मुझे यह बताया कि उन्होंने इसका लाभ राष्ट्रीय खेल संघ और राज्य ओलम्पिक संघों से भी दे दिया गया है। परन्तु, एक सिपाही, जो मुझमें है, के रूप में मेरा मन इस विधेयक के संबंध में माननीय वित्त मंत्री का समर्थन करने की अनुमति नहीं देता।

कल ही, हमने विनियोग (संख्या 2) विधेयक पारित किया और साथ ही उन्हें 7,84,932 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान और विनियोग हेतु प्राधिकृत किया गया है। हमने बिना किसी अड़चन के इसे पारित कर दिया। निस्संदेह अनुच्छेद 114(1) में इसमें कोई परिवर्तन न करने की बात कही गई है। परन्तु हमें चर्चा करने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि इसे आगे बढ़ा दिया गया। इसमें कोई पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं थी। मेरे विचार से आज भी अलग-अलग दलों के विभिन्न विचार वाले सदस्यों के भारी बहुमत के कारण हम यह वित्त विधेयक पारित करने जा रहे हैं।

मैं इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री और उनके माध्यम से, क्योंकि यहां कुछ मंत्री उपस्थित नहीं हैं, सरकार के ध्यान में कतिपय बातें लाना चाहूंगा। मैं अपने भाषण को तीन अथवा चार विषयों तक ही सीमित रखूंगा क्योंकि मेरे सहयोगी पंडित नारायण दत्त तिवारी, जो कांग्रेस की ओर से पहले वक्ता थे, ने कई विषयों को पहले ही रख दिया है।

कल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान, मैं कटौती प्रस्ताव सं० 72 का प्रस्ताव करना चाहता था। यह कटौती प्रस्ताव संख्या 72 क्या था? वर्ष 1993 में, इस केन्द्रीय सरकार ने—चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो—केन्द्रीय

शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति नियुक्त करना उचित समझा जिसमें देश के सभी शिक्षा मंत्रियों ने प्रतिनिधित्व किया और सभी प्रकार के विचार रखे गए। 1993 में सर्वसम्मति से यह सिफारिश की गई कि शारीरिक शिक्षा और खेल, शिक्षा के अभिन्न अंग हैं। इसका कारण यह था कि खेल राज्य का विषय है और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए हमने इसके लिए संविधान में संशोधन नहीं किया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने विज्ञान भवन में ही इस सिफारिश को 15 मिनट में ही स्वीकृत कर दिया। इसके बाद सात वर्ष बीत चुके हैं। पहले चरण में इसे सरकारी विद्यालयों अर्थात् नवोदय विद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों और कुछ पब्लिक स्कूलों में, जहां सुविधाएं पहले से विद्यमान हों, इसे लागू करना चाहिए था। इसमें 'शून्यबजट' लगता जिसमें आपको एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी।

आज, 600 हजार विद्यालय हैं जिनमें 200 मिलियन बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें मूल सुविधाएं देने के लिए 200 मिलियन डालर की आवश्यकता होगी। परन्तु, सैनिक स्कूल, मिलिटरी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में ये सुविधाएं मौजूद हैं। लगभग 1200 नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय हैं। सात वर्ष बीत चुके हैं और इसका कार्यान्वयन न किए जाने के लिए किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया है। आप यह पाएंगे कि दिल्ली छावनी में केवल एक विद्यालय और अम्बाला छावनी में एक विद्यालय में इसे कार्यान्वित किया गया है।

यह असंतोष व्यक्त किया गया है कि हम कुछ संशोधन कराना चाहते हैं। सात वर्ष के बाद हम संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं। इसका कार्यान्वयन क्यों नहीं किया गया? आप एक अच्छा, मजबूत, सुदृढ़ देश चाहते हैं। श्री राजीव प्रताप रूडी ने ओलम्पिक में निराशाजनक प्रदर्शन पर चर्चा की। क्यों? हम स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं परन्तु, 24 अथवा 25 वर्ष की उम्र में हम उनका चयन करके उन्हें विश्वविजेता बनाना चाहते हैं। हमारे देश की आबादी 100 करोड़ है परन्तु हमें कोई पदक नहीं मिल रहा है।

अतः, इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि ओलम्पिक के पिछले 100 वर्ष के इतिहास में भारत को हाकी के अलावा मिले अलग-अलग चार पदकों में से तीन पदक विजेता मेरे विद्यालय ला मार्टिनियर, कलकत्ता के हैं क्योंकि यहां प्रत्येक सप्ताह में कक्षा में तीन पीरियड शारीरिक शिक्षा पढ़ायी जाती है। 1900 में नारमेन प्रीतचार्ड और 1996 में लिएंडर पेस, ये दोनों पदक विजेता इस विद्यालय के हैं। इस विद्यालय की लखनऊ शाखा ने देश को चार महावीर चक्र और 17 वीर चक्र विजेता दिए हैं। यह इसलिए है क्योंकि सैनिक शिक्षा (सोल्जियरिंग), शारीरिक शिक्षा, जिससे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन बनता है और इसके साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी शिक्षा के अभिन्न अंग हैं। जो मैं कह रहा हूं वह इन बातों तक ही सीमित नहीं है। यह वर्ष 1904 से शुरु किया गया है जब यहां ब्रिटिश सरकार थी, और उन्होंने कहा था कि किसी भी विद्यालय को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक इसमें खेल का मैदान न हो और उसमें समन्वित शिक्षा की व्यवस्था न हो।

डा० राधाकृष्णन ने 1948 में, डा० मुदालियार ने 1952 में और डा० डी० एस० कोठारी ने 1964 में इसी प्रकार सिफारिश की थी। वर्ष 1904 से अब तक छियानवे वर्ष बीत जाने के बाद भी हम अपने छोटे बच्चों अथवा युवाओं को यह सब उपलब्ध नहीं करा पाए हैं और हम एक मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्र चाहते हैं जो ओलम्पिक्स में देश का नाम ऊंचा करें। यह मेरी पहली बात है।

कुछ दिन पहले, मैंने किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होने का समाचार पढ़ा था। श्री एम० जेठमलानी ने कहा कि हम संचार, सूचना और प्रसारण, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि की ओर उन्मुख होंगे। मै यह चाहता था कि हम विभाजन, दोहरीकरण और मतभेद की बजाय थोड़ा सा खेल के क्षेत्र की ओर भी उन्मुख होते।

अब माननीय वित्त मंत्री ने आयकर में छूट दी है और मैं यह आशा करता हूं कि हम केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि से सभी संसाधन जुटाकर उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार कर पाएंगे ताकि हमें ओलम्पिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त हो सके। आज ओलम्पिक्स राष्ट्र के गौरव, राष्ट्र की सक्षमता का प्रतीक है और इसके साथ-साथ सभी राष्ट्रों के बीच राष्ट्र के महत्व का प्रतीक है।

जैसाकि मैंने कहा है कि मेरे अंतर्मन का सिपाही मुझे इस वित्त विधेयक का समर्थन करने की अनुमति नहीं देता है। अब मैं रक्षा सेवाओं के बारे में बोलूंगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हमने विगत में हुई घटनाओं, चाहे वह 1947 का अथवा 1962 का अथवा 1965 का अथवा 1971 का अथवा अरब इजरायल युद्ध हो, के अनुभवों से सबक नहीं लिया है। इनसे हमें बहु सस्ते में सीख मिल जाती क्योंकि हमें अरब-इजरायल युद्ध नहीं लड़ना पड़ा है।

अपराह्न 5.19 बजे

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

दो सीमाओं पर छद्म युद्ध, सभी ओर से घुसपैठ, समझौता न करने वाले पड़ोसी देश के साथ सीमा संघर्ष के एक विनाशकारी युद्ध में परिवर्तित होने के खतरे को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि हमें गत तीन युद्धों के साथ-साथ इजरायल के छः दिवसीय युद्ध और हाल के कारगिल युद्ध के अनुभवों से सबक लेना चाहिए।

मैं अपनी पुरानी बातों की याद दिलाऊंगा जिसका मैंने दो वर्ष पूर्व उल्लेख किया था कि हमारे पास विश्वसनीय रक्षा व्यवस्था का अभाव है। मैं जानता हूं कि रक्षा मंत्री यहां नहीं है और हम रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस वर्ष कारगिल युद्ध के कारण 13,000 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया जा रहा है। हमारे पास विश्वसनीय रक्षा व्यवस्था नहीं है जो हमारे दुश्मनों को आक्रमण करने से रोक सके। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इजरायल की महान रणनीति अथवा उसका उद्देश्य था। वे इसकी गहराई तक नहीं पहुंचे थे। वे अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं कर पाए। परन्तु उन्हें हमेशा एक उद्देश्य और नीति के तहत तैयार रहना पड़ता था कि वे शत्रु के क्षेत्र में एक साथ, सफलता से प्रवेश कर सकें और वे इस पर तुरन्त प्रतिक्रिया न कर पाएं।

[श्री के॰पी॰ सिंह देव]

इस तरह वे अपने आसपास घिरे हुए उग्र और बड़े देशों के बीच जीवित बच पाए हैं।

अब, मैं प्रादेशिक सेना, नागरिक सेना की भूमिका के संदर्भ में बोलूंगा। वर्ष 1995 में, संसद और तत्कालीन सरकार ने इसके लिए पांच संसद सदस्यों को नियुक्त किया था। आज इसके केवल दो हस्ताक्षरी ही बचे हैं, मेजर-जनरल भुवनचन्द्र खण्डूड़ी और स्वयं मैं ही वर्ष 1995 में पांच प्रतिष्ठित सैनिक संसद सदस्य, जो वीर चक्र विजेता थे और अन्य उच्च सम्मान प्राप्त थे, के साथ-साथ सशस्त्र बल के अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों ने मिलकर सरकार को एक सर्वसम्मत रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट श्री मुलायम सिंह यादव को और सर्वोच्च सेनापति के रूप में भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गई। पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रादेशिक सेना की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 1949 में की गई थी। अतः, यह नागरिकों की सेना है। महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बात माननीय रक्षा मंत्री तक पहुंचाने के कोशिश कर रहा हूं। उनके साथ मेरी चर्चा होने के बाद मुझे पता लगा है कि वे इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करना चाहेंगे, क्योंकि पूरी इजरायली सेना प्रादेशिक है। कोई भी भारी संख्या में स्थायी सेना के वेतन, पेंशन, अनुलब्धियां और अन्य आवश्यक खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे रक्षा बजट की नब्बे प्रतिशत राशि इन्हीं मदों पर व्यय होती है। अतः, आधुनिकीकरण, पुराने साजोसामान को बदलने और प्रतिस्थापन आदि के लिए बहुत-कम धनराशि बचती है। यही कारण है कि इस वर्ष वित्त मंत्री महोदय ने हमारे कारगिल में 45 दिन का जोखिम भरा युद्ध जीतने के बाद हमें 13000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने की कृपा की।

इसके बाद मैं भूतपूर्व सैनिकों की दुर्दशा के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। भूतपूर्व सैनिकों की एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक 1984 में हुई थी। माननीय जसवन्त सिंह जी और माननीय राजेश पायलट जी भी इस समिति के सदस्य थे। उस समिति में मंत्रिपरिषद के सात सदस्य थे। उस मामले में भी कुछ सिफारिशों पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। उनमें से एक सिफारिश केन्द्र से पांच वर्षों में 150 करोड़ रुपये और संघ के सभी राज्यों से पांच वर्षों में 150 करोड़ रुपये की समग्र निधि से भूतपूर्व सैनिक वित्तीय विकास निगम का गठन किए जाने से संबंधित थी। हमारे पास अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं लघु उद्योगों के लिए एक वित्तीय विकास निगम है। लेकिन 14.5 लाख भूतपूर्व सैनिकों के लिए हम राज्यों और केन्द्र के बीच 300 करोड़ रुपये का बजट नहीं पा सकते।

प्रादेशिक सेना समिति और इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिक समिति में द्वितीय रोजगार का प्रश्न उठा था। लोग 18 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती होते हैं और 33 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्र को अपने संसाधनों को लगाना पड़ा है। वे समर्पित और अनुशासित सैनिक हैं। आपने देखा है कि कारगिल में अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सन् 1947 से ही वे अपनी कुर्बानी देते आ रहे हैं, ताकि हम यहां सुरक्षित रहें। उन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपने वर्तमान की कुर्बानी दी है। लेकिन, हम उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं करना चाहते, जिसके लिए करदाता ने कर दिया है और जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। अतः 33 वर्ष की आयु में ही वे ऐसे हो जाते हैं, जिनकी सेवाओं का जो चाहे उपयोग कर सकता है। इस अत्यंत अभिप्रेरित, अनुशासित और प्रशिक्षित जनशक्ति का राष्ट्र निर्माण के कार्य में कोई उपयोग नहीं होता।

प्रादेशिक सेना की परिस्थितिकीय वाहिनियां (बटालियनें) भी हैं। उन्होंने बीकानेर, शाहजहांपुर, मसूरी, पिथौरागढ़ और चम्बल घाटी में उत्कृष्ट कार्य किया है। उड़ीसा सरकार एक पारिस्थितिकीय वाहिनी की मांग करती आ रही है, ताकि तूफान के परिणामस्वरूप तबाही में भी वह सहायक हो सके। मैं श्री टी॰ आर॰ बालू जी का अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे कल ही पत्र लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि इस समय इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पास कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है। यदि उसे दसवीं योजना में इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि मिल जाती है, तो वे उड़ीसा के लिए पारिस्थितिकीय वाहिनी पर विचार कर सकते हैं।

प्रादेशिक सेना समीक्षा समिति में जल स्कन्ध और वायु स्कन्ध शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। यह इसलिए क्योंकि इस समय भारत सरकार आपदा प्रबंधन की ओर ध्यान दे रही है। उड़ीसा का भीषण तूफान नवीनतम उदाहरण था। मुझे यह मालूम नहीं है कि उड़ीसा के रूप में ज्ञात भारत के उस भाग का हम कैसे पुनर्निर्माण करेंगे। आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों को भी भीषण तूफान अथवा मौसम से संबंधित आपदाओं से हानि पहुंची है।

यही कारण है कि यह वित्त विधेयक थोड़ा निराशाजनक है। मुझे यह मालूम नहीं है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने तूफान के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए दौरा किया है अथवा नहीं। रक्षा मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने वहां का दौरा किया है। तूफान से कम-से-कम आधा उड़ीसा राज्य तबाह हो गया है। 30 जिलों में से 14 जिले बर्बाद हो गए हैं। इसके लिए विनाश और क्षति अत्यंत गौण शब्द हैं। पुनर्निर्माण और पुनर्वास करना अथवा पुनः जनजीवन शुरू करने के लिए खगोलीय आंकड़े आवश्यक हैं। लेकिन मैंने पाया है कि ये आंकड़े इस विधेयक नहीं हैं। सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है? वित्त मंत्री ने कहा है कि अनेक अर्थों में यह अपनी किस्म का पहला बजट है और इस शताब्दी का भी पहला बजट है। लेकिन यह इससे भी अधिक निराशाजनक बात है। मेरे विचार से यह सही अवसर था, जबकि उड़ीसा को विशेष दर्जा अथवा श्रेणी दी जा सकती थी, क्योंकि उड़ीसा सातवीं अनुसूची में शामिल राज्यों अथवा पहाड़ी राज्यों में नहीं आता। चाहे संविधान में यह प्रावधान न भी हो, तो यह नया प्रावधान किया जा सकता था। अब, न तो संविधान में कार्यबल की व्यवस्था है और न ही नौवें वित्त आयोग अथवा दसवें वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की है। लेकिन, आपने यह नई बात की है और आपने कार्यबल के कमांडर, माननीय रक्षा मंत्री को तूफान के बाद की स्थिति की निगरानी करने के लिए राजी किया। अतः वही नवीन कदम इस संबंध में भी उठाया जा सकता है क्योंकि उड़ीसा अपने पड़ोसी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम

बंगाल के साथ पिछले लगभग चार दशकों से मौसम से संबंधित इन आपदाओं का शिकार रहा है। इससे कर आधार और योजना के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता कम हो रही है। अतः, अग्रणी राज्यों की तुलना में उड़ीसा का क्षेत्रीय असंतुलन और क्षेत्रीय पिछड़ापन अधिक है और योजना आयोग का कोई भी सूत्र उड़ीसा और उसके कुछ पड़ोसी राज्यों को इस स्थिति से उबार नहीं पाया है। अतः मेरा वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि वे योजना आयोग को ऐसी नवीन योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए राजी करें, जिनसे कि ऐसे राज्य तेजी से इस स्थिति से ऊपर उठ सकें तथा और अधिक निवेश प्राप्त कर सकें।

मेरी तीसरी बात खनिजों पर रायल्टी के बारे में है, जिसका अन्ततः वित्त मंत्री महोदय को ही समाधान करना होगा। वह ऐसे राज्य अर्थात् बिहार से निर्वाचित होकर आए हैं, जिसमें मेरे राज्य से ज्यादा खनिज पाए जाते हैं और यदि 1956 के बाद सरायकेला, खारसवां और सिंहभूम उड़ीसा राज्य में ही रहते, तो उड़ीसा खनिजों के मामले में पूरे विश्व में सबसे समृद्ध क्षेत्र होता। लेकिन मैं उनका शुभचिन्तक हूं। कुछ राज्यों द्वारा उपकर हटाए जाने के बाद स्वयं श्री नारायण दत्त तिवारी ने इस बात का उल्लेख किया कि संघ के आधे राज्य अपने कर्मचारियों, अध्यापकों और डाक्टरों को वेतन का भुगतान करने में असमर्थ हैं और उड़ीसा की भी यही स्थिति है। अतः, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से और अधिक ऋण लेना पड़ा और माननीय वित्त मंत्री महोदय अक्तूबर-नवम्बर-दिसम्बर के दौरान हमें ओवरड्राफ्ट देकर तथा भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण की वापसी के लिए उड़ीसा सरकार पर दबाव न डालने, ताकि उसकी परेशानी न बढ़े की सिफारिश करके हम पर बहुत मेहरबानी की थी। चाहे कोयला हो अथवा क्रोमाइट खनन पर रायल्टी में संशोधन नहीं किया गया है। क्रोमाइट भी केन्द्र से संबंधित विषय है। इसमें हर पांच वर्षों के बाद संशोधन किया जाता है। 1994 से लेकर आज तक कोयला पर रायल्टी में संशोधन नहीं किया गया है। उड़ीसा इसी खनिज-रायल्टी पर आश्रित है। इससे इसे तेजी से स्थिति के सुधार में मदद मिलेगी।

अब मै पानी की कमी के प्रश्न पर चर्चा करूंगा। सूखे की स्थिति पर बहस के दौरान हमनें पानी की कमी के बारे में चर्चा की थी। चाहे यह पीने का पानी हो अथवा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवर्धित जलापूर्ति, लेकिन जल जीवन के लिए अमृत है। मैं ऐसे क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं, जिसमें, ब्रह्मणी नदी बहती है और उसमें उपक्रमों के अधिकांश अपशिष्ट बहाए जाते हैं। यह नदी महानदी जितनी लम्बी है और ब्रह्मणी नदी प्रदूषित हो गई है, जिसकी वजह से उसके दोनों ओर रह रहे सारे मछुआरे बेकार हैं और उनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है तथा उन्हें जीविका का वैकल्पिक साधन खोजना होगा। अतः, प्रदूषण के कारण ब्रह्मणी कार्य योजना हमें परिव्यय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से हमारे क्षेत्रों में आवर्धित जलापूर्ति की प्रक्रिया तेज करने के लिए विवश करती है। पिछले 20 वर्षों से, हम केन्द्रीय सरकार के साथ इस प्रयोजन के लिए प्रयत्न करते आ रहे हैं। डा० वेंकटेस्वरलु ने, जब वह शहरी विकास मंत्री थे, बहुत मेहरबानी की थी और एक 15 करोड़ रुपये और दूसरी 13.50 करोड़ रुपये अर्थात् लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत की ढेंकानाल और अंगुल के लिए दो परियोजनाएं स्वीकृत की थीं। लेकिन विगत तीन वर्षों से संसाधनों की तंगी के कारण उड़ीसा सरकार मार्जिन मनी का भी भुगतान नहीं कर सकी और आज 20 करोड़ रुपये की राशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है।

यदि कृतक बल, जो वसूली, पुनर्निर्माण और पुनर्वास पहलुओं की देखरेख कर रहा है, को उड़ीसा सरकार को मार्जिन मनी के भुगतान में मदद करने के लिए कहा जाता है, तो इन दो नगरपालिका मुख्यालयों, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50,000 है, को कम-से-कम कुछ पानी तो मिलेगा। मैं उस कहानी के बारे में सर यदुनाथ सरकार का नाम उद्धृत नहीं करना चाहता जब शाहजहां औरंगजेब को दो बूंद ताजा पानी के बारे में कहता है। प्रश्न यह है। हमारी स्थिति शाहजहां जैसी है, जो ढेंकानाल और अंगुल शहरों के लिए पेयजल की दो बूंद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि मैं इस सारे वृत्तांत को उद्धृत करूं, तो इससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

इस बार, भीषण तूफान के कारण उड़ीसा में पूरा पर्यावरण तबाह हो गया है। सारे वृक्ष गिर गए हैं। आज, मैंने देखा कि साल के वृक्षों को पुनः उगाने के संबंध में एक प्रश्न था। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में साल के वृक्ष काफी संख्या में लगे हुए हैं। मेरे जिले में जो समुद्रतल के सौ किलोमीटर अन्दर है, 4 करोड़ रुपये के साल के वृक्ष नष्ट हो गए हैं। साल के वृक्ष उगाए नहीं जा सकते और न ही इन्हें लगाया जा सकता है। ये अपने आप उगते हैं। इसी कारण इन वृक्षों की सघनता 30 जिलों में से घटकर 14 से 15 जिलों में रह गई है। मुझे अपने कलैक्टर से आज एक दूरभाष संदेश मिला है। उन्होंने मुझे बताया कि लू लगने से नौ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले वर्ष उड़ीसा में मरे 1800 लोगों में 400 मेरे क्षेत्र से थे। आज क्योंकि वृक्ष आच्छादन नहीं रहा, इसलिए लू और गर्मी के कारण मौतें हो रही हैं। पानी की अत्यधिक कमी है। मानसून शुरु होने से पहले अप्रैल-जून के इस समय के दौरान आग लगने के खतरे के कारण ग्रामीण लोगों को अपने घर जल जाने देने की आदत हो गई है। माननीय वित्त मंत्री इसी स्थिति में मदद कर सकते हैं। विगत में, हम प्रधान मंत्री राहत कोष से धनराशि प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के पास जाया करते थे। प्रत्येक परिवार को एक हजार देने से यह हुडको अथवा एच एफ डी सी से अग्निरोधी घरों का निर्माण करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु सीड मनी बन जाती है। भुवान नामक एक गांव है जो कि भारत में सबसे बड़ा हुआ करता था। इसमें हर वर्ष आग लग जाया करती थी। 1987 में जब मैं श्री राजीव गांधी से मिला, तो उन्होंने इस पर 30 करोड़ व्यय किए और पिछले तेरह वर्षों से एक भी घर नहीं जला है। यदि आप इन्दिरा आवास योजना अथवा किसी अन्य विधि पर विचार कर सकते हैं, तो इससे मदद मिलेगी। माननीय श्री गुजराल जी ने भी हमें 3 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे और वे दो गांव अब सुरक्षित हैं। विगत तीन वर्षों से आग लगने की एक भी घटना नहीं घटी है। हम अग्निरोधी घरों का निर्माण करना चाहते हैं और आग लगने का मुख्य स्रोत रसोई है। या तो रसोई अग्निरोधी होनी चाहिए या फिर समूचा ढांचा छप्पर का नहीं होना चाहिए। लेकिन यह अग्निरोधक होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर दें, तो काफी धनराशि, जो अब राहत और खैरात देने में खर्च हो रही है, विकास के प्रयोजन के लिए रखी जा सकती है। इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए खर्च नहीं किया जाएगा।

[श्री के॰पी॰ सिंह देव]

एक अन्य दुःखद समस्या, जो दलगत भावना को ध्यान में रखे बिना, उड़ीसा के अधिकांश संसद सदस्यों के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है, मीडिया का यह समाचार है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण बंद कर दिया गया है। लेकिन मैंने सूचना और प्रसारण मंत्री से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका सीधा प्रसारण नहीं बंद नहीं किया गया है, लेकिन हम वही कर रहे हैं जो पिछले वर्ष जो हो रहा था। अतः माननीय श्री अजित पांजा जी ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इसे दूरदर्शन के लिए समाचार एकत्रित किए जाने में शामिल किया था। सन् 1993 से 1995 तक तीन वर्षों तक, हमने इसका राष्ट्र प्रसारण में सीधा प्रसारण किया। इसका प्रसारण श्री संगमा और श्री इब्राहिम ने भी जारी रखा। लेकिन पिछले दो वर्षों में वे इस कार्यक्रम को केवल क्षेत्रीय प्रसारण में दिखा रहे हैं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि भगवान जगन्नाथ न तो हिन्दु हैं और न ही उड़िया। वह तो पूरे विश्व के भगवान हैं। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी प्राचीन ग्रंथों से भजन गाए जाते हैं। किवदंती यह है कि ईसामसीह के 12 वर्षों के अंर्तध्यान के दौरान उन्होंने एक वर्ष अवंतिपुर में बिताया था। यह किवदंती है। मैंने इसे नहीं देखा है। उनका कहना है कि यह पुरी में भी था। गुरु नानक के पहले शिष्य पुरी से थे। इसी प्रकार, शब्द कीर्तन को साक्षी के नाम से जाना जाता है। सलबेग नामक एक मुस्लिम सूफी संत श्रेष्ठ शिष्य थे। निस्संदेह, गोबदिया मठ के भजन और वैष्णव भी वहां हैं। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ हिन्दु नहीं हैं। न ही वे दशावतारों में से हैं। लेकिन वे एक सार्वभौमिक देवता हैं। उड़ीसा से बाहर के लोग इस उत्सव को देखने आते हैं और उसमें भाग लेते है। अतः यदि राष्ट्रीय प्रसारण से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रोक दिया गया, तो यह उलटा कदम होगा।

क्षेत्रीय कार्यक्रम का अर्थ है केवल उड़ीसा में। लेकिन यह केवल उड़ीसा में नहीं था। 1993 में, श्री सिद्धार्थ शंकर रे अमरीका में इस कार्यक्रम की 100 कैसटें वितरित कराना चाहते थे।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री के॰पी॰ सिंह देव: महोदय, मेरी यह अंतिम बात है। अब, मैं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में उल्लेख करूंगा। महोदय, हम चार अथवा पांच वर्ष पूर्व सूचना के सुपर हाइवे के बारे में सोचा करते थे। आज, हमारे पास बहु-मीडिया सूचना हाइवे है। हमारे यहां सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नामक एक नया मंत्रालय है। 1995 में, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा॰ वेंकटेशवरलु की सुयोग्य सहायता से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने सभी खंडों को शामिल कर एक छोटा-सा प्रयोग किया था। उस समय जब फसलों का कम उत्पादन हुआ था, हमने एक साधारण संचार व्यवस्था का उपयोग करके 19 गुणा अधिक फसल प्राप्त की थी। संसद सदस्य, श्री मनोहर लाल सोंधी के बड़े भाई डा॰ किशन लाल सोंधी केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ-साथ इसके भी वास्तुविद् थे। उस समय मैंने श्री चतुरानन मिश्र जी को पत्र लिखा था और मैं प्रो॰ दंडवते, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, से मिला था और उन्हें यह बताया था कि यदि हम ढेकानाल में चार-पांच वर्ष पहले जो हुआ था, उसे केबीके जिलों में कवर कर सकें और इसका विस्तार कर सकें तथा इसे दोहरा सकें, तो हमें 600 मिलियन टन खाद्यान्न प्राप्त हो सकता है, जिससे हमें काफी खाद्य सुरक्षा मिलेगी। यह स्कीम, योजना-आयोग और कृषि मंत्रालय के पास उपलब्ध है। पिछले ही महीने इस पर श्री सुन्दर लाल पटवा जी के साथ भी मेरी चर्चा हुई है। योजना आयोग अथवा कृषि मंत्रालय, किसी-न-किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। उस समय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पहल की थी, लेकिन इस संबंध में किसी-न-किसी को मुख्य समन्वयक के रूप में पहल करनी होगी।

अन्ततः, हम बुनियादी आवश्यकताओं, न्यूनतम जरूरतों जैसे पानी, स्वास्थ्य और आवास के बारे में बातचीत कर रहे थे। अब, मुझे इस तपतपाती गर्मी के मौसम में दक्षिण दिल्ली के अनेक क्षेत्रों से लगातार यह टेलीफोन संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि वहां बुलडोजरों की सहायता से मकानों की तोड़-फोड़ की कार्यवाही जारी है। मुझे यह नहीं मालूम कि बुलडोजरों द्वारा अपना कार्य पूर्णतया निपटा लिए जाने के बाद, उन लोगों का क्या होगा, जो विगत 40 अथवा 45 वर्षों से इन स्थानों पर रह रहे हैं और गर्मी के इस मौसम में उनकी क्या दशा होगी?

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): सभापति महोदय, मैं विरोधी पक्ष की ओर से तिवारी जी का, जिन्होंने चर्चा प्रारम्भ की है, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा और उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने सपनों की याद दिलाई। मैं तिवारी जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि सपने वही देखते हैं जिनमें सपने साकार करने की सामर्थ्य, शक्ति होती है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने हिन्दुस्तान की जनता को सपना दिखाया और वह सपना साकार करने की सामर्थ्य हमारे वित्त मंत्री जी में है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था:—''हमारी आंखों के भविष्य में स्वर्णिम सपने हैं किंतु हम निद्रालु नहीं हैं।'' कुछ लोग राह का डर बताकर न चलने की सलाह देते हैं, उनकी मत सुनो। दीन दयाल जी ने कहा था कि राह का डर बताकर न चलने की सलाह जो देते हैं, उनकी मत सुनो, हमें अपनी राह खुद बनानी होगी। हम जिस ओर चलेंगे, वही रास्ता होगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि उन्होंने एक लैवल प्लेइंग फील्ड बनाकर हिन्दुस्तान में वेंचर कैपिटल फंड को आगे बढ़ने का मौका दिया है। वास्तव में वेंचर कैपिटल फंड के ऊपर जो उन्होंने करैक्शन किया और बड़ा मन रखकर टैक्नीकल करैक्शन करना जरूरी है, ऐसा कहा, केवल वेंचर कैपिटल फंड ही नहीं, 31 मार्च 2000 के पहले जो भी सौफ्टवेअर कंपनीज रजिस्टर्ड हुई होंगी, उनको जो लाभ मिलने वाले थे, उसके बाद में आने वाली कंपनियों को भी उन्होंने टैक्स बैनेफिट्स देने का एलान किया है, उसका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा।

मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हां, हमने, हमारी सरकार ने सपना देखा है कि हिन्दुस्तान इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी में पूरे विश्व में राज करेगा और हम राज करके दिखाएंगे। आज इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी में हिन्दुस्तान कहां से कहां जा पहुंचा है। वित्त मंत्री जी ने योजना घोषित की कि जो भी सोफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें बेनिफिट मिलेगा। दस साल से यह टैक्नोलॉजी पार्क है, उसके लिए स्कीम है, लेकिन दस साल तक सिर्फ 1400 कम्पनियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और उसमें से आज सिर्फ 700 कम्पनियां

ही काम कर रही हैं। हमने दुनिया को, हिन्दुस्तान के टैक्नोक्रेट्स को सपना दिखाया, इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी को मानने वाले आईआईसी के इंजीनियर्स को सपना दिखाया।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने 28 फरवरी को घोषणा की, और यहां नौ साल में सिर्फ 1400 एप्लीकेशंस आई, जिनमें से 700 कम्पनियां काम कर रही थीं। एक महीने में 4500 नयी कम्पनियों ने सोफ्टवेयर के क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन कराया। हमने सपना देखा है कि हम सौ बिलियन डालार का सन् 2001 तक एक्सपोर्ट करेंगे। आज यहां हमारा नौजवान बैठता है और वह अमेरिका में बिजनेस करता है। यहां बैठ कर अमेरिका का आर्डर लेता है, टैलीफोन लाईन लीज़ पर लेकर अमेरिका के हजारों-लाखों ग्राहकों से संवाद करता है और वह संवाद सिर्फ एनडीए की सरकार इन लोगों के साथ कर सकती है। . . *(व्यवधान)* आप तो सिर्फ वाद-विवाद कर सकते हैं, वितंडावाद कर सकते हैं।

महोदय, यह बात सही है कि हमारे मंत्री जी ने थोड़ा कहीं टैक्स लगाया है, लेकिन जब बेटे को कील लगती है तो उसे टीटनैस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर आप इंतजार करेंगे और मां कहेगी कि मेरा बेटा रोएगा, उसे डाक्टर के पास लेकर नहीं जाओगे तो क्या होता है, आपने हिन्दुस्तान का वही किया है। ठीक समय पर कील लगी लेकिन आपने परवाह नहीं की। आपने उसे कड़वी डोज़ नहीं दी, खोटे गलत लाड किए। मैं तिवारी जी से कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्वाइंट रखा है। मैं वास्तव में उस विषय को छेड़ना नहीं चाहता था। महोदय, एक हिन्दी पिक्चर आई थी, उस पिक्चर का नाम - चोर मचाए शोर - था। मॉरिशस वाली इंकम टैक्स की बात आपने छेड़ी, कम से कम आपको तो नहीं छेड़नी चाहिए थी। आप सरकार में मंत्री थे, चोरी करना आपने सिखाया। मॉरिशस ट्रीटी 83 में आपकी सरकार ने की। मॉरिशस ट्रीटी में इल्लिगल मार्ग से आने का प्रावधान आपने बनाया। 1991-92 में जनाब मनमोहन सिंह जी ने दरवाजा खोल दिया, हिन्दुस्तान के प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का। आप बताइए कि मॉरिशस ट्रीटी में इस प्रकार का लूपहोल किस ने रखा था। यशवंत सिन्हा जी ने नहीं रखा, आपने रखा था। आपने एफआईआई को कहा कि पिछले दरवाजे से आओ और टैक्स की चोरी करो। मॉरिशस का केयर ऑफ एड्रेस बराबर है, लेकिन केयर ऑफ एड्रेस मॉरिशस का वाया एआईसीसी, कांग्रेस का जो दिल्ली का आफिस है उसके थ्रु, वाया मनमोहन सिंह जी के द्वारा, केयर ऑफ एड्रेस दिया गया। मैं मानता हूं कि हम इस विषय पर विचार कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि मॉरिशस के द्वारा एफआईआई आ रही है। . . . *(व्यवधान)* जिस कम्पनी पर इनका अधिकार है, उन्होंने वाया मॉरिशस यहां इनवेस्टमेंट किया। क्या आप जानते हैं कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नौ ऑफशोर फंड वाया मॉरिशस काम कर रहे हैं। पहला ऑफशोर फंड यूनिट ट्रस्ट का, आपके राज में खुला था। मैं मानता हूं मैं प्रमाणिकता से यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर यहां चर्चा होनी चाहिए, भले ही गलती मनमोहन सिंह जी ने की, कांग्रेस ने की होगी, और यूडीएफ गवर्नमेंट ने उसे इग्नौर किया होगा। वे सात-सात, आठ-आठ साल तक इंकम टैक्स रिटर्न भरते रहे हैं लेकिन किसी ने चैक नहीं किया। हमारी सरकार ने कम से कम चैक करने की परवाह तो की।

मैं मानता हूं कि एफआईआई के 43 हजार करोड़ रुपये के इंवैस्टमेंट में से 12 हजार करोड़ रुपये मारीशस से आये। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज समय नहीं है, फिर सोचिये और इस विषय पर चर्चा कीजिए क्योंकि आज 38 प्रतिशत इंवैस्टमेंट मारीशस के जरिये आया है। आज यूटीआई को अपना कलेक्शन करना है तो वाया मारीशस आना पड़ता है। कभी ऐसा न हो कि यह फंड जाकर 80 प्रतिशत हो जाये तो एफआईआई हमको कुछ भी डिक्टेट कर सकती है। मैं इस विषय में कुछ ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन तिवारी जी, आपको इसमें कहने का अधिकार नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमने कड़वी दवाई दी है, टिटनेस का इंजेक्शन दिया है, लेकिन इस इंजेक्शन को देने के बाद क्या हुआ? आप देखना चाहते हैं? उसके बाद बिजनेस में 2 साल से तेजी से वृद्धि हुई है। एनडीए की सरकार और माननीय अटल जी के अद्‌भुत नेतृत्व के बाद. . .

[अनुवाद]

कारोबार साख सूचकांक (बीसीआई) में 14.6 प्रतिशत का सुधार हुआ है, जो निकट भविष्य में कारोबारी गतिविधियां बढ़ने का नाकारात्मक द्योतक है। कारोबार साख सूचकांक 621 उत्तर देने वालों के सर्वेक्षण पर आधारित है।

[हिन्दी]

यह कोई दो-तीन लोगों का रैस्पोन्स नहीं है। इन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्सिल ऑफ एप्लाएड इकोनोमिक रिसर्च ने यह सर्वे किया है। आज देश में स्थिरता आई है, बीच में एक वोट से आपने हरा दिया, जिसके कारण गड़बड़ हुई और आर्थिक प्रगति रुक गयी। आज राजनैतिक स्थिरता आई है जिसके कारण बिजनैसमैन, उद्यमी और टैक्नोक्रेट्स का कांफिडेंस बढ़ा है। आपको आंकड़े चाहिये तो मैं दे सकता हूं। कम्पनी को अगली तिमाही में अच्छे कारोबार का पूर्वानुमान है क्योंकि इसके कारोबार में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मार्च, 2000 में इसका निबल लाभ बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया है। इन तीन महीनों में हिंदुस्तान के 500 कंपनियों की बिक्री जो पहले 42185 करोड़ की थी वह 51728 करोड़ रुपय हुई और उन्हें नेट लाभ 4336 करोड़ से लेकर 5737 करोड़ रुपये हुआ। वित्त मंत्री जी को तो इसमें फायदा ही हुआ। पिछले साल टैक्स 571 करोड़ रुपये मिला था जो अब 874 करोड़ रुपये मिला है। यह सुधार हुआ है और लोगों में कांफिडेंस आया है। एक्सपोर्ट ग्रोथ तीन साल में डबल-डिजिट में चली गयी है। तीन वर्षों के बाद भारत 1999-2000 में 11.58 की वृद्धि हुई जो बढ़कर 37537 मिलियन डालर हो गई।

दूसरी बात इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां एक ओर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है दूसरी ओर आयात घट रहा है। आयात बिल आशा से 3 प्रतिशत कम है। जो ऑयल इंडस्ट्री का इम्पोर्ट बिल था वह भी नीचे आया है। इसके कारण सबसे महत्व की चीज क्या हुई है। उसके कारण अपना रुपया मजबूत हुआ है। मेरा कहना है कि जब हम आर्थिक विषयों की चर्चा करें तब बीच में राजनीति न लाएं, राजनीति की चर्चा न करें। अगर कहीं रुपया बढ़ रहा है तो कहिये कि बढ़ रहा है। कहीं गलती होती है तो हम उसमें सुधार के लिए तैयार हैं। आर्थिक और राजनैतिक समीक्षा में भी कहा गया है कि :

[श्री किरीट सोमैया]

[अनुवाद]

"इसके अतिरिक्त, आयात उत्तरोत्तर प्रतियोगी होता जा रहा है क्योंकि पिछले बजट से लेकर अब तक डालर के मुकाबले रुपये की कीमत में 2.3 प्रतिशत की कमी आई है। इसी अवधि में घरेलू मुद्रास्फीति की दर लगभग 6 से 7 प्रतिशत है। यूरो मुद्रा की तुलना में रुपये की कीमत में 12 से 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।"

[हिन्दी]

एक ओर हमारा रुपया मजबूत होता जा रहा है और दूसरी ओर आयात कम हो रहा है। जब 1991 में कांग्रेस ने सरकार बनाई तो रुपये की वैल्यू पाइंट 22 रुपये थी, जब वे छोड़कर चले गये तो रुपये की वैल्यू पाइंट 39 के करीब थी।

यह लगभग 90 बिलियन डालर के बराबर था। उसका अर्थ लगभग यह हुआ कि हमारा 1 लाख हजार करोड़ रुपए का कर्जा था लेकिन आप जब चले गए तो रुपए की वैल्यू 38.39 हो गई। उसके कारण टोटल कर्जा वैसे का वैसा तीन लाख 42 हजार करोड़ रुपए हो गया तथा 1 लाख 44 हजार करोड़ रुपए का कर्जा डिवैल्यूएशन के कारण हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज भी देश प्रगति के पथपर आगे बढ़ रहा है। इसके कारण वैंचर कैपिटल फंड की योजना बनाई क्योंकि फार्मेस्यूटिकल इंडस्ट्री, इन्फर्मेशन टैक्नॉलोजी और एन्टरटेनमैंट में हिन्दुस्तान का बहुत स्कोप है। हम आज अमेरिका से मुकाबला कर सकते हैं। यहां की कम्पनी अमेरिका की कम्पनी को खरीद रही है। हमने जिन्दगी के पचास सालों में यह सपना कभी नहीं देखा था। यह सपना सैंकड़ों वर्षों पहले हिन्दुस्तान में सम्राट अशोक के शासन काल में देखा गया था। उस सपने को वापस दिखाने का काम अटल जी की सरकार कर रही है। यहां बैठ कर अमेरिका की कम्पनी खरीदने का सामर्थ्य सिर्फ हिन्दुस्तान के नोजवानों में है। हिन्दुस्तान के टैक्नोक्रैट्स को सपोर्ट और समर्थन देने के लिए, वैंचर कैपिटल फंड है। आज ही यह घोषणा हुई है कि 'एक नया उद्यम कोष शुरू करने के आई बी एम में पैसे वाले लोग शामिल हुए।' उसमें कौन-कौन हैं? उसमें एचडीएफसी के दीपक पारिख, कोटक महेन्द्रा के उदय कोटक, डीएसपी मैरियल लयांचू के महेन्द्र कोठारी हैं। वे प्रारम्भ में 50 मिलियन डालर के एक कोष बनाएंगे। पहले ये आंकड़े बोलने में डर लगता था। अब हिन्दुस्तान के नागरिक हिम्मत करते हैं और आई० बी० एम० कहती है कि हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। यह आर्गेनाइजर और पांचजन्य का हैडिंग नहीं है, यहां सवामीनाथन एस० अंकलेसरिया नाम के एक लेखक हैं, जिनका 'दी ग्रेट इण्डियन टेकओवर ऑफ अमरीका' नामक लेख 19 मार्च, 2000 के संडे टाइम्स में छपा है। आज यह सपना दिखाने का सामर्थ्य अपने समाज में है और अपने देश में है। हम सब मिलकर इसे पूरा कर सकते हैं। हम वहां एक इनफर्मेशन टैक्नॉलोजी ले जा सकते हैं— दी ग्रेट इण्डियन टेक ओवर आफ अमरीका'। हम राजनीति को एक तरफ रख कर कम से कम यह आह्वान स्वीकार करें, साथ मिल कर चलें और देश की आर्थिक नीति को नई निशा दें। मेरा मानना है कि आर्थिक विकास करते समय कहीं-कहीं सुधार लाना भी आवश्यक होता है।

सभापति महोदय, मेरा खास विषय स्माल इनवैस्टर्स को प्रोटैक्शन देना है। इसी हाउस में 5-6 महीने पहले मैंने अनेक बार कहा था कि शेयर बाजार में जो तेजी फैब्रिकेटिड है, उसे आप देखें। मैंने वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना की थी कि शेयर बाजार के ऑपरेटर्स, खिलाड़ी या जो एफ० आई० आई० हैं, उन्हें देखें। मॉरिशस के बारे में भूल जाइए। ये यहां पैसे कमाने आते हैं और साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाते हैं। वित्त मंत्री कोई भी हो . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): यह भी आपका है। इसमें कहा है कि 'सिन्हा ने एफआईआई के विरुद्ध कर अपवंचन के नोटिस जारी किए, जिसमें उन्होंने अर्थात् उन्हीं के अपने भाजपा उनके सांसद ने यह आरोप लगाया, "इस निर्णय से देश पर 300 करोड़ का बोझ पड़ा।"

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। वह आपकी बात की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: शायद आपका इस तरफ ध्यान नहीं था या आपकी समझ में विषय नहीं आया या मैं ठीक ढंग से समझा नहीं पाया, आप चाहें तो मैं रिपीट कर दूं। मैंने आज भी वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया है कि वाया मारिशस वाले रूट पर विचार करना चाहिए। मैंने यह भी कहा कि तीन हजार करोड़ रुपए के टैक्स नहीं लग पाए क्योंकि 1991 से लेकर 1998 तक किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर ने एफ० आई० आई० को नोटिस नहीं दिया। सब टैक्स माफ कर दिए, रिटर्न पास हो गया और उस समय आपकी सरकार थी।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अब तो आपकी सरकार है।

श्री किरीट सोमैया: हमारा अभी आया नहीं है। ये 1997 के रिटर्न्स हैं। कर चोरी के बारे में वित्त मंत्री अधिक अच्छा जवाब देंगे। मुझे इसके बारे में पता है लेकिन वह उनकी ज्यादा प्रोप्राएटी है।

क्योंकि उसमें लूप होल आपने रखा। आपने उनको कहा कि यदि एफ० आई० आई० आये तो बोलो कि चोरी करो और केअर आफ अड्रैस दे दो, चैक नहीं करेंगे। इसलिये मेरी सदन से प्रार्थना है कि इस विषय पर विचार करें। चोरी की बात करना आपने सिखाया क्योंकि पैसा तो देश का जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री इस पर विचार करें। मैं शेयर बाजार की बात कर रहा था . . .

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : चोरी का आक्षेप लगाना अन-पार्लियामेंटरी है और मॉरिशस के बारे में बात हो रही है। मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। हमारी केवल मारिशस के साथ कोई दोहरी कराधान संधि नहीं है। जिन्होंने इसका दुरुपयोग किया है, उनकी आलोचना की जा सकती है। आप दोहरी कराधान संधि की आलोचना नहीं कर सकते। हमें किसी दूसरे देश को अवश्य सम्मान देना चाहिए . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कान्ति लाल भूरिया (झाबुआ): सभापति महोदय, माननीय सदस्य असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे यहां चोरी नहीं चलता।

श्री किरीट सोमैया: सभापति महोदय, चोरी एफ॰आई॰आई॰ ने की है, वह रास्ता इन्होंने सिखाया। . . . *(व्यवधान)* एफ॰आई॰आई॰ को चोरी करने के लिये आपने कहा, उनको खुला कर दिया. . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री किरीट सोमैया जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधन करिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री भूरिया जी, वह आपकी बात की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्री चतुर्वेदी जी, वह आपकी बात की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: सभापति महोदय, वे मुझे बोलने दें तब ना।

श्री कान्ति लाल भूरिया: चोरी आपने की है।

श्री किरीट सोमैया: चोरी करना आपकी सरकार ने सिखाया . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: यह अपवंचन है और चोरी नहीं आप सनदी लेखापाल हैं। आपने 'अपवंचन' शब्द का उपयोग किया है। इसे 'चोरी' मत कहिए. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: आपने सात साल के इनकम टैक्स के रिटर्न का क्या किया था?

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : उसे चोरी नहीं कहते हैं।

श्री किरीट सोमैया: जब गलत केअर आफ कर रहे हैं, उससे टैक्स की चोरी होती है। सभापति महोदय, मैं शेयर बाजार की बात कर रहा था . . .

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आपके वित्त मंत्री कह रहे थे कि . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: सभापति महोदय, मैं शेयर बाजार की बात कर रहा था। मैं इसके पहले भी 2-3 बार इस विषय को उठा चुका हूं और कहा था कि आपरेटर्स सारी गड़बड़ करते हैं। कभी अगली तारीख का नाम ले लेते हैं, कभी इनकम टैक्स नोटिसेज की बात कर लेते हैं और कभी इन्क्वायरी की बात कर लेते हैं लेकिन इस प्रकार की वोलैटिलिटी स्टाक एक्सचेंज या आम इकौनिमी को जरूर नुकसान पहुंचाती है, आम इनवैस्टर का जरूर नुकसान करती है। ऐसी स्थिति में मैं यह जरूर कहूंगा कि जो म्युचुअल फंड्स की स्थिति है या प्राइवेट म्युचुअल फंड्स या यू.टी.आई. होंगे, उनको खासकर बहुत नुकसान होता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि शेयर बाजार की जो स्थिति चल रही है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि हैवी इनवैस्टर्स इनकम टैक्स सैक्टर में हैं, उन्होंने दाम ऊपर कर दिये हों और उसके पहले उसके करेक्शन या आप्रेशन के दाम उन्होंने दिला दिया हो।

सभापति महोदय, अंत में दो-तीन सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। पैन के बारे में जो कहा गया है, वह अच्छा कदम है। साथ ही साथ जो सैलेरीड क्लास मिडिलमैन हैं, उनके बारे में इस बार तो विचार नहीं किया गया है लेकिन आगे देखना होगा कि उनको राहत मिले। चीन या बांगला देश में जो टैक्सेशन रेट मिडिल क्लास के लिये है, क्या हम यहां इम्पलीमेंट कर सकते हैं? मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जी अगली बार के बजट में सैलेरीड क्लास के लिये जरूर ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 6.00 बजे

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में माननीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, यहां कई बातों का उल्लेख किया गया है, जिसमें इंडस्ट्रीज का कान्फीडेन्स बढ़ा है, यह मुद्दा भी सामने आया था और जो दूसरा मुद्दा आया था वह इंडिया टेक ओवर ऑफ अमेरिका था। ये दोनो मुद्दे रिच कम्युनिटी से रिलेटिड हैं। मैं एक गरीब आदमी हूं और मैं यहां गरीबों की बात करने के लिए आया हूं, मैं यहां गरीबों की आवाज रखने के लिए आया हूं। इंडस्ट्रीज का कान्फीडेंस बढ़ा है, यह अच्छी बात है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय: आप एक मिनट रुकिये।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): सभापति महोदय, छः बजे हैं, इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि आज बिजनेस एडवायजरी कमेटी की मीटिंग में यह तय हुआ है कि जितने भी वक्ता इस विषय पर बोलना चाहते हैं उन सभी के भाषण आज पूर्ण किये जाएं और कल भोजन के उपरान्त वित्त मंत्री जी इस चर्चा का जवाब देंगे। चूंकि वित्त विधेयक क्लाज बाई क्लाज पास करने में डेढ़-पौने दो घंटे लग जाते हैं और उनका भाषण

[श्री प्रमोद महाजन]

तथा सारा प्रोसीजर मिलाकर करीब दो से ढाई घंटे लगेंगे। यह आज की मीटिंग में तय हुआ था। इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि सदन का समय बढ़ाया जाए, आज इस पर चर्चा पूरी करके कल जवाब हो।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: जहां तक सदन इस विषय पर चर्चा कर ले, पूरे बजट पर चर्चा कर ले, उस पर मुझे या पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। हमने हमेशा ऐसा चाहा है। परंतु मैं प्रमोद जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जब प्राइस राइज और ड्राउट पर बहस हो रही थी तो उस समय आपको ही इस बात पर आपत्ति थी कि सदन बहुत देर तक बैठ रहा है, इसे कम करना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन: सभापति महोदय, प्राइस राइज और ड्राउट पर जब चर्चा हुई तो यह चर्चा एक दिन में पूरी करनी चाहिए, यह हमारा ही मत था और विपक्ष का सहयोग था, जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा और आज भी उनका आभारी हूं और यह चर्चा अगर बहुत देर तक चलेगी . . .*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जितना हम सहयोग देते हैं, कभी उस तरफ से भी दिल बड़ा करके हम लोगों को भी सहयोग दिया करें। जब ऐसे मुद्दे आये तो उस पर आप समय की कमी न करिये।

श्री प्रमोद महाजन: इसीलिए दिल बड़ा करके आठ बजे हमने भोजन की व्यवस्था की है, उसके बाद चर्चा को पूरा कर लें, तब तक सदन बैठेगा।

सभापति महोदय: जैसा संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है, मेरा ऐसा मत है कि सदन इस बात से सहमत है कि हम आज इस चर्चा को समाप्त करेंगे और कल माननीय वित्त मंत्री जी इस पर अपना उत्तर देंगे, तब तक सदन बैठेगा।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

सभापति महोदय: मोहिते जी, अब आप भाषण जारी कीजिए।

श्री सुबोध मोहिते: सभापति महोदय, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि यहां इंडस्ट्रीज का कान्फीडेंस बढ़ाने की बात हो रही थी। इंडिया टेक ओवर ऑफ अमेरिका, यह भी बात हो रही थी। लेकिन जिस कान्स्टीटुएंसी की मैं रिप्रजेन्ट करता हूं, वह महाराष्ट्र की सबसे गरीब कान्स्टीटुएंसी है और जिन लोगों ने मुझे यहां चुनकर भेजा है, वे महाराष्ट्र में गरीबी की रेखा से सबसे नीचे के गरीब लोग हैं। इसलिए मैं गरीबों की बात रखने के लिए अपना भाषण कर रहा हूं। मैं सिन्हा साहब को धन्यवाद दे चुका हूं, क्योंकि वे इंडस्ट्रियलाइजेशन की सोच रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं—

हमने इस बजट को गरीबों के हितैषी बजट की संज्ञा दी है। इस बजट को वित्त मंत्री ने यह बताया है कि यह गरीबों का हितैषी बजट है, लेकिन अत्यंत दुखी मन से मैं आपको यह बता रहा हूं कि मैंने पूरे बजट का अध्ययन किया है। मैं हरेक बात को तर्कसम्मत तरीके से स्पष्ट करूंगा। यह गरीबों का हितैषी बजट नहीं है, लेकिन यह निर्धनता लाने वाला बजट है। मैं कहना चाहता हूं कि हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को खत्म करना नहीं चाहते हैं। लेकिन बजट के जो सेलिएन्ट फीचर्स हैं, वे मैं इकोनोमिक सर्वे से लाया हूं, मैं आपको एक-एक बात एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हम गरीबी को नहीं, गरीबों की खत्म करने की बात यहां सोच रहे हैं।

इसलिए जो प्रो-पॉवर्टी बजट है, इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना जरूरी है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यह नारा भी उन्होंने काफी पहले दिया था। हम देखते हैं कि हर साल गरीबी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। गरीबी तो नहीं हटी लेकिन गरीबों को हटाया जा रहा है। गरीब आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। मेरा सवाल है कि गरीबी हटाओ के बजाय क्या हम गरीबों को हटाने के लिए बजट बना रहे हैं? मैं किसी माननीय मंत्री महोदय अथवा भारत सरकार के किसी विभाग की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा जो भी बात कहूंगा वह तर्क के आधार पर होगी। मैं हरेक बात को न्यायोचित सिद्ध करूंगा। मैं अपनी बात अपने घर से या सिन्हा साहब के घर के बजट से ही चालू करूंगा। मैं अपने घर से ही चालू करता हूं। श्री सिन्हा के पास दूरदृष्टि है। लेकिन इस देश में और भी कोई सिन्हा नाम का आदमी हो सकता है, जो गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह कर रहा है? मैं पहली बात कर रहा हूं एल०पी०जी० की। एल०पी०जी० सिलेंडर अत्यंत साधारण वस्तु है। यह शहरी और निर्धन जनता की आम जरूरत है। उसमें भी 40 और 50 रुपये की ऐवरेज बढ़ोत्तरी हुई है। 50 रुपये प्रति सिलेन्डर नहीं है, 50 रुपये प्रति महीना, प्रति फैमिली की वृद्धि है। आप सोचें की ऐसे में गरीबों की हालत क्या होगी। मेरा दूसरा मुद्दा गृह मंत्रालय से संबंधित है। खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हुई है। फर्टिलाइजर की सब्सिडी रिड्यूस की गई है। फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे खाद्यान्नों की कीमतों पर असर पड़ा हैं। यह हमारे देश का स्लोगन है। हम हिन्दुस्तान का स्लोगन बोलते हैं। कोई भी पार्टी हो, मैं पार्टी में विश्वास नहीं करता। हम कहते हैं कि हम उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए गरीब लोगों की खास सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जब फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ाई गईं, अल्टीमेटली फूडग्रेन्स की कीमतें बढ़ाई गईं। गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का भी नारा लगाया गया था वह कहा है? ऐसे कई ऐक्जाम्पल हैं। राशन के दाम बढ़ा दिये। कैरोसीन के दाम बढ़ा दिये, लेकिन एक काम अच्छा किया। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का जो अंधा समाज है, आज तक तीन कैटागरी में इसको डिवाइड किया जाता था। एक समुदाय गरीब है और दूसरा समुदाय गरीब है। यदि आप गरीब समुदाय का वर्गीकरण करें तो गरीब समुदाय में तीन प्रकार के लोग रह रहे हैं। पहले मध्यम श्रेणी, इससे निम्न मध्यम श्रेणी और तीसरी निर्धन श्रेणी है, जो आप सभी जानते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी हैं। अगर मैं बजट की तरफ से बात करूं, फाइनेन्शियल आस्पेक्ट से बात करूं। निर्धन वर्ग की क्रय क्षमता के रूप में, मैं बात करूं तो मिडिल क्लास, लोअर क्लास और पूअर क्लास तीनों की पर्चेजिंग कैपेसिटी अब नहीं रही। इसलिए तीनों कैटागरी के गरीबों को एक लैवल पर लाने का काम बजट ने किया है। मैं समझता हूं कि तीनों कैटागरी के गरीबों की यूनिटी करके अमीरों

के खिलाफ लड़ने की व्यवस्था की गई होगी। मैं माननीय मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने निर्धन लोगों पर चोट क्यों की है। जवाब आयेगा फिजिकल डैफिसिट कम करने के लिए। हमने वित्तीय घाटा कम करने की व्यवस्था की है। फिर मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या बाकी रास्ते नहीं थे? क्या आपके सब रास्ते बंद हो गए थे? इसका जवाब भी दूंगा कि नहीं। मैं हरेक बात को उचित सिद्ध करूंगा। किन बातों पर विचार किया जाना है?

सभापति महोदय, मैं पहली बात क्लेम्स एंड डिसक्लेम्स के बारे में बोलना चाहता हूं। सर, मैंने इंडस्ट्रियल रिकवरी का एक-एक पेज पढ़ा है। इसी कारण हरेक बात को उचित सिद्ध करूंगा। माननीय वित्त मंत्री को उद्योगपतियों से बधाइयां मिल रही हैं। हाउस में पेपर की कटिंग भी बताई थी कि इंडस्ट्री वालों में कान्फीडेंस बढ़ा है, अच्छी बात है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें उद्योगों में लगे लोगों से बधाइयां मिल रही हैं। इसमें सच्चाई कितनी है, यह दिखावा तो नहीं है, इसके अंदर भी जाना जरूरी है। जब यहां इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि दो बुनियादी उद्योग हैं। एक बुनियादी और उपभोक्ता उद्योग है और दूसरा पूंजीगत वस्तु उद्योग है। सर, मैं बेसिक इंडस्ट्रीज के बारे में एक-एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं सहमत हूं कि हमारे देश में बुनियादी उद्योग में सकारात्मक विकास हुआ है, लेकिन बुनियादी उद्योग में सकारात्मक विकास, प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त किये जाने का सशक्त सूचक है। कृपया मेरे वाक्य का अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिए। बुनियादी उद्योग में सकारात्मक विकास हमारे प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का सूचक है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बता सकता हूं। अगर हम सीमेंट बना रहे हैं और उसे बनाने में हमें चारकोल की जरूरत है, तो चारकोल हम जमीन से निकाल लेते हैं, अगर लाइम स्टोन की जरूरत है, तो हम लाइम स्टोन जमीन से निकाल लेते हैं। उसे बढ़ाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हम अपनी प्राकृतिक संपदा को समाप्त कर रहे हैं। यह पाजीटिव तो है, लेकिन इसके साथ-साथ हम अपनी प्राकृतिक सम्पदा विरासत को समाप्त कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। जो हमारे इंडस्ट्रियल गिफ्ट्स हैं, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं हम उनको लुटा रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारे देश में कोलार माइन्स के नाम से सोने की खान विख्यात है, लेकिन उसमें अब सोना नहीं है। भारत में मैगनीज नहीं है। भारत में तांबा नहीं है। हमारे देश में ये खनिज पदार्थ पहले ही समाप्त हो गए हैं। इस प्रकार से हमने अपने सोने को लुटा दिया। सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि यह विकास को बनाए रखने के भी विरुद्ध है। हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे आप के बच्चों के बच्चे यह पूछेंगे कि सोने की खदान कहां है, मैगनीज कहां है, कॉपर कहां है, तो शायद हम बता नहीं पाएं क्यों उस टाइम तक हमारे इंडस्ट्रियल रिसोर्स खत्म हो गए होंगे।

सर, मैं कंज़ूमर इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा कि दिखावटी प्रतिस्पर्धा है। यदि हम सदन के बाहर निकलें तो हमें ऐसे पचासों बोर्ड मिल जाएंगे जिनमें लुभावने नारे लिखे होंगे। दिखावटी प्रतिस्पर्धा है। कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां प्रतिस्पर्धा में लगी हैं। उन विज्ञापनों के बोर्डों में झूठे आश्वासन दिए होंगे। उनके भुलावे में हमारे गरीब लोग आ जाते है। एक सीधा सा या सबसे नीचे पद पर काम करने वाला कोई चपरासी भी यदि उदाहरण के लिए लें, तो वह भी चाहेगा कि मेरे घर में आधुनिक सुख सुविधा की सभी चीजें जैसे टी॰वी॰, फ्रिज इत्यादि हों और वह इन विज्ञापनों के मोह में फंस कर उन चीजों को इंस्टालमेंट पर ले लेता है, लेकिन वह अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर खर्च करना भूल जाता है। इंस्टालमेंट समय पर न देने के कारण मल्टी नैशनल कंपनिया उन चीजों को उसके यहां से उठवा लेती हैं क्योंकि उसने समय पर इंस्टालमेंट नहीं दी। यह संतोषजनक बात नहीं है। इसके लिए, सरकारी स्तर पर जांच और संतुलन बनाए रखना होगा।

तीसरा पूंजीगत वस्तु उद्योग है। पूंजीगत वस्तु उद्योग में विकास सही मायने में विकास का द्योतक है। जो कैपीटल इंडस्ट्री होती हैं, वह स्थायी परिसम्पति है।

उसकी कीमत बढ़ती ही जाती है। समझो कि एक पावर हाउस बन गया। दिन-प्रति-दिन बिजलीघरों की लागत बढ़ रही है। यही विकास वास्तव में राष्ट्र का विकास होगा।

महोदय, मुझे दो बातें और कहनी हैं। हम यहां राष्ट्र निर्माण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मैंने पहले ही यह कहा है कि मैं अपनी प्रत्येक बात को उचित सिद्ध करूंगा। जब हम कैपीटल गुड्स इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तब इकोनौमिक सर्वे के पेज नम्बर 115 पर टेबल नम्बर 7.2 के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसमें क्लीयरकट दिया हुआ है कि पोजीटिव ग्रोथ क्या है और नेगीटिव ग्रोथ क्या है? नैशन बिल्डिंग के लिए जिसमें पोजीटिव ग्रोथ होनी जरूरी है वहां पर नेगीटिव ग्रोथ हुई है। पूंजीगत उद्योग में 4.7 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई है। 1998-99 में 11.3 परसेंट था और 1999-2000 में 6.6 परसेंट है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वक्त नहीं है। जहां पर ग्रोथ होनी चाहिए वहां पर ग्रोथ नहीं हुई। जो कन्ज्यूमर आइटम्स हैं, टिकाऊ नहीं हैं, उसमें हमें ग्रोथ दिख रही है। बजट का जो सबसे मेजर आस्पैक्ट है, वह फिस्किल डेफीसिट है। हम इसका प्राइज बढ़ा रहे हैं, उसका प्राइज बढ़ा रहे हैं, फर्टिलाइजर का प्राइज बढ़ा रहे हैं, क्यों? यह वित्तीय घाटे को समायोजित करने के लिए है। मैं चाहूंगा कि फिस्किल डेफीसिट को कम करने के लिए भी मैं कुछ सुझाव दूं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से दो सवाल करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या फिस्किल डेफीसिट ज्यादा होने से रेट ऑफ ग्रोथ कम होता है? यह मेरा पहला और महत्वपूर्ण सवाल है। अगर फिस्किल डेफीसिट ज्यादा है तो रेट ऑफ ग्रोथ पर कोई इफैक्ट होता है?

मेरा दूसरा सवाल है कि बजट बनाते वक्त कॉमन मैन पर जो हिट हुआ, उसके अलावा क्या कोई और उपाय नहीं था। मैं ऐसा उदाहरण दे सकता हूं। जिसका फिस्किल डेफीसिट बहुत ज्यादा है।

[अनुवाद]

मैं टर्की का उदाहरण दे रहा हूं। सारे विश्व में, टर्की एक ऐसा देश है, जहां वित्तीय घाटा ज्यादा हैं, लेकिन वह विकास दर काफी ज्यादा है. . .*(व्यवधान)* महोदय, केवल दो मिनट में अपने सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

[श्री सुबोध मोहिते]

[हिन्दी]

मेरा पहला सुझाव है। मैं काफी सेंटीमैंटल बात करना चाहता हूं। जहां तक फिस्किल डेफीसिट कम करने की बात है जिसकी वजह से प्राइज हाईक कर रहे हैं, तो मैं अपने से शुरुआत करता हूं कि मैं खुद क्या हूं? मैं गरीबों के लिए क्या कर सकता हूं? फिस्किल डेफीसिट कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआत मंत्रियों के कार्यालय से की जाये। एक माननीय मंत्री के एक ही भवन की नवीकरण पर 1 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। अगर यह रिनोवेशन कर्टेल किया जाये, ब्यटीफिकेशन कर्टेल किया जाये तो मेरे ख्याल से फिस्किल डेफीस्टि का 10 परसेंट हम एचीव कर सकते हैं। आत्मानुशासन के बिना फिस्किल डेफीसिट कम करना जरूरी नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन जब मैं बोलता हूं तो स्पेसीफिक इन्फोर्मेशन के साथ बोलता हूं। मैं किसी मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप पता लगाइये। अभी तक एक मंत्री का रिनोवेशन का कार्य चालू है। उनके एक कमरे का रिनोवेशन कराने में दो करोड़ रुपये लगे हैं। यह सही है कि यह मामला सी बी आई अथवा सी आई डी को नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन आप इस पर गौर कर सकते हैं . . . *(व्यवधान)* मेरा दूसरा सुझाव प्रशासनिक सुधारों में पुनः फेरबदल के बारे में है। मैं रामटेक कांस्टीटूएंसी से आता हूं जहां से श्री पी०वी० नरसिंह राव जी आते थे। 1991 में देश के पंत प्रधान श्री पी०वी० नरसिंह राव जी एक स्कीम लेकर आये थे। वह स्कीम बहुत अच्छी थी। यह प्रशासनिक सुधारों में पुनः फेरबदल से संबंधित है। यह एक अच्छी योजना थी। मैंने इससे पहले भी यह कहा है कि मेरी पार्टी की बातों के बारे में रुचि नहीं है, लेकिन राष्ट्र के विकास के लिए हमें कुछ भी स्वीकार करना चाहिए।

1951 में गवर्नमेंट एम्पलाइज के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कई हाई पावर कमेटीज बनाई गईं, उसके लिए स्ट्रक्चर तो बनाया गया, 1990 से आज 10 साल हो गये, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग अभी तक नहीं हुआ है। वह फ्रैक्चर हो गया, अभी फ्रैक्चर को . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुबोध मोहिते: मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय: डा० रघुवंश प्रसाद सिंह।

श्री सुबोध मोहिते: मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय: नहीं। आप को दो मिनट का समय चाहिए और मैं पहले ही आपको दो मिनट से ज्यादा समय दे चुका हूं। कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं। हमने भाषण बहुत सुने हैं, सर्कूलर्स बहुत देखे हैं, लेकिन जब एनर्जी कंजर्वेशन की हम बात करते हैं तो मैं बिल क्लिंटन का एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। जब सैण्ट्रल हॉल में बिल क्लिंटन आये थे तो उस समय बाहर निकलते टाइम उनके हाथ से कुछ पेपर गिर गये थे। उनके पीछे जो हमारा हिन्दुस्तानी बॉडीगार्ड था, उन्होंने उन्हें उठाने की कोशिश की तो बिल क्लिंटन ने उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि पेपर मैं उठाऊंगा। एनर्जी कंजर्वेशन की जो बात है, यह बिल्कुल बिल क्लिंटन के उदाहरण के समान ही है। कितने लोग रूम से बाहर निकलने के पहले अपना स्विच बन्द करते हैं, कितने लोग टी०वी० बन्द करते हैं, कितने लोग लाइट बन्द करते हैं, कितने लोग फ्रिज बन्द करते हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं। डा० रघुवंश प्रसाद सिंह।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, मैं अन्तिम बात कहूंगा।

सभापति महोदय: मैं पहले ही दूसरे सदस्य का नाम पुकार चुका हूं।

श्री सुबोध मोहिते: मैं केवल अपनी अंतिम बात कहूंगा।

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री के०पी० सिंह देव: महोदय, वह बहुत ही संगत बातें पूछ रहे हैं।

सभापति महोदय: यह मुझे पता है। यह मुझे देखना है, क्योंकि मैं यहां बैठा हुआ हूं।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं? इसके बाद रतन लाल कटारिया जी की स्पीच रिकार्ड पर जायेगी, बाकी कुछ नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं। आपने 25 मिनट का समय ले लिया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह कोई अन्याय नहीं है। मैंने आपको समय दिया। मैंने तीन बार आपको वार्न किया, उसके बाद भी आप बोलते रहे। आप मेरे साथ सदन चलाने में सहयोग कीजिए। मैं तो आपसे सहयोग मांग रहा हूं। मैंने उनको बुला लिया।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः मैंने आपको बुलाया था, लेकिन आप नहीं थे। अब मैंने उनको बुला लिया है। कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री सुबोध मोहितेः आपने मुझे पूरी बात रखने का मौका नहीं दिया, फिर भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): श्रीमन्, मैं भारत के वित्त मंत्री श्रीमन् यशवन्त सिन्हा जी को फाइनेंस बिल प्रस्तुत करने के लिए बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इन्होंने भारत के प्रधान मंत्री श्रीमन् अटल बिहारी वाजपेयी की डायनेमिक लीडरशिप के अर्न्तगत लगातार देश को तीसरा ऐसा बजट दिया, जिस बजट से देश के अन्दर से गरीबी उन्मूलन होगी, बेरोजगारी समाप्त होगी। आज जिस प्रकार से भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया के अन्दर पिछले एक-दो वर्षों के अन्दर बढ़ी है, आप उन स्थितियों का भी आकलन करें कि जब भारत के बारे में दुनिया में यह धारणा बनी थी जब भी भारत का कोई नेता बाहर जाता था, तो अखबारों में भारत के बारे में यही छपता था कि इनको अल्लाह के नाम पर लोन दे दो, ये इंटरनेशनल फकीर आए हैं। आज उसी भारत की छवि श्री अटल बिहारी के नेतृत्व में और यशवंत सिन्हा जी के सुधार कार्यक्रम के चलते, एकदम सुधर गई है। जैसे ही पोकरन के अंदर विस्फोट हुआ, दुनिया के विकसित देशों ने हिन्दुस्तान को अपनी दादागिरी के माध्यम से झुकाना चाहा और यह कहना चाहा कि हम आपके ऊपर सेंक्शंस लगाएंगे, वरना आप अपने कार्यक्रम को बंद कीजिए। लेकिन हमारी सरकार के आह्वान पर जो एन०आर०आई० विदेशों में रहते हैं उन्होंने चार बिलियन अमेरिकन डालर्स हिन्दुस्तान में भेजी, जिससे हमने अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।

आज भुगतान संतुलन की ओर देखें कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप जहां 1991 में हिन्दुतान के खजाने में विदेशी मुद्रा केवल मात्र एक बिलियन अमेरिकन डालर रह गई थी और हमें अपना सोना गिरवी तक रखना पड़ा था, आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भरा पड़ा है। उसके अंदर 35 मिलियन अमेरिकन डालर्स हैं।

जब विपक्ष की ओर से श्री एन०डी० तिवारी ने चर्चा शुरू की तो उन्होंने कहा कि आज देश के ऊपर साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार तो अभी छः-सात महीने से ही बनी है, इतना बड़ा कर्जा देश के ऊपर कैसे हुआ? मैं अपने कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि उनके एक प्रधान मंत्री जी ने मुम्बई अधिवेशन में भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा था कि मैं 100 रुपए देश के विकास के लिए भेजता हूं तो वह रुपए भ्रष्टाचार के रूप में घिसते-घिसते आम जनता तक 15 रुपए ही बनकर पहुंचते हैं। इसी कारण आज देश के अंदर 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। मैं अपनी सरकार को श्रेय देना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए राजनीतिज्ञों ने, नौकरशाहों ने और दलालों ने जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को ऑक्टॉपस के पंजे की तरह जकड़ा हुआ था और हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी हर्षद मेहता आता था, देश की 100 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ करके चला जाता था तथा करोड़ों लोगों को गरीबी की चक्की में पिसने के लिए मजबूर करता था, आज हमारी सरकार ने उन सबके ऊपर अंकुश लगाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए हैं।

मैं आपके यह बताना चाहता हूं, इस सदन के अंदर कुछ दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो वित्त विधेयक आता है, यह कोई यूरोपियन कंट्रीज जैसा नहीं होता। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, आप इंग्लैंड का उदाहरण लीजिए, वहां पर जो वित्त विधेयक आता है, उसमें केवल मात्र इस बात का जिक्र होता है कि रुपया कहां से आया और किस मद के ऊपर खर्च हुआ, इसी में सारा हिसाब-किताब होता है। लेकिन हमारे वित्त मंत्री के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सामाजिक क्षेत्र की है। उन गरीब लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों को आजादी के 52 साल बाद भी आज खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता और रहने को मकान नहीं मिलता। मैं श्री यशवंत सिन्हा जी को बधाई देना चाहता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने हाउसिंग सेक्टर के अंदर क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हाउसिंग सेक्टर के अंदर 25 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा, किस प्रकार से 12 लाख मकान इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए जाएगा, किस प्रकार से गोल्डन जुबली हाउसिंग स्कीम के तहत डेढ़ लाख मकान बनाए जाएंगे और किस प्रकार से हुडको 100 करोड़ रुपए से नौ लाख घरों का निर्माण करेगा।

इसी तरह से को-ऑपरेटिव सैक्टर किस तरह से डेढ़ लाख मकान बनाएगा, जो हाउसिंग की स्कीम आई है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह इतनी व्यवहारिक स्कीम है कि यूरोप के कई देशों के अंदर जब मंदी का दौर आया जो हाउसिंग सैक्टर ही एकमात्र ऐसा सैक्टर था जिसने उन देशों की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने में बहुत मदद की। जब मकान बनेंगे तो इससे हमारी इस्पात तथा स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों को मजदूरी मिलेगी, ब्रिक्स उद्योग पनपेगा जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में, इस बिल के अंदर जिस तरह से सेवा शिक्षा अभियान के अंदर सन् 2003 तक सबको एलीमेंट्री शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया और 75 प्रतिशत लोगों को शिक्षित करने का जो लक्ष्य रखा गया, उसकी हम सराहना करते हैं। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए वहां के लोगों का पढ़ा-लिखा होना बहुत जरूरी है। इस सदन में आज नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत्य सेन जी का जिक्र किया गया। उन्होंने जो थीसिस लिखी, जिसके ऊपर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उसका मेन लक्ष्य यही था कि जिस देश के अंदर ज्यादा लोग अनपढ़ होंगे, वह देश विकास नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने भी शिक्षा के ऊपर जोर दिया था। आज हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर शिक्षा के ऊपर जबर्दस्त जोर देकर इसके अंदर काफी इजाफा किया है। मैं खुद अनुसूचित जाति से संबंधित हूं और उस समाज के अंदर आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाखों बच्चे इसीलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पहनने के लिए वर्दी, कपड़े तक नहीं मिलते। इस बजट में उन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जो राशि डबल की गई है, इसके लिए मैं यशवंत जी को बधाई देना चाहूंगा।

सभापति महोदय: कटारिया जी, आपसे और सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि अपने आप को वित्त विधेयक संशोधन तक सीमित रखें। इससे संबंधित कोई बात कहें। यह बजट की सामान्य चर्चा नहीं है। मै समझता हूं कि इससे अधिक से अधिक माननीय सदस्य बोल सकेंगे और उनका लाभ हम सबको मिल सकेगा, ऐसा हमने आपसे अनुरोध किया है।

श्री रतन लाल कटारिया: अभी तो मेरा तवा ही गर्म हुआ है। अभी इसमें बहुत समय लगेगा।

सभापति महोदय: आपका समय भी हो रहा है।

श्री रतन लाल कटारिया: मैं वित्त मंत्री जी को इसके लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि जहां बड़े-बड़े कृषि फॉर्म सैक्टर को भी इंकम टैक्स की परिधि में लाया गया, वहां इस तरह से कॉमर्शियल यूज हो रहा था, उससे भी हमें लाभ मिलेगा। इसी तरह से जो हैल्थ सर्विसेज का क्षेत्र है, उसके लिए भी राशि बढ़ाई गई है। सबसे ज्यादा जो प्रधान मंत्री जी की ग्रामोदय योजना है, जिसके अंदर 5000 रुपया मूलभूत पांच बुनियादी क्षेत्रों पर खर्च किया जाएगा, जैसे रोड्स हैं, गांव के अंदर हैल्थ की स्कीम्स, एजुकेशन स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के लागू होने से हमारे देश के अंदर बहुत से लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठेंगे। उन लोगों का जीवन स्तर, क्योंकि जिस-व्यक्ति की सेहत ठीक होगी, वह व्यक्ति काम करने के लायक बनेगा, पढ़ा-लिखा बनेगा जिससे वह देश के लिए एसैट साबित होगा। इसलिए ये सारी योजनायें अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होंगी तो उसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। आज एक तरफ हमारी सरकार सड़क निर्माण पर जोर दे रही है। मैं पिछले चुनाव के दौरान घटी घटना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने पिछले चुनाव प्रचार के दौरान लालू-रावड़ी जी के राज में जो सुना, वह मैं इस सदन को बताना चाहता हूं।* . . . जब किसी गांव में गए, तो वहां के लोगों ने कहा—माई बाप, आजादी के बाद आज तक गांव में सड़क नहीं मिली है। गांव में सड़क बनावा दीजिए। इस पर . . .* ने कहा—सड़क तो मैं सवेरे ही बनवा दूं, लेकिन सड़क बनेगी, तो आप लोगों का धन्धा कैसे चलेगा। अफीम कैसे बेच पाओगे और कत्ल करके अभी तो झुग्गी में घुस जाते हो, सड़क बन गई, तो पुलिस सड़क से अन्दर आ जाएगी और तुम लोगों को पकड़ कर ले जाएगी। इससे तुम्हारा धन्धा चौपट हो जाएगा। इस पर गांव के लोगों ने कहा—नहीं, माई-बाप हमें सड़क नहीं चाहिए। इस प्रकार गांव के लोगों को बरगला कर वोट लेने वाले नेता हमारे देश के अन्दर हैं, जो इस देश को विकास के बजाए विनाश की ओर ले जा रहे है। . . . *(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): लगता है, इनको सिखा दिया गया है। आप गरीब की बात बोलिए।

सभापति महोदय: कटारिया जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रतन लाल कटारिया: महोदय, इस बजट में राज्यों की बिजली की समस्या को सुधारने के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। किसी प्रदेश के विकास के लिए बिजली अतिआवश्यक है। केन्द्र ने खुले दिल से इस मद के अन्दर राशि रखी है। इसके लिए हम वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं हमारे विरोधी इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार पब्लिक अन्डरटेकिंग्स को बेचने जा रही है। यह एक घिनौना प्रचार किया जा रहा है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पीएसयू की मद राशि को बढ़ाया गया है और अपनी वीजन स्पष्ट रखा हुआ है। ऐसी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स जो खुद अपने पांव पर खड़े होकर देश की मदद करेंगी, हम उनको और शक्ति देंगे, लेकिन जो बिल्कुल बैठ गई हैं, जो किसी भी कीमत पर खड़े होने के लायक नहीं हैं, केवल उनके बारे में ही ऐसा विचार किया गया है। इसके साथ ही जो भी कर्मचारी निकलेंगे, उनके लिए रोजगार की गारन्टी भी रखी गई है। इसके लिए मैं सरकार की सराहना करना चाहूंगा।

सभापति महोदय: आप वित्त विधेयक पर अपनी बात कहें। बजट पर तो काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री रतन लाल कटारिया: महोदय, अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र अम्बाला है, जो एक आरक्षित क्षेत्र है। उस क्षेत्र में जनता की मूलभूत समस्यायें हैं, वे जैसी की तैसी बनी हुई हैं। मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि इस बजट में मेरे चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान करें। उस क्षेत्र में मैटल उद्योग हैं, साइंस से संबंधित उद्योग हैं तथा और जो दूसरे उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहन मिल सके।

इन शब्दों के साथ, मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री जी तथा उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, वित्त विधेयक पर जो बहस हो रही है, मैं देख रहा हूं कि उधर से कोई होशियार आदमी नहीं मिला, इसलिए सीधे माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े कर दिए। अपने भाषण में सब ने वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई दी। सुबोध जी ठीक बोल रहे थे कि यह प्रो-पुअर बजट नहीं, प्रो-पावर्टी बजट है, एक-आध माननीय सदस्य उधर से ठीक भी बोलते हैं, जैसे शिवसेना के सदस्य हैं।

महोदय, वित्त विधेयक का बड़ा भारी महत्व होता है, लेकिन निराशा का विधेयक लाए हैं, इससे देश के गरीबों को कुछ लाभ नहीं होगा, पूंजीपतियों को लाभ होगा। इसमें एक भी प्वाइंट गरीबों के लिए नहीं है। तिवारी जी बता रहे थे, उन्होंने अलग-अलग हिसाब से बताया कि देश की क्या हालत है। उन्होंने कहा कि देश पर आठ लाख करोड़ का कर्जा है, उसका सूद देने के लिए और कर्जा लेना पड़ता है। फिर ब्लैक मनी भी आठ लाख करोड़ है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ब्लैक को खत्म करने के लिए आपने कोई भी कार्यवाही की है, इसमें इसका कोई भी जिक्र नहीं है। ये काले धन वालों के सपोर्टर हैं। हिन्दुस्तान में जब तक काले धन पर नियंत्रण नहीं होगा, समाप्ति नहीं होगी तब तक हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट रहेगी और उसमें सुधार नहीं हो सकता। . . . *(व्यवधान)*

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): लालू जी के पास ब्लैक मनी है, इसलिए तो वह जेल में हैं। . . . *(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : . . .* हर पार्टी को जेल में रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, जिस पर हवाला के घोटाले का केस था. उन्हें जेल में रहना चाहिए, यह मेरा सवाल है। . . . *(व्यवधान)* हमने कोर्ट में बयान दिया। . . . *(व्यवधान)* डिसप्रापोर्शनेट असेट्स के अंदर मामला क्या नहीं चला। हमला केस में सीबीआई का केस चला। . . . *(व्यवधान)* यह सरकार काले धन वालों की है, यह मैं साबित करना चाहता हूं। आडवाणी जी और यशवंत सिन्हा, जो हवाला केस के चार्जशीटेड एक्यूजड थे, उन पर डिसप्रोपोर्शनेट असेट्स का केस क्यों नहीं चला। . . . *(व्यवधान)* इसीलिए इस बेइमानी और डबल स्टैंडर्ड वाली सरकार से देश का भला नहीं होने वाला है, यही मैं कहना चाहता हूं। . . . *(व्यवधान)* जिसका मंत्री चार्जशीटेड एक्यूजड था, उस पर डीए का केस क्यों नहीं चला—लालू यादव पर डीए का केस चलेगा। . . *(व्यवधान)*

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: उन्हें तो दोनों कोर्टों ने बरी कर दिया। *(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उन दोनों मंत्रियों पर भी केस चले थे। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, आप तो बड़ा अच्छा वित्त विधेयक पर बोल रहे थे, आप कहां उलझ गए। आप अपने वित्त विधेयक पर ही बोलिए। . *(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, बीच में जो उपद्रव खड़ा करते हैं, उन्हें रोका जाए।

सभापति महोदय: मैं उन्हें रोक रहा हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ये अपने मंत्री को फायदा करवाते हैं।* स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी है, कोई माई का लाल है तो जांच करवा ले।* सांच को आंच क्या, आप जांच करवा लें।*. *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, ऐसे प्रश्न खड़े मत कीजिए जिनसे तनाव पैदा हो।

डा० मदन प्रसाद जायसवाल: सभापति जी, ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दीजिए, ऐसे शब्द एक्सपंज होने चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): आरोप संबंधी शब्द निकलवा दीजिएगा।

सभापति महोदय: ऐसे शब्द जो अपमानजनक हैं और जितने आरोप हैं उन्हें निकाल दिया जाये।

प्रो. रासा सिंह रावत: माननीय सभापति महोदय, ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): यह सिद्ध हो चुका है कि इसका देश में सर्वोच्च कार्यालय सांख्यवाहिनी घोटाले में संलिप्त है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

प्रो. रघुवंश प्रसाद सिंह: कौनसी कार्यवाही से निकलवाइयेगा, दुनिया जान गयी, हवा में बात चली गयी।

प्रो. रासा सिंह रावत: शंखवाहिनी को समझिये।

प्रो. रघुवंश प्रसाद सिंह: शंखवाहिनी में घोटाला जारी रहे, यही आप चाहते हैं।

श्री अनिल बसु: जिस कंपनी का जन्म ही नहीं हुआ. *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. मास्टर मथान (नीलगिरि): इस सभा में इस पर चर्चा की गई थी . . . *(व्यवधान)* यह घोटाला कैसे हो सकता है? आपको इस प्रकार आरोप नहीं लगाने चाहिएं. . *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: आपने इस विषय पर चर्चा शुरू की है . . .*(व्यवधान)*

श्री एम. मास्टर मथान: यह कहना सही नहीं है कि यह घोटाला है . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रघुवंश प्रसाद सिंह: उधर से लालू यादव जी का नाम लिया। . . . *(व्यवधान)* ब्लैक-मार्किट करने वाले और कालाधन रखने वालों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। अगर कार्यवाई नहीं करते हो तो मैं मानूंगा कि आप भी कालेधन के सपोर्टर लोग हैं, उनके साथ आपकी भी सांठगांठ है। गरीब जो कर्जा लेता है उसकी गर्दन में ये गमछा लगवाते हैं, किसान दौड़ता है कि कोओपरेटिव का लोन बाकी है, बैंक का लोन बाकी है। किसान की चौखट उखाड़ लेते हैं, उसकी तबाही होती है लेकिन 58 हजार करोड़ रुपया नॉन पर्फोर्मिंग एसेट्स का है, डूबा रुपया है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसमें से 30 हजार करोड़ सीआईआई के जो लोग हैं, जो कि वित्त मंत्री के घनिष्ठ हैं, उन पर है। उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, आप बताइये। सीआईआई के सदस्य लोग 30 हजार करोड़ रुपये का कर्जा रखे हैं, बैंक का कर्जा डुबा कर उन्होंने रखा है, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई है?

मिट्टी का तेल जो गरीब इस्तेमाल करता है उसके दाम दुगुने कर दिये हैं। डीजल किसान इस्तेमाल करता है, उसके दाम बढ़ाए हैं। सोल्वेंट, नैफ्था और एमटीओ पर दाम क्यों नहीं बढ़ाए हैं। इन तीनों पर दाम क्यों नहीं बढ़ाए हैं? आप आयॅल-पूल का घाटा सुधार रहे हैं। सभापति महोदय, आप गांव में जाइये जो मिट्टी का तेल गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। गांव की बुढ़िया और उसकी बच्ची एक लीटर, आधा लीटर कैरोसिन का तेल लेकर जाती है उसके दाम दुगुने कर दिये। क्या इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक चीज के दाम दुगुने कर दिये हों। जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है उस पर क्यों दाम नहीं बढ़ाया क्योंकि वह अमीर आदमी इस्तेमाल करता है।

[प्रो. रघुवंश प्रसाद सिंह]

उसे गरीब आदमी इस्तेमाल नहीं करता। नैफ्था के दाम क्यों नहीं बढ़ाए? जिन चीजों को आम आदमी इस्तेमाल नहीं करते, आप उनके दाम बढ़ाइए। उससे 40 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। उसे ये लोग छूने वाले नहीं हैं।

मेरा सवाल नम्बर चार यह है कि ये लोग कहते हैं कि 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपए फिजिकल डेफिसिट हैं और इसे पूरा करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। आपने इसे पूरा करने के लिए क्या उपाय किया? इसे पूरा करने के लिए मिट्टी के तेल के दाम बढ़ा दिए, गरीब आदमी जो अनाज इस्तेमाल करता है, आपने उसके दाम बढ़ा दिए, ढ़ाई रुपए किलो जिसके दाम फिक्स किए गए थे, लेकिन उसके दाम बढ़ा कर साढ़े चार रुपए किलो कर दिए। आप इसके दाम 10-12 आने बढ़ा सकते थे। एम.एस.पी. के बढ़ने से सैंट्रल इशू प्राइस भी बढ़ते हैं। कहा गया कि पूर्व की सरकार ने जो योजना शुरू की। हम उसी के फार्मूले को मान रहे हैं। आप देश के साथ क्यों बेईमानी कर रहे हैं? 9 रुपया इकोनोमिक कॉस्ट तय की गई - क्या इसे भगवान ने तय किया, या आयोग ने तय किया? अभी आप दिल्ली, पटना और लखनऊ में जाएं, वहां 7-8 रुपए किलो गेहूं के भाव हैं, गांव में गेहूं के छः रुपए भाव हैं लेकिन इकोनामिक कास्ट 9 रुपए किलो तय की। हमने इकोनोमिक कास्ट 90 फीसदी पैसा सैंट्रेल इशू प्राइस से ए.पी.एल. के लिए था। आपने इकोनोमिक कॉस्ट बढा कर दाम तय किए? इसकी पांच रुपए अस्सी पैसे खरीद है तो इकोनोमिक कॉस्ट तीन रुपए 20 पैसे प्रति किलो कैसे जोड़ दी जाएगी? पांच रुपए अस्सी पैसे खरीद है और नौ रुपए इकोनोमिक कास्ट है तो तीन रुपए बीस पैसे कहां से आए और उसमें इतनी इकोनोमिक कॉस्ट कैसे जोड़ दी? ऐसा इसलिए किया कि वह बोलने में अच्छा लगे कि इकोनोमिक कॉस्ट का आधा कर दिया। 34-35 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। आपने गरीब को सम्पूर्ण बजट में क्या दिया है? अनाज जो आधे दाम मिलता था, उसके दाम ढ़ाई रुपये से साढ़े चार रुपए कर दिए। कहा गया कि फिजिकल डेफिसिट में सुधार कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रयोग में आने वाली चीजें, जैसे मिट्टी का तेल और अनाज के दाम बढ़ा कर दुगने कर दिए। आपने बड़े आदमी पर कहां टैक्स लगाया, यह मैं जानना चाहता हूं?

अभी किरीट सोमैया जी अपने भाषण में इनफर्मेशन टैक्नॉलोजी की बात कर रहे थे। सरकार ने दावा किया कि 10 वर्षों में देश में अनाज का उत्पादन दुगना हो जाएगा। इसके लिए एक वर्ष में 10 परसैंट उत्पादन बढ़ना चाहिए लेकिन अनाज का सीधे 40 लाख टन उत्पादन घट गया, 10 परसैंट बढ़ाने की बजाय 40 लाख टन अनाज घट गया। इससे फूड सिक्योरिटी का प्रश्न देश में उठेगा। यहां कहा गया कि किसान को खाद पर मिलने वाली सबसिडी को कम करने से देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। सबसिडी की फिलॉसफी क्या है? आरक्षण की फिलॉसफी क्या है? संविधान में आरक्षण देने की बात की गई। किस कारण हम आरक्षण दे रहे हैं। हजारों वर्षों से गरीबों का शोषण हुआ। वे मानसिक गरीबी से पीड़ित हो गए, उन्हें अछूत और छोटा कहा गया, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। लगभग 34 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। छः हजार से कम आमदनी वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।

जिनकी आमदनी पैंसठ सौ रुपए से ऊपर है, वे ए.पी.एल. में आते है - उन्हें अनाज नहीं मिलना चाहिये लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि 9 रुपये किलो अनाज कौन लेगा? 1991 की जनगणना के अनुसार 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं जबकि अभी 8 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज 6 करोड़ को सुविधा दी जा रही है, दो करोड़ उससे वंचित हैं। हम लोग गांव में जाते हैं और मेरे साथी माननीय सदस्य भी गांव जाते होंगे। कई लोगों का नाम गरीबी रेखा से नीचे का नहीं लिखा है। गांव का गरीब आदमी उनको बताता होगा कि उसका नाम क्यों नहीं है। आई.आर.डी.पी. में गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिये तय किया गया लेकिन उनका नाम सूची में नहीं है। उनका नाम दर्ज होना चाहिये। पिछले दस वर्षों में जो गरीब हुये हैं या जो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर हैं, उसकी संख्या कम नहीं है। लेकिन उनको ए.पी.एल. मान लेते हैं।

सभापति महोदय, आज 52 करोड़ रुपया बड़े लोगों पर इनकम टैक्स का बकाया है, उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है। इस सरकार को और कुछ नहीं मिलता तो गरीब लोगों के मिट्टी के तेल पर, अनाज पर दुगना बढ़ा दिया। किसान जो उत्पादन करता है, उसकी सबसिडी घटा दी और सरकार के सहयोगी दल अजीब ढंग से बोल रहे हैं। इसको नहीं सुनेंगे। यह कितनी बड़ी तानाशाही है? ये लोग प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं और वे कहते हैं कि आप इस बिल का समर्थन कर दो और वित्त मंत्री का धन्यवाद करिये।

सभापति महोदय, मैंने जो 6-7 सवाल उठाये हैं, वित्त मंत्री उसका ठीक जवाब दें अथवा मैं समझूंगा कि ये पूंजीपतियों के पक्षधर हैं और इनके राज में पूंजीपतियों के पौ बारह हैं जबकि गरीब लोग मूल्य वृद्धि से तबाह हो रहे हैं। अभी श्री तिवारी जी ने एक सवाल उठाया था कि आज की सरकार का क्या काम है। जो आदमी बेघर हैं, रोटी, कपड़ा नहीं है, उसके प्रबंध के लिये संविधान में कहा गया है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है और यहां का गरीब पिछले 40 सालों से विभिन्न टोलों में बंटा हुआ है। वह देहात से शहर में काम के लिये आता है तो 10-12 रुपये जी रोजाना मिल पाता है। उसका शोषण अलग से होता है। वह पेट काट कर जहां झुग्गी झोंपड़ी बना लेता है तो उस पर बुलडौजर चला कर हटाया जा रहा है। सरकार उत्तर प्रदेश और अगल-बगल के बुलडोजर जुटा कर उनके घरों को ढ़हाने का काम कर रही है, यही सरकार की नीति है। इस सरकार के दिल में जरा भी मनुष्यता नहीं है। हो सकता है कि कोई बड़ी योजना होने वाली हो। मैं नहीं कहता कि योजना बंद कर दी जाये लेकिन गरीब आदमी के लिये किसी विकल्प का प्रबंध करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिये उसे पहले खाली करने के लिये नोटिस जाये, ऐसा नहीं कि वह खाली न करे तो बुलडोजर से हटा दो। दिल्ली में इस प्रकार की नादिरशाही चल रही है और गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी को लात मार दी, जिन्होंने प्रधानमंत्री की गद्दी को लात मार दी और आज वे बीमारी की हालत में गरीबों की हालत देखने के लिये झुग्गियों और अस्पताल में जाते हैं।

सांय 7.00 बजे

इसलिए सरकार को गरीब आदमियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए उसके बाद घर ढ़हाने चाहिए। बिना इसके घर ढ़हाने वाला काम उचित नहीं है। गरीबों के आंसू निष्फल नहीं जाते। यदि गरीबों के साथ नाइंसाफी होगी, गरीबों के घर पर बुलडौजर चलाओगे तो इस सरकार पर भी जनता का बुलडौजर चलेगा और सरकार नहीं टिकेगी, सरकार भी धराशायी होगी। मैं अंतिम पंक्तियां कहना चाहता हूं जो गोपाल सिंह नेपाली ने कही हैं :

जब चंद्र किरण से महलों की दीवार चमकती रहती है,
चांदनी झोंपड़ी-झुग्गी से लिपट, भर रात सिसकती रहती है।

इसी के साथ मैं सरकार को सावधान करता हूं कि वह गरीबों से खिलवाड़ न करें, गरीबों को छूने का काम न करे, नहीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। जो गरीबों से आज तक टकराया है, चूर-चूर हो गया है। इन शब्दों के साथ मैं इस वित्त विधेयक का घोर विरोध करता हूं, चूंकि यह गरीबों का दुश्मन विधेयक है और पूंजीपतियों का पौबारह वाला विधेयक है। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, पूर्ववर्ती वक्ता सभापतियों के पैनेल में हैं और इसलिए वे हमारे आदर्श वक्ता हैं। स्वभावत:, मैं उनका अनुसरण करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप घंटी न बजाएं। मेरे पास उनकी तरह जोर से बोलने की ताकत नहीं है . . . *(व्यवधान)*

महोदय, आज हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे बजट का आखिरी चरण है। यह एक औपचारिकता और आनुष्ठानिक है। मैं कहता हूं कि यह आनुष्ठानिक है क्योंकि यह सभा के समक्ष रखा जाएगा और पास कर दिया जाएगा। हमारा देश एक बहुत ही कठिन और खतरनाक वित्तीय संकट से गुजर रहा है। हमें उसे स्वीकार करना है और ऐसा रातों रात या एक दिन में हमारे ऊपर नहीं हुआ है। मैं आपसे कहूंगा कि वर्तमान वित्त मंत्री को एक बहुत ही कठिन कार्य से निपटना है। केन्द्र सरकार, जहां तक राजकोषीय प्रबन्धन का सम्बन्ध है, अब राज्यों के लिए आदर्श नहीं रही है। वर्तमान वित्त मंत्री और सरकार को यह स्थिति पिछली सरकारों से विरासत में मिली है। 1979-80 तक, जहां तक राजस्व बजट का संबंध है, सब कुछ ठीक-ठाक था। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी की वापसी के बाद यह राजस्व घाटा केन्द्रीय बजट में शामिल कर दिया गया। यह तथ्यों और आंकड़ों का मामला है। उस अवधि के पूर्व राजस्व खाते में बिल्कुल कोई घाटा नहीं था। वास्तव में 1971-72 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान, राजस्व खाते में 100 करोड़ रु० का घाटा था। तब से, यह राजस्व घाटा बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपको इस संबंध में आंकड़े दूंगा।

सांय 7.05 बजे

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए***]**

1980-81 से राजस्व घाटा केन्द्र सरकार के राजस्व बजट में मिला दिया गया। यह 1655.04 करोड़ रुपए था। बीस वर्ष की अवधि के दौरान, राजस्व घाटा बढ़कर 82,310 करोड़ रु० हो गया है जैसा कि 2000-2001 के बजट में अनुमान लगाया गया है। राजस्व घाटा पचास गुना बढ़ गया है। इस अवधि के दौरान, 1980-81 से 2000-2001 तक, राजस्व प्राप्ति केवल पन्द्रह गुना बढ़ी है अर्थात् 12,828 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,98,788 करोड़ रुपए। यह आंकड़ा है।

जहां तक ऋण का सम्बन्ध है—मैं विशेष रूप से आन्तरिक ऋण की बात कर रहा हूं—आन्तरिक ऋण में तीस गुना वृद्धि हुई है। मैं बाहरी ऋण की बात तक नहीं कर रहा हूं जो अभी भी काफी अधिक है। यह 2,848.50 करोड़ रुपए से बढ़कर 81,268 करोड़ रुपए हो गया है। इसलिए यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार को पिछली सरकारों से और विशेष रूप से कांग्रेस सरकार से विरासत में मिला है. . *(व्यवधान)*

मैं आपको यह बता दूं कि यह रोग न केवल पुराना बल्कि कैंसर जैसा हो गया है। इसने हमारी राजनीतिक व्यवस्था के राजकोषीय तानेबाने, केन्द्र सरकार के प्रशासन को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए, इसका उपचार आवश्यक है। इस पुरानी और कैंसर जैसी बीमारी के उपचार के लिए कुछ सुदृढ़ कार्यवाहियों की आवश्यकता है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। क्या वर्तमान वित्त मंत्री, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार सुदृढ़ कार्यवाही कर सकते हैं? जो कुछ कार्यवाही वे करेंगे, विपक्ष की ओर से स्वभावत: विरोध भी किया जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। . . *(व्यवधान)*। इसकी आलोचना होगी। इसके अच्छे और बुरे पहलु और सब कुछ हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप बजट को जैसा समझें वैसा कह सकते हैं। आप कह सकते हैं इसमें योजना-व्यय है, गैर-योजना व्यय है, विकास व्यय और गैर-विकास व्यय भी है। इसलिए, मैं इन वाद-विवादों में नहीं पड़ता। मैं आपसे केवल यह कहता हूं कि केन्द्र सरकार ने जो व्यय किया है, वह लाभ से संबंधित है। हम इसे घाटे से संबंधित बजट कह सकते हैं और कुछ नहीं। यह 10 प्रतिशत या उसके आसपास प्रतिवर्ष बढ़ता है और तब बजट के साथ मिल जाता है। मेरा कहना यह है कि यदि आप इस पुराने रोग और बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो लाभ के बजट के बजाए - यह हम में से कईयों के लिए अरुचिकर हो सकता है - यह घाटे का बजट होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष रक्षा विभाग को छोड़कर व्यय में 2 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की कटौती होनी चाहिए जब तक कि राजकोषीय प्रबन्धन की स्थिति ठीक न हो जाए। यदि व्यय में कमी नहीं की गई, तो मैं आपसे कहता हूं, यह बीमारी देश को खत्म कर देगी। इसलिए, मैं आपसे कहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था और राजकोषीय प्रबन्धन को बचाने के लिए लाभकारक बजट के बजाए हमें घाटे का बजट अपनाना होगा।

राज-सहायता को देखें। निस्सन्देह, इस वर्ष राज-सहायता 24,100 करोड़ रुपए हो गई है। बजट में विभिन्न प्रकार की राज-सहायता हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इस सरकार को राज-सहायता के क्षेत्रों की बढ़िया सामान और सेवाओं तथा घटिया सामान और सेवाओं पर राज-सहायता के क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। सरकार को इसे समाप्त करने, घटिया सामान और सेवाओं पर राज-सहायता समाप्त करने

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

के लिए एक सुदृढ़ रवैया अपनाना चाहिए और राज्यों द्वारा अनुसरण किए जाने हेतु एक आदर्श और एक उदाहरण बनना चाहिए। जब तक आप उसे नहीं रोकते, जब तक आप उन क्षेत्रों की पहचान नहीं करते, जब तक आप घटिया सामान और सेवाओं पर राज-सहायता को समाप्त करने के लिए सुदृढ़ कदम नहीं उठाते, तब तक रोग भी ठीक नहीं होगा।

ब्याज के भुगतान में चौंकाने वृद्धि हुई है। इस वर्ष हमें 1,01,000 लाख रुपए तक का ब्याज भुगतान करना है। सरकार इस समस्या का कैसे समाधान करेगी? इसका समाधान केवल तभी हो सकता है यदि ऋण का 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष घटाया जाए या ऋण को पूर्ववर्ती वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिया जाए . . . *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): ब्याज भुगतान कम हो जाएगा। सरकार ब्याज खत्म नहीं कर सकती, और सरकार को इसका भुगतान करना होगा। लेकिन सरकार को इस संबंध में सुदृढ़ रवैया अपनाना है। यदि सरकार इन सभी चीजों का अनुसरण नहीं करती, तो मैं कहता हूं कि समस्या का समाधान नहीं होगा। निस्संदेह, मैं आपसे सहमत होऊंगा, महोदय, जहां तक कालाधन का सम्बन्ध है, आपको उसका पता लगाना होगा। जहां तक धनी लोगों का सम्बन्ध है, वे कर अदा नहीं कर रहे हैं; वे करों की अदायगी नहीं कर रहे हैं। उनसे मजबूती से निपटना चाहिए। सरकार को ये कदम भी अपनाने होंगे।

संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि संसद को ऋणों को सीमित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। यह अभी तक नहीं किया गया है। प्रो० मधु दंडवते ने पहली उद्घोषणा की, पहला प्रयास किया। मैंने उस दिन आगंतुक दीर्घा से यह सुना. . . *(व्यवधान)*। जब तक आप वह कानून नहीं पारित करते, आप ऋणों को सीमित नहीं रख सकते। किसी सरकार ने, चाहे वह केन्द्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों, किसी ने ऐसा नहीं किया है। केन्द्रीय सरकार से स्वतंत्र रहकर, राज्य सरकारें अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत भी यह उपाय कर सकती थीं। किसी सरकार ने ऐसा करने का साहस नहीं किया है। जब तक आप ऋणों को सीमित नहीं रखते, यह बीमारी भी ठीक नहीं होगी। ये कदम हैं जिन्हें आपको उठाना है। इन सभी कदमों को उठाते समय, आप गरीब लोगों को नहीं भूल सकते, आप आम आदमी को नहीं भूल सकते, आप वंचित लोगों को नहीं भूल सकते और आप पूरी तरह से उपेक्षित, वंचित और जानबूझकर उपेक्षित क्षेत्रों को नहीं भूल सकते। नीति बनाते समय इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखना होगा।

केन्द्र सरकार की राजकोषीय नीति पर चर्चा करने के बाद अब मैं अपने राज्य के विषय पर आता हूं जो महाचक्रवात से पूरी तरह बर्बाद हो गया है। जहां तक राहत कार्यों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ किया है; केन्द्र सरकार ने भी बहुत कुछ किया है।

उन्होंने उड़ीसा के प्रभावित लोगों को बचाया है। इसलिए, हम इस सम्मानीय सभा के प्रति कृतज्ञ हैं क्योंकि उन्होंने हमारे राज्य में प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए बहुत अंशदान भी किया है। इसके बाद, हम केन्द्र सरकार के प्रति भी उनके द्वारा दी गई हर प्रकार की सहायता के लिए आभारी हैं। लेकिन जहां तक पुनर्निर्माण और पुनर्वास का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहूंगा कि उसके लिए अब तक बहुत ही कम कार्य किया गया है।

महोदय, उड़ीसा राज्य में, 19 लाख परिवारों ने महाचक्रवात के कारण अपने मकान खो दिए हैं। आप उनके लिए सभी मकानों को दुबारा नहीं बना सकते। लेकिन आपको उन्हें आर.सी.सी. छत के साथ 10 फीट x 10 फीट या 12 फीट x 12 फीट के मूल मकान देने होंगे ताकि वे सुरक्षित महसूस करें। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि पूरे देश में 25 लाख मकान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 12 लाख मकान बनाए जाएंगे और हुडको तथा अन्य एजेंसियों से ऋणों द्वारा 13 लाख मकान बनाए जाएंगे। कल, शहरी विकास मंत्री ने बताया कि हुडको द्वारा देश भर में 10 लाख मकान बनाए जाएंगे। केन्द्रीय बजट में मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है।

मैं सरकार को इस सम्माननीय सभा के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि उड़ीसा में इस वर्ष—एक वर्ष में—19 लाख मकान नहीं बनाए जा सकते। उन्हें एक चरणबद्ध तरीके से बनाया जाना चाहिए। सरकार इस वर्ष 8 लाख मकान, अगले वर्ष 6 लाख मकान और उससे अगले वर्ष अन्य 5 लाख मकान बना सकती है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि उड़ीसा राज्य में इसी वर्ष 19 लाख मकान बनाना क्यों असंभव है। आपको सीमेंट और इस्पात मिल सकता है, लेकिन आपको जरूरी संख्या में ईंटें और राजमिस्त्री नहीं मिल सकते। मैं इस संबंध में व्यावहारिक कठिनाइयों को स्पष्ट कर रहा हूं। मैं यहां राजनीति में नहीं पड़ रहा हूं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस वर्ष 8 लाख मकान बनाए जाएं जिनमें से 5 लाख मकान इंदिरा आवास योजना और 3 लाख मकान हुडको और अन्य एजेंसियों के जरिए बनाए जा सकते हैं। इस संबंध में, मैं इस सम्माननीय सभा .के माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी अपने-अपने राज्यों के हिस्से का योगदान इस उद्देश्य के लिए करना चाहिए। उड़ीसा के प्रभावित लोगों की मदद के लिए इस सम्मानीय सभा से मेरा यह अनुरोध है।

इसके अलावा 2000 स्कूलों, प्राथमिक के साथ-साथ माध्यमिक, दोनों के बारे में जो महाचक्रवात के दौरान पूरी तरह धराशाही हो गए हैं, उनके फिर से निर्माण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदान से, प्रधानमंत्री राहत कोष और अन्य राहत कोषों से भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सभी 20,000 स्कूलों का जुलाई के महीने से पहले सुनिश्चित तौर पर पुनर्निर्माण होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते, तो आप एक क्षेत्र के प्रति न्याय नहीं करेंगे जो महाचक्रवात के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है।

महोदय, मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि जहां तक पुनर्निर्माण का सम्बन्ध है, अब तक बहुत ही कम कार्य किया गया है। अब, महाचक्रवात के बाद छह महीने बीत गए हैं, अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। जहां तक बागानों का सम्बन्ध है, तट से तीन किलामीटर तक सारे मैनग्रोव व लवणीय वन पूरी तरह जड़ से उखड़ गए हैं, लाखों नारियल के पेड़ और अन्य पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं।

उन्हें फिर से लगाना होगा। अत: मेरा यह सुझाव है कि सेकेंडरी स्कूल और कालेज के छात्रों को इस कार्य पर लगाया जाना चाहिये।

केन्द्र सरकार को वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु खुले दिल से आगे आना चाहिये। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ईमानदारी और वचनबद्धता के साथ चक्रवात-प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुन: स्थापना का कार्य आरम्भ करे।

अंत में, जब तक केन्द्र सरकार वित्तीय अड़चनें दूर करने के लिये कठोर उपाय नहीं करती तब तक वित्तीय प्रशासन में सुधार नहीं किया जा सकता। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, मुझे वित्त विधेयक, 2000 पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सरकार इस विधेयक को प्रस्तुत कर अपना संवैधानिक दायित्व निभा रही है। यह एक अनिवार्य संवैधानिक कार्य है। इस वित्त विधेयक का संबंध आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम आदि में संशोधन से है। इसमें गरीबों की मांगें पूरी नहीं की गई हैं। इसमें अमीर वर्ग की मांगें पूरी की गई हैं। हालांकि ''मैग्ना कार्टा'' में कहा गया है कि कानून के द्वारा ही कर लगाया जायेगा। किन्तु संसद को भी कर लगाना होता है और उसका संग्रहण करना होता है और कर विनियोजन के समय उन्हें राजा की—हमारे राष्ट्रपति के समरूप—अनुमति लेनी होती है। राष्ट्रपति ने इन संशोधनों को विचार करने हेतु प्रस्तुत किया है। हम राष्ट्रपति की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं। संवैधानिक रूप से यह सही है फिर भी संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार मैं अपने विचार व्यक्त करने को बाध्य हूं। जैसा कि मेरे सहयोगियों ने कहा है केन्द्र में किसी भी सरकार ने काला धन समाप्त नहीं किया। जब आप विपक्ष में थे, उस समय आप कहते थे कि काला धन है। परन्तु जब आप सत्ता में आये तो काले धन को समाप्त नहीं कर पाये। एक समय, कालेज में अर्थशास्त्र के बहुत कम अध्ययन के साथ मैंने सोचा ''भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्र सरकार के साथ परामर्श से पांच वर्षों के लिये करेंसी नोट छापना बंद क्यों नहीं कर देता?'' भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित करेंसी नोट परिचालन में होते हैं और अमीर लोग इनको एकत्र कर लेते हैं ये बोरियों में भरे होते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार के साथ परामर्श से करेंसी नोट छापना बंद कर दे, तो मेरे विचार में बोरियों में भरे ये नोट बाहर आ जायेंगे। आप कानून के द्वारा काले धन को समाप्त नहीं कर सकते। गत 40 वर्षों के दौरान अनेक कानून पारित किए गये हैं, किन्तु कोई भी सरकार जमाखोरों और काला बाजारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। एक समय, जब श्री पी० शिव शंकर यहां विधि मंत्री थे, जब उन्होंने हैदराबाद में बार काउंसिल के एक सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किये थे कि. . .(सभापति के आदेश से कार्यवाही वृत्तांत से निकाला गया) नि:संदेह, उन्होंने ऐसा कहा था और उन पर अवमानना का आरोप लगाया गया था। किन्तु, उसे बाद में वापस ले लिया गया था। यह लगभग 15 वर्ष पहले की बात है। वही स्थिति अभी तक चली आ रही है, भले ही सरकार बदल गई है। केवल नेता बदल गये हैं। केवल वित्त मंत्री बदल गये हैं। राजनीतिक ढांचा वही है।

वे कांग्रेसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं, वे सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं। परन्तु साथ ही मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि क्या वर्तमान राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकार ने जमाखोरों को गिरफ्तार करने के लिये, कदाचार मिटाने के लिये और काला धन समाप्त करने के लिये कोई उपाय किये हैं। इस प्रश्न का उत्तर माननीय वित्त मंत्री देंगे।

सर्वप्रथम, जैसा कि कहा गया है, यह विधेयक अमीरों के लिये है। पहले 111 संशोधन आयकर, संपत्तिकर, ब्याजकर, अप्रत्यक्ष कर और सेवा कर से संबंधित हैं। जैसा कि मेरे सहयोगियों ने कहा है कि इस संसद में गरीब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करते समय या विधेयक पर विचार करते समय उनके विचारों पर वित्त मंत्री ध्यान नहीं देते हैं। गरीब लोग केवल प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उन्हें वोट देते हैं। उसके बाद उनका कार्य समाप्त हो जाता है। केन्द्र सरकार को राजनीति के आधार पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के आधार पर नियम, कानून बनाने चाहिये ताकि अमीरों से धन वसूल कर गरीबों तक पहुंचाया जा सके।

मै, इस समय, विधयक पर विचार करते समय, वित्त मंत्री से यह अपील करता हूं कि वे यह देखें—क्योंकि वे ध्यान दे रहे हैं, मै समझता हूं कि मुझे उत्तर मिलेगा—कि गरीब वर्ग के लिये आवंटित धनराशि उन तक पहुंचे। यह केन्द्र सरकार का कार्य है कि वह यह देखे कि राज्यों, नगरपालिकाओं, निगमों, पंचायतों और अन्य विभागों में प्रशासन को कारगर बनाया जाये।

इस पद के मेरे मित्रों ने कहा है कि सभी राज्यों ने भारी मात्रा में ऋण लिया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे केन्द्र सरकार को इसका पुनर्भुगतान करेंगे। केन्द्र सरकार विदेशी बैंकों को पुनर्भुगतान नहीं कर रही है। वे ब्याज अदा कर रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय, सभी राज्य केन्द्र सरकार से लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान कर रहे हैं। वे ऋण अदायगी से बच नहीं रहे हैं और हम भी अपने किसी दायित्व की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं।

श्री पी० एच० पंडियन: मैं माननीय मंत्री जी को मेरी बात का उत्तर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे सही जानकारी दी है। मैं सरकार में नहीं हूं। हमें जानकारी मिलती है। किन्तु मूल्यवृद्धि कैसे हो रही है? उसका मूल कारण क्या है?

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): पापुलेशन कम करो, बाकी सब ठीक हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री पी० एच० पांडियन: अधिक जनसंख्या के कारण ही हमें इतने वोट मिलते हैं। यदि जनसंख्या कम होगी तो निर्दलीय उम्मीदवार ही जीतेंगे, पार्टियां नहीं. . .*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: ऐसा केवल जाति, मत और धर्म के कारण है। ''2020 तक एक परिवार, एक शिशु''

[हिन्दी]

रूल पास करो, ये सब तंदुरूस्त हो जायेंगे, लेकिन यह नहीं करोगे।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: पहले बिल तो लाओ।

[अनुवाद]

श्री सी॰ पी॰ राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): यदि वे समर्थन करें तो हम विधेयक लायेंगे . . . *(व्यवधान)*

श्री पी॰ एच॰ पांडियन: महोदय, अब मैं माननीय मंत्री जी से 'एक्सिम' नीति के संबंध में प्रश्न पूछता हूं। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि केन्द्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि दूध और दूध उत्पादों का निर्बाध रूप से आयात किया जा सकता है और वहीं स्वदेशी निर्माताओं को दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 में अंतर्विष्ट बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है।

यदि यही स्थिति है तो इन उत्पादों का स्वदेशी उत्पादन प्रभावित होगा। स्वदेशी निर्माता, जिन्हें एम॰ एम॰ पी॰ ओ॰ 1992 की शर्तों का अनुपालन करना होता है, इन वस्तुओं के आयात करने वालों से किस प्रकार प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 को समाप्त किया जायेगा? इस सम्बन्ध में इस सरकार की नीति क्या है?

अब हम दूध का आयात कर रहे हैं। हम आइसक्रीम का आयात कर रहे हैं। मैंने यह समाचार में देखा है। इस "एक्सिम" नीति के कारण स्वदेशी निर्माता विदेशी उत्पादों का सामना किस प्रकार कर सकते हैं? मैं वित्त मंत्री से यह बताने का निवेदन करता हूं कि क्या सरकार "एक्सिम" नीति आदेश में संशोधन करेगी, जो स्वदेशी उत्पादों की वर्तमान अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करता है।

सभापति महोदय, जब आप बोल रहे थे तो आपने तथ्य की ओर इंगित किया था कि बड़ी मात्रा में ऋण लेने वालों ने 58,000 करोड़ रूपए ऋण लिया है। यह तथ्य श्री ए॰ बी॰ बर्धन सी॰ पी॰ आई॰ के जर्नल में प्रकाशित कराया है यह तथ्य वहां प्रकाशित हुआ है। आप इसे किस प्रकार वसूल करेंगे? आप उसे किस प्रकार प्राप्त करेंगे? कम्पनी कानून के अंतर्गत यह एक संज्ञेय अपराध है। आप ऋण को वसूल करने के लिए इसे संज्ञेय अपराध घोषित क्यों नहीं करते? अत: इस समस्या से निपटने के लिये इस सभा द्वारा एक कठोर कानून पारित किया जाना चाहिये।

तत्पश्चात्, सभापति महोदय, जब आप बोल रहे थे, आपने श्री लालू प्रसाद यादव का उल्लेख किया था। संविधान के अनुसार सभी सदस्यों को "सोल्वेंट" होना चाहिये अन्यथा सदस्यों को अयोग्य ठहराया जायेगा। विधायकों को "सोल्वेंट" होना चाहिये। "सोल्वेंसी" किस सीमा तक होनी चाहिये, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने अन्यथा किसी भी अन्य न्यायालय ने नहीं बताया है यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो क्या आप सोल्वेंट हैं यदि आपके पास 45 लाख रुपये हैं तो आप "सोल्वेंट" हैं? यदि वह अमुक्त है तो वह सोल्वेंट है।

अनुच्छेद 102 के अनुसार "कोई भी सदस्य इस सभा का सदस्य होने के अयोग्य होगा, यदि वह एक अनुन्मोचित दिवालिया है।" यदि आप कहते हैं, "मेरे पास पैसा नहीं है," तो आप यहां नहीं बैठ सकते। संविधान निर्माताओं ने यह नियम संविधान का उपबंध कैसे बनाया? अत: "सोल्वेंसी" को आय के ज्ञात स्रोतों के विषय संपत्ति अर्जित करने या जमा करने के समान नहीं माना जा सकता। अत: ये कुछ प्राथमिक बातें हैं जिनके संबंध में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दें कि उन्हें किस हद तक "सोल्वेंट" होना चाहिए और किस हद तक हमें "सोल्वेंट" होना चाहिए। कुछ 58,000 करोड़ रुपए की सीमा तक "सोल्वेंट" है और कुछ 45 लाख रुपए की सीमा तक "सोल्वेंट" है अत: मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे "सोल्वेंसी" संबंधी इस तथ्य पर ध्यान दें।

चूंकि यह मामला श्री लालू प्रसाद यादव से संबंधित है, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं उन्हें नहीं जानता। मैंने इसे समाचार पत्रों में देखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी पत्नी पर भी खुलेआम दोषारोपण किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पत्नी और पति के बीच विशेषाधिकार बातचीत हुई है। आप अपनी पत्नी से बातचीत कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा पुलिस द्वारा बलपूर्वक पूछा नहीं जा सकता। यदि यह बातचीत विवाह के दौरान हुई है, तो यह पूर्णतया एक विशेषाधिकार है। अब, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और विधि लागू करने वाली अन्य एजेंसियों ने इस उपबंध अर्थात् विशेषाधिकार बातचीत को ध्यान में नहीं रखा है। यहां तक कि हमारी भी यहां विशेषाधिकार वाली स्थिति है। यदि कोई सदस्य पक्ष में अथवा विपक्ष में मतदान करता है, तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। कृपया उच्चतम न्यायालय का आदेश देखें।

यह बिल्कुल सुस्पष्ट है कि किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। गत दो वर्षों से आपने इसे किसी मंच में क्यों नहीं उठाया? . . . *(व्यवधान)* वे इसका हवाला नहीं दे सकते। इस संबंध में संविधान में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। फिर तो, मैं भी यहां बातचीत करने से डरुंगा। आपको 'पूर्ण स्वतंत्रता' कहना चाहिए। संविधान में यह व्यवस्था है कि किसी सदस्य को सभा के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप बोलने की स्वतंत्रता होगी। स्थिति केवल यही है। अध्यक्ष को व्यवस्था बनाए रखनी होती है। स्थिति केवल यही है। मैं यहां स्वतंत्रता से कोई भी संगत बात कर सकता हूं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: आपको बोलने की स्वतंत्रता है, न कि छुपाने की।

श्री पी॰ एच॰ पांडियन: इसके लिए भी हमारे नियम 371 में यह व्यवस्था है कि यदि एक सदस्य का कोई प्रत्यक्ष, वैयक्तिक या आर्थिक हित हो, तो उसका अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाएगा, न कि उच्चतम न्यायालय द्वारा। शपथ-ग्रहण करने से पहले, शपथ की ग्राहियता का भी अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाएगा। अत:, अन्य कोई संवैधानिक प्राधिकारी यहां दखल नहीं दे सकता। यदि हम लोगों की बात अथवा उनसे संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर यहां चर्चा नहीं कर पाते . . .*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे: क्या आप हमारे संविधान के बारे में बात कर रहे हैं अथवा वित्त विधेयक के बारे में . . . *(व्यवधान)*

श्री पी॰ एच॰ पांडियन: चूंकि उन्होंने श्री लालू प्रसाद यादव के बारे में बात की थी, अत: मैं यह कह रहा हूं . . . *(व्यवधान)*

यह आम जानकारी के लिए है . . . *(व्यवधान)* हमारे एक और वक्ता यहां बैठे हुए हैं. . .*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल): अतः, हम कुछ अन्य लोगों से बेहतरी की आशा कर रहे हैं।

श्री पी॰ एच॰ पांडियन: इसी वजह से, मैंने यह कहा है कि इस विधेयक के द्वारा आपने एक संवैधानिक कार्य कर दिया है। यह किसी निर्धन व्यक्ति से संबंधित नहीं है। इसका आम आदमी से कोई संबंध नहीं है। जहां तक आयकर अधिनियम का संबंध है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत कौन कर भुगतान कर रहा है?

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): हमें तमिलनाडु के बारे में कुछ बताइये।

श्री पी॰ एच॰ पांडियन: तब तो वे सभी खड़े हो जाएंगे। वे उसे विधानमंडल में उठाएंगे। वित्त विधेयक के बारे में, जैसा कि मैंने कहा, संवैधानिक तौर पर यदि हम कहें कि एक बार विनियोग विधेयक पारित कर दिया जाता है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है। यह केवल अतिरिक्त संवैधानिक कार्य है। स्थिति केपल यही है। इस पर बहस कराए जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यह विचार व्यक्त करने के लिए मैंने यह अवसर चुना . . . *(व्यवधान)* मैं हिन्दी नहीं समझ पाता। यही समस्या है। यदि मैं हिन्दी समझ पाता, तो मैं यहां राज करता . . . *(व्यवधान)* इसी भाषा के कारण ही मैं यहां बैठा हुआ हूं और आप बातें कर रहे हैं। यही कमी है। अब, यह भाषा सीखने में काफी देरी हो चुकी है . . . *(व्यवधान)* मैं सभी हिन्दीवालों को पकड़ सकता हूं। मैं राज कर सकता हूं।

श्री प्रकाश परांजपे: हम भाग्यशाली हैं कि आप हिन्दी नहीं जानते। परन्तु भाषा ने मदद की अथवा नहीं ?. . . *(व्यवधान)*

श्री पी॰ एच॰ पांडियन: नहीं, वे सभी मेरे मित्र हैं।

श्री प्रकाश परांजपे: यह अच्छी बात है।

श्री पी॰ एच॰ पांडियन: हम राज कर सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, जब तमिल यहां राज करेंगे . . . *(व्यवधान)* एक व्यक्ति जेल से भी शासन कर सकता है . . *(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): आप सही दिशा में जा रहे हैं।

श्री पी॰ एच॰ पांडियन: नहीं, आप ऐसा मत कहिए। सम्भवतः आप ऐसा मजाक में कह रहे हैं। लेकिन कोई भी राज कर सकता है। यह स्थान आम आदमी के लिए है। यह सर्वहारा वर्ग के लिए है। यह धनी व्यक्ति के लिए नहीं है। यह स्थान विशेषाधिकार-प्राप्त वर्ग के लिए नहीं है। यह स्थान किसी जाति विशेष, मत अथवा बोलने वाले लोगों अथवा समुदाय के लिए नहीं है।

श्री प्रकाश परांजपे: यह भारतीयों के लिए है।

श्री पी॰ एच॰ पांडियन: यह भारतीयों के लिए है। आप यहां सभी धर्मों की बात करते हैं। आप यहां हर तरह की बात करते हैं। मैं यह देख रहा था। मैंने उस दिन उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय नहीं दिखाया। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णय हैं। यदि आप यहां हिन्दुत्व की बात करते हैं, तो आपको निरहर किया जा सकता है। यदि आप यहां हिन्दुस्तान की बात करते हैं, तो आपको निरहर किया जा सकता है। क्या मैंने कभी इस बारे में बात की? इसको लेकर उच्चतम न्यायालय और मुम्बई उच्च न्यायालय ने अनेक चुनाव रद्द घोषित किए हैं। यदि आप धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, तो आपको निरहर कर दिया जाएगा।

श्री सी॰ पी॰ राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): यह केवल हिन्दू धर्म ही नहीं, बल्कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म की भी बात करता है, तो उसे भी निरहर कर दिया जाएगा। . . . *(व्यवधान)*

श्री पी॰ एच॰ पांडियन: जिन उम्मीदवारों ने हिन्दुत्व के नाम पर चुनाव लड़ा, उन्हें मुम्बई उच्च न्यायालय ने निरहर कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने भी इसका समर्थन किया था। यह मेरा कहना नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा है। जब आप कुछ कहते हैं, तो आपके विचारों के विरुद्ध भी कुछ-न-प्रतिक्रया हो सकती है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी॰ एच॰ पांडियन: महोदय, ठीक है . . . *(व्यवधान)* राज्यों के संबंध में कोई निगरानी तंत्र नहीं है। आर्थिक रूप से राज्य स्वतंत्र हैं।

उन्हें वित्तीय स्वायतता मिली हुई है, लेकिन अनेक राज्य धनराशि की कमी का सामना कर रहे हैं। जैसा कि आपने चुनावों के समय वायदा किया था, आप पानी, बेहतर परिवहन सुविधा, गरीबों को आवास और काम मुहैया नहीं करवा पाए हैं। अतः, उसके लिए अनुच्छेद 360 के माध्यम से निगरानी को होना चाहिए। केवल यही उपबंध है। यदि केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि राज्य सरकार दिवालिया है, वह पंचायत और नगरपालिका आदि को भुगतान करने के योग्य नहीं है, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यहां उसका तुलन-पत्र रखा जाना चाहिए। अभी इस सभा के समक्ष किसी राज्य से कोई तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसकी किसी ने मांग नहीं की।

एकबार मैंने नियम 377 के अधीन यह प्रस्ताव रखा था कि तमिलनाडु सहित दो राज्य पंचायत को, बिजली के बिलों, ठेकेदारों आदि को भुगतान नहीं कर पाए हैं। अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि उसका उत्तर दिया जाए। मेरा यही कहना है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक का संवैधानिक तौर पर विरोध नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहां संवैधानिक रूप से निर्वाचित होकर आया हूं और यहां बैठा हूं। यह एक औपचारिकता नहीं है। यह संवैधानिक परम्परा है।

श्री सी॰ कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): सभापति महोदय, मुझे वित्त विधेयक के संबंध में बोलने का यह अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

इस सभा में बजट और वित्त विधेयक 29 फरवरी, 2000 को पेश किये गये थे और पिछले दो महीनों में हम अर्थव्यवस्था में सुधार,

[श्री सी० कुप्पुसामी]

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, विकास दर में वृद्धि, पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेश में वृद्धि आदि विषय देख रहे हैं और इस प्रकार के कार्यों के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री और उत्कृष्ठ आयात-निर्यात (एक्जिम) नीति, जिसकी सभी ने सराहना की है, के लिए माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री मुरासोली मारन को बधाई देना चाहता हूं।

तथापि, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई है, बजट का प्रभाव आम आदमी और गरीब किसानों द्वारा महसूस किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम मूल्यों में वृद्धि और उर्वरकों के लिए दी जाने वाली राजसहायता में कमी के परिणामस्वरूप भी यूरिया और अन्य उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि से निर्धन लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। हमारी प्रमुखतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और कृषि हमारा मेरुदंड है।

सार्वजनिक वितरण प्रणली के विषय में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। इसकी सबसे बेहतर एवं व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। कुछ स्थानों पर मिट्टी का तेल भी बिना व्यर्थ गंवाए स्वचालित बंक द्वारा वितरित किया जा रहा है। विचौलियों को समाप्त कर समूची सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहकारी संस्थाओं के माध्यम से चलाई जा रही है। राज्य सरकार ने यहां बजट प्रस्तुत होने से पूर्व ही आम आदमी अर्थात् गरीबी के नीचे के लोगों के लिए चावल की संवर्धित मात्रा पहले ही जारी कर दी है। निगंम मूल्यों में यह वृद्धि किये जाने से अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा। इस अग्रणी राज्य, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से चला रहा है, को समर्थन देने की बजाय केन्द्रीय सरकार ने उस पर अतिरिक्त बोझ डालने का रास्ता चुना है। माननीय वित्त जी ने मार्च, 2000 में सामान्य वाद-विवाद पर सामान्य चर्चा का उत्तर देते हुए यह आश्वासन दिया था कि वे सभा में सहयोगी दलों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखेंगे।

मैं माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली वस्तुओं की कीमतें कम करके और राजसहायता में कटौती को वापस लेकर किसानों और निर्धन लोगों को राहत प्रदान करें।

एयर इंडिया, भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में सरकार की भागीदारी कम होती जा रही है। ऐसा करते समय परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिये ताकि विगत में की गई गल्तियों की पुनरावृत्ति न हो। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु के लोगों को काफी प्रिय है। विनिवेश प्राप्तियों को सामाजिक क्षेत्रों में व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन और सरकारी ऋण का भुगतान करने में खर्च किया जाना चाहिये। वित्त मंत्री ने कहा है कि अलाभकारी निगमित इकाइयों को बंद करते समय कामगारों के हितों की रक्षा की जायेगी। राष्ट्रीय नवीकरण कोष के अन्तर्गत संसाधन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) अथवा स्वैच्छिक अलगाव योजना (वी एस एस) के खर्च की पूर्ति में पर्याप्त नहीं रहे हैं। सरकार को इन परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर बाजार से संसाधन उगाहने के लिए किसी तंत्र की स्थापना और कामगारों और कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिये इन निधियों का उपयोग करना होगा।

बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोल दिया गया है। सरकार का रियासती बीमा पालिसी योजनाओं को कहां तक सक्रिय बनाने का विचार है? निजीकरण और उदारीकरण के नाम पर गरीब लोगों को क्षति नहीं होनी चाहिये। सरकार को उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप रियायती बीमा पालिसियां प्रदान करना जारी रखना चाहिये। एल आई सी, जी आई सी और ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कंपनी जैसी मौजूदा कम्पनियों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये और उन्हें प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिये तैयार किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार माननीय वित्त मंत्री ने शुल्क ढांचे को युक्तियुक्त बनाने के नाम पर खोई पर आधारित कागज उत्पादों पर 8 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है जिसके विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन दिये गये हैं और माननीय मुख्यमंत्री, डा० कलेन्गार ने माननीय प्रधानमंत्री को एक अर्द्धशासकीय पत्र भी भजा है। मैंने भी मार्च, 2000 में लोकसभा में सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया था। चूंकि यह एक पारिस्थितिकीय के अनुकूल परियोजना है, जिसमें अपारम्परिक कच्चे माल खपत होगी और इससे वृक्ष और वन संरक्षित रहेंगे, अतः माननीय वित्त मंत्री को शुल्क में कमी करनी चाहिये। उद्योग की सहायता करने के बजाय, अप्रत्यक्ष रूप से उद्योग पर दंड लगाया गया है दि तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लिमिटेड इस क्षेत्र में एक अग्रणी उद्योग है और यह उद्योग विश्व के अन्य देशों को भी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। यदि शुल्क में कमी नहीं की गई, तो उससे खोई पर आधारित कागज मिलों को जिन्हें विश्व बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, भारी झटका लगेगा।

सरकार ने लाभांश कर और न्यूनतम विकल्प कर (विनियम आल्टरनेट टेक्स) में वृद्धि की है। बहरहाल सभी स्वतंत्र विद्युत परियोजना अब से तीन से चार वर्ष बाद अपना वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू करेंगी और केवल तभी वे सरकारी राजस्व में अपना योगदान दे सकेंगी। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि विद्युत क्षेत्र और आधारभूत परियोजनाओं पर लगाए जा रहे लाभांश कर न्यूनतम विकल्प कर के उपबंधों पर उद्योग के विकास और उद्योग को प्राप्त होने वाले विदेशी पूंजी निवेश के हित में पुनर्विचार किया जाये।

आई एस आई एजेन्टों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाने के लिये षडयंत्र रचने और संगठित रूप से नकली नोट छापने के दृष्टिगत सरकार को कोई ऐसा दोषरहित उपाय खोजना चाहिये जिसके जरिए आम आदमी नकली नोटों का पता लगा सके। सरकार नकली नोट छापने की प्रक्रिया को कठिन बनाने के लिये अधिक जटिल डिजाइन और विशेष प्रतीक अपनाने पर विचार कर सकती है। इसी प्रकार प्रतिभूति करेन्सी पत्र भी विशेष पालीमर आधारित कागज और विशेष प्रकार की स्याही का उपयोग कर बनाये जाने चाहियें ताकि नकली नोटों का बड़ी आसानी से पता चल सके।

इसी प्रकार, नकली नोटों के स्रोत और आपूर्ति के संबंध में भी गुप्त सूचना एकत्र की जानी चाहिये। उदाहरण के लिये मुखबिरों के लिए पुरस्कार योजना के अन्तर्गत जब भी ऐसी सूचना प्राप्त हो, तो वह सूचना संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिये।

छः में से एक योजना के अधीन लोगों को आयकर विवरणियां दर्ज करनी पड़ती हैं और वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में जहां प्रथम दृष्टया कोई संदेह नहीं होता है, विवरणियां साधारणतया स्वीकार कर ली जानी चाहियें अन्यथा यदि आयकर अधिकारी छोटी-छोटी बातों को लेकर लोगों को तंग करना शुरु कर देंगे, तो लोग अपनी विवरणियां दर्ज कराने के लिये आगे नहीं आयेंगे।

उत्पाद शुल्क संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सभी परिपत्रों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और व्यापक योजनाओं को वेबसाइट पर जारी करने की सिफारिश की है। मेरे विचार से विभाग को इस सिफारिश को लागू करना चाहिये।

इसी प्रकार सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क तथा अन्य संबद्ध मामलों में विवादों की स्थिति में शिकायतों के निवारण के लिये मध्यस्थता तंत्र की स्थापना की जानी चाहिये। सभी मामलों को न्यायालय और न्यायाधिकरण के पास ले जाने के बजाय कोई मध्यस्थता तंत्र होना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री इस मुद्दे पर भी विचार करें।

नाबार्ड अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वारा जारी किये गये बंधपत्रों में निवेश किये जाने पर प्राप्त पूंजीगत लाभ को कर मुक्त बनाने के लिये वित्त विधेयक में संशोधन किये जा रहे हैं। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग को 2003 तक चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के निर्णय को भी स्वीकृति प्रदान की दी है। सड़कों के विकास के लिये पृथक कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

मैं, इन्हीं शब्दों के साथ डी॰ एम॰ के॰ पार्टी की ओर से माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुझे खेद है कि मैं वित्त विधेयक का विराध कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिये नहीं कर रहा हूं कि मैं विपक्षी दल का सदस्य हूं बल्कि माननीय वित्त मंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं बहुत बड़ी गलती का उल्लेख करना चाहता हूं। वित्त विधेयक गलत आंकड़ों और गलत दिशानिर्देशों के आधार पा तैयार किया गया है। मैं राजस्व विभाग की कतिपय मदों पर चर्चा करने से पूर्व यह कहना चाहता हूं कि मुझे यहां 1999-2000 और 2000-2001 की बजट प्राप्तियों की दो फोटो प्रतियां प्राप्त हुई हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री वी॰ धनन्जय कुमार जो राजस्व विभाग के प्रभारी हैं, से अनुरोध करूंगा कि वे यह देखें कि मैं जिस गलती का उल्लेख कर रहा हूं, उस पर उनका ध्यान क्यों नहीं गया।

अपना भाषण प्रस्तुत करते समय मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं यही भाषण तैयार कर पाया हूं क्यों कि समय काफी कम है। मैंने पृष्ठ 31 पर अनुमानित आंकड़ों अथवा बजटीय आंकड़ों की अपेक्षा वास्तविक आंकड़ों को ही देखा है। जहां तक सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त आय का प्रश्न है, आयात के अन्तर्गत कुल मद 52 हैं और निर्यात के अन्तर्गत पांच और 70 मदों पर निर्यात पर उपकार लगाया गया है। इन 74 मदों में मैंने वर्ष 1997-98 और 1998-99 के वास्तविक आंकड़ों को देखा है और इनमें एक पैसे का भी अन्तर नहीं है। जहां तक वास्तविक आंकड़ों का संबंध है, या तो कर्मचारियों ने माननीय वित्त मंत्री को गलत सूचना दी है, गलत मार्ग-दर्शन किया है अथवा किसी अन्य कारण से ऐसा हुआ है।

मैं कुछ उदाहरण देता हूं। 1997-98 के लिये ताजे और शुष्क फलों के संबंध में 187.52 करोड़ रुपये दर्शाये गये हैं और 1998-99 में भी वहीं आंकड़े दर्शाये गये हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं। आर्गेनिक रसायनों के लिये 1997-98 में 471.95 रुपये का आंकड़ा दर्शाया गया है और अगले वर्ष में भी इसी आंकड़े को दर्शाया गया है। आर्गेनिक प्लास्टिक तथा अन्य मद के लिये 1997-98 में 1,571.83 रुपये का आंकड़ा दर्शाया गया है और 1998-99 में भी यही आंकड़ा दर्शाया गया है। यदि अध्यक्षपीठ की अनुमति हो तो मैं ये प्रतियां माननीय मंत्री को अभी देने को तैयार हूं। मैं अन्य सभी मदों के योग पर भी आऊंगा। 1997-98 के लिये 5,458.60 रुपये का आंकड़ा दर्शाया गया है और 1998-99 में भी यही आंकड़ा दर्शाया गया है। आयात शुल्क पर कुल अनुदान राशि 41,479.96 करोड़ रुपये हैं। वर्ष 1998-99 में भी यही आंकड़ा दर्शाया गया है। ये वास्तविक आंकड़े हैं। वर्ष 1997-98 में सकल निवल आयात शुल्क 4,00,038.84 करोड़ रुपये हैं और वर्ष 1998-99 में भी यही आंकड़ा दर्शाया गया है।

यदि वर्ष 1997-98 का संबंध श्री पी॰ चिदम्बरम से है, तो वर्ष 1998-99 का संबंध वर्तमान वित्त मंत्री से है। यदि वर्तमान माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 1997-98 में वास्तविक आंकड़ों की नकल की है और उन्हें इस संसद और राष्ट्र को प्रस्तुत किया है, तो मैं यह चाहता हूं कि मंत्रालय को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड अथवा उस प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये जिन्होंने संसद और राष्ट्र को ये गलत आंकड़े प्रस्तुत किये हैं।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू): एक शुद्धि पत्र पहले से ही जारी किया गया है. . .*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: शुद्धि पत्र हमें दिया जाना चाहिये। इस सभा को और राष्ट्र को बताया जाना चाहिये कि यह गलती कैसे हुई है। मैं यह बताने के लिये कि शुद्धिपत्र जारी किया गया है, आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन बजट की यह प्रति फरवरी, 2000 में प्रस्तुत की गई थी . . . *(व्यवधान)* आपको हमें सूचित करना चाहिये था। शुद्धिपत्र कहां है? कृपया एक प्रति उपलब्ध कराएं। इसे प्रस्तुत किया जाये। . . . *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुन्शी (रायगंज): महोदय, माननीय सदस्यों को व्यवधान नहीं डालना चाहिये। वित्त मंत्री कल उत्तर देंगे। उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिये . . . *(व्यवधान)* उन्हें इसे बनाने दिया जाये। आप आज रात को शुद्धिपत्र तैयार कर सकते हैं और इसे कल जारी कर सकते हैं . . . *(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: इसे इस वित्त विधेयक पर चर्चा करने से पूर्व संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि यह इसमें नहीं है, तो आप इस पर कल चर्चा कर सकते हैं . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, ये तोड़-फोड़ में लग रहे हैं, इनको मना कीजिये।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: सभापति जी, तोड़-फोड़ करना मेरा काम नहीं।

[अनुवाद]

मैं इस बात पर आ रहा हूं क्योंकि जो सरकार न्यूनतम समझौता कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे अलग-अलग विचारधारा वाले 24 दल समर्थन दे रहे हैं, वह निर्माण नहीं कर सकती; यह तो केवल विध्वंस ही कर सकती है, चाहे वह मस्जिद का हो अथवा आर्थिक नीति का। आप इसका निर्माण अथवा पुनर्निर्माण नहीं कर सकते; आप केवल इसे गिरा सकते हैं। अब, मैं कुछ प्रमुख विषयों पर बोलने जा रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री सी०पी० राधाकृष्णन: आपने किसका निर्माण किया है!

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: हमने बी एच ई एल, आई पी सी एल, आई ओ सी, ओ एन जी सी आदि का निर्माण कराया है। आप पेट्रोल निकाल पा रहे है क्योंकि पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्री महावीर त्यागी ने इन उद्यमों का निर्माण कराया है। हमने ये सभी कार्य कराए हैं। आप किसी एक सार्वजनिक उपक्रम का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए जिसका आपने निर्माण कराया हो। . . *(व्यवधान)*

श्री सी०पी० राधाकृष्णन: आपने कई वर्षों तक शासन किया है।

[हिन्दी]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आप ऐसा कोई काम बता दो जिसे आपने पिछले तीन साल में किया हो। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप चेयर की तरफ देखकर बोलें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आपसे बात करना ठीक है क्योंकि आप बात समझते हैं।

[अनुवाद]

कुछ भी हो, हमारे जवानों और हमारी सेना के प्रति सर्वाधिक सम्मान के साथ मैं निजीतौर पर रक्षा बजट में 30 प्रतिशत वृद्धि का विरोध करता हूं। मैंने वर्ष 1996-97 के दौरान रक्षा मंत्रालय के व्यय का अध्ययन किया। उस समय व्यय 29,505 करोड़ रुपये था। इस वर्ष के बजट में रक्षा के लिए आवंटन को बढ़ाकर 58,587 करोड़ रुपये कर दिया गया। रक्षा बजट में शत प्रतिशत वृद्धि की गई है। यह हमारे जैसे निर्धन देश के कुल व्यय का 15 प्रतिशत बैठता है। . . *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल): क्या कांग्रेस पार्टी का यही दृष्टिकोण है? . . . *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उन्हें अपने विचार प्रकट करने दीजिए। संसद में सभी पार्टियों की वकालत करने वाले सबसे सक्षम मेजर जनरल आप ही हैं। उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। उन्हें अपना भाषण देने दीजिए। . . *(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं इसका विरोध करता हूं। धन निर्धन लोगों और सामाजिक क्षेत्र पर व्यय किया जाना चाहिए . . . *(व्यवधान)* कुल व्यय का 15 प्रतिशत रक्षा क्षेत्र पर और 26 प्रतिशत ब्याज चुकाने के लिए लगाया जायेगा। तो फिर देश के निर्धन लोगों के लिए क्या बचेगा? यह मेरा प्रश्न है।

अब मैं आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित प्रावधानों के बारे में बोलने जा रहा हूं। मैं माननीय मंत्री से यह पुनः अनुरोध करता हूं कि वह राजस्व विभाग के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़े एकत्र करें और उन्हें सही करें। मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा। जहां तक राजस्व विभाग का संबंध है, वर्ष 1998-99 में बजट अनुमान की तुलना में 2,879 करोड़ रुपये की कमी की गई। मैं आयकर और निगमित कर दोनों के आंकड़े एक साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

रात्रि 8.00 बजे

संशोधित अनुमान में 3,716 करोड़ रुपये की कमी की गई है। राजस्व विभाग में बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में इस तरह की कमी कैसे सहन की जा सकती है? विभाग क्या कर रहा है? दूसरी ओर वास्तविक संग्रहण के संबंध में, जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगियों ने उल्लेख किया है, वित्त संबंधी स्थायी समिति को दिए गए आंकड़ों में यह बताया गया है कि 31 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार केवल राजस्व विभाग में ही 52,000 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। इसमें से आयकर में 41,000 करोड़ रुपये और इससे अधिक राशि और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 6,000 करोड़ रुपए अथवा 7,000 करोड़ रुपये हैं।

मेरा यह सुझाव है कि कर निर्धारण हो जाने के पश्चात् निर्धारिकी द्वारा अपील करने पर उसे कर का पांच अथवा दस प्रतिशत भुगतान करने के लिए कहा जाये। इस संबंध में विधान लाया जाये। इसमें पहली अपील का अधिकार चाहिए। पहली अपील पर निर्णय होने के बाद यदि निर्धारिती दूसरी बार अपील करता है तो उसे बकाया कर का पचास प्रतिशत भुगतान करना होगा। आयकर विभाग में चार स्तर पर अपील की जा सकती है। पहली आयकर आयुक्त के स्तर पर; दूसरी आयका अपीलीय न्यायाधिकरण के स्तर पर; तीसरी माननीय उच्च्य न्यायालय के स्तर पर; और चौथी अपील माननीय उच्चतम न्यायालय के स्तर पर की जा सकती है। हम यह जानते हैं कि एक मामले के अदालत में जाने के बाद इस पर निर्णय होने में कितने वर्ष लग जाते हैं। अब 31 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि 52,000 करोड़ रुपये है। यदि आप 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार आंकड़े एकत्र करें तो यह और अधिक होगी और यह 60,000 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। यदि आप कर निर्धारण के लम्बित मामलों पर गौर करें तो यह देखेंगे कि यह स्थिति इसलिए है क्योंकि उन्हें 30 दिन का समय अथवा इसी तरह की कोई अवधि मिलती है।

दूसरी ओर, जहां तक आयकर ढांचे का संबंध है, इस देश के लोग पिछले कई वर्षों से इस अधिनियम को सरल बनाने और कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने का अनुरोध कर रहे हैं। यह सही है कि पिछली सरकार ने यह नहीं किया। परन्तु, उस समय आप नौकरशाह थे और अब आप सत्ता में हैं। मेरा यह कहना है कि हमें 1972 तक की स्थिति पर गौर करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे 1970 की स्थिति देखने का अनुरोध करता हूं, जब सर्वाधिक कर 82 प्रतिशत था। मैं आपको आंकड़े भी दूंगा। 1980 में अधिकतम दर 72 प्रतिशत थी अर्थात् 60 प्रतिशत कर और उस पर 12 प्रतिशत सरचार्ज कर 1990 में अधिकतम दर 54 प्रतिशत थी अर्थात् इसमें 50 प्रतिशत कर और 4 प्रतिशत सरचार्ज शामिल था। और अब यह कम होकर 30 प्रतिशत रह गया है। यह सभी लोग मानते हैं कि यह दर विश्व में सबसे कम है। क्या व्यापारी समुदाय ने वर्तमान सरकार के कर ढांचे पर संतोष व्यक्त किया है अथवा पिछली सरकार के कर ढांचे पर ?

मेरा यह सुझाव है कि आयकर अधिनियम के अध्याय ... में, जो पिछले 30 वर्षों से है, कर 80 प्रतिशत से अधिक होने पर व्यापारी समुदाय के लिए विभिन्न छूट, रियायत और कटौती की व्यवस्था है। अब ऐसी स्थिति में जब कर को कम करके 30 प्रतिशत कर दिया गया है क्यों ये कटौती, छूट और रियायत न्यायोचित हैं? मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे आपका उत्तर चाहिए। परन्तु मैं आपसे इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

अब, आप वेतनभोगी कर्मचारी की व्यापारी के साथ तुलना कर रहे हैं। जब कोई व्यवसायी चाहे वह वकील हो अथवा व्यापारी हो, अपनी रिटर्न दाखिल करता है, तो उसके निवल लाभ पर कर लगाया जाता है। इसमें किस प्रकार के व्यय की अनुमति है ? आयकर रिटर्न की चार साल में एक बार संवीक्षा की जाती है। व्यापारियों द्वारा सभी तरह के व्यय जैसे मोटरकार व्यय, यात्रा व्यय, व्यापारी द्वारा अपनी दुकान अथवा कारखाने अथवा आवास में किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के खर्चे, निर्धारितियों द्वारा अपने मित्रों, संबंधियों और कर्मचारियों को विवाह के अवसर पर दिए गए दान, कारखाने और आवास दोनों स्थानों पर टेलीफोन के खर्चों का व्यापार व्यय के रूप में दावा किया जाता है। रिटर्न (विवरणी) को संवीक्षा करते समय हम इसका एक हिस्सा ही आय के रूप में दर्शाते हैं। अपील की समीक्षा में यह भी नहीं दर्शाया जाता है। दूसरी ओर वेतनभोगी कर्मचारी को केवल मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) की सुविधा उपलब्ध है।

जब हम यह कहते हैं वेतनभोगी कर्मचारियों और व्यापारियों की आयकर सीमा अलग अलग होनी चाहिए तो न्यायलय द्वारा इसे विधि के समक्ष समानता के नाम पर अस्वीकार कर दिया जाता है। व्यापारियों को विभिन्न पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में व्यापार करने हेतु पांच वर्ष तक कर की छूट प्रदान की जाती है। वेतनभोगी कर्मचारी भी अत्यधिक दूर-दराज और पिछड़े क्षेत्रों में कार्य करते हैं। परन्तु राज्य सरकार पंचायतों, नगरपालिकाओं, निगमों अथवा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और—एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवा—सशस्त्रबलों, जो हमेशा दुर्गम क्षेत्रों में रहते हुए कार्य करते हैं, को ऐसा लाभ क्यों नहीं दिया जाता है?

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे देशभर के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती में बढ़ोत्तरी करने के मामले पर विचार करें। यदि आयकर सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तो कम से कम मानक कटौती की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये तो किया ही जा सकता है। यदि इस संबंध में वह अपने उत्तर में कल घोषणा कर दें तो इससे इनकी पार्टी को विशेषकर शहरी क्षेत्रों में निगम के चुनाव जीतने में सहायता मिलेगी . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जीतने दो। थोड़ा लम्बा पांच साल तक राज करेंगे तो हमें वापस आने में सुविधा होगी।

[अनुवाद]

मुझे एक बात और कहनी है जो राजसहायता के बारे में है। राजसहायता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि आर्थिक सुधार के चलते सरकार राज सहायता कम करने को बाध्य है। ये सुधार वास्तव में सुधार नहीं हैं। बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तें और पूर्व शर्तें हैं। हम इनका पालन कर रहे हैं। जब पश्चिमी देश अपने घरेलू उद्योग को राजसहायता दे रहे हैं, तो हमारा यह देश ऐसी सहायता क्यों नहीं दे पाएगा? सभी वस्तुओं की बात किए बिना मैं सिर्फ दूध का उदाहरण देना चाहूंगा। अभी-अभी किसी ने यह बताया कि हम विदेश से दूध का आयात कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश में पशुपालन करने वाले और दूध का व्यापार करने वाले निर्धन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

विश्व के सर्वाधिक प्रगतिशील देश, जापान में दूध पर राजसहायता 82 प्रतिशत, कनाडा में 59 प्रतिशत और यूरोपीय संघ में यह 54 प्रतिशत है। दूसरी ओर ये पश्चिमी देश ही हमें राजसहायता कम करने के लिए कहते हैं। . . . *(व्यवधान)* मेरा ख्याल है कि इनमें कई लोगों के घरों में भैंस और गाय होगी।

[हिन्दी]

क्योंकि वे गाय को मां कहते हैं तो घर पर मां को तो रखेंगे।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी॰ धनंजय कुमार): माननीय सदस्य, इस सभा को उन देशों के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में भी बताएं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं अपने अगले विषय पर आ रहा हूं जो आयात शुल्क के बारे में है। हाल ही में हमने गेहूं पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा खाद्यान्नों के आयात पर 214 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपना माल वहां भेजेंगे तो हमें 214 प्रतिशत शुल्क देना पड़ेगा और यदि हम वहां से लाएंगे तो वे केवल 50 प्रतिशत का भुगतान करेंगे। माननीय वित्त मंत्री यह जानते ही होंगे कि हम कपास उद्योग, चमड़ा उद्योग और सिले सिलाए वस्त्र उद्योग का क्या हुआ। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा कपास के ही आयात पर 52 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है। टी शर्ट—साधारण कपड़ों पर 32 प्रतिशत शुल्क

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

और जूते-चपलों पर 58 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप हम इसका निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। फलत: विदेशों से आयात अधिक सस्ता हो गया है।

आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह देश, जोकि गांवों का देश है। तब तक विकास नहीं कर सकेगा जब तक हम इसमें कृषि, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और रोजगारोन्मुख परियोजनाओं को महत्व नहीं देंगे ताकि सभी शिक्षित और अशिक्षित लोगों को रोजगार मिल सके। मैं आपको अपने गुजरात राज्य का उदाहरण दूंगा वहां पर्यावरण और बाल श्रमिक के नाम पर साठ हजार लघु उद्योग एकक बंद कर दिए गए हैं। हमारे कारपेट अन्य देशों में लोकप्रिय हो गए हैं। इन्हें निर्धन लोग बुनते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): बोलने दीजिए सभापति जी। मैं सिर्फ रेवेन्यू के बारे में बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

हमारे कालीन—उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों द्वारा, और दक्षिणी गुजरात में अनुसूचित जनजातियों द्वारा बुने हुए अमेरिका में लोकप्रिय हुए हैं।

वहां धनी लोगों तथा होटलों में इसे खरीदा गया है। एक बार ये लोकप्रिय हो जाते हैं, तो वे अपने प्रतिनिधि यहां भेजते हैं। उनके द्वारा क्या कारण दिया गया ? भारत से कालीन आयात मत करो। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष से कम का बच्चा यह काम कर रहा है। अब, गरीब आदमी का बच्चा जो स्कूल जाने में असमर्थ है, क्योंकि उसके माता-पिता को जीवनयापन हेतु पर्याप्त आय नहीं है, को कालीन बुनाई का काम करना पड़ता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब कृपा करके अपना आसन ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : यदि एक बच्चा तमिलनाडु में जैसे शिवकाशी में एक पटाखे की फैक्ट्री में या लोहे अथवा ऐसी कुछ चीजें जो खतरनाक हैं, के साथ कार्य करता है, तो इस पर आपत्ति हो सकती है। लेकिन 14 साल के एक बच्चे के कालीन उद्योग में कार्य करने पर आपत्ति नहीं की जा सकती। लेकिन बाल श्रम के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर मेरे राज्य में 60,000 एकक काम नहीं कर रहे हैं और यही स्थिति देशभर में भी हो सकती है।

अब, मैं शीर्षस्थ लोगों के बारे में बोलना चाहूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कृपा करके समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं अभी शीघ्र ही समाप्त कर रहा हूं। आपको बकायों तथा बैंक ऋणों की वसूली के लिए एक विधान बनाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 58,000 करोड़ रु० की राशि बकाया है। आप सभी राष्ट्रीकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों तथा पदाधिकारियों के लिए बकायों की वसूली हेतु लक्ष्य जरूर निर्धारित करें। यदि वे वसूली करने में समर्थ नहीं हैं, तो उन्हें उनकी परिसम्पत्तियां जब्त कर लेनी चाहिए जो प्रतिभूति के रूप में रखी गई हैं। यदि कोई परिसम्पत्तियां नहीं है, तो बैंक अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करनी चाहिए . . . *(व्यवधान)*

श्री वी० धनंजय कुमार: आप कहते रहे हैं कि 58,000 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। सभा को यह बताएं कि 58,000 करोड़ रु० की यह राशि किस दिन बकाया थी।

मेजर जेनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल): यह राशि किस दिन बकाया थी। पिछले एक वर्ष, दो वर्ष, दस वर्ष या बीस वर्ष में जमा हुई?

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: यह 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार है।

मेजर जेनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: आपके समय के दौरान यह कितनी थी? आपके समय के दौरान, यह एकत्रित हुआ . . .*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं जानता हूं, आप मुझसे क्या चाहते हैं।

श्री वी० धनंजय कुमार: पिछले दो वर्षों के दौरान, उसमें एक पैसा भी नहीं जुड़ा है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: अब आप सत्ता में हैं। आप देश पर शासन कर रहे हैं . . . *(व्यवधान)* . . . यदि आप वहां आराम में नहीं हैं, तो हम परस्पर परिवर्तन कर सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है . . .*(व्यवधान)*

मेजर जेनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: तब आप इसे 58,000 करोड़ रु० से 68,000 करोड़ रु० बना देंगे . . .*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, प्रसिद्ध कृषि-वैज्ञानिक डॉ० स्वामीनाथन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि "भूमंडलीकरण और उदारीकरण से बेरोजगारी बढ़ेगी, निराशा बढ़ेगी और कष्ट बढ़ेंगे।" इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि नए आर्थिक सुधारों का अन्धानुकरण न करें। एक यथार्थपरक दृष्टिकोण होना चाहिए। हम गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी और विशेषरूप से समाज के गरीब तबके के लोगों पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): सभापति महोदय, जब श्री पी० एच० पांडियान ने वित्त विधेयक का समर्थन किया है, तो मैं इसका विरोध किसलिए करूंगा? मैं वित्त विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं, और मैं उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता जिनकी बजट भाषण में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। बजट भाषण और वित्त विधेयक पूरी तरह दो भिन्न मामले हैं, और मैं ऐसे किसी मामले को नहीं उठाना चाहता जिनकी चर्चा बजट में पहले ही हो चुकी है। उस समय भी, मैंने कुछ मुद्दे उठाए थे लेकिन एक-दो प्रश्न अभी भी अनुत्तरित रह गए हैं।

महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए जब पूरा प्रयास चल रहा है और मैंने आम बजट पर चर्चा के दौरान भी इस प्रासंगिक प्रश्न को उठाया था कि सरकार बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा ऋणों की अदाएगी के लिए कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है और सरकारी उपक्रमों, बैंकों और अन्य विभिन्न वित्तीय संस्थानों के ऋणों के भुगतान में चूक करने वाले बड़े औद्योगिक घरानों के विरूद्ध कड़े उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं।

बजट पर चर्चा के दौरान इसी प्रश्न को मैंने बारबार उठाया था। इसका उत्तर नहीं दिया गया था और मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रश्नों का उत्तर देते समय इसका उत्तर दें।

हम जानते हैं कि वित्त मंत्री काफी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। हम उनकी समस्यायें और सीमाएं भी जानते हैं। लेकिन हमलोग यह देखकर प्रसन्न हैं कि बजट के प्रस्तुत किए जाने के बाद आप को कम से कम बुराई तो नहीं लेनी चाहिए। यह सम्पादकीय टिप्पणी थी और यह एक समाचार था जो देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था। लेकिन आज सारा देश वित्त मंत्री के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है कि क्या गरीबी रेखा से नीचे के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणालो की कीमतें वापस ली जाएंगी या नहीं, मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि वापस ली जाएगी या नहीं और यूरिया की कीमतों में वृद्धि वापस ली जाएगी या नहीं।

मैं वित्त विधेयक के प्रावधानों को स्पष्ट करने हेतु परिचालित ज्ञापन पढ़ रहा था। हमें न्यूनाधिक सभी प्रस्तावों को समर्थन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। जहां तक मूलभूत शुल्कों का सम्बन्ध है, अनाजों को छोड़कर कृषि तथा बागवानी मदों पर शुल्कें बढ़ाई गई हैं।

जहां तब आयातों पर अधिकार का सम्बन्ध है, कुछ मदों जैसे प्राकृतिक रबर, डेमोरुबिसिन एच सी आई तथा गामा फेरिक ऑक्साइड पर मूल शुल्कों में वृद्धि हुई है जिसके बारे में वित्त मंत्री ने आज भी कुछ कहा है।

सीमा-शुल्क में अतिरिक्त शुल्क में वृद्धि हुई है। ज्ञापन में अन्य मुदें हैं वस्त्र पर भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ समझौता, और अधिनिर्णय और जुर्मानों के संबंध में परिवर्तन।

जहां तक ज्ञापन के पृष्ठ 16 में दूरसंचार क्षेत्र का सम्बन्ध है, हम इसका दृढ़ता से विरोध करते हैं। दूरसंचार क्षेत्र के निम्नलिखित मदों पर मूल सीमा-शुल्कों में कमी निम्नलिखित अनुसार की गई है:-

"(1) सेलूलर फोनों पर कर 25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत।

(2) सेलूलर फोनों के पुर्जों पर 20 प्रतिशत से 5 प्रतिशत; और

(3) सेलूलर फोनों के लिए बैटरी पैक पर 40 प्रतिशत से 15 प्रतिशत।"

इन प्रस्तावों की हमारे देश के लोगों द्वारा सराहना नहीं की जा रही है। एक ओर, आप राज-सहायता में कटौती कर रहे हैं और अनिवार्य वस्तुओं की कीमत बढ़ा रहे हैं तबकि दूसरी ओर, आप सेलूलर फोनों और सेलूलर फोन के पुर्जों और सेलूलर फोन के बैटरी पैकों पर सीमा-शुल्कों में कटौती कर रहे हैं। आप स्पष्ट करें कि किस आधार पर आपने यह निर्णय लिया है।

जहां तक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का सम्बन्ध है इसकी मैं पूरी तरह से प्रशंसा करता हूं। कम से कम छह क्षेत्रों अर्थात, कम्प्यूटरों के लिए माइक्रो-प्रोसेसर्स, एच डी डी/एफ डी डी/सी डी आर ओ एम ड्राइव और अन्य स्टोरेज डिवाइसेसर इन्टीग्रेटिड सर्किट्स तथा मोइक्रो एसेम्बलिज, कलर मानीटर्स के लिए डेटा ग्राफिक डिस्प्ले ट्यूबा, कम्प्यूटरों तथा सी डी—आर ओ एम के लिए कलर मानीटरों में इस्तेमाल हेतु डिफ्लेक्शन संघटकों में मूल सीमा-शुल्क घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया है।

जहां तक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का संबंध है यह वस्तुत: एक अच्छी बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन ने हमारे देश में अपनी पिछली यात्रा के दौरान भी इस बात की प्रशंसा की थी और उन्होंने यह भी माना था कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है और आज या कल विश्व को नेतृत्व दे सकता है।

हम प्रशंसा करते हैं कि आपके पास अपना दर्शन है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रशंसा करता हूं। आपकी विषय पर पकड़ है और अर्थव्यवस्था पर आपकी पकड़ है।

जब एक आशंका थी कि पूरा बजट गरीब-विरोधी सिद्ध होने जा रहा है, तो हम उससे सहमत नहीं हुए। निश्चय ही, आपके बजट भाषण के समय अनेक सकारात्मक प्रस्तावों की घोषणा हुई है। इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के लिए 1,000 करोड़ रु०, नई प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना के लिए 5,000 करोड़ रु०, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पेयजल के लिए और अधिक 1,700 करोड़ रु० और अतिरिक्त पांच लाख किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्डों के आबंटन को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। ये प्रस्ताव गरीबों के हित में हैं और गरीब को वास्तविक तौर पर लाभ देने वाले हैं। मैं इससे इन्कार नहीं करता। मैं श्री बैको द्वारा व्यक्त विचारों का पूरा समर्थन करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय का इस मुकाम पर नेतृत्व करने के लिए सबसे सही व्यक्ति को चुना है।

मैं बहु-प्रचारित कर विवाद समाधान योजना से संबंधित एक अन्य मुद्दे को उठाना चाहूंगा। इस पर इस सभा में भी चर्चा हुई थी। जैसी रिपोर्टें आ रही हैं, उनके अनुसार यह योजना वस्तुत: लोगों को लाभ

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

नहीं दे रही है और अनेक शिकायतें मिल रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूचना है और जहां तक उन शिकायतों का संबंध है, सरकार अब तक क्या कदम उठा रही है।

मैं एक या दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं। आपने औषधीय श्रेणी के ऑक्सीजन, औषधीय श्रेणी के हाइड्रोजन-पेरॉक्साइड, अनेक अन्य औषधीय मदों पर आठ प्रतिशत उत्पाद-शुल्क ढांचे को बहुत अच्छी तरह ऐनसथेसिया तथा परिवर्तित किया है। इसलिए, जिस किसी मद पर आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क है, मिट्टी का तेल, एल पी जी, कपड़े धोने के साबुन, सूती धागे और 10 अश्वशक्ति के डीजल इंजिनों जैसे कुछ मदों पर आंशिक छूट के साथ सोलह प्रतिशत केंद्रीय मूल्यवर्धित कर वसूला जाएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उस आंशिक छूट का क्या अर्थ है। पृष्ठ 17 में जहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में बताया गया है, पैरा (ख) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क नहीं वसूल किया जायेगा किन्तु 16 प्रतिशत केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सेनवैट) वसूल किया जायेगा और कुछ मदों के लिए आंशिक छूट लागू की जायेगी। उस आंशिक छूट का क्या अर्थ है? हम सिगरेट पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि का विरोध नहीं करते। एक पैरा इस विषय पर है। कुछ उद्योग से संबंधित विशिष्ट परिवर्तन किये गये हैं जिनका आपने उल्लेख किया है। आपने उत्पादन शुल्क का एम आर पी-आधारित आकलन, उत्पादन शुल्क की अदायगी की पद्धति में परिवर्तन और न्याय निर्णय और जुर्माने आदि के संबंध में परिवर्तन के बारे में भी स्पष्ट किया है। हम अपने दल, तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह कहना चाहते हैं कि हम इसकी सराहना करते हैं और अपना समर्थन देते हैं। सहयोगी दल इसे निश्चित रूप से इस सरकार का मुख्य आधार हैं किन्तु हमें भी कुछ मौकों पर जनता का सामना करना होता है। मैने कुछ ही दिन पहले कहा था कि सत्ता में आने के बाद यदि हम एक ही बार कुछ वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देंगे तो जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी।

यदि इस तरह की घोषणाएं की जाती हैं तो जनता की प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि इस प्रकार मूल्यों में किए गए परिवर्तन को वापस मत लिजिए। मैं। आपसे ऐसा करने को कभी नहीं कहूंगा। किन्तु मैं आपसे यह अवश्य कहूंगा कि कम से कम गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वस्तुओं के मामले में अपने निर्णय पर पुन: विचार करें। आप कम से कम मिट्टी के तेल के मूल्य में की गई वृद्धि पर पुन: विचार करें क्योंकि यह रोजमर्रा खपत की जाने वाली वस्तु है और इस वृद्धि के कारण लोगों को तकलीफ होगी।

इस बीच, इस सरकार के सहयोगी दल आपसे व्यक्तिगत रूप से और प्रधानमंत्री से भी मिले। हमने विभिन्न अवसरों पर अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किये। विभिन्न अवसरों पर—चाहे वह सी आई आई की बैठक हो, या प्रेस गोष्ठी, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संक्षिप्त जानकारी देनी हो, आपने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप अपने निर्णय पर पुन: विचार नहीं करेंगे और जो भी घोषणाएं की गई हैं, आप उन पर कायम रहेंगे। किन्तु सहयोगी दलों की मांगों पर विचार करने के लिए फिर भी मैं आपके पास आया था। सहयोगी दलों ने इस सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है और वे अपने-अपने राज्यों की जनता का मत ले रहे हैं। सभी ने हमसे जनता की भावनाएं आप तक पहुंचाने का निवेदन किया है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है ये सभी अपील और प्रस्ताव व्यर्थ नहीं जायेंगे।

निश्चित रूप से मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आपके जैसा व्यक्ति जिसके पास जनभावनाओं का सम्मान करने वाला दृश्य है, दूरदृष्टि है, प्रबंधन क्षमता और दृष्टिकोण है आप इन बातों पर ध्यान देंगे और इन पर पुन: विचार करके कुछ करेंगे।

मैं इस वित्त विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ० प्र०): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान किया। 53 साल की देश की आजादी के बाद सरकार चलाने वाले लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि आज देश का प्रत्येक नागरिक 8,000 रुपए के विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। मुझे यह कहने में बिलकुल संकोच नहीं है कि देश को जो यह उपलब्धि हासिल हुई है, उसमें केवल सत्ता में बैठे हुए आज के लोगों का ही दोष नहीं है, 53 साल तक जिन भी लोगों के हाथ में देश की बागडोर रही है, निश्चित तौर पर इस कुव्यवस्था के लिए और देश की आर्थिक स्थिति के लिए वे जिम्मेदार हैं। इस विदेशी कर्ज ने देश की प्रगति को किस मुहाने तक ले जाने का काम किया है, यह लम्बे बहस का विषय है। लेकिन इस विदेशी कर्ज ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और ज्यादा चौड़ा करने का काम किया है। यदि वर्तमान हुकूमत चलाने वाले लोग भी विदेशी कर्ज की तरफ आंख मूंद कर इस देश को विदेशियों के हाथ में गिरवी रखने का स्वप्न देख रहे हैं तो वे मुगालते में हैं।

हम बड़े अदब के साथ कहना चाहते हैं कि इस विदेशी कर्ज की अदायगी के लिए इस देश के प्रधान मंत्री को, इस देश के मंत्रीगण और संसद सदस्यों को सबसे पहले पहल करनी चाहिए। इस 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति के विदेशी कर्ज की अदायगी प्रत्येक व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर करनी चाहिए।

आज बढ़ते बजटीय घाटे और राजकोषीय घाटे की बात करके कृषि क्षेत्र में सब्सिडी को समाप्त किया जा रहा है। उर्वरकों पर सब्सिडी को समाप्त किया गया है। डीजल पर और मिट्टी के तेल पर सब्सिडी को कम किया गया है। हम वित्त मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि किसान अगर कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है तो अन्य वस्तुओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। आज इस महंगाई की मार से सबसे ज्यादा इस देश का किसान प्रभावित हुआ है। इस महंगाई की मार से प्रभावित होने के कारण कृषि की पैदावार स्थिर हो गई है और घटती चली जा रही है। हम वित्त मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि यदि राजकोषीय घाटे, बजटीय घाटे को पूरा करना चाहते हैं तो इस देश के अंदर कालाधन जो सुरसा की तरह मुंह फैलाता चला जा रहा है उसे बाहर निकालना होगा। दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास,

जयपुर, लखनऊ और पटना जैसे बड़े महानगरों और प्रदेश की राजधानियों में बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं हमारी व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं। आपकी आयकर प्रणाली को भी मुंह चिढ़ाने का काम कर रही है। यदि आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, संकल्प है तो आपको उस कालेधन को प्राप्त करना चाहिए। आज कालेधन ने पूरे देश के अंदर समानांतर अर्थव्यवस्था का रूप धारण कर लिया है। यह चुनौती चिंता का विषय है। इस चुनौती को आपने स्वीकार नहीं किया तो आने वाला दिन, आने वाला इस देश का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप भी उन यथास्थितिवादी लोगों की श्रेणी में रखे जाएंगे, जिन लोगों ने इस देश को बहुत दिन तक यथास्थिति में रखने का काम किया है।

हम बड़े अदब के साथ कहना चाहते हैं कि आपको उस 58,000 करोड़ रुपए को वसूलने की चिंता होनी चाहिए, जो इस देश के पूंजीपतियों के यहां ऋण के रूप में है। आज ऋण की वसूली के नाम पर किसान के साथ और मजदूर के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, यह वित्त मंत्री जी, आप स्थानीय स्तर पर जाकर देखें। तहसील का वह सीलन और बदबूदार कमरा, वह जेल जिसमें 500 रुपए तक के बकायादार को पकड़ कर आपका कुर्क अमीन उसे बंद करने का काम करता है।

जिन उद्योगपतियों के ऊपर करोड़ों रुपया बकाया है, उनसे ऋण वसूलने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। जो आपके बैंकों की ऋण नीति है, इस नीति के अन्तर्गत आम आदमी, गरीब आदमी, कितना उपेक्षित और मर्माहत हो रहा है, शायद आपको उसकी पीड़ा का एहसास नहीं है। आज प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत, आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ योजना के अन्तर्गत, कृषि लोन के अन्तर्गत जब नौजवान किसान मजदूर बैंकों में ऋण लेने के लिए जाता है, ऋण की एक निश्चित धनराशि रिश्वत के रूप में उसे देने के पश्चात् उसे ऋण प्राप्त होता है। पूरी ताकत बैंक की चौखट पर रगड़ने के बाद उसे ऋण प्राप्त होता है। उसकी जितनी ऊर्जा है, वह ऋण प्राप्त करने में ही समाप्त हो जाती है, उसका उत्साह समाप्त हो जाता है और आज इस व्यापारिक स्पर्धा के युग में वह नौजवान उस ऋण को प्राप्त करने के बाद उस ऋण की अदायगी नहीं कर पाता। जब किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह ही समाप्त हो जाएगा तो वह प्रगति के पथ पर कैसे बढ़ेगा? इसकी कल्पना स्वयं वित्त मंत्री जी कर सकते हैं।

आज सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान और मजदूर तबाही के रास्ते पर खड़ा है। आज आपने डीजल, उर्वरक, केरोसिन ऑयल तथा रसोई गैस की सब्सिडी में कटौती की है, इससे निश्चित रूप से मध्यम तथा निम्न वर्ग प्रभावित हुआ है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप बजटीय घाटे को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने ही कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री अरुण शौरी जी के पूर्व के लेखों को पढ़ना चाहिए जिन्होंने कहा था कि कैसे हम फिजूलखर्ची को रोकेंगे और फिजूलखर्ची को रोककर हम कितना रुपया इस देश का बचा सकते हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपनी मशक्कत से इस देश को केवल आर्थिक स्थिति में सहयोग ही प्रदान नहीं कर रहा है बल्कि वह ईमानदारी से इस देश की तरक्की में अपना योगदान कर रहा है, इसलिए कृपा करके उसे मारने की कोशिश मत करिए।

आप जिन कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों की समीक्षा भी आपको करनी चाहिए। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत आपने प्रदेशों को करोड़ों रुपया दिया है। उसमें आपने मानक निर्धारित किया है कि चालीस प्रतिशत सामग्री पर खर्च किया जाएगा और साठ प्रतिशत लाभांश पर खर्च किया जाएगा। यदि सुनिश्चित रोजगार योजना की पूरे देश के पैमाने पर आप समीक्षा करें तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि पचास प्रतिशत से भी कम धन का सदुपयोग हो रहा है और पचास प्रतिशत से अधिक धन का दुरुपयोग हो रहा है। आपने मजदूरों को रोजगार देने के लिए इस योजना को लागू किया लेकिन प्रदेशों में जाकर देखिये कि इस योजना के अन्तर्गत मजदूरों को कितना रोजगार प्राप्त हो रहा है। यह रुपया अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। इन योजनाओं की समीक्षा करके, इन योजनाओं को व्यवहारिक रूप प्रदान करके, आप बहुत पैसा बचा सकते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी इस देश में जो विसंगति है, उसको तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। अभी पिछले दिनों इसी सदन के पटल पर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने कहा था कि शिक्षा की राष्ट्रीय औसत दर 52.2 प्रतिशत है और उसमें भी विसंगति यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य उस 52.2 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत दर को भी प्राप्त करने में भी पिछड़ गये हैं। हम माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा ये बुनियादी चीजें हैं, ये सुविधायें हर आदमी को मिलनी चाहिए। इस दिशा में आपको ठोस पहल करनी होगी। व्यावहारिक नीति अख्तियार करके, आप कागजों में तो नीतियों को लागू करते चले जा रहे हैं आप रोज नये-नये कार्यक्रम दे रहे हैं लेकिन उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी आपको नजर डालनी होगी। आज आपने मिट्टी के तेल पर से सब्सिडी समाप्त करके गरीब की रोशनी को छीन लेने का काम किया है। यदि अन्य सामानों की सब्सिडी को बहाल नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी के तेल की सब्सिडी तो निश्चित रूप से बहाल करनी चाहिए। अंत में दुष्यंत कुमार जी की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं :-

कहां तो तय था चिरागां हरेक घर के लिए,
कहां चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए।

डा॰ सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): आपने बजट की परिचर्चा में भाग लेने के लिए मुझे जो वक्त दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह हर आदमी जानता है कि जो बजट हर साल पेश किया जाता है, वह सरकार का एक दर्पण होता है।

उस दर्पण में न केवल सरकार अपनी तस्वीर देखती है, बल्कि देश का हर नागरिक यह देखना चाहता है कि तस्वीर कितनी साफ-सुथरी है और तस्वीर कितनी अच्छी है तथा तस्वीर से देश का कितना भला हो सकता है। हालांकि, हमारी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, सरकार की एक सहयोगी पार्टी है और हम सरकार के बजट का भरपूर समर्थन भी करते हैं, लेकिन जहां कमियां हैं और जो बातें आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के खिलाफ हैं, उन बातों को उजागर करना

[डा॰ सुशील कुमार इन्दौर]

हमारा फर्ज बनता है। मैं उन्हीं कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान, वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने संसद में कहा था कि सरकारी खर्च में किसी न किसी रूप में कमी करके हम बजटीय घाटे में कमी करेंगे। लेकिन पिछले साल के आंकड़ों को देखा जाए, तो इस साल वेतन में वृद्धि हुई है। सरकारी नौकरियों में जो तनख्वाहें दी जाती हैं, उनके आंकड़ों को देखा जाए, तो आप पायेंगे कि 1999 में सरकार ने 37,45,664 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इस वर्ष 38,26,665 करोड़ रुपए खर्च किए। महोदय, वर्ष 2000-2001 में कुल व्यय 3,38,487 करोड़ रुपए आंका गया है, जिसमें से 88,100 करोड़ रुपए योजनागत तरीके से खर्च करने की बात कही गई है, यानि प्लानिंग से खर्च करेंगे। अगर हम गैर-योजनागत तरीके पर खर्च को देखें, तो वह खर्च 2,50,387 करोड़ रुपए है, यानि चौथाई हिस्सा हम योजनागत तरीके से खर्च कर रहे हैं और तीन-चौथाई हिस्सा हम गैर-योजनागत तरीके से खर्च कर रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था में सुधार करना है, तो गैर-योजनागत तरीके से खर्च में कमी करनी होगी।

सभापति महोदय, आंकड़े याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैं आंकड़े पढ़कर बता रहा हूं। गत वर्ष 1999-2000 में संशोधित योजनागत तरीके से लगभग 8000 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुआ, जबकि गैर-योजनागत तरीकों पर 26000 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। एक तरफ हम किसानों को प्राप्त सुविधाओं पर सब्सिडी में कटौती कर रहे हैं और राशन व खाद्यान्न की सब्सिडी पर कटौती कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है। माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि किसानों को जो भी सब्सिडी दी जाती है, वह इसलिए दी जाती है, क्योंकि किसान देश की रीढ़ है। किसानों के साथ हर आदमी जुड़ा है—चाहे व्यापारी है, या मजदूर है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बिना किसान के हमारा देश चल नहीं सकता। अगर आंकड़ों के हिसाब से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद कृषि क्षेत्र से जहां पहले 55 प्रतिशत होता था, लेकिन आज 24 से 25 प्रतिशत तक ही रह गया है, जब कि आज देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि 60 से 70 प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हैं। बार-बार बयान भी आते हैं और कहा भी जाता है कि किसान की सब्सिडी इसलिए खत्म की गई, क्योंकि किसानों को उसका फायदा नहीं, उद्योगपतियों को उसका फायदा होता है।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बजाय सब्सिडी खत्म करने के, क्या कोई ऐसा साधन नहीं था, जिससे इस सब्सिडी का फायदा किसान को होता ताकि वह ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा करके देश को समृद्ध और उन्नत बनाने में कामयाब होता। इसी तरह सब्सिडी के मामले में बार-बार खाद्यान्न की बात कही जाती है। हमने सब्सिडी में कटौती करके मजदूर को, गरीब को राहत देने का काम किया। अगर हिसाब लगाया जाए, मान लो एक परिवार के लिए कम से कम 30 किलो अनाज चाहिए, तो पहले जो गरीब आदमी 30 किलो अनाज खरीदता था, वह तकरीबन 170 रुपए के आस-पास पड़ जाता था, आज अगर देखें तो वह 210 रुपए के आसपास पड़ता है। सरकार अगर यह कहे कि हमने गरीब को फायदा दिया, ये आंकड़े देखे जाएं तो 30 से 35 रुपए का उसका खर्चा बढ़ा है, मैं इस बात से सहमत हूं। मंत्री जी भी कहते हैं कि हमने सब्सिडी बढ़ाई है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के रख-रखाव की वजह से जो इकोनोमिक कास्ट बढ़ रही है, हमारा ज्यादातर खर्च उसी कारण है। मैं यही कहूंगा कि कैरोसिन को गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, आपने फर्टीलाइजर पर सब्सिडी खत्म की है, पहले किसान को 4000 प्रति टन देना पड़ता था, सब्सिडी खत्म करने के बाद वह कीमत 4600 प्रति टन हो गई है, जो किसान पर अनावश्यक बोझ है। इन मामलों में, आम आदमी को राहत देने के मामलों में वित्त मंत्री जी अपना पूरा योगदान देंगे और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

महोदय, सरकार के हम सहयोगी हैं और हमारा दायित्व बनता है कि हम सही-सही बातें सरकार की जानकारी में लाएं। मैं यह भी मानता हूं और सरकार भी बार-बार कहती है कि हमारे पास अनाज के बहुत भंडार हैं। हमारी जो विदेशी मुद्रा है, उसका भी भंडार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मंत्री जी अगर डालर और रुपए की तुलना करें तो यह महसूस होगा कि हमारा कितना भंडार बढ़ा है।

आज हम डालर के मुकाबले में रुपए की कीमत देखें तो बहुत कम है। इसी तरह से भंडार के मामले में हम कहते हैं कि हमारे पास अनाज के बहुत भंडार हैं। लेकिन अगर उसका खरीदार नहीं रहेगा तो उसका फायदा क्या होगा? आज भी लाखों टन अनाज रख-रखाव की कमी की वजह से खराब होता है। मेरा कहना यही है कि आम आदमी, गरीब और किसान को फायदा हो। हालांकि वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट पेश करने की अपनी तरफ से कोशिश की है लेकिन कहीं-कहीं चूक भी हुई है। उन चूकों में सुधार करेंगे और हमारा देश आगे बढ़े, समृद्ध बने, उसके लिए सुधारात्मक कदम उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दरअसल मैं अपनी पार्टी आर॰ एस॰ पी॰ की तरफ से वित्त विधेयक का समर्थन करने में असमर्थ हूं क्योंकि जो आशाएं हमें इस विधेयक से थी वह पूरी नहीं हुई हैं। गरीब तबके के लोगों को विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं उसके विकास को गति देने का काम जिस सरकार का था, उस सरकार की अर्थनीति अभी जो हमें दिखाई दे रही है और जिस तरह के निर्णय सरकार द्वारा लिये जा रहे हैं उससे यह मालूम नहीं होता है कि गरीब और धनी के बीच की खाई को पाटने के काम में सरकार को सफलता मिलेगी। उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली खाद्यान्न की वस्तुएं जो गरीब लोगों को वितरित की जाती थीं, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुहैया कराई जाती थीं, उन अनाजों के दामों में वृद्धि करने का काम इस सरकार ने किया है। इन अनाजों के ऊपर से सब्सिडी हटने के कारण जो अनाज राशन की दुकानों के माध्यम से इन गरीब तबके के लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध थे, उनके दाम ज्यादा हो जाने की वजह से आज ये लोग उन अनाजों के लेने में असमर्थ हैं।

सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह नीति गरीब तबके के पक्ष में है। मैं विपक्षी दल में होने के नाते इसका विरोध कर रहा हूं। एन॰ डी॰ ए॰ की सरकार का जो घटक दल है, विशेष करके माननीय सदस्य सुदीप बंद्योपाध्याय ने माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए, जिसके तहत आपने राशन में दिये जाने वाले अनाज के दामों में वृद्धि करने का निर्णय किया है।

साथ-साथ विशेष कर गांवों और होस्टलों में रहने वाले कॉलेज के छात्र हों या स्कूल के छात्र हों, उनके प्रयोग में आने वाले कैरोसिन तेल के दाम भी बढ़ा दिए। ते उसी से दीपक जला कर पढ़ाई करते हैं। मैं नहीं समझता कि आपने ऐसा करके कोई भलाई का काम किया। सत्तारूढ़ दल के सहयोगी दलों ने आपके इस निर्णय का विरोध किया। मैं भी इस निर्णय का विरोध करता हूं। शिक्षा को जो प्राथमिकताएं देनी चाहिए, उसे देने का काम नहीं किया। शिक्षा की जो रोशनी गांवों तक पहुंचनी चाहिए, इमारतों को बनाने के माध्यम से जो रोशनी होनी चाहिए, वहां स्कूल की बिल्डिंग बनानी चाहिए, शिक्षकों का प्रबन्ध होना चाहिए, लेकिन आपने उस ओर ध्यान देने का काम नहीं किया। आपने धनी श्रेणियों की तरफ ज्यादा ध्यान देने का काम किया। सेल्यूलर फोन्स के जरिए पैसा कमाने का सोचा, इससे साबित होता है कि आप अमीरों की तरफ अधिक ध्यान देते हैं। गरीब तबके को आर्थिक सहायता देकर ऊपर उठाने का दायित्व इस सरकार का है लेकिन आप यह काम करना नहीं चाहते हैं। आपने गरीब तबके को नजर-अन्दाज करके बड़े-बड़े उद्योगपतियों को सहूलियतें दी। इससे उनके मुनाफे में वृद्धि होगी। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने गरीब विरोधी जो निर्णय किए, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं।

जैसा मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सही प्रबन्ध होना चाहिए ताकि पिछड़े क्षेत्र के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, अनूसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हो सकें। इससे उन्हें विकास करने का पूरा स्कोप मिलेगा। वित्त मंत्री ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज तक पिछड़े हैं। इससे वे मेन स्ट्रीम में आएंगे और कम्पीटिशन में आ सकेंगे। वह तब तक इस तरह की स्थिति पैदा नहीं करते तब तक समाज में गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को पाट नहीं सकेंगे। जब तक आप गरीब लोगों को ऊपर उठाने का दायित्व सही तरीके से नहीं निभाएंगे तब तक आप देश को उन्नति के पथ पर नहीं ला सकेंगे। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप जो नीति लेने का निर्णय करें उसमें देखें कि आप देश को जिस उन्नति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पानी, घर और चिकित्सा का प्रबन्ध किया है या नहीं? उन्हें घर, खाना, चिकित्सा आदि सुविधाएं देने पर सही निर्णय लेंगे तब देश की उन्नति होगी। पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यदि ठीक समय पर उन्नति के रास्ते पर स्वतंत्रता के 52 साल बाद भी नहीं ला पाए तो उनकी यही स्थिति बरकरार रहेगी चाहे आप कितना अच्छा बजट क्यों न बनाएं? यदि उसे कार्य रूप में नहीं लाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रस और बी॰ जे॰ पी॰ की सरकारों में कोई अन्तर नहीं देखता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर बजट में यह घोषणा की जाती थी कि गरीबी हटाई जाएगी। मेरा सवाल है कि स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी गरीबी क्यों नहीं हटी?

गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर क्यों नहीं आ सके, यही सवाल मैं आज की सरकार से पूछना चाहता हूं। क्या आप गरीबों को दी जाने वाली सबसिडी को कम करके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं, क्या आप राशन के अनाज के मूल्य बढ़ाकर किरोसिन ऑयल का दाम बढ़ाकर उन लोगों की मदद करना चाहते हैं? क्या आपकी नजर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तरफ है या जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, उनको ज्यादा मुनाफा देने का काम करना चाहते हैं? इसलिये सरकार द्वारा इस वित्त विधेयक में लिये गए निर्णयों का समर्थन करने में स्वयं को असमर्थ पाता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, चूंकि माननीय श्री वैको, श्री किरीत सोमैया, डॉ॰ बी॰ बी॰ रमैया और अन्य सदस्यों ने कर प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की है और पहले ही अब 9 बजने वाले हैं, अत: मैं वह सब बातें नहीं दोहराऊँगा। किन्तु जब माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी ने वाद-विवाद आरंभ किया था तो कहा था कि गरीबों के लिये अवश्य सब कुछ किया जाना चाहिये। यह उनके भाषण का सार था। जब कांग्रेस पार्टी के ही श्री प्रवीण राष्ट्रपाल ने अपना भाषण समाप्त किया तो उन्होंने भी कहा था कि इस वर्ष रक्षा बलों के लिये 13,000 करोड़ रुपये खर्च किये गये। तब उन्होंने प्रश्न किया ''इससे गरीबों को किस प्रकार लाभ पहुंचा?''

इस सभा में सभी ने अपने भाषण में यह दर्शाया है कि इस देश के गरीब लोगों की उपेक्षा की जा रही है और सरकार केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अमीर लोगों के हितों का ध्यान रख रही है। मेरा प्रश्न यह है ''मान लीजिए पाकिस्तानी सेना, भारत पर आक्रमण करती है और उनकी सेना भारतीय सेना को पराजित कर देती है तो क्या वह सेना केवल अमीर लोगों को मारेगी?'' क्या यह सत्य नहीं है कि भारतीय सेना गरीब लोगों की भी रक्षा कर रही है? क्या रक्षा बलों पर किया गया व्यय केवल अमीर लोगों के लिये है?

माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया था ''सेल्युलर टेलीफोन पर सीमा शुल्क क्यों घटाया गया?'' क्या यह विलास की वस्तु है? हर अर्थशास्त्री यह जानता है कि टेली घनत्व में एक प्रतिशत वृद्धि से जी॰ डी॰ पी॰ में एक प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। यह विलास की वस्तु नहीं है। यह एयर-कंडीशनर या वातानुकूलित कारों की तरह नहीं है। अत: यह बुनियादि ढांचे का मात्र एक हिस्सा है। यह विकास का सूचक है। भारत जैसा देश कुछ स्तर तक आर्थिक स्थिरता तभी प्राप्त कर सकता है जब यहां लगातार कुछ वर्षों के लिए सात-आठ प्रतिशत की वृद्धि दर बनी रहे। विकास हेतु हम उसे किस प्रकार प्राप्त करें? बुनियादी ढांचे यानि कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुम्बई, मुम्बई से दिल्ली और पुन: कलकत्ता के लिए 7000 कि॰ मी॰ लम्बे चार पथ वाले मार्ग के निर्माण के मामले को लीजिए।

[श्री खारबेल स्वाईं]

रात्रि 9.00 बजे

यदि यह दो से तीन साल में तैयार हो जाता है तो इससे कितने श्रम दिवसों का सृजन होगा? इसके लिए कितनी मात्रा में कंकरीट, सीमेंट और इस्पात की आवश्यकता होगी? क्या इससे गरीबों को लाभ नहीं मिलेगा? इससे गरीबों को लाभ होगा और इसके लिये आपको धन की आवश्यकता होगी आप धन कहां से प्राप्त करेंगे? आप राजस्व प्राप्ति से पूंजीगत व्यय के संग्रहण से, इस देश का ऋण भार कम करके और विदेशी ऋण पर ब्याज की अदायगी में कमी करके धन प्राप्त कर सकते हैं। इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि गरीबी को सदगुण और संपन्नता को पाप दर्शाने से देश का कुछ भला नहीं होगा।

गरीबी कभी भी सदगुण नहीं है। हम कहते हैं वह सरकार अच्छी है जो गरीब लोगों को जल, विद्युत, चावल, मिट्टी का तेल इत्यादि मुफ्त प्रदान करती है। किन्तु इसके लिये आप धन कहां से लायेंगे? हर कोई कहता है अमीर लोगों पर कर लगाया जाये जैसे कि अमीर लोगों के पास रुपयों से भरे बक्से हैं। आप कभी भी उन पर कर लगायें, वे आपके पास आकर उसे जमा कर देंगे।

अभी हाल में जब सभा में मूल्य वृद्धि से संबंधित वाद विवाद चल रहा था तो श्री शंकर प्रसाद जायसवाल ने माननीय सदस्यों से संसद सदस्यों की कैन्टीन के लिए दी जा रही राजसहायता में कटौती पर सहमति देने को कहा। सभा में उपस्थित सभी सदस्य स्तब्ध रह गये थे। किसी ने भी इस विषय में एक शब्द नहीं कहा। कल्पना की किस उड़ान के वशीभूत होकर आप कह सकते हैं कि संसद सदस्यों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। कोई भी अपना विशेषाधिकार छोड़ना नहीं चाहता। इसी प्रकार, यह मानवीय प्रकृति है, सभी सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। अमीर लोग देना नहीं चाहते, गरीब लोग भी देना नहीं चाहते।

किन्तु मैं अपने माननीय वित्त मंत्री की सराहना करता हूं कि अनेक दोषारोपणों के बावजूद, वे सी॰ आई॰ आई॰, एस्सोन्चेम, एफ॰ आई॰ सी॰ सी॰ आई॰ के एक मित्र हैं, वे अमीर लोगों के मित्र हैं और सदा उनके साथ चल रहे हैं और उन्होंने विगत तीन वर्षों में बहुत सशक्त और साहसी उपाए अपनाए हैं। इस कारण से 1999-2000 में कर संग्रहण आंकड़ों में 19.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल मिला कर कर संग्रहण 1,70,118 करोड़ रुपये है। अप्रत्यक्ष करों में 16.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उत्पाद शुल्क संग्रहण में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; प्रत्यक्ष कर में 24.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; आयकर में 25.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और निगमित कर में 25.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह 1999-2000 के आंकड़े हैं। इसमें प्रतिशत-वार और आयकर-वार वृद्धि हुई है।

अब मैं आपको अन्य आंकड़े भी दूंगा। 1998-99 में बाह्य ऋण 1920 करोड़ रुपये था। उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 76 प्रतिशत वृद्धि हुई है। किन्तु वर्ष 1999-2000 में बाह्य ऋण घट कर केवल 906 करोड़ रुपये रह गया है। इसी प्रकार 1998-99 में बाजार ऋण में 112 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और गत वर्ष इसमें केवल 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष, यानि 1998-99 में, बाह्य ऋण की अदायगी में 19.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी और 1999-2000 में यह केवल 7.59 प्रतिशत था। यह इस प्रकार से हुआ कि माननीय वित्त मंत्री की कुशल नीतियों के कारण ऋण भार कम किया जा रहा है और कर उपयुक्त कतह से संग्रहित किया गया है।

अब, हर कोई उन 58,000 करोड़ रुपयों की बात कर रहा है जो संग्रहित नहीं किये गये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करूंगा हूं कि वे एन॰ पी॰ ए॰ के संबंध में इस सभा में स्थिति स्पष्ट करें। उन्हें यह स्पष्ट करने दिया जाये कि यह कब जमा हुई? क्या यह पिछले दो वर्षों में जमा हुई अथवा पिछले 45 वर्षों में जमा हुई?

हमें इस बारे में नहीं पता है। यहां तक कि वित्त संबंधी स्थायी समिति में जब हमने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा, "हमारे पास ये आंकड़े नहीं हैं। हम आपको ये आंकड़े बाद में देंगे"। उन्होंने ये आंकड़े प्रस्तुत दे दिये होंगे और माननीय वित्त मंत्री को उन आंकड़े के बारे में जानकारी होगी। अतः उन्हें इस सभा में यह स्पष्ट करना चाहिये कि किसके कार्यकाल में और किस वर्ष में, यह 58,000 करोड़ रुपये जमा हुए।

मैं दो अथवा तीन सुझाव दूंगा। एक सुझाव एम॰ पी॰ एल॰ ए॰ डी॰ एस॰ के संबंध में है क्योंकि एम॰ पी॰ एल॰ ए॰ डी॰ एस॰ के अंतर्गत जारी धनराशि आयोग विकास का मार्ग अपनाने के लिए लिया गया है। अब, नियम यह है कि इस धनराशि का उपयोग स्थायी परिसंपत्ति के सृजन के लिये किया जाए। क्या हम इस धनराशि का उपयोग रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये नहीं कर सकते? मैं माननीय वित्त मंत्री से इस मामले पर विचार करने का निवेदन करता हूं। क्या हम एक सहकारिता संगठन नहीं चला सकते जिससे हम कुछ लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं? अतः, मैं समझता हूं कि रोजगार के अवसर पैदा करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

मेरा अगला सुझाव शिक्षा के बारे में है। हम मासिक शुल्क के रूप में बहुत कम राशि का भुगतान करते हैं। पूरे भारत में, महाविद्यालयों में मासिक शुल्क कम है। मैं माननीय वित्त मंत्री से शिक्षा कर लगाने का अनुरोध करता हूं। क्यों नहीं? यदि भारत में कोई व्यक्ति अपने बच्चों को 1,000 रु॰ प्रतिमाह प्रति बच्चा खर्च कर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेज सकता है, तो वह शिक्षा के और गरीबों के लिए भारत सरकार को 100/- रु॰ या 200/- रु॰ का भुगतान क्यों नहीं कर सकता? माननीय वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के लोगों पर, विशेषकर उन पर जो भुगतान कर सकते हैं, शिक्षा कर लगाया जाए ताकि इस देश में शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सके।

महोदय, भारत सरकार ने पहले ही निर्यात संवर्धन जोन स्थापित किए हैं। मैं भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। अन्ततः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उड़ीसा जैसे 'बीमारू' राज्य हैं। वे आर्थिक दृष्टि से बहुत निर्धन हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन 'बीमारू' राज्यों और उड़ीसा के लिए सारे संसाधन लगाएं ताकि उनकी स्थिति में सुधार आ सके। जब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं आयेगा और जब तक वे पंजाब, महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे अपेक्षाकृत धनी राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते, तब तक भारत, समग्त रूप से अगली शताब्दी में एक महाशक्ति नहीं बन पाएगा।

इन शब्दों के साथ, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हालांकि मैं स्वयं को वित्त विधेयक तक ही सीमित रखूंगा किन्तु मुझे आशंका है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की चिन्ता हमेशा मात्र सद्इच्छा बन कर रह जाती है जब मामले पर ध्यान देने का समय आता है तो ये चिन्ताएं ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है।

महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त विधेयक क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की उदासीनता को परिलक्षित करता है जैसा कि सामान्य बजट में दर्शाया गया है। जिस पर इस क्षेत्र के कई सदस्य पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। वित्त विधेयक के कई उपबन्ध इस क्षेत्र के बहुचर्चित उद्योगीकरण की संभावना के लिए प्रतिकूल है।

पद्धति वही है। माननीय वित्त मंत्री ने खाद्य राजसहायता पर कटौती करके निर्धनों पर प्रहार किया न कि निर्धनता पर। इसी तरह वित्त विधेयक में, उन्होंने निम्न विकास के बदले निम्न विकसित पर प्रहार किया।

महोदय, वित्त मंत्री के रूप में डॉ॰ मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान में और 9वें दशक के पूर्वार्द्ध में, पहली बार 10-वर्षीय कर अवकाश की घोषणा की गई थी। हालांकि इस क्षेत्र में इसका बड़े उत्साह से तब स्वागत हुआ था, फिर भी हम में से कई लोगों की शंका थी क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के न होने के कारण ऐसे कर लाभ से ज्यादा उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए, हमने न केवल एक करावकाश की बल्कि इसे तब तक जारी रखने का सुझाव दिया था जब तक यह बुनियादी ढांचा सतत् औद्योगिक विकास के स्तर को प्राप्त न कर ले। महोदय, यह बाधा, कई ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न क्षेत्र के पिछड़ापन के कारण है। इसलिए, यह हमारे देश के अपेक्षाकृत राज्यों की तुलना में क्षेत्र कर लाभों और कर रियायतों का लाभ नहीं उठा सका। धारा 10 के अन्तर्गत शत-प्रतिशत कर लाभ प्राप्त करने वाले निर्मातोन्मुखी उपक्रमों का मामला एक प्रासंगिक उदाहरण है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इससे निर्यात, विशेषकर, सॉफ्टवेयर निर्यात को काफी बढ़ावा मिला। मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्माता एककों को अप्रैल, 1981 के प्रथम दिन के बाद से 10 वर्षों की कर छूट देने वाले धारा 10क अथवा धारा 105ञक के अन्तर्गत बिना न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम॰ ए॰ टी॰) लगे ही 1 अप्रैल, 1994 के बाद 10 वर्षों के लिए पूरी छूट उठाने वाले इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के मामले को लें। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र, हार्डवेयर पार्कों, सॉफ्टवेयर पार्कों तथा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोनो के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी है। हाल ही में गुवाहाटी में ऐसी बुनियादी सुविधाओं और गुवाहाटी तथा मेघालय में बर्नीहाट में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों का सृजन किया जा रहा है और जब बुनियादि सुविधाएं तैयार हो गई हैं, इन कर लाभों को वापस ले लिया गया है। अत: क्षेत्र के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण सफलता के लिए शेष देश से या विदेशी निवेशकों से क्षेत्र निवेश कैसे आकर्षित कर सकता है और छोटे सॉफ्टवेयर फर्म और निर्यातोन्मुखी उपक्रम जिनकी अब क्षेत्र में स्थापना अपेक्षित है, कोई कर छूट नही प्राप्त करेंगे। न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगाए जाने से एक अन्य रुकावट उत्पन्न हो गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास केन्द्रों और औद्योगिक विकास केन्द्रों पर धारा 10क के अन्तर्गत आयकर छूट प्राप्त हैं। धारा 80झख के अन्तर्गत क्षेत्र में कहीं भी स्थिति विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए भी कर छूट प्राप्त है। दुर्भाग्यवश, धारा 115 क क के अन्तर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाए जाने से ये छूटें अब समाप्त की जा रही हैं।

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया।

श्री विजय हान्दिक: कृपया मुझे कुछ समय दें, क्योंकि मैं कम से कम अपनी बात को कह सकूं। अपनी बात कहने दीजिए। हालांकि न्यूनतम वैकल्पिक कर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, निर्यातोन्मुखी उपक्रमों, और निर्यात आय पर लागू नहीं होगा, किन्तु यह क्षेत्र के लिए असंगत और उपेक्षापूर्ण है क्योंकि न्यूनतम वैकल्पिक कर से कोई ऐसी छूट पूर्वोत्तर के उद्योगों को नहीं दी गई है। अब भी अत्यधिक विलम्ब नहीं हुआ है, अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से यथार्थवादी सोच से इन मुद्दों की समीक्षा करने का अनुरोध करता हूं और यदि वे वास्तव में क्षेत्र में विकास चाहते हैं तो धारा 10क और 10ख को कम से कम पांच वर्षों तक क्षेत्र में जारी रखना चाहिए।

जब हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकीरण पर चर्चा कर रहे हैं, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान क्षेत्र में लघु औद्योगिक एककों की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। लघु औद्योगिक एककों को पर्याप्त धनराशि से अर्थक्षम बनाना है। लघु औद्योगिक एककों के प्रभावी रूप से काम न करने और पर्याप्त औद्योगिकीरण तथा रोजगार के अवसरों के अभाव में इस क्षेत्र में कोई शान्ति नहीं होगी। इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति लघु औद्योगिक एककों के पुनरूत्थान में निहित है जिनमें लाखों बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। नौकरशाही के घपलों से त्रस्त और गैर जिम्मेदार बैंकों और वित्तीय संस्थान से परेशान लघु उद्यमी अब ब्याज से छूट की मांग कर रहे हैं। मंत्री महोदय, क्या मैं इसे दोहराऊँ? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लघु उद्यमी ब्याज से छूट की मांग कर रहे हैं।

महोदय, पिछले 20 वर्षों से कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण, इन एककों ने काफी नुकसान उठाया है, जिससे अधिकांश उद्योग–लगभग 18,000 एकक–रूग्ण या बन्द हो गए। बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा ब्याज को माफ करने की जरूरत है ताकि अर्थक्षम एककों, विशेषकर राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थात्मक समिति, भारतीय रिजर्व बैंक तथा असम राहत उपक्रम अधिनियम द्वारा रूग्ण घोषित एककों का पुनरूद्धार किया जा सके। बैंकों से आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त करके उनका पुनरूद्धार किया जाना चाहिए और बैंकों को उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता पूरी करने हेतु अनुदेश दिया जाना चाहिए।

अन्तत: पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु औद्योगिक एककों के संबंध में विशेषज्ञों की विभिन्न समितियों की रिपोर्टों, विशेषकर कपूर समिति की अद्यतन रिपोर्ट को अविलम्ब कार्यान्वित किए जाने की जरूरत है और एक प्रभावी पुनरूद्धार पैकेज के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त कृत्यक बल बनाया जाना चाहिए।

[श्री विजय हान्दिक]

महोदय, सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के एकमात्र अर्थक्षम तथा फलते-फूलते उद्योग, अर्थात्, चाय के प्रति भी उदासीन है। यह सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाले उद्योगों में से एक है। इसे सरकार के सावधान और युक्तिसंगत रखरखाव की जरूरत है। उत्पाद शुल्क, जिसे डॉ॰ मनमोहन सिंह ने, जब वे वित्त मंत्री थे, समाप्त कर दिया था, को पुन: लगाए जाने से पहले से ही अधिक कर लगाए गए उद्योग को नुकसान पहुंचाया है। जब तक निर्माण की लागत को घटाया नहीं जाता है तब तक कोई प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नहीं हो सकता है और उसके बिना नीलामी बाजार स्थिर नहीं बनाया जा सकता है। नीलामी बाजार के स्थिरीकरण के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा इस समस्या से जुड़ा हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लाखों नवयुवकों ने लघु चाय बागानों का कार्य शुरू किया है और इस तरह कम से कम अंशत: स्वयं बेरोजगारी को दूर किया है। अत्यधिक श्रम प्रधान उद्योग प्रमुख रूप से कृषि-आधारित अद्योग होने के कारण चाय के उद्योग में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। मौसम की अनिश्चितता भी रहती है। इस क्षेत्र की नवीनतम घटना यह है कि नीलामी बाजार के स्थिर न होने और चाय उद्योग द्वारा लागत को पूरा न कर सकने के कारण लघु चाय उत्पादकों की हरी पत्तियों की कीमत कम हो रही है। उत्पाद शुल्क फिर लगाए जाने से स्थिति बदतर हुई है। मुझे आशंका है इस अस्थिरता से न केवल बेरोजगार नौजवानों के लघु चाय बागान प्रभावित होंगे बल्कि यह सामाजिक राजनीतिक अनिश्चितताओं को भी बढ़ाएगी। अन्त में मैं सरकार से पूछता हूं कि जब हमारे पास फालतू चाय है, तो उसके आयात का क्या तुक है? वास्तव में चाय उद्योग के प्रति सरकार का दृष्टिकोण ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री होलखोमांग हौकिप अपने विचार रखेगें।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे: कांग्रेस के बाद बी॰ जे॰ पी॰ का नम्बर आया और इसके बाद शिवसेना का नम्बर आना चाहिए। कांग्रेस के बाद बी॰ जे॰ पी॰ के दो लोग बोल चुके, इसके बाद शिवसेना का नम्बर होना चाहिए। . . . *(व्यवधान)* बैठना है, इसका मतलब यह नहीं है. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

बी॰ जे॰ पी॰ के बाद शिवसेना की बारी थी। लेकिन पुन: आपने कांग्रेस पार्टी के सदस्य को बुलाया और अब आप फिर उधर से ही एक और सदस्य को बुला रहे हैं। हम यहां दो घंटे से बैठे हुए हैं। मेरी पार्टी से केवल एक सदस्य ही बोला है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: उनकी पार्टी से कोई नहीं बोले हैं।

श्री प्रकाश परांजपे: उससे मुझे मतलब नहीं है।

[अनुवाद]

इस सभा में यह होता रहा है कि बी॰ जे॰ पी॰ के सदस्य के बोलने के पश्चात् शिवसेना के सदस्य बोलते रहे हैं। बी॰ जे॰ पी॰ के सदस्य के बोलने के पश्चात् मेरी पार्टी से एक सदस्य बोला है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ठीक है आपको मौका दिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे: कतिपय नियम निर्धारित होने चाहिए ताकि हम अपने कार्यकलापों को तदनुरूप समायोजित कर सकें।

श्री होलखोमांग हौकिप (बाह्य मणिपुर): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद मेरा भाषण संक्षिप्त लेकिन सटीक होगा। मैं न तो विधेयक का समर्थन करता हूं और न विरोध। मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं जो कुछ राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित कर रहे हैं।

मैं यह चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री कुछ राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय घाटे की समस्या के समाधान के लिये एक व्यापक नीति तैयार करें। दुर्भाग्यवश अनेक राज्य उत्तरोत्तर घाटे की स्थिति का सामना कर रहे हैं यदि यही प्रवृति जारी रहती है तो सारी प्रणाली चरमरा जाएगी। मैं पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों, जिनके बारे में मैं जानता हूं का उल्लेख करना चाहूंगा और उन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा।

मेरे राज्य मणिपुर ने अपने कर्मचारियों को तीन माह का वेतन नहीं दिया है। इससे पूर्व नागालैण्ड में चार अथवा पांच महीने का वेतन नहीं दिया जा सका था। असम और त्रिपुरा की भी ऐसी ही स्थिति है। केवल मिजोरम, मेघालय और अरूणाचल प्रदेश की स्थिति ठीक है। स्थिति इतनी खराब है। सरकारी कर्मचारी बंद, हड़ताल कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। ऐसा अनेक अनावश्यक पदों के अंधाधुन्ध सृजन और फिर कर्मचारियों को फिजूल में वेतन की अदायगी के कारण है। यदि हम नियमित तौर पर धन उधार लेते रहेंगे और यदि हम लोकप्रिय बनने के तौर तरीके अपनाते रहेंगे तब निश्चित रूप से हम दिवालिया हो जायेंगे छोटे अथवा बड़े राज्य एक के बाद एक उत्तरोत्तर घाटे की स्थिति में जा रहे हैं। उनका खर्च उनकी आय से काफी अधिक है। आज हम घाटे की अर्थव्यवस्था में फंस गये हैं।

कुछ राज्यों में वर्तमान वित्तीय संकट का कारण हाल में नये वेतन-मान लागू करना है। वस्तुत: नये वेतन-मान सभी पूर्वोत्तर राज्यों में आधे राजस्व घाटे के लिये उत्तरदायी हैं।

इसलिये मैं कतिपय सुझाव देना चाहता हूं। हम अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने में असमर्थ हैं और वे हर रोज हंगामा कर रहे हैं। वे काम नहीं कर रहे हैं। वेतन वृद्धि के साथ-साथ राज्य स्वयं भी अपनी दुर्दशा के लिये दोषी हैं। हम केन्द्र सरकार को दोष नहीं देते हैं। अनेक वर्षों से लोक लुभावने उपायों और वित्तीय कुप्रबंध ने राज्यों की आर्थिक व्यवहार्यता को खोखला कर दिया है।

पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्र से भारी धनराशि प्राप्त होती रही है। लेकिन विडम्बना यह है कि धन का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। धन लुप्त हो जाता है। किसी को पता नहीं कि धन कहां चला जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों को संविधान के अन्तर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है। संविधान के उपबंधों के अनुसार इन राज्यों को भारी धनराशि और अनुदान प्राप्त हो रहे हैं। ये वित्तीय विशेषाधिकार बिना किसी कारण के नहीं हैं। इनमें से अनेक राज्यों के पास पर्यटन संसाधन नहीं हैं। कुछ राज्यों ने बिक्री कर नहीं लगाए हैं। मेरे राज्य में पर्वतीय क्षेत्र में आय कर भी नहीं लगाया गया है। ऐसा इसलिये है कि इन राज्यों में अधिकतर उत्पाद परिवहन पर होने वाले व्यय के कारण देश के अन्य राज्यों की तुलना में पहले से ही महंगें हैं। हमारा माल लम्बी दूरी के लिये ट्रकों द्वारा भेजा जाता है। हमारे राज्य में अवसंरचनागत समस्याएं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को वानिकी से पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता था। लेकिन अब वृक्षों की कटाई को भी विनियमित कर दिया गया है। अत: अधिकतर राज्यों में आय का कोई स्रोत नहीं है।

महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के 53 वर्षों के बाद भी पूर्वोत्तर क्षेत्र अभी भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। पूर्वोत्तर राज्य अभी तक भी अर्जन आय को देश के शेष राज्यों के समकक्ष नहीं बना पाये हैं पूर्वोत्तर राज्यों की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है।

अब मैं आपको अपने राज्य मणिपुर के बारे में बताना चाहता हूं। हम 16 उग्रवादी और अलगाववादी भूमिगत समूहों का सामना कर रहे हैं। हम विवश हैं। हम विकासात्मक कार्य नहीं कर पाये हैं। आवाजाही काफी प्रतिबंधित हैं।

राज्यों में गम्भीर वित्तीय संकट की स्थिति बनी हुई है। पुर्वोत्तर में कुछ राज्यों में वित्तीय आपात स्थिति लागू करने और बिना लोक लुभावने उपायों के सख्ती के साथ निपटने को आवश्यकता है। केवल तभी वे अपनी वित्तीय स्थिति को सही बना सकते हैं। यदि माननीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय द्वारा इन छोटे आयविहीन, राजस्वविहीन राज्यों की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने के लिये व्यापक नीति नहीं बनायी जाती है, तो मैं सोचता हूं कि जल्दी ही हमारी स्थिति काफी बदतर हो जायेगी।

राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें सदैव केन्द्र सरकार के पास पैसा मांगने के लिये आना पड़ता है—पैसा दो, पैसा दो। और राज्य स्वयं राजस्व अर्जन नहीं कर रहे हैं।

मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं। मैं आठ बार विधान सभा का सदस्य और मंत्री बना। इन लोगों के पास कभी कोई वित्तीय अनुशासन नहीं रहा। यदि हमारे पास बेहतर वित्तीय अनुशासन हो, तो सोचता हूं कि हम अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रगति और विकास कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश पूर्वोत्तर में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी स्थिति संवेदनशील और परिवर्तनशील है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक विकास से राज्य में शान्ति और वित्तीय नियंत्रण हो सकेगा।

अन्त में मैं एक बार फिर वित्त मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये कतिपय उपाय किये जायें, कतिपय कदम उठाये जायें। यह समय की मांग है।

वे एक एक करके पिछड़ते जा रहे हैं। इसका कोई अंत नहीं है। इसे रोका जाना चाहिये। उन्हें वित्तीय मामलों से सही ढंग से निपटना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका ध्यान संदर्भगत विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं पर विचार करें और हमारी ओर ध्यान दें।

श्री प्रकाश परांजपे: सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। विगत के तीन कार्यकालों के अपने अनुभव के साथ मुझे कुछ कहना है जो इस माननीय सभा के सभी सदस्यों के लिये कष्टदायक होगा।

महोदय, मैंने यह निष्कर्ष निकाला है और मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हम निर्वाचित सदस्य जो इस देश के नीति निर्माता हैं, नौकरशाही के हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं। जब मैं ऐसी बात कहता हूं तो मैं अनेक उदाहरण भी दे सकता हूं लेकिन मैं यह दर्शाने के लिये केवल दो अथवा तीन उदाहरण ही दे रहा हूं कि नौकरशाही हमें हर बार किस तरह से झुकने के लिये कहती है जबकि हम नीति संबंधी निर्णय लेते हैं।

महोदय, मैं एक घटना का वर्णन कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री मेरी बात को सुन रहे होंगे।

[हिन्दी]

महोदय, तीन वर्ष पूर्व आपने कहा था हम डंडा राज्य खत्म करेंगे।

[अनुवाद]

मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की एक घटना का वर्णन करने जा रहा हूं। आयकर विभाग का अतिरिक्त आयुक्त, जिसके पास समीक्षा की शक्तियां हैं, छापा मारने की नहीं गत तीन वर्षों से सहकारी बैंकों को परेशान कर रहा है और उन्हें ब्याज के माध्यम से अर्जित आय जो कि 10,000 रुपये से कम है, पर आयकर का भुगतान करने के लिये डिमाण्ड नोटिस भेज रहा है। महोदय, अधिनियम की धारा 194क(3) के अन्तर्गत यह कहा गया है कि बचत बैंक खाता आवर्ती जमा खाता पर दिया दिया जाने वाला ब्याज धारा15(ज्ञ) के अधीन घोषित मामलों के शेयरधारकों, अन्य बैंकों और बैंकों के सदस्यों को दिया जाने वाला ब्याज कर से मुक्त है। अधिकारी ने इस धारा के बावजूद भी नोटिस भेजे हैं। मैंने इस संबंध में वित्त सचिव से भी सम्पर्क किया था। आज सुबह मैंने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन से भी भेंट की है। मैंने उन्हें लिखित शिकायत कर यह मांग की है कि अधिकारी द्वारा भेजी गयी इन अवैध डिमाण्ड नोटिसों को वापस लिया जाये। मुझे इसका यह उत्तर मिला है।

[हिन्दी]

कानून में डिमाण्ड नोटिस विदड्रा करने का प्रोविजन नहीं है, उसकी हियरिंग करनी पड़ेगी और बाद में देखा जाएगा।

[श्री प्रकाश परांजपे]

[अनुवाद]

अधिकारी ने यह जानते हुए कि वह उन बैंकों को ऐसे डिमाण्ड नोटिस नहीं भेज सकता, जो गत दस वर्ष से कारोबार कर रहे हैं डिमाण्ड नोटिस भेज रहा है और उन्हें परेशान कर रहा है।

यह अधिकारी एक और तरह से भी परेशान कर रहा है। अधिकारी को कतिपय मामलों में खाताधारकों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है लेकिन वह बैंकों से सभी खाताधारकों के नाम पत्ते आदि भेजने के लिये कह रहा है।

[अनुवाद]

उसके पास 10 से 15 कर्मचारी हैं और वह चार लाख लोगों के खातों की जांच करना चाहता है। कोई भी अधिनियम यह नहीं कहता कि वह बैंकों से विस्तृत जानकारी मांग सकता है। इस संबंध में एक गोपनीय खंड है। जब तक कोई अधिकारी किसी विशेष कारण से जानकारी देने के लिए कहे तब तक बैंक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह बैंक खाताधारकों के बारे में जानकारी दे।

आप जानते ही हैं कि शिवरात्रि के दिन, दुध की खपत अधिक होती है। उसी अधिकारी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो दुग्ध व्यापारियों का सर्वेक्षण किया। एक दुग्ध व्यापारी की दुकान मेरे घर से मुश्किल से 10 फीट दूर स्थित है। उसने उसका सर्वेक्षण किया और दुग्ध व्यापारी को उसके सनदी लेखाकार सहित अपने कार्यालय में बुलाया और कहा, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि करना क्या है? उन्होंने कहा कि मुझे दो लाख रुपये दे दो और पांच मिनट में बाहर जाओ नहीं तो पन्द्रह लाख का नोटिस निकालता हूं। मैंने यह आपके सचिव को लिखित रूप में दिया है। दो लाख दो, नहीं तो पन्द्रह लाख का नोटिस निकालता हूं। दो लाख दिया, नोटिस नहीं। देश का फायदा हो गया।

उसी अधिकारी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बिल्डर का सर्वेक्षण किया और एक दिन उसने उस बिल्डर से एक करोड़ रुपये लिये। यद्यपि उस अधिकारी को तलाशी लेने की नहीं, बल्कि केवल सर्वेक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। वह इस ढंग से पैसा बटोर रहा है।

महोदय, आयकरदाता इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार से और वह भी आप जैसी प्रकृति के व्यक्ति से कुछ बेहतरी की आशा कर रहे हैं। आप अपने डंडा राज्य को कहां से नियमित करते हैं? इसी वजह से, मैं इस निष्कर्स पर पहुंचा हूं और मैं यह मांग कर रहा हूं कि आपको आयकर समाप्त करने के लिए गम्भीरता से विचार करना चाहिए। सफेद धन और काले धन में कोई भेद किए बिना पूरा पैसा बाजार में आने दीजिए। मैं ऐसा आंकड़ों सहित कह रहा हूं। गत वर्ष, मैंने यह पता लगाने के लिए एक एजेंसी नियुक्त की थी कि नौकरशाह भ्रष्टाचार के माध्यम से कितना पैसा कमाते हैं। ये अधिकारी आप जो धनराशि कर के रूप संग्रहित कर रहे हैं, उससे पांच गुणा अधिक धनराशि कमा रहे हैं। आय कर के रूप में जो भी धनराशि संग्रहित करते हैं, उसमें से प्रशासनिक व्यय घटाकर, 47 प्रतिशत आप की निवल आय है। कितने लोग आयकर दे रहे हैं? केवल एक प्रतिशत लोग आयकर दे रहे हैं। उन एक प्रतिशत लोगों के लिए आपके पास 65000 कर्मचारी हैं। अतः, आपको आयकर समाप्त कर देना चाहिए और आपको अपने पूरे कर्मचारी विभाग, सीमा शुल्क विभाग, उत्पादन शुल्क विभाग, बिक्री कर विभाग और अन्य विभागों को स्थानांतरित कर देने चाहिएं, जिनसे आप अपने राजस्व प्राप्ति की स्थिति में सुधार कर सकते हैं।

श्री एन० विट्ठल ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। वह यह है कि हमें कम-से-कम चार वर्षों के लिए सभी करों के अन्तर्गत सभी प्रकार की छूट रद्द कर देनी चाहिए। उन छूट से अधिकारियों को ग्राहक को यह रास्ता दिखाने का अवसर मिलता है कि देश को कैसे कर का कम भुगतान कर सकता है। ये लोग ग्राहकों को बता रहे हैं कि वे कर कैसे बचा सकते हैं। वे यह कहते हैं कि यदि ग्राहक एक करोड़ रुपये बचाता है, 25 लाख मुझे दे दो, 75 लाख आप रखो। क्या वे देश के लिए काम कर रहे हैं? क्या वे बजट में उस घाटे को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं?

मैं फिर बात दोहरा रहा हूं जो मैंने कही है अर्थात् इस देश के लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि महोदय आपसे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार से आम आदमी को न्याय मिलेगा। यदि आप इस अपर आयकर आयुक्त के, जांच पूरी होने तक निलंबन आदेश शीघ्र जारी कर सकें, तो मुझे खुशी होगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सभी उद्योगपति आपके नाम से एक विशेष दिवस मनाएंगे। वे आपके नाम से ऐसे केक काटेंगे, जैसे कि यह आपका जन्मदिन है।

इस देश में ये सब बातें हो रही हैं। इसके साथ ही मैं यह कहूंगा कि हम निर्वाचित सदस्य भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब कांग्रेस का राज हो, तो भा० ज० पा० आलोचना करेगी। यदि भा० ज० पा० का शासन हो, तो कांग्रेस आलोचना करेगी और यदि जनता दल का राज हो, तो हम दोनों उसकी आलोचना करेंगे। राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय हम इस सम्मानित सभा में अपना बहुमूल्य समय एक-दूसरे की राजनीतिक रूप से आलोचना करने में गंवा रहे हैं और नौकरशाह यही चाहते हैं, आप लड़ते रहो, हम खाते रहें। इसी वजह से, हम नियंत्रण खो रहे हैं।

मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। पिछले छह महीनों से बैंक करार जारी है। हमने आपके कक्ष में एक बैठक की थी और ब्यौरा देते समय हमने आपसे यह अनुरोध किया था कि बैंक कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक और मौका दिया जाए। हम आपको प्रायः नहीं मिलते रहते हैं, लेकिन नौकरशाह आपको अक्सर मिलते ही रहते हैं। दो अधिकारी आपको कोई हिसाब-किताब दे रहे हैं और आपको यह बता रहे हैं कि यदि इसके लिए आप एक और मौका देते हैं, तो बैंक पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। लेकिन जब 58000 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है, तो ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या आप लाखों कर्मचारियों के लाभ के लिए काम करेंगे अथवा आप उन कुछेक नौकरशाहों के लिए काम करेंगे, जो आपको अक्सर मिलते हैं और आपको वह आंकड़े देते हैं, जो कभी भी सही नहीं होते?

रात्रि 9.37 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

मेरी आपसे यह अपील है कि यदि कल आप अपने उत्तर में यह घोषणा करें कि लाखों बैंक कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक और मौका दिया जा रहा है, तो सभी बैंक कर्मचारी खुश होंगे।

दूसरे, विनिवेश के संबंध में काफी चर्चा हुई है। सरकारी क्षेत्र की ये सभी कम्पनियां एकाधिकार वाली वस्तु से शुरु की गई थी। वे सभी लाभ कमा रहीं थीं, लेकिन अब ये घाटा उठा रहीं हैं। अत: एक सुझाव है, साहब, प्राइवटाइजेशन कर डालो। क्यों? मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया सरकारी क्षेत्र की इन कम्पनियों की सभी खरीददारियों की एक विशेष एजेंसी के माध्यम से जांच करवाएं। व्यापार की क्या चालबाजी है? इसमें खरीददारी की अनुमानित लागत हमेशा तीन गुना ज्यादा दिखाई जाती है। यदि किसी वस्तु विशेष की लागत 5 लाख रूपये है, तो वे यह कहेंगे कि उस वस्तु की लागत 15 लाख रुपये है और वे एक निविदा आमंत्रित करेंगे। एक व्यक्ति उस वस्तु की कीमत 15.20 लाख रुपये, दूसरा 15.05 लाख रुपये और तीसरा व्यक्ति उसकी कीमत 14.95 लाख रुपये, उद्धृत करेगा जो कि न्यूनतम है तथा जिसे वह निविंदा दे दी जाती है। मेरी आपसे यह चुनौती है। कृपया पिछले सात वर्षों से सरकारी क्षेत्र की इन कंपनियों द्वारा निविदा द्वारा, कोटेशन द्वारा अथवा सीधे की गई सभी खरीददारियों की जांच कीजिए। उनके द्वारा दिखाई गई अनुमानित लागत तीन गुणा अधिक होगी।

मेरे पास अनेक उदाहरण हैं, लेकिन मैं केवल एक उदाहरण उद्धृत कर रहा हूं। एक कंपनी ने कोई कार्य विशेष 70 लाख रुपये में किया। उसी तरह का कार्य निस्संदेह उससे दोगुणा क्षमता के साथ करने पर सरकारी क्षेत्र की दूसरी कंपनी को अधिक-से-अधिक 1.4 करोड़ रुपये व्यय करना चाहिए था, लेकिन उसने उस कार्य पर 4 करोड़ रुपये व्यय किए थे। जब मैंने उन्हें पत्र लिखा, तो उन्होंने कहा कि यह कार्य एकमुश्त सौदा था उन्होंने अलग-अलग मदवार अनुमानित आंकड़े नहीं लिए थे। अत:, मैंने उन्हें बताया, "जब मैंने अपने पुत्र की शादी की, तो मैंने एक ठेकेदार को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु कहा था। विवाह के बाद, उसने आकर 5 लाख का बिल दिया।" तब मेरी पत्नी ने कहा, "पूछिए-सुबह का खाना कितना है, दोपहर का कितना है, शाम का कितना है और प्रजैंट में कितना पैसा है?" कान्ट्रैक्टर ने कहा—हमने बाइफरकेशन कुछ नहीं किया है, हमने लमसम पैकेज डील किया था, इसलिए लमसम पांच लाख रुपया दे दो।

इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में हम लोग एक साथ नहीं हैं। यदि हम राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में एक साथ हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप नौकरशाही पर अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं। नौकरशाही हमारी राजनैतिक लड़ाई का फायदा उठा रही है। ठीक है, चुनावों के समय हम राजनैतिक रूप से लड़ सकते हैं, लेकिन इस सम्माननीय सभा में नहीं।

हरेक ने मूल्य-वृद्धि के बारे में बोला है। मैंने भी श्री पाण्डेय को यह कहते हुए बीच में टोका था कि क्या यह सभा सर्वसम्मति से इस आशय का एक संकल्प पारित करेगी कि कम-से-कम अगले 20 वर्षों तक जाति, पंथ और धर्म पर विचार किए बिना एक परिवार में केवल एक बच्चा होगा। यदि ऐसा होता है, तो हम मूल्य वृद्धि और राजसहायता की इन सभी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन मतों के कारण कोई भी राजनैतिक दल ऐसा करने का साहस नहीं करेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसा विधेयक लाए। मेरा लोगों और नेताओं से यह अनुरोध है कि वे एक ऐसा विधेयक लाने में मदद करें, जिसमें यह प्रावधान हो कि कम-से-कम अगले 20 वर्षों तक जाति, पंथ और धर्म पर विचार किए बिना एक परिवार में केवल एक बच्चा हो। मांग और आपूर्ति का समूचा विषय अर्थशास्त्र का एक साधारण सिद्धान्त है। यदि हम इसका पालन करते हैं, तो हम मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण कर सकते हैं।

अन्तिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, लेखाविधि में यह कहा गया है कि बचाया गया धन ही अर्जित धन है। परसों मैंने किसी संसद सदस्य ने जो कहा था, उसे समाचार-पत्र में पढ़ा था। कैंटीन की सब्सिडी बंद करो, दो करोड़ बच जाएंगे। मेरा उससे थोड़ा आगे बढ़कर यह कहना है कि अगले पांच वर्षों के लिए हमें निर्वाचित प्रतिनिधियों और इसके साथ ही नौकरशाहों द्वारा किए जाने वाले सभी विदेश दौरों पर रोक लगा देनी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो केवल प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति ही किसी विदेश दौरे पर जाएंगे। यह देखिए कि हमने अभी तक विदेश दौरों पर कितनी धनराशि खर्च की है और मेरे देश को इसमे क्या फायदा हुआ है। अब आपके पास मीडिया है। यहां से वहां कम्प्यूटराइज हो गया, नेटवर्क हो गया। पेपर मंगाओ, पेपर भेजो। अगले पांच वर्षों तक किसी को भी कोई विदेश दौरा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसी विभाग, किसी नौकरशाह और इसके साथ ही किसी भी राजनैतिक हस्ती को भी किसी विदेश दौर पर जाने की अनुमति न दी जाए। ऐसा करके आप पैसे की बचत करेंगे। यदि आप इस अनावश्यक खर्च पर रोक लगा दें, तो आप काफी पैसा बचा सकेंगे। आम आदमी, सामान्य करदाता माननीय वित्त मंत्री महोदय से इसी प्रकार के वित्तीय अनुशासन की उम्मीद करता है, क्योंकि उन्हें दो तरफा अनुभव है। वे एक अच्छे आई॰ ए॰ एस॰ अधिकारी थे और अब वे एक अच्छे राजनेता हैं। यदि हम आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने के योग्य नहीं हैं, यदि कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई वही बुरी प्रथाएं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के कार्यकाल में भी दोहराई जाती हैं, तो आम आदमी दोनों के बीच अन्तर कैसे करेगा? जो हो रहा था, वही हो रहा है। फीगर में खाली बोलना है। वे कुछ रचनात्मक परिवर्तन चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि विधि सम्मत कर दाताओं के साथ न्याय किया जाना चाहिए। महोदय इसी कारण मेरा आपसे यह अनुरोध है कि बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कठोर कार्यवाही करनी है। हम कठोर कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी, जो विधि सम्मत रूप से अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, पर कर लगा रहे हैं। कठोर कार्यवाही उन पर करो, जो करप्ट हैं। यदि सरकार साहस दिखाए, तो मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री जैसे व्यक्ति के नेतृत्व के अन्तर्गत आम करदाता को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं। अर्थ विधेयक के ऊपर मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रभु राम चन्द्र जी 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या आए तो सीता माता को बहुत खुशी हुई। हनुमान जी ने ज्यादा पराक्रम किया। यह बजट ऐसा है, इसमें करोड़ों राशि दिखाई देती हैं, लेकिन इसमें गरीब को बिलकुल भी छुआ नहीं। इतना ही नहीं किसान, मजदूर, झुग्गी-झोपड़ी वाले लोगों, पिछड़े वर्ग वालों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसा लगता है कि इन्होंने सोचा है कि इनका गरीब रहना ही अच्छा है।

महोदय, गरीब को हमेशा बुरी नजर से देखते हैं। गरीबों को कुछ शिक्षा नहीं मिलती, न मान मिलता है। गरीबों के लिए हर चीज में अंतर होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मराठी में एक कहावत है कि ''खड़बड है, अंदरि करती कन शोधायाते जाती, परि अंति निराश होती, लव कर ही ते सोड़तील सदनाला, गनगोत जस अपणाला।'' उपाध्यक्ष महोदय, गरीब के घर में चूहे इधर-उधर घूमते हैं लेकिन उन्हें अनाज नहीं मिलता है, इसलिए वे गरीब के घर से निकल जाते हैं। इसी तरह से जो सगे-संबंधी लोग होते हैं वे भी गरीब को छोड़ जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पोल्ट्री फार्म उद्योग को सरकार ने न तो कृषि उद्योग में डाला है न ही कहीं और डाला है। उसके ऊपर 40 प्रतिशत इन्कम का बोझ है। बिरला-टाटा ने जबरदस्त उद्योग स्थापित किए, इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। पैसा भी उन्होंने खूब लगाया, लेकिन उनके उद्योगों से गरीबों के लिए इतना रोजगार कभी नहीं मिला, जितना पोल्ट्री फार्म से दो करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। इस उद्योग को ध्वस्त करना अच्छी बात नहीं है।

गैट करार से अमरीका में इतनी मुर्गी होती हैं कि उनको समुद्र में फेंक दिया जाता है लेकिन यहां का धंधा डूबने वाला है और दो करोड़ लोग बेकार होने वाले हैं . . . *(व्यवधान)* मेरी प्रार्थना है कि गैट करार से आयात-निर्यात तो होने वाला है लेकिन ज्यादा टैक्स लेकर भी यहां के धंधों को आप बर्बाद न करें ऐसी मेरी प्रार्थना है।

हथकरघे का धंधा मेरे गांव में अच्छी तरह से होता है लेकिन वहां इतनी बेकारी हो गयी कि यह धंधा भी डूबने वाला है। मेरी प्रार्थना है कि वहां के बेकार लोगों को रोजगार दिया जाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक मुखाड़ा जवार क्षेत्र है, जहां के लोगों की आमदनी केवल 38 नया पैसा है। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वहां एक संसदीय कमेटी बनाकर भेज दी जाये, जो इस सच्चाई की जांच करे। आप ही बताएं कि इतने पैसों में वे कैसे शिक्षा पाएंगे, कैसे खाना खाएंगे। आपने मुझे समय दिया धन्यवाद।

श्री रामानन्द सिंह (सतना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। प्रतिपक्ष की तरफ से इस सदन के वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने वित्त विधेयक पर भाषण करते समय यह कहा था कि भारत सरकार का कर्जा 8.50 करोड़ रुपए हैं। उन्होंने ऋणम् कृत्वा घृतम् पीबेत् की भी बात कही। उन्होंने यह नहीं कहा कि 8.50 करोड़ रुपए का कर्जा श्री अटल बिहारी सरकार ने लिया। उन्होंने इस बात को माना कि यह कर्जा पिछली सरकार द्वारा लंबे समय से चला आ रहा है। ऋणम् कृत्वा घृतम् पीबेत की बात इस सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। पिछली सरकार की बात अलग है। वित्त मंत्री ने इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर बल दिया। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संस्थानिक माध्यमों से कृषि के लिए इस वर्ष जो ऋण प्राप्त हुआ वह पिछले वर्ष की तुलना में 41,800 करोड़ रुपए की बजाय 2000-2001 के बजट में 20 परसेंट बढ़ कर 51500 करोड़ रुपए पहुंचा।

इसी तरह ग्रामीण आधार सुविधा विकास निगम को बढ़ा कर 4500 करोड़ करने का निश्चय किया। इसके द्वारा दिए ऋण पर आधा परसैंट ब्याज कम करने का फैसला किया। इसी तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था से सात से आठ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निरन्तर जारी रखने का निर्णय लिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए वे बहुत ऐतिहासिक और उल्लेखनीय है। उन्होंने ज्ञान आधारित अद्योगों की विकास क्षमता को मजबूत करने, कपड़ा, चमड़ा और कृषि संस्करण जैसे उद्योगों को आधुनिक बनाने, आधारभूत सुविधाओं की अड़चनों को दूर करने, मानव विकास संसाधन को उच्च प्राथमिकताएं देने, निर्यात वृद्धि में तेजी, विदेशी निवेश और विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन के जरिए विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को सशक्त बनाने और राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने पर जोर दिया। यह उस स्थिति में किया गया, जब देश के सामने अनेक चुनौतियां थीं। आज समूचा राष्ट्र यह स्वीकार करता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बहुत मजबूत और दूरगामी कदम उठाए हैं। यह उस स्थिति में किया गया जब कारगिल में 50 दिन तक युद्ध चला, उड़ीसा में महाचक्रवात से पूरे देश को परेशानी हुई, आम चुनाव के पहले समूचे देश में राजनैतिक अनिश्चितता थी, कुछ स्थानों में कमजोर मानसून की स्थिति थी, तेल की कीमतों में तीन गुना वृद्धि और विश्व आर्थिक सुधार की निरन्तर कमजोर जैसे स्थिति थी, अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र द्वारा आर्थिक प्रतिबंध, इसके बावजूद वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री ने बहुत हिम्मत के साथ देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़े मजबूत और ठोस कदम उठाए और अमेरिका जैसे राष्ट्र के प्रतिबंधों की किंचित परवाह नहीं की और देश को ऊंचा उठाने के लिए अपनी नीतियों पर मजबूती से आगे बढ़े।

इस सरकार ने इस बजट में किसान क्रेडिट योजना शुरु की। 50 लाख लोग इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठा सके हैं। मार्च 2001 तक 75 लाख कृषकों को लाने का प्रावधान रखा। यह ऋणम् कृत्वा घृतम् पीबेत् की बात-नहीं है। मैं तिवारी जी का बहुत सम्मान करता हूं और मुझे खुशी है कि उन्होंने बहुत संतुलित भाषण दिया। मोटे तौर पर उन्होंने वित्त मंत्री की नीतियों का समर्थन किया। यह स्वाभाविक है। प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें कुछ संकेत देना था। वह सम्मानित और बुजुर्ग हैं। मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री ने उनके भाषण के अंत में स्वयं टेबल थपथपा कर भाषण का स्वागत किया। यह

बहुत अच्छी परम्परा है। हमें तिवारी जी के भाषण से बहुत कुछ सीखने को मिला लेकिन हमारी ओर से श्री वाइको ने वित्त मंत्री की नीतियों के एक-एक बिन्दु को बहुत मजबूती और दृढ़ता से रखा।

यह सरकार किस तरह से देश की आर्थिक नीतियों को मजबूती के साथ आगे ले जाना चाहती है और देश को ऊंचा उठाना चाहती है। प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कों के लिये 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 2500 करोड़ रुपया ग्रामीण सड़कों के लिये व्यवस्था की गई है। पांच बुनियादि आवश्यकताओं के लिये बजट में कुछ पुरानी योजनाओं को मिलाकर कुल 13 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं प्रतिपक्ष से जानना चाहता हूं कि देश की आजादी के 52 साल के बाद भी क्यों आज हजारों लाखों गांवों में पेयजल न मिलने के कारण लोग तरस रहे हैं, यह उन्हीं की देन है। लेकिन हमारे वित्त मंत्री ने 2000-2001 के बजट में अगले पांच साल में गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का वायदा किया है। इसमें 60 हजार बस्तियों और 30 हजार विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 1807 करोड़ रुपये की मद को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपया किया गया है। यह ऋणं कृत्वा घृतम् पीबेत् नीति नहीं है, यह देश के गांवों और किसानों को ऊपर उठाने के लिये नीति बनाई गई है। देश के लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के लिये ऋण सीमा एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इसका यह देश और सदन स्वागत करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिला एवं लघु उद्योग क्षेत्र में एक विशिष्ट बैंक शाखा खोलने का वित्त मंत्री ने प्रयास शुरु किया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 54 हजार करोड़ रुपये की एक बहुत ही बहुआयामी योजना है और इसके कारण पेट्रोल, डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर बढ़ाया गया है जिसका देश का कोई भी समझदार आदमी विरोध नहीं करेगा। इस देश में राष्ट्रीय राजमार्ग को सुधारने की आवश्यकता है।

इसी तरह सबसिडी की बात यहां की गई है। मैं सबसिडी के बहुत खिलाफ नहीं हूं। मैं एक पुराना समाजवादी हूं लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि आजादी के 52 साल बाद भी हमने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के बजाय यह कर्ज लेकर ऋणं कृत्वा घृतम् पीबेत् सिद्धांत चलाया है। हालांकि आज भी कुछ क्षेत्रों में मजबूरी है, लोगों को सस्ता अनाज मिलता है, फर्टिलाजर में कुछ सबसिडी वित्त मंत्री जी दे रहे हैं, अगर वे चाहते तो यह छूट देते रहते, लोगों को कुछ कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, विरोध भी झेलना पड़ता है लेकिन हमारे वाजपेयी जी और वित्त मंत्री पर इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। यह स्वाभाविक है और हमारे दल के कुछ लोग नाराज भी हैं लेकिन देश को सही रास्ते पर लाने के लिये यह सबसिडी की राजनीति जहां आवश्यक है, गरीब तबके के लिये ठीक है, लेकिन जहां इसका दुरुपयोग होता रहा है, वहां पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है और उन्होंने इस दिशा में ठीक काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के क्षेत्र में पूरे देश में सुधार की आवश्यकता है। मैं अभी आधा घंटा पहले घर गया तो पता चला कि बिजली गुल हो गई है। मध्य प्रदेश में हालत यह है कि वहां किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, बिजली के कार्यालय पर ताला पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश तो क्या सारे देश में पिछले 6 वर्षों में बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। इस संबंध में वित्त मंत्री जी ने विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकरण करने पर राज्य संगठनों को सहायता प्रदान करने की एक नई योजना शुरु की है जिसके अंतर्गत केन्द्र प्रशासित प्रदेशों और राज्यों को एक हजार करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी। माननीय तिवारी जी ने बताया कि 1993 में बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ 47 लाख थी जो चिंता की बात है। सरकार इस संबंध में योजनायें बना रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में यह बताना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में वित्त प्रबंधन की बात की है जो इस देश के लिये महत्वपूर्ण है। अभी तीन दिन पहले इस सदन में मेरा एक गैर-सरकारी संकल्प आया था,

रात्रि 10.00 बजे

जिसमें मैंने कहा था कि केन्द्र द्वारा जो राज्यों को सहायता दी जाती है, अधिकांश राज्य उसका सदुपयोग नहीं करते। केन्द्रीय सहायता का कुल 57 परसेंट पूरे देश में व्यय होता है और शेष राशि लैप्स होती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वित्त प्रबंधन केवल केन्द्र की जिम्मेदारी नहीं है, राज्यों का वित्त प्रबंधन जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। जैसा श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने संकेत में कहा था कि उत्तर प्रदेश अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लिए 4,800 करोड़ रुपये का कर्जा लेता है, मध्य प्रदेश का स्थापना व्यय 91 परसेंट है और वहां के मुख्य मंत्री हवाई यात्रा में चार महीने में 2 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च करते हैं। यह ऋणम कृत्वा घृतम् पीबेत है। इस पर कैसे अंकुश लगे, यह माननीय वित्त मंत्री जी तथा प्रधान मंत्री जी को राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त सचिवों को बैठाकर तय करना होगा कि अब समय आ गया है कि राज्य अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अन्यथा उनका बोझ आपके ऊपर आ जाता है। जितना कर्जा वे लेते जायेंगे उसकी सारी जवाबदारी अंततोगत्वा संघीय शासन की होगी। गुनाह राज्य करेंगे, भुगतान केन्द्र को पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने कहा था कि हम डी० आर० डी० ए० का चेयरमैन सांसदों को बनायेंगे, मैं नहीं जानता वह क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितनी ग्रामीण विकास योजनाओं का पैसा जा रहा है, आप लोक सभा लाइब्रेरी से आंकड़े देखिये, अधिकांश राज्य सरकारें उसका दुरुपयोग कर रही हैं, खर्च नहीं कर रही हैं। अब समय आ गया है कि केन्द्र का जो पैसा राज्यों में जा रहा है, उस क्षेत्र से चुने हुए जो सांसद हैं, उन्हें यह केन्द्र सरकार जवाबदारी दे कि वे उसकी लुक आफ्टर करे कि उस राशि का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। जब तक उन्हें चेयरमैन नहीं बनाया जायेगा, तब तक यह ठीक नहीं होगा। आज हमारी स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश का बजट असफल हो गया तो मध्य प्रदेश के सांसदों को जो गाड़ी मिलती थी, वह

[श्री रामानन्द सिंह]

भी रोक दी गई। हम लोग विधान सभा क्षेत्र के तीन हजार गांवों में कैसे जाएं। यदि हम पूरी तनख्वाह खर्च कर दें तो भी दौरा नहीं कर सकते। वित्त मंत्री जी अगर इन योजनाओं को क्रियान्वयन करना है तो सांसदों को केन्द्र गाड़ी उपलब्ध कराये। अनाप-शनाप बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। कृपा करके आप स्वंय फैसला करिये। देश के कई राज्यों में विरोधी दल की सरकारें हैं, वे दूसरे दल के सांसदों को गाड़ी नहीं देना चाहते। मध्य प्रदेश में भा॰ ज॰ पा॰ सांसदों को गाड़ी नहीं मिल रही है, दूसरे सांसदों को किसी न किसी बहाने गाड़ी मिल रही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि केन्द्र का प्रबंधन आप चाहे कितना भी अच्छा करें, जब तक राज्य आपको सहयोग नहीं करेंगे, राज्यों का प्रबंधन ठीक नहीं होगा। यह संघीय व्यवस्था सफल नहीं होगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपकी नीति चाहे कितनी ही अच्छी हों, आप कितना ही अच्छा बजट पेश करें, लेकिन जो राज्य सरकारें आपके साथ लगी हुई हैं, यदि उनका सहयोग आपको नहीं मिलेगा, उन पर आप अंकुश नहीं लगायेंगे। राज्यों की स्वायत्तता के नाम पर उन्हें मनमानी करने की छूट देंगे, ऋणम कृत्वा, घृतम पीवेत की नीति रखेंगे तो अंततोगत्वा इस देश पर कर्जा बढ़ेगा, यह देश कमजोर होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस प्रबंधन में राज्यों को भी जोड़ने की आप कृपा करें। तभी हमारी नीति सफल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: हां, किन्तु आप अगर मुझे धमकी देंगे तो मैं आपको बुलाने की स्थिति में नहीं रहूंगा।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, मैं आपसे सविनय निवेदन कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको अवसर मिलेगा, श्री बैसीमुथियारी।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वित्त विधेयक का पुरजोर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं प्रतिपक्ष का व्यक्ति हूं इसलिए यह कहा जा सकता है कि परम्परागत रूप से मुझे इस वित्त विधेयक का विरोध करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि इस विधेयक का शासकीय पार्टी के तमाम सहयोगी दलों ने भी दबी जुबान से विरोध किया है। भले ही उनकी यह मजबूरी हो कि वह इसका पुरजोर विरोध नहीं का सकते, भले यह उनकी मजबूरी हो कि इस वित्त विधेयक के विरोध में, इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को उतना बुलंद नहीं कर सकते हैं जितनी उनको करनी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई यह है जैसा हमारे रूलिंग पार्टी के दो-एक सांसदों ने भी कहा है कि रूलिंग पार्टी के सदस्यों में भी कुछ बुनियादी मुद्दों को लेकर मतभेद है। क्योंकि पार्टियां हम लोगों की चाहे जो हों, सच्चाई यह है कि हम लोग अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं, उन गरीबों का वोट और विश्वास लेकर आते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं कि पार्लियामेंट में पहुंचकर हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, हम आपको राहत दिलाएंगे, हम आपके लिए नयी-नयी योजनाएं लाएंगे। रूलिंग पार्टी में सदस्य बंधकर रह जाता है। यह जानते हुए भी कि हम गरीबों को क्या मुंह दिखाएंगे, विरोध करने की उसकी अपनी सीमा होती है। हम लोगों की मजबूरियां नहीं होती हैं।. . .*(व्यवधान)* मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था।

श्री रामशकल (राबर्ट्सगंज): 50 साल में आपने क्या किया, वह बताइए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: बोलते हैं तो सुनने की भी आदत डालिये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं तो बहुत बाद में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं इसलिए ज्यादा समय आप भी मुझे नहीं देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने सब्सिडी को घटाने का कार्य किया है, हमारी पार्टी की नीतियां यह नहीं है कि हम सब्सिडी को जीवन भर के लिए रखने देना चाहते हैं। हमारी सरकार ने भी सब्सिडी को कट करने का काम किया था और हम सिद्धांत रूप में मानते हैं कि कभी ऐसा समय आना चाहिए जब सब्सिडी की बैसाखी को हमें पूरी तरह से हटा लेना होगा, लेकिन यह समय अभी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस मुल्क में आज भी 45 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, उस मुल्क में सब्सिडी इतनी मात्रा में कैसे घटाई जा सकती है? एक समयबद्ध कार्यक्रम अगर सरकार बनाती कि 20-25 या 30 साल में पूरे तरीके से इतने प्रतिशत की दर से हर वर्ष सब्सिडी घटाएंगे तो उसका समय कम से कम 20 साल होना चाहिए था और हर वर्ष मॉनीटरिंग होती कि हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना घटा है। ज्यों-ज्यों गरीबी की रेखा से नीचे, रहने वालों का प्रतिशत घटता जाता, त्यों-त्यों सब्सिडी की बैसाखी को हटाने का काम हम करते। अगर इस तरह से होता तो गरीबों पर अतिरिक्त बोझ भी न पड़ता और एक लंबे समय में सब्सिडी हट जाती। क्योंकि हमारे देश की जो विडंबनाएं हैं, हमारे समाज के ढांचे की जो विडंबनाएं हैं, उसको तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा चाहे उससे हमें जो भी नुकसान होने वाला हो, उससे हमारी योजनाएं कितनी भी बाधित क्यों न होने वाली हों। आखिर आज हम एस॰ सी॰ और एस॰ टी॰ को जो आरक्षण देते हैं, उसके पीछे यही सिद्धांत काम करता है कि हमारे परिवार में अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, कोई व्यक्ति अपंग है तो हम उस व्यक्ति को तब तक सहारा और मदद देते रहेंगे, जब तक वह पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सिद्धान्त सबसिडी पर भी लागू किया जाना चाहिए। सबसिडी हटनी चाहिए, लेकिन सिद्धान्त रूप में हमें यह भी मानना है कि हमारे देश में 45 फीसदी लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। अगर एक टाइम बाऊंड कार्यक्रम

बनाया गया होता, अगर हमारे वित्त मंत्री जी ऐसी कोई योजना प्रस्तुत करते कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को हम 20 साल में गरीबी की रेखा पर जीने वालों तक लाकर खड़ा कर देंगे और उसी 20 साल में हम सबसिडी को उतनी ही दर से घटाते चले जाते, तो शायद उस प्रपोजल से आपको भी लोकप्रियता मिलती, आपके सहयोगी दलों ने दबी जुबान से जो विरोध किया है, वह विरोध भी नहीं करते और आपके अपने जिन लोगों ने भले ही पार्लियामेंट में नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर विरोध किया है, उनको भी राहत मिलती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूं और वह यह कि हमारे देश में मध्यम आय वर्ग के लोग, नौकरीपेशा लोग, जो इस बजट के माध्यम से यह इन्तजार कर रहे थे कि शायद इस बार इन्कम टैक्स में और छूट मिलेगी, उनको बहुत निराशा हुई। हर व्यक्ति को यह आशा थी कि सरकार इन्कम टैक्स में छूट की सीमा को शायद और बढ़ाएगी, लेकिन सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, देश में समानान्तर काले धन की अर्थव्यवस्था आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस मुल्क में एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है। एक अर्थव्यवस्था संसद के माध्यम से निकल कर जाती है और एक अर्थव्यवस्था समानान्तर रूप में, पर्दे के पीछे से चल रही है। हम कभी सबसिडी घटाने की बात करते हैं कभी टैक्स लगाने की बात करते हैं, कभी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की बात करते हैं। इसके पीछे मूल उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा साधन और ज्यादा से ज्यादा आय के स्रोत हम अपने लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं, इस सरकार ने यह नहीं देखा कि समानान्तर अर्थव्यवस्था पर कहीं अगर हम अंकुश लगा सकें, तो शायद आय का सबसे बड़ा स्रोत वह हो जाता। आज तो स्थिति यह है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है, न ही काले धन को बाहर निकालने की कोई योजना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन्कम टैक्स के लिए हर साल जो परिवर्तन किए जाते हैं, कभी स्लैब कुछ घटाया जाता है, कभी स्लैब कुछ बढ़ाया जाता है, इस सब झंझट से बचने के लिए क्यों नहीं आप इन्कम टैक्स को मुद्रास्फीति से जोड़ते? अगर इन्कम टैक्स की दरों को इन्फ्लेशन के साथ जोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि हमेशा के लिए यह एक सबसे बड़ा सरल उपाय सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी हो जाएगा और सच्चाई यह है कि हर वर्ष रुपए की कीमत घटती है, हर वर्ष मूल्य सूचकांक बढ़ता है, लेकिन आयकर की दर लगभग ज्यों की त्यों बनी हुई है। कभी मामूली घट गई, तो कभी मामूली बढ़ गई। अगर कभी घटाई गई, तो छः महीने में कोई सरचार्ज लगा कर उसे बराबर कर दिया जाता है, इन्कम टैक्स पेयर को कोई फायदा नहीं होता और जितनी घटाई जाती है, उतनी ही वह फिर बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन्कम टैक्स को इन्फ्लेशन के साथ लिंक कर दिया जाए, तो शायद उससे सबसे बड़ा लाभ सरकार को भी होगा और उससे आम जनता को लाभ होगा। इसी के साथ में आपसे आग्रह करूंगा कि शेयर होल्डर्स पर तो हमारे देश में कोई टैक्स नहीं लगता है। कम्पनियों द्वारा जो डिवीडेंड दिया जाता है, वह 10 फीसदी से 20 फीसदी कर दिया है। इसका क्या तर्क है? इसका नुकसान यह होने वाला है कि शेयर होल्डर्स को कम्पनियां जो डिवीडेंड देती थी, अप्रत्यक्ष रूप से, पर्दे के पीछे से उस डिवीडेंड का प्रतिशत घट जायेगा। इसका नुकसान आम शेयर होल्डर्स को होने वाला है। आप 10 से 20 फीसदी भले ही कर दें लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे देश में कम्पनियों, पूंजीपतियों और बड़े लोगों की परम्परा रही है कि वे किसी न किसी तरह से इस घाटे को पूरा करने की कोशिश करेंगे और वह घाटा अंततः आम छोटे निवेशकों के कंधों पर पड़ जायेगा।

इसी तरह गवर्नमैंट ने एक्सपोर्ट की इनकम को टेक्सेबल कर दिया है। केवल उन्हें छोड़ा जो एक्सपोर्ट ओरियेन्टेड यूनिट में रजिस्टर्ड हैं। इससे नुकसान यह होगा कि जो कम्पनियां अपना 100 परसेंट माल एक्सपोर्ट करती हैं परन्तु वे ई० ओ० यू० में रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। . . . *(व्यवधान)* मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

दूसरा बिन्दु यह है कि सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट पर इनकम टैक्स लगा दिया गया है। पिछले दो, तीन वर्षों में सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट में जो बूम आया है, शायद माननीय वित्त मंत्री जी उसी वजह से लालच में आ गये और उन्होंने उस पर इनकम टैक्स लगा दिया। सच्चाई यह है कि पिछली सदी में सारी दुनियां की इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें हम पिछड़ गये। हमारा सौभाग्य है कि आज टैक्नौलॉजी में जो रेवोल्यूशन हो रहा है, उसमें हमारा मुल्क आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री है और यह सारी दुनिया के लिए सनराइज इंडस्ट्री है। इस पर हम लोग अभी से इतने मुगालते में न आ जायें। इस इंडस्ट्री को हमारे देश में फ्लरिश करना ही करना है, इसको पनपना ही पनपना है, चाहे उस पर कितना ही टैक्स लगा दिया जाये। मारा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें कि एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगाया है, वह वाजिब है या नहीं। इसके अलावा मुद्दे तो बहुत हैं। . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करिये।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। किसी देश का कैपीटल मार्केट, पूंजी बाजार उस देश की अर्थव्यवस्था की दशा का सूचक होता है। हमारे देश में सैंकड़ों कम्पनियों ने छोटे-छोटे निवेशकों का अरबों-खरबों रुपया लेकर भाग गई। माननीय वित्त मंत्री जी ने 1999 में अपने बजट में यह घोषणा की थी कि हम सेबी और कम्पनी मामलों के विभागों की एक ज्वाइंट कमेटी बनायेंगे। जो उस बात का पता लगायेगी कि हिन्दुस्तान के आम निवेशकों का पैसा लेकर कौन-कौन सी कम्पनियां भाग गई। बड़ी मुश्किल से उस ज्वाइंट कमेटी ने पता लगाया और पता लगाकर कुछ कम्पनियों की लिस्ट प्रस्तुत की है। इससे पहले अक्टूबर 1998 में फिक्की के सम्मेलन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि कैपीटल मार्केट को आकर्षित करने एवं निवेशकों का पुनः विश्वास

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

जागृत करने के लिए ऐसी कम्पनियां जो शेयर के माध्यम से निवेशकों का पैसा लेकर भाग गई हैं, उनके प्रोमोटर्स के खिलाफ वित्त मंत्रालय एवं अन्य संबंधित मंत्रालय द्वारा तीन महीने के अंदर सख्त कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई तो कुछ न कुछ जरूर चल रही होगी, फाइलें तो वित्त मंत्रालय में जरूर घूम रही होंगी लेकिन आज तक एक भी निवेशक को एक पैसा भी वापिस नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करिये।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय: महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरों ने भी बोलना है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: हम कैपीटल मार्केट को कैसे आकर्षित करेंगे। . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करिये।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जब तक आम निवेशकों का जो पैसा डूबा है, माननीय उपाध्यक्ष जी, उसका एमाउण्ट तो सुन लीजिए। 80 कम्पनियां पैसा लेकर भागी हैं और उसमें लगभग 50 लाख निवेशकों का पैसा लगा है। उसमें 50 लाख संख्या इन्वेस्टर्स की है और 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी उनकी डूबी है। उन सारी की सारी कम्पनियों के डायरैक्टर और मैनेजिंग डायरैक्टर इसी हिन्दुस्तान में मौजूद हैं। आज तक उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की गई। जब तक उनको वापस उनका पैसा नहीं मिलेगा, मैं कहता हूं कि चाहे पूरा पैसा न मिले, लेकिन अगर सरकार ऐसे फ्रॉड, ऐसे 420 लोगों के पीछे पड़ जाये तो उनका 25-50 प्रतिशत कुछ पैसा जरूर वापस मिल सकता है। उनको पैसा भी मिलेगा और कैपीटल मार्केट की ओर लोग आकर्षित होंगे कि यह सरकार कैपीटल मार्केट को जिंदा रखने के लिए कटिबद्ध है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस वित्त विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं। आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री रामशकल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन वित्त विधेयक के समर्थन में बोलने से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि आजादी के 50 वर्षों के बाद जब हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि गांवों में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है तो अपने ऊपर बड़ा तरस आता है कि आजादी के 50 वर्षों के बाद आज गांवों में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। इन 50 वर्षों में जो सत्ता और सरकार में बैठे लोग थे, वे यदि हर साल हर ब्लाक में पांच गांवों को चयनित करते, सैचुरेट करने की बात अगर रही होती तो आज शायद हम लोगों के पास काम नहीं होता। लेकिन जो सत्ता और सरकार में बैठे लोग थे, ठीक से पैसे का नियोजन नहीं किया, केवल लोगों को झूठे नारे देकर बरगलाकर, सत्ता और सरकार में रहने का काम किया। गरीबी मिटाने का नाता तो जरूर दिया, लेकिन गरीबों के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। गरीबों के नाम पर तमाम समाज सेवी संस्थाएं बनाकर, एन० जी० ओ० बनाकर इन कांग्रेस के लोगों ने साइड बिजनेस करने का काम किया है। इन्होंने करोड़ों रुपया क्रेडा और कापार्ट के नाम पर गरीबों के नाम पर लूटने का काम किया। केवल पेपर पर एन० जी० ओ० चलाने का काम किया। अगर ठीक से पैसे का नियोजन हुआ होता तो जो देश सोने की चिड़ियां के नाम से जाना जाता था, वह आज आर्थिक गुलामी के कगार पर न खड़ा होता। आज जब बच्चा इस देश में जन्म लेता है तो 9000 रुपये का कर्ज लेकर आता है, यह किसकी देन है। मैं कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 9000 रुपये का कर्ज लेकर आता है। इस नाते यह परिणाम है कि इस देश कि दुनियां में रुसवाई हुई।

द्वितीय विश्व युद्ध में जापान बुरी तरह से तहस-नहस हो गया था, लेकिन जापान अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आज जापान पूरी दुनियां को कर्जा बांट रहा है। आज जापान अपने पैरों पर खड़ा है और वहां का एक-एक व्यक्ति राष्ट्रीय है, लेकिन इस देश में कांग्रेसी कल्चर पैदा हुआ, खाओ और खाने देने की संस्कृति देश में डवलप हुई। जिस देश का प्रधान मंत्री घोटाले में न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगा और नरसिंह राव की सरकार को तो अगर घोटालों के आरोपों की सरकार कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस नाते कभी नेता शब्द बड़े गौरव से लिया जाता था। अब तो कोई नेता कहता है तो लगता है कि गाली दे रहा है, इस प्रकार से कांग्रेसी हुकूमत ने देश को पीछे धकेलने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को चरमराने का काम किया और देश के लोगों को धोखा देने का काम किया। आज इसी का परिणाम है कि वे विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, यह ठीक है कि हमारे दो साल भी पूरे नहीं हो रहे होंगे कि इन विरोधी दल के लोग कहा करते थे कि यह सरकार अगला बजट प्रस्तुत नहीं कर पायेगी, पिछले 12वीं लोक सभा के चुनाव में तमाम विरोधी दल के लोग इस प्रकार से कहा करते थे, लेकिन जिस प्रकार से हमारे वित्त मंत्री जी ने देश का बजट प्रस्तुत किया, तमाम विरोधी दल के लोगों को लगने लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इसी प्रकार से चलती रह गई तो हमारी राजनैतिक दुकान बन्द हो जायेगी। अब इन विरोधी दलों के लोगों ने मिलकर अच्छी खासी सरकार जो देशहित में काम कर रही थी, ऐसी सरकार को गिराने का काम किया। इस देश की जनता का करोड़ों रुपये का जो चुनाव में खर्च हुआ, ऐसे चुनाव में धकेलने का काम किया।

हमारी सरकार ने दो-तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, क्योंकि हम लोग गांव से चल कर यहां तक पहुंचे हैं। किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की बात सरकार ने की है। हम खेती करते थे। अगर हमें खाद या डीजल की जरूरत पड़ती थी तो हम मार्केट में औने-पौने दाम में अपना अनाज बेच कर या साहूकार से कर्जा लेकर खाद और डीजल खरीदा करते थे। लेकिन सरकार ने किसानों को उपहार स्वरूप

क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है। अगर कोई नौ एकड़ का काश्तकार है तो उसको एक लाख रुपए का कार्ड मिलेगा और अगर कोई तीन एकड़ का काश्तकार है तो उसको 25,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। जितने का भी कार्ड बना है, दो-तीन किस्तों में पैसा निकाल कर हम अपने लिए खाद और डीजल खरीद सकते हैं।

हमारी सरकार ने बजट में जिस प्रकार से रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहली बार विश्व में भारत को परमाणु सम्पन्न राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा करने का भी काम हमारी सरकार ने किया है यह इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तमाम ऐसे कदम उठाकर सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है।

उपाध्यक्ष जी, मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव वित्त मंत्री जी को देना चाहता हूं। आज इस देश में करोड़ों बेरोजगार नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके हाथों में श्रमशक्ति है, लेकिन काम नहीं है। अगर सहकारिता के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा नवयुवकों को काम उपलब्ध करा पाएं तो यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे देश में किसान देश की रीढ़ है। किसान जिस दिन खेती करना बंद कर देंगे, हमें आलू और प्याज के भाव समझ में आ जाएंगे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हम जब तक किसानों को मजबूत नहीं करेंगे, सिंचाई की अधूरी परियोजनाओं को टेकअप नहीं करेंगे, किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया नहीं कराएंगे और कृषि को लघु उद्योग का दर्जा नहीं देंगे, तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा। इसलिए हमें आगे आकर किसान के हाथों को मजबूत करना होगा। फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाना होगा।

इस देश में भ्रष्टाचार ब्लड कैंसर की तरह फैल गया है। आज भ्रष्टाचार का जिस तरह से बोलबाला है, आम आदमी को भी अगर कोई पैसा मिलता है काम करने का तो उस पैसे का सदुपयोग नहीं होता। अगर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहती है तो बड़े-बड़े महानगरों में जो नई-नई कालोनियां बस रही हैं, कौन प्लाट खरीद रहा है, कौन मकान बना रहा है, इसका सर्वेक्षण कराना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इन लोगों की आय के साधन क्या हैं। इसलिए इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक अभियान, जेहाद छेड़नी चाहिए। हम चाहे देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जितना अच्छा बजट पेश कर दें, लेकिन जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अगर इस पर नियंत्रण नहीं करेंगे, जनसंख्या की नीति बनाकर इसे रोकने का काम नहीं करेंगे, देश पीछे रह जाएगा। इसलिए हमें इसके लिए ठोस कदम उठाना होगा और जनसंख्या नीति बनाकर कठोरता के साथ लागू करनी होगी।

अगर मेरे इन सुझावों पर वित्त मंत्री जी ध्यान देंगे तो हम अवश्य ही प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होंगे। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं हिन्दी में बोलने का प्रयास करूंगा। मैं आधे दिल से इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और आधे दिल से इसका विरोध करता हूं। आधे दिल से विरोध करने का मतलब यह है कि पिछली लोक सभा, यानी 12वीं लोक सभा, के बजट अधिवेशन में मैंने अपने भाषण में वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया था कि हिन्दुस्तान का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, नार्थ-ईस्ट रीजन है, वहां के रहने वाले सारे हिल और ट्राइबल लोगों को इनकम टैक्स देने से छूट मिलनी चाहिए। लेकिन बड़े ताज्जुब और दिल दुखाने की बात है कि हिल और ट्राइबल लोगों के अलावा असम में जितने प्लेन जनजातीय लोग हैं, उनको इनकम टैक्स पे करने में छूट नहीं दी गई।

इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि प्लेन के ट्राइबल लोगों को भी इनकम टैक्स में एग्जैम्पशन देने के लिये पालिसी बनानी चाहिये।

[अनुवाद]

क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों को आयकर में छूट मिल रही है। जबकि असम के मैदानों में रहने वाले आदिवासी लोगों को आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा है। भारत में न्याय शब्द के दो अर्थ क्यों हैं? पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आदिवासियों के लिये न्याय के एक समान मानदण्ड होने चाहिये। मैं भारत सरकार से विशेषत: वित्त मंत्री से असम के मैदानी जिलों में रह रहे आदिवासी लोगों को भी आयकर में छूट दिये जाने की अपील करता हूं।

[हिन्दी]

दूसरी मांग जो पिछड़े वर्ग, शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैन्डलूम, हैण्डीक्राफ्ट कारपैट और टेक्सटाइल बेस्ड प्रोडक्ट प्रस्तुत करते हैं, उन पर कस्टम डयूटी नहीं लगानी चाहिये।

[अनुवाद]

आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग द्वारा बनाये गये हथकरघे, हस्तशिल्प और वस्त्र आधारित उत्पादों पर सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क सहित कोई भी केन्द्रीय कर नहीं लगाया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हिन्दुस्तान की सरकार ने नार्थ-ईस्टर्न रीजन के विकास के लिए बड़े-बड़े पूंजीपतियों को टैक्स होलीडे की सुविधा दी है। मेरे विचार में पूर्वोत्तर इलाके में स्थापित उद्योगों को टैक्स होलीडे देने से ही उस इलाके का विकास संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

निजी निवेशकों, उद्योगपतियों और बड़े व्यापारियों को कर छूट की सुविधा देने के बजाय भारत सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र के संपूर्ण विकास, उन्नति और लाभ के लिये कुछ उद्योग स्थापित करने चाहियें और कुछ परियोजनाएं प्रदान करनी चाहिये।

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान की सरकार ने कैरोसिन, डीजल, एल पी जी और पी डी एस द्वारा जो अन्न दिया जा रहा है, के दम बढ़ाए हैं। इन दामों में कमी की जानी चाहिए। यूरिया पर जो सब्सिडी है, उस पर विचार करना चाहिए। ताज्जुब की बात है, बोडोलैंड क्षेत्र में जितने भी नेशनल बैंक्स के कार्यालय हैं, उनको इन्सरजैंसी के नाम पर हटाया जा रहा है। मैं इस बारे में भारत की सरकार से एक मांग करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं भारत सरकार के विशेषत: वित्त मंत्री से यह अपील करता हूं कि वे संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दें कि वे विभिन्न बैंकों की सभी शाखाओं को बोडोलैण्ड में उनके संबंधित स्थानों पर पुन: स्थापित करें। यहां पर मैं भारत सरकार से पुन: अपील करता हूं कि उपेक्षित बोडोलैण्ड क्षेत्र के विकास और सुधार के लिये बोडोलैण्ड ग्रामीण बैंक नामक एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जानी चाहिये।

उस क्षेत्र के विकास के लिए बोडोलैंड हाउसिंग बैंक भी बनाना चाहिए और हिन्दुस्तान की सरकार को सीधे एक हजार करोड़ रुपए देने चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तान की सरकार असम की सरकार को जितना रुपया देती है, वह हमको नहीं देती है।

हिन्दुस्तान की सरकार को सीधे बोडोलैंड ऐरिया के लिए कम से कम एक हजार करोड़ रुपए देने चाहिए, क्योंकि यह पिछले 50 साल से बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए इनफ्रास्ट्रक्चर, रोड एंड ब्रिजेस, इरीगेशन एंड डेम प्रोजैक्ट्स, कंट्रोलिंग फ्लड मैनेजमेंट और कंट्रोल एंड रीवर इरोजन प्रोब्लम, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, होस्पिटल की कंस्ट्रक्शन, डिस्पेंसरीस, मेडीकल सेंटर्स, बोडोलैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिआी, आई आई टी, आई टी आई, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडीकल कॉलेज, पोलिटैक्नीक इंस्टीट्यूट, स्कूल बिल्डिंग, इनफोरमेशन टैक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट आफ इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस और रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन एम्पलायमेंट एश्योरेंस स्कीम के लिए, कल्चरल कॉम्पलेक्स, मार्केट कॉम्पलेक्स तथा कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए कम से कम 5000 करोड़ रुपए बोडोलैंड टैरेटरी को देने चाहिए।

महोदय, हिन्दुस्तान की तरफ से संविधान की धारा 275 के मुताबिक जो रुपया दिया जाता है, उस रुपए को सीधे बोडोलैंड टैरेटरी को देने चाहिए। हिन्दुस्तान में ऐसा सिस्टम महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सीधे भेजा जाता है।

[अनुवाद]

इसीलिये, मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो पैसा अनुच्छेद 275 के अंतर्गत असम सरकार को भेजा जा रहा है, वह वेलफैयर आफ प्लेन्स ट्राइबल डिपार्टमेंट को दिया जाना चाहिये असम सरकार को नहीं।

[हिन्दी]

आम जनता की सुविधा के लिए मांग है, पी डी एस सिस्टम और बी पी एल सिस्टम के जरिए हरेक परिवार को, एस सी, एस टी और पिछड़े वर्ग के लोगों को कम से कम एक महीने में सौ किलो चावल और आटा देना चाहिए। एक महीने में सिर्फ 20 किलो दिया जाता है, उससे क्या होगा। बोडोलैंड टेरेटरी में एक बायो फर्टीलाइजर प्लांट स्थापित करना चाहिए। एम० पी० लोकल ऐरिया डेवलपमेंट के लिए हरेक को साल में दो करोड़ रुपए दिए जाते हैं, मेरी मांग है कि नार्थ ईस्टर्न रीजन के हर एम० पी० को हर साल कम से कम दस करोड़ रुपए देने चाहिए, क्योंकि हमारी कोकराझार कांस्टीट्यूएंसी बहुत और वहां की अन्य काफी कान्सटीट्यूएंसीज बैकवर्ड हैं।

[अनुवाद]

पिछले 52 वर्षों में, पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के लिये कुछ नहीं किया गया है। अत:, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये न्यूनतम 10 करोड़ रुपये निर्धारित किये जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, एक बड़ा सीरियस मुद्दा हिन्दुस्तान की भलाई के लिए है कि मैं मांग करना चाहता हूं कि एक सेपरेट नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस डेवलपमेंट कार्पोरेशन बनना चाहिए। हिन्दुस्तान में एस सी, एस टी छात्रों को जो छात्रवृति दी जाती है, उसको प्रजेंट प्राइस इंडेक्स के मुताबिक वृद्धि करनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बैसीमुथियारी, अब आपको अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: अंत में, मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि बोडो समुदाय और प्रस्तावित बोडोलैण्ड राज्य के अन्तर्गत रहने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास के लिये पृथक बोडोलैण्ड राज्य की चिर-प्रतीक्षित मांग पर शीघ्र विचार किया जाये।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विपक्षी दलों का भाषण मैंने ध्यानपूर्वक सुना। सबको गरीबी की बहुत चिंता है। वोट डालने तो गरीब, अमीर और मध्यम वर्ग, सभी के लोग जाते हैं और अपना वोट डालते हैं। दुनिया के 15 देनदार देशों में भारत का नम्बर आठवां है। यह देन उन पिछले शासक वर्ग के लोगों की है जो गरीबी के नाम पर सदा चिल्लाते रहते हैं।

पिछली सरकारों ने जब भी देश में बजट पेश किया तो हर बजट में टैक्स बढ़ाया। सब जानते हैं कि जब बजट आता है तो रुपये की जरूरत पड़ती है। हम देख रहे हैं कि 50 साल की आजादी के बाद जो इस देश को चलाने वाले लोग थे वे केवल लोन छोड़कर गये हैं और साथ में कुछ शब्द छोड़कर गये हैं—सब्सिडी, सब्सिडी, सब्सिडी।

देश को एक नयी दिशा देने के लिए अब हमारे वित्त मंत्री जी ने जो कदम उठाया है वह सही और उचित कदम है। अभी मैं एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुंह से सुन रहा था कि डिफेंस बजट में इतना रुपया रखने की क्या जरूरत थी। मैं उनकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। ये केवल कारगिल की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि डिफेंस बजट में केवल कारगिल नहीं है। पिछली सरकारें देश के रास्ते में गड्ढा खोदकर गयी हैं जिसका हमारी सरकार रिपेयर कर रही है, उस गड्ढे को बंद कर रही है। ऐसा ही एक बड़ा गड्ढा पिछली सरकारों ने अंडमान निकोबार के दो द्वीपों, कोको आइलैंड छोटा और बड़ा को लेकर किया। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सन् 1948 में भारत के दो द्वीप बर्मा को गिफ्ट कर दिये थे। उन्होंने देखा नहीं था कि बर्मा अंडमान से नजदीक है या दूर है। उसका परिणाम आज क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत सरकार को अंडमान-निकोबार की रक्षा करने के लिए डिफेंस बजट में अधिक धन देना पड़ता है। कारण यह है कि जो द्वीप दिये गये थे वह बर्मा ने चीन को लीज पर दे दिये और अब चीन उनको लेकर दबाव दे रहा है और कोको आइलैंड पर सर्विलेंस बैठा रहा है, रॉकेट लांचर बैठा रहा है। बी बी सी के माध्यम से हमने सुना है कि चीन वहां प्लॉन बना रहा है कि कोको आइलैंड से रॉकेट छोड़ने पर पांच मिनट में दिल्ली पर एटम बम गिराया जा सकता है। सोचिये, अंडमान-निकोबार की दूरी कोको-आइलैंड से 50-60 किलोमीटर है। आज हमारे पश्चिमी बंगाल के भाई यहां नहीं हैं। अमरीका कुछ करेगा तो बहुत चिल्लाएंगे।आज चीन एटम-बम की धमकी दे रहा है। पश्चिमी बंगाल की दूरी कोको आइलैंड से 800 किलोमीटर है और दिल्ली की दूरी कोको आइलैंड से 5000 किलोमीटर है। दिल्ली तक पहुंचने में उसको पांच मिनट समय लगेगा तो आप सोच सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल तक कितना समय लगेगा। इसलिए डिफेंस बजट में जो 13000 करोड़ रुपया रखा गया है वह सही कदम है। इस बारे में कौटिल्य अर्थशास्त्र से मैं एक उद्धरण देना चाहता हूं। "विश्वास नहीं करता था कि शांति सदा बनी रह सकती है, उनके विचार में जो भी बलशाली होगा, वह युद्ध चाहेगा। शक्ति दोनों राजाओं को शांति स्थापित करने के लिए विवश करती है।"

जिस प्रकार दो लोहे खुद गर्म होकर आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार दो शक्तिशाली राजा परस्पर शांति संधि बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। हमने इसका नमूना देखा। जब हमारी 13 महीने की सरकार थी तो हमने एटम बम का परीक्षण किया। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन भारत आए और आज शांति की बात कर रहे हैं, इसलिए एटम बम परीक्षण और भारत के डिफेंस बजट में जो प्रोग्राम बनाए गए, वे सही हैं। मैं इनका भरपूर समर्थन करता हूं।

गरीबी उन्मूलन की चिंता करके और गांधी जी के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से कुछ लोगों के वोट लिए गए लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हुआ। मैं उदाहरण के लिए अंडमान और निकोबार की बात करना चाहूंगा। वहां प्लान और नॉन प्लान में बहुत कम पैसा खर्च होता है। वहां की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के वार्ड नम्बर 18 में म्यूनिसिपल कौंसिल हैं। वहां हर वार्ड में कम से कम 20 से 30 करोड़ रुपए की जरूरत है। अंडमान और निकोबार द्वीप में पानी, रोड ब्रिज जैसी बेसिक चीजों को लोगों को बेनिफिट देने के लिए तीन से चार हजार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है लेकिन प्लान के लिए केवल चार सौ करोड़ रुपया मिलता है। इस साल के बजट में मैंने देखा कि वह रुपया और घट गया। प्लान में 321 करोड़ रुपया दिया गया। मैं इस बारे में बाद में आऊंगा। वित्त मंत्री जी ने गरीबी उन्मूलन के लिए, ग्रामीण विकास के लिए कई स्कीम्स शुरु की। उन्होंने किसान क्रेडिट स्कीम शुरु की। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, हाउसिंग स्कीम, रूरल रोडस, ड्रिंकिंग वाटर, रूरल हाउसिंग स्कीम्स शुरु की। सबसिडी के बारे में मैं कहूंगा कि आज इसके बारे में वित्त मंत्री चिन्ता नहीं कर रहे हैं। सबसिडी कम करने के बारे में माननीय मनमोहन सिंह जी ने खूब चिंतन किया था। 1991-92 की मनमोहन सिंह जी की स्पीच में फर्टिलाइजर सबसिडी के बारे में जो कहा, मैं उसे कोड करूंगा।

[अनुवाद]

"उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि का आर्थिक औचित्य इतना स्पष्ट है कि इसे कहने की आवश्यकता नहीं है।"

[हिन्दी]

उन्होंने फर्टिलाइजर सबसिडी घटाने की बात कही थी। वित्त मंत्री जी ने पहले यूरिया के प्राइस नहीं बढ़ाए। 1986-87, 1991-92 और 1997-98 में इसके प्राइस एनक्रीज हुए। इसके साथ-साथ मनमोहन सिंह जी ने जो कहा, उसके बारे में हमारे वित्त मंत्री जी भी वही कहते हैं कि हर साल मीनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं इसलिए किसान को भी उसका थोड़ा बहुत भार वहन करना पड़ता है। फर्टिलाइजर प्लांट्स में जिस यूरिया का उत्पादन होता है, मामूली संख्या में किसान उसका प्रयोग करते हैं। बड़े-बड़े लोग कमर्शियल वैंचर्स में बड़े-बड़े फार्म हाउस चला कर यूरिया का उत्पादन करते हैं। इसलिए यूरिया से सबसिडी घटाई जा रही है। इसके दाम बढ़ने से किसानों पर बोझ पड़ने वाला नहीं है। मैं इनकी फीगर्स लेकर आया था।

वित्त मंत्री ने प्राइस राइस नहीं किए। 1980-85 टू 1998-99 में फूड ग्रेन्स 208 रुपये पर-क्विंटल से 244 रुपए बढ़ाया गया इसके बाद चार ऑकेशन्स में भी 1990-91, 1995-96 में इनके रेट बढ़ाए गए। इसी तरह गेहूं के भी दाम बढ़ाए गए। इस सरकार ने गरीब लोगों को अनेक बेनिफिट्स दिए। उन्हें अधिक अनाज मिले, इसकी चिंता करते हुए अनाज की मात्रा 10 किलो से 20 किलो बढ़ा दी।

बी॰ पी॰ एल॰ फूड सबसिडी में अधिक रुपया रखा गया है। मैं अंडमान निकोबार के बारे में एक बात जरूर कहूंगा। हमारे बोडोलैंड

[श्री विष्णु पद राय]

के साथी ने जो कहा, मैं उनसे सहमत हूं क्योंकि उन्होंने इसकी मांग की थी। अंडमान निकोबार में दो जिले हैं—एक अंडमान और दूसरा निकोबार। निकोबार अनुसूचित जनजाति जिला है, जहां इनकम टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिये। इसके साथ ही भारत का एक टापू लक्षद्वीप है जहां अनुसूचित जनजाति के लोग परम्परागत रूप से रहते हैं, उनको भी इनकम टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिये।

मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अंडमान की कुछ जरूरी मांगे हैं, जो पूरी होनी चाहिये। वहां 50 साल के बाद पहली बार कमल खिला है वहां ऐसा वातावरण नहीं बने कि आप रुपया घटा दें। आपने 1999-2000 के प्लान में अंडमान के लिये 400 करोड़ रुपया रखा था लेकिन वर्ष 2000-2001 में इसे घटाकर 321 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसको बढ़ाना जरूरी है। इसका कारण यह है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में बसने वाले दूर दराज के लोग केन्द्र की सहायता पर निर्भर रहते हैं। यह चिन्ता का विषय है। अंडमान निकोबार से हर साल 148 करोड़ रुपये की सब्जियां, दालें, फूडग्रेन्स चेन्नई और बंगाल में जाते हैं। इसलिये प्लान में रुपया बढ़ाया जाये। अंडमान निकोबार में कुल 577 द्वीप हैं जिसमें से 38 पर आबादी है, बाकी खाली पड़े हैं। ऐसे दो द्वीप—जौन लारेंस और हेनरी लारेंस द्वीप जहां नाम के लिये वन हैं अलावा कुछ नहीं है, उन्हें बसाने के लिये सरकार कार्यवाही करे ताकि वहां खेती की जा सके। ऐसा करने से केन्द्र को जो 150 करोड़ रुपया सबसिडी अनाज के लिये अंडमान निकोबार को देना पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं होगी। इसलिये इस द्वीप को बसाने के लिये सैटलमेंट के लिये रुपया दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अंडमान निकोबार ने टूरिज्म में काफी तरक्की की है। मेरा अनुरोध है कि आप इस ओर भी ध्यान दें। प्लान तथा नॉन प्लान में कुल मिलाकर इस बजट में 698 करोड़ रुपया रखा गया है जबकि वर्ष 1999-2000 में प्लान तथा नॉन प्लान में 755 करोड़ रुपया रखा गया था। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इसे बढ़ाकर 900 करोड़ रुपया किया जाये।

[अनुवाद]

श्री जी॰ पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन): सभापति महोदय, वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिये मैं अपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय वित्त मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किया गया वित्त विधेयक एक लेखाकार के बजट, जिसकी कोई विशेष दिशा नहीं हों, के सिवा और कुछ नहीं है।

दूसरे शब्दों में, यह बजट गरीबों, किसानों और बेरोजगारों के अहित में है। इन कारणों से मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं।

महोदय, यह बजट पश्चगामी है। ऐसा कहने के पर्याप्त कारण हैं। यह कहने कि जरूरत नहीं है कि बजट में मुद्रास्फीति की ओर झुकाव निहित है। यह इस बात से पता चलता है कि बजट प्रस्तुतीकरण के बाद से मुद्रास्फीति दर में वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्रवृत्ति अवश्य ही जारी रहेगी और इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन और समस्याग्रस्त होगा। गरीबी उपशमन की बातें सिर्फ कहने की बातें हैं। वस्तुत: मुद्रास्फीति में प्रत्येक वृद्धि जिसके कारण वास्तविक आय में गिरावट आयेगी, के साथ गरीबी और बढ़ेगी। खाद्य पदार्थों, रसोई गैस, मिट्टी के तेल और अधिकांशत: गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण ऐसा होगा।

वित्तीय घाटा, जिसकी बजट में परिकल्पना की गई है, जी डी पी का 5 प्रतिशत है। माननीय वित्त मंत्री इस बात का श्रेय लेना चाहते हैं कि यह 5.8 प्रतिशत से गिर कर 5 प्रतिशत हो गया है। वित्तीय घाटे में यह कमी विनिवेश से 5,000 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली के कारण है। वित्तीय घाटे में कमी का कारण राजसहायता में कमी और साथ ही पूंजीगत व्यय में कमी होना है। पहले कारण से मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होगी और दूसरे कारण से आर्थिक विकास की दर प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की बिक्री का प्रश्न भी है। पिछले वर्षों में बिक्री की कार्यवाही अनुमानित प्राप्तियों से कम रही है।

एक और कारक है जिससे मुद्रास्फीति की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। यह पेट्रोलियम, मिट्टी के तेल और रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों पर राजसहायता में कटौती की गई है। ये सभी कारक मिलकर मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का कारण बनेंगे। वित्तीय घाटे में सुनियोजित कमी से मूल्यों के स्तर में गिरावट आ सकती है किन्तु खाद्य पदार्थों पर राजसहायता में कटौती से खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होगी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, खाद्य पदार्थों के मूल्य ही सामान्य मूल्य सूचकांक को संचालित करते हैं। जब खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होती है तो सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है और इससे मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होती है। इस प्रकार इस बजट को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला बजट कहा जा सकता है।

मुद्रास्फीति के समय में जनता की आय में वृद्धि होती है। अत: छूट की सीमा को कम किया जाए ताकि लोग कर के दायरे में आ सकें और कर राजस्व में वृद्धि हो। किन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बजट में वृद्धि और अन्य संबंधित क्रियाकलापों पर ध्यान नहीं दिया गया है। वृद्धि राष्ट्रीय आय में 60-65 प्रतिशत की भागीदारी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यह क्षेत्र बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्न और निर्यात क्षेत्र के लिये कच्चा माल प्रदान करता है। किन्तु कृषि की उपेक्षा से खाद्यान्न के उत्पादन में गिरावट होगी और निर्यातयोग्य उत्पादों में कमी आयेगी। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और "ट्रेडगैप" बढ़ेगा हालांकी इस अंतर की विदेशी मुद्रा भंडारों से वित्तपोषण के द्वारा भरपाई की जा सकती है। इससे पता चलता है कि कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने की

आवश्यकता है जो कि राष्ट्र की अधिकांश आर्थिक समस्याओं का एकमात्र हल है।

इस संबंध में मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन से उद्धृत करना चाहता हूं।

रात्रि 11.00 बजे

मैं दिनांक 27.4.2000 के "डेल्ही स्टार" में से फार्म सबसिडी लोवेस्ट इन इण्डिया: पेनल नामक लेख का संदर्भ देना चाहता हूं। इसके अनुसार: "जहां भारत में कुल कृषि राजसहायता का भार विकसित यूरोपीय देशों—अमेरीका, जापान और कनाडा से कहीं कम है।. . .तथापि इन देशों, जो कि विकसित राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, की तुलना में प्रति व्यक्ति और कृषि योग्य भूमि के प्रति हेक्टेयर के संबंध में भारत में कृषि राजसहायता का स्तर सबसे कम है।"

इसके अतिरिक्त, कृषि राजसहायता जो कि वे भारत में दे रहे हैं, बहुत कम है। यह 17.8 रुपये प्रति हेक्टेयर है जो बहुत ही कम है।

महोदय, कुल कर राजस्व में 7000 करोड़ रुपये की कमी है। विनिवेश से 10000 करोड़ रुपये भी नहीं जुटाई जा सकी। ये दो कारक अवश्य ही वित्तीय घाटे को लक्षित 5 प्रतिशत से अधिक कर देंगे और इससे मुद्रास्फीति संबंधी शक्तियां उभरेंगी और यही शक्यिां बजट में निहित मुद्रास्फीति संबंधि क्षमता में वृद्धि करेंगी।

वित्त मंत्री गैर-योजना व्यय पर नियंत्रण करने में असफल रहे हैं। वर्ष 2000-2001 के लिये 35000 करोड़ रुपये अनुमानित व्यय में कुल वृद्धि का लगभग 75 प्रतिशत गैर-योजना के संबंध में है। ऋण पर ब्याज के दावे में अतिरिक्त 10,000 कारोड़ रुपये लगेंगे। ब्याज का कुल भुगतान लगभग 1,01,266 करोड़ रुपये होगा। इसमें अर्थव्यवस्था निश्चित ही ऋण के चंगुल में फंस जायेगी जिससे आसानी से निकालना संभव नहीं होगा।

महोदय, वित्त मंत्री ने बजट की यह कहते हुए व्याख्या की है कि यह एक जिम्मेदार बजट है जो कि हर पहलू के विकास पर बल देगा। प्रधानमंत्री ने भी बजट को सुधारोन्मुखी और प्रगतिशाली बताया है। पिछले वर्ष, वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गया। इस वर्ष यह अवश्य ही 7 प्रतिशत हो जायेगा क्योंकि बजट में अनिश्चितता है। चूंकि बचत की दर में रिकार्ड गिरावट आई है और निवेश के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं है अत: आर्थिक वृद्धि की दर अवश्य ही प्रभावित होगी जिससे बेरोजगारी और गरीबी अधिक बढ़ेगी। बजट प्रस्तावों से आर्थिक स्थिति के और खराब होने की संभावना है।

भारत को "सॉफ्ट स्टेट" बताया गया है, एक ऐसा देश जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार ही काले धन की जड़ है। भारत में काला धन 1.70 करोड़ रुपये है। यह अनुमान कम है। रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारतीय नेताओं, सिविल अधिकारियों और व्यापारियों की विदेशी बैंकों में जमा काले धन की राशि 500,000 करोड़ रुपये है। यदि सरकार यह धन निकाल सके तो भारत को विश्व बैंक या अन्य वित्तीय एजेंसी से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत विकसित देशों को ऋण दे सकता है। किन्तु इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बजट में कुछ नहीं कहा गया है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और मुझे समय देने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष जी, अपने भारत देश के महान वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने जो बजट पेश करते हुए अपने देश को आगे ले जाने का प्रयत्न किया है, मैं इस बजट का समर्थन करने में इसलिए असमर्थ हूं कि आपने जो फाइनेन्स बिल हाउस में पेश किया है, हम बहुत सालों से इसी पर हमेशा चर्चा कर रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसे ठीक हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने देश की इकनौमी जितनी ठीक होनी चाहिए उतनी ठीक करने में हम सफल हुए हैं। इसका कारण यह है कि अपने देश का जो शासन होता है वह पूरा प्रशासन पर निर्भर रहता है और यहां का प्रशासन यहां के शासन को ठीक प्रकार से काम करने का अवसर नहीं दे रहा है। प्रशासन खराब है मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि प्रशासन में लोग अच्छे भी हैं, लेकिन 75 फीसदी लोग ठीक नहीं हैं। उनको अपने देश से जितना प्रेम करना चाहिए, उतना नहीं कर रहें हैं। हमारे देश में ब्लैक मनी का निर्माण कैसे हो सकता है, उसमें हमारे लोग लगे हैं। हमारे देश की इकनोमी को डैवलप करना है, तो देश की इन्कम को बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ लोगों की सम्पत्ति बढ़ने से अपने देश की गरीबी हटने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि अपने देश की गरीबी हटानी है, तो कुछ अमीर लोगों को गरीब बनाने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बजट से हर साल गरीबी बढ़ती है। हर साल बजट में 10-15 हजार करोड़ रुपए बढ़ते हैं, तो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या पर बढ़ती जा रही है। उन लोगों को खाना नहीं मिलता है, रहने के लिए मकान नहीं मिलता है और पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं। झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों की झोंपड़ियों को बुलडोजर लगा कर नष्ट किया जाता है और उन्हें जमीन से बेदखल किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर उनके बारे में हम इस हाउस में बात नहीं करेंगे, तो हमारे यहां आने का कोई फायदा नहीं है। हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, वे इस बजट का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यह अच्छा बजट है। वे लोग तो इस बजट को अच्छा बजट बताएंगे ही, क्योंकि उन्हें अगले इलैक्शन में टिकट लेना है। यदि वे समर्थन नहीं करेंगे, तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार का समर्थन करना और इस बजट को अच्छा कहना, तो इनकी मजबूरी है। यदि ये लोग इस बजट का समर्थन नहीं करेंगे, तो मदन लाल खुराना जी जैसी स्थिति हो जाएगी।

[श्री रामदास आठवले]

उपाध्यक्ष महोदय, 50-52 साल की आजादी में हम आर्थिक बराबरी नहीं ला सके, यह हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। इकनामिक इक्वलिटी लानी है, तो हमें देश की जमीन का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता है, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता है और देश के दलितों, गरीबों को न्याय प्रदान करने की आवश्यकता है, उन्हें रोजगार देने की आवश्यकता है। आपका बजट उनको रोजगार नहीं दे सकता बल्कि आपके बजट से बेरोजगारी बढ़ने वाली है। यह बजट झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों को मकान नहीं दे सकता, लेकिन यह पापुलेशन को बढ़ा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां प्रमोद महाजन साहब बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस समय महाराष्ट्र की आबादी 10 करोड़ है और हम आबादी बढ़ाने में दुनिया के मुकाबले पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे हैं और अन्य सभी चीजों में सबसे पीछे हैं। यदि अन्य सभी बातों में हमें दुनिया का मुकाबला करना है और आगे जाना है, तो हमें पापुलेशन पर काबू करना होगा। पापुलेशन पर काबू करने के लिए मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ''वन फेमिली वन चाइल्ड'' का नारा सरकार को देना चाहिए। आपका पुराना नारा ''एक परिवार तीन बच्चे'' देकर ही आपने इतना परिवार बढ़ाया, जिससे देश की जनसंख्या भयानक अवस्था में पहुंच गई है। हमारे देश के लोग बच्चे पैदा करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। इसलिए एक परिवार एक बच्चे का नारा देना आवश्यक है। यदि पापुलेशन कंट्रोल में नहीं आएगी, तो फूड मिलने वाला नहीं है। आपको पापुलेशन को कम करने के लिए कुछ न कुछ तो प्लान करना चाहिए, लेकिन आपने इसलिए प्लान नहीं किया कि कहीं आप पापुलेशन कंट्रोल के बारे में कुछ कहें, तो जनता नाराज हो जाए और आपको वोट न दे। इसलिए आप पापुलेशन बढ़ाने को काम कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जनसंख्या को कम करने के लिए कुछ न कुछ प्लान कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें मालूम है कि पांच साल यह सरकार सत्ता में रहेगी क्योंकि आपके अब तक के समय में पूरी गरीबी हट गई है, सभी बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है। अपने देश का जो काला धन है वह पूरा व्हाइट हो गया है। इसलिए आपको कोई चिन्ता नहीं है। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार में व्यापक रूप से विद्यमान परसेंटेज सिस्टम खत्म होना चाहिए। मैं अभी लन्दन में थी। वहां इतनी अच्छी रोड थी कि मुझे लग रहा था कि मैं कहां हूं।

अपने देश में सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। दिल्ली की सड़कें अच्छी हैं लेकिन बाकी जगह इतनी अच्छी नहीं हैं। मेरा कहना है कि सड़कों की टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको कुछ सोचना चाहिए। कांट्रेक्टर का कहना है कि हमें उधर 5 परसेंट, 4 परसेंट या 2 परसेंट देना पड़ता है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने इसमें कितना पैसा खर्च किया है तो वे बोलते हैं जितना पैसा मंजूर था, उसमें से 40 परसेंट पैसा हमने रोड के लिए खर्च किया है। जब हम उनसे पूछते हैं कि बाकी का 60 परसेंट पैसे का क्या हुआ, वे कहते हैं कि हमने इतना पैसा उनको दिया, इतना उनको दिया। लेकिन हमें कुछ नहीं दिया इसलिए कांट्रेक्टर लोगों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है।

श्री यशवंत सिन्हा जी, यदि आपको पॉपुलर फाइनेंस मिनिस्टर बनना है तो इनको ट्रेनिंग देने की कोशिश करिये और इनकी ट्रेनिंग के लिए आप मुझे वहां बुलाइये। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने देश की ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए अभी प्रकाश परांजपे जी ने कहा कि जो अधिकारी होते हैं, वे कहते हैं कि 15 लाख रुपये भरने ही चाहिए। यदि पाहुती का पैसा आपको नहीं भरना है तो आप 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपये दे दीजिए क्योंकि उनको भी लगता है कि 15 लाख रुपये भरने के बजाय बिना पाहुति का 5 लाख रुपये दे दो और तुम उधर जाओ, हम इधर जाते हैं। इसी तरह यह काम चलता जा रहा है देश के गरीबों को यदि आपको न्याय देना है तो बजट में साढ़े 22 प्रतिशत का प्रावधान होना चाहिए। हमारे देश का संविधान बताता है कि जितनी पापुलेशन अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का है, उतना प्रावधान हरेक डिपार्टमैंट में होना चाहिए मगर आपके बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मेरा कहना है कि अगले बजट में आप इसके बारे में सोचिये। आप चार साल और उधर रहने वाले हैं क्योंकि हम उधर आने वाले नहीं हैं इसलिए आप वहां रहने वाले हैं। आप लोग चार साल रहो, पांच साल रहो, दस साल भी रह सकते हैं। मेरा कहना है कि आपने जितना रहना है, उतना रहो मगर देश का कल्याण करने के बारे में भी आप सोचिये। आपको इस देश के गरीबों की गरीबी दूर करने और अमीरों की अमीरी को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। जो सरकार अमीरों को और अमीर करती है, वह सरकार ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रहती है इसलिए गरीबों को अमीर बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

श्री राम शक्ल जी, आपकी शक्ल तो राम की तरह नहीं दिखती है लेकिन मेरी शक्ल राम जैसी दिखती है। आपका नाम राम शक्ल है, तो वह ठीक है। . . .*(व्यवधान)* वह राम शक्ल हैं परन्तु मैं रामदास हूं। मैं इधर हूं इसलिए आप लोग अयोध्या में राम मंदिर का प्रयत्न न करें। जब राम आपके सामने हैं तब आप उधर क्यों मंदिर बनाते हैं? मंदिर बनाना है तो अपने दिल में मंदिर बनाओ। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को सोचना चाहिए।. *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप कम्पलीट करिये।

श्री रामदास आठवले: आप इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं।

कदम तो आप उठा रहे हो मगर गरीबों को आप मिटा रहे हो

कदम तो आप उठा रहे हो मगर जनता को ही आप लुटा रहे हो।

सही कदम तो आप उठा नहीं रहे इसलिए तुम्हारी सरकार को
हम कुछ दिन बाद हटा रहे हैं।

अर्थव्यस्था को सुधारना आपका काम नहीं है, अर्थव्यवस्था को
बिगाड़ना ही आपका काम है।

काले धन को नष्ट करना आपका काम नहीं है, काले धन को बढ़ाना ही आपका काम है।

यदि आपका काम ऐसा ही रहेगा तो भविष्य में आपके बहुत बुरे दिन आ सकते हैं। इसलिए आपको अच्छा काम करना है तो दलितों के बारे में सोचिये। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो बिल पेश किया है, उसका हम विरोध करते हैं। आप पहले लोहियावादी थे लेकिन अब आप वैसे नहीं रहे।

यह मैं सोच रहा हूं इसलिए आपको दोबारा लोहियावादी बनने की आवश्यकता है, अगर आपको इकोनोमी की क्वालिटी चाहिए। आप भी लोहियावादी थे, लेकिन आप भी उधर चले गये हैं, ये सब इधर के उधर चले जाने से सब गड़बड़ हो रही है।

मैं इस बिल का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह सभा कल, 4 मई, 2000 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

रात्रि 11.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 4 मई, 2000/
14 वैशाख, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह
बजे तक के लिये स्थगित हुई।

पी०एल०एस० -48/6/28/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत '
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुदित।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
बुधवार, 3 मई, 2000/13 वैशाख, 1922 (शक)
का
शुद्धि-पत्र
...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
23	16	श्री पी॰एस॰पाण्डियन	श्री पी॰एच॰पाण्डियन
53	नीचे से 4	5176	5716
64	5	श्री सुशीला सरोज	श्रीमती सुशीला सरोज
202	1 - 2	श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰सत्यनाराण राव	श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰सत्यनारायण राव
215	22	अवशिष्ट का निपटान	अपशिष्ट का निपटान
219	22	श्री दिलीपकुमार मनुससुखलाल गांधी	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी
226	नीचे से 13	श्री सुशीलन कुमार शिंदे	श्री सुशील कुमार शिंदे
232	3	श्रीमती श्याम सिंह	श्रीमती श्यामा सिंह
239	20	श्री सुखदेव पास्वान	श्री सुकदेव पासवान
263	नीचे से 4	श्री श्रीपाद जैसो नाईक	श्री श्रीपाद येसो नाईक